राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 7] दसवीं विधान सभा के सातवें सत्र का तेईसवां दिवस [संख्या : 16

शुक्रवार,
19 जुलाई, 1996

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री शांतिलाल चपलोत, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : श्री रामनारायणजी मीणा ।

कल्याणपुरा–मूण्डली (नैनवां) की सामुदायिक जलोत्थान योजना

663. **श्री रामनारायण मीणा** (नैनवा): क्या विशिष्ट योजना संगठन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि आदिवासी भील जाति से आबाद ग्राम कल्याणपुरा मजरा मूण्डली तहसील नैनवां की सामुदायिक जलोत्थान सिंचाई योजना के लिए राजस्व ट्रेस एवं खसरा जमाबंदी की नकलों के लिए अतिरिक्त जिला कलक्टर (विकास), बूंदी द्वारा तहसीलदार नैनवां को प्रेषित पत्र क्रमांक जलोत्थान/95–96/759 दिनांक 29 जून, 1995 की पालना में रिकार्ड की नकलें प्राप्त हो गई हैं ? यदि हां, तो किस तारीख को तथा अब आगे क्या कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) उक्त ग्राम के लिए सामुदायिक जलोत्थान सिंचाई योजना की स्वीकृति कब तक जारी कर दी जाएगी ?

राज्य मंत्री, विशिष्ट योजना संगठन (श्री अनंग कुमार जैन) : (1) जी हां, तहसीलदार (भू.अ.) नैनवां के पत्र क्रमांक 3171–72 दिनांक 9.11.95 के अनुसरण में सम्बन्धित हल्का पटवारी ने योजना हेतु रेवेन्यू ट्रेस एवं खसरा जमाबंदी रिकार्ड दिनांक 16.11.95 को जिला ग्रामीण विकास अभिकरण कार्यालय बूंदी में उपस्थित होकर उपलब्ध करवा दिया गया है। कृषकों द्वारा संभावित लागत की 5 प्रतिशत हिस्सा राशि एकत्रित कर अभिकरण में जमा नहीं कराई गई है। सर्वेक्षण कार्य शुरू करने से पूर्व कृषकों को योजना में सम्मिलित करने के उद्देश्य से 5 प्रतिशत संभावित लागत एकत्रित की जाती है। कृषकों द्वारा 5 प्रतिशत राशि एकत्रित करने की सूचना प्राप्त होने के पश्चात् ही सर्वे की कार्यवाही की जाती है। सामुदायिक जलोत्थान सिंचाई योजना के अन्तर्गत योजना की लागत 20 प्रतिशत राशि कृषकों द्वारा हिस्सा राशि के रूप में जमा कराई जाना आवश्यक है। अतः 5 प्रतिशत राशि सर्वेक्षण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व, शेष 15 प्रतिशत राशि योजना क्रियान्वयन के पूर्व कराया जाना आवश्यक है ।

(2) कृषकों से संभावित लागत की 5 प्रतिशत हिस्सा राशि प्राप्त होने के पश्चात्

(श्री अनंग कुमार जैन)

एक माह में योजना का सर्वेक्षण करवा कर तकनीकी तखमीना तैयार किया जाता है। शेष 15 प्रतिशत राशि परियोजना प्रतिवेदन तैयार होने के बाद कार्य स्वीकृति से पूर्व जमा कराना होता है। हिस्सा राशि जमा कराने के पश्चात् स्वीकृति की कार्यवाही की जा सकेगी।

(पत्र की प्रति के लिये परिशिष्ट 1 देखें)

श्री रामनारायण मीणा : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहूंगा, माननीय मंत्रीजी से कि मेरे इलाके में कल्याणपुरा एक ऐसा गांव है जो शत-प्रतिशत भील जाति का है जो कि सबसे ज्यादा गरीब जाति है। आपको यह जानकारी है, मंत्रीजी, कि वर्ष 1990 से आज दिन तक पूरी कोशिश के बावजूद आपकी एजेन्सी का कोई अधिकारी बी. डी. ओ. हो या जिला ग्रामीण विकास अभिकरण का अधिकारी हो, एक विधायक के कहने के बावजूद, मीटिंग की प्रोसीडिंग्स में लेने के बावजूद उसने गांव वालों को इकट्ठा करके बात नहीं की। आपको यह भी पता है कि वे सारे के सारे गांव माडा योजना में आते हैं। चूंकि वे ट्राइबल्स हैं और आप कम्युनिटी ट्यूबवैल खोदते हैं, कम्युनिटी डवलपमेंट के वर्क्स करते हैं तो क्या आप ट्राइबल डवलपमेंट कार्पोरेशन से जनजाति विकास योजना के तहत और आपके जो मंत्री हैं माननीय नन्दलालजी मीणा, उनसे बातचीत करके वह राशि जमा नहीं करा सकते? एक तो मेरा निवेदन करना यह है, मान्यवर।

दूसरा, मंत्रीजी आपने जवाब तो दिया है, लेकिन उसी के साथ आपके अधिकारी कुछ और बात भी कहते हैं। आप यह चिट्ठी शायद भूल गये। अधिकारियों ने आपको चिट्ठी दी? यह 5 सितम्बर, 1995 की चिट्ठी है, मंत्रीजी आपके यहां का स्पेशल सैक्रेटरी लिखता है कि बूंदी जिले में योजनाओं के क्रियान्वयन की प्रगति नगण्य है। जिस कलक्टर को चिट्ठी लिखी गयी क्या आपने उस कलक्टर के खिलाफ एक्शन लिया? वहां बहुत–सी योजनाएं अब भी लागू हो सकती हैं। आगे इसी चिट्ठी में लिखा गया है, विभाग द्वारा मैसिव योजना से 10 प्रतिशत ऋण राशि के रूप में दिये जाने के भी निर्देश दिये जा चुके हैं। यह 10 प्रतिशत ऋण भीलों के लिए नहीं है क्या? "और 10 प्रतिशत राशि नकद और श्रमदान के रूप में," आप कल यह लाइन दे दीजिये, माननीय मंत्रीजी, सारे गांव वाले श्रमदान के रूप में काम करने को तैयार हैं। और नहीं हैं तो मैं मौके पर जाकर उनके साथ फावड़ा चलाने को तैयार हूं। मैं पूरी ईमानदारी से कहता हूं, इतने गरीब लोग हैं, लिफ्ट योजना के लिए वह लें। मेज नदी में इतना पानी है कि पानी की कोई कमी नहीं है। जमीन सूखी पड़ी है, गरीब व्यक्ति हैं, छोटे काश्तकार हैं, सीमांत कृषक हैं, आप किसी भी तरह से हमें आश्वस्त कीजिये कि इन गरीबों की योजना लागू हो जाएगी। जो यह चिट्ठी लिखी गई है इसके मुताबिक श्रमदान से वे काम करने को तैयार हैं। और किसी तरह की अड़चन हो, आप तो एश्योरेंस क्या दोंगे, माननीय मंत्रीजी, मैं आपको एश्योर करने को तैयार हूं कि मैं किसी भी समय, जब भी आप कहोगे, उन गरीबों के गांव में जाकर बात करने को तैयार हूं, उनसे आप जैसा चाहो वैसा करने को तैयार हूं।

(श्री रामनारायण मीणा)

वे सारे के सारे लोग इस आशा में बैठे हैं कि उनकी इस लिफ्ट योजना का कार्य चालू होगा। 1990 से 95-96 तक जो टाइम लगा वह तो लगा, लेकिन अब मैं आशा करूंगा कि इसी साल सारी तैयारी होने से आप इस काम को चालू करवाएंगे। नकद या श्रमदान जो भी होगा, वह गांव वाले करने को तैयार हैं, आप अपने जिलाधिकारी को निर्देश देंगे। कोई दिक्कत आएगी तो हमें आप आदेशित करेंगे, यह हम आपसे आशा करते हैं।

श्री अनंग कुमार जैन : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कल्याणपुरा का मजरा मूण्डली है वह पूरा आदिवासी क्षेत्र है। वैसे सामान्य नियम तो यह है कि सर्वे करने के पहले 5 प्रतिशत राशि जमा करनी होती है और 15 प्रतिशत हिस्सा राशि और काश्तकारों को जमा करानी पड़ती है और 80 प्रतिशत राज्य सरकार लगाती है। यह वर्ल्ड बैंक की योजना के अन्तर्गत कार्य चलता है। लेकिन जैसा माननीय सदस्य ने बताया कि पूरा गांव ही आदिवासियों का है तो मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहूंगा कि 10 प्रतिशत लोन मैसिव योजना से उन काश्तकारों को उपलब्ध करवाने की व्यवस्था कर दी जाएगी और 10 प्रतिशत जो हिस्सा राशि जमा करनी है, उसको भी काश्तकार चाहें तो लेबर के रूप में जैसे ट्रेंच खोलना है, वहां पर पम्प हाउस बनाना है, उसमें जितना पैसा होगा वह लेबर के रूप में एडजस्ट कर देंगे। मैं निश्चित रूप से इस योजना को शीघ्र ही क्रियान्वित करने के आदेश आज विभाग को दे रहा हूं, उनको जितनी अधिक से अधिक सुविधा विभाग के द्वारा दी जा सकेगी दी जाए ताकि उन पर वित्तीय भार नहीं पड़े। चूंकि उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है तो जो विभागों के नियम हैं उनमें भी शिथिलता प्रदान करते हुए निश्चित रूप से इस योजना को जल्दी से जल्दी क्रियान्वित कर दिया जाएगा।

श्री रामनारायण मीणा : थैंक यू।

श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर) : 10 प्रतिशत की इस योजना से कुल कितनी राशि बनती है।

श्री अध्यक्ष : श्री हीरालालजी सहरिया

निर्वाचन क्षेत्र किशनगंज में मत्स्य पालन हेतु ऋण/अनुदान

664. श्री हीरालाल सहरिया (किशनगंज) : क्या मत्स्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र किशनगंज में अब तक कितने व्यक्तियों को मछली पालन हेतु ऋण या अनुदान दिया गया ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि विभाग द्वारा उक्त क्षेत्र में मछली पालन के लिए ट्यूबवैल लगवाये गये हैं ? यदि हां, तो कहां-कहां ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) अब तक कितने अभ्यार्थियों द्वारा उक्त योजना में कितना-कितना लाभ प्राप्त किया गया; यदि नहीं, तो क्यों ?

राज्य मंत्री, मत्स्य (श्री अर्जुन सिंह देवड़ा) : (1) विधान सभा क्षेत्र किशनगंज

(श्री अर्जुनसिंह देवड़ा)

में अब तक जिन 16 व्यक्तियों को ऋण या अनुदान दिया गया है उनकी सूची सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

(2) जी नहीं।

(3) अब तक उक्त योजना के अन्तर्गत 16 अभ्यर्थियों में से दो अभ्यर्थियों को 40,000 रुपये अनुदान एवं 3,44,000 रुपये बैंक ऋण का लाभ दिया गया तथा 14 अभ्यर्थियों के लिए 56,742 रुपये राशि की नाव, जाल व कृत्रिम भोजन तथा लीज राशि अनुदान हेतु व्यय किया गया।

(सूची के लिये परिशिष्ट 2 देखें)

श्री हीरालाल सहरिया : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा आपके माध्यम से कि जिन दो व्यक्तियों को अनुदान और ऋण दिया गया है, यह किस परपज के लिए दिया गया है, क्योंकि दोनों व्यक्तियों को ऐसा कोई तालाब अलाट नहीं किया है ? यदि तालाब अलाट किया है मछली पालने के लिए तो उस तालाब का नाम बताने की कृपा करें। एक प्रश्न मेरा और है इसी से सम्बन्धित। 14 व्यक्तियों को जो इन्होंने लाभान्वित करना बताया है इन्होंने कौन से तालाब पर ट्रेनिंग ली ? और ट्रेनिंग ली है तो क्या उनको वे तालाब अलाट कर दिये या नहीं किये ? और यदि नहीं किये तो क्यों नहीं किये ?

श्री अर्जुनसिंह देवड़ा : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने पूछा कि उन दो व्यक्तियों को जिनको हमने लोन दिया, कौन सा तालाब अलाट किया गया। मैं यहां कहना चाहूंगा कि जो भी व्यक्ति मत्स्य पालन में इन्टरेस्ट रखता हैं, विभाग की ओर से यदि वह एक हेक्टेयर का पौण्ड बनाता है तो उसको एक लाख रुपये तक का जो खर्चा आता है उसमें 20 हजार रुपये सब्सिडी के तौर पर दिये जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, इनको तालाब कोई अलाट नहीं हुआ, इन्होंने अपने निजी क्षेत्र में बैंक से ऋण लेकर ट्यूबवैल भी बनाया है और एक हैक्टेयर का पौण्ड भी बनाया है जिसके लिए 20 हजार रुपये विभाग ने, जो अनुदान हम देते हैं, वही दिया है। बाकी पैसा बैंक ने उनको ऋण के रूप में दिया है जिसको उनको चुकाना पड़ेगा।

श्री हीरालाल सहरिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक तरफ तो आप भाग संख्या–2 में बता रहे हैं कि कोई ट्यूबवैल नहीं खुदाया है और एक तरफ आप कह रहे हैं कि उन दोनों को अनुदान राशि जो दी है उसमें ट्यूबवैल खुदाया है। क्या आप मुझे यह बताने की कृपा करेंगे कि इन दोनों व्यक्तियों ने वहां जीवाणु, मत्स्य विभाग द्वारा जो मछलीपालन के जीव हैं, वे कितने उसमें पाले और कितने नहीं पाले ? बीज कहां से आया और कहां से नहीं आया ? उसको जिस परपज के लिये लोन दिया गया है क्या उस पर वह पैसा खर्च हो रहा है या नहीं हो रहा है ? यह और बता दें मुझे आप।

श्री अर्जुनसिंह देवड़ा : अध्यक्ष महोदय लोन बैंक ने दिया हैं और ट्यूबवैल भी उन्होंने निजी खोदे हैं। माननीय सदस्य ने मेरे से प्रश्न पूछा है कि विभाग की ओर से कितने ट्यूबवैल खोदे गये, तो माननीय सदस्य को मैं कहना चाहूंगा कि विभाग की

(श्री अर्जुन सिंह देवड़ा)

ओर से एक भी ट्यूबवैल वहां पर नहीं खोदा गया है। ट्यूबवैल जो वहां पर खोदे हैं उन्होंने अपने पर्सनल ट्यूबवैल खोदे हैं। पिछली साल उन्होंने लोन लिया है, अभी हमारा सीजन स्टार्ट होता है, अब मत्स्य पालन का काम होगा।

श्री दयाराम परमार (खैरवाड़ा) : यहां पर प्रश्न यह है कि आपने उनको ट्यूबवैल खोदने के लिये और मछली पालन के लिये लोन दिया और उस लोन पर 40% के हिसाब से 40 हजार रुपये सब्सिडी दी, लेकिन वे मछली पालन नहीं कर रहे हैं अपनी खेती कर रहे हैं। गलत तरीके से लोन लेकर सब्सिडी गवर्नमेंट से ली उसके जवाब में आप क्या कहना चाहते हैं ?

श्री अर्जुन सिंह देवड़ा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से दुबारा माननीय सदस्य को करैक्ट करना चाहूंगा कि हमने उनको ट्यूबवैल के लिये नहीं दिया। एक हैक्टेयर में जो पौण्ड बनाते हैं और जिसमें लागत लगभग एक लाख की आती है उस पर जो जनरल कास्ट के लोग होते हैं उनको 20% या 20 हजार रुपये और जो एस.सी. और एस.टी. के लोग होते हैं उनको 40 हजार रुपये तक हम सब्सिडी देते हैं और हमने दो व्यक्तियों को यह 40 हजार सब्सिडी अलग-अलग 20–20 हजार रुपये दी है।

श्री अध्यक्ष : श्री रामस्वरूप जी। ... दे दिया न लोन, अब क्या होगा ?

श्री हीरालाल सहरिया : यह 14 व्यक्तियों को जो ट्रेनिंग करायी है, पैसा बरबाद हुआ है। कौन से तालाब में इन्होंने ट्रेनिंग करायी है और कौन से तालाब ये इन 14 व्यक्तियों को अलाट करेंगे ? नहीं करेंगे तो फिर ट्रेनिंग कराने से यह जो मत्स्य विभाग ने चूना लगाया है डिपार्टमेंट के वह बेकार लगाया है। मेरा पूछना यह है, मंत्री महोदय, क्या इसका सदुपयोग होगा ?

श्री अर्जुन सिंह देवड़ा : अध्यक्ष महोदय, यह सब्सिडी नहीं है। सहरिया प्रोजेक्ट के तहत उन लोगों को मत्स्य पालन के लिये सब्सिडी दी है। इसी प्रकार से पिछली साल 105 सहरिया लोगों को ट्रेनिंग दी गयी थी जिसके लिये विभाग ने बांध विलास उनके लिये सुरक्षित रखा है, उन 105 व्यक्तियों को इस साल वहां पर फिशिंग की स्वीकृति दी जाएगी। जो भी इस प्रोजेक्ट के तहत उनको लाभ मिलेंगे वे लाभ दिये जा रहे हैं। वह सब्सिडी भी हमने सहरिया प्रोजेक्ट में दी है।

श्री अध्यक्ष : श्री रामस्वरूप जी। नहीं अब, नहीं, not allowed.

श्री दयाराम परमार : माननीय अध्यक्ष महोदय... (व्यवधान)... यह सहरियों का सवाल है...

श्री अध्यक्ष : हो गयी बात छोटी-मोटी श्री रामस्वरूप जी, नैक्स्ट। नो, प्लीज। बिराजिये। दयारामजी आप बहुत विद्वान हैं, बिराजिये आप।

श्री दयाराम परमार : आपने उनको ट्रेनिंग दी... आपने उनको जालें दे दीं, आपने उनको नावें दे दीं और तालाब आपने कोई अलाट नहीं किया। वे कर्ज में आ गये उसका कौन जिम्मेदार होगा ?

श्री अध्यक्ष : श्री रामस्वरूप जी, नो बिराजिये आप । आपको मछली थोड़े ही मारनी हैं ?

श्री दलीचन्द (दानपुर): अध्यक्ष महोदय, हमारे बांसवाड़ा में भी बहुत सारे तालाब हैं जिनकी हम चर्चा करना चाह रहे हैं और आप ना कह रहे हैं। अभी भी बहुत सारा मछली पालन है वहां पर।.... (व्यवधान) आप इस बात को सुनना ही नहीं चाह रहे हैं।... (व्यवधान) उन लोगों को सही हिसाब का रेट नहीं मिल पा रहा है, इसी बात को हम दुहरा रहे हैं। जो मछली पालक धंधा करते हैं, राजस संघ द्वारा जो उनकी मछली खरीदी जाती है उसमें उनको सही हिसाब से पैसा नहीं दिया जा रहा है। क्या मंत्री महोदय इस मामले में बतायेंगे कि राजस संघ द्वारा... (व्यवधान) उनको उचित मूल्य दिया जाता है या नहीं दिया जाता है ?

श्री अध्यक्ष : अच्छा आपकी बात सुन ली। बिराजिये आप। रामस्वरूप जी।

अपूर्ण सड़कों का डामरीकरण

665. श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या सरकार राज्य की अधूरी सड़कों को पूरा कराने का विचार रखती हैं ? यदि हां, तो इसके बारे में सरकार द्वारा क्या नीति निर्धारित की गयी है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि राज्य में डामर के अभाव में सड़कें अधूरी पड़ी हैं ? यदि हां, तो सरकार द्वारा डामर की व्यवस्था कब तक कर दी जाएगी ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी) : (1) जी, हां। अधूरी सड़कों को पूरा करने के विषय में सरकार द्वारा निर्धारित नीति परिशिष्ट "अ" में संलग्न है।

(2) जी, हां। डामर की कमी की पूर्ति करने के लिये सरकार के उच्च अधिकारियों तथा सार्वजनिक निर्माण विभाग मन्त्री एवं माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा भारत सरकार से पत्राचार किया गया। किन्तु आपूर्ति की स्थिति में कोई उल्लेखनीय सुधार नहीं हुआ तथा कमी यथावत बनी हुई है। आपूर्ति के लिये निविदाएं प्राप्त कर ली गयी हैं तथा विचाराधीन हैं।

(नीति के लिये परिशिष्ट 3 देखें)

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से तीन प्रश्न पूछना चाहता हूं। आपने यह जो डामर नीति बनायी है, आपने कहा कि 1971 के अनुसार नीति तय की गयी है। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं, मंत्री जी यह स्पष्ट करें कि नीति के अनुसार एन. एच., एस. एच., एम. एण्ड आर. पर आने वाली पुलियाएं कब तक पूर्ण हो जाएंगी ? कृपया यह स्पष्ट करें कि कौनसी पुलिया किस वर्ष तक पूर्ण हो जाएगी ? क्या यह नीति में स्पष्ट किया गया है, एक प्रश्न।

दूसरा, मंत्री महोदय, आपने कहा कि डामर के अभाव में पूर्ति नहीं हो रही है, डामर अभी हमारे पास नहीं है। इसमें

(श्री रामस्वरूप मीणा)

दो प्रश्न हैं मेरे, माननीय मंत्री महोदय, डामर कांड के अपराधियों पर विभाग ने किस-किस जिले में और किन-किन अधिकारियों के विरुद्ध अब तक कार्यवाही की है ? 1993-94, 1994–95 और 1995-96 में कितनी डामर...

श्री अध्यक्ष : यह आपका प्रश्न नहीं है, माननीय, आप प्रश्न इससे रिलेटेड पूछें। यह प्रश्न आपका है नहीं ।

श्री रामस्वरूप मीणा : नहीं आपने कहा है कि डामर का अभाव है । मैं कहता हूं कि....

श्री अध्यक्ष : अभाव है पर किसने-किसने मारे राजस्थान में क्या-क्या किया डामर में, यह नहीं है प्रश्न । नो, नोट अलाउड ।

श्री रामस्वरूप मीणा : डामर का जो भ्रष्टाचार हुआ है उसके कारण अभाव पैदा हुआ है । मेरा विनम्र निवेदन है कि कितना डामर राजस्थान सरकार को चाहिये था और कितना प्राप्त हुआ है ? और तीसरा प्रश्न है मेरा. कि मेरे विधान सभा क्षेत्र की जो अधूरी लिंक रोड हैं जिनके ऊपर गिट्टी पड़ी हुई है, उन अधूरी लिंक रोडों को आप कब तक पूरा कर देंगे ? तीन प्रश्न हैं मेरे, साहब ।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि इस वर्ष का जो कंस्ट्रक्शन प्रोग्राम है उसका सारा भार और सारी बात तो दी जा चुकी है । सारी पुलियाएं क्या होंगी, यह तो इस वर्ष में कुछ नहीं बताया जा सकता लेकिन उसकी नीति तय है जिसको मैंने उद्‌भाषित किया है और माननीय सदस्य ने उसको पढ़ा होगा । 1971 की जनगणना अनुसार 1 हजार से अधिक आबादी के सभी गांवों को डामर से जोड़ना 8वीं पंचवर्षीय योजना में, जिसका अन्तिम वर्ष चल रहा है ।

2. पंचायत मुख्यालय जो किसी भी प्रकार से सड़क से जुड़े हुए नहीं हैं उनको ग्रेवल/मैटल सड़क से जोड़ना इस 8वीं पंचवर्षीय योजना में ।

3. ग्रोथ सेन्टरों के मध्य छूटे हुए मुख्य मार्गों को पूर्ण करना, सबसे कम दूरी के सीधे मार्गों का विकास करना ।

4. राज्य उच्च मार्गों के मध्य छूटे हुए पुलों/पुलियाओं का निर्माण करना ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, उसके साथ ही 9वीं पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य भी मैंने अपनी मांगों के सन्दर्भ में यहां दिये थे, मैं फिर बताना चाहता हूं :—

1. सन् 1991 की जनगणनानुसार 1000 से अधिक आबादी के सभी गांवों को डामर की सड़कों से जोड़ना ।

2. सभी पंचायत मुख्यालयों की सड़कों का डामरीकरण करना ।

3. विरल रूप से आबाद मरु क्षेत्र एवं जनजाति क्षेत्र के 750 से अधिक जनसंख्या (सन् 1991 की जनगणना के आधार पर) के सभी गांवों को सड़कों से जोड़ना ।

4. राज्य उच्च मार्गों एवं अधिक दबाव की सड़कों पर छूटे हुए पुलों/पुलियाओं का निर्माण ।

(8)

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरा प्रश्न जो माननीय सदस्य ने किया है, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि सवाई माधोपुर जिला हमारे लिये इस बारे में प्रायोरिटी का है। हम जानते हैं कि यह पिछड़ा हुआ जिला है....

श्री परसादीलाल मीणा : सवाई माधोपुर ही क्यों है बाकी जिले नहीं हैं क्या ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : एक मिनट। एक बार बिराजिये आप।

श्री रामस्वरूप मीणा : जवाब सुन लो जवाब, फिर प्रश्न करना।

श्री परसादी लाल मीणा : दौसा में क्या होगा ?

श्री अध्यक्ष : हां–हां, तो रामस्वरूप जी का प्रश्न है यह। किल्लत हो तो आप वैसे बात करो। बिराजिये।

श्री रामनारायण मीणा : इन दोनों की ओपीनियन पहली दफा डिफर कर रही है। पहली दफा ये दोनों अलग-अलग हो रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। बूंदी नहीं है अभी।

श्री रामस्वरूप मीणा : सुन लो जवाब।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : और इसलिये, माननीय अध्यक्ष महोदय, सारे राजस्थान में एक लाख पिचानवे हजार मैटिक टन की आवश्यकता थी उसमें से मिला हमको 75 हजार यानी 38.46%। किन्तु मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि सवाई माधोपुर में 6290 मैट्रिक टन इन्डेन्ट किया गया जिसमें से 4251 मैट्रिक टन, नियरली 70% अलाट किया गया है। पिछड़ेपन के कारण और वहां की हालत देखने के कारण। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को और बताना चाहता हूं कि टोडाभीम तहसील में जो आपका क्षेत्र है, 61 पंचायत मुख्यालय हैं–44 डामर से जोड़ दिये, 5 डब्ल्यू. बी. एम. से, 11 ग्रेवल से। केवल एक पंचायत मुख्यालय बचा हुआ है जिसमें ग्रेवल कर दी है ई. एस. में। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि 1971 की एक हजार की आबादी वाले गांव 43 है–33 डामर से जुड़े, 20 डब्ल्यू. बी. एम. से जुड़े हैं, 8 ग्रेवल से जुड़े हुए है। 10 गांवों की स्वीकृति एम. एन. पी. में हो गयी है, पांच ए.डी.पी. में और दो क्यू. एम. में काम चल रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं माननीय विधायक महोदय के क्षेत्र में इस समय 13 अपूर्ण काम चल रहे है किन्तु नीति में चार आते हैं जिसमें से 2 सैंक्शन हो गये, दो की सैंक्शन इस बार निकल जाएंगी। जो नीति में नहीं आते हैं उनके लिए कुछ समय तक माननीय सदस्य को इन्तजार करना पड़ेगा।

श्री रामस्वरूप मीणा : गड़बोरा कब जोड़ रहे हैं, माननीय मंत्री महोदय, गड़बोरा, जो अभी पर्यटन स्थल घोषित हुआ है ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी: अगर नीति के आयेगा तो निश्चित रूप से जोड़ा जाएगा।

श्री अध्यक्ष : बिराजें । धारीवाल साहब, आपको क्या पूछना है इसमें ?

श्री शांतिकुमार धारीवाल (हिण्डौली): सड़क की बाबत ही है, साहब । अध्यक्ष महोदय, अगर आप इस प्रश्न को पढ़ें तो उसमें यह पूछा गया है माननीय सदस्य के द्वारा कि क्या सरकार राज्य की अधूरी सड़कों को पूरा करने का विचार रखती है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : बताया न योजना के लिए ।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : अधूरी का अर्थ है इनकम्प्लीट, आपका जो जवाब है वह आपने नीति बतायी है आपकी ।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : इसी नीति में जो अधूरी सड़कें होंगी उनको जोड़ने की हम व्यवस्था करेंगे....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : इसी नीति के अनुसार होगा, बिराजें आप । नाट अलाउड ।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : जो नीति बतायी गयी है आपकी, वह नई सड़कों की है ।

श्री अध्यक्ष : बिराजें ।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मेरा आप के माध्यम से जो प्रश्न है वह बता रहा हूं आपको । मेरा प्रश्न यह हैं कि जो डब्ल्यू. बी. एम. हैं कागजों में उन पर ग्रेवल दिखायी गयी है, जो ग्रेवल हैं उनको डामर दिखाया गया है । और इतनी शिकायतें हर माननीय सदस्य अपने क्षेत्र की यहां पर करते हैं....

श्री अध्यक्ष : प्रश्न पूछिये । क्या पूछ रहे हैं आप ?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मैं यह पूछना चाहता हूं कि इस मामले में कोई सदन की कमेटी बनाकर सड़कों की जांच करने का विचार सरकार रखती है क्या ?

श्री अध्यक्ष : बिराजें, नाट अलाउड ।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : ताकि वस्तुस्थिति सरकार की निगाह में आ जाए ।

श्री अध्यक्ष : श्री हरिसिंह जी ।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : यह सारा फर्जीवाड़ा है ।

श्री अध्यक्ष : बिराजें आप ।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : पूरा फर्जीवाड़ा है, जिसे ग्रेवल बता रखा है वह डब्ल्यू. बी. एम. भी नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : बिराजें हो गया ।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : और जहां डामर बता रखा है वहां ग्रेवल भी नहीं है।

श्री अध्यक्ष : आ गया आपका सब । सब छप गया, बिराजें आप ।

श्री हरिसिंह (महुआ) : मंत्री जी, आपने पिछले बजट सत्र में यह घोषणा की थी कि किसी भी सड़क बनाने वाली एजेंसी से अगर कोई डब्ल्यू. बी. एम. सड़क बनाते हैं, पी. डब्ल्यू. डी. के अलावा भी, तो हम उसका डामरीकरण सुनिश्चित कर देंगे । अध्यक्ष महोदय, सांसद विकास कोटे में अनेक सांसदों ने डब्ल्यू. बी एम सड़क के लिए पैसा दिया, वे बन चुकीं, निर्बन्ध राशि में कई माननीय सदस्यों ने डब्ल्यू. बी. एम.

(10)

(श्री हरिसिंह)

सड़क के लिए पैसा दिया, वे बन चुकी, ऐसे ही विशिष्ट योजना संगठन की तरफ से, डी. आर डी. ए. की तरफ से कई जगह डब्ल्यू बी. एम. सड़कें बन चुकी....

श्री अध्यक्ष : कृपया आप प्रश्न पूछिये।

श्री हरिसिंह (महुआ) : क्या आप इन डब्ल्यू. बी. एम. सड़कों का डामरीकरण कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : बिराजें आप। भरत-सिंह जी।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है, चाहे एम. पी. कोटा हो, चाहे एम.एल.ए. कोटा हो, चाहे "30 जिला 30 काम" हो, चाहे एम्प्लायमेंट गारण्टी स्कीम हो, चाहे निर्बन्ध योजना हो, जो जो इस नीति में आएंगी अधूरी सड़कें या डब्ल्यू. बी. एम. की उनको डामर करेंगे। डामर की अवेलेबिलिटी के साथ-साथ, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके साथ ताईद करता हूं कि जो डब्ल्यू. बी. एम. सड़कें हैं, डामर की बने बिना उनके उखड़-कर नष्ट हो जाने के चांसेज हैं। मेरे मन में इच्छा है, नीति में तो नहीं है, किन्तु अगर डामर मिलेगा तो मैं आपके माध्यम से सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि नीति से आगे भी जाकर उन सड़कों का डामरीकरण हम सुनिश्चित करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस डामर के लिए अभी हमने इंटरनेशनल टेंडर्स किये हैं, यहां तो हालत यह हो गयी है। राजस्थान सरकार पूरा प्रयास कर रही है, जैसे ही मिलेगा या हमारे कांट्रेक्ट से ज्यादा मिले तो हम नीति से बाहर जाकर भी डब्ल्यू. बी. एम. सड़कों को डामर करने का पूरा प्रयास करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, हिण्डौली से आने वाले माननीय सदस्य ने एक आरोप लगा दिया यहां। वे स्पेसिफिक कोई बात कहेंगे तो जांच करवाऊंगा। किसी अधिकारी ने अगर ग्रेवल सड़क को डब्ल्यू. बी. एम. बता दिया, डब्ल्यू. बी. एम. को डामर बता दिया और सूचना दे दी उसके विरुद्ध एक्शन लूंगा, यह बात गारण्टी से आपको कह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : बिराजें, हो गयी बात।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मैं कह रहा हूं कि कमेटी बनाइये। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नो, नाट अलाउड.... (व्यवधान).... धारीवाल साहब, बैठिये आप। You have not sought the permission. Sit down. बैठिये आप। नो, नाट अलाउड ....(व्यवधान) ...

श्री शांतिकुमार धारीवाल : इतनी नाराजगी मत दिखाओ, एक बार मुस्करा तो दो, साहब।

श्री अध्यक्ष : बिराजें आप।

श्री शांति कुमार धारीवाल : एक बार मुस्करा तो दो आप।

श्री अध्यक्ष : हां, मुस्करा रहा हूं। बैठो आप भरतसिंह जी।

श्री हरिसिंह (महुआ) : आपका यह रौद्र रूप देखकर हम तो सहम गये वैसे ही।

श्री अध्यक्ष : पहले ऐसे कुछ माननीय सदस्य जिनका नाम नहीं आता है, उनको बोलने दें।

श्री भरतसिंह (खानपुर) : माननीय अध्यक्ष जी, मंत्री जी ने अपने उत्तर में उन मार्गों पर पुलियाओं का उल्लेख किया है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं आप यह चीज स्पष्ट करें कि आपने जो नीति तय की है उस नीति के अनुसार कौन-सी पुलिया, कौन-सी पंचवर्षीय योजना में किस साल में पूर्ण हो जाएगी? माननीय मंत्री जी, शायद आपने प्रश्न सुना नहीं पूरा।

श्री भंवरलाल शर्मा : दुबारा बोलिये।

श्री भरतसिंह : मेरा प्रश्न यह है, कि मार्गों पर जो पुलियाएं आती हैं, जिनसे रास्ता अवरुद्ध हो जाता है उसके बारे में क्या आपने सड़क नीति में स्पष्ट किया है कि कौनसी पुलिया कौन-से प्रोग्राम के अन्दर किस साल तक पूर्ण हो जाएगी। खास तौर से मैं कोटा जिले की बात कर रहा हूं जिस बारे में अनेक बार आपको चिट्ठियां लिख चुका हूं।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती इन्दिरा मायाराम।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम (सांगानेर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सार्वजनिक निर्माण मंत्री से सिर्फ एक ही निवेदन करना चाह रही हूं। इस सवाल में एक यह लिखा है कि जो अधूरी सड़कें हैं वे कब तक पूरी होंगी। हमारे क्षेत्र में आपने कानोता से सांवरिया तक जो सड़क बनायी है....

श्री अध्यक्ष : अब एक-एक सड़क का नाम लेने से तो कोई मतलब नहीं है, कोई याद तो है नहीं मंत्री जी को।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : नहीं, नहीं, नाम नहीं, मैं तो जो सवाल से....

श्री अध्यक्ष : सवाल पूछिये आप।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : मैं सवाल ही पूछ रही हूं, सांवरियां से लेकर अचलपुरा होते हुए....

श्री अध्यक्ष : यह तो जवाब देना ही मुश्किल है। कोई एक-एक सड़क का चलता है?

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : चाकसू में मिलने वाली पी. डब्ल्यू. डी. की सड़क है वह क्यों नहीं पूरी की गयी? भारतीय जनता पार्टी के एम. एल. ए. के एरिया में आती है वह सड़क तो बना दी गयी और उसके बाद अधूरी छोड़ दी गयी।

श्री अध्यक्ष : विराजें आप। परसादीलाल जी।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : अधूरी छोड़ दी गयी। अध्यक्ष जी, सिर्फ एक दो पाइंटेड सवाल जो इसी से सम्बन्धित हैं।

श्री अध्यक्ष : अब आप इतना लम्बा कर रही हैं। दूसरे प्रश्न भी लेने पड़ते हैं।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : एक ही सवाल और है। और इसी प्रकार से....

श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) : इम्पार्टेंट सवाल है, साहब।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : जगतपुरा से गोदे, बारड़ा, पदमपुरा, यह आपने कहा, मुख्यालयों को जोड़ने की है। इस सड़क को भी अभी तक नहीं शुरू किया गया है। इसी बारे में मुझे निवेदन करना है।

श्री परसादीलाल मीणा : माननीय मंत्री जी आप यह बताएं कि ग्रेवल जो सड़कें बनी हुई हैं—क्योंकि ग्रेवल की उम्र दो साल, ढाई साल, तीन साल में खतम हो जाती है अगर उसका मैटल नहीं करते तो, क्या आप उनका मैटल कराएंगे ? और जो मैटल सड़कें बनी हुई हैं आप उनका डामरीकरण कराएंगे ? 1996–97 में आप कितने ग्राम पंचायत मुख्यालयों का डामरीकरण करा रहे हैं, कितने ग्राम पंचायत मुख्यालयों का मैटलीकरण करा रहे हैं, कृपया यह प्रोग्राम तो हमें बताइयेगा। आप रोज भाषण ठोकते हैं यह डामरीकरण कराएंगे, यह मैटलीकरण कराएंगे।

श्री अध्यक्ष : बिराजें। फूलचन्द जी।

श्री परसादीलाल मीणा : यह स्पष्ट करें आप।

श्री अध्यक्ष : बिराजें।

श्री फूलचन्द मीणा (सलूम्बर) : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा, नेशनल हाईवे नम्बर 8 नीति में नहीं आता है लेकिन सलूम्बर से उदयपुर 8 नम्बर पर दबाव ज्यादा होने से क्या उसका बाईपास करके सलूम्बर वाया डूंगरपुर या सांवरिया जी को मिलाने की कार्यवाही करेंगे आप ?

श्री अध्यक्ष : यह अभी कहां बीच में ले आये आप ? बिराजें आप। मदनमोहन जी। आप एक सैकण्ड ठहरिये। आप बाद में आये हैं, अभी एंटर किया ही है आपका।

श्री मदन मोहन (खैरथल) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं राज्य सरकार जो सड़कें मंजूर करती है उनको मंजूर हुए तो 5–5, 10–10 साल हो जाते हैं लेकिन सड़कों का निर्माण शुरू नहीं होता। क्या राज्य सरकार इसमें कोई समय तय करना चाहती है जिसके आधार पर जो स्वीकृत सड़कें हैं वे समय पर पूरी हो जाएं जिससे ग्राम लोगों को परेशानियों से छुटकारा मिल सके ?

श्री अध्यक्ष : बिराजें। रूपारामजी।

श्री रूपाराम (मकराना) : माननीय मंत्री जी, मैं कहना चाहूंगा कि जो आपकी यह सड़क नीति है इस सड़क नीति में कई दफा ग्रेवल सड़क बनाने के बाद डामरीकरण किया जाता है तो कई बार तीन-तीन दफा ग्रेवल बनाने के बाद में भी डामरीकरण नहीं होता। वह नष्ट हो जाती है, विभाग का पूरा पैसा बरबाद होता है इसलिए वह सड़क की नीति क्या फायदेमंद है विभाग के लिए ? क्या आप इस नीति को चलाते रहेंगे ?

श्री अध्यक्ष : श्री कन्हैयालाल जी।

श्री कन्हैयालाल मीणा (बस्सी) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित कर निवेदन करना चाहूंगा कि अकाल राहत के तहत जितने कार्य स्वीकृत हुए हैं, जितनी सड़कें स्वीकृत हुई हैं उन कार्यों को पूरा करवाया जाएगा, इस प्रकार का एग्रीमेंट

(श्री कन्हैयालाल मीणा)

सार्वजनिक निर्माण विभाग की तरफ से किया गया था। जितनी भी सड़कें बनायी गयी हैं वे अधूरी पड़ी हुई हैं। हजार की आबादी वाले गांव हैं, 15 किलोमीटर की सड़क थी जिसका कार्य 13 किलोमीटर हो गया। ऐसी सड़कें जिनका दो तीन किलोमीटर या एक किलोमीटर ही कार्य शेष रह गया है....

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें। शंकरलाल जी।

श्री कन्हैयालाल मीणा : उन कार्यों को पूरा करवाने की गारंटी जो सार्वजनिक निर्माण विभाग ने दी थी....(व्यवधान) वे कब तक पूरी करवायी जाएंगी ? (व्यवधान)....

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): मैं तो आपके माध्यम से एक ही प्रश्न पूछना चाहूंगा और वह यह है। डामर घोटाला कांड हुआ, क्या किया क्या नहीं किया उसका तो पता नहीं। ग्रेवल डालने के लिये जिस जगह ग्रेवल है, पत्थर है, पहाड़ है उसके बजाय 10-10 किलोमीटर दूर से ग्रेवल लाया जा रहा है। सबसे ज्यादा पी. डब्ल्यू. डी. में भ्रष्टाचार ग्रेवल के नाम पर हो रहा है।

श्री अध्यक्ष : यह इससे रिलेटेड बात नहीं है, बिराजें आप। श्री अहारी जी।

श्री रामनारायण मीणा : मान्यवर, मुझे एक धमकी मिल रही है–बाबा मरूं तेरे राज में लिख दिया.... यह धमकी दे रहे हैं तुम्हें समझ लूंगा। यह क्या हो रहा है? मुझे प्रश्रय दें, मान्यवर ? ये परसादीलाल जी....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप कृपया बिराजें। श्री अहारी जी।

श्री शंकरलाल अहारी (चौरासी) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि आप कब तक डामर की आपूर्ति कर देंगे ?

श्री रामनारायण मीणा : (व्यवधान) उद्योग मंत्री उद्योगों को बढ़ावा देना चाहते हैं उद्योगों के नाम पर कुछ भी नहीं है। राजस्थान में।

श्री अध्यक्ष : रामनारायण जी चौधरी। बिराजें। एक मिनट ठहरों तो सही आप। बाद में आते हो सब।

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, पी. डब्ल्यू. डी. के मंत्री महोदय ने कौन-कौन सी सड़कें उनकी नीति में आती हैं, यह बताया है....

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप। माननीय खंगार सिंह जी साहब, बिराजें आप।

श्री खंगार सिंह चौधरी (खारची) : (व्यवधान) रेगुलर प्लान के अन्दर है। मंत्री महोदय, जो माल पहले 80 में लगा है, उस माल को लगाने की कीमत बाद में दी गयी है या नहीं दी गयी है, ऐसे मामले बहुत ज्यादा हैं। जो भी ऐसे मामले हैं उनको आप उजागर करना चाहते हैं या नहीं ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : हो गयी बात बिराजिये। दलीचन्द जी, बैठें।

श्री रामनारायण चौधरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने कौन-कौन सी सड़कें उनकी नीति में आती हैं....

श्री दलीचन्द : माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने यह बताया कि अनुसूचित जनजाति के साढ़े सात सौ की जनसंख्या वाले प्लेस डामरीकरण से जोड़े जाएंगे। दूसरा इन्होंने बताया कि हर पंचायत मुख्यालय को सड़क से जोड़ा जाएगा। लेकिन मैं मंत्री महोदय को याद दिलाउंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में 80 पर्सेंट पंचायतें ऐसी हैं जहां मैटल तो ठीक हैं, अभी तक रोड नहीं बनी है। क्या ऐसी सड़कों के लिये आप पैसा दोगे ?

श्री अध्यक्ष : बिराजें आप। एक-एक विधान सभा का तो नहीं है, नीतिगत बात ही कही जाती है। चौधरी साहब।

श्री दलीचन्द : नीतिगत बात ही है, साहब, जो कह रहा हूं। मैं भी नहीं कह रहा हूं कि नीतिगत नहीं है लेकिन इन्होंने कहा है पंचायत मुख्यालय जोड़ दिये, जबकि बहुत सारी पंचायतें ऐसी हैं जिनमें मैटल नहीं हुआ है। (व्यवधान) कब तक ये उन पंचायत मुख्यालय को डामरीकरण से जोड़ेंगे।

श्री रामनारायण चौधरी : मंत्री जी, अध्यक्ष जी के मार्फत आपने यह बताया कि ये सड़कें आपकी नीति में आती हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जनता पार्टी के राज में 1977 से 80 के बीच फूड फार वर्क के अन्दर ग्राम पंचायतों के द्वारा बहुत बड़ी तादाद में सड़कें बनायी गयी थीं। उन सड़कों को आपने अभी तक कहीं कवर नहीं किया। मैं जानना चाहता हूं कि ग्राम पंचायतों में फूड फार वर्क में जो सड़कें बनायी हैं, झुन्झुनू जिले में मेरे निर्वाचन क्षेत्र में काफी ऐसी सड़कें हैं, उन सड़कों को आपने अपने प्रोग्राम में शामिल किया है कि नहीं किया है ? किया है तो ठीक है। नहीं किया है तो उन सड़कों का ग्राम पंचायतों के द्वारा अर्थ वर्क मैटल वर्क और सोइलिंग वर्क यह सब हो गया, सिर्फ आगे का काम बाकी है, उनको भी आप अपने प्रोग्राम में शामिल करना चाहते हैं कि नहीं ?

श्री अध्यक्ष : श्री राजेन्द्र जी चौधरी।

श्री राजेन्द्र चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी से मैं बिलकुल एक नीतिगत प्रश्न पूछना चाहूंगा कि राजस्थान के अन्दर आज से पूर्व जो डब्ल्यू. बी. एम. सड़कें बनी हुई हैं, चाहे वे पांच साल पहले बनीं, चाहे 10 साल पहले बनीं, जिसका डामरीकरण नहीं हुआ उन सड़कों का आप डामरीकरण करने का इरादा रखते हैं क्या ?

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी। बाद में, बिराजें आप। एक बार जवाब आने दें। कम से कम 15 माननीय सदस्य पूछेंगे। माननीय मंत्रीजी। कृपया बिराजें आप, एक सैकण्ड, बिराजें आप।

श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा : माननीय अध्यक्ष महोदय, बाढ़ से टूटी हुई सड़कों की मरम्मत करने के लिये कब तक आप प्राथमिकता के आधार पर डामरीकरण कराना चाहते हैं, उसके बारे में भी बताने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष : बिराजें आप। आप राज में हो।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे तो स्मरण हुआ है कि मैं डिमांड्स पर ही सब चर्चा कर रहा हूं,

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

डिमांड्स की बात का ही जवाब दे रहा हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, खानपुर से आने वाले माननीय विधायक ने चर्चा की है पुलों के विषय में, पुलियाओं के विषय में क्योंकि उनके क्षेत्र में निश्चित रूप से इतने नदी–नाले बहते हैं और उस क्षेत्र की भयंकर उपेक्षा हुई है, इसकी जानकारी मुझे है। मैं याद दिलाना चाहता हूं, मैंने अपने जवाब में यह बात कही थी कि हमने इन सब पुलों का एक मास्टर प्लान बनाया है और उसको तीन कैटेगरी में हमने डिवाइड किया है। फर्स्ट इम्पोर्टेंस की वे हैं जिनमें बहुत ढेर पानी बहता है, दूसरी इकानॉमिक इम्पोर्टेंस की हैं और तीसरी सामान्य हैं। इसी नाते से हम उन पुलियाओं को जैसे–जैसे धन उपलब्ध होगा या जैसे–जैसे संस्थागत धन उपलब्ध हो जाएगा, जैसे–जैसे बी.ओ.टी. वाले आएंगे, उन पुलियाओं को बनाने का प्रयास करेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, सांगानेर से आने वाली माननीय विधायिका ने अपने यहां के कुछ गांवों की चर्चा की है। उनकी स्टेटिस्टिक्स तो मेरे पास नहीं है किन्तु मैं उनको आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस नीति में आने वाला यानि 1971 की एक हजार की आबादी का कोई गांव होगा तो इस वर्ष में डामर से जोड़ने की व्यवस्था प्रारम्भ की जाएगी। अगर पंचायत केन्द्र होगा तो ग्रेवल से कम से कम इस बार जोड़ने की पूरी व्यवस्था की जाएगी। मैं आपके माध्यम से इनको भी बताना चाहता हूं और खैरथल से आने वाले माननीय विधायक को भी बताना चाहता हूं कि हम कोशिश कर रहे हैं समयबद्धता के लिये। मैं जानता हूं पुराना स्वभाव पड़ा हुआ है, उसमें धीरे–धीरे बदलाव आएगा। मैंने अपनी मांग के जवाब के संदर्भ में आपसे यह निवेदन किया था कि जो एक्स.ईएन. आपके यहां रहता है उस एक्स.ईएन. से आप पूछने के अधिकारी है कि यह काम जिसकी सैंक्शन हो गयी है, इसकी डेट ऑफ सैंक्शन क्या है, प्रारम्भ करने की तिथि क्या है, पूर्ण करने की तिथि क्या है। आप उससे पूछेंगे, यह जवाब ठीक ढंग से नहीं दे तो आप मुझे लिखें ताकि मैं उसके विरुद्ध एक्शन कर सकूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मंडावा से आने वाले माननीय सदस्य ने एक प्रश्न किया है, चर्चा की है फूड फार वर्क 1977 से 80 की। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि मंडावा से आने वाले माननीय सदस्य ने उसकी याद हमको दिला दी। 10 वर्ष बीच में और भी आ गये थे, जो अपूर्ण सड़कें थीं उनको पूरा किया जा सकता था किन्तु नहीं किया गया उस समय। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि फूड फार वर्क में जो सड़कें बनी हैं, जो नीति में आ जाएंगी उनको तो अभी बनाएंगे, जैसा मैंने जवाब में कहा जैसे ही डामर उपलब्ध हो जाएगा। मैं बिलाड़ा के माननीय सदस्य से भी कहना चाहता हूं कि अगर डामर उपलब्ध होगा तो डब्ल्यू. बी. एम. सड़कें जो नीति से आगे की हैं, उनको बनाने की कोशिश भी हम करेंगे। डामर नहीं आएगा तो क्या करेंगे ?

श्री अध्यक्ष : अब नहीं। बिराजिए आप। अब चर्चा समाप्त हुई इस पर। (व्यवधान)। श्री फूलचन्द जी मीणा। कृपया बिराजिए आप।

श्री हरिसिंह (महुआ) : परसादी लाल जी के प्रश्न का जवाब नहीं आया, अध्यक्ष महोदय।

श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा : मैंने एक सवाल माननीय मंत्रीजी से पूछा था कि बाढ़ में जो सड़कें टूट गयी हैं ...(व्यवधान)

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, बाढ़ में टूटी सड़कों के लिये मैंने अपने जवाब में कहा था कि सामान्य रिपेयर तो 15 सितम्बर से लेकर 31 अक्टूबर तक और जहां बाढ़ में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है उसकी 30 जून, 1997 की तिथि मैंने दे दी थी। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजें। नहीं, मुझे अब सूचना प्रश्न लेने दो। नॉट अलाउड। फूलचन्द जी।

उदयपुर जिले के छात्रावास भवन

666. **श्री फूलचन्द मीणा** (सलूम्बर): क्या समाज कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) उदयपुर जिले में कहां–कहां पर कुल कितने छात्रावास समाज कल्याण विभाग के माध्यम से चलाये जा रहे हैं? इनमें से कौन–कौन से छात्रावास कहां कहां पर सरकारी अथवा निजी भवनों में चलाये जा रहे हैं?

(2) किन–किन छात्रावासों में कितने वर्षों से अधीक्षक कार्यरत नहीं हैं?

(3) उक्त छात्रावासों से कुल कितने छात्र/छात्राएं लाभान्वित हो रहे हैं? छात्रावासवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) कितने छात्रावास भवन कहां-कहां इस वित्तीय वर्ष में निर्माण कराये जाएंगे तथा शेष का निर्माण कार्य कब तक करा दिया जाएगा?

राज्य मंत्री, समाज कल्याण (श्री मदन दिलावर) : (1) उदयपुर जिले में कुल 50 राजकीय छात्रावास चलाये जा रहे हैं। 26 छात्रावास राजकीय भवनों में तथा 24 छात्रावास किराये के भवनों में संचालित हैं। सरकारी तथा किराये के भवनों का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) छात्रावासों में अधीक्षकों के रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट 'ब" पर संलग्न है।

(3) छात्रावासों में छात्र/छात्राएं स्वीकृत छात्र संख्या के अनुसार लाभान्वित होते हैं। वर्तमान सत्र में प्रवेश की प्रक्रिया चालू है। छात्रावासवार स्वीकृत छात्र संख्या परिशिष्ट "अ" पर ही दर्शायी गयी है।

(4) वर्तमान सत्र में छात्रावास भवनों का निर्माण राज्य के पास वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता तथा स्थान की उपयुक्तता पर निर्भर करेगा।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

श्री फूलचन्द मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा, क्या आप इस जवाब से संतुष्ट हैं? आपने जिस प्रकार का उत्तर दिया है, वे बच्चे जो आदिवासी हैं, जन-जाति के हैं, उनको पढ़ाने का मकसद पूरा

(श्री फूलचन्द मीणा)

हुआ है ? इसमें 50 में से 25 अधीक्षक पद खाली हैं। जब वहां अध्यापक नहीं होगा, माता–पिता के सम्बन्ध, गुरु का सम्बन्ध नहीं होगा तो उन बच्चों को कौन स्कूल भेजेगा और कब खाना मिलेगा ? क्या व्यवस्था है ? क्या आप संतुष्ट हैं ? मैं तो एक बात जानना चाहता हूं, माननीय मंत्रीजी इस सवाल से संतुष्ट हैं क्या।

श्री अध्यक्ष : बिराजें, बिराजें आप।

श्री मदन दिलावर : अध्यक्ष महोदय, यह सच है जैसा माननीय सदस्य ने कहा है कि 50 में से 25 पद रिक्त हैं परन्तु ऐसा नहीं है कि वहां कोई भी व्यवस्था नहीं हो। हमने स्कूल के अध्यापक लेकर अतिरिक्त चार्ज उनको दे रखा है। हम महिला बाल कल्याण विभाग की कुछ सुपरवाइजर्स को चार्ज देकर इनको संचालित कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि प्रत्येक छात्रावास में अलग से अपना छात्रावास अधीक्षक रहे इसकी व्यवस्था शीघ्र कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : बिराजिए। अल्प सूचना प्रश्न, श्री हरजीरामजी बुरड़क। क्षमा करें, श्री भीमराज जी भाटी।

श्री फूलचन्द मीणा : 50 में से 24 में भवन नहीं है और जो किराये पर भवन हैं उनमें एक-एक कमरे में कितने-कितने बच्चे हैं ?

श्री अध्यक्ष : हां, वे इसका इंतजाम कर रहे हैं, बिराजिए आप।

श्री फूलचन्द मीणा : एक-एक कमरे में कितने बच्चे हैं, यह बता दें ? कैसे पढ़ पाएंगे ? उनकी उसमें क्या हालत है ?.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : भीमराज जी भाटी, रामनारायणजी डूडी। उस दिन भी छात्रावास पर काफी चर्चा हो चुकी है, परसों, परले रोज। अभी इसको लम्बा न करें। (व्यवधान)

श्री हीरालाल सहरिया (किशनगंज) : अध्यक्ष महोदय, इसमें मेरा एक प्रश्न है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : हां, बिराजिए, आप, इसका नहीं है। अल्प सूचना प्रश्न का फिक्स टाइम है, 11 बजकर 40 मिनट। आप बिराजिए। आप बोलिए।

श्री हीरालाल सहरिया : कन्याओं के जो छात्रावास हैं उनमें महिला वार्डन लगाने की व्यवस्था कब तक करना चाहते हैं ?

श्री भीमराज भाटी : इसमें है ही नहीं।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये। आप बोलिए, माननीय सदस्य।

श्री हीरालाल सहरिया : यह बताएं कि कन्याओं का जो छात्रावास है उसमें महिला वार्डन लगाने की व्यवस्था कब तक कर देंगे ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : हीरालालजी, बिराजिये आप। किशनगंज वाले माननीय सदस्य, बिराजिए। भाटीजी।

श्री भीमराज भाटी : अल्प सूचना प्रश्न पढ़ दूं, साहब ?

श्री महावीर भगोरा (गोगुन्दा) : हमको सवाल पूछना है।

(18)

श्री अध्यक्ष : उस पर काफी चर्चा हो चुकी है। परसों के रोज पूरे 45 मिनट लगे हैं।

श्री चुन्नीलाल गरासिया (उदयपुर ग्रामीण) : अध्यक्ष महोदय, समाज कल्याण विभाग द्वारा चल रहे छात्रावासों की काफी नारकीय स्थिति है। (व्यवधान) माता-पिता अपने बच्चे पढ़ने भेजते हैं, वहां बिस्तर नहीं, खाट नहीं, खाने के लिए बर्तन नहीं हैं। (व्यवधान) आप छात्रावासों की हालत देखिये, वहां वास्तव में बच्चे पढ़ते नहीं हैं। (व्यवधान) उनको कुसंस्कार मिलते हैं। (व्यवधान) मैं चाहूंगा कि मंत्री महोदय आपके माध्यम से हमें आश्वस्त करें कि छात्रावासों के भवन बनाएंगे। वहां सामान रखेंगे (व्यवधान) आज वहां कुछ व्यवस्था नहीं है।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप। विधान सभा के इस सत्र में पहली बार अल्प सूचना प्रश्न आया है और उसको लेना कानूनी जिम्मेदारी है। इसलिए अल्प सूचना प्रश्न लिये जा रहे हैं। आप बिराजिये।

श्री महावीर भगोरा : हम जानना चाहते हैं मंत्री महोदय कब तक भवन बना देंगे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : हां, हां, आप बात कर लीजियेगा। श्री भाटीजी।

अल्प सूचना–प्रश्न

राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा राज्य एवं अधीनस्थ सेवाओं हेतु संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा, 1993

अ.का.सू.1 श्री भीमराज भाटी (पाली) एवं **श्री रामनारायण डूडी** (भोपालगढ़) : क्या मुख्य (कार्मिक) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1993 में राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं हेतु संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा, 1993 आयोजित करने हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा कोई विज्ञप्ति जारी की गयी थी ? यदि हां, तो विज्ञप्ति की प्रति मेज पर रखें।

(2) उपरोक्त संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा की प्रारम्भिक व मुख्य परीक्षा राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा कब ली गयी एवं इनके परिणाम कब घोषित किये गये ?

(3) उपरोक्त प्रतियोगी परीक्षा का अन्तिम परिणाम कब घोषित किया गया एवं कितने पदों के लिये उम्मीदवारों को इस सूची में सम्मिलित किया गया ? पदवार उम्मीदवारों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या उपरोक्त प्रतियोगी परीक्षा के अन्तिम परिणाम में चयनित व राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित सभी उम्मीदवारों को नियुक्तियां दे दी गयी हैं ? यदि हां, तो पदवार नियुक्त प्रत्याशियों की सूची सदन की मेज पर रखें। यदि नहीं, तो किन कारणों से इनको नियुक्ति नहीं दी गयी है ? कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) उपरोक्त प्रतियोगी परीक्षा हेतु विज्ञप्ति जारी होने से लेकर अन्तिम नियुक्ति तक की प्रक्रिया में कितना समय लगा ?

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी) : (1) जी, हां। आयोग द्वारा

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा, 1993 सम्बन्धी विज्ञप्ति दिनांक 15.2.93 को जारी की गयी थी। विज्ञापन की प्रति (परिशिष्ट–क) एवं समय-समय पर विभिन्न सेवाओं के पदों की रिक्तियों में किये गये संशोधन के उपरान्त अन्तिम रूप से उपलब्ध रिक्तियों का विवरण (परिशिष्ट–ख) संलग्न है।

(2) आयोग द्वारा प्रारम्भिक परीक्षा दिनांक 10.10.93 को आयोजित की गयी जिसका परिणाम दिनांक 4.2.94 को घोषित किया गया। मुख्य परीक्षा दिनांक 25.9.94 से 14.10.94 तक आयोजित की गयी जिसका परिणाम दिनांक 31.1.95 को घोषित किया गया।

(3) आयोग द्वारा साक्षात्कार के उपरान्त उपरोक्त प्रतियोगी परीक्षा का अन्तिम परिणाम दिनांक 6.5.95 को घोषित किया गया एवं कुल 350 रिक्तियों के (169 पद राज्य सेवा एवं 181 पद अधीनस्थ सेवा के) विरुद्ध आयोग द्वारा 1042 अभ्यर्थियों के नामों की पूर्वाधिकार क्रमानुसार सूची में सम्मिलित किया गया। पदवार सूची (परिशिष्ट "ग") संलग्न है।

(4) जी, नहीं। अन्तिम परिणाम में कुल रिक्तियों के 3 गुणा उम्मीदवारों को चयनित कर आयोग द्वारा सूची भेजी जाती है। अतः सेवावार पदों की रिक्तियों की संख्या के आधार पर अभ्यर्थियों की मैरिट व सेवाओं हेतु प्राथमिकता के विकल्प के अनुसार सेवा आवंटित कर नियुक्तियां दी जाती हैं।

राज्य सेवाओं हेतु विज्ञापित रिक्त पद 169 थे। इनमें से 167 पदों पर आवंटन कर नियुक्तियां दे दी गयी हैं। शेष 2 पद अराजपत्रित कर्मचारियों के लिये हैं जिन पर आवंटन/नियुक्ति इस कारण नहीं दी जा सकी कि उक्त वर्ग में पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं थे।

अधीनस्थ सेवाओं हेतु भी रिक्त पदों पर अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने व सेवाओं के आवंटन का निर्णय लिया जा चुका है। विभिन्न विभागों द्वारा इनकी नियुक्तियों के आदेश भी शीघ्र जारी कराने की कार्यवाही की जा रही है।

(5) आयोग द्वारा परीक्षा हेतु दिनांक 15.2.93 को विज्ञप्ति जारी की गयी एवं राज्य सेवाओं हेतु अभ्यर्थियों को नियुक्तियां जनवरी, 1996 में जारी की गयीं। इस प्रकार इस प्रक्रिया में लगभग 2 वर्ष 11 माह का समय लगा।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

श्री भीमराज भाटी : राजेन्द्र जी पूछेंगे साहब।

श्री अध्यक्ष : राजेन्द्र जी, आप पूछ रहे हैं ? पूछिए।

श्री राजेन्द्र चौधरी (बिलाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी ने अपने उत्तर में समय-अवधि बतायी है कि एक आशार्थी ने 2 साल 11 महीने पहले, लगभग 3 वर्ष पहले अपना एग्जाम दिया और आज बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि 3 साल के बाद भी आपने....

श्री अध्यक्ष : प्रश्न पूछें। I will not allow debate. I will allow questions only. आप क्वेश्चन पूछिये।

श्री राजेन्द्र चौधरी : मैं 181 का पूछ रहा हूं।

3 वर्ष की अवधि लगी है और एक आशार्थी जिसने 3 वर्ष पहले एग्जाम दिया, आपने 181 लोगों को आज तक नियुक्ति नहीं दी और अब भी आप यह कह रहे हैं कि विभागों से हम पता करेंगे। यदि आज एक आशार्थी ओवर-एज हो जाता है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है ? आपकी लोक सेवा आयोग की परीक्षा की प्रक्रिया इतनी दीर्घकालीन है कि आशार्थी हताश हो जाता है। हमारा जो युवा वर्ग है, जो युवा पीढ़ी है, उसका क्या होगा ? इसके बारे में कब तक नियुक्ति दे देंगे आप ? और इस देरी के लिए कौन जिम्मेदार है ?

श्री भीमराज भाटी : स्पेसीफिक डेट बता दीजिए कि इनको कब तक नियुक्तियां दे दी जाएंगी क्योंकि कुछ लोग 2--3महीने में ओवर-एज होने वाले हैं (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र चौधरी : ओवर-एज हो चुके हैं।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने जो पीड़ा यहां प्रकट की है उसके साथ मेरी पूरी-पूरी सहानुभूति और सहमति है। मैं आपके माध्यम से सदन को कहना चाहता हूं कि इसमें कई विषय तो राजस्थान लोक सेवा आयोग से सम्बन्धित हैं जिसमें राज्य सरकार प्रत्यक्ष रूप से दखलंदाजी नहीं कर सकती है। अगर क्रोनोलोजिकल रूप में मैं इन सारी डेट्स की चर्चा करूं तो प्राइमरी परीक्षा परिणाम 4.2.94 को घोषित हुआ।

श्री राजेन्द्र चौधरी : ये सारी डेट्स हमारे पास हैं।

श्री अध्यक्ष : आप पहले जवाब सुनें।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : आपको कन्विंस करने के लिए बोल रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, इसके बाद फाइनल परीक्षा परिणाम 31.1.95 को घोषित हुआ। यह आयोग के सन्दर्भ में हो गया, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। साक्षात्कार लिया गया, जिसका परीक्षा परिणाम 6.5.95 तक घोषित हुआ। उसके बाद राज्य सरकार को राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा 1042 अभ्यर्थियों की सूची 11.7.95 तक भेजी गयी। अध्यक्ष महोदय, इसमें भी 34 लोग प्रोविजनल थे।

श्री राजेन्द्र चौधरी : सिर्फ पाइण्टेड सवाल का जवाब देना हैं।

श्री शांतिकुमार धारीवाल (हिण्डोली): पाइण्टेड क्वेश्चन का जवाब देना है, आप सिर्फ तारीख बता दें।

श्री अध्यक्ष : आप बिराज जाएं।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : हां, पाइण्टेडली ही बता रहा हूं।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आप तो सिर्फ तारीख बता दें कि कौनसी तारीख को .. (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया डिस्टर्बेंस न करें। डिस्टर्बेंस अलाउ नहीं होगा।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : आपको सारी स्थिति बता दूं कि कौनसी तारीख को....(व्यवधान) तभी आप समझेंगे और बाकी सदन भी इस सम्बन्ध में समझ जाए। अध्यक्ष महोदय, जब तक इन प्रोविजनल का क्लियरेंस नहीं होता, कोई सर्टिफिकेट नहीं दिया राजस्थान लोक सेवा आयोग ने क्योंकि ये जो सारे लोग आते हैं उनका होता है कि हम कौनसी सर्विस लेंगे। राज्य सेवाएं या सबोडिनेट सर्विसेज। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति के बारे में क्लियरेंस लोक सेवा आयोग का आना आवश्यक होता है। मैं आपके माध्यम से बताऊं कि इसका हमको 14.12.1995 को वो मिला। इसलिये हमारे क्षेत्र में जो बॉल आयी, वह 14.12.1995 से आयी (व्यवधान) माननीय, मैं आपको समझाना चाहता हूं, कहना चाहता हूं, आप जरा समझ लें। 14.12.1995 के बाद, आज मैं जानता हूं कि इसमें सात महीने लग गये हैं। यह देरी मैं अधिक समझता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को और सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं, माननीय मुख्य मंत्री जी से चर्चा करके मैंने आज ही चेयरमैन लोक सेवा आयोग से बात की है। उनसे निवेदन किया है कि आप इस पद्धति में कुछ सुधार करें। उन्होने मुझे आश्वासन दिया है कि कई एस्टीमेशन फार्म हैं, हम साथ मंगवाएंगे।

कुछ देरी होती है हमारे यहां पर पुलिस वैरिफिकेशन में और मेडिकल सर्टिफिकेट में। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि कई कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो बार-बार कहने के बाद भी न तो फार्म भरकर भिजवाते हैं और न मेडिकल एग्जामिनेशन करवाते हैं। पुलिस वाले भी वैरिफिकेशन में देरी करते हैं। मैंने आज डी. जी. महोदय से बात की है और उनसे निवेदन किया है। उन्होंने मुझे आश्वास्त किया है कि अब चार महीने का समय नहीं लगेगा, डेढ़ महीने में इस पुलिस वैरिफिकेशन की सारी व्यवस्था हम कर देंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, आज 19 तारीख हो गयी है, 31 जुलाई के पहले सबके पदस्थापन आदेश भिजवा दिये जाएंगे।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। नोट अलाउड।

श्री राजेन्द्र चौधरी : अध्यक्ष महोदय, इसमें एक प्रश्न पूछना चाहता हूं....

श्री अध्यक्ष : आप क्या पूछना चाहते हैं ?

श्री राजेन्द्र चौधरी : मैं मंत्रीजी, आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि आपने....

श्री शांतिकुमार धारीवाल : नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है।

श्री राजेन्द्र चौधरी : जिस देरी को आपने स्वीकार किया है, जिन आशार्थियों का इसके अन्दर नम्बर नहीं आएगा, जो ओवर-एज हो गये हैं विभाग की गलती से सरकार की गलती से, इनको रिलैक्सेशन आप एज में देंगे क्या ?

एक माननीय सदस्य : नहीं मिलेगा।

श्री राजेन्द्र चौधरी : यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, अध्यक्ष महोदय।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : उसके नम्बर हैं 668.

श्री राजेन्द्र चौधरी : यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है उन स्टूडेन्ट्स का, जिसके लिये यह सरकार जिम्मेदार है। वह रिलैक्सेशन आप देंगे क्या ?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : सवाल नम्बर 668 (व्यवधान)

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय सदस्य से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अभी ओवर-एज जैसा मामला नहीं है। जिस दिन प्रार्थना पत्र उन्होंने दिया है उस समय या उसके आगे 31 जनवरी तक जो भी उस समय तक एलीजिबल थे वे एलीजिबल माने जाएंगे। अभी नहीं, उस समय।

श्री अध्यक्ष : विराजिये।

श्री राजेन्द्र चौधरी : नहीं, नहीं, मैंने यह नहीं कहा। मैंने मंत्रीजी, यह पूछा है कि आपके कारण ये लेट हो गये हैं और अब इनका सलैक्शन होगा नहीं और सलैक्शन होगा नहीं तो इनकी एज का....

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : उनका तो क्या करूंगा मैं?

श्री अध्यक्ष : विराजिये। श्री हरजीरामजी बुरड़क। धारीवाल साहब, विराजिये बुरड़क साहब का एक अल्पकालीन प्रश्न है। (व्यवधान) जिस समय होगा। विराजिये आप। बोलने दें इनको।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : नहीं, मंत्री महोदय तैयार हैं। मंत्री महोदय स्थगन चाहते हैं। मैं भी तैयार हूं, मेरा आप 24 को रखवा दें।

श्री अध्यक्ष : विराजिये। आप बार बार खड़े हो जाते हैं। इसी में तो समय जाया हो जाता है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : इसमें व्यवस्था तो करें, साहब। मेरे सवाल के आगे दो-दो अल्प सूचना प्रश्न आपने लगा दिये तो यह जो मेरा 668 है....

श्री अध्यक्ष : मैंने तो नहीं लगाया। ऐसा थोड़े ही है कि धारीवाल साहब का सवाल आ रहा है इसलिए अल्प सूचना प्रश्न लगा दूं।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : माननीय मंत्री महोदय तैयार हैं इस बात के लिये। मेरी उनसे चर्चा हो चुकी है।

श्री हरजीराम बुरड़क : आप बैठो न।

श्री अध्यक्ष : बात कर लेंगे, अब आप विराजिये। बुरड़क साहब का प्रश्न लेने दें कृपा करके।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : 24 तारीख को लगाने की व्यवस्था करवाएं आप।

श्री अध्यक्ष : विराजिये आप।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : 24 को लग जाएगा?

श्री अध्यक्ष : मैं देखूंगा, जैसी व्यवस्था होगी। बैठो आप।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : अब इसमें देखना क्या है, साहब?

श्री अध्यक्ष : विराजिये। मैं आपके जितना होशियार नहीं हूं कि उसी समय हर चीज का उत्तर दे दूं।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आप यह तो देखें कि मेरे सवाल के आगे दो-दो सवाल आज आपने लगा दिये।

श्री अध्यक्ष : विराजिये, विराजिये, विराजिये। माननीय बुरड़क साहब।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मेरे अधिकारों का हनन हो रहा है और आप मेरी रक्षा नहीं कर रहे हैं। आप व्यवस्था दें, साहब। इस पर व्यवस्था दें कि मेरे कवेश्चन को आप 24 तारीख को लगा देंगे। मेरी चर्चा हो चुकी है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य सदन के सारे माननीय सदस्यों के अधिकारों का हनन कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : अब इस पर तो व्यवस्था दें आप।

श्री अध्यक्ष : आप विराजिये म। मैं दे दूंगा।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : पहले इस पर तो व्यवस्था दें साहब।

श्री अध्यक्ष : आप उनका प्रश्न तो लेने दें। प्रश्न काल खतम करना है ?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मेरी तो सिर्फ व्यवस्था ही है, एक लाइन की व्यवस्था है आपकी कि लगा देंगे।

श्री अध्यक्ष : मैं अभी शाम को देखकर व्यवस्था दे दूंगा। आप विराजिये।

अल्प सूचना प्रश्न

नागौर जिले में सड़क निर्माण कार्य

अ. का. सू. 2. श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) नागौर जिले में वर्ष 1994-95 एवं 1995-96 में कौन-कौनसी सड़कें कितनी-कितनी राशि की, किस-किस योजना में कब-कब स्वीकृत हुई तथा उनका कार्य कब-कब प्रारम्भ किया गया तथा उनको निर्माण कब-कब हुआ ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त वर्षों में कौन-कौनसी सड़कें डामर के अभाव में बिना डामरीकरण के रहीं ? इन सड़कों का डामरीकरण अब कब तक कर दिया जाएगा ?

(3) डामर की कमी की पूर्ति के लिये सरकार द्वारा क्या-क्या कदम उठाये गये तथा उनका क्या नतीजा रहा ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री ललित किशोर चतुर्वेदी) : माननीय अध्यक्ष महोदय यह....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आज, साहब, डामर ही आ रहा है। (व्यवधान) विराजिये। कृपया बात नहीं करें।

श्री रामनारायण मीणा : झालावाड़ में डामर दीजिये....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप। ज्यादा समय खराब नहीं करें। कृपया बात सुनें। माननीय मंत्रीजी।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : (1) नागौर जिले में वर्ष 1994-95 में एव 1995-96 में योजनावार स्वीकृतियों की सूची सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

(2) वांछित विवरण सूची "ख" सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

(3) डामर की कमी की पूर्ति करने के लिये सरकार के उच्चाधिकारियों व मैंने एवं माननीय मुख्य मंत्रीजी द्वारा भारत सरकार से पत्राचार किया गया किन्तु आपूर्ति स्थिति में कोई उल्लेखनीय सुधार नहीं हुआ तथा कमी यथावत बनी हुई है। आपूर्ति के लिये हमने निविदाएं प्राप्त कर ली हैं तथा यह विषय विचाराधीन है।

(सूचना विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

श्री हरजीराम बुरडक : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने जो सूची मेरे को दी है उसमें पहला पाइंट तो यह है कि सड़कों की स्वीकृति के बाद साल भर तक कार्य शुरू नहीं होता है। उदाहरण के तौर पर नागौर से लाडनूं तहसील मुख्यालय को जोड़ने वाली सड़क के बीच में एक छोटा-सा टुकड़ा बचा हुआ है जिसका मंत्री महोदय ने पिछले बजट सैशन में आश्वासन दिया था कि इसको जल्दी से जल्दी पूरा किया जाएगा। फरवरी, 1995 में इसकी 20 लाख रुपये की सैंक्शन हुई थी डेह से झाडेली और झाडेली से सुरपालिया, लेकिन इन दोनों में आज तक बिलकुल ही कोई काम नहीं हुआ। आज जब उत्तर दिया तो उसमें कहा कि निविदा आमन्त्रित की गयी है। इसी प्रकार से आश्वासित रोजगार योजना में 7.6.1995 को कमुम्बी से तंवरा सड़क सैंक्शन हुई थी उसका काम आज तक शुरू नहीं हुआ और उत्तर में यह बताया गया कि हम निविदा आमन्त्रित कर रहे हैं। इसी प्रकार डीडवाना से कलवानी आश्वासित रोजगार योजना में सड़क फरवरी में मंजूर हुई थी लेकिन अभी तक उसका कोई काम शुरू नहीं हुआ है। जैसा कि आपको विदित है, आश्वासित रोजगार योजना में अधिकतर सड़कें हैं, उनका कार्य जून में बन्द हो जाता है। आप कार्य सैंक्शन के टाइम में शुरू नहीं करेंगे तो उस साल की राशि लैप्स हो जाती है। दूसरी साल जो अलाटमेंट भारत सरकार करती है, उतनी राशि उसमें कम हो जाती है। इसलिये, मंत्री महोदय, समय पर ये सड़कें पूरी कराएं।

दूसरा, 1995–96 में तो आपने 14 सड़कें बतायी हैं, जो डामर के अभाव में अधूरी रही हैं और 1994–95 में किसी भी सड़क का डामरीकरण नहीं किया है। यह जो सूचना आपने मेरे को दी है, उसमें आपने यह बताया है।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। जवाब आने दें अब।

श्री हरजीराम बुरडक : तो आपके जो गिट्टी रोड बनायी हुई हैं वे सारी की सारी नष्ट हो गयीं। इसलिए आपको चाहिये कि जल्दी से जल्दी इसमें कोई कार्य करें।

श्री अध्यक्ष : जवाब सुनें पहले आप।

श्री हरजीराम बुरडक : मैंने यह पूछा था कि आपने जो डामर की कमी पूर्ति के लिये प्रयत्न किये उसका क्या परिणाम रहा। परिणाम जो बताया....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्रश्न काल खतम हो रहा है इसलिए आप जवाब देने दें अभी।

(25)

श्री हरजीराम बुरडक : वह परिणाम तो शून्य रहा है।

श्री ग्रध्यक्ष : बिराजिये।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जिन दो सड़कों का जिक्र किया है कि यह काम प्रारम्भ नहीं हुग्रा, मैं ग्रापके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें दो बार निविदाएं ग्रामन्त्रित की गयीं लेकिन इस प्रकार के वे नहीं ग्राये थे इसलिए उनका रिजैक्ट करना पड़ा। किन्तु मैं इस बात को बिलकुल ठीक नहीं समझता। विभाग के ग्रधिकारियों को इस विषय में मैं निश्चित रूप से ताड़ना दूंगा ग्रौर जल्दी से जल्दी पूरी हो जाए, इसकी व्यवस्था करूंगा।

ग्रध्यक्ष महोदय, दूसरी बात जो माननीय सदस्य ने कही है डामर के विषय में कि शून्य रहा ऐसा नहीं है। मैंने तो रिकार्ड ग्राप को बताये थे, उतनी सफलता तो प्राप्त हो गयी। यह किस्सा केवल राजस्थान का नहीं है, यह सारे भारतवर्ष का किस्सा है और इसलिये एक ग्रभिनव प्रयोग हमने किया है, इन्टरनेशनल टेण्डर्स इन्वाइट करने का, जो राजस्थान को छोड़ कर भारत में कहीं भी नहीं किया गया है।

(12.00)

माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार मैंने सवाईमाधोपुर जिले के बारे में चर्चा की थी, मैं कहना तो नहीं चाहता कि तत्कालीन सरकारें कैसी सरकारें थीं, कितने बड़े-बड़े मंत्री उस समय थे, उन्होंने क्या काम किया, क्या काम नहीं किया किन्तु विरासत में नागौर जिला हमको ऐसा मिला है जिसमें सड़कों का विकास का काम बहुत कम है। ग्रध्यक्ष महोदय, ग्रब....(व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : साहब, यह डिमाण्ड है क्या ?....(व्यवधान)

श्री ग्रध्यक्ष : बिराजें, बिराजें।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : इस तरीके के जवाब दिलवाये जाते हैं।(व्यवधान)....

श्री ग्रध्यक्ष : अब ग्रापको क्या हो गया ?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : हम अगर इतना-सा पूछ लें....(व्यवधान)....

श्री ग्रध्यक्ष : कोटा की बात नहीं है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : बिराजो-बिराजो, बता रहा हूं। बता रहा हूं।.... (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : जवाब दिलवाये जा रहे हैं।....(व्यवधान)....

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : उस जिले के बारे में ही।

श्री ग्रध्यक्ष : बिराजें, बिराजें।.... (व्यवधान)

श्री भंवरसिंह डांगावास (मेड़ता) : माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, नागौर जिले की बात ग्रा रही है, बीच में माननीय सदस्य खड़े हो गये हैं, इनको रोकिये ग्राप।.... (व्यवधान)

श्री ग्रध्यक्ष : बिराजिये आप।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : अगर यही स्तर रह गया।... (व्यवधान)

(२६)

श्री अध्यक्ष : कृपया बिराजें। (व्यवधान)

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : आप बिराजो तो सही।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : सरकार के जवाबों का अगर यही स्तर रह गया तो शोचनीय (व्यवधान)।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : आप बिराजो तो सही।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये, बिराजिये।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : क्या बिराजें, साहब। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : धारीवाल जी, बिराजिये।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : सवाल तो हो जाने दो पूरा।

श्री अध्यक्ष : जवाब सुनें, जवाब सुनें।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : अध्यक्ष महोदय, ऐसे+++जवाब से काम चलेगा क्या ?

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : बिराजो तो सही, बता रहा हूं।

श्री रतनललाल ताम्बी : पहले वालों ने यह किया, वो किया, यों कह कर बस अपनी जिम्मेदारी पूरी करना चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बिराजो।

श्री रतनलाल ताम्बी : इन्होंने किया ये घर चले गये, आप भी घर जाना चाहते हो क्या ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ताम्बी जी, अपने भीलवाड़ा की बात नहीं हो रही है नागौर की बात हो रही है। (व्यवधान)

श्री भंवरसिंह डांगावास : अध्यक्ष महोदय, नागौर जिले की बात पूरी होने दें।.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया बिराजें, बिराजें।

श्री भंवरसिंह डांगावास : समय जाया हो रहा है, नागौर जिले की बात आने दें पहले।

श्री रामनारायण चौधरी : चतुर्वेदी जी आप आने वाले 20 साल के अगाऊ काम कर के चले जाओगे क्या ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपको नहीं सुनना, मैं समाप्त कर रहा हूं। (व्यवधान)

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : जवाब दे रहा हूं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय चौधरी जी, जवाब नहीं सुनना है तो मैं समाप्त कर रहा हूं।

श्री रिछपाल सिंह (डेगाना) : नागौर जिले का मामला है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : आप बिराजें मैं जवाब दे रहा हूं। (व्यवधान)

श्री रिछपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं कब से हाथ उठा रहा हूं, आप देख ही नहीं रहे हैं।

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मैं जवाब दे रहा हूं, एक बार जवाब दे रहा हूं।

एक माननीय सदस्य : नो, नो।.... (व्यवधान)

श्री रिछपाल सिंह : नागौर जिले का सवाल है, साहब। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : बहुत जिम्मेदारी से जवाब दें।

श्री अध्यक्ष : यदि आप जवाब सुनना चाहें तो सुन लें। बिराजें आप।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री रिछपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरे को पूछने दें।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : एक बात।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो केवल डामर की दृष्टि से बताना चाहता हूं आप को। राजस्थान में 1.95 लाख टन की आवश्यकता थी जिसमें से आबंटित किया गया 1.30 और राजस्थान को मिला 75, किन्तु नागौर जिले के लिये आवश्यकता थी 5360 टन, अलाट किया 5404 और 3822। 70 प्रतिशत हमने डामर नागौर जिले में दिया है जहां केवल 30 परसेंट सारे राजस्थान को मिला है।

अध्यक्ष महोदय, आप के मार्फत कुछ और इस प्रकार के फैक्ट्स रखना चाहता हूं। 1994-95, 1995-96 में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अनुसार जो माननीय सदस्य ने पूछा है, 36 काम में से 27 पूरे हो गये। आशवासित योजना में 163 कामों में से 142 काम हो गये। निर्बन्ध योजना में 8 में से 5 काम पूर्ण हो गये। क्षेत्रीय सांसद योजना में से तीन में से तीन पूरे हो गये। 1995-96 में अगर आप देखेंगे, इसी प्रकार की स्थिति है। यह तो सरकार को धन्यवाद दीजिये जो समयबद्धता से काम को पूरे कर रही है, फिर भी न्यूनता होगी तो पूरा करेंगे हम, इतना ही कहना चाहता हूं।

श्री हरिसिंह (महुआ) : इनको कितना डामर चाहिये ? डामर तो महुआ में बिक रहा है, ब्लैक हो रहा है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : क्या पूछना रह गया? बिराजें आप।

श्री हरिसिंह (महुआ) : भारतीय जनता पार्टी के कार्यकताओं ने क्या दुकानें खोल रखी हैं ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजें।

श्री हरिसिंह (महुआ) : जितनी डामर चाहिये आप ले आओ।

श्री अध्यक्ष : देखिये, मैंने प्रश्नकाल को 2 मिनट और ज्यादा कर लिया। बिराजें आप।

श्री रामनारायण चौधरी : चतुर्वेदीजी, (व्यवधान) आप तो आने वालों के लिए कुछ नहीं छोड़ेंगे, सब पूरा कर के जाओगे।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : यह तो फैक्ट्स बता रहा हूं।

(२८)

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) : माननीय महावीरजी, मुख्य सचेतक, सत्ता पक्ष....

श्री अध्यक्ष : बिराजें। (व्यवधान)

श्री रामस्वरुप मीणा : राजस्थान में जिला सवाई माधोपुर को आपने सब से ज्यादा पैसा दिया, इसके लिये धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न काल समाप्त।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट 4 देखें)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक अजमेर द्वारा जांच प्रकरण

602. श्री रामनारायण डूडी (भोपालगढ़) : क्या मुख्य (वित्त) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) उप महानिरीक्षक पंजीयन एवं पदेन कलेक्टर (मुद्रांक) जोधपुर द्वारा अपने पत्र संख्या 389 दिनांक 28 मार्च, 1995 को किस आशय का पत्र किसे लिखा गया? उक्त पत्र का विवरण एवं फोटो प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उप शासन सचिव वित्त ग्रुप 4 ने अपने पत्र क्रमांक एफ. 2/29 एफ. डी./ग्रुप 4/25 दिनांक 17 जुलाई, 1995 द्वारा महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक अजमेर को पूर्ण जांच का आदेश दिया था? यदि हां, तो जांच प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) उपमहानिरीक्षक, पंजीयन एवं पदेन कलक्टर (मुद्रांक), जोधपुर ने पत्रांक 389 दिनांक 28.3.1995 द्वारा सचिव, नगर सुधार न्यास, जोधपुर को दस्तावेज मुद्रांक अधिनियम, 1899 की धारा 33 के तहत इम्पाउण्ड करके भिजवाने हेतु लिखा गया था। यह अर्द्ध न्यायिक प्रकरण हैं।

(2) जी नहीं।

दौसा जिले के लम्बित पेंशन प्रकरण

603. श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) : क्या मुख्य (वित्त) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि दौसा जिले में पेंशन प्रकरणों का निपटारा नहीं करने के कारण प्रकरण काफी समय से विचाराधीन हैं? यदि हां, तो विचाराधीन प्रकरणों की संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार ऐसे मामलों में शीघ्र पेंशन देने के लिए स्पष्ट नियम बनाने का विचार रखती है?

(3) क्या यह सही है कि पेंशनभोगी दम्पत्ति में से यदि एक की मृत्यु हो जाती है, तो दूसरे को पेंशन देना बन्द कर दिया जाता है? यदि हां, तो क्यों?

(4) सरकार ने दौसा जिले की विभिन्न तहसीलों में इस प्रकार पेंशन भोगी दम्पत्तियों के कितने मामलों में पेंशन देना बन्द कर रखा है?

उत्तर

(1) दौसा जिले में वृद्धावस्था पेंशन के आठ प्रकरण आवेदकों द्वारा आयु प्रमाण-

(मुख्य वित्तमंत्री)

पत्र और फोटो प्रस्तुत नहीं करने के कारण विचाराधीन है। विचाराधीन प्रकरणों की संख्या सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं। वर्तमान नियम पर्याप्त हैं।

(3) पेंशन भोगी दम्पत्ति में से एक की मृत्यु होने पर मृत्यु प्रमाण-पत्र एवं एकल फोटो के साथ प्रार्थना-पत्र आवेदक द्वारा प्रस्तुत करने पर पेंशन स्वीकृत कर भुगतान मृत्यु दिनांक से ही एकल को कर दिया जाता है।

(4) दौसा जिले की सिकराय तहसील के तीन पेंशन भोगी दम्पत्तियों के मामले आवेदक द्वारा मृत्यु–प्रमाण–पत्र एवं एकल फोटो प्रस्तुत नहीं करने के कारण विचाराधीन है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 5 देखें)

ठेकेदारों के पंजीकरण नियम

604. श्री राजेन्द्र चौधरी (बिलाड़ा): क्या मुख्य (वित्त) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या वित्त विभाग द्वारा ठेकेदारों के नये पंजीकरण नियम सं. एफ. 3 (109) एफ. डी./एक्स पार्ट-तृतीय 69 दिनांक 30 अगस्त, 1993 के अन्तर्गत राज्य के ठेकेदारों से ठेके की राशि पर अग्रिम 5% (पांच प्रतिशत) परफोरमेंस बैंक गारन्टी जमा कराने की प्रक्रिया लागू की गई है? क्या इस नये नियम से राज्य के लगभग एक लाख ठेकेदार प्रभावित हुए हैं?

(2) क्या उपरोक्त नये पंजीकरण नियम से छोटी श्रेणी के ठेकेदार प्रभावित एवं बेरोजगार हुए हैं? यदि हां, तो क्या सरकार 5% बैंक गारंटी की प्रक्रिया समाप्त करने का विचार कर रही है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। वित्त विभाग द्वारा आदेश संख्या एफ 3 (109) एफ. डी./एक्स. पार्ट तृतीय/69 दिनांक 30.8.93 के तहत ठेकेदारों के नये पंजीकरण नियमों के अन्तर्गत राज्य के ठेकेदारों से ठेके की राशि पर अग्रिम 5% (पांच प्रतिशत) परफोरमेंस बैंक गारण्टी जमा कराने का प्रावधान लागू नहीं किया गया, बल्कि आदेश क्रमांक एफ 3 (109) एफ.डी/एक्स पार्ट तृतीय/69 दिनांक 30.8.93 के द्वारा लोक निर्माण वित्तीय एवं लेखा नियमों के नियम 365 को संशोधित किया जाकर नियमों में ठेके के लिए ठेके की राशि का 5% (पांच प्रतिशत) ठेकेदार से अनुबन्ध निष्पादित करते समय नकद अथवा किसी राष्ट्रीयकृत या अनुसूचित बैंक से बैंक गारण्टी के रूप में परफोरमेंस गारण्टी प्राप्त करने का प्रावधान किया गया। यह संशोधित नियम राज्य के विभिन्न अभियांत्रिकी विभागों द्वारा 30.8.93 के बाद दिये जाने वाले समस्त ठेके के लिए लागू होता है। उक्त नियम से प्रभावित होने वाले ठेकेदारों की संख्या राज्य सरकार द्वारा एकत्रित नहीं की जाती है।

(2) जी, नहीं।

ॐ

कनिष्ठ लिपिक प्रतियोगी परीक्षा 1986 में सफल प्रत्याशी

605. श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : क्या मुख्य (प्रशासनिक सुधार) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा वर्ष 1986 में ली गई कनिष्ठ लिपिक प्रतियोगी परीक्षा में सफल हुए प्रत्याशियों में से अब तक कितने प्रत्याशियों को सरकार द्वारा रोजगार उपलब्ध कराया जा चुका है ?

(2) उक्त परीक्षा में सफल हुए प्रत्याशी जिनको अब तक नियुक्ति नहीं दी जा सकी है, की जिलेवार सूची (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामान्य प्रत्याशियों की संख्या को दर्शाते हुए) सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज. लोक सेवा आयोग द्वारा 3143 सफल अभ्यर्थियों की सूची भेजी गई थी। समस्त अभ्यर्थियों के नियुक्ति आदेश जारी कर दिये गये थे।

(2) प्रश्न नहीं उठता।

जिलाधीश, बून्दी द्वारा स्थानान्तरण आदेश के पश्चात् सम्पादित कार्य प्रकरण

606. श्री लक्ष्मण सिंह रावत (भीम): क्या मुख्य (कार्मिक) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि सामान्य कार्य प्रणाली और दिशा निर्देश के अनुसार किसी अधिकारी को स्थानान्तरण आदेश प्राप्त होने के पश्चात् साधारणतः किसी भी पत्रावली का निस्तारण नहीं करना चाहिये ? यदि हां तो इस बारे में सरकार की नीति का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि कुछ समय पूर्व बून्दी के तत्कालीन जिलाधीश को उनका स्थानान्तरण आदेश मिलने के पश्चात् भी उन्होंने पत्रावलियों का निस्तारण किया ? यदि हां, तो किन–किन पत्रावलियों का ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, नहीं। सरकारी नीति के अनुसार जब तक अधिकारी कार्य मुक्त नहीं होता, तब तक उससे अपने पद पर कार्य करने की अपेक्षा की जाती है।

(2) जी, हां। पत्रावलियों का विवरण देना सम्भव नहीं है।

जनगणनाकर्मियों का राज्य सेवा में समायोजन

607. डा. उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : क्या मुख्य (कार्मिक) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या वर्ष 1991 की जनगणना में कार्यरत कर्मचारियों को सरकार अन्य विभागों में समायोजित करने का विचार रखती है ?

(2) क्या सरकार उक्त अवधि में निर्धारित आयु सीमा पार कर चुके कर्मचारियों को भी समायोजित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां। जनगणना में कार्यरत रहे कर्मचारियों को जो कनिष्ठ लिपिक की शैक्षणिक योग्यता रखते हैं, राजस्थान सरकार के अन्तर्गत कनिष्ठ लिपिक पदों पर नियुक्ति प्रदान करने हेतु राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय स्टाफ सेवा नियम, 1957 में कार्मिक विभाग की अधिसूचना सं. एफ 3 (9) कार्मिक/क–2/82 दिनांक 18.5.94 द्वारा विशिष्ट भर्ती परीक्षा राजस्थान लोक सेवा आयोग के माध्यम से आयोजित कर, इस परीक्षा में सफल होने वाले कर्मचारियों की नियुक्ति प्रदान करने का प्रावधान किया जा चुका है।

उक्त अधिसूचना में यह प्रावधान है कि जनगणना विभाग में कार्यरत कर्मचारी यदि जनगणना विभाग में उनकी नियुक्ति की तिथि को आयु सीमा में ही थे तो इस परीक्षा हेतु आयु सीमा में ही समझे जायेंगे चाहे आयोग द्वारा संचालित विशेष भर्ती परीक्षा में सम्मिलित होने के दिनांक को वे ऊपरी आयु सीमा पार कर गये हों।

(2) उपरोक्तानुसार।

शासन सचिवालय में उप शासन सचिव के पद पर पदोन्नति प्रकरण

608. **श्री भीमराज भाटी** (पाली) : क्या मुख्य (कार्मिक) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) शासन सचिवालय में कार्यरत मंत्रालयिक स्तर से उप शासन सचिव संवर्ग के कितने पद सृजित हैं ?

(2) इन पदों पर सहायक शासन सचिव/निजी सचिवों के माध्यम से पदोन्नत किये जाने की क्या प्रक्रिया है ?

(3) क्या उप शासन सचिव के पद पर इन दोनों संवर्गों हेतु कोई अलग–अलग पद आरक्षित किये गये हैं अथवा उक्त दोनों संवर्गों की एक ही सूची है ?

(4) शासन सचिवालय के उपरोक्त संवर्गों हेतु सृजित निर्धारित पदों में क्या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के आरक्षित पदों का पूर्ण कोटा भर दिया गया है ? यदि नहीं, तो वर्तमान में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हेतु कितने पद रिक्त हैं एवं उन्हें नहीं भरने के कारणों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह भी सही है कि दिनांक 25 जून, 1996 को निजी सचिवों के पदों से उप शासन सचिव के पदों पर तदर्थ रूप से पदोन्नति की गई है ? यदि हां, तो फिर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के योग्य सदस्यों को भी तदर्थ रूप से पदोन्नति क्यों नहीं दी गई ?

उत्तर

(1) वर्तमान में उप शासन सचिव संवर्ग के 23 पद सृजित हैं।

(2) राजस्थान सचिवालय सेवा नियम 1954 के नियम 13 के अन्तर्गत सहायक सचिवों निजी सचिवों की अन्तंलयन वरिष्ठता सूची बनायी जाती है। उक्त वरिष्ठता सूची में से 50 प्रतिशत पद वरिष्ठता से एवं 50 प्रतिशत पद योग्यता के आधार पर भरे जाते हैं।

(मुख्य (कार्मिक) मंत्री)

(3) उप सचिव के पद पर पदोन्नति में सहायक सचिव एवं निजी सचिव संवर्ग के लिए अलग–अलग पद आरक्षित नहीं किये हुये हैं। इन संवर्गों के लिए एक ही अर्न्तलयन वरिष्ठता सूची है जिसमें से नियमानुसार पदोन्नति दी जाती है।

(4) शासन सचिवालय में उपरोक्त संवर्गों में अनु जाति/अनु. जनजाति/ के आरक्षित पदों के सम्बन्ध में विवरण निम्नानुसार है :—

पदनाम	कुल पद	आरक्षित पद		कार्यरत/चयनित	
		अ.जा.	अजजा.	अ.जा.	अज.जा.
उप सचिव	23	04	03	03	03
सहायक सचिव	65	10	08	16	04
निजी सचिव	34	05	04	01	01

उप सचिव संवर्ग में आरक्षित पदों के विरुद्ध अ.जा. के 3 (मय एक सील्ड कंवर) एवं अ.जनजाति के 3 अधिकारी चयनित हैं। वर्ष 1996–97 की रिक्तियों में अ. जाति का एक पद उपलब्ध हुआ है जिस पर नियमानुसार अ.जाति के अधिकारी को पदोन्नति दे दी जावेगी। अ. जनजाति का निर्धारित 12% आरक्षण के अनुसार कोई पद रिक्त नहीं है।

सहायक सचिव संवर्ग में अ. जाति का निर्धारित 16% आरक्षित पदों की गणना से अधिक व्यक्ति कार्यरत हैं। अ. जनजाति के पात्र व्यक्ति उपलब्ध न होने के कारण निर्धारित 12% आरक्षित पद भरे नहीं जा सके हैं।

निजी सचिव संवर्ग में अ. जाति तथा अ जनजाति के पात्र व्यक्ति उपलब्ध नहीं होने के कारण निर्धारित 16% व 12% आरक्षित पद भरे नहीं जा सके हैं।

(5) जी, हां। विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक नहीं होने के कारण पदोन्नतियां दी गई। उप सचिव पद पर अनुसूचित जाति के अधिकारी को नियमानुसार पदोन्नति दे दी जायेगी। अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों को उप सचिव के पद पर निर्धारित 12% आरक्षण के अनुसार पदोन्नति दी जा चुकी है।

आबकारी नीति

609. श्री घनश्याम तिवाड़ी (चौमूं), **श्री बनवारी लाल भिण्डा** (फतेहपुर), एवं **श्री कालूलाल गूजर** (मांडल) : क्या मुख्य (आबकारी) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सरकार को गत वर्ष आबकारी से कितने राजस्व की आय हुई तथा आगामी वर्ष हेतु नई आबकारी नीति से कितनी आय होने का लक्ष्य रखा गया है ?

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

(2) क्या नई आबकारी नीति के अन्तर्गत विदेशी मदिरा के ठेकों की नीलामी कर दी गई है ? यदि हां, तो कहां–कहां, यदि नहीं, तो ठेकों की नीलामी नहीं होने के क्या कारण रहे

(3) आस–पास के अन्य राज्यों जैसे हरियाणा, गुजरात में शराबबन्दी को देखते हुए क्या सरकार राज्य में शराबबन्दी पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) सरकार को वर्ष 95-96 में 705.57 करोड़ रु. की आबकारी आय प्राप्त हुई। वर्ष 96–97 में 870.00 करोड़ रु. की आबकारी आय का लक्ष्य रखा गया है।

(2) नई आबकारी नीति 96–97 के अन्तर्गत विदेशी मदिरा (भा.नि.वि. मदिरा एवं बीयर) के लिये 41 शहरी क्षेत्र की कुल 368 दुकानों में से 324 दुकानों की स्वीकृति जारी की जा चुकी है। सूची संलग्न है। पूर्व में मदिरा समूहों में विदेशी मदिरा एवं भारत निर्मित विदेशी मदिरा एवं बीयर के ठेके शामिल में स्वीकृत किये जाते थे। नई आबकारी नीति में 41 शहरी क्षेत्रों में भारत निर्मित विदेशी मदिरा एवं बीयर की दुकानें पृथक की गई हैं। उक्त नई नीति के कारण 44 दुकानें पडत है, जिनको उठाने के प्रयास किये जा रहे हैं।

(3) चालू वित्तीय वर्ष में शराब बन्दी करने पर विचार नहीं किया जा रहा है क्योंकि यह व्यावहारिक नहीं है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट–6 देखें)

सार्वजनिक स्थानों पर संचालित अवैध शराब की दुकानें

610. श्री हरिनारायण बैरवा (खण्डार): क्या मुख्य (आबकारी) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि सवाईमाधोपुर से दौसा रोड़ चक चैनपुरा के पास बजरिया सवाई माधोपुर के सब्जी मण्डी गेट के पास सवाईमाधोपुर से पाली रोड़ एवं सवाईमाधोपुर से आदर्श नगर–बी अनुसूचित जाति के वार्डों के पास सार्वजनिक स्थानों पर शराब की दुकानें संचालित हैं, यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि सार्वजनिक स्थानों, मन्दिर, मस्जिद, अनुसूचित जाति की बस्तियों, मजदूर बस्तियों में शराब बेचना कानूनी अपराध है ? यदि हां, तो सार्वजनिक स्थानों से थड़ियों को कब तक हटा दिया जायेगा, यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) दौसा रोड़ चक चैनपुरा के पास कोई मदिरा की दुकान स्थित नहीं है। बजरिया सवाई माधोपुर अवस्थित दुकान के समीप कोई धार्मिक स्थल या हरिजन बस्ती नहीं है। पाली रोड़ पर अनुसूचित जाति वार्ड के पास सार्वजनिक स्थानों के समीप भी कोई दुकान स्वीकृत नहीं की गई है। आदर्श नगर–बी देशी मदिरा की दुकान गत कई वर्षों से चल रही थी, अनुसूचित जाति वार्ड में होने से अब हटवा दी गई है।

(2) जी, हां। आदर्श नगर–बी दुकान आपत्तिजनक स्थल पर होने से हटवा दी

(मुख्य (आबकारी) मंत्री)

गई है। अन्य कोई दुकान आपत्तिजनक स्थल पर नहीं होने से हटवा दी गई है। अन्य कोई दुकान आपत्तिजनक स्थल पर नहीं होने से उसे हटवाना उचित प्रतीत नहीं होता।

राजकोम्प को कम्प्यूटर सोफ्ट वेयर व हार्डवेयर क्रय करने हेतु दी गई राशि

611. श्री हीरालाल मीणा (बामनवास) : क्या मुख्य (आयोजना) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वर्ष 1994–95 में राजकोम्प को कौन-कौन से सरकारी विभाग ने कम्प्यूटर सोफ्ट वेयर व हार्डवेयर क्रय करने के लिये कितनी-कितनी राशि हस्तान्तरित की? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) राजकोम्प ने इस राशि के एवज में कम्प्यूटर सोफ्टवेयर व हार्डवेयर क्रय हेतु किस-किस कम्पनी को किस-किस तिथि को क्रय आदेश दिये?

(3) क्रय आदेश के लिये प्रत्येक प्रदायक से क्या-क्या इकरारनामा या एम. ओ. यू. किया गया? यदि नहीं, तो क्यों? किये गये इकरारनामें या एम. ओ. यू. की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) प्रदायक को हार्डवेयर और सोफ्टवेयर कितने-कितने समय में प्रदाय कर उसे संबधित विभाग में स्थापित करने का पृथक-पृथक क्रय आदेश में आदेश दिया गया था? यदि समयावधि नहीं दी गई, तो क्यों? प्रत्येक क्रय आदेश की समयावधि की सूची सदन की मेज पर रखें।

(5) क्रय आदेश में दी गई समयावधि में प्रदाय कर स्थापित नहीं करने पर कितनी शास्ति लगाने का उल्लेख क्रय आदेश या इकरारनामें अथवा एम. ओ. यू. में किया गया? यदि नहीं, तो क्यों?

(6) क्रय आदेश में दी गई समयावधि के पश्चात् सामान किस-किस विभाग में प्रदाय कर स्थापित किया गया और कितनी-कितनी शास्ति आरोपित करने का सरकार विचार रखती है?

(7) शास्ति आरोपित करने की शर्त नहीं रखने के लिये कौन दोषी है? क्या सरकार दोषी अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) वर्ष 1994–95 में राजकोम्प द्वारा जिन विभागों के लिए कम्प्यूटर, हार्डवेयर अथवा सोफ्टवेयर क्रय किये गये है उनका नाम एवं राजकोम्प को हस्तान्तरित की गई राशि संलग्न विवरण परिशिष्ट 'अ' के कालम संख्या 2 एवं 3 में दर्शाया गया है।

(2) कम्प्यूटर हार्डवेयर क्रय करने के लिए जिन कम्पनियों को क्रय आदेश दिया गया था उनका नाम एवं क्रय आदेश की तिथि विवरण परिशिष्ट 'अ' के कालम संख्या 4 एवं 5 में दर्शाया गया है।

(3) राजकोम्प के क्रय नियमों के अनुसार वर्षभर के लिए एक विक्रयता को सूचीबद्ध कर लिया जाता है। सामान्यतौर पर क्रय आदेश सूचीबद्ध विक्रयता को ही दिये जाते है जिनसे वर्ष में एक बार अनु-

(मुख्य (आयोजना) मंत्री)

बंद्ध किया जाता है। इस प्रकार अनुबंधित कम्पनियों के अनुबंध परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(4) प्रदायक को प्रदाय करने के लिए दी गई समयावधि का विवरण संलग्न विवरण परिशिष्ट 'अ' के कालम संख्या 6 में दर्शाया गया है।

(5) क्रय आदेश के उल्लंघन में शास्ति आरोपित करने का प्रावधान अनुबंध में होता है।

(6) प्रदाय विधि परिशिष्ट 'अ' के कालम संख्या 7 में दर्शाया गया है। तथा क्रय आदेश में दी गई समयावधि के उल्लंघन के फलस्वरूप प्रदायक के विरुद्ध आरोपित शास्ति का वितरण संलग्न विवरण परिशिष्ट 'अ' के कालम संख्या 8 में दर्शाया गया है। आरोपित शास्ति प्रदायक को किये गये भुगतान में से काट ली गई है।

(7) यह प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

जोधपुर शहर में महिला पुलिस थाना

612. **श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास** (जोधपुर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि जोधपुर शहर में एक महिला पुलिस थाना प्रारम्भ करने की स्वीकृति प्राप्त हो गई है? यदि हां, तो महिला पुलिस थाना कब तक प्रारम्भ कर दिया जायेगा?

(2) क्या यह सही है कि सन्त अजनेश्वर आश्रम के पास पुलिस चौकी स्थापित करने की सरकार ने स्वीकृति प्रदान कर दी थी? यदि हां, तो क्या पुलिस चौकी के निर्माण का कार्य शुरू हो गया है व कितने पुलिस कर्मियों को वहां तैनात कर दिया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। उक्त महिला थाना दिनांक 1–7–96 से विधिवत चालू हो गया है।

(2) जी, नहीं। उक्त आश्रम के पास कानून एवं व्यवस्था बनाये रखने की दृष्टि से अस्थाई पुलिस चौकी कायम कर 1 हैड कानिस्टेबल एवं 4 कानिस्टेबल पुलिस लाईन, जोधपुर से तैनात किये गये हैं।

खेजड़ोली (जयपुर) के पेट्रोल पम्प पर कैरोसीन प्रकरण

613. **श्री गोपीराम जाट** (आमेर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि खेजड़ोली तहसील चौमूं जिला जयपुर में खेजड़ोली पैट्रोल पम्प पर कैरोसीन तेल पकड़ा गया था? यदि हां, तो कितने लीटर?

(2) क्या यह सही है कि खेजड़ोली पैट्रोल पम्प पर पकड़े गये कैरोसीन तेल के बारे में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हुई थी? यदि हां, तो प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार द्वारा उक्त प्रकरण

(श्री गोपीराम जाट)

वाद न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) उक्त कैरोसीन पुलिस के पास है या उसे खुर्द बुर्द कर दिया गया ? यदि खुर्द बुर्द किया गया तो क्यों व किसके आदेश से ? आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) ग्राम खेजड़ोली में सिर्फ एक पैट्रोल पम्प मैसर्स किसान सर्विस सैन्टर है जिस पर कैरोसीन तेल पकड़े जाने की जानकारी प्रकाश में आना नहीं पाया गया ।

(2) दिनांक28-12-1994 को श्री सुधीर श्रीवास्तव, प्रवर्तन अधिकारी जयपुर ने एक तहरीरी रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि दिनांक 21-12-1994 को मैसर्स किसान सर्विस सैन्टर खेजड़ोली पैट्रोल पम्प के निरीक्षण के समय डीजल में कैरोसीन तेल मिलावट की संभावना है । दिनांक 21-12-1994 को ही लिये गये डीजल के नमूने भी पेश किये आदि रिपोर्ट पर अभियोग संख्या : 270 दिनांक 28-12-1994 धारा 3/7 ई. सी. एक्ट थाना गोविन्दगढ़ दर्ज किया गया । प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति संलग्न है ।

(3) इस सम्बन्ध में प्रवर्तन अधिकारी द्वारा पेश किये गये सैम्पल की जांच एफ. एस. एल. से कराने तथा भारत सरकार के उपक्रम आई. बी. पी. कम्पनी लिमिटेड से स्पष्टीकरण प्राप्त करने पर डीजल में कैरोसीन की मिलावट की पुष्टि नहीं हुई । अतः वाद अनुसंधान उक्त अभियोग में अन्तिम प्रतिवेदन अदम वकू में दिनांक 29-6-1996 को दी गई ।

(4) पुलिस के द्वारा न तो कैरोसीन तेल जब्त किया गया नाही किसी द्वारा पुलिस कोजमा कराया गया । अतः कैरोसीन तेल को खुर्द बुर्द करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता ।

(प्रति के लिये कृपया परिशिष्ट-7 देखे)

जिला नागौर के पुलिस थानों में दर्ज प्रकरण

614. **श्री मोहन लाल बारूपाल** (जायल) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

जिला नागौर के पुलिस थाना कोतवाली, नागौर तथा पुलिस थाना जायल में एक जनवरी, 1995 से 15 जून, 1996 तक किस-किस किस्म के मुकदमें दर्ज हुए तथा उनमें क्या निर्णय रहा ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

एक जनवरी 1995 से 15 जून, 1996 तक पुलिस थाना कोतवाली एवं

(37)

(गृह मंत्री)

पुलिस थाना जायल में विभिन्न किस्म के दर्ज हुए मुकदमों एवं उनके निर्णय का विवरण निम्न प्रकार है:—

क्र. सं. शीर्षक	पुलिस थाना कोतवाली								पुलिस थाना जायल							
	1995				1996				1995				1996			
	दर्ज	चा.	एफ. आर.	पं.	दर्ज	चा.	एफ. आर.	पं.	दर्ज	चा.	एफ. आर.	पं.	दर्ज	चा.	एफ. आर.	पं.
1. लूट	4	1	3	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—
2. हत्या	4	2	2	—	2	2	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—
3. चोरी	53	10	43	—	19	2	12	5	9	5	4	—	—	—	—	—
4. नकबजनी	17	9	8	—	14	5	8	1	3	—	3	—	2	—	—	—
5. बलात्कार	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
6. बलवा	51	31	17	3	17	6	3	8	5	2	3	—	8	7	1	—
7. अन्य भा. द. सं.	275	180	93	2	129	69	37	23	82	60	22	—	31	20	8	3
8. अन्य	69	63	6	—	65	51	2	12	7	7	—	—	4	2	—	2
9. कुल	473	296	172	5	247	135	62	50	109	76	33	—	45	29	9	7

राज्य का कजावा (ईंट भट्टा) उद्योग

615. श्री भीमराज भाटी (पाली) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि राजस्व नियम की धारा 5–ग्र के तहत राज्य में कजावा (ईंट भट्टा) बनाने की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है? यदि हां, तो संबंधित ग्रादेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) कजावा (ईंट भट्टा) बनाने वाले लोगों को सरकार क्या-क्या सुविधाएं प्रदान कर रही है व भविष्य में क्या-क्या सुविधाएं उपलब्ध करवाने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रश्न स्पष्ट नहीं है। कजावा (ईंट भट्टा) के बारे में राजस्व नियमों की स्थिति निम्न है :—

राजस्थान भू-राजस्व (ईंट भट्टों की स्थापना हेतु भू-ग्रावंटन एवं संपरिवर्तन) नियम, 1987 के नियम 5 ए में यह प्रावधान था कि यदि कृषक स्वयं की भूमि, जो 2 एकड़ से ग्रधिक नहीं हो, पर ईंट भट्टा लगाये तो किसी प्रार्थना पत्र की ग्रावश्यकता नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों के लिये बने भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि के ग्रकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन) नियम, 1992 के ग्रप्रेल, 1992 से प्रभाव में ग्राने के बाद 1987 के नियम विलोपित हो गये। 1992 के नियमों के नियम 8 में ग्रब यह प्रावधान कर दिया गया है कि 2500 वर्ग मीटर तक के क्षेत्र में निजी भूमि पर कब्जा लगाने की स्थिति में किसी प्रार्थना पत्र व संपरिवर्तन शुल्क की ग्रावश्यकता नहीं है। तालाब, नाडी, नदी किनारा या चारागाह भूमि पर कजावा लगाने का प्रावधान 1987 के नियमों में है। नियम के उद्धरण संलग्न है।

(2) राज्य में ईंट भट्टा इकाइयों को उद्योग विभाग द्वारा निम्न सुविधाएं देय हैं :—

1. राज्य में पूंजी विनियोजन ग्रनुदान योजनान्तर्गत ईंट भट्टा इकाइयों को ग्रपात्र सूची के ग्रन्तर्गत सम्मिलित किये जाने के कारण ग्रनुदान का लाभ देय नहीं है लेकिन फ्लाई ऐस से ईंट बनाने वाली इकाइयों को योजनान्तर्गत ग्रनुदान देय है।
2. ईंट भट्टा बनाने वाले उद्योगों को उत्पादन कार्य हेतु स्लेक कोल का प्रयोजन/ग्राबंटन हेतु ग्रभिशंषा निदेशक रेल मूवमेन्ट, कलकत्ता को प्रेषित की जाती है।

राजस्थान भू-राजस्व (ईंट भट्टों के लिए ग्राबंटन एवं संपरिवर्तन) नियम, 1987 के नियम 5–क एव 7 (1) के उद्धरण :–

5A. Use of Agricultural land for establishment a small brick–kiln. - No application for conversion shall be required where a tenant desires to establish a brick–kiln on the land held by

(राजस्व मंत्री)

him and such land shall be deemed to have been automatically converted for establishing a brick-kiln on an area not exceeding two acres.

7. Allotment or Conversion :- (1) The land classified as barani or unirrigated shall be available for allotment or conversion for the establishment of brick kilns andirrigated or chahi land shall not be so allotted or converted except with the prieor permlssion of the State Government.

Provdied that where the application is only for establishment of a Kajwa (small brick-kiln) on unoccupied Government land falling in the catchment area of a talab, nadi or embankment or a river or pasture land on an area not exceeding 5/8th of an acre, the Collector may after making such enquiry as he deems necessary and in the case of pasture land in consultation with the Gram Panchayat allot land for estabilshment of a Kajwa for a period not exceeding one year on payment of rent at the rate of 50% of the rate prescribed in rule 8.

राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ रूपान्तरण) नियम, 1992 के नियम 8 (1) (डी) के द्वितीय परन्तुक का उद्धरण—

Provided further that no application for Conversion shall be required where tenant desires to establish a small brick Kiln (Kajawa) on the land held by him up to an area not excedding 2500 sq. metres and such land shall be deemed to have been converted for such small brick kiln (Kajawa) No premium shall be payable for such Convsrsion.

तहसील मारवाड़ जंक्शन में अतिक्रमण

616. श्री खंगारसिंह चौधरी (खारची): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि सरकार ने अतिक्रमण बढ़ने के कारण कानून में सशोधन कर जिला कलक्टरों को दिशा निर्देश जारी कर राजस्व भूमि पर अतिक्रमण रोकने की कार्यवाही करने के आदेश दिये हैं ? यदि हां, तो आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या तहसील मारवाड़ जंक्शन में उक्त दिशा निर्देशों के बाद जितने भी अतिक्रमण हुए हैं, उन पर विभाग द्वारा अधिकारियों एवं कर्मचारियों का दायित्व निर्धारित किया है ?

(3) क्या यह सही है कि वर्ष 1994-95 व 1995-96 में बड़ी तादात में सड़कों के किनारे तथा चारागाहों, बिला नाम की

(श्री खंगारसिंह चौधरी)

जमीनों व गैर मुमकिन रास्तों पर अतिक्रमण व निर्माण किये गये हैं ? यदि हां, तो पटवार सर्कलवार अतिक्रमणों की संख्या तथा मारवाड़ जंक्शन तहसील के कितने रकबे पर अतिक्रमण हुआ का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन) अधिनियम (1992 अधिनियम संख्या 34 वर्ष 1992) के द्वारा धारा 91 (6) का संशोधन कर अतिक्रमणों के विरुद्ध कठोर प्रावधान किये गये थे एवं इस हेतु परिपत्र क्रमांक प.6 (18) राज./6/91 दिनांक 20.5.93 द्वारा दिशा निर्देश भी दिये गये थे। उक्त परिपत्र की प्रति संलग्न है।

(2) तहसील क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन में उक्त निर्देशों के बाद वर्ष 1994-95 में 1543 व वर्ष 1995-96 में 1561 मामले धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के तहत दर्ज हुए हैं जिनमें नियमानुसार कार्यवाही कर बेदखली के आदेश दिये गये। इन अतिक्रमियों में से 6 अतिक्रमियों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट धारा 91 (6) के तहत दर्ज करवाई व एक प्रकरण में सिविल कारावास की सजा दी गई। उक्त निर्देशों के पश्चात जितने भी अतिक्रमण हुए हैं उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा समुचित कार्यवाही की गयी है।

(3) वर्ष 1994-95 व 1995-96 में सड़क के किनारे चारागाह, बिला नाम की जमीनों (सिवायचक) व गैर मुमकिन रास्तों पर किये गये अतिक्रमणों का विवरण संलग्न है। जिसमें पटवार सर्कलवार संख्या अंकित की गई है। तहसील मारवाड़ जंक्शन में वर्ष 1994-95 में 1543 प्रकरणों में 367.27 हैक्टर एवं 1995-96 में 1561 प्रकरणों में 380.45 हैक्टर रकबे पर अतिक्रमण हुआ है। विवरण की प्रति संलग्न है।

(प्रति के लिये कृपया परिशिष्ट-8 देखें)

ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण

617. **श्री हरजीराम बुरडक** (लाडनूं): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी भूमि व सार्वजनिक भूमि पर किये गये अतिक्रमणों को हटाने व नियमन करने के बारे में सरकार की क्या नीति है ? इस सम्बन्ध में जारी आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या शहरी क्षेत्रों में सरकारी भूमियों पर किये गये अतिक्रमणों को नियमित करने के बारे में कोई आदेश सरकार ने जारी किये हैं ? यदि हां, तो आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में भेदभाव बरता जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों तथा नहीं, तो शहरी क्षेत्रों में किस वर्ष तक किये गये कब्जे नियमित किये जा सकते हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में किस वर्ष तक ?

उत्तर

(1) ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी भूमि पर कृषि प्रयोजनार्थ किये गये अतिक्रमणों को समय समय पर नियमन करने के संबंध में सरकार द्वारा आदेश प्रसारित किए जाते रहे हैं। वर्तमान में आदेश दिनांक 1.4.91 द्वारा 15 जुलाई, 1984 तक राजकीय एवं गैर मुमकिन भूमि पर किये गये अतिक्रमणों को नियमित करने का प्रावधान है। 1.4.91 की प्रतियां सदन के पटल पर रख दी गयी है।

ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी हेतु किये गये अतिक्रमणों को नियमन करने के संबंध में आदेश दिनांक 23.4.77 द्वारा 1.7.75 तक के किये गये अतिक्रमणों को नियमित करने के आदेश है। सार्वजनिक उपयोग की भूमि पर किए गये अतिक्रमणों को नियमन करने का प्रावधान नहीं हैं। आदेश दिनांक 23.4.77 की प्रति संलग्न है।

(2) राजस्थान भू-राजस्व (शहरी क्षेत्रों में कृषि भूमि पर आवासीय या वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ आवंटन, रूपान्तरण एवं नियमितीकरण) नियम, 1981 के नियम 10 (4) के तहत शहरी क्षेत्रों में आवासीय या वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ दिनांक 30.6.87 तक किये गये अतिक्रमणों को नियमित करने का प्रावधान है।

(3) ग्रामीण क्षेत्रों एवं शहरी क्षेत्रों में अतिक्रमण नियमित करने की व्यवस्था उत्तर के भाग 1 व 2 में बतायी गयी है। ग्रामीण क्षेत्रों में नियमन करने के लिए तारीख बढ़ाने के प्रस्ताव विचाराधीन है।

(प्रतियों के लिये परिशिष्ट 9 देखें)

तहसील लूणकरणसर की सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण

618. **श्री भीमसेन चौधरी** (लूणकरणसर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) लूणकरणसर तहसील के किस-किस गांव में गोचर भूमि, जोहड़ पायतन, ओरण या अन्य सार्वजनिक उपयोग हेतु कितनी–कितनी भूमि राजस्व रेकार्ड में अंकित है ?

(2) उपरोक्त सार्वजनिक उपयोग की भूमि पर कहां–कहां कितनी–कितनी भूमि पर नाजायज कब्जे किए गए हैं ?

उत्तर

(1) लूणकरणसर तहसील के 121 गांवों में गोचर भूमि, जोहड़ पायतन, ओरण व अन्य सार्वजनिक उपयोग हेतु जो भूमि रिकार्ड में अंकित है उसकी सूचना परिशिष्ट "1" में संलग्न है।

(2) जिन सार्वजनिक उपयोग की भूमियों पर नाजायज कब्जों का विवरण परिशिष्ट "2" में संलग्न है।

(परिशिष्ट विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

निर्वाचन क्षेत्र फलासिया में (भूमि आवंटन हेतु गठित) समिति

619. **श्री कुबेर सिंह** (फलासिया) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या निर्वाचन क्षेत्र फलासिया/झाड़ोल जिला उदयपुर में वर्ष 1995–96

42

(श्री कुबेर सिंह)

में भूमि आबंटन हेतु मीटिंग रखी गई ? यदि हां, तो कब–कब किन–किन पंचायतों में तथा उक्त मीटिंग में कौन–कौन सदस्य थे ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) भूमि आबंटन कमेटी के सदस्य कौन–कौन हैं ? क्या आबंटन कमेटी के सदस्यों को भूमि का आबंटन किया जा सकता है ? यदि हां, तो किस-किस सदस्य के नाम भूमि का आबंटन किया गया ? सूची सदन की मेज पर रखें। यदि नहीं, तो आबंटन कमेटी के सदस्यों/परिवार के सदस्यों को उक्त आबंटन किन नियमों में किया गया ?

(3) जिन पंचायतों में भूमि का आबंटन किया गया उसकी अधिसूचना कब निकाली गई तथा प्रत्येक पंचायत में किस-किस व्यक्ति को कितनी–कितनी भूमि आबंटित की गई ? नाम, पिता का नाम, पंचायत, आबंटित भूमि का रकबा/बीघा एवं खसरा नम्बर सहित सूचना सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार के ध्यान में है कि उक्त आबंटन में भारी अनियमितताएं हुई है ? यदि हां, तो सरकार ने उन पर क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(5) क्या सरकार अभी भी उक्त आबंटन की जांच करवा कर अवैधानिक आबंटन करने वाले अधिकारी को दण्डित करने तथा आबंटन निरस्त करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक एवं यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां। विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) भूमि आबंटन कमेटी के सदस्य निम्न हैं :–

1. उपखण्ड अधिकारी, अध्यक्ष
2. विधायक
3. प्रधान, पंचायत समिति
4. विकास अधिकारी, पंचायत समिति
5. तहसीलदार
6. सरपंच, ग्राम पंचायत
7. अनुसूचित जाति/जनजाति का व्यक्ति जिसे पंचायत समिति द्वारा मनोनीत किया गया। राजस्थान भू–राजस्व (कृषि हेतु भूमि आबंटन) नियम, 1970 के नियम 11 (1) के तहत भू–आबंटन का पात्र केवल सदभावी भूमिहीन काश्तकार/श्रमिक हैं। जिसका मुख्य धन्धा या आजीविका का साधन कृषि एवं कृषि मजदूरी है। अतः आबंटन हेतु इस श्रेणी के व्यक्ति पात्रता रखते हैं। आबंटन कमेटी के किसी भी सदस्य को भूमि आबंटन नहीं किया गया है।

(3) जिन पंचायतों में भूमि आबंटन किया गया उनकी अधिसूचना राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ) (भूमि आबंटन) नियम, 1970 के नियम 7 (ब) के तहत निम्न पटवार मंडल वार निम्नांकित दिनांक को निकाली गई :–

(राजस्व मंत्री)

1. पटवार मण्डल, मामेर	30.9.95
2. पटवार मण्डल, माकड़ादेव	8.11.95
3. पटवार मण्डल, ओगणा	1.11.95
4. पटवार मण्डल, गेजवी	1.11.95
5. पटवार मण्डल, अटाटिया	6.11.95
6. पटवार मण्डल, डैया	9.1.96
7. पटवार मण्डल, फलासिया	9.2.96
8. पटवार मण्डल, निचली सिगरी	9.2.96

प्रत्येक पंचायत के पटवार मण्डल में आबंटन की गई भूमि एवं आबंटियों का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(4) भूमि आवंटन नियमों के अन्तर्गत हुआ है तथा कोई अनियमितता होने बाबत सूचना नहीं है।

(5) आबंटन में कोई अनियमितता नहीं हुई है। ऐसी स्थिति में आबंटन की जांच करवाने, आबंटन अधिकारी को दण्डित करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

ग्राम बिसनपुरा (जयपुर) में भूमि का अवैध बेचान

620. श्री राजेन्द्र चौधरी (बिलाड़ा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) ग्राम बिशनपुरा, तहसील जमवा-रामगढ़, जिला जयपुर के खसरा नम्बर 40 के मूल खातेदार कौन–कौन थे तथा उनके नाम कितनी–कितनी भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त खसरा नम्बर 40 के संयुक्त खातेदारों में, एक आजन्म पागल व्यक्ति भी शामिल था ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त खसरा नम्बर 40 के मूल खातेदारों में से एक खातेदार ने अकेले ही बिना अन्य खातेदारों की सहमति से अवैध रूप से 36.0 बीघा भूमि का बेचान कर दिया ? यदि हां, तो किन व्यक्तियों, को कितनी–कितनी भूमि का बेचान किया गया तथा इस बेचान का किन-किन व्यक्तियों के नाम नामान्तरकरण खोला गया ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार इस अवैध बेचान द्वारा खोले गये नामान्तरकरणों को निरस्त करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(5) क्या उक्त अवैध एवं विधि विरुद्ध बेचान के लिए दोषी व्यक्तियों एवं अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) मुताबिक बन्दोबस्त रजिस्ट्री संवत् 2027 ग्राम बिशनपुरा के ख. नं. 40 के मूल खातेदार श्री रघुनाथ पुत्र श्री रामचन्द्र स्वरूपनारायण पुत्र छीतरमल साकिन रामगढ़ हिस्सा 2/3, कुन्दन लाल पुत्र बालूराम

(५५)

(राजस्व मंत्री)

कौम ब्राह्मण साकिन जयपुर हिस्सा 1/3 दर्ज थी। श्री रघुनाथ पुत्र रामचन्द्र की मृत्यु होने पर विरासत का नामान्तरकरण उनके पुत्रों श्री रामकृष्ण, श्री रामगोपाल व श्री राधाकृष्ण के नाम दर्ज हुआ।

राजस्व रिकार्ड में श्री रामकृष्ण के नाम 86 एकड़, श्री रामगोपाल के 87 एकड़ श्री राधाकृष्ण के 86 एकड़ स्वरूप-नारायण पुत्र छीतर के 87 एकड़ व कुन्दन-लाल के 173 एकड़ अर्थात कुल 519एकड़ भूमि दर्ज थी।

(2) राजस्व अभिलेख में आजन्म पागल होने का कोई इन्द्राज नहीं है।

(3) जी हां, यह सही है। बेचान व नामान्तरकरण की प्रतियां सदन के पटल पर रख दी गई है।

(4) पीडित पक्षकार को सक्षम न्यायालय में चाराजोई की जानी चाहिए। राज्य सरकार के हितों पर कोई प्रभाव पड़ने पर ही कार्यवाही की जाती है।

(5) अवैध व विधि विरुद्ध बेचान का निर्धारण न्यायालय ही तय करता है।

(प्रतियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

ग्राम चीतोस (अलवर) में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण

621. श्री शिवकिशोर सनाढ्य (उदयपुर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) तहसील राजगढ़ (अलवर) में धारा 91 (6) में दिनांक 1 अप्रेल, 1995 से मई, 1996 तक कितनी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई ? उक्त धारा में दर्ज प्रकरणों में से कितने प्रकरणों में अतिक्रमियों को मौके पर बेदखल किया गया ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) तहसील राजगढ़ में चारागाह, आम रास्ते, गोंहन्डे पर कितने अतिक्रमियों द्वारा अतिक्रमण किया गया ? ग्रामवार अतिक्रमियों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि ग्राम चीतोस, तहसील राजगढ़ (अलवर) में ग्राम रास्तों, गोचर भूमि, जोहड़ एवं शमसान भूमि पर अतिक्रमियों द्वारा अतिक्रमण किया हुआ है ? क्या उक्त प्रकरण की हल्का पटवारी ने पूर्व में रिपोर्ट दर्ज कराई थी ? यदि हां तो जिन अतिक्रमियों द्वारा ग्राम रास्तों, जोहड़ एवं गोचर भूमि पर अतिक्रमण किया हुआ है, की सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि धारा 91(6) के प्रावधानों में अतिक्रमणियों को 15 दिन का नोटिस जारी करने का प्रावधान है ? यदि हां, क्या तो धारा 91(6) के अन्तर्गत अतिक्रमणियों को 15 दिन का नोटिस व्यक्तिगत रूप से जारी किया गया? नोटिसेज की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(5) यदि क्रम संख्या 4 में अंकित तथ्य सही है तो पटवारी एवं तहसीलदार राजगढ़ ने किस आधार पर 91(6) के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई ?

उत्तर

(1) 1 अप्रेल, 1995 से मई, 1995 तक धारा 91(6) के तहत 9 प्रकरणों में एफ. आई. आर. दर्ज कराई गई। इन सभी प्रकरणों में अतिक्रमियों को बेदखल करने के आदेश देने के बावजूद भी कब्जा इनके द्वारा नहीं छोड़ा गया। इसलिये कार्यवाही 91 (6) के अन्तर्गत विचाराधीन है। सूचियां सदन के पटल पर रख दी गई है। परिशिष्ट "क"

(2) तहसील राजगढ़ में 01 अप्रेल, 1995 से मई, 1996 तक 881 अतिक्रमियों द्वारा अतिक्रमण किया गया है। सूची सदन के पटल पर रख दी गई है। परिशिष्ट "ख"

(3) जी हां, यह सही है कि ग्राम चीतोस तहसील, राजगढ़ में ग्राम रास्तों, गोचर भूमि, जोहड़, श्मसान भूमि पर अतिक्रमण किया गया था। जिसकी पटवारी हल्का ने रिपोर्ट की थी। अतिक्रमियों की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है। परिशिष्ट "ग"

(4) यह सही है कि धारा 91(6) के प्रावधानों में अतिक्रमियों के विरुद्ध 15 दिन का नोटिस जारी करने का प्रावधान है। धारा 91 के अन्तर्गत नोटिस जारी किये गये थे। नोटिस की छाया प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है।

(5) अतिक्रमियों द्वारा कब्जा नहीं छोड़ने के कारण 91(6) के तहत एफ.आई. आर. दर्ज कराई गई है।

(सूचियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

उच्च प्राथमिक विद्यालय कोहल्या (टोंक) को भूमि आवंटन प्रकरण

622. **श्री महावीर मगोरा** (गोगुन्दा): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत कोहल्या तहसील उनियारा (टोंक) ने राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कोहल्या के छात्रों के खेल मैदान के लिए सिवाय चक भूमि आबंटित करने हेतु जिला कलक्टर टोंक को प्रस्ताव भेजा था? यदि हां, तो क्या विद्यालय हेतु जिला कलक्टर टोंक ने सिवाय चक भूमि आबंटित की?

(2) जिला कलक्टर टोंक द्वारा खेल मैदान हेतु आबंटित भूमि का खसरा नम्बर व कितनी भूमि आबंटित की गई का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि खेल मैदान हेतु आबंटित भूमि का नामकरण भी तहसीलदार उनियारा द्वारा खोल दिया गया था? यदि हां, तो नामान्तरकरण की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कोहल्या तहसील उनियारा को जो भूमि खेल मैदान हेतु आबंटित की गई थी, पर वर्तमान में विद्यालय का कब्जा है? यदि हां, तो उक्त भूमि पर जो कुआ खोदा गया है वह किस व्यक्ति का है?

(5) क्या यह सही है कि उक्त आबंटित शुदा खेल मैदान पर कुछ लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है? यदि हां, तो किन-

46

(श्री महावीर भगोरा)

किन व्यक्तियों ने व कब से? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या सरकार उक्त अतिक्रमण को हटाने का विचार रखती है? यदि हां तो कब तक?

(7) क्या उक्त खेल मैदान पर अतिक्रमण करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध समय-समय पर सम्बन्धित अधिकारियों को शिकायतें प्राप्त हुई है? यदि हां, तो प्राप्त शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) यह सही है कि पंचायत कोहल्या तहसील उनियारा ने जिला कलक्टर, टोंक को राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कोहल्या के खेल मैदान हेतु भूमि आवंटन के प्रस्ताव भिजवाये हैं। जिला कलक्टर के आदेश क्रमांक 851-53/राजस्व/95 दिनांक 21.3.95 से रा. उ. प्रा. विद्यालय कोहल्या को आराजी खसरा 990 रकबा 6.26 हैक्टेयर किस्म बंजड़ में से 1.20 हैक्टेयर भूमि आवंटित की गई है।

(2) जिला कलक्टर, टोंक द्वारा ग्राम कोहल्या की आराजी खसरा नम्बर 990 रकबा 6.26 हैक्टेयर सिवायचक में से 1.20 हैक्टेयर भूमि खेल मैदान हेतु आवंटित की गई हैं।

(3) ग्राम कोहल्या में खेल मैदान हेतु आवंटित भूमि का नामान्तरकरण संख्या 103 दिनांक 2.8.95 स्वीकार हो चुका है। नामान्तरकरण की प्रति संलग्न है।

(4) यह सही है कि रा.उ.प्रा. विद्यालय कोहल्या को आवंटित भूमि पर वर्तमान में विद्यालय का कब्जा नहीं है। दिनांक 21.3.95 को ग्रा. ख. नम्बर 990 में से 1.20 है। स्कूल खेल मैदान हेतु विद्यालय के नाम जिला कलक्टर टोंक द्वारा आवंटित की गई थी, जिसकी अतिक्रमी द्वारा अपील करने से न्यायालय आर. ए. ए. टोंक का स्टे होने से कब्जा नहीं दिया गया। मामला अभी भी न्यायालय में विचाराधीन है। इस भूमि में कुआं अतिक्रमी रामलाल द्वारा विद्यालय को आवंटन के बाद खोदा गया है जो अपूर्ण है।

(5) यह सही है कि खेल मैदान की भूमि पर रामलाल आत्मज बद्री मीणा निवासी कोहल्या ने कब्जा कर रखा है, जिसको राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत मिसल नम्बर 1/1279 निर्णय दिनांक 31.3.95 से 3 माह की सिविल कारावास व लगान का 50 गुणा पैनल्टी से दण्डित किया गया था। जिसकी अपील श्री रामलाल ने जिला कलक्टर महोदय के यहां कर रखी है। जिसमें यथास्थिति बनाये रखने के निर्देश है।

(6) दिनांक 21.3.95 को जिला कलक्टर महोदय, के द्वारा 1.20 हैक्टर भूमि खेल मैदान हेतु आवंटन की गयी थी। इस आवंटन से असन्तुष्ट होकर अतिक्रमी रामलाल द्वारा आर. ए. ए. टोंक के यहां अपील पेश की। जिसमें भी यथा-स्थिति के निर्देश हैं।

(7) उक्त खेल मैदान पर अतिक्रमण करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध शिकायतें

(राजस्व मंत्री)।

प्राप्त हुई हैं। न्यायालय के यथास्थिति रखने के आदेश के कारण कोई कार्यवाही नहीं की गई।

(प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

ग्राम रैय्या का बास, (नीम का थाना) की चरागाह भूमि पर अतिक्रमण

623. श्री मोहनलाल मोदी (नीम का थाना) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम रैय्या का बास, तहसील नीम का थाना की खसरा नम्बर 361 की भूमि चरागाह है? यदि हां, तो इस पर किस-किस व्यक्ति ने कितनी-कितनी भूमि पर अनधिकृत रूप से कब्जा कर रखा है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) अब कब तक उक्त चरागाह की भूमि से अनधिकृत कब्जा हटाने की कार्यवाही की जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। 14 व्यक्तियों ने अनधिकृत रूप से कब्जा कर रखा है। सूची सदन की पटल पर रख दी गई है।

(2) प्रश्न के भाग (1) की सूची में अंकितानुसार कार्यवाही की जा रही है।

(सूची के लिये परिशिष्ट 10 देखें)

तहसीलदार गंगरार के विरुद्ध प्राप्त शिकायतें

624. श्री अर्जुनलाल जीनगर (गंगरार) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि तहसील गंगरार के तहसीलदार के विरुद्ध जिला कलक्टर को शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां तो कौन-कौन सी? क्या प्राप्त शिकायतों की जांच की गई यदि हां, तो जांच विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार दोषी तहसीलदार के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) वर्तमान में तहसीलदार, गंगरार के पद पर श्री अशोक कुमार जैन दिनांक 27.6.96 से पदस्थापित है। इनके विरुद्ध कोई शिकायत जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ को प्राप्त नहीं हुई है। श्री जैन से पूर्व तहसीलदार, गंगरार पर श्री हनुमान प्रसाद खण्डेलवाल दि. 11.7.94 से 27.6.96 तक पदस्थापित रहे हैं। इनके विरुद्ध 4 प्रकरण विचाराधीन हैं, जिनमें से 2 मामलों में कार्यवाही सी.सी.ए. नियम 17 के अन्तर्गत तथा एक मामले में सी.सी.ए. नियम 16 के अन्तर्गत विभागीय जांच में विचाराधीन है, तथा एक मामले में उपखण्ड अधिकारी द्वारा प्राथमिक जांच की जा रही है।

(2) श्री हनुमान प्रसाद खण्डेलवाल, तत्कालीन तहसीलदार के विरुद्ध विभागीय

(राजस्व मंत्री)

जांच कार्यवाही जेरकार है, जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात तदनुसार कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न संख्या 625

(स्थगित)

सवाई मानसिंह चिकित्सालय (जयपुर) में अग्नि शमन यंत्र

626. **श्री विष्णु मोदी** (पुष्कर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सवाई मानसिंह चिकित्सालय, मेडिकल कालेज परिसर सहित जयपुर के सभी बड़े सरकारी अस्पतालों में आगजनित हादसों पर काबू पाने के लिए अग्नि शमन यन्त्रों की वर्तमान में कोई व्यवस्था नहीं है? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या यह सही है कि जनाना अस्पताल में आगजनित हादसों पर काबू पाने के लिए पानी की वर्तमान लाइनें काफी पुरानी एवं उचित देखरेख के अभाव में जीर्ण-शीर्ण हालत में हैं? यदि हां, तो क्या सरकार पुरानी पाइप लाईन के स्थान पर नई लाईन डालने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार सरकारी अस्पतालों में आगजनित हादसों पर काबू पाने की दृष्टि से कोई सुनिश्चित व्यवस्था करने हेतु शीघ्र कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) सवाई मानसिंह मेडिकल कालेज, जयपुर में अग्नि शमन यन्त्रों की व्यवस्था नहीं है। सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जनाना अस्पताल, संक्रामक रोग चिकित्सालय एवं पुनर्वास अनुसंधान केन्द्र में अग्नि-शमन यन्त्र लगे हुए हैं।

(2) यह सही है कि जनाना अस्पताल में पानी की पाइप लाइनें काफी पुरानी हैं किन्तु ये पाइप लाइनें चालू हालत में हैं एवं कुछ समय पूर्व तक इनका अस्पताल के वार्डों आदि की धुलाई हेतु उपयोग भी होता था। आवश्यकता पड़ने पर आग पर काबू पाने के लिए इनका उपयोग किया जा सकता है।

(3) जिन सरकारी अस्पतालों में आगजनित हादसों पर काबू पाने के लिए पर्याप्त व्यवस्था नहीं है वहां इस हेतु आवश्यक व्यवस्था यथाशीघ्र करने का प्रयास किया जाएगा।

ग्राम मीठड़ी (नागौर) में चिकित्सकों के पदों का सृजन

627. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनू): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) ग्राम मीठड़ी, तहसील लाडनू जिला नागौर के चिकित्सालय में चिकित्सकों के कितने पद कब से रिक्त हैं?

(2) उक्त चिकित्सालय में दिनांक 1 जनवरी, 1994 से अब तक कौन-कौन

(श्री हरजीराम बुरड़क)

चिकित्सक कब से कब तक पदस्थापित रहे। उक्त अवधि में कितने पद कब से कब तक रिक्त रहे?

(3) क्या यह भी सही है कि इसमें महिला चिकित्सक का पद बराबर रिक्त ही रहा है? यदि हां, तो इस पद को सृजित करने का औचित्य क्या है?

(4) क्या यह भी सही है कि इस चिकित्सालय के आसपास चारों ओर कोई चिकित्सालय तथा महिला चिकित्सक नहीं होने से ग्रामवासियों ने सरकार से बार-बार महिला चिकित्सक लगाने की भी मांग की है? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई? अब यह पद कब तक भर दिया जायेगा।

उत्तर

(1) ग्राम मीठड़ी तहसील लाडनूं जिला नागौर के चिकित्सालय में चिकित्सकों का कोई पद वर्तमान में रिक्त नहीं है।

(2) उक्त चिकित्सालय में दिनांक 1–1–1994 से अब तक निम्न चिकित्सक उनके नाम के सम्मुख अंकित अवधि में पदस्थापित रहे :—

क्र. सं. 1	नाम चिकित्सक 2	अवधि 3
1.	डा. हबीबुर्रहमान मी.	1. 1. 94 से 13. 5. 96 तक
2.	डा. आशा शर्मा	14.5.96 से लगातार
3.	रिक्त	1. 1. 94 से 7. 6. 94 तक
4.	डा. मो. सलीम	8. 6. 94 से 31. 11. 95 तक
5.	रिक्त	1. 12. 95 से 13. 5. 96 तक
6.	डा. अनिल कुमार शर्मा	14. 5. 96 से लगातार

(3) जी, नहीं। वर्तमान में महिला चिकित्सक पद स्थापित है जो महिला रोगियों को पूर्ण चिकित्सा सुविधा सुलभ करा रही है।

(4) जी, नहीं। ग्राम मिठड़ी में महिला चिकित्सक उपलब्ध है तथा आस-पास भी पर्याप्त चिकित्सालय क्रमशः डीडवाना, डाडनूं, सुजानगढ़ में महिला चिकित्सकों की सुविधा उपलब्ध है। महिला चिकित्सक का पदस्थापन कर दिया गया है, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

अलवर के तपेदिक (टी. बी.) अस्पतालों में मरीजों को सुविधा

628. **श्रीमती मीना अग्रवाल** (अलवर): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्रीमती मीना अग्रवाल)

(1) अलवर के तपेदिक (टी. बी.) अस्पताल में कितने मरीज भर्ती हैं ? भर्ती हुए मरीजों को प्रतिदिन दोनों समय (सुबह शाम) कितनी-कितनी मात्रा में खाना व दूध दिया जाता है ?

(2) क्या यह सही है कि मरीजों को दिये जाने वाले खाने की मात्रा कम है ? यदि हां, तो सरकार का इसे बढ़ाने के बारे में क्या विचार है ?

(3) क्या यह सही है कि अस्पताल विकास समिति/मेडिकल रिलीफ सोसाइटी की बैठक में सोनोग्राफी की दर रुपये 50/– तथा एक्सरे की दर रुपये 50/– तय की गई है ? यदि हां, तो क्या इसी प्रकार की दरें दूसरे जिलों में भी लागू की जावेगी ? यदि नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) वर्तमान में दिनांक 26–6–1996 को 11 रोगी क्षय चिकित्सालय अलवर में भर्ती है। भर्ती रोगियों को वर्तमान में आधा लीटर दूध प्रातः एक समय दिया जा रहा है।

(2) जी, हां। और वित्तीय प्रावधान उपलब्ध होने पर ही खाने की मात्रा बढ़ाने पर विचार किया जा सकेगा।

(3) जी, हां। अन्य जिलों में भी इसी प्रकार की प्रक्रिया (दरें) लागू की जा रही रही है।

सवाई मानसिंह चिकित्सालय की खराब मशीनों के बन्द उपकरण

629. **श्री किशनाराम नाई** (डूंगरगढ़): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि सवाई मानसिंह चिकित्सालय में ईको कार्डियोलोजी मशीन पिछले पांच महीने से खराब पड़ी हैं ? यदि हां, तो उसको ठीक नहीं कराने के मुख्य कारण क्या हैं ?

(2) उक्त मशीन अब कब तक ठीक हो जायेगी ? क्या यह भी सही है कि मशीन को जानबूझकर बन्द कर मरीजों को बाहर जांच हेतु भिजवाया जाता है ?

(3) क्या यह सही है कि आइसोटोप-लैब की भी मशीन पिछले चार महीनों से बन्द पड़ी है ? यदि हां, तो अब तक ठीक नहीं होने के क्या कारण रहे ? उक्त मशीन अब कब तक ठीक करवा दी जायेगी ?

(4) सवाई मानसिंह चिकित्सालय में कितनी मशीनें पिछले छः माह से खराब पड़ी हैं एवं उनकी नियमित उपयोगिता हेतु आवश्यक रख-रखाव/संधारण क्यों नहीं किया जाता ?

(5) राज्य का मुख्य अस्पताल होने एवं इस प्रकार की भारी मशीनों के बन्द रहने की जिम्मेदारी किसकी है ? समस्त मशीनों की नियमित उपयोगिता एवं रख-रखाव की जिम्मेदारी किसकी है ?

उत्तर

(1) जी, हां। यह सही है कि सवाई मानसिंह चिकित्सालय में 2-डी ईको कार्डियालोजी मशीन खराब है। उक्त विदेशी मशीन के भारतीय सप्लायर को मशीन ठीक

(राज्य मंत्री, चिकित्सा व स्वास्थ्य)

करने हेतु बार-बार लिखने पर भी उक्त सप्लायर द्वारा ठीक नहीं करने पर राज्य सरकार द्वारा इसे उक्त सप्लायर फर्म को 3 वर्ष के लिये अक्टूबर, 1995 में प्रतिबन्धित कर दिया गया है।

(2) सम्बन्धित फर्म के बम्बई स्थित नये प्रतिनिधि को उक्त मशीन ठीक करने हेतु दिनांक 1–5–1996 को पत्र प्रेषित किया गया है जिसके अनुक्रम में मशीन को ठीक करने पर होने वाले अनुमानित व्यय की जानकारी उक्त फर्म द्वारा उपलब्ध करवादी गई है एवं इस मशीन को शीघ्र ही ठीक करवा लिये जाने की कार्यवाही की जा रही है। यह सही नहीं है कि मशीन को जानबूझकर बन्द कर मरीजों को जांच हेतु बाहर भिजवाया जाता है।

(3) आइसोटोप लैब का गामा कैमरा दिनांक 10–5-1996 से खराब है जिसको अधिकृत फर्म से यथाशीघ्र ठीक करवाने की कार्यवाही की जा रही है।

(4) सवाई मानसिंह चिकित्सालय में पिछले छः माह से 27 मशीनें खराब है जिन्हें यथा शीघ्र ठीक करवा लिये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं। अधिकांश मशीनों के रख-रखाव के वार्षिक आधार पर अनुबन्ध किया गया है एवं कोई भी मशीन खराब होते ही ठीक करया लिये जाने के प्रयास किये जाते हैं।

(5) जो मशीनें मेडीकेयर रिलीफ सोसायटी की है उनके बन्द रहने की जिम्मेदारी उक्त सोसायटी की है तथा अन्य मशीनों के बन्द रहने की जिम्मेदारी चिकित्सालय प्रशासन की है। समस्त मशीनों के नियमित उपयोग एवं रख-रखाव की जिम्मेदारी सम्बन्धित विभागों की भी है।

चिकित्सा महाविद्यालयों के शिक्षकों का स्थायीकरण प्रकरण

630. श्री जितेन्द्र सिंह (खेतड़ी) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या चिकित्सा महाविद्यालयों के अस्थायी शिक्षकों को स्थायी करने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है।

(2) क्या सरकार लम्बी अवधि से कार्य कर रहे तदर्थ आधार पर नियुक्त मेडिकल शिक्षकों को भी समानता के आधार पर नियमित कर वरिष्ठता निर्धारित करेगी ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां। अस्थायी शिक्षक चिकित्सकों को परिवीक्षाकाल सन्तोषजनक रूप से पूर्ण कर लेने पर स्थाई पदों की उपलब्धता के अनुसार स्थायी किए जाने का प्रावधान है।

(2) जी, नहीं। नियमानुसार यह सम्भव नहीं है। शिक्षक चिकित्सकों के पद राजस्थान लोकसेवा आयोग की परिधि के हैं। आयोग द्वारा चयनित हो जाने पर ही उन्हें नियमित नियुक्त किया जा सकता है उनकी वरिष्ठता का निर्धारण भी राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा ही उनकी योग्यता के आधार पर किया जाता है। तदर्थ आधार पर नियुक्त शिक्षक चिकित्सकों

(राज्य मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य)

में से काफी बड़ी संख्या में चिकित्सक आयोग से चयनित हो गए हैं एवं उन्हें पदों पर नियमित नियुक्त किया जा चुका है।

रैफरल चिकित्सालय डूगरा (कुशलगढ़)

631. श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि कुशलगढ़ उपखण्ड के डूगरा चिकित्सालय को रैफरल अस्पताल घोषित किया गया है।

(2) क्या डूगरा अस्पताल में एक्सरे मशीन स्थापित कर दी गई है लेकिन टेक्नीशियन का पद रिक्त है, यदि हां, तो इस पद को अब कब तक भर दिया जायेगा ?

(3) क्या यह सही है कि कुशलगढ़ रैफरल चिकित्सालय में निश्चेतना (एनेस्थेशिया) चिकित्सक के पद रिक्त होने से शल्य चिकित्सा कार्य नहीं हो रहा है ? यदि हां, तो सरकार इस पद को कब तक भरने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी, हां।

(2) जी, हां। प्रशिक्षित अभ्यार्थी उपलब्ध होने पर सहायक रेडियोग्राफर के रिक्त पद को भरा जाना सम्भव हो सकेगा।

(3) जी, नहीं। निश्चेतन हेतु अलग से कोई पद स्वीकृत नहीं है।

फार्मेसी कौंसिल में फार्मेसी एक्ट के अन्तर्गत पंजीकरण प्रकरण

632. श्री रामेश्वरलाल चौधरी (नावां) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य फार्मेसी कौंसिल में फार्मेसी एक्ट 1948 की धारा 32(11) (क) के अन्तर्गत पश्चात्‌वर्ती रजिस्ट्रीकरण (पंजीकरण) के लिये क्या योग्यता आवश्यक है ?

(2) फार्मेसी एक्ट 1948 की धारा 20(2) के अन्तर्गत सरकार द्वारा अधिसूचित (नोटिफाइड) तारीख कौनसी है ? क्या धारा 32(1) (क) के अन्तर्गत पश्चात्‌वर्ती पंजीकरण केवल उन्हीं व्यक्तियों के ही किये जा सकते थे, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित तारीख से पांच वर्ष पूर्व का डिस्पेंसिग एवं कम्पाउंडिग आफ ड्रग्स का अनुभव प्राप्त था ? यदि हां, तो कितने पंजीकरण उपरोक्त नियमों के तहत व कितने उक्त नियमों की अनदेखी कर किये गये ? सूची अनुभव प्रमाण-पत्र की प्रति सहित सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उपरोक्त चयन में किन्हीं व्यक्तियों के अवैध पंजीकरण के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो शिकायती पत्रों की प्रति तथा उन पर की गई एवं की जाने वाली कार्यवाही, व्यक्तियों के नाम दर्शाते हुये सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या फार्मेसी एक्ट 1948 की धारा 36(1) (i) के अन्तर्गत इन व्यक्तियों के नाम हटाने की कार्यवाही की जा रही

(श्री रामेश्वरलाल चौधरी)

है ? यदि हां, तो किस–किस के खिलाफ एवं क्या उक्त व्यक्तियों के नाम रजिस्टर ग्राफ फार्मासिस्ट से नहीं हटाये जाने के क्या–क्या कारण रहे हैं ?

उत्तर

(1) फार्मेसी एक्ट 1948 में धारा 32 (11) (क) नहीं है। किन्तु धारा 32 (1) (ए) है, जिसके अनुसार राज्य फार्मेसी कौंसिल द्वारा सब्सीक्वेट रजिस्ट्रेशन करने हेतु पात्रता निम्न प्रकार है :—

1. आवेदक 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो।

2. ग्रावेदक राजस्थान राज्य में निवास कर रहा हो अथवा फार्मेसी व्यापार/व्यवसाय में संलग्न हो।

3. केन्द्रीय फार्मेसी कौंसिल द्वारा पूर्व में अनुमोदित शर्तों को पूरा करता हो।

4. अगर केन्द्रीय कौंसिल द्वारा कोई शर्त पूर्व में अनुमोदित नही है तो धारा 31 के तहत प्रथम रजिस्ट्रेशन की शर्त पूरी करता हो। धारा (32) (1) (ए) के तहत ग्रावेदन धारा 30 (2) की अनुपालना में अधिघोषित तिथि के पश्चात् एवं धारा 11 के तहत राज्य में एजुकेशन रेगुलेशन प्रभाव में आने के पूर्व किये जा सकते हैं किन्तु कोई भी व्यक्ति जिसने मैट्रिक या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है, पंजीकृत होने का पात्र नहीं होगा।

(2) धारा 20 (2) अन्तिम तारीख के सम्बन्ध में नहीं है किन्तु फार्मेसी एक्ट 1948 की धारा 30(2) के तहत प्रथम पंजीकरण हेतु गठित रजिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल को ग्रावेदन देने हेतु राज्य सरकार द्वारा अधिघोषित अन्तिम तारीख 23.2.1975 थी।

(3) जी हां, एक शिकायतकर्ता श्री मुकुट बिहारीलाल द्वारा श्री आर.बी. पुरी, श्री ओ.पी. खण्डेलवाल, श्री बी.एम. टाटिया श्री शान्ति स्वरूप एवं श्री एन.के. गुप्ता के तथाकथित गलत पंजीयन के सम्बन्ध में दिनांक 4.1.96 को लिखे पत्र के द्वारा शिकायत प्रेषित की गई थी जिसकी प्रति संलग्न है। धारा 36 (1) के तहत राज्य फार्मेसी कौंसिल की एक्जीक्यूटिव कमेटी को ही नाम हटाने हेतु आदेश पारित करने का अधिकार है। उक्त शिकायत दिनांक 4.1.96 पर एक्जीक्यूटिव कमेटी द्वारा दिनांक 24.3.96 को सम्पन्न मीटिंग में विचार किया गया एवं पाया कि श्री के. एन. गुप्ता का पंजीयन फार्मेसी एक्ट 1948 के प्रावधानों के तहत सही तरीके से किया गया है। कमेटी ने यह भी पाया कि श्री आर.बी. पुरी, श्री ओ.पी. खण्डेलवाल, श्री बी.एम. टाटिया एवं श्री शान्ति स्वरूप की फाइलें राज्य अन्वेषण ब्यूरो के पास गई हुई है जिससे इन व्यक्तियों से सम्बन्धित शिकायत पर फाइलें वापस आने पर ही विचार किया जा सकता है।

(4) उक्त व्यक्तियों के विरुद्ध श्री मुकुट बिहारी लाल द्वारा प्रेषित शिकायत में इनका नाम रजिस्टर ऑफ फार्मेसिस्ट से फार्मेसी एक्ट 1948 की धारा 36 (1) के तहत हटाने की मांग की गई है जिस पर नियमानुसार कौंसिल की एक्जीक्यूटिव कमेटी ने अपनी 24 3.96 की मीटिंग में गौर करके पैरा 3 के अनुसार निर्णय लिये

(राज्य मंत्री चिकित्सा एवं स्वास्थ्य)

थे जिससे नाम हटाये न जाने के कारण स्पष्ट है ।

(प्रति के लिये परिशिष्ट 11 देखें)

कोटा संभाग में स्थापित पेवर प्लान्ट

633. **श्री शांतिकुमार धारीवाल** (हिण्डौली) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा कोटा संभाग में डामरीकरण हेतु कोई पेवर प्लांट स्थापित किया गया था ? यदि हां, तो कब और इस पर कुल कितनी राशि व्यय की गई ?

(2) उक्त पेवर प्लांट की स्थापना के पश्चात् से वर्ष 1995-96 तक कुल कितने किलोमीटर सड़क का निर्माण कार्य करवाया गया ?

(3) क्या उक्त पेवर प्लांट वर्तमान में कार्यरत है ? यदि हां, तो क्या निर्माण कार्य करवाया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां । वर्ष 1995 के मई माह में पेवर प्लान्ट शुरू किया गया, इस पर कुल राशि 47.11 लाख रुपये व्यय की गई ।

(2) उक्त पेवर प्लांट की स्थापना के पश्चात् कोटा जिले में वर्ष 95-96 के अन्त तक 44.95 कि.मी. सड़क का नवीनीकरण किया गया ।

(3) जी हां, वर्तमान में इस प्लांट से कोटा शहर की विभिन्नसड़कों पर पुनः डामरीकरण (रिनुवल) कार्य करवाया जा रहा है ।

विधान सभा क्षेत्र डग में सड़कों/ पुलियाओं का निर्माण

634. **श्री बाबूलाल वर्मा** (डग) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) वर्ष 1993-94 से 1995-96 तक विधान सभा क्षेत्र डग में विभाग द्वारा कौन-कौनसी सम्पर्क सड़क का ग्राम पंचायत मुख्यालय को जोड़ने हेतु किस-किस स्कीम के अन्तर्गत निर्माण कराया गया है ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) इन सड़कों की लम्बाई व स्वीकृत राशि कितनी है एवं वर्तमान में सभी सड़कों की स्थिति क्या है? निर्मित सडकों की दूरी एवं निर्माण की गई पुलियाओं की संख्या का विवरण मय व्यय की गई राशि के सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) वर्ष 1993–94, 1994–95, 1995-96 में डग विधान सभा क्षेत्र विभाग द्वारा पंचायत मुख्यालयों को जोडने वाली सम्पर्क सड़कों के कराये गये निर्माण की योजना वार सूची परिशिष्ट "अ" सदन के पटल पर प्रस्तुत है ।

(2) इन सड़कों की कुल लम्बाई 82.90 कि. मी. है तथा इनकी स्वीकृत राशि 159.303 लाख रुपये है एवं इनकी वर्तमान स्थिति का विस्तृत विवरण संलग्न है । निर्माण कराई गयी सड़कों की कुल दूरी 74.90 कि.मी. है तथा इन सड़कों पर

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

निर्माण कराई गयी पुलियाओं की संख्या 30 है। इन सड़कों के निर्माण पर मार्च 96 तक कुल 111.98 लाख रुपये खर्च किये गये है। विस्तृत विवरण प्रपत्र "ग्र" में संलग्न है।

(सूची के लिये परिशिष्ट 12 देखें)

भोपालगढ़ (जोधपुर) में डाक बंगले का निर्माण

635. **श्री रामनारायण डूडी** (भोपालगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) डाक बंगला निर्माण के क्या मानदण्ड हैं ?

(2) राज्य में पिछले तीन वर्ष में कहां-कहां डाक बंगलों का निर्माण कराया गया? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या भोपालगढ़ जिला जोधपुर में डाक बंगला का निर्माण कराना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक उक्त डाक बंगला बनवा दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) राज्य सरकार द्वारा डाक बंगलों के निर्माण हेतु जारी निर्देशों की प्रति संलग्न हैं। (परिशिष्ट–क)

(2) 1. लक्ष्मणगढ़ (अलवर) (तहसील)

2. बाली (पाली) (उपखण्ड मुख्यालय)

3. बनेड़ा (भीलवाड़ा) (तह. मुख्यालय)

(3) वर्तमान में भोपालगढ़ डाक बंगले का निर्माण कराना सरकार के विचाराधीन नहीं हैं। उक्त डाक बंगले का निर्माण उपलब्ध वित्तीय संसाधनों पर निर्भर करेगा।

(प्रति के लिये परिशिष्ट 13 देखें)

विधान सभा क्षेत्र हिण्डोली की सम्पर्क सड़कें

636. **श्री शांति कुमार धारीवाल** (हिण्डोली) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने 1971 की जनगणना के अनुसार 1000 की जनसंख्या वाले गांवों को इसी वर्ष सड़क से जोड़ने की घोषणा की है ?

(2) विधान सभा क्षेत्र हिण्डोली में 1000 की जनसंख्या वाले कितने गांव हैं और उनमें से किन–किन गांवों को अब तक सड़क से जोड़ दिया गया है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र हिण्डोली के विजयगढ़, चेना, खिनिया, रामचन्द्रजी का खेड़ा, रानीपुरा, सोरन, सामथगढ़ आदि गांव ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या 1000 से अधिक है और उन्हें अभी तक सड़क से नहीं जोड़ा गया है ? यदि हां तो क्यों और ये ग्राम अब कब तक सड़क से जोड़ दिये जायेंगे ?

उत्तर

(1) जी हां, राज्य सड़क नीति के अनुसार 1971 की जनगणना के आधार पर 1000 से अधिक जनसंख्या वाले गांवों

56

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

को डामर सड़क से मार्च, 97 तक जोड़ने की योजना है।

(2) विधान सभा क्षेत्र हिण्डौली में 1971 की जनगणना के आधार पर 1000 से अधिक जनसंख्या वाले 29 गांव हैं। इनमें से अब तक 16 गांवों को डामर सड़क से, 2 गांव मेटल सड़क से एवं 9 गांव ग्रेवल सड़क से जोड़ दिये गये हैं। सूची (परिशिष्ट क) साथ में संलग्न है।

(3) जी नहीं। खीण्या गांव डामर सड़क से जोड़ा जा चुका है। विजयगढ़ (1274), चेना (1204), रामचन्द्रजी का खेडा (1250), रानीपुरा) (1440), सोरन (1389), सांवतगढ़ (1087), ग्रामों को ग्रेवल सड़क से जोड़ दिया गया है।

(सूची के लिये परिशिष्ट 14 देखें)

पुलियाओं पर टोलटैक्स की वसूली

637. **श्री रामनारायण मीणा** (नैनवां) एवं **श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत** (श्रीमाधोपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में कौन–कौन से मार्गों की किन–किन पुलियाओं पर टोलटैक्स कब से लिया जा रहा है ?

(2) इन स्थानों पर अब तक कितना टोलटैक्स वसूल किया जा चुका है ? प्रत्येक स्थान का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या टोलटैक्स वसूली का ठेका दिया जाता है ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) जिन पुलियाओं पर टोलटैक्स वसूल किया जा रहा है, उनके निर्माण पर कितना–कितना व्यय हुआ और टोलटैक्स के रूप में कितनी–कितनी राशि वसूल की जा चुकी है ? कितनी–कितनी राशि कब तक वसूल की जानी शेष है ?

उत्तर

(1) राज्य में संलग्न सूची के अनुसार वर्णित मार्गों/पुलियाओं पर उनके सामने अंकित दिनांक से विभाग द्वारा टोलटैक्स वसूल किया जा रहा है।

(2) इन स्थानों पर अब तक वसूल किया गया टोलटैक्स राशि उपरोक्त सूची के कालम 4 पर दर्शायी गई है। प्रत्येक स्थान का ब्यौरा सूची के कालम संख्या 2 पर दर्शाया गया है।

(3) जी, हां। प्रत्येक स्थान का ब्यौरा कालम संख्या 2 पर उपलब्ध है।

(4) हर एक पुलिया पर निर्माण में व्यय सूची 2 कालम संख्या 5 पर और इन पर अब तक वसूल हुई राशि का विवरण कालम सं. 4 पर और शेष राशि वसूल की जाने की सूचना कालम सं. 6 पर उपलब्ध है। लागत व्यय पर ब्याज और संधारण व्यय को जोड़ते हुए उसमें से वसूल की गई राशि घटाकर चक्रवृद्धि पद्धति से वसूल योग्य राशि की जब तक टोलटैक्स से पूर्ण वसूली नहीं हो जाती तब तक टोलटैक्स की वसूली जारी रखनी होगी। टोलटैक्स कितना प्राप्त होना इसका पूर्वानुमाव करना सम्भव नहीं होने से वसूली की अवधि की सूचना देना सम्भव नहीं है।

(सूची के लिये परिशिष्ट 15 देखें)

अलवर जिले में सड़क निर्माण हेतु अवाप्त भूमि का मुआवजा

638. **श्री जुबेर खान** (रामगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला अलवर में कस्बा रामगढ़ से गोविन्दगढ़ सड़क निर्माण के लिए काफी वर्षों पूर्व विभाग द्वारा भूमि का अधिग्रहण किया गया था ? यदि हां, तो किन शर्तों पर ?

(2) क्या यह भी सही है कि जिन काश्तकारों की जमीन इस सड़क में आई, उन्हें अभी तक भी उचित मुआवजा नहीं दिया गया ?

(3) उपरोक्त काश्तकारों को मुआवजा कब तक देने का सरकार का विचार है ?

उत्तर

(1) जी, हां । अलवर जिले में रामगढ़ से गौविन्दगढ़ सड़क निर्माण के लिए वर्ष 1971 में भूमि का अधिग्रहण किया गया था । राज्य सरकार द्वारा जनहित में सड़क निर्माण के लिए बिना शर्तों पर भूमि का अधिग्रहण किया जाता है ।

(2) ग्राम मिलकपुर के 24 काश्तकारों में से 12 काश्तकारों को मुआवजे की राशि के माह मार्च, 96 में चैक जारी कर दिये गये लेकिन 31.3.96 तक ऐनकेम नहीं होने के कारण दुबारा काटे जा रहे हैं तथा शेष 12 काश्तकारों को टाइटल इत्यादि विवादास्पद होने के कारण चैक जारी नहीं हो सके ।

(3) ग्राम मिलावण्ड के काश्तकारों को भूमि के मुआवजे का भुगतान इसी वित्तीय वर्ष में कर दिया जायेगा ।

डूंगरपुर जिले के पंचायत मुख्यालयों का डामरीकरण

639. **श्री शंकरलाल अहारी** (चौरासी): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1994–95 से 1996–97 तक जिला डूंगरपुर के किस–किस पंचायत मुख्यालय को डामर की सड़क से जोड़ दिया जायेगा ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या सरकार शेष पंचायत मुख्यालयों को भी डामरयुक्त सड़कों से जोड़ने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक, और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) वर्ष 1994-95 में डूंगरपुर जिले में 7 पंचायत मुख्यालय जोड़े गये (परिशिष्ट अ) वर्ष 1995–96 में 15 पंचायत मुख्यालय जोड़े गये (परिशिष्ट–ब) वर्ष 1996–97 में 2 पंचायत मुख्यालय जोड़े गये (परिशिष्ट–स)

(2) जी, हां । राज्य सड़क विकास नीति के अनुसार समस्त पंचायत मुख्यालयों को नवीं पंचवर्षीय योजना काल में डामर सड़क से जोड़ा जाना प्रस्तावित हैं ।

(सूची के लिये परिशिष्ट 16 देखें)

विधान सभा क्षेत्र बयाना में सड़कों की मरम्मत

640. श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा (बयाना) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या विधान सभा क्षेत्र बयाना में वर्ष 1995 में हुई अतिवृष्टि के बाद सड़क मरम्मत का कार्य पूर्ण हो गया है ? यदि हां, तो कौन-कौन सी सड़कों का । यदि नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) जिन सड़कों का डामरीकरण वर्ष 1995–96 तक पूर्ण होना था, उनमें से किन-किन सड़कों पर डामर का कार्य पूर्ण हो चुका है ? यदि नहीं, तो डामरीकरण कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) बयाना विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 1995 में हुई अतिवृष्टि के बाद सड़क मरम्मत के 7 स्वीकृत कार्यों में से 4 कार्य पूर्ण हो गये हैं । पूर्ण एवं अपूर्ण कार्यों का विवरण कारण सहित प्रपत्र "1" में संलग्न है ।

(2) सम्पर्क सडक खरैरी, बोरेली से कुनकुट सड़क एवं तुलसीपुरा से हरजूपुरा सड़क पर डामर का कार्य लक्ष्य के अनुसार 95–96 में पूर्ण हो चुका है । शेष 3 सड़कों का डामरीकरण वर्ष 96–97 में पूर्ण करा दिया जायेगा ।

(विवरण के लिए परिशिष्ट 17 देखें)

तहसील कोटपूतली (जयपुर) में सड़क निर्माण

641. श्री रामचन्द्र रावत (कोटपूतली) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) तहसील कोटपूतली (जयपुर) में वर्ष 1994-95 व 1995-96 में कौन-कौन सी सड़कों पर, कितनी-कितनी राशि किस-किस योजना के अन्तर्गत स्वीकृत की गई ?

(2) उक्त सड़कों पर कितनी-कितनी राशि, किस-किस मद पर किस प्रकार से खर्च की जा चुकी है ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली के ग्राम पूतली रोड से ग्राम अमाई तक की दो किलोमीटर सड़क निर्बन्ध योजनान्तर्गत स्वीकृत की गई है ? यदि हां, तो क्या उक्त सड़क का कार्य विभाग द्वारा किया जाना प्रस्तावित है ? यदि हां, तो अब तक कार्य चालू न किये जाने के क्या कारण हैं ?

उत्तर

(1) तहसील कोटपूतली (जयपुर) में वर्ष 1995–96 में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत विभिन्न सड़कों पर स्वीकृत राशि का विस्तृत विवरण परिशिष्ट "क" संलग्न हैं । वर्ष 1994–95 में किसी भी मद में स्वीकृति जारी नहीं की गई है ।

(2) तहसील कोटपूतली (जयपुर) में वर्ष 1995-96 में विभिन्न योजना मदों में खर्च की गई राशि का विवरण सड़क वार परिशिष्ट 'क' संलग्न है ।

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

(3) जी, हां। विभाग द्वारा उक्त सड़क का कार्य दिसम्बर 1995 में प्रारम्भ किया गया था लेकिन जमीन के विवाद के कारण रोक दिया जाना पड़ा।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

सड़क निर्माण कार्यों में ठेकेदारों के विरुद्ध शिकायतें

642. श्री गोपीराम जाट (आमेर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर के ग्रामीण एव शहरी क्षेत्रों की सड़कों पर वर्ष 1995–96 में कितनी राशि व्यय की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि तहसील फुलेरा के लालपुरा मोड़ से खेड़ी लोहरवाड़ा वाया हिंगोनिया से खीरवा, मादवा से लुणवा के रेनकट मार्च/अप्रेल, 1996 तक भी ठीक नहीं हुये ? यदि हां, तो इसके लिए कौन उत्तरदायी है और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह भी सही है कि जोबनेर से फुलेरा सड़क के दोनों ओर मोरम के स्थान पर मिट्टी डलवा कर मोरम का भुगतान ठेकेदार को किया गया है ? क्या सरकार इस प्रकार के काम करने वाले अभियन्ता के विरुद्ध कोई कार्यवाही करेगी? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

(4) सड़क मरम्मत व रेनकट के लिए सरकार की क्या नीति है ? क्या उसकी पालना हो रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जयपुर जिले को ग्रामीण एवं शहरी सड़कों पर वर्ष 1995–96 में क्रमशः 1454.17 लाख एवं 1000.09 लाख रुपये व्यय किये गये जिसका विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत है। परिशिष्ट "अ"

(2) जी, नहीं। तहलील फुलेरा से लालपुरा मोड से खेड़ी लोहरवाड़ा वाया हिंगोनिया, मादवा, से लूणवा एवं हिंगोनिया से खीरवा के रेनकट माह अप्रेल, 96 से पूर्व पूर्ण करा दिये गये थे।

(3) जी, नहीं। जोबनेर से फुलेरा सड़क के दोनों ओर अनुबन्ध के अनुसार पटरी का सुदृढ़ीकरण पहले मिट्टी डालकर व उसके ऊपर मोरम (क्वायरी रबिस) डालकर कुटाई कर स्पेसिफिकेशन के अनुसार कार्य पूर्ण किया गया तथा भुगतान अनुबन्ध के अनुसार ही किया गया है। अतः किसी भी अभियन्ता के विरुद्ध कार्यवाही वांछनीय नहीं है।

(4) विभागीय प्रथा के अनुसार सड़क मरम्मत माह मई, जून व सितम्बर, अक्टूम्बर में तथा रेनकट का कार्य माह जुलाई, अगस्त, सितम्बर में किया जाता है। इसकी पूर्ण रूप से पालना की जाती है।

(विवरण के लिए परिशिष्ट 18 देखें)

विधान सभा क्षेत्र हिण्डौन की क्षतिग्रस्त सड़कें

643. श्री कमल (हिण्डौन) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री कमल)

(1) क्या विधान सभा क्षेत्र हिण्डौन में पिछले वर्ष अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत की जा चुकी है ? यदि नहीं, तो क्यों तथा इसके लिए कौन जिम्मेदार है ?

(2) कौन-कौन सी सड़कों की मरम्मत की गई है तथा कौन-कौन सी सड़कें अभी मरम्मत योग्य है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) हिण्डौन विधान सभा क्षेत्र में पिछले वर्ष अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत की जा चुकी हैं। डामर के अभाव में हिण्डौन-खरेटा-कोटरी सड़क एवं हिण्डौन बरगमा सड़क की मरम्मत नहीं कराई जा सकी हैं। अतः किसी के जिम्मेदार होने का प्रश्न नहीं उठता।

(2) मरम्मत की गई तथा अधूरी सड़कों की सूचना परिशिष्ट 'क' में संलग्न हैं।

(सूचना के लिए परिशिष्ट 19 देखें)

विधान सभा क्षेत्र में रेवदर की सड़कों का निर्माण

644. श्री जयन्ति लाल कोली (रेवदर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सम्बल योजनान्तर्गत विधान सभा क्षेत्र रेवदर की कितनी सड़कें स्वीकृत हैं ? इनकी निविदाएं आमंत्रित कर ठेकेदार को कार्य आदेश कब जारी किया गया, ये सड़कें कब तक पूर्ण हो जायेंगी ?

(2) अब तक के समयानुपात में क्या प्रगति हुई ? मैटीरियल जो उपयोग में लिया जा रहा है, क्या वह गुणवत्ता में सही नहीं है ? यदि हां, तो क्या इसकी जांच करवाई गई ?

(3) सिरोही आबूपर्वत (वाया गुलाबगंज) सड़क पर अब तक सरकार द्वारा कुल कितना व्यय किया गया, सड़क की स्थिति क्या है ? शेष सड़क को सरकार कब तक पूर्ण करवाने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) उक्त क्षेत्र की पंचायत मुख्यालय जिसकी वर्ष 1981 की जनगणना में जनसंख्या 1500 थी, उसको आज तक सड़क से नहीं जोड़ने के क्या कारण हैं ? अब कब तक इस पंचायत मुख्यालय को सड़क से जोड़ दिया जायेगा ?

(5) क्या यह सही है कि सिरोही–मंडार डीसा सड़क पर जो पुल का निर्माण कार्य टी.सी.आई. कम्पनी द्वारा करवाया जा रहा है, इसके निर्माण कार्य में जो पत्थर काम में लिए जा रहे हैं वे कच्चे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार ने इनकी गुणवत्ता की जांच करवाई है ? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सम्बल योजना के अन्तर्गत रेवदर विधान सभा क्षेत्र में 8 सड़कों की स्वीकृति है। जिनका एक पैकेज बनाकर निविदायें आमंत्रित कर ठेकेदार को माह फरवरी, 1996 में कार्य आदेश जारी किया गया

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

था। यह सभी सड़कें 31 मार्च, 1997 तक पूर्ण हो जायेगी।

(2) उक्त कार्य 11 माह में पूर्ण होना है तथा पांच माह के समय में 30 प्रतिशत कार्य पूर्ण हुआ है। प्रयोग में लिया जाने वाला मैटीरियल गुणवत्ता में सही हैं जो कि समय पर प्रयोगशाला में टेस्ट किया जाता है।

(3) सिरोही आबू पर्वत (वाया गुलाब-गंज) सड़क पर अब तक 83.86 लाख रुपये का व्यय हो चुका है, कुल सड़क की लम्बाई 23 किमी. में से 6 किमी. डामरीकरण, 2 किमी. ग्रेवल सड़क, 15 किमी. में रोक कटिंग का कार्य किया गया है। वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र में से सड़क निर्माण कार्य होने से वन विभाग की इस सड़क निर्माण हेतु सहमति नहीं है अतः निर्माण करवाना सम्भव नहीं है।

(4) रेवदर विधान सभा क्षेत्र में 31 पंचायत मुख्यालय हैं जिनका वर्ष 1981 की जनगणना में जनसंख्या 1500 या इससे अधिक है। इसमें से 30 पंचायत मुख्या-लयों को डामर से जोड़ा जा चुका है। एक मात्र पंचायत श्रामलारी ग्रेवल सड़क से जुड़ा हुआ है जिसका डामरीकरण वर्ष 96–97 की वार्षिक योजना में प्रस्ता–वित है।

(5) यह कार्य बी. ओ. टी. के तहत करवाया जा रहा है तथा उचित पत्थर का ही कार्य में उपयोग लिया जा रहा है।

पुल निर्माण निगम द्वारा किये गये निर्माण कार्य

645. श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान पुल एवं निर्माण निगम की स्थापना कब हुई है? गत तीन वर्षों का हानि लाभ का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त निगम ने गत तीन वर्षों में क्या क्या कार्य किये हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान स्टेट ब्रिज एण्ड कन्स्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लि. की स्थापना 8 फरवरी, 1979 को हुई थी। गत तीन वर्षों में निगम ने वर्ष 1992–93 में 76.82 लाख रुपये, वर्ष 1993–94 में 77.79 लाख रुपये एवं वर्ष 1994–95 में 166.19 लाख रुपये का शुद्ध लाभ अर्जित किया है।

(2) निगम द्वारा गत 3 वर्षों में किये गये कार्यों का विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

उपखण्ड मुख्यालय केकड़ी पर अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय की स्थापना

646. श्री शंभूदयाल बड़गूजर (केकड़ी) : क्या विधि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

62

(श्री शम्भूदयाल बड़गूजर)

(1) क्या सरकार केकड़ी उपखण्ड मुख्यालय पर अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(2) क्या केकड़ी उपखण्ड मुख्यालय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय के लिए निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप है ।

उत्तर

(1) जी, नहीं । फिलहाल केकड़ी उपखण्ड मुख्यालय पर अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय स्थापित करने का मामला राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है ।

(2) जी, नहीं । केकड़ी उपखण्ड मुख्यालय से सम्बन्धित मुकदमों की संख्या निर्धारित मानदण्ड 1000–1200 मुकदमों से कम है ।

मोटर दुर्घटना न्यायालय भीलवाड़ा में विचाराधीन प्रकरण

647. श्री बनवारी लाल शर्मा (धौलपुर) : क्या विधि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे –

(1) जिला भीलवाड़ा में मोटर दुर्घटना न्यायालय में कुल कितने प्रकरण कब–कब से विचाराधीन हैं एवं क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) गत दो वर्षों में जिला भीलवाड़ा में इन प्रकरणों के लिये कब–कब आपसी समझौते से निर्णय के लिये लोक अदालत लगाई गई ? इनमें कितने प्रकरणों में फैसले हुये ? नाम, केस नम्बर सहित विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) परिवाद संख्या 728/92 एवं 893/92 में कब–कब सुनवाई हुई और इसे कब–कब आपसी समझौते के लिये लोक अदालत में रखा गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(4) उक्त परिवाद में कितने मृतकों के आश्रितों को आंशिक एवं पूर्ण दुर्घटना राशि मिल चुकी है और कितनों को देना शेष है ? शेष प्रकरण का अभी तक निस्तारण नहीं होने एवं किसी भी प्रकार की राशि नहीं देने का क्या कारण है और कब तक निस्तारण करने का सरकार का विचार है ?

(5) मोटर दुर्घटना में मृतकों के आश्रितों को शीघ्र राहत मिले, इसके लिये सरकार के क्या नियम हैं और इसमें क्या सुधार करने का सरकार का विचार है ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) भीलवाड़ा में मोटर दुर्घटना न्यायालय में कुल प्रकरण निम्न सत्रों में विचाराधीन है :–

दिनांक 1. 7. 96 की स्थिति :–

वर्ष 1	विचाराधीन प्रकरण 2
1987	02
1988	08

(राज्य मंत्री, विधि)

1	2
1989	37
1990	30
1991	60
1992	62
1993	162
1994	363
1995	339
1996	254
कुल	1317

प्रकरणों के निस्तारण में विलम्ब का मुख्य कारण विपक्षीगणों (वाहन स्वामी एवं चालकों) की तामिल देरी से होना है व गवाह नहीं आने के कारण प्रकरण निस्तारित नहीं हो पाते है ।

(2) भीलवाड़ा में गत दो वर्षों में जिन तारीखों में लोक अदालतों का आयोजन किया गया :–

वर्ष 1994

23.7.94, 23.8.94, 6.9.94, 15.11.94, 25.11.94. 14.12.94, 22.12.94 ।

वर्ष 1995

25.1.95, 22.3.95, 25.4.95, 8.6.95, 27. 6. 95, 28.7.95, 29.9.95, 17.10.95, 3.11.95, 13. 12. 95 एवं 19. 12. 95.

वर्ष 1996

30.1 96, 22.2.96, 26.2.96, 24.5.96, एवं 25.6.96 ।

गत दो वर्षों में इस न्यायालय में 300 फैसले हुए जिनके नाम, मुकदमा नम्बर एवं उनवान संलग्न सूची में अंकित है ।

(3) प्रकरण संख्या 728/92 में निम्न तारीखों को सुनवाई हुई :–

28.3.92, 20.5.92, 11.8.92, 18.11.92, 12.1.93, 30.1.93, 3.5.93, 29.5.93, 19.7.93, एवं 24.11.93, 18.2.94, 7.3.94 9.5.94, 9.8.94, 21.12.94, 10.4.95, 18.7.95, 16.10 95, 6.3.96, 11.6.96 व इस प्रकरण में आगामी तारीख पेशी 23.10.96 नियत है ।

प्रकरण संख्या 893/92 में निम्न तारीखों को सुनवाई हुई :–

11.11.92, 26.12.92, 30.1.93, 3.5.93, 29.5.93, 19.7.93, 24.11.93, 18.2.94, (तारीख 18. 2. 94 को इस प्रकरण की प्रकरण संख्या 728/92 के साथ संलग्न किये जाने का आदेश दिया गया ।)

उक्त दोनों प्रकरण को 30.1.93 व 19.7.93 को लोक अदालत में रखा गया व 25.6.96 को लोक अदालत में रखा गया था, जिसमें 105000/– में राशि तय हुई परन्तु प्रार्थीगणों की ओर से बावजूद हिदायत राजीनामा पेश नहीं हुआ है ।

(4) उक्त प्रकरण में किसी भी प्रकार की कोई राशि नहीं दिलायी गयी है क्योंकि प्रकरण विपक्षीगण की तलबी के कारण लम्बित है । वकील प्रार्थी द्वारा 28.3.92,

(राज्य मंत्री, विधि)

18.11.92, 3.2.93, 8.3.96 तारीखों का नोटिस तलबाना पेश किये गये, जो जारी किये गये किन्तु तामील नहीं हुई। शेष तारीखों में वकील प्रार्थी द्वारा नोटिस पेश नहीं किये गये जिससे प्रकरण के निस्तारण में विलम्ब हो रहा है। विपक्षीगण ड्राईवर रत्नसिंह आत्मज श्री तेजसिंह पुलिस थाना गजालवा जिला उधमपुर (जम्मू-कश्मीर) तथा दूसरा विपक्षी मालिक श्री श्यामलाल आत्मज विश्वनाथ गुप्ता निवासी सुठेजा, थाना सतवारी, जिला जम्मू (जम्मू-कश्मीर) के निवासी हैं जिनके नोटिस वास्ते तामील जिला न्यायालय उधमपुर तथा जिला न्यायालय जम्मू भेजे गये किन्तु तामील होकर प्राप्त नहीं हुए। नोटिस तामील होकर प्राप्त नहीं होने प्रकरण निस्तारण में विलम्ब हो रहा है तथा अन्तरिम अवार्ड पारित नहीं किया जा सका। प्रार्थीगणों द्वारा तामील व राजीनामा पेश न करने से विलम्ब हो रहा है।

(5) मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 140, 163, 163-ए, एवं 165 सहपठित 166 व राजस्थान मोटरयान 1990 के प्रावधानों के अन्तर्गत मोटर दुर्घटना में मृतकों की क्षतिपूर्ति के प्रावधान है। धारा 140 के प्रावधानों के अन्तर्गत और शीघ्र राहत को सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन केन्द्रीय सरकार को प्रस्तावित कर रही है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

महिला डेयरी परियोजना सीकर एवं भीलवाड़ा

648. **श्री जुबेर खान** (रामगढ़) एवं **श्री राजेन्द्र चौधरी** (बिलाड़ा) : क्या दुग्ध विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में कहां-कहां व किस-किस दुग्ध उत्पादक सहकारी संघों में महिला परियोजनाएं कार्यरत हैं ?

(2) सीकर एवं भीलवाड़ा जिला दुग्ध उत्पादक संघों में इस वर्ष 1991 में द्वितीय चरण के अन्तर्गत महिला डेयरी परियोजना के तहत किन-किन कर्मचारियों/अधिकारियों को किन-किन शर्तों पर नियुक्तियां दी गई ? जिलेवार नाम, पद नियुक्ति प्रमाण-पत्र व शर्तों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) कितने अधिकारी/कर्मचारी द्वितीय चरण में किस-किस तिथि से कार्यरत हैं ? नाम, पद सेवा अवधि दर्शाते हुये सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या कुछ अधिकारी/कर्मचारियों को सेवा से हटा दिया गया है ? यदि हां, तो किन-किन को क्यों तथा कितनी सेवा अवधि किये जाने के उपरान्त ?

(5) क्या यह सही है कि कुछ कर्मचारी/अधिकारी द्वितीय चरण की समाप्ति के उपरान्त अभी भी सेवारत हैं ? यदि हां, तो जिन शर्तों के तहत अधिकारी/कर्मचारी हटाये गये हैं, क्या वे शर्तें वर्तमान में द्वितीय चरण के तहत अब भी कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों पर लागू नहीं

(श्री जुबेर खान)

होती हैं ? यदि हां, तो किस आधार पर ?

(6) क्या सरकार हटाये गये अधिकारियों/कर्मचारियों को भविष्य में विभिन्न जिलों में रिक्त पदों के विरुद्ध आमेलित (एवजॉर्व) करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं तो, क्यों ?

उत्तर

(1) वर्तमान में महिला डेयरी परियोजना, राज्य के जयपुर, जोधपुर, अजमेर, पाली, बीकानेर, बांसवाड़ा, श्रीगंगानगर, उदयपुर, भीलवाड़ा, सीकर एवं चूरू जिलों में स्थित जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघों में कार्यरत है ।

(2) सीकर एवं भीलवाड़ा दुग्ध संघ में महिला डेयरी परियोजनान्तर्गत वर्ष,1991 में किसी भी कर्मचारी/अधिकारी की नियुक्ति नहीं की गई हैं । द्वितीय चरण वर्ष 1992 93 में प्रारम्भ हुआ ।

(3) द्वितीय चरण में सीकर व भीलवाड़ा में कार्यरत कर्मचारियों की सूची परिशिष्ट-"क" सदन के पटल पर प्रस्तुत है ।

(4) जी, हां । श्रीमती शाहिना जाहिद को अनुबन्ध शर्तों के आधार पर कार्यमुक्त किया गया । इनकी कार्य अवधि दिनांक, 17.6.1992 से 8.10.95 तक सीकर दुग्ध संघ में रही ।

(5) द्वितीय चरण की गतिविधियां वर्तमान में भी जारी हैं । जो भी अधिकारी/कर्मचारी हटाये गये हैं । वे अनुबन्ध शर्तों के अनुसार ही हटाये गये हैं ।

(6) जी, नहीं । जो भी अधिकारी/कर्मचारी हटाये गये हैं वे अनुबन्ध शर्तों के अनुसार ही हटाये गये हैं ।

(सूची के लिये परिशिष्ट 20 देखें)

राजस्थान सहकारी डेयरी फैडरेशन का विकेन्द्रीकरण

649. **श्री गोविन्द सिंह गुर्जर** (नसीराबाद) : क्या डेयरी विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड से राजस्थान को-ऑपरेटिव डेयरी फैडरेशन में कितने अधिकारियों को पदस्थापित किया गया ? उनके मूल विभाग एवं स्थानान्तरित विभाग में उनका मूल वेतन एवं पद नाम क्या है ?

(2) राजस्थान को-ऑपरेटिव डेयरी फैडरेशन में दिनांक 1 अप्रेल, 1992 से कितने पद रिक्त हुए, उन्हें भरने के लिये क्या प्रक्रिया अपनाई गई ? क्या यह सही है कि सरकार/चेयरमैन द्वारा अधिकारियों/कर्मचारियों की परिवेदनाओं की ओर बार-बार ध्यान दिलाये जाने पर भी कोई कार्यवाही नहीं की जाती है ? यदि हां, तो ऐसे कितने आवेदन-पत्र विचाराधीन हैं ?

(3) क्या यह सही है कि राजस्थान सहकारी डेयरी फैडरेशन के संचालन मण्डल की 47वीं बैठक में विपणन व्यवस्था पुर्नसंगठित करने का निर्णय लिया गया था एवं जनवरी, 1992 में मा मुख्य मंत्री, राजस्थान सरकार एवं डा. कुरियन, अध्यक्ष

(श्री गोविन्द सिंह गुर्जर)

राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के बीच राजस्थान सहकारी डेयरी फैडरेशन के घाटे को कम करने के लिए मंत्रणा हुई थी ? यदि हां, तो क्या उक्त मंत्रणा के अनुरूप कार्यवाही की गई ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या अप्रेल, 1996 से विपणन व्यवस्था को विकेन्द्रित कर जिला दुग्ध संघों के हाथ में दे दिया गया ? यदि हां, तो क्या यह सरकार द्वारा निर्धारित आर. सी. डी. एफ. के स्वरूप के निर्णय के विपरीत नहीं है ? यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

उत्तर

(2) राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड से वर्तमान में राजस्थान को-ऑपरेटिव डेयरी फैडरेशन में 8 अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापित हैं। जिनका विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है एवं 21 अधिकारी सैकण्डमेंट पर पदस्थापित हैं, जिनका विवरण परिशिष्ट-"ख" पर संलग्न है।

(2) राजस्थान को-ऑपरेटिव डेयरी फैडरेशन जयपुर में दिनांक 1.4.92 से सेवानिवृत्ति/त्यागपत्र सेवा समाप्ति/अपग्रेड/मृत्यु आदि के कारण निम्नांकित पद रिक्त हुए हैं :—

पद का नाम	रिक्त पदों की संख्या
महाप्रबन्धक	02
प्रबन्धक (पी एण्ड आई)	07

1	2
प्रबन्धक (संयंत्र)	01
सहा. प्रबन्धक (लेखा)	02
सहा. प्रबन्धक (क्यूसी)	01
ड्राफ्टमैन	01
कनिष्ठ सहायक	02
वाहन चालक	01
कुल :—	17

आर. सी. डी. एफ. के विभिन्न दुग्ध संघों में कार्यरत कर्मचारियों को जिला दुग्ध संघों की सेवाओं में पूर्णरूप से समामेलन नहीं होने के फलस्वरूप स्पष्ट रूप से रिक्त पदों की सूचना नहीं आंकी जा सकती।

यह कि आर. सी. डी. एफ. के स्टाफ स्ट्रेन्थ के नये संगठन (New Setup) पर अभी पूर्ण रूप से निर्णय नहीं होने से यह सुनिश्चित नहीं हो पाया हैं कि आर. सी. डी. एफ. में कार्य की दृष्टि को देखते हुए कितनी जनशक्ति (Manpower) की आवश्यकता होगी इस कारण रिक्त पदों को भरने के सम्बन्ध में अभी कोई प्रक्रिया नहीं अपनाई गई है।

जी, नहीं। सरकार या चेयरमैन से प्राप्त परिवेदनाओं पर नियमानुसार कार्यवाही की जाती है।

(3) जी, हां। उक्त मंत्रणा के क्रम में राजस्थान को-ऑपरेटिव डेयरी फैडरेशन/जिला दुग्ध संघों का प्रबन्ध घाटा कम करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड को दिनांक 1.4.92 से स्थानान्तरित किया गया।

(राज्य मंत्री डेयरी विकास)

(4) आर. सी डी. एफ. के संचालक मण्डल द्वारा लिये गये निर्णयानुसार विपणन व्यवस्था को अधिक सुदृढ़ करने हेतु प्रयोगात्मक तौर पर दुग्ध उत्पादों का जिला स्तर पर विपणन संघों को विकेन्द्रित किया गया है। राज्य स्तरीय एवं राष्ट्र स्तरीय विपणन व्यवस्था आर. सी. डी. एफ. के अन्तर्गत है।

(विवरण के लिये परिशिष्ट 21 देखें)

पंचायत समिति, उदयपुरवाटी (झुन्झुनू) में खुर्रा निर्माण प्रकरण

650. **श्री शिवनाथ सिंह** (गुढ़ा) : क्या विशिष्ट योजना संगठन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति उदयपुरवाटी, जिला झुन्झुनूं के ग्राम मौडकी में खुर्रा निर्माण हेतु वर्ष 1995–96 में विधायक कोष से करीब सात हजार रुपये की स्वीकृति से निर्माण कार्य करवाया गया था ?

(2) यदि हां, तो इस कार्य पर कितना व्यय हुआ तथा कितना कार्य पूर्ण हुआ, तथा कितना कार्य बाकी रहा ?

(3) क्या यह सही है कि इस निर्माण कार्य पर व्यय का हिसाब बिलवाउचर, मस्टररोल आदि सम्बन्धित ग्राम सेवक तथा मेट द्वारा पंचायत समिति, उदयपुरवाटी में पेश कर दिया गया है लेकिन अभी तक मजदूरों तथा सामान वालों को कोई भुगतान नहीं किया गया है। यदि हां, तो भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी, हां। ग्राम मौडकी में खुर्रा निर्माण हेतु रु. 7000/– की स्वीकृति जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, झुन्झुनूं के आदेश क्रमांक 5851–60 दि. 11.7.95 द्वारा जारी की गई थी, निर्माण कार्य अभी अपूर्ण है।

(2) कनिष्ठ अभियन्ता, पंचायत समिति, उदयपुरवाटी के मूल्यांकन के अनुसार इस कार्य पर रु. 5260/– का कार्य करवाया गया है तथा लगभग 60 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो गया है। 40 प्रतिशत कार्य अभी बाकी है। वर्तमान में कार्य बन्द है।

(3) ग्राम सेवक, ग्राम पंचायत मौडकी द्वारा किये गये कार्य के मस्टररोल एवं वाउचर्स आदि पंचायत समिति को प्रस्तुत किये गये थे परन्तु पंचायत समिति द्वारा इनमें कमी पाये जाने पर आक्षेप लगा कर मूल रूप से ग्राम पंचायत मौडकी को लौटा दिया गया। इस सम्बन्ध में अभिकरण, झुन्झुनू से विस्तृत सूचना प्राप्त की जा रही है, जिसके आधार पर अग्रिम कार्यवाही करना सम्भव होगा।

ग्राम आसोटा, (नागौर) के प्राथमिक विद्यालय में निर्माण कार्य

651 **श्री हरजीराम बुरडक** (लाडनूं): क्या विशिष्ट योजना संगठन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम आसोटा पंचायत समिति लाडनूं, जिला नागौर के प्राथमिक विद्यालय के भवन निर्माण हेतु जिला ग्रामीण विकास अभिकरण नागौर

(श्री हरजीराम बुरडक)

द्वारा ढाई लाख रुपये स्वीकृत किये गये हैं? यदि हां, तो किसके प्रस्ताव पर ?

(2) क्या यह सही है कि इस प्राथमिक विद्यालय में पूर्व में ही पांच कमरे बने हुये थे ? यदि हां, तो इनका निर्माण कब–कब हुआ तथा ग्राम ग्रासोटा की ग्राबादी सन् 1991 की जनगणना के ग्रनुसार कितनी है?

(3) यह विद्यालय सर्वप्रथम कब खुला तथा विद्यालय खुलने का वर्ष कमरों की संख्या के बारे में पंचायत समिति से जानकारी कब प्राप्त की गई तथा समिति ने क्या जानकारी दी ?

(4) इस पंचायत के नये चुनाव होने के बाद ग्रब तक जिला ग्रामीण विकास ग्रभिकरण व ग्रकाल राहत के तहत कितनी कितनी राशि के किस–किस गांव के लिये किस–किसके प्रस्ताव से कौन–कौन से कार्य स्वीकृत किये गये तथा इस पंचायत में कुल कितने गांव हैं एवं उनकी ग्राबादी वर्ष 1991 की जनगणना के ग्रनुसार कितनी-कितनी है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। ग्राम ग्रासोटा पंचायत समिति लाडनूं जिला नागौर में स्वीकृत राजकीय प्राथमिक विद्यालय दो कमरे मय बरामदा व टांकी निर्माण के लिए सुनिश्चित रोजगार योजनान्तर्गत राशि रु. 2.50 लाख की स्वीकृति पत्रांक ई.ए.एस./95/621 दिनांक 11.1.96 द्वारा की गई थी। यह स्वीकृति जिला परिषद, नागौर के जिपना/शिक्षा/95/129 दिनांक 9.1.96 के संदर्भ में प्रेषित की गई थी। जिसमें ग्राम ग्रासोटा में प्राथमिक विद्यालय की नवीन स्वीकृति से सूचित किया गया था।

(2) जी हां। पूर्व निर्मित प्राथमिक विद्यालय में स्वीकृति से पूर्व 4 कमरे बने हुए थे। इनमें से एक कमरा विकास विभाग द्वारा तथा 3 कमरों का निर्माण काम के बदले अनाज योजनान्तर्गत कराया गया था। इस सम्बन्ध में पूर्ण विवरण जिला ग्रामीण विकास ग्रभिकरण, नागौर से प्राप्त किया जा रहा है। वर्ष 1991 की जनगणना के ग्राधार पर ग्राम ग्रासोटा की ग्राबादी 236 है।

(3) यह विद्यालय सर्वप्रथम विकास विभाग के आदेश क्रमांक एफ-5/ग्रवि/शिक्षा (प्राथमिक)/95–96/2305 दिनांक 23.12.95 के द्वारा खोला गया था। मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, नागौर ने उनके पत्रांक: जिप/शिक्षा/95 2180–82 दिनांक 15.1.96 के द्वारा विकास ग्रधिकारी लाडनूं को राज्य सरकार द्वारा खोले गए नवीन कार्यों की सूचना देते हुए भवन स्टाफ के प्रस्ताव चाहे गए थे। इस सन्दर्भ में विकास अधिकारी लाडनूं ने उनके पत्र क्रमांक: शिक्षा/95-96/1107 दिनांक 30.1.96 द्वारा निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर को इस ग्राम में पूर्व में ही विद्यालय होने की सूचना दी थी तथा ग्रग्रिम आदेश चाहे थे। परन्तु जिला ग्रामीण विकास ग्रभिकरण, नागौर को इस सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं दी तथा विद्यालय भवन का निर्माण भी करा दिया। इस सम्बन्ध में विकास ग्रधिकारी, लाडनूं के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है।

(राज्य मंत्री विशिष्ट योजना संगठन)

(4) ग्राम पंचायत आसोटा में नये चुनाव होने के बाद से जून, 96 तक जिला ग्रामीण विकास अभिकरण की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत तथा अकाल राहत कार्यक्रम के अन्तर्गत रु. 4.00 लाख की अनुमानित लागत राशि में स्वीकृत किये गये थे जिनका विवरण निम्न प्रकार है :–

क्र. सं.	स्वीकृत कार्य का नाम	स्वीकृत राशि	योजना का नाम	किस प्रस्ताव पर
1.	रा. प्रा. वि आसोटा में दो कमरे मय बरामदा तथा टांका निर्माण	2.50	आश्वासित रोजगार योजना	मुख्य कार्यकारी अधि. जि. प. नागौर
2.	रा. प्रा. वि. आसोटा में चार दिवारी निर्माण	1.00	फैमिन रिलीफ	पं. समिति व ग्रा पंचायत
3.	पानी का नाला निर्माण	0.50	फैमिन रिलीफ	ग्राम पंचायत

1.00 लाख

इस ग्राम पंचायत में कुल 5 ग्राम हैं, जिसकी वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार आबादी निम्नानुसार है :—

1.	आसोटा	236
2.	खानपुर	817
3.	मीयाणी	249
4.	पदमपुरा	428
5.	डाबड़ी	1073

पंचायत समिति बामनवास (सवाई माधोपुर) में विकास कार्यों में अनियमितता प्रकरण

652. **श्री हीरालाल मीणा** (बामनवास) : क्या विशिष्ट योजना संगठन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति बामनवास में विकास अधिकारी की मनमानी से स्थानीय ग्राम पंचायतों के सरपंचों से निर्माण कार्य नहीं करवाकर अपने व्यक्तियों से व पंचायत समिति के कनिष्ठ अभियन्ता के माध्यम से करवाये जाते हैं ? यदि हां, तो वर्ष 1994–95 व 1995–96 में पंचायत समिति क्षेत्र में ग्राम पंचायत के अतिरिक्त कौन-कौन सी योजनाओं का कार्य किस-किस के माध्यम से करवाया जा रहा है ?

(2) पंचायत समिति बामनवास में दिनांक 18 जून, 1991 से 31 जनवरी, 1995 तक कितनी-कितनी राशि के कितने कार्य करवाये गये और स्वीकृत कार्य किस-किस के माध्यम से करवाये गये ? सूची सदन की मेज पर रखें । मेजरमेन्ट में कितनी

(श्री हीरालाल मीणा)

कितनी राशि एम. बी. रिकार्ड के अनुसार उठाई गई ?

(3) क्या यह सही है कि पंचायत समिति, बौली में चल रहे निर्माण कार्य का सरपंचों के चैकों पर काउंटर हस्ताक्षर नहीं होने से निर्माणधीन कार्य अपूर्ण रहने की सम्भावना है ? क्या इस समस्या से जिला कलक्टर, सवाई माधोपुर को भी अवगत करा दिया गया था ? यदि हां, तो अब तक उन द्वारा क्या कार्यवाही हुई ?

(4) क्या यह सही है कि पंचायत समिति बामनवास में सरपंचों को समय पर भुगतान नहीं मिलने से पंचायतों के माध्यम से करवाये जा रहे निर्माण कार्य अपूर्ण रहे गये ? यदि हां, तो क्यों ? अब कब तक इनका भुगतान करवा दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी, नहीं। पंचायत समित बामनवास में स्थानीय ग्राम पंचायतों के निर्माण कार्य सरपंचों के माध्यम से करवाये गये हैं। वर्ष 1994-95, 1995-96 में 27 कार्य पंचायत समिति स्तर से कनिष्ठ अभियन्ता के माध्यम से सम्पादित करवाये गये हैं जिनका योजनावार विवरण परिशिष्ट "अ"-पर संलग्न हैं।

(2) पंचायत समिति बामनवास में दिनांक 18.6.91 से 31.1.95 तक की अवधि में करवाये गये निर्माण कार्य एवं स्वीकृत राशि तथा कार्यकारी एजेन्सी का कार्यवार विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न हैं। प्रशासकों के मूल प्रार्थना पत्रों पर कनिष्ठ अभियन्ता की अभिशंसा के आधार पर अग्रिम राशि का भुगतान किया गया है। ग्रामीण कार्य निर्देशिका के पैरा 13.1 के अनुसार निर्माण कार्यों की माप पुस्तिका भरने का प्रावधान नहीं है।

(3) सरपंचों को जारी किये गये चैकों पर प्रधान द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किये जाते हैं। चैकों पर विलम्ब से प्रतिहस्ताक्षर होने की स्थिति में किसी भी निर्माणाधीन कार्य के अपूर्ण रहने की संभावना नहीं है। जिला कलक्टर सवाई माधोपुर द्वारा उक्त प्रकरण में परिक्षण करवाये जाने पर यह पाया गया कि दिनांक 14.4.96 से 17.6.96 की अवधि में प्रधान को प्रतिहस्ताक्षर हेतु चैक तीन-चार बार प्रस्तुत किये गये हैं। इन संदर्भ में प्रधान पंचायत समिति बौली से चैकों पर शीघ्र ही प्रतिहस्ताक्षर करने हेतु अनुरोध कर दिया गया है।

(4) जी, नहीं। पंचायत समिति बामनवास में सरपंचों को निर्माण कार्यों के लिए उनकी मांग के आधार पर प्रयोजित समय पर अग्रिम दिया गया है। जिससे राशि के अभाव में कोई भी कार्य अपूर्ण नहीं रहा है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

प्रश्न संख्या 653

(स्थगित)

ग्राम अणतपुरा (जयपुर) में नाली निर्माण कार्य

654. श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर): क्या विशिष्ट योजना संगठन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री रतनलाल ताम्बी)

(1) क्या ग्राम अणतपुरा (जैतपुरा) तहसील चौमूं (जयपुर) में वर्षा के मौसम में गांव में पानी भरा रहने के सम्बन्ध में विभाग एवं जिलाधीश जयपुर को शिकायतें प्राप्त हुई हैं ?

(2) क्या समस्या के निवारणार्थ ग्राम पंचायत अणतपुरा द्वारा गांव में नाली एवं सड़क निर्माण हेतु सरकार को प्रस्ताव भेजे गये हैं ? यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त समस्या का निवारण कब तक कर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी, नहीं।

(2) समस्या के निवारणार्थ ग्राम पंचायत अणतपुरा गांव में नाली एवं सड़क निर्माण हेतु जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा गांवों की विकास योजनान्तर्गत प्रस्ताव तैयार किये जा चुके है।

(3) वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर प्राथमिकता के आधार पर कार्य पूर्ण कराया जाता है।

राजस्थान स्कूल आफ आर्ट्स जयपुर का ललित कला डिप्लोमा पाठ्यक्रम

655. श्री रामेश्वर लाल भाटी (सुजानगढ़) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जयपुर स्थित राजस्थान स्कूल आफ आर्ट्स में पांच वर्षों का ललित कला डिप्लोमा पाठ्यक्रम राज्य में 10 प्लस 2 शिक्षा पद्धति लागू होने के बाद चार वर्षों का कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि डिप्लोमा मान्यता की दृष्टि से पूर्व की भांति ही रहेगा, यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां। यह सही है कि जयपुर स्थित राजस्थान स्कूल आफ आर्ट में 5 वर्षीय ललित कला डिप्लोमा राज्य में नवीन शिक्षा नीति 1986 (10+2) के लागू होने के कारण 4 वर्ष का कर दिया है।

नवीन शिक्षा नीति 1886 (10+2) लागू होने के कारण ऐसा किया गया है पूर्व में इस डिप्लोमा कोर्स में हायर सैकण्डरी [11वीं कक्षा] पास विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाता था, परन्तु नवीन शिक्षा नीति के परिणामस्वरूप 11वीं कक्षा की परीक्षा स्थानीय विद्यालय स्तर पर आयोजित की जाने लगी। अतः राजस्थान विश्वविद्यालय के निर्देशों के अनुसार प्रवेश की न्यूनतम योग्यता को बढ़ाकर 10+2 (बाहरवीं कक्षा) जिसकी परीक्षा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा आयोजित की जा रही है, कर दी गई है।

(2) इस डिप्लोमा को मान्यता की दृष्टि से पूर्व की भांति रखे जाने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न संख्या 656

(स्थगित)

विश्वविद्यालयों में संचालित डिप्लोमा पाठ्यक्रम

657. **श्री चुन्नीलाल गरासिया** (उदयपुर ग्रामीण) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) विश्वविद्यालय में कितने डिप्लोमा पाठ्यक्रम संचालित किये जाते हैं? विभाग अनुसार नाम एवं निदेशक/विभागाध्यक्ष के नाम की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या डिप्लोमा पाठ्यक्रम हेतु लेखा सम्बन्धी पुस्तकें संधारित की जाती हैं तथा लेखा पुस्तकों का अंकेक्षण कराया जाता है? यदि हां, तो गत तीन वर्षों के अंकेक्षण प्रतिवेदन की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या छात्रों द्वारा प्राप्त फीस विश्वविद्यालय में प्रतिवर्ष जमा कराई जाती है? यदि नहीं, तो विश्वविद्यालय द्वारा सम्बन्धित निदेशक/विभागाध्यक्ष के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

उत्तर

(1) विश्वविद्यालयों में संचालित पाठ्यक्रम एवं विभागाध्यक्षों/निदेशकों के नामों की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है। संलग्नक "अ"

(2) विश्वविद्यालयवार स्थिति की सूचना संलग्नक "ब" सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

(3) विश्वविद्यालय वार सूचना सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी गई है। संलग्नक "स"

(सूचना विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

श्री खण्डेलवाल महिला महाविद्यालय में अनियमितताएं

658. **श्री राजेन्द्र चौधरी** (बिलाड़ा) एवं **श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत** (श्री माधोपुर) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि श्री खण्डेलवाल वैश्य शिक्षा समिति के अन्तर्गत चलने वाले शिक्षण संस्था श्री खण्डेलवाल वैश्य महिला महाविद्यालय में अनुदान राशि का भारी दुरुपयोग हुआ है?

(2) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा शिक्षा समिति के अन्तर्गत श्री खण्डेलवाल वैश्य महिला महाविद्यालय में प्रबन्ध कारिणी समिति द्वारा बरती जा रही अनियमितताओं यथा अनियमित नियुक्तियां, नियम विरुद्ध सामान की खरीद, मीटिंग की कार्यवाही विवरण के सम्बन्ध में कोई नोटिस दिया गया है? यदि हां, तो उक्त नोटिस की प्रति तथा प्रबन्धकारिणी द्वारा दिये गये उत्तर की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार द्वारा अनियमितताओं की जांच कराई गई है? यदि हां, तो उसके क्या परिणाम रहे? यदि नहीं, तो जांच अब कब तक करा ली जायेगी?

(श्री राजेन्द्र चौधरी)

(4) क्या सरकार दोषी व्यक्तियों को विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

(5) क्या सरकार को श्री खण्डेलवाल वैश्य महिला महाविद्यालय में की गई अनियमित नियुक्तियों के सम्बन्ध में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो तत्सन्दर्भ में अब तक क्या कार्यवाही की गई ? शिकायत एवं तत्संदर्भ में की गई कार्यवाही की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या चयन समिति की रिपोर्ट विधान के अनुसार प्रबन्ध समिति की बैठक में पारित करवाना अनिवार्य है ? यदि हां, तो चयन समिति व प्रबन्ध समिति के गत चार वर्षों के कार्य विवरण की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां।

(2) जी, हां। नोटिस तथा प्रबन्धकारिणी द्वारा दिये गये प्रत्युत्तर की प्रति क्रमशः परिशिष्ट "अ" एवं "ब" पर संलग्न है।

(3) जी, हां। जांच में संस्था द्वारा अनुदान राशि के दुरुपयोग व अन्य अनियमितताओं के प्रकरण सामने आये।

(4) जी, हां। श्री खण्डेलवाल वैश्य महिला महाविद्यालय में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त प्रशासक द्वारा अनियमितताओं के सम्बन्ध में उत्तरदायित्व निर्धारण कर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

(5) जी, नहीं। परन्तु अन्य प्रकार की अनियमितताओं की शिकायत प्राप्त होने पर जांच करवाई गई। जांच में शिकायत सही पाये जाने पर राज्य सरकार द्वारा इस महाविद्यालय में दिनांक 20–6–96 को प्रशासक की नियुक्ति करदी गई है। प्राप्त शिकायत एवं प्रशासक के नियुक्ति सम्बन्धी आदेश की प्रति क्रमशः परिशिष्ट "स" एवं "द" पर संलग्न है।

(6) जी, हां। राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था (मान्यता, अनुदान और सेवा शर्तें आदि) नियम, 1993 के नियम 26 (छ) के अनुसार चयन समिति द्वारा सभी अभ्यर्थियों का साक्षात्कार होने के पश्चात, अभ्यार्थियों का उन्हें योग्यता क्रम में रखते हुये पैनल तैयार कर नियुक्ति के लिये अपनी सिफारिश के साथ प्रबन्ध समिति को प्रस्तुत करने का प्रावधान है। संस्था में प्रबन्ध समिति गठित नहीं है। तदर्थ समिति के 5 अधिकारियों द्वारा संस्था का संचालन किया जा रहा था। चयन समिति/प्रबन्ध समिति का रिकार्ड महाविद्यालय के पास नहीं होकर संस्था के केन्द्रीय कार्यालय द्वारा रखा जाता हैं। शिक्षा समिति के मंत्री को पत्र लिख कर कार्य विवरण प्राप्त करने का प्रयास किया गया, किन्तु वांछित विवरण प्राप्त करने में अभी तक सफलता प्राप्त नहीं हुई है।

(प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :–

1. श्री परसादी लाल जी मीणा एवं 10 अन्य सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर में प्राध्यापकों के चयन में गम्भीर अनियमितताएं बरते जाने के सम्बन्ध में।

2. श्री रामनारायणजी मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से प्राथमिक शिक्षा में कार्यरत पुरुष एवं महिला शिक्षकों की वरीयता सूची पृथक्–पृथक् बनाये जाने से पुरुष वर्ग के विद्यालयों में पर्याप्त महिला अध्यापिकाओं में व्याप्त असन्तोष के सम्बन्ध में।

3. श्री भीमसेनजी चौधरी, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर की संयुक्त प्रवेश प्रतियोगी परीक्षा में उतीर्ण ग्रामीण छात्राओं को अपने एच्छिक कालेजों में प्रवेश नहीं दिये जाने से उनको हो रही परेशानी के सम्बन्ध में।

4. श्री परसरामजी मोरदिया व 9 अन्य सदस्य, विधान सभा की ओर से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों के साथ सचिवालय स्तर पर हो रहे कथित भेदभावपूर्ण रवैये से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

5. श्री रामनारायणजी चौधरी, सदस्य, विधान सभा की ओर से निर्वाचन क्षेत्र मंडावा की पंचायत समिति अलसीसर के बिसाऊ एवं मलसीसर कस्बे में विद्युत मंडल का सहायक अभियन्ता कार्यालय नहीं खोलने से उत्पन्न विभेदात्मक स्थिति के सम्बन्ध में।

6. डा. जितेन्द्र सिंहजी, सदस्य, विधान सभा की ओर से पुलिस थाना, बस्सी में मुकदमा नम्बर 385/96 का गलत अनुसन्धान व अपराधियों को कथित संरक्षण दिये जाने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जाएगा।

मुझे माननीय सदस्यों को यह भी सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं है। अतः इस पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

श्री रामनारायणजी मीणा एवं दो अन्य सदस्य, विधान सभा की ओर से राज्य के विभिन्न पुलिस थानों में स्टाक व अन्वेषण अधिकारियों की कमी से मुकदमों के अन्वेषण में होने वाली देरी से कानून एवं व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने के सम्बन्ध में।

प्रस्तावकर्ता माननीय सदस्य को प्रस्ताव की विषय वस्तु पर दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : अध्यक्ष महोदय, मेरा भी एक है।

श्री अध्यक्ष : मेरे पास आया नहीं होगा।

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं

(1) श्रीमती मनोरमा सिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजाखेड़ा क्षेत्र में नहरों के निर्माण के सम्बन्ध में।

(2) श्री मोतीलाल जी, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजगढ़, (अलवर) के रैफरल अस्पताल में गत दिनों एक व्यक्ति की चिकित्सकों की कथित लापरवाही से हुई मौत तथा उसके परिजनों को मृत्यु प्रमाण-पत्र नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(3) श्री मोहन लालजी मोदी, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र नीमकाथाना के कतिपय प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में।

(4) श्री कालूलाल जी गुजर, सदस्य, विधान सभा की ओर से भीलवाड़ा के केन्द्रीय सहकारी बैंक के अधिकारियों द्वारा की जा रही अनियमितताएं एवं भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(5) श्री अमरचन्द जी मिड्ढा, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र के गांव भैरूपुरा उर्फ सिलुबा वाली में जोहड़ पायतन व आबादी की भूमि पर नाजायज कब्जा करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(6) श्री कमल जी, सदस्य, विधान सभा की ओर से हिण्डौन को जिला नहीं बनाये जाने के कारण वहां के विकास कार्यों में आ रहे अवरोध के सम्बन्ध में।

(7) श्री गोपीराम जी जाट, सदस्य, विधान सभा की ओर से जमवारामगढ़ की पंचायत बासना के ग्राम नींबी के प्रहलाद गुर्जर को पुलिस द्वारा नाजायज हत्या के मुकदमे में फंसाये जाने के सम्बन्ध में।

(8) श्री हरिश्चन्द्रजी पल्लीवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से गंगापुर सिटी में गत वर्ष अतिवृष्टि के कारण क्षतिग्रस्त हुई सड़कों की मरम्मत करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(9) श्री रामगोपाल जी, बैरवा, सदस्य विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा को चम्बल नदी पर झरेर के बालाजी के पास अवैध खनन करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(10) श्री भीमसेन जी चौधरी, सदस्य, विधान सभा की ओर से सीमान्त क्षेत्र खाजूवाल, पूगल, छतरगढ़ क्षेत्रों के अनेक पंचायत मुख्यालय में अभी तक विद्युतीकरण नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(11) श्री शिवनाथ सिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से झुन्झुनू के सेठ मोतीलाल कालेज के द्वितीय वर्ष वाणिज्य से वित्त प्रबन्ध तत्व प्रश्न पत्र की परीक्षा में बैठे 73 विद्यार्थियों में से केवल 9 विद्यार्थियों के उत्तीर्ण होने की जांच करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(12) श्री महादेव सिंहजी, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र खण्डेला के राजकीय चिकित्सालय गुहाला (गुहाला) में एक बालिका की मौत होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

(13) श्री हरिसिंहजी (महुआ), सदस्य, विधान सभा की ओर से जयपुर में कैरोसीन तेल वितरण में कथित अनियमितता के सम्बन्ध में।

(14) श्री रामस्वरूपजी मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से हिण्डौन पंचायत समिति के कनिष्ठ अभियन्ता के घोटालों की जांच करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(15) श्री रामप्रताप जी कासनियां, सदस्य, विधान सभा की ओर से प्रान्त के हनुमानगढ़, गंगानगर और चूरू जिलों के ईंट-भट्टा उद्योग की विभिन्न समस्याओं के कारण उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्य, आज यदि आप चाहें तो सब को पढ़ा हुआ मान लिया जाए ?

अनेक माननीय सदस्य : पढ़ा हुआ मान लिया जाए, नहीं तो एक घंटा लग जाएगा।

श्री रामस्वरूप मीणा : नो, नो।

श्री अध्यक्ष : पढ़ा हुआ मान लिया गया।....(व्यवधान)....पढ़ा हुआ मान लिया।

(सूचनाओं की प्रति के लिये कृपया परिशिष्ट 22 देखें)

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री परसादी लाल मीणा (लालसोट) : अध्यक्ष महोदय, बीकानेर यूनिवर्सिटी में.... (व्यवधान)....

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) : एक स्थगन प्रस्ताव दिया था, राजस्थान में....

श्री हीरालाल इन्दौरा (केसरीसिंहपुर): अध्यक्ष महोदय, आपको एक स्थगन प्रस्ताव दिया गया है उस पर चर्चा रखवाइये।

श्री रामनारायण मीणा : हरिजन समुदाय के... (व्यवधान)....भेदभाव हो रहा है।

श्री अध्यक्ष : विराजें न आप।.... (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आधे घंटे की चर्चा हो।

श्री हीरालाल इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय अनुसूचित जाति और जनजातियों के अधिकारियों के प्रति राजस्थान सरकार का जो गलत रवैया है उस पर चर्चा करवायी जाए ?

श्री अध्यक्ष : पूरी सुनाई नहीं पड़ रही है। एक सैकण्ड... (व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार के बड़े अधिकारी जानबूझ कर... (व्यवधान)... आज सरकार से स्टेटमेंट चाहिये।... (व्यवधान)

श्री परसादी लाल मीणा : बीकानेर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर और सहायक प्रोफेसर की भर्ती में जो आरक्षण का....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : विराजें आप।

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों की भर्ती के अन्दर जो बात की जा रही है....

श्री अध्यक्ष : बाद में बोल लेना आप।

श्री रामस्वरूप मीणा : जो भेदभाव बरता जा रहा है, अध्यक्ष महोदय, उसके बारे में आप पहले हम को व्यवस्था दें।....(व्यवधान)....

श्री मदन मोहन (खैरथल) : बीकानेर विश्वविद्यालय में हो रही अनियमितताओं के बारे में राज्य सरकार से निवेदन किया है... (व्यवधान) ...

श्री अध्यक्ष : माननीय, आप बिराजें।

श्री हीरालाल इन्दौरा : माननीय अध्यक्ष महोदय, हम ने एक स्थगन प्रस्ताव दिया है अनुसूचित जाति जनजाति के अधिकारियों के प्रति सचिवालय द्वारा भेदभाव पूर्ण नीति अपनाने के सम्बन्ध में (व्यवधान)....

श्री रामस्वरूप मीणा : अनुसूचित जाति और जनजाति के साथ जो भेदभाव बरता जा रहा है उसके बारे में जो स्थगन प्रस्ताव आया है उसके बारे में पहले व्यवस्था दें।....(व्यवधान)....

श्री मदन मोहन : मैं पुरजोर शब्दों में मांग करता हूं... (व्यवधान)....

श्री परसराम मोरदिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, आप चर्चा करवा लें चाहे....

श्री हीरालाल इन्दौरा : माननीय अध्यक्ष महोदय, आप चर्चा करवा लें, आश्वासन दे दीजिये कि आप कब रखना चाहते हैं इसको।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें न, मेरे को समझ में नही आ रहा है। आप क्या कह रहे हैं? व्यवधान ...

श्री परसराम मोरदिया (लक्ष्मणगढ़) : इस पूरे मामले के अन्दर आधे घटे की चर्चा हो।

श्री अध्यक्ष : सुनाई नही पड़ रहा है।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय जिस तरह से अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के साथ अन्याय हो रहा है (व्यवधान)....

श्री रामस्वरूप मीणा : अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के साथ जो भेदभाव और अत्याचार बरता जा रहा है (व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : मुझे तो आप की कोई बात सुनाई नहीं पड़ रही है। (व्यवधान)

श्री परसराम मोरदिया : इस पर चर्चा होनी चाहिये।

श्री रामस्वरूप मीणा : चाहे वो नौकरियों का मामला हो।....(व्यवधान) चाहे वह एडीशन का मामला हो, चाहे प्रमोशन का मामला हो, अध्यक्ष महोदय, भ्रष्टाचार पनप रहा है... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो।

श्री रामस्वरूप मीणा : × × ×

श्री मदन मोहन : × × ×

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं करें।

श्री रामस्वरूप मीणा : × × ×

× × × अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री हरिसिंह (महुआ) : ×××

श्री मदन मोहन : ×××

श्री परसराम मोरदिया : ×××

श्री अध्यक्ष : अब अंकित नहीं कर रहे हैं। आज बिराजें एक बार। मुझे पता तो चले कि आप क्या कह रहे हैं।

श्री मदन मोहन : ×××

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें तो सही एक बार।

श्री हीरालाल इन्दौरा : ×××

श्री अध्यक्ष : बिराजें, बिराजें। कोई अंकित नहीं हो रहा है। आप बिराजें न अब।

श्री हीरालाल इन्दौरा : ×××

श्री अध्यक्ष : बिराजें। कोई अंकित नहीं हो रहा है।

श्री रामनारायण मीणा : ×××

श्री मदन मोहन : ×××

श्री अध्यक्ष : माननीय, एक-एक बोलें।

श्री रामप्रताप कासनियां : ×××

श्री हीरालाल इन्दौरा : ×××

श्री हरिसिंह (महुआ) : ×××

श्री मदन मोहन : ×××

श्री अध्यक्ष : बिराजें–बिराजें।

श्री रामनारायण मीणा : ×××

श्री रामस्वरूप मीणा : ×××

श्री दयाराम परमार : ×××

श्री रामप्रताप कासनियां : ×××

श्री अध्यक्ष : माननीय, एक–एक बोलें कृपया एक माननीय सदस्य बोलें। व्यवधान

श्री रामप्रताप कासनियां : ×××

श्री हरिसिंह (महुआ) : ×××

श्री हीरालाल इन्दौरा : ×××

श्री रामस्वरूप मीणा : ×××

श्री अध्यक्ष : बिराजिये।

श्री रामस्वरूप मीणा : ×××

श्री हरिसिंह (महुआ) : ×××

श्री अध्यक्ष : अभी मैं आज देखकर कर दूंगा। सुनाई नहीं आ रहा। (व्यवधान)

श्री गोपीचन्द गुर्जर : ×××

श्री रामस्वरूप मीणा : ×××

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये। व्यवधान

श्री गोपीचन्द गुर्जर : ×××

श्री रामस्वरूप मीणा : ×××

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो रहा है।

श्री रामस्वरूप मीणा : ×××

श्री गोपीचन्द गुर्जर : ×××

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री दयाराम परमार : × × ×

श्री परसराम मोरदिया : × × ×

श्री हीरालाल इन्दौरा : × × ×

श्री रामस्वरूप मीणा : × × ×

श्री अध्यक्ष : बिराजें आप ।

श्री हीरालाल इन्दौरा : × × ×

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें तो सही । आप बिराजें अभी ।

श्री हीरालाल इन्दौरा : × × ×

श्री अध्यक्ष : अभी इस जीरो ऑवर के बाद बैठकर तय कर लेंगे ।

श्री हीरालाल इन्दौरा : × × ×

श्री अध्यक्ष : मै देखकर ही करूंगा ।

श्री हीरालाल इन्दौरा : × × ×

श्री अध्यक्ष : कार्य सूची तो देखनी ही पड़ेगी कि कब लगाएं इसको । बिराजें आप । बिराजें आप । (व्यवधान)

श्री हीरालाल इन्दौरा : × × ×

श्री अध्यक्ष : देखना तो पड़ेगा न ।

श्री परसादीलाल मीणा : × × ×

श्री हीरालाल इन्दौरा : × × ×

श्री परसराम मोरदिया : × × ×

श्री अध्यक्ष : मोरदिया साहब, कृपया बिराजें आप बहुत देर हो गयी । अब बैठें आप । (व्यवधान)

श्री हीरालाल इन्दौरा : × × ×

श्री अध्यक्ष : बिराजें, अब बिराजें ।

श्री हीरालाल इन्दौरा : × × ×

श्री अध्यक्ष : बिराजें, बिराजें आप । आपने जो कुछ दिया है उसका मैंने सरकार से जवाब मांगा है । जब तक कमेंट्स नहीं आएंगे, मैं इस पर कोई बात नहीं कहूंगा । बिराजें आप ।

श्री हीरालाल इन्दौरा : × × ×

श्री अध्यक्ष : आप आज कोई चीज देखो (व्यवधान) बिराजें आप ।

श्री परसादीलाल मीणा : × × ×

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं करें ।

श्री परसादीलाल मीणा : × × ×

श्री परसराम मोरदिया : × × ×

श्री हीरालाल इन्दौरा : × × ×

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें कृपा करके । मोरदिया जी, बहुत बोल रहे हैं ।

श्री रामस्वरूप मीणा : × × ×

श्रीमती कमला : × × ×

श्री रामस्वरूप मीणा : × × ×

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें । पता ही नहीं लग रहा आप क्या बोल रहे हैं ।

श्री रामस्वरूप मीणा × × ×

श्रीमती कमला : × × ×

श्री रामस्वरूप मीणा : × × ×

× × × अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया ।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें। पता ही नहीं लग रहा है आप क्या बोल रहे हैं।

श्री रामस्वरूप मीणा : ×××

श्री परसराम मोरदिया : ×××

श्री अध्यक्ष : बिराजें। (व्यवधान)

श्रीमती कमला : ×××

श्री अध्यक्ष : आज कोई स्थगन दिया है उसके लिये जब तक जवाब नहीं आ जाएगा तब तक मैं क्या बात कह सकता हूं आपको। (व्यवधान)

श्री परसराम मोरदिया : ×××

श्री हरिसिंह (महुआ) : ×××

श्री अध्यक्ष : आप अभी चैम्बर में मिल लें मुझसे। बिराजें आप।

श्री परसराम मोरदिया : ×××

श्री हीरालाल इन्दौरा : ×××

श्री हरिसिंह (महुआ) : ×××

श्री अध्यक्ष : आज अभी मैं...(व्यवधान)

(प्रतिपक्ष के अनेक माननीय सदस्यों द्वारा वैल में आकर धरना)

श्री अमराराम (धोद) : ×××

श्री रामनारायण मीणा : ×××

श्री परसादीलाल मीणा : ×××

श्री अध्यक्ष : धरना देना आपका अधिकार है, देना चाहें दें आप। जीरो ऑवर है। मैं आपके जवाब में दो मिनट में कोई व्यवस्था नहीं दूंगा। दो मिनट में कोई व्यवस्था नहीं हो सकती। दो मिनट में कोई व्यवस्था होती है? मैंने आपको कह दिया है आफ्टर लंच बात कर लेंगे। अभी जीरो ऑवर के बाद बात कर लेंगे। बिराजें अब। (व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा : ×××

श्री चुन्नीलाल गरासिया : ×××

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो रहा है।

श्री रामनारायण मीणा : ×××

श्री रामस्वरूप मीणा : ×××

श्री अध्यक्ष : बिराजें आप।

श्री रामनारायण मीणा : ×××

श्री रामस्वरूप मीणा : ×××

श्री हीरालाल इन्दौरा : ×××

श्री परसराम मोरदिया : ×××

श्री चुन्नीलाल गरासिया : ×××

श्री अमराराम (धोद) : ×××

श्री रामनारायण मीणा : ×××

श्री परसादीलाल मीणा : ×××

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये। पता ही नहीं लगता है आपको क्या कहना है। एकाध दिन तो हल्ला-गुल्ला अच्छा भी लगता है पर रोज हर मामले में वैल में आ जाना कोई बहुत शोभनीय बात नहीं

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री अध्यक्ष)

है। यह शोभनीय नहीं है, माननीय सदस्य।

श्री हीरालाल इन्दौरा : × × ×

श्री परसराम मोरदिया : × × ×

श्री अध्यक्ष : मैंने जब आपको कह दिया कि मैं आज सरकार से जवाब मंगा रहा हूं। आप सभी अभी के अभी जवाब लेना चाहते हैं, Whether it is possible for me ?

श्री हीरालाल इन्दौरा : × × ×

श्री अध्यक्ष : मैंने आपको कह दिया है कि आप चैम्बर में आकर मिल लें, अपन बात कर लेंगे।

श्री रामनारायण मीणा : × × ×

श्री हीरालाल इन्दौरा : × × ×

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप। नहीं चलाना चाहते हो सदन को तो वो कह दीजिये आप। अब मैं कोई जीरो ऑवर नहीं करूंगा।

श्री रामस्वरूप मीणा : × × ×

श्री परसादीलाल मीणा : × × ×

श्री अध्यक्ष : आपने अभी स्थगन का जवाब मांगा..(व्यवधान) आपका नाम पुकारा, सरकार से जवाब मांगा है....(व्यवधान) आज का आज और अभी का अभी होनी चाहिए, व्यवस्था अभी दे दूं मैं सारी।

श्री रामनारायण मीणा : × × ×

श्री परसादीलाल मीणा : × × ×

श्री हीरालाल इन्दौरा : × × ×

श्री अध्यक्ष : मैं आपको किसी को नोट नहीं करवा रहा हूं, कोई अंकित नहीं करें।

श्री रामकिशन वर्मा : × × ×

श्री रामनारायण मीणा : × × ×
(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अभी की अभी चर्चा होगी क्या इस पर ? आपको मैंने कहा कि जीरो ऑवर के पश्चात् चैम्बर आकर ने मिल लें, आप मानना ही नहीं चाहते।

श्री जुबेर खान : × × ×

श्री परसादीलाल मीणा : × × ×

श्री अध्यक्ष : हर आदमी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का मसीहा बन रहा है। Very good. You are creating bed precedent.

श्री हीरालाल इन्दौरा : × × ×

श्री रामकिशन वर्मा : × × ×

श्री रामप्रताप कासनियां : × × ×

श्री अध्यक्ष : बिराजें आप। श्री रामप्रतापजी कासनियां। रामप्रतापजी, मैंने आपका नाम पुकारा जीरो ऑवर के लिए। नहीं बोलना चाहते हो तो बैठ जाइये आप।

× × × अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री अध्यक्ष)

बीच-बीच में खड़े होकर समय खराब कर रहे हैं आप। श्री रामप्रताप जी कासनियां, आपकी कोई स्लिप है ? कुछ कहना है आपको ? बोलिये फिर। बीच-बीच में खड़े होकर समय खराब कर रहे हैं। अंकित करें अब।

श्री रामप्रताप कासनियां (पीलीबंगा) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सहकारिता मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि जोधपुर में सहकारी विभाग में लाखों रुपये का घोटाला हुआ है होलसेल भण्डार में। वर्ष 1980–81 में और 1985–86 तक की गयी आडिट रिपोर्ट के ऊपर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि एडीशनल रजिस्ट्रार के स्तर के अधिकारी से आडिट करवायी जाये। अध्यक्ष महोदय, वर्ष 198? में चुने हुए संचालक मण्डल ने भी यह मांग की हैं कि आडिट होनी चाहिए। लगभग अस्सी लाख से एक करोड़ रुपये तक का गबन उक्त होलसेल भण्डार में हुआ है। राजेन्द्र चौधरी, सत्यदेव चारण व जनरल मैनेजर पद पर रहे अविनाश रडवा ने अपने जनरल मैनेजर के काल में गबन घोटाले बाहर नहीं आने दिये। श्री चौधरी व श्री चारण तथा स्वयं के कार्यकाल में 1985 में रीजन आडिट लगाकर आडिट की जिसमें तीनों के गबन घोटाले बाहर नहीं आने दिये। पिछले 15-20 वर्षों से जोधपुर खण्ड में तीनों ही व्यक्ति तैनात रहे हैं। स्थानान्तरण निरस्त करवा लेते हैं जिसके कारण गबन-घोटाले सामने नहीं आ रहे है। गबन के कारण भण्डार लिक्विडेशन में आ गया हैं। लिक्विडेशन में क्यों आया, इसके लिए धारा 70 के अन्तर्गत....

श्री अध्यक्ष : आपने ध्यान आकर्षित कर दिया है, बिराजें आप।

श्री रामप्रताप कासनियां : एक मिनट। फरवरी, 1992 में उपरोक्त तीनों अधिकारियों को मुख्य पद से दोषी पाया गया। माह अगस्त, 1995 में सी.सी.ए. रूल्स की धारा 16 के तहत आरोप पत्र तैयार किये जा चुके हैं लेकिन आज दिन तक आरोप पत्र नहीं दिये जा रहे हैं। इनको निलम्बित किया जाना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : बिराजें। श्री रूपाराम जी।

श्री रूपाराम (मकराना) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, मकराना में जो कालानाड़ा की समस्या हैं इस समस्या के बारे में मैं इससे पहले चार दफा सदन को अवगत करा चुका हूं। समस्या गम्भीर है, सैकड़ों लोगों की जान-माल का सवाल है। गन्दे पानी और बरसात के पानी की जो निकासी थी उसको लोगों ने बन्द कर दिया। उस समस्या का समाधान नहीं हुआ तो कभी भी साधारण बरसात में भी बाढ़ जैसी स्थिति पैदा होकर सैकड़ों लोगों की जान-माल को खतरा है। अब बात इस बात पर निर्भर करती है कि मैं मेरी समस्या किसको कहूं, किसको सुनाऊं कि समस्या का समाधान हो।

श्री अध्यक्ष : बिराजें आप। श्री भीमराज जी भाटी।

श्री रूपाराम : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी सुनिये। मुझे बाध्य होना पड़

(श्री रूपाराम)

रहा हैं कि इसमें अगर आश्वासन नहीं मिला तो मैं भूख हड़ताल पर अभी बैठ रहा हूं। दस पन्द्रह मिनट में ही अगर मुझे इस पर....

श्री अध्यक्ष : विराजें।

श्री रूपाराम : माननीय अध्यक्ष महोदय मैं बिराजूंगा नहीं। (व्यवधान)

श्री अमराराम चौधरी : बरसात होने पर गरीबों के घर डूब जाएंगे।

श्री रूपाराम : अध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने तो दिया जाए। मैं कभी-कभी बोलता हूं। हर माननीय सदस्य अपनी समस्या को यहां पर कहता है। गम्भीर समस्या हैं, इसलिए मैं मानता हूं कि आपकी सोच या समझ से बाहर हो सकती है, आप हर समस्या को गम्भीरता से सुनते हैं.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, इतना ही बताया जाता है। इसमें कोई भाषण या डिबेट नहीं होते हैं। आप विराजें।

श्री रूपाराम : अध्यक्ष महोदय, मेरी समस्या गम्भीर है कि नहीं, इस बात का पता कैसे लगेगा ? मैं किसको कहूं, किसको सुनाऊं ? आखिर मरने के बाद राहत मिलेगी ! उससे पहले कब मिलेगी ! इसलिए मुझे....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : विराजें। मंत्री जी कुछ कह रहे हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा (स्वायत्त शासन मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य से पहले तो यह निवेदन करूंगा कि न तो आप भूख हड़ताल पर बैठें, न आप अनशन पर बैठें, न कुछ और करें।

श्री रूपाराम : नहीं बैठूंगा, मुझे जवाब चाहिए।

श्री भंवरलाल शर्मा : बात सुनें। समस्या यह है कि जहां से यह समस्या प्रारम्भ होती है वह भूखण्ड नगरपालिका क्षेत्र में नहीं आता है।

श्री रूपाराम : आधा आता है आधा नहीं।

श्री भंवरलाल शर्मा : तो मेरा सुझाव है कि आप जिलाधीश महोदय से कोशिश करके इस क्षेत्र को नगरपालिका में दिलवा दीजिये। नगरपालिका के क्षेत्र में आने के बाद नगरपालिका इसमें काम करने के लिए सक्षम हो जाएगी। क्योंकि अभी तक यह क्षेत्र जहां की आप बात करते हो, नगरपालिका क्षेत्र में तो हैं नहीं, तो नगरपालिका अपने क्षेत्र से बाहर काम करने में न तो सक्षम है और न ही पैसा खर्च कर सकती है। एक सरल-सा उपाय यह है कि यह जमीन आसानी से नगरपालिका क्षेत्र को अलाट की जा सकती है तो आप भी कलक्टर महोदय, से....

श्री रूपाराम : जिलाधीश महोदय को आप कहिये, मैं तो आठ साल से कह रहा हूं। मेरी जिलाधीश सुनता तो फिर आप को क्यों कहता, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : पूरी बात सुन लें आप।

श्री भंवरलाल शर्मा : मैं खुद भी कोशिश करूंगा। आप मेरे साथ रहिये,

(श्री भंवरलाल शर्मा)

आप भी कोशिश करिये। जब यह नगरपालिका क्षेत्र में आ जाएगा उसके बाद वहां नगरपालिका काम शुरू करेगी और आपकी समस्या का समाधान होने की बहुत बड़ी आशा बन जाएगी।

श्री रूपाराम : आपने जवाब और आश्वासन दिया है उसके लिए धन्यवाद लेकिन मैं दुबारा यहीं कहूंगा कि इस मामले को गम्भीर समझा जाए अन्यथा फिर अखबार में आएगा कि मरणोपरान्त 500 आदमियों को राहत दी। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : बिराजें। श्री भीमराज जी भाटी।

श्री भीमराज भाटी (पाली) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैं पूर्व में भी निवेदन कर चुका हूं, मुख्य मंत्री महोदय, से भी मिला हूं, उद्योग मंत्री महोदय से भी मिला हूं और श्रम मंत्री महोदय से भी मिला हूं, हमारे यहां पाली में हड़ताल चल रही थी, हड़ताल के बाद सरकार ने 10(के) का एक आदेश जारी किया। वह आदेश महज दो दिन के लिए इम्प्लीमेंट हुआ उसके बाद वापस वहां पर हिंसक वारदातें वगैरह हुई हैं और इस तरह महाराजा उम्मेद सिंह मिल में तालाबन्दी हो गयी है। तालाबन्दी होने के बाद, माननीय अध्यक्ष महोदय, तकलीफ यह होने लग गयी है कि उन मजदूरों को हड़ताल के पीरियड की तनख्वाह नहीं मिली, सो नहीं मिली लेकिन अब तालाबन्दी हो जाने से उन लोगों को बाजार से राशन का सामान वगैरह भी उधार मिलना बन्द हो गया है। मेरे यहां साढ़े तीन-चार हजार के करीब जो मजदूर हैं उनके और उनके परिवार के बीस पच्चीस हजार आदमियों को खाने-पीने की समस्या पैदा हो गयी है। बच्चों की स्कूलें खुल गयीं, उन स्कूलों में बच्चों की फीस नहीं जमा हो पा रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, वे पच्चीस हजार आदमी आज की तारीख में ऐसी भुखमरी की स्थिति में हैं कि रोज सुबह हमारे घर पर दो सौ, चार सौ आदमी, बच्चे और औरतें सब आ जाते हैं। वे बड़ी परेशानी में हैं।

श्री अध्यक्ष : बिराजें।

श्री भीमराज भाटी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने कल भी आपसे निवेदन किया था कि मैं आज शून्यकाल शुरू होते ही यहां धरने पर बैठूंगा, भूख हड़ताल करूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मेरे इलाके में बीस पच्चीस हजार आदमियों के जीवन-मरण का सवाल पैदा हो गया है, उनके रोटी खाने के लाले पड़ गये हैं, उनको राशन अवेलेबल नहीं हो रहा है, बाजार से या कहीं से सामान उधार लेते थे वह उधार उनको बन्द हो गया है मिल में लाक आउट होने की वजह से तो या तो सरकार इस बारे में कोई निश्चित कदम उठाकर उसकी तुरन्त व्यवस्था करके मजदूरों को वहां पर शांतिपूर्ण....

श्री अध्यक्ष : श्री ताम्बी साहब।

श्री भीमराज भाटी : नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय। इसके लिए आज से यहां धरने पर बैंठने के लिए मैंने कल भी निवेदन किया था, यहां पर धरने पर बैठने के सिवाय कुछ भी नहीं हो सकता।

श्री रामनारायण चौधरी : माननीय उप मुख्य मंत्री जी, आपके खिलाफ धरने की तैयारी हो रही है।

श्री भीमराज भाटी : उसकी वजह है, माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले चार महीने से यह रामायण चल रही है और चार महीने के बाद भी.... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र चौधरी (बिलाड़ा) : उप मुख्य मंत्री महोदय, वहां पर जो पाली से आने वाले माननीय सदस्य स्थिति बता रहे हैं उससे ज्यादा सीरियस स्थिति है और आपने भी सारे मामले को देखा है। वहां पर आज स्थिति यह है कि जो मजदूर हैं उनके घरों के अन्दर जाकर कुछ असामाजिक तत्वों ने 131 लोगों को मारा, उनके साथ मारपीट की। उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हो रही है, आप इसके बारे में कार्यवाही कराएं।

श्री हरिशंकर भाभड़ा (उप मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को सारी स्थिति का ज्ञान है। राज्य सरकार ने मजदूरों के पक्ष में मिल मालिकों को 10 (के) का आदेश दिया है और उसमें मिल मजदूरों की सुरक्षा और उनकी जो मांगे हैं, उन पर बातचीत करने का निर्देश दिया है। जो स्थिति दिसम्बर, 1995 में थी, क्योंकि उसके बाद मिल मालिकों ने उसमें वर्क लोड बढ़ा दिया। मजदूरों की शिकायत थी कि हमसे बिना बातचीत किये मिल मालिकों ने अपनी तरफ से एक तरफा वर्क लोड बढ़ा दिया। इसलिए राज्य सरकार ने एक आदेश जारी 10 (के) के नीचे कर दिया कि जो वर्क लोड दिसम्बर, 1995 में था वही रहेगा। यह बढ़ा हुआ वर्क लोड नहीं माना जाकर मजदूरों से बातचीत कर के जल्दी से जल्दी मिल को चालू किया जाए। एक दिन मिल चालू हुई थी लेकिन उसके बाद फिर उनमें आपस में झगड़ा हो गया। अब हमने मिल मालिक को बलाया है। कल उसने लाक आउट कर दिया, उनको बुलाया है। उन्होंने लाक आउट किया है तो लाक आउट के बारे में भी हम निर्णय लेंगे कि उसको इल्लीगल घोषित करें या आपस में बात करें।

श्री रामनारायण चौधरी : इल्लीगल घोषित करना चाहिये आपको उसको।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : आपको बता रहा हूं मैं, इसीलिये बुलाया है।

श्री अध्यक्ष : कोई डिबेट की बात नहीं है।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : इसीलिये बुलाया है। वहां के जिलाधीश और हमारे रीको के जनरल मैनेजर हैं वे उनकी आपस में बातचीत करवाने में निरन्तर लगे हुए हैं। बातचीत बहुत अंश तक उनकी कामयाब भी हो गयी। कुछ मजदूरों को गिरफ्तार किया था, आज उनको रिहा भी कर दिया है। अब फिर नये सिरे से बातचीत करके जल्दी से जल्दी इसका समाधान कर दिया जाएगा।

श्री भीमराज भाटी : अध्यक्ष महोदय, यह चार महीने से हड़ताल चल रही है, जल्दी से जल्दी, जल्दी से जल्दी.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजिये।

श्री भीमराज भाटी : मजदूरों के लिये, अध्यक्ष महोदय, एक-एक दिन निकलना मुश्किल हो गया । मुझे मेरे पिताजी ने खाना नहीं खाने दिया । मजदूर भूखे मर रहे हैं और रोज नैगोसिएशन, रोज नैगोसिएशन, तो यह नैगोसिएशन कब तक चलता रहेगा ?

श्री अध्यक्ष : कल बुलाया है, बात हो जाएगी तो होगा । यह क्या करते हो आप? बिराजिये, भाटी साहब ।

श्री राजेन्द्र पारीक : अध्यक्ष महोदय, सरकार का कोई टाइम बाउन्ड प्रोग्राम तो हो ना कि पांच दिन में उसकी समाप्ति की घोषणा की जाएगी ।

श्री भीमराज भाटी : मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, मजदूरों को खाने के लाले पड़ रहे हैं, यह कोई तरीका ही नहीं है । अध्यक्ष महोदय, गवर्नमेंट 10 (के) का आर्डर करती है....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कल आएंगे तब बात होगी ।....(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : चार दिन बाद हाउस एडजोर्न हो जाएगा । उसके बाद न तो अध्यक्ष महोदय मिलने वाले हैं.... (व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : आपने हड़ताल कभी की नहीं और करायी नहीं, मैंने तो ट्रेड यूनियन की बहुत हड़तालें करायी हैं । इतनी जल्दी फैसला नहीं होता है । बिराजें आप ।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार के अधिकारों में जो कानूनी प्रावधान हैं, उन प्रावधानों का उपयोग हम मजदूर हितों में कर रहे हैं । उससे आगे राज्य सरकार नहीं जा सकती । जितने हमारे प्रावधानों में हमको अधिकार हैं उसका हम प्रयोग करेंगे और निश्चित रूप से मजदूरों के हितों का संरक्षण किया जाएगा ।

श्री राजेन्द्र पारीक : सरकार की नीयत तो साफ है न इस मामले में ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : This is not the debating thing. I don't think what is the necessity of rising like this. बिराजें आप ।

श्री भीमराज भाटी : अध्यक्ष महोदय, इसमें राज्य सरकार की शक्तियों का कोई सवाल ही नहीं है । राज्य सरकार की शक्तियां तो असीमित हैं । अगर राज्य सरकार अक्षम असक्षम है तो इसका मतलब क्या हुआ ? कोई मजदूर भूखे मरते रहेंगे? मजदूर भूखे ही मरते रहेंगे क्या ?

श्री अध्यक्ष : कल बात होगी ना । पांच महीने में कोई नहीं मरा तो कल तक नहीं मर जाएगा ? बिराजिये । I will never allow now....(व्यवधान)

श्री भीमराज भाटी : अध्यक्ष महोदय, मैं लगातार आपके पीछे घूम रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष : बिराजें । मैंने दस मिनट आपकी बात सुनी, पूरी बात सुन ली । बिराजिये आप । ताम्बी साहब ।... (व्यवधान)....

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत राजस्थान सरकार के चार मन्त्रियों-स्वायत्त शासन मंत्री, सार्वजनिक निर्माण मंत्री, राजस्व मंत्री

(श्री रतनलाल ताम्बी)

और पंचायती राज मंत्री का एक साथ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं !.... (व्यवधान)... अध्यक्ष महोदय, कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है।

श्री अध्यक्ष : बोलें आप तो। समय लिमिटेड है। यह तो रोज ही होता है यहां विधान सभा में।

श्री रतनलाल ताम्बी : समस्या यह है कि सड़कों के दोनों किनारे जो राजकीय भूमि है उस भूमि के बारे में सार्वजनिक निर्माण विभाग कहता है कि यह हमारे खाते में दर्ज नहीं है. राजस्व विभाग उसको अपनी बिला नाम मानता है और अब उसके आसपास अतिक्रमण और अवैध निर्माण बहुत हो रहे हैं। पंचायतें कहती हैं कि हम इसलिये नहीं रोकते हैं कि हमारे यहां यह दर्ज नहीं है और नगरपालिका यह कहती है कि हमारे अन्तर्गत नहीं है। मैं यह चाहता हूं कि चारों विभागों की समन्वित नीति बनाकर सड़कों के किनारे अवैध निर्माण और अतिक्रमण जो बड़ी मात्रा में हो रहे है उनको रोके जाने की कानूनी व्यवस्था की जाए। सारी जमीन सार्वजनिक निर्माण विभाग की सड़कों की की आसपास दर्ज की जाए। जब तक सार्वजनिक निर्माण विभाग उसमें एन. ओ. सी. नहीं दे, नगरपालिकाएं, पंचायतें नहीं दें, उसमें निर्माण नहीं हो, ऐसा कानून में प्रावधान किया जाए, एक तो यह निवेदन है।

दूसरा, भीलवाड़ा में पिछले एक महीने में 18 दुर्घटनाएं हुई हैं। भीलवाड़ा में बाई पास नहीं बनने से सात दिन पहले भी 6–7 व्यक्तियों की मृत्यु हो गयी, इसलिये बाई पास के मामले को गम्भीरता से लेकर उस पर जल्दी कार्य प्रारम्भ कराया जाए। (व्यवधान)....

अकाल राहत के लिये जो सामग्री राशि है वह पंचायतों और विभागों को जारी न होने से सारे काम गतिहीनता प्राप्त कर गये हैं। यह कार्य समय पर पूरे नहीं हो पाएंगे इसलिये राशि रिलीज करें।

श्री अध्यक्ष : अमरचन्द जी मिढ्ढा।

श्री अमरचन्द मिढ्ढा (सूरतगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं कई दफा प्रश्न कर चुका हूं मेरे विधान सभा क्षेत्र में कम से कम सात गांवों में कल्याण भूमि नहीं है। लोग वहां मर जाएं तो उनको कहां ले जाएं ? सरकार की भूमि है उसका अलाटमेंट करके सब अधिकारी बेच गये हैं और सरकार उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं कर रही। मेरी राजस्व मंत्रीजी से यह प्रार्थना है कि श्मशान घाट के लिये कोई न कोई व्यवस्था करें। आप यह बताएं कि अगर कोई मजदूर मर जाये, मालिक जमीन तो अपनी जमीन में दफना सकता है। लेकिन जो मजदूर वर्ग बैठा है वह श्मशान नहीं तो कहां ले जाए ? इस वास्ते इसकी सरकार व्यवस्था करे।

श्री अध्यक्ष : धारीवाल साहब !.... (व्यवधान)....कृपया शांति बनाये रखें।

श्री शांतिकुमार धारीवाल (हिण्डौली): व्यवस्था ही नहीं है, साहब।

श्री अध्यक्ष : व्यवस्था तो आप ही नहीं करने देते हो।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मैं तो व्यवस्था में आपको पूरा सहयोग करता हूं।... (व्यवधान) ...

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से चिकित्सा मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। दो बिन्दु हैं, एक तो यह कि सारे राजस्थान के शहरों में जहां पर भी बर्फ की खपत होती है और उत्पादन होता है, हर बर्फ के कारखाने में जंग लगे हुए कंटेनरों में बर्फ जमायी जाती है। हालत यह है कि इन जंग लगे हुए कन्टेनरों में जो बर्फ जमी उसको खाने से दस्त और खूनी पेचिश के बीमारों की तादाद दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। चिकित्सा विभाग के अधिकारी बिलकुल लापरवाही में डूबे हुए हैं। न कभी इन बर्फ के कारखानों का निरीक्षण करते हैं, न कभी उन मालिकों से कहते हैं कि यह मकड़ी के जाले यहा पर कैसे लगे हुए हैं, यह गन्दगी कैसी है, इस जंग को हटाओ, कन्टेनरों पर रंग करो। इस प्रकार की कोई भी व्यवस्था नहीं है। यह सवाल स्वास्थ्य का है।

दूसरा मेरा निवेदन यह है कि जयपुर और कोटा में पानी में क्लोरीन का न होना एक आम बात हो गयी है। साथ ही इस प्रकार के कीटाणु पैदा हो गये हैं, कोलाई फार्म बैक्टीरिया बोलते हैं उसको, इसके लिये यह कहा जाता है, अध्यक्ष महोदय, कि एक मिलीमीटर पानी में भी अगर यह बैक्टीरिया है तो पेचिश और खून की दस्तें होना आसान बात है। इसके लिये मेरा आपके माध्यम से चिकित्सा मंत्रीजी से निवेदन है कि आप सुपर क्लोराइनेशन के आदेश दें। हर जिले के सी. एम. एच. ओ. को आप यह आदेश दें कि इन बर्फ के कारखानों में जहां पानी वितरण होता है वहां जाकर निरीक्षण करके इस बात को जांचें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : (राज्य मंत्री चिकित्सा,एवं स्वास्थ्य): मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहता हूं कि माह मई में ही हमने आदेश प्रसारित किये थे कि जितनी भी आइस फैक्ट्रीज हैं वहां जिस पानी से आइस बनती है उसका नमूना लिया जाए और आइस बनने के पश्चात जो आता है उसका नमूना लिया जाए। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि किसी क्षेत्र के बारे में उनके पास कोई विशेष सूचना है तो दें, हमने यह तय किया था कि प्रत्येक हैल्थ इन्सपैक्टर एक दिन में तीन तरह के इस तरह के नमूने लें। जहां तक पानी की शुद्धता की बात है, क्लोराइनेशन पानी का हो रहा है, समय-समय पर उसकी जांच करते हैं कि अप टू पैरामीटर क्लोराइनेशन हुआ कि नहीं हुआ। सरकार चिन्तित है, माह मई से ही सारे कार्य को कर रहे हैं। माननीय सदस्य ने जो बात कही....

श्री अध्यक्ष : आपको पता नहीं, आप जून से यहां विधान सभा में आ गये हैं। पीछे से क्या हुआ पता नहीं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नहीं, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं।

श्री अध्यक्ष : बिराजें आप। श्री गहलोत साहब।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : हफ्ते में दो बार भी सुपर क्लोराइनेशन नहीं हो रहा है। जंग लगे कन्टेनरों के बारे में आपने कुछ बोला नहीं। आप यहा तो यह अस्वीकार कर दें... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजें।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : कि किसी भी बर्फ के कारखाने में जंग लगे हुए कन्टेनर काम में नहीं लिये जाते ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मेरे पास इस तरह की सूचना नहीं है । आपने कहा है तो जंग लगे हुए कन्टेनरों की जांच पड़ताल के लिये विशेष प्रयास किये जाएंगे । जंग मात्र कन्टेनरों में ही नहीं लगती हैं कई बार जंग बुद्धियों को भी लग जाती है, उसके लिये भी जांच करवाएंगे हम ।

श्री राजेन्द्र गहलोत (सरदारपुरा) : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से जलदाय मंत्रीजी का मैं जोधपुर के संकट के सम्बन्ध में ध्यान आकर्षित करता हूं ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जोधपुर के मुख्य जल स्त्रोत जंवाई बांध और जोधपुर लिफ्ट कैनाल का पानी जोधपुर नहीं पहुंच रहा है जिसके कारण जोधपुर की ढाई सौ लाख गैलन की मांग की पूर्ति जोधपुर को नहीं हो रही है । माननीय मंत्रीजी पिछले हफ्ते जोधपुर पधारे थे । आपके साथ सचिव और मुख्य अभियन्ता भी थे । आपने जोधपुर के लिये क्या व्यवस्था की है, इसके सम्बन्ध में आप वक्तव्य दें । दिन–प्रतिदिन पानी के संकट से जोधपुर की जनता चिन्तित है ।

श्री अध्यक्ष : श्री कन्हैया लाल ।

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : अध्यक्ष महोदय, न तो कायलाना में पानी है । (व्यवधान) सात दिन का पानी बाकी रहा है इसलिये बहुत भयंकर समस्या पैदा हो जाएगी ।

श्री राजेन्द्र चौधरी (बिलाड़ा) : आपने पानी की क्या व्यवस्था की ? आपसे लिफ्ट कैनाल ठीक नहीं हो तो इरिगेशन डिपार्टमेंट को दे दीजिये । पानी जोधपुर में नहीं है । सरदारपुरा से आने वाले माननीय सदस्य ठीक कह रहे हैं... (व्यवधान) माननीय मंत्रीजी, आप इसके सम्बन्ध में अपना वक्तव्य जारी करें । आपने इतनी मेहनत की है तो बताएं सदन में ।

श्री मोहन मेघवाल : मेरा एक निवेदन है जलदाय मंत्रीजी से कि हमारे जोधपुर की खानों के अन्दर कम से कम तीन–चार महीने का पानी पड़ा है । उस पानी को कायलाना झील में डाल दिया जाए तो जब तक राजस्थान कैनाल तैयार होगी तब तक यह पानी जोधपुर के लिये पर्याप्त हो जाएगा । इसलिये मंत्रीजी से निवेदन है ये आर्डर किये जाएं । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपका क्या है, आप फरमाएं, आप जोधपुर की हैं, नहीं बोलेंगी तो गड़बड़ हो जाएगी ।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर) : अध्यक्ष महोदय, जोधपुर शहर के अन्दर कम से कम 30–35 जल स्रोत हैं, अगर उनकी सुरक्षा की जाए, उनकी देखभाल की जाए तो भी जोधपुर शहर के अन्दर पानी की व्यवस्था हो सकती है । माननीय अध्यक्ष महोदय, इन जल स्रोतों की यह स्थिति है कि वे कचरे से भरे हुए हैं.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजें आप । (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : सभी माननीय सदस्य बोल रहे हैं । मंत्रीजी, इसके बारे में कुछ तो कहिये खड़े होकर । (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र गहलोत : जोधपुर में पीने का पानी तो है नहीं, (व्यवधान) । जोधपुर

(श्री राजेन्द्र गहलोत)

में पीने का पानी नहीं है। आप खड़े होकर सदन को आश्वस्त कर दीजिये।

श्री अध्यक्ष : यह कोई डिबेट का पाइंट तो है नहीं, आपने ध्यान आकर्षित कर दिया। चौधरी जी, बिराजिये आप। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र गहलोत : जोधपुर में लोग पेयजल के संकट से भयभीत हैं। आशंका है। (व्यवधान) इसे दूर कैसे करेंगे।

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी को सुनें आप। मंत्रीजी कोई बात कह रहे हैं, मंत्रीजी की बात सुनें।... (व्यवधान)

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : मंत्रीजी से जवाब दिलवाएं।

श्री अध्यक्ष : वही तो मैं कह रहा हूं। आप सुनें तो सही। (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आप सब एक साथ बोलते हैं तो न तो बात समझ में आती है, न बोलना सम्भव होता है।

अध्यक्ष महोदय, जोधपुर की जल समस्या के लिये जो नहर है वह बहुत ही बड़ा और महत्वपूर्ण स्रोत है। अभी पिछले दिनों मैं स्वयं उधर गया था और माननीय सदस्य मेरे साथ थे हमारा यह इरादा था, कि 23 जून को शुभ दिन मान कर जोधपुर में लिफ्ट से पानी दे दिया जाये। वह करीब करीब तैयार थी और हम 23 को ही पानी दे सकते थे। लेकिन आपको ध्यान है कि यकायक ऐसी बारिश हुई जिससे नहर में बड़े ब्रीचेज हो गये और वह पानी जो देना चाहते थे नहीं दे पायें।

उसके बाद फिर अभी मैं जाकर आया हूं। जिस प्रकार नहर क्षतिग्रस्त हुई है उसके लिये टेण्डर काल किये कि इसको जल्दी ठीक किया जाए। जो वहां के ठेकेदार हैं उनको यह अंदाजा हो गया कि यह मुख्य आवश्यकता है, सरकार इसको टाल नहीं सकती और सरकार की मजबूरी है इसलिये जो रेट आनी चाहिये उससे 50 गुना अधिक रेट्स उन्होंने दी। परिणाम यह हुआ कि उनको स्वीकार करना हमारे लिये बड़ा कठिन हो गया। लेकिन सरकार की इच्छा यही थी कि ठेकेदारों के दबाव में न आकर हम इसको शीघ्रता से ठीक करें इसलिये हमने प्राइवेट लोगों से सरकारी तौर पर व्यवस्था की। एक हजार लेबर तो मैं जब गया था तब काम कर रही थी और उसके बाद एक हजार मजदूर वहां काम कर रहे हैं और हम उसको देख रहे हैं। जब करीब एक हजार मजदूर काम पर आ गये तो जिन ठेकेदारों ने पूल बना कर हमारी परिस्थिति का लाभ उठाने की कोशिश की थी उनको भी समझ में आ गया और वे इस बात के लिये राजी हो गये कि जो हमारे रेट हैं उनको हम घटा देते हैं। रेट घटाने के बाद अभी 8-9 ठेकेदारों ने इस बात को मंजूर कर लिया। उनको वर्क आर्डर मिल गये और काम चालू कर दिया। यह तो एक बात रही।

हमको बड़ी चिन्ता थी, इधर जंवाई बांध में भी पानी कम होता जा रहा था और लगता था कि डैड स्टोरेज से पानी देना पड़ेगा। पाली में जाकर आया था लेकिन इसे मैं प्रभु की कृपा ही मानता हूं और

(श्री भंवरलाल शर्मा)

माननीय सदस्य मेरे से सहमत होंगे कि अच्छी बरसात हुई और जंवाई बांध में पानी आ गया। अब डैड स्टोरेज से पानी देने का कोई कारण नहीं है, कायलाना में पानी आ गया है। यह जो एक संकट था, 10–5 दिन में मुसीबत हो सकती है, वह भगवान की कृपा से इस बरसात में कोई दिक्कत नहीं आयेगी। नहर का काम मैं खुद देख कर आया हूं, जिस गति से लोग काम कर रहे थे, मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ही काम को पूरा कर देंगे और जोधपुर को कोई बड़ा संकट पानी का आएगा नहीं। उसके लिए हमारे राजेन्द्रजी का एक सुझाव है कि चिड़ियानाथ जी महाराज ऋषि हुए हैं, उनको प्रसन्न करेंगे तो यह दुविधा और कम हो जाएगी। जिन माननीय सदस्यों ने यह प्रस्ताव रखा है मैं उनसे निवेदन करूंगा कि ऐसा कोई आयोजन करें जिससे ऋषि महाराज राजी हो जाएं और अपने को आराम मिल जाए। यह आप लोग कर लें।

श्री अध्यक्ष : (व्यवधान) कृपया बिराजें। कन्हैयालाल जी।

श्री कन्हैयालाल मीणा (बस्सी) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि 15 तारीख को कश्मीर में जिन 6 व्यक्तियों की आतंकवादियों द्वारा हत्या कर दी गयी, इनमें राजस्थान के तीन नवयुवक, इंजीनियरिंग कालेज का एक छात्र है, राजस्थान विश्वविद्यालय का एक छात्र है और एक ढाबा चलाने वाला नवयुवक है। इनकी निर्ममतापूर्वक हत्या की गयी। जम्मू-कश्मीर में जैमिनी ट्रेवल्स वाले ने उनको बहला-फुसला कर, पैसा नहीं होने के बावजूद यह कहते हुए कि पैसे मैं जयपुर से ले लूंगा, इन व्यक्तियों को वहां से ले जाकर रात को हाउस बोट में ठहरा दिया। वहां सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं, बीच में कोई जांच नहीं।

मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि भारत सरकार की सुरक्षा की अव्यवस्था, लापरवाही की वजह से इस प्रकार से उनकी हत्या हुई है। उन लाशों को लाने के लिए दो बच्चों को छोड़ दिया। आप देखिये, कि भारत सरकार की लापरवाही है कि लाशों को लाने के लिये उनसे आठ-आठ हजार रुपये मांगे गये। जब पैसों की व्यवस्था उन बच्चों के पास नहीं हुई तो, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा गृह सचिव अरुण कुमार जी को, उनसे बार-बार निवेदन किया कि अभी पैसों की व्यवस्था उनके पास नहीं हैं, ये दो बालक हैं, इनके पास जो पैसे थे वे उन दो व्यक्तियों के पास थे जिनकी डेथ हो गयी। वहां के एस. पी. जो राजस्थान के निवासी थे, उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होने अपने स्तर पर आठ–आठ हजार रुपये की व्यवस्था करके उनकी लाशों को भेजा। सरकार की कोई व्यवस्था नहीं थी। मैं निवेदन करना चाहूंगा सदन के माध्यम से कि उन मृतकों के परिवार को भारत सरकार की तरफ से कम से कम दस–दस लाख रुपये प्रति परिवार दिये जाने चाहिये थे। राजस्थान सरकार की तरफ से, मुख्य मंत्री सहायता कोष से कम से कम एक–एक लाख रुपये उन्हें इमीजिएट सहायता के रूप में दिये जाएं।

श्री अध्यक्ष : बिराजें, माननीय सदस्य।

श्री कन्हैयालाल मीणा : जो अभी जम्मू में वैष्णों देवी की यात्रा करने के लिये जाने वाले हैं और जो 27 व्यक्ति उसके बाद उसी गाड़ी में बैठकर दुबारा वहां गये, उनकी सुनते ही वह वापस आ गये। भारत सरकार को राजस्थान सरकार की तरफ से लिखा जाए कि जम्मू में जाने वाले यात्रियों को पाबन्द करें कि वह कश्मीर में नहीं जाएं। अन्यथा फिर से ऐसी दुर्घटना घटित हो सकती है।

श्री अध्यक्ष : बिराजें।

श्री कन्हैयालाल मीणा : जैमिनी ट्रेवल्स वाले का इसमें मुख्य हाथ हो सकता है। जैमिनी ट्रेवल्स वाला जो शब्बीर खान नाम का व्यक्ति था, वहां उसका भाई नावें चलाता है, उनकी नावें चलती हैं, वह व्यक्ति उन्हें ले गया। उग्रवादी रास्ते में तीन बोटों में जब उनसे मिलते हैं तो वह अच्छी तरह से बातचीत करते हैं और उनसे कहता है कि मेरे मिलने वाले हैं, मैं ले आऊंगा। और दूसरे दिन सवेरे 10 बजे लाशों को पानी में से लेकर आना....

श्री अध्यक्ष : बिराजें, माननीय सदस्य।

श्री कन्हैयालाल मीणा : यह इंगित करता है। (व्यवधान) भारत सरकार को लिखा जाए कि जम्मू से आगे जाने वाले व्यक्ति को रोका जाए। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : बिराजें, हो गया, माननीय सदस्य। डांगावास जी।

श्री भंवरसिंह डांगावास (मेड़ता) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में बी. एड की शिक्षा देने के साधनों की कमी होने के कारण राजस्थान से विशेषतः किसान छात्र दक्षिण में जाकर बी. एड. की परीक्षाएं देते हैं। एक संस्था है, दक्षिण भारत में हिन्दी प्रसार सभा, मद्रास। इसके ऊपर कुलाधिपति श्री नरसिंहराव के हस्ताक्षर हैं और कुलपति बी. डी. जत्ती के हस्ताक्षर है। यह संस्था यू.जी.सी. से मान्यता प्राप्त है। इसके बावजूद नागौर जिले के जो बच्चे वहां बी.एड. करके आये उनको इस कारण से राज्य सेवा में नहीं लिया जा रहा है कि हम इसकी वैरिफिकेशन करेंगे, सत्यापन करेंगे। मैं माननीय पंचायती राज मंत्री का इस ओर ध्यानाकर्षित करूंगा कि इनमें से कुछ बच्चे तो पहले ही भर्ती हो चुके हैं लेकिन कुछ बच्चों को रोक दिया गया है। अगर यह संस्था बोगस है, गलत हैं तो कृपया बच्चों को सूचित करें ताकि आइंदा बच्चे उनके जाल में जाकर नहीं फसे। और गलत नहीं है तो उनको सेवा में लिया जाये यही निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : बिराजें। श्री अमरा राम जी।

श्रीमती कमला : यह संस्था बोगस हो सकती है। लेकिन बहुत से ऐसे मुद्दे हैं कि संस्था सही हैं, उनके सर्टिफिकेट भी सही हैं लेकिन लाने वाले आशार्थी उन सर्टिफिकेट में अपने फर्जी नाम भरकर भी पेश करते हैं। इसलिये विभाग की तरफ से उस यूनिवर्सिटी या संस्था से उसकी पुष्टि कराई जाती है। यह पद्धति राजस्थान में कायम हैं और यह बहुत जरूरी है। ऐसी बहुत घटनाएं हो चुकी हैं।

श्री अध्यक्ष : बिराजें ।

श्री भंवरसिंह डांगावास : कमला जी ने जो बात कही है....

श्री अध्यक्ष : बिराजें आप । यह कोई डिबेट की बात नहीं है । आपने एक बात कह दी, खतम करें आप । (व्यवधान)

श्री भंवरसिंह डांगावास : ....आदमी अनएम्पलाइल घूम रहे हैं । कितने महीने में पुष्टि कराई जाएगी ? यह कोई बात है क्या कि पुष्टि कराई जाती है । पुष्टि कराइये ना कौन कह रहा है । (व्यवधान)

श्री नाथूसिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, हमने फर्जी डिग्री....

श्री अध्यक्ष : बोलने का मौका दो तो आधे घण्टे तक माइक छोड़ें नहीं । बोलें आप ।

श्री नाथूसिंह गुर्जर (राज्य मंत्री पंचायती राज) : अध्यक्ष महोदय, ये फर्जी डिग्री के प्रकरण हमारे सामने बहुत सारे आये और बहुत सारे अध्यापकों को फर्जी डिग्री होने के कारण बाहर निकाला है । इसलिये हमने ये वैरिफिकेशन किये । हमने यह भी किया है कि कौन–कौन सी संस्थाओं की डिग्री मान्यता प्राप्त है, इसकी सूची बनाकर विभिन्न जिला परिषदों में भिजवायी हैं कि ये-ये संस्थायें हैं जो प्रमाणित हैं, जो फर्जी नहीं हैं । इनको मान्यता प्राप्त है, इस तरह की संस्थाओं को लें । वहां हमने सी. ई. ओ. की ड्यूटी लगाई है कि वे इनकी वैरिफिकेशन करवाए । दिक्कत यह आई है कि इसमें समय कम पड़ रहा था, वैरि–फिकेशन नहीं हो पाये थे इसलिए हमने उसका अभी समय दो माह बढ़ा दिया है, कि 31 अगस्त तक यह वैरिफिकेशन कराकर मंगा लें ताकि अध्यापकों की नियुक्ति में कोई दिक्कत नहीं आए ।

श्री अध्यक्ष : श्री अमराराम जी । हो गया, हो गया बस । नाट अलाउड ।

श्री भंवरसिंह डांगावास : इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद ।

श्री अध्यक्ष : 50 तो स्लिपें देते हो, बोलना भी चाहते हो, आधे घण्टे तक माइक भी नहीं छोड़ें, यह कौनसा तरीका है। इस तरह से काम नहीं चलता है ।

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान उन किसानों की ओर दिलाना चाहता हूं जो अखिल भारतीय किसान सभा के रूप में आज विधान सभा पर सैकड़ों की संख्या में धरना दे रहे हैं । जो बाढ़ से तबाह किसान हैं उनके बारे में नार्म्स में सहायता देना सरकार ने तय किया है । सरकार ने मंशा तो यह जाहिर की कि नार्म्स को बढ़ाया जाएगा लेकिन वहां जो फिक्स था वह भी अभी तक सब जगह नहीं मिला है । किसानों की जमीन खराब हुई है. उस पर या तो मिट्टी चढ़ गयी या उसके अन्दर पांच पांच फीट के खड्ढे पड़ गये । वह नार्म्स में नहीं है, कुएं नार्म्स में नहीं हैं तो इसमें बाढ़ सहायता में थोड़ा उनको दिया जाए। दूसरी तरफ जो मजदूरों ने अकाल राहत में काम किया है....

श्री अध्यक्ष : बिराजें, माननीय सदस्य । श्री हबीबुर्रहमान ।

(94)

श्री अमराराम (धोद): उनको आज तक मजदूरी नहीं मिली हैं। समाज के कमजोर वर्गों पर एक साल से लगातार उत्पीड़न बढ़ा है, चाहे घोड़ी पर चढ़ने का सवाल हो, चाहे ...

श्री अध्यक्ष : कहां चले गये ? हाथी, घोड़ा कहां से आ गया बीच में ही ?

श्री अमराराम (धोद): सरकार उन पर निश्चित रूप से कार्यवाही करे। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री हबीबुर्रहमान (मूण्डवा) : अध्यक्ष महोदय, मैं चिकित्सा मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करूंगा कि नागौर में जो बाढ़ आयी थी, एक महीना हो गया वहां जो पानी पड़ा था वह गन्दा हो गया और उससे मलेरिया फैल गया है। मंडे से लेकर आज तक दो हजार मरीजों ने जांच करायी है जिसमें सभी को मलेरिया हो गया है। मैं चाहूंगा कि मंत्री जी वहां एक टीम भेजकर इसकी पूरी जांच कराएं। जिस एरिये में पानी पड़ा है वहां भी कैम्प लगाकर मरीजों की जांच करें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : परसादी लाल जी।

श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) : अध्यक्ष महोदय, मैं उच्च शिक्षा मंत्री जी का दौसा कॉलेज की तरफ ध्यानाकर्षित करना चाहूंगा कि वहां पर प्रवेश के मामले में बहुत ही असंतोष है। प्रथम वर्ष के लिये कला संकाय में 1885 फार्म आये थे उसमें से केवल 480 छात्रों को प्रवेश दिया गया है। जनरल क्लास में 54 परसेंट, एस. टी. में 51 परसेंट और एस. सी. में 48 परसेंट को एडमीशन दिये गये हैं। इससे छात्रों का भविष्य अंधकारमय हो गया है। उच्च शिक्षा मंत्रीजी या तो आप वहां सीटें बढ़ाएं, सैक्शन बढ़ाएं या आप नाइट क्लास के लिये व्यवस्था करें। कम से कम 45 परसेंट तक जिन छात्रों के अंक आये हैं उनको दौसा में एडमीशन की सुविधा मिले, ऐसी कोई व्यवस्था कराएं। आपका जो सीटों का पैटर्न हैं वह बहुत पुराना है। आजकल ज्यादा छात्र पढ़ाई करके....

श्री हरिसिंह (महुआ) : संख्या ज्यादा बढ़ रही है।

श्री परसादीलाल मीणा : संख्या ज्यादा बढ़ रही है, आप इस पैटर्न को बदलें। वहां सीटें बढ़ाएं और नाइट क्लास की अगर व्यवस्था हो सके तो आप नाइट क्लास की व्यवस्था कराएं। 45 परसेंट तक के जो छात्र हैं उनको....

श्री अध्यक्ष : बिराजें। कन्हैयालाल जी पाटीदार।

श्री परसादीलाल मीणा : भर्ती करने के लिए व्यवस्था करें। अपने प्रिन्सिपल को, अपने विभाग को आप कुछ कहें इस सम्बन्ध में।

श्री अध्यक्ष : पाटीदार जी।

श्री परसादीलाल मीणा : आप कुछ कहें तो सही, उच्च शिक्षा मंत्री जी। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप कहना चाहें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं हैं।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी (उच्च शिक्षा मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा माननीय सदस्य से कि यदि महाविद्यालय में पढ़ाने का स्थान होगा, कमरे होंगे और फर्नीचर होगा, हमने प्रिंसिपल को लिखा है कि इन दोनों सर्टिफिकेट्स के साथ-साथ जो एलिजिबल स्टूडेंटस आये हैं उसमें से, जैसे आपने संख्या दी है कि इतने हो गये इतने बाकी हैं, हम आर्ट्स और कामर्स में उन स्थानों पर सैक्शन बढ़ाएंगे किन्तु स्थान और फर्नीचर का सर्टिफिकेट उनसे आ जाए। मैं अभी विभाग से कहूंगा कि प्रिंसिपल को कान्टैक्ट करके कहें कि उन सर्टिफिकेट्स के बारे में वे हमको सूचित करें ताकि कार्यवाही की जा सके।

श्री अध्यक्ष : विराजें। कन्हैया लालजी।

श्री परसादीलाल मीणा : नहीं, नाइट क्लास की व्यवस्था करा दें। माननीय मंत्री महोदय, नाइट क्लास की करा दें।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : वह अभी नहीं कह सकता।

श्री परसादीलाल मीणा : कॉलेज पर बहुत दबाव आ रहा है। फिर भी आप दूसरा कालेज खोलते नहीं।

श्री अध्यक्ष : विराजिये, माननीय सदस्य।

श्री परसादीलाल मीणा : माननीय मंत्रीजी, कॉलेज पर बहुत दबाव है। पैटर्न बहुत पुराना है। आज सभी जगह दबाव आ रहा है, मैं दौसा की ही नहीं कह रहा हूं। आप नाइट क्लास शुरू कराने की व्यवस्था करें जिससे छात्र रेगुलर पढ़ाई कर सकें।

श्री हरिसिंह (महुआ) : They can not be denied.

श्री अध्यक्ष : बिराजें, यह विचार का विषय है। कन्हैया लाल जी। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : अगर आप नाइट क्लास नहीं चलाएं तो डबल शिफ्ट में क्लास को चलाएं। अगर स्थान का अभाव है, फर्नीचर कम है उस सूरत में लड़कों के हित में, भारत के भविष्य और राजस्थान के हित में इसको डबल शिफ्ट में कराएं।....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ध्यानाकर्षण की बात हो रही है... (व्यवधान) आप अपनी बात कह चुके हैं, बिराजें। कन्हैया लाल जी।

श्री हरिसिंह (महुआ) : अध्यक्ष जी, सारे भारत से लड़कों को मना कर दिया गया है। वे कहां जाएं ?....(व्यवधान)

श्री कन्हैयालाल पाटीदार (पिड़ावा) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय राजस्व मंत्रीजी का ध्यान झालावाड़ जिले के बारे में आकर्षित करना चाहता हूं जहां भूमि पर सिंचाई के कोई स्रोत नहीं हैं, कुएं नहीं हैं, न नदियों, न नहरों न बांधों, न तालाबों से सिंचाई होती है। कुछ भी नहीं है, किसान एक विशेष प्रक्रिया अपनाकर बरसाती पानी से दो फसलें उस जमीन में ले लेता है। लेकिन जब किसान उस जमीन को बेचता है तो उस पर सिंचित भूमि की स्टाम्प ड्यूटी लगाई जाती है। यह किसान के साथ बहुत भारी अनियमितता बरती जा रही है। इसके माध्यम से किसानों का भारी शोषण हो रहा है। यह प्रक्रिया मात्र कुछ ही जिलों में लगाई

(श्री कन्हैयालाल पाटीदार)

जा रही है, पूरे राजस्थान में लागू नहीं है। मेरा ग्रापके माध्यम से राजस्व मंत्रीजी से निवेदन है कि इस शोषण से किसानों को मुक्ति दिलाई जाए। धन्यवाद।

श्री ग्रध्यक्ष : बिराजें। मदन मोहनजी।

(13.00)

श्री मदन मोहन (खैरथल) : माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री श्री भैरोंसिंहजी का ध्यान ग्राकर्षित करना चाहूंगा ग्रौर पंचायती राज मंत्रीजी का भी ध्यान ग्राकर्षित करना चाहूंगा। गत वर्ष 5 ग्रप्रेल, 1995 को राजस्थान की इसी विधान सभा के ग्रन्दर माननीय मुख्य मंत्रीजी ने यह घोषणा की थी कि विकास ग्रभिकरण जितने भी राज्य में चल रहे हैं उनकी सूचना प्राप्त करने का ग्रधिकार होगा ग्रौर प्रत्येक की फोटो स्टेट कापी भी प्राप्त करने का ग्रधिकार होगा। लेकिन ब्यूरोक्रेसी ने एक आदेश दिनांक 6.4.1996 को निकाला है उसके दो भाग करके ग्रौर केवल 5 रुपये शुल्क जमा करा करके उनको पढ़ने का ग्रधिकार दिया गया है। इस बारे में धरने तक हुए हैं, जयपुर में हुए हैं, ब्यावर में हुए हैं ग्रौर ग्राज भी राजस्थान विधान सभा के बाहर धरना दिया जा रहा है। ग्रध्यक्ष महोदय, ग्रापसे यही निवेदन है कि दस्तावेजों की फोटो कापी प्राप्त करने का ग्रधिकार देना चाहिये जिसकी इसी विधान सभा में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की थी ग्रौर उसको तत्काल प्रभाव से लागू किया जाना चाहिये जो अनपढ़ व्यक्ति है, पढ़ नहीं सकता है उसको यदि फोटो कापी मिल जाएगी तो वह व्यक्ति उसकी शिकायत भी कर सकेगा ग्रौर उसकी जांच भी करा सकेगा।

इसी के संदर्भ में एक ग्रौर निवेदन करना चाहूंगा कि यह खाली विकास ग्रभिकरणों के लिए ही नहीं होना चाहिये, पी. डब्ल्यू.डी., इरिगेशन, पी. एच. ई. डी. ग्रौर जिला प्रशासन से सम्बन्धित जितने भी विकास कार्य कराये जाते हैं उनकी भी फोटो कापी प्रत्येक नागरिक को मिलनी चाहिये। हिन्दुस्तान के अन्दर सभी राजनैतिक दृष्टि से भ्रष्टाचार के खिलाफ एक मत हैं ग्रौर भ्रष्टाचार को वे समाप्त करना चाहते हैं....

श्री ग्रध्यक्ष : श्री हरजीराम बुरड़क।

श्री मदन मोहन : तो मेरा आपके माध्यम से सरकार से यही निवेदन है कि इनकी ग्रावश्यक सूचनाएं समय पर उपलब्ध कराए। धन्यवाद।

श्री ग्रध्यक्ष : कृपया बिराजें। श्री बुरडक साहब।

श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं) : ग्रध्यक्ष महोदय, मैं ग्रापके माध्यम से माननीय गृह मंत्रीजी का ध्यान ग्राकर्षित करना चाहता हूं। पुलिस की ड्यूटी जहां ग्रपराधियो को गिरफ्तार करना या कार्यवाही करना है वहां हमारे डीडवाना में जो सी. ग्रो. है वह उनका संरक्षण कर रहा है। इसी कारण से गांव सांवराद में एक ग्रपराधी जिसका पुलिस को चालान करना था, थाने वालों के बुलाने के बाद भी वह व्यक्ति नहीं आ रहा है। छह महीने से यह मामला विचाराधीन था लेकिन डीवाई.एस.पी. की शह से वह ग्रा नहीं रहा था। दिनांक 16.6.1996 को थानेदार वहां गया तो वह गांव में गवाड़ के बीच में दारू बेचता हुआ मिला। थानेदार ने दारू सीज

(श्री हरजीराम बुरड़क)

कर ली और उसको जीप में बैठा कर कानूनी कार्यवाही करने लगा उसी समय 10-15 व्यक्ति जो आदतन अपराधी हैं वे आ गये। थानेदार और सिपाहियों के साथ उन्होंने मारपीट की और उस अपराधी को छुड़ा कर ले गये। थानेदार ने खुद की तरफ से एफ. आई आर. नम्बर 39/40 थाना, जसवंतगढ़ में दर्ज करायी, नामजद दर्ज करायी लेकिन डीवाई. एस. पी. दोनों फाइलें ले गये। आज तक वे अपराधी खुले घूम रहे हैं और जो चश्मदीद गवाह थे उन गवाहों को भी मारने की धमकी दे रहे हैं।

श्री कैलाश मेघवाल (गृह मंत्री) : माननीय विधायक, आपने अभी जो सूचना दी है वह मुझे विस्तार से दे दें। मुझे अगर नोट करा देंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इसमें यथोचित कार्यवाही जल्दी से जल्दी करायी जाएगी।

श्री अध्यक्ष : श्री अर्जुनलाल जीनगर। (अनुपस्थित) श्री मोहनलाल मोदी।

श्री मोहनलाल मोदी (नीमकाथाना) : महोदय, राजस्थान के शारीरिक शिक्षक जो बेरोजगार हैं उनके बारे में थोड़ा-सा ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। पहला है कि राजस्थान में सीपीएड के 5–6 कालेज हैं। इनकी भर्ती की चयन प्रक्रिया इतनी कठिन है कि पहले तो वे उसमें आ नहीं पाते, फिर उनकी मैरिट नहीं बन पाती है। महाराष्ट्र में नागपुर और अमरावती में बी.ए; बी.पी.एड के कालेज हैं। वहां भर्ती के लिए विज्ञापन देने पर हर जगह से लोग भर्ती के लिए आते हैं। ये मान्यता प्राप्त हैं और वे डोनेशन लेते हैं। जितना डोनेशन देते हैं उस हिसाब से ज्यादा से ज्यादा मार्क्स उनको देते हैं। तो वे लोग ज्यादा मार्क्स लेकर आते हैं और हमारे यहां के लोग पिछड़ जाते हैं। मैं आपको बताऊं, राजस्थान पत्रिका में जयपुर सीकर, झुन्झुनू, कोटा, चित्तौड़गढ़ इन सब जगह का उन्होंने टाइम दिया है कि फलाने टाइम पर भर्ती के लिए आप वहां पर रहिये। मैं यह कहना चाहता हूं कि राजस्थान के कालेज से निकले हुए शारीरिक शिक्षक तो बेरोजगार हैं और उन संस्थाओं के आये हुए लोग भर्ती हो जाते हैं, उनको रोजगार मिल जाता है। अभी 9.3.95 को 50 शारीरिक शिक्षकों की चूरू में भर्ती हुई है, उसमें आप देखिये कि राजस्थान के....

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें।

श्री मोहन लाल मोदी : एक सैकण्ड, बड़ा इम्पोर्टेंट मामला है।

50 लड़के भर्ती हुए उसमें सिर्फ 5 लड़के राजस्थान की कालेजों से निकले हुए हैं और बाकी वहीं के हैं। मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि या तो उसमें कोई पर्सेंटेज कर दें, कोई कोटा कर दें कि आधे यहां के कालेज के लिये जाएंगे और आधे वहां से लिये जाएंगे या फिर इनको कोई मार्क्स दिये जाएं। इन शारीरिक शिक्षकों की हालत खराब है, इनको रोजगार मिले, यही मेरा निवेदन करना है।

श्री अध्यक्ष : श्री रामस्वरूपजी।

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : माननीय अध्यक्ष महोदय, पंचायत समितियों में भयंकर लूट चल रही है कनिष्ठ अभि-

(श्री रामस्वरूप मीणा)

यन्ताओं के द्वारा। मेरे जिला सवाईमाधोपुर के कुछ सरपंच साहिबान मेरे पास आये थे। हमारे यहां एक हिण्डौन का 40 लाख रुपये का मामला है, वहां के कनिष्ठ अभियन्ता ने फर्जी एम.बी. भरी जिसके कारण से आये दिन शिकायतें हो रही हैं, लोगों को परेशानी हो रही है....

श्री अध्यक्ष : आप वही बोलते बिजली के तार के बारे में।

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय पंचायती राज मंत्रीजी और गृह मंत्रीजी यहां पर विराजमान हैं। माननीय पंचायती राज मंत्रीजी, आपसे मेरा विनम्र निवेदन है, जिला सवाईमाधोपुर में कनिष्ठ अभियन्ता सरपंचों को लूट रहे हैं, विकास कार्यों में घोटाले हो रहे हैं। अभी हिण्डौन में 40 लाख का एक तलाई का काम दिया है उसमें भी घोटाले हो रहे हैं। आप शांत बैठे हुए हैं, इस कनिष्ठ अभियन्ता को आप खींचें ताकि गांव में विकास कार्य हो सकें।

श्री अध्यक्ष : बिराजें। यह कहा आ गये बीच में आप? आपने कहा करंट से मरे और वहां काश्तकार थे, उस बारे में बोलना था माननीय रामनारायणजी मीणा।

श्री रामस्वरूप मीणा : हां, साहब, वह ध्यान दिला रहा हू। दूसरा, मेरा निवेदन है, बिजली से अभी सात आदमी चिपक कर मर गये, माननीय गृह मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा....

श्री अध्यक्ष : पता ही नहीं है, आप कुछ का कुछ बोल रहे हैं। बिराजें आप। ऐसे ही बोलना ही है। बिराजें आप।

श्री रामस्वरुप मीणा : बिजली के खम्भों से बिजली के तार टूटे और टूट कर तार नीचे गिरे उससे दो जानें चली गयीं। वैसे 7 आदमियों की जानें गयी है इसके अन्दर। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि एफ. आई. आर. दर्ज हो चुकी है, आप सख्त कार्यवाही करें। बिजली विभाग को इस बात के लिए कहें, उनकी लापरवाही से बिजली के खम्भे और तार टूटे हैं जिनसे लोग मर रहे हैं, जानवर मर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : बिराजें आप। श्री रामनारायणजी मीणा (अनुपस्थित) श्री भवानी जोशी।

श्री भवानी जोशी (बांसवाड़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, उद्योग मंत्रीजी का मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। बांसवाड़ा में औद्योगिक क्षेत्र 1971 में विकसित किया गया था, वह 1980 में रीको को हस्तान्तरित कर दिया गया। इसको उदयपुर का विभाग देखता था। 1980 से 1987 तक उदयपुर विभाग इस कार्य को देखता रहा और 1987 के बाद में विभाग का कार्यालय बांसवाड़ा खुला। मेरा आपसे निवेदन है कि 1980 के पहले के जो कब्जे हैं और जिन लोगों ने वहां अनअथोराइज्ड काम किये हैं उसको नियमित किया जाए। उस समय जब रीको कार्य नहीं करता था मात्र उद्योग विभाग इस कार्य को देखता था। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि पहले के जो भी काम हुए हैं, निर्माण कार्य हुए हैं उनको रेगुलर किया जाए।

श्री अध्यक्ष : श्री भगराज चौधरी ।

श्री भगराज चौधरी (आहोर) : मैं, आपके माध्यम से गृह मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहूंगा । करीब एक महीने पहले दिनांक 22.6.96 को भीनमाल पुलिस थाना के एक गांव में बालिका का जिसकी उम्र 15–16 साल की बतायी जाती है, 5–6 व्यक्तियों द्वारा अपहरण कर लिया गया था । इस घटना के सम्बन्ध में मुकदमा नम्बर 1994/96 भीनमाल थाने में दर्ज किया हुआ है । करीब एक महीना व्यतीत होने को आया है फिर भी अभी तक पुलिस निष्क्रिय है । ऐसा मालूम पड़ रहा है कि भीनमाल थाने की पुलिस मुल्जिमान से मिली हुई है । बालिका के रिश्तेदारों ने सी. ओ; भीनमाल से सम्पर्क किया । मैंने भी आपको एक चिट्ठी दी थी । उसके रिश्तेदार करीब एक महीने भर पहले घटना होने के पश्चात् यहां आये थे और डी. जी. को ज्ञापन दिया था । इतना सब कुछ, सारा प्रयत्न करने के बावजूद जालौर जिले की पुलिस निष्क्रिय है । एक महीने पहले जिस बालिका का अपहरण किया गया था, 15–16 साल की अवस्था की है उसको अभी तक न तो बरामद किया गया है और न मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया है । मुझे ऐसी जानकारी मिली है कि स्थानीय पुलिस मुल्जिमान से मिली हुई है और उनकी मिलीभगत से उनको जालौर जिला छोड़कर गुजरात प्रांत में प्रवेश होने का मौका दिया गया है । 15–16 साल की बालिका के जीवन का सवाल है, उसके परिवारजनों की क्या पीड़ा होगी, इसको आप महसूस करते होंगे ।

श्री अध्यक्ष : आप मिल लें । श्री शैलेन्द्रजी ।

श्री भगराज चौधरी : मैं चाहूंगा आपसे कि आप शीघ्र ही इस बालिका को बरामद कराएं, चाहे डी.जी. से कहें, चाहे जिला पुलिस अधीक्षक से कहें । मैं चाहता हूं 5 दिन के अन्दर अन्दर व्यक्तिगत तौर से जिला पुलिस अधीक्षक को पाबन्द करें । आखिर में है तो जालौर जिले में ही । जहां कहीं भी है, बच्ची जीवित है या उसको मार डाला गया है, कैसी स्थिति में हैं, जहां जिस स्थिति में है उसको ढूंढने की व्यवस्था कराएं ।

श्री अध्यक्ष : बिराजें । बस ध्यानाकर्षण हो गया । More than enough.

श्री भगराज चौधरी : आज भी उसके परिवार के सात–आठ व्यक्ति इस मामले को लेकर जयपुर आये हैं और गुजारिश कर रहे हैं कि किसी न किसी प्रकार हमारी खोई हुई, अपहरण की हुई बच्ची को बरामद कराएं । मैं आशा करता हूं कि आप इसको गम्भीरता से लेंगे ।

श्री अध्यक्ष : श्री शैलेन्द्र जोशी ।

श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र बांदीकुई के थाने में इन दिनों जांच कार्य काफी ठप्प पड़ा है । उसका कारण है कि जो सैंक्शंड पोस्ट हैं उनमें एक सब इन्सपेक्टर, दो ए. एस. आई. दो हैड कांस्टेबल, छह कांस्टेबल के पद रिक्त हैं । उन रिक्त पदों के कारण कोई भी जांच कार्य नहीं हो पा रहा है । मेरा यह भी निवेदन है कि बांदीकुई अब उप खण्ड हो गया है लिहाजा सिकराय, महुआ और बांदीकुई क्षेत्र के लिये एक अतिरिक्त जिला

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

अधीक्षक पुलिस की नियुक्ति की जाएं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री रामगोपालजी बैरवा।

श्री रामगोपाल बैरवा (पीपल्दा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय ऊर्जा मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र के कस्बा मांगरोल में पिछले 15 दिन से विद्युत आपूर्ति की भयंकर समस्या बनी हुई है। इस समस्या को लेकर क्षेत्र की संघर्ष समिति का एक सप्ताह से संघर्ष जारी है और धरना, प्रदर्शन और कई तरह की कार्यवाही की जा रही है। लेकिन आज दिन तक भी वहां पर उस तरह की व्यवस्था बनी हुई है। माननीय ऊर्जा मंत्रीजी उसी जिले के हैं उस जिले में इस तरह की व्यवस्था है, यह बड़े दुःख की बात है। वहां की जनता एक–एक बूंद पानी के लिये बिजली के अभाव में तरस रही है इसलिये आंदोलन पर उतारू है। वहां पर कोई भी हादसा हो सकता है इसलिये इस समस्या का शीघ्र निपटारा किया जाए।

श्री अध्यक्ष : श्री हरिसिंहजी (कुम्हेर)।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से उच्च शिक्षा मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आपने सदन में कई बार घोषणा की है कि कॉलेजेज में अगर जगह हैं तो आर्ट्स और कॉमर्स विषयों में एडमिशन दे देंगे। मेरे यहां महाराज सिन्धिया कॉलेज के छात्रों की एडमिशन नहीं मिलने के सिलसिले में मैंने प्राचार्य से बात की तो उन्होंने कहा कि घोषणा तो हुई है लेकिन हमारे पास ऐसी कोई हिदायत नहीं है।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी (उच्च शिक्षा मंत्री) : किसने कहा ?

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : प्रिंसीपल साहब ने।

(13:13)

(श्री समर्थलाल मीणा, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : प्राचार्य महोदय को मेरे यहां से एक प्रोफार्मा गया है जिसमें लिखा है कि अगर कहीं एलिजिबल स्टूडेंट्स की संख्या ज्यादा हो तो कृपया इसे भरकर सूचना निदेशक महोदय को दे दें। इसमें कितने स्टूडेंट्स को बैठाने की जगह है, फर्नीचर की व्यवस्था और कोई दूसरा निजी महाविद्यालय तो नहीं है, ये तीनों सूचनाएं मांगी गयी हैं। उदाहरण के तौर पर अभी तीन सैक्शन चल रहे हैं 180 के एलिजिबल स्टूडेंट्स 45 से अधिक हैं 220 या 230 तो शेष 50 के लिये एक और सैक्शन दिया जाता है। आपने सूचना दी है, मैं निदेशक महोदय से कहूंगा कि भरतपुर के महाविद्यालय को तुरन्त कांटेक्ट करें और उनसे पूछें कि माननीय विधायक ने जो सूचना दी है उसके अनुसार प्रोफार्मा आपके यहां से तुरन्त भेजें ताकि सैक्शन स्वीकृत कराया जा सके।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : माननीय मंत्री महोदय, प्राचार्यजी ने निदेशकजी को जो पत्र लिखा है, मैं आपका एक मिनट लूंगा, कृपया उसको सुन लें। उपरोक्त विषय में

(श्री हरिसिंह)

अनुरोध है कि इस महाविद्यालय के छात्र श्री फलां, महासचिव, छात्र संघ के मांगों के सम्बन्ध में दिये गये ज्ञापन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने हेतु अग्रेषित किया जा रहा है। गत वर्ष इस महाविद्यालय में छात्रों को निम्न प्रकार से प्रवेश दिया गया था।

बी. ए. पार्ट–I 960, बी. एस. सी. पार्ट–I 450, बी कॉम. पार्ट–I 120 उपरोक्त अनुसार छात्रों को प्रवेश दिये जाने की अनुशंसा की जाती है।" उन्होंने जो पत्र शिक्षा निदेशक जी को लिखा है उसकी प्रतिलिपि मेरे पास है।

मेरा दूसरा निवेदन यह है, जैसी कि आपको भी जानकारी है कि बाढ़ से हाई-स्कूल और यह कॉलेज भी बंद रहा था, आना जाना बंद था इसलिये प्रवेश में सात दिन का समय और बढ़ा दें तो मैं आपका आभारी रहूंगा।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : मैं इस विषय में दो निवेदन करना चाहता हूं। पहले एक-एक कक्षा में 80-80 छात्रों को प्रवेश दे दिया जाता था जिससे पढ़ाई नहीं होती थी। इसलिये सरकार ने शिक्षा में गुणात्मक परिवर्तन लाने की दृष्टि से यह तय किया कि एक कक्षा में 60 से अधिक विद्यार्थियों को प्रवेश न दिया जाए। संख्या बढ़ने के कारण सैक्शन भी बढ़ाने पड़ेंगे जिसकी हमारी तैयारी है। किन्तु स्थान है या नहीं है, फर्नीचर है कि नहीं है, इसकी सूचना उनको देनी पड़ेगी। बाढ़ की दृष्टि से आपने प्रवेश तिथि बढ़ाने की जो बात कही है इस विषय में मैं कांटेक्ट करूंगा। और देखूंगा कि इसमें क्या किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती इन्दिरा मायाराम।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम (सांगानेर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं। मेरे बार-बार निवेदन करने के बाद भी मानसरोवर में अस्पताल मंजूर नहीं हुआ। उसके बारे में तो मैं कह ही रही हूं लेकिन जगतपुरा में अस्पताल मंजूर होने के बावजूद भी इतने लम्बे समय से बनाने का निर्णय नहीं किया जा रहा है। उसको दलगत राजनीति में डालकर कि जगह नहीं मिल रही है, कौनसी जगह बताया जाए, इस तरह से उसको लटकाया गया है। अस्पताल ऐसी चीज है कि जिसके लिये मरीज लोग इन्तजार कर रहे हैं कि वह जल्दी से जल्दी बने ताकि आस-पास के लोगों को मदद मिल सके। वहां पर सरकारी स्कूल के पास सरकारी जमीन खाली पड़ी हैं, अगर मंत्री महोदय, चाहें तो वहां अस्पताल बना सकते हैं। उसके लिये धनराशि भी मंजूर है लेकिन काफी लम्बे समय से उस अस्पताल को बनाने की कार्यवाही नहीं की जा रही है यही मेरा निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि।

श्री गंगाराम चौधरी, राजस्व मंत्री, राजस्व विभाग की एक अधिसूचना सदन की मेज पर रखेंगे।

सदन की मेज पर रखे गये पत्र

अधिसूचना

श्री गंगाराम चौधरी (राजस्व मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्व विभाग की

100

(श्री गंगाराम चौधरी)

अधिसूचना संख्या प. 6(8) राज. 6/92/16 दिनांक 16 जुलाई, 1996 जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनों के लिये संपरिवर्तन) नियम, 1992 में संशोधन किये गये हैं, सदन की मेज पर रखता हूं।

याचिकाओं का उपस्थापन

श्री उपाध्यक्ष : श्री भीमराज भाटी, सदस्य विधान सभा दो याचिकाएं उपस्थापित करेंगे। श्री भीमराज भाटी (अनुपस्थित)।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास, सदस्य, विधान सभा दो याचिकाएं उपस्थापित करेंगी।

जोधपुर शहर में कतिपय सड़कों का निर्माण व प्रकाश व्यवस्था हेतु

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं जोधपुर शहर की कतिपय सड़कों के निर्माण व समुचित प्रकाश व्यवस्था के सम्बन्ध में एवं जोधपुर शहर में मुख्य बाजार की क्षतिग्रस्त सड़कों का पुनर्निर्माण कराने हेतु आठ व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थापित करती हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री अमराराम चौधरी, सदस्य, विधान सभा, एक याचिका उपस्थापित करेंगे।

पचपदरा विधान सभा क्षेत्र में सड़कों का डामरीकरण

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं पचपदरा विधान सभा क्षेत्र में सड़कों का डामरीकरण करने बाबत तीन व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका उपस्थापित करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री राकेश मेघवाल सदस्य, विधान सभा, एक याचिका उपस्थापित करेंगे।

उप तहसील कुचामन सिटी का तहसील में क्रमोन्नयन

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं उप तहसील कुचामन सिटी (नागौर) को तहसील में क्रमोन्नत करवाने के सम्बन्ध में चार व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका उपस्थापित करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री महावीर मगोरा, सदस्य विधान सभा, एक याचिका उपस्थापित करेंगे।

कोटड़ा (उदयपुर) के बालक छात्रावास भवन का विस्तार

श्री महावीर मगोरा (गोगुन्दा) । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं उदयपुर जिले की पंचायत समिति कोटड़ा में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित बालक छात्रावासों के भवन का विस्तार करने के सम्बन्ध में छह व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका उपस्थापित करता हूं।

समिति का प्रतिवेदन

याचिका समिति 95, 96 का तीसरा प्रतिवेदन

श्री उपाध्यक्ष : श्री कालीचरण सर्राफ, सभापति, याचिका समिति, 1995-96 समिति का तृतीय प्रतिवेदन उपस्थापित करेंगे।

श्री कालीचरण सराफ (सभापति, याचिका समिति) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सभापति, याचिका समिति, 1995-96 समिति का तृतीय प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : ध्यान आकर्षण प्रस्ताव श्री राजेन्द्र चौधरी ।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

जोधपुर तहसील के मोजा गांव की भूमि का नगर विकास न्यास जोधपुर द्वारा कथित अवैधानिक विनिमय

श्री राजेन्द्र चौधरी (बिलाड़ा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 131 के अन्तर्गत मोजा गांव तहसील जोधपुर की भूमि का नगर विकास न्यास जोधपुर द्वारा कथित अवैधानिक विनिमय करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री का ध्यान आकर्षित करता हूं ।

श्री भंवरलाल शर्मा (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, गेवा गांव, जोधपुर की खसरा नम्बर 808 की सिवायचक भूमि को जिला कलक्टर जोधपुर के आदेश दिनांक 6–1–67, 10–9–74 एवं 12–7–76 द्वारा आबादी विस्तार हेतु नगर सुधार न्यास, जोधपुर को आबंटित किया गया था। जिला कलक्टर के इस आदेश के विरुद्ध किसी ने कोई कार्यवाही नहीं की, अपितु तहसीलदार द्वारा इस भूमि पर उस समय काबिज अतिक्रमियों के विरुद्ध राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत बेदखली के आदेश दिये गये जिसके विरुद्ध कथित खातेदारों सर्वश्री बाबूखां व विजयसिंह ने जिला कलक्टर, जोधपुर के समक्ष अपील दायर की जो जिला कलक्टर के आदेश दि. 30–9–75 के द्वारा खारिज कर दी गयी इस आदेश के विरुद्ध कथित अतिक्रमियों द्वारा राजस्व अपील अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गयी जिसका निर्णय 31–5–89 को अतिक्रमियों के पक्ष में किया गया । इस निर्णय के विरुद्ध नगर सुधार न्यास एवं राज्य सरकार द्वारा अपील राजस्व मण्डल में दायर नहीं की गयी। राजस्व अपील अधिकारी ने अपने निर्णय में यह निर्धारित किया कि अतिक्रमी दिनांक 6–4–49 को जब मारवाड़ टीनेन्सी एक्ट के प्रावधान लागू थे, उस उक्त विवादित भूमि पर काश्त करते थे व लगान देते थे । इस कारण धारा 10 के प्रावधानों के अनुसार टिनेन्ट हो गये । साथ ही आदेश में यह उल्लेख किया गया कि जब दिनांक 15–10–55 को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधान लागू हुए तब भी अपीलान्ट स्वतः ही उक्त भूमि के खातेदार बनने में सक्षम थे। किन्तु खातेदारी अधिकारों की घोषणा केवल काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत वाद में की जा सकती है अतः श्री गिरधारी सिंह एवं शफी मोहम्मद के वारिसों श्री बाबूखां एवं विजय सिंह द्वारा सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी के न्यायालय में खातेदारी घोषणा के लिए वाद प्रस्तुत किया गया । उपखण्ड अधिकारी के समक्ष जब ये वाद लम्बित थे उस दौरान प्रार्थीगण द्वारा न्यास के समक्ष समझौते का आवेदन किया गया । न्यास ने प्रस्ताव दिनांक 5–4–90 में इन प्रार्थीगणों की 35 बीघा एवं 49 बीघा 9 बिस्वा, कुल 84 बीघा 9 बिस्वा भूमि को न्यासहित में समर्पित करने पर उन्हें बदले में 12 प्रतिशत विकसित भूमि आवटन का निर्णय लिया। न्यास ने उक्त निर्णय खातेदारी अधिकार के वाद के लम्बित रहने के दौरान ले लिया एवं जब यह प्रस्ताव राज्य सरकार

(श्री भंवरलाल शर्मा)

के समक्ष पुष्टि हेतु भेजा गया तो राज्य सरकार द्वारा इस प्रकरण को बेरी समिति को जांच हेतु भेजा गया। बेरी समिति ने अपने जांच प्रतिवेदन में यह उल्लेख किया कि न्यास का प्रस्ताव अवैधानिक है क्योंकि न्यास बिना खातेदारी अधिकार की घोषणा हुए स्वय की भूमि को अपने हित में समर्पित करवा कर बदले में उन्हें 12 प्रतिशत विकसित भूमि आबंटित कर रहा है। साथ ही बेरी समिति ने भी उल्लेख किया कि न्यास के प्रस्ताव पारित करने से पूर्व राज्य सरकार से पुष्टि करवानी चाहिए थी। न्यास, जोधपुर ने प्रस्ताव राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 1–1–90 के अनुसरण में पारित किया था जिसमें प्रावधान था कि यदि खातेदार अपनी कृषि भूमि को निःशुल्क समर्पित करता है तो बदले में उसे 12 प्रतिशत विकसित भूमि आबंटित कर दी जाए। बेरी समिति का निष्कर्ष ये रहा कि ये भूमि राजकीय भूमि है एवं किसी भूमि पर अतिक्रमी को स्वतः खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो जाता। अतः समिति ने अभिशंसा की कि न्यास का प्रस्ताव वापस ले लिया जाए। उप खण्ड अधिकारी के निर्णय दि. 2-5-90 एवं 7-5-90 के विरुद्ध राजस्व अपील अधिकारी के समक्ष दायर अपीलों की प्रभावी ढंग से सक्षम एवं अनुभवी अधिवक्ता से पैरवी करवायी जाए। साथ ही राज्य सरकार के परिपत्र पर पुनर्विचार कर इसे स्पष्ट किया जाए।

न्यास एवं राज्य सरकार द्वारा उपखण्ड अधिकारी के आदेश दिनांक 2–5–90 के एवं 7–5–90 के विरुद्ध राजस्व अपील अधिकारी के समक्ष दायर अपीलों को दिनांक 26–5–95 को खारिज कर दियो गया। राज्य सरकार द्वारा बेरी समिति की अभिशंसा के आधार पर नगर सुधार न्यास को वर्ष 1991 में न्यास प्रस्ताव 5–4–90 एवं 26–5–90 को वापस लेने एवं राजस्व अपील अधिकारी के समक्ष दायर अपील को प्रभावी ढंग से पैरवी करने के निर्देश दिये गये लेकिन न्यास ने अपने प्रस्ताव को वापस नहीं लिया एवं कथित खातेदारों द्वारा नामित व्यक्तियों के पक्ष में आबंटित की जाने वाली 12 प्रतिशत विकसित भूमि विभिन्न क्षेत्रफल के भूखण्ड की एक्सचेन्ज डीड में निष्पादित कर दी। परिणामतः न्यास एवं राज्य सरकार की राजस्व अपील अधिकारी के यहां लम्बित अपील 26–5–96 को खारिज कर दिया गया। राजस्व अपील अधिकारी के निर्णय की जानकारी न्यास के पत्र दिनांक 8–3–96 द्वारा भेजी गयी। इस पर राज्य सरकार ने पत्र दिनांक 25–4–96 से न्यास को पुनः स्पष्ट निर्देश दिये कि राजस्व अपील अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध राजस्व मण्डल में अपील दायर की जाए एवं न्यास के प्रस्ताव दिनांक 5–4–90 एवं 26–5–90 को तुरन्त प्रभाव से वापस ले लिया जाए। राज्य सरकार के इन निर्देशों के क्रम में न्यास द्वारा पुनः राज्य सरकार को दिनांक 13–6–96 को पत्र लिखकर इस प्रकरण पर पुनर्विचार करने का निवेदन किया एवं अपने कथन के समर्थन में अतिरिक्त महाधिवक्ता एल. एस. उदावत की राय भी संलग्न कर भेजी गयी। अतिरिक्त महाधिवक्ता ने अपनी राय में यह उल्लेख किया है कि न्यास के प्रस्तावों के आधार पर दोनों पक्षों में वैधानिक समझौता हुआ है एवं प्रार्थीगण के पक्ष में खातेदारी अधिकार

(श्री भंवरलाल शर्मा)

घोषित किये हुए हैं। अतः इस निर्णय के विरुद्ध राजस्व मण्डल में अपील का कोई आधार नहीं है एवं न्यास प्रस्तावों को वापस ले लेता है तो ऐसी स्थिति में संपूर्ण भूमि पुनः खातेदारों की ही हो जाएगी एवं न्यास को जो 88 प्रतिशत भूमि प्राप्त हुई है, न्यास उससे भी वंचित हो जाएगा। राज्य सरकार ने इस प्रकरण पर विचार कर पत्र दिनांक 3.7.96 से न्यास को पुनः स्पष्ट निर्देश दे दिया है कि वह प्रस्ताव दिनांक 5.4.90 एवं 25.5.90 को वापस ले एवं राजस्व अपील अधिकारी के लिए 29-6-95 के विरुद्ध राजस्व मण्डल में अपील दायर करे। राजस्व अपील अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध जिला कलक्टर द्वारा राजस्व मण्डल में अपील दायर कर दी गयी है।

श्री राजेन्द्र चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, आपने भी बहुत गौर से सुना और सदन ने भी बहुत गौर से सुना। राज्य सरकार इस समझौते को बेरी समिति नियुक्त करने के बाद में इन सिफारिशों के आधार पर कि यह समझौता नगर विकास न्यास ने बिलकुल गलत किया है और इस समझौते को निरस्त किया जाये और आगे अपील ली जाये। राज्य सरकार ने 91 में नगर सुधार न्यास को आदेश दिये, नगर सुधार न्यास ने उन आदेशों को नहीं माना, बेरी समिति की रिपोर्ट को नहीं माना। उसके बाद में नगर सुधार न्यास, जोधपुर को 25-3-96 को भी राज्य सरकार ने आदेश दिये कि आप उसको निरस्त कर दीजिए और अपील में जाइये। नगर सुधार न्यास अपील में नहीं गया, राज्य सरकार के आदेशों को नहीं माना। इसके बाद में 3-7-96 को भी राज्य सरकार ने आदेश दिये। इससे आप जाहिर है कि कलक्टर इसमें सरकार का जो दूसरा हिस्सा है, वे अपील में गये पर नगर सुधार न्यास राज्य सरकार के आदेशों की लगातार अवहेलना कर रहा है, बेरी समिति की सिफारिशों की लगातार अवहेलना कर रहा है। इसमें साफ बात है कि नगर सुधार न्यास, जोधपुर जिला गठन सरकार की कलम से होता है उसके अन्दर उन्होंने लाखों करोड़ों रुपयों का लेनदेन करके बहुत कीमती जमीन नगर सुधार न्यास के अध्यक्ष दामोदर बंग और न्यासियों ने खुद के हित में कर ली है और बेरी समिति ने भी इस बात को माना है। मंत्री महोदय, आपने यहां पर जवाब दिया है कि एडिशनल एडवोकेट से राय मांग ली है। गवर्नमेन्ट एडवोकेट की बात कही है। उन्होंने भूतबंगला ग्राम गोवा के खसरा नं. 771 और 775 में राय दी थी कि आप अपील में मत जाइये रेवेन्यू बोर्ड में। पर 4-5 महीने के बाद यू. आई. टी. अपील में, रेवेन्यू बोर्ड में गयी और उस अपील को एडमिट किया गया। दो तरह की बातें नहीं चल सकती, उपाध्यक्ष महोदय। एडिशनल एडवोकेट जो कि गवर्नमेन्ट का है, विधि मंत्री जी, आप यहां बैठी हैं, उस लक्ष्मणसिंह उदावत ने नियुक्ति के बाद कितने फैसलों में क्या राय दी है, आप उसकी भी जांच कराने की बात करें, मैं आपसे भी अनुरोध करना चाहूंगा। इसके अन्दर दो समझौते हुए हैं—समझौता किया है एक तो बिजयसिंह के साथ में और एक और समझौता किया है बाबूखां के साथ में। मंत्री महोदय, मैं आपको—सदन में जानकारी देना चाहता हूं कि जो पट्टे काटे जा रहे हैं वे मदन सिंह की जमीन पर काटे जा रहे हैं। मदन सिंह हाई कोर्ट में जा

(श्री राजेन्द्र चौधरी)

रहा है, वह हाई कोर्ट में जाने की तैयारी कर रहा है क्योंकि जो डिग्री के अन्दर मदन सिंह की जमीन का पड़ौस बताया गया है। पड़ौस खोला गया है कल्याण भवन के दक्षिण में 300 फीट, वहां पर यू. आई. टी. पट्टे काट रही है और विजय सिंह से समझौता किया है।

दूसरा, उपाध्यक्ष महोदय, इतना भारी घपला, बाबू खां से समझौता किया, बाबू खां ने यह जमीन दीपसिंह को बेच दी। दीपसिंह कोर्ट में चला गया है और 17 तारीख को उसकी पेशी थी। वह कह रहा है कि जमीन मेरी है, यू. आई. टी. समझौता किससे कर रही है? पूरे मामले में घपला है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि नगर सुधार न्यास के अध्यक्ष दामोदर बंग और इस न्यास को भंग किया जाए। सरकार लगातार सिफारिशें कर रही है, लगातार सरकार निर्देश दे रही है कि उस समझौते को रद्द किया जाए, राजस्व बोर्ड में जाया जाए लेकिन अपील में नहीं जा रहे हैं। मैं मंत्री महोदय, आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आप भ्रष्टाचार को समाप्त करना चाहते हैं, आप मुझे यह बताएं सदन में कि न्यास ऊपर है या सरकार ऊपर है। हम यहां पर किस लिए बैठे हैं? नगर सुधार न्यास, जोधपुर आपको डायरेक्शन दे रहा है, नगर सुधार न्यास बराबर आपके आदेशों की अवहेलना कर रहा है और आपने यहां उत्तर पढ़कर सुना दिया। आपने उत्तर में सारी बातों को स्वीकार किया है, फिर क्या मतलब है बेरी कमेटी का? फिर क्या मतलब है आपके तमाम आदेशों और निर्देशों का? आपका यह चैलेंज हो जायेगा। जिनको अधिकार है ही नहीं उनसे आपने समझौता कर लिया। इसके बारे में आप बताएं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरिसिंह जी।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : माननीय उपाध्यक्ष जी, इसमें एक बात बिलकुल स्पष्ट है कि न्यास ने जानबूझकर के अपने पावर को मिसयूज करके रैंक ट्रेस पावर को खातेदारी दिलवायी है। यह बात मैं नहीं कह रहा बल्कि यह बात बेरी कमेटी कहती है। पहले कलक्टर साहब ने इनको खाली जमीन अलाट की है, क्या यह बात सही नहीं है? क्या यह बात सही नहीं है कि सेक्शन 91 के अन्तर्गत तहसीलदार साहब ने इनको बेदखली के आदेश दिये? क्या यह बात सही नहीं है कि उसकी अपील जिला कलक्टर साहब के यहां हुई वह भी खारिज हुई? ये दोनों बातें सही हैं। उसके बाद में रेवेन्यू अपीलांट अथोरिटी के अन्दर जबकि न्यास के खिलाफ फैसला हो गया, उसकी अपील रेवेन्यू बोर्ड में नहीं करने का मतलब यह है कि न्यास का कोई न कोई अन्दरूनी समझौता इन लोगों से हो गया था। मंत्री महोदय, क्या यह समझौता इस बात से साबित नहीं होता है कि जब वाद दायर था उनका इस बात की डिग्री करने का कि खातेदारी दे दी जाए, तब उस पीरियड में आप न्यास के अन्दर इस बात को एडमिट कर रहे हैं कि ये खातेदार हैं और खातेदार मानकर जमीन को अपने यहां समर्पित करवा रहे हैं। उस आदमी को जिसकी खातेदारी डिसप्युटेड है, उसकी खातेदारी मानकर न्यास अपने यहां पर उसको समर्पित करा रहा है, इसका मतलब आप एडमिट कर रहे हैं। जब आपने एड-

(श्री हरिसिंह)

मिशन कर लिया उस बात का कि खातेदार हैं, उस जमीन को हम लेना चाहते हैं तो फिर रह क्या गया उसमें रहने के लिए? यह एडमिशन करना न्यास का, ट्रस्टीज का फ्लेगरेंट मिस यूज ऑफ पावर है उनकी तरफ से। सरकार कह रही है इस बात के लिए जब तक आप इन प्रस्तावों को निरस्त नहीं कर देंगे तब तक रिकार्ड पर इस बात का ट्रस्ट का एडमिशन रहेगा कि ये खातेदार हैं। इसलिए गवर्नमेंट कह रही है कि इसको निरस्त करिये आप। ट्रस्ट प्रस्तावों को वापस नहीं लेना चाह रहा है। इसका मतलब यह है कि सरकार के कहने के बावजूद भी अड़ा हुआ है। इसलिए क्या मंत्री महोदय, आप ट्रस्ट को इस मामले में नोटिस देंगे कि इसको डिजोल्व किया जाए ?

श्री उपाध्यक्ष : श्री शैलेन्द्र जोशी।

श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे तीन प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है कि सरकारी आदेश के बाद यू. आई. टी. ने रेवेन्यू बोर्ड में अपील दायर क्यों नहीं की ? दूसरा, मेरा निवेदन है कि यू. आई. टी. का समझौता रद्द किया जाए और रेवेन्यू बोर्ड में अपील अण्डर सैक्शन 5 लिमिटेशन एक्ट दायर की जाए बोर्ड की तरफ से यह आदेश किया जाए। तीसरा मेरा निवेदन है कि यू. आई. टी. जोधपुर ने सरकार के आदेशों की अवहेलना करके जो रेवेन्यू बोर्ड में अपील टाइमली दायर नहीं की उसके लिए यू. आई. टी. जोधपुर को बरखास्त किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय।

श्रीमती शशी दत्ता (राज्य मंत्री विधि) : एक मिनट, माननीय राजेन्द्र जी ने जब मुझे यह इंडिकेट करके कहा....

श्री राजेन्द्र चौधरी : मैंने यह कहा है कि जो एडिशनल एडवोकेट जनरल है....

श्री उपाध्यक्ष : श्री राजेन्द्र जी, कृपया आप सुनें।

श्री राजेन्द्र चौधरी : वह गलत राय दी है।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया सुनें। उनको जानकारी है।

श्रीमती शशी दत्ता : माननीय सदस्य, जो मैटर आप उठा रहे हैं। This is not concerned to me. यू. आई. टी. से सम्बन्धित है।

श्री राजेन्द्र चौधरी : नहीं, वह एडवोकेट की राय से सम्बन्धित है।

श्रीमती शशी दत्ता : आप सुन लीजिये। आप कहां से चले हैं, मैंने सारा आपका सुना है, आर. ए. एस अधिकारी, आर. ए. ए., ए. डी. एम., यू. आई. टी.। सबसे पहले तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि यू.आई.टी. में अलग से प्रावधान है, यू.आई.टी. का लीगल एडवाइजर अलग से होता है। That Legal Adviser is responsible for the cases of U. I. T. फिर आपने कहा कि रेवेन्यू. बोर्ड में गवर्नमेंट ने अपील दायर क्यों नहीं की।

श्री राजेन्द्र चौधरी : गवर्नमेंट ने नहीं, यू. आई. टी. ने नहीं की।

श्रीमती शशी दत्ता : सुन लीजिये। गवर्नमेंट एडवोकेट ने रेवेन्यू बोर्ड में लिमिटेशन निकलने तक अपील दायर क्यों नहीं की, इसका कारण सीधा-सीधा है। मुझे फैक्ट्स का मालूम नहीं है कि लिमिटेशन निकल गयी या लिमिटेशन में कुछ टाइम है, वहाँ तक तो सवाल माननीय मंत्री जी स्वयं देख लेंगे और मुझे भी बता देंगे, लेकिन जहां तक सवाल आपने यह उठाया कि एडवोकेट जनरल इंटेंशनली उसको दायर नहीं करना चाहते, तो या तो आप मुझे ये फैक्ट्स बता दें कि एडवोकेट जनरल का उसमें क्या इंटरेस्ट है क्योंकि वह गवर्नमेंट से सम्बन्धित है। एडवोकेट जनरल का काम ही यह कि जितने भी मैटर्स गवर्नमेंट से सम्बन्धित हैं, विदिन ए लिमिटेशन वह हमारे विभाग को भेजें और हमारा विभाग तुरन्त उस पर कार्यवाही करता है।

दूसरा प्रश्न आपने यह कहा कि सरकार यह बताये कि कितने केसेज में हमने गवर्नमेंट के पक्ष में की या कितने केसेज में एडवोकेट जनरल गवर्नमेंट....

श्री राजेन्द्र चौधरी : एडिशनल एडवोकेट ओनली, नोट जनरल। एडिशनल एडवोकेट लक्ष्मण सिंह के बारे में कह रहा हूं कि उसने कितनी राय दी उसकी जांच करवा लें आप।

श्री राजेन्द्र गहलोत : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अचानक यह क्या बताएंगे।

श्रीमती शशी दत्ता : आपने क्वेश्चन पूछा, कि एडिशनल एडवोकेट जनरल ने कितनी राय दी, इस हिसाब से तो मैं आपको सही जानकारी नहीं दे पाऊंगी क्योंकि बहुत लम्बा-चौड़ा केस है लेकिन आपने जो एलीगेशन लगाये हैं या तो आप उनको सही ढंग से प्रूव करें अदरवाइज आपने जो एलीगेशन लगाये हैं, मैं कहती हूं कि ये फाल्स हैं। फिर भी आप अगर शक करते हैं तो बताएं।

श्री राजेन्द्र चौधरी : आप जांच करो न।

श्रीमती शशी दत्ता : बिलकुल निष्पक्ष जांच करवाएंगे।

श्री हरिसिंह (महुआ) : बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बिना जांच किये ही फाल्स बता दिया।

श्री भंवरलाल शर्मा (स्वायत्त शासन मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही साधारण प्रश्न है।

श्री राजेन्द्र चौधरी : करोड़ों रुपयों की सरकारी जमीन गयी और यह आपके लिए साधारण है? कमाल करते हैं आप, ऐसी बातें करते हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा : इसमें जो बिन्दु इन्वाल्ड हैं वे साधारण हैं, जमीन तो बहुत कीमती है। पहले मेरी बात सुन लीजिये फिर कोई बात हो तो बता दीजिये, कौन मना करता है। इसमें जो बिन्दु इन्वाल्व हैं वे ज्यादा महत्व के नहीं हैं, जमीन बहुत कीमती है, मैं यह कहना चाहता हूं। कलक्टर साहब ने यह जमीन यू. आई. टी. को

(श्री भंवरलाल शर्मा)

आबादी के लिए दे दी, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यह उन्होंने 6.1.74 और 12.8.76 को दी। कलक्टर साहब ने यू.आई.टी. को जमीन आबादी के लिए दे दी, उस समय उस जमीन पर कुछ लोगों का कब्जा था। तहसीलदार ने कहा कि हटवा दो इनको, अतिक्रमी हैं। उन्होंने फैसला कर दिया, हटा दिया। अब सवाल यह है कि जमीन ये जो अतिक्रमी हैं इनकी है या राज्य सरकार की है। अगर यह सरकार की है तो बात फिर दूसरी है और यदि यह निर्णय हो जाए कि यह इन्हीं की है, ये जमीन के मालिक थे, कोई कानून यह तय कर देता है, जैसा कि मामला अभी रेवेन्यू बोर्ड में पैंडिंग है, अगर रेवेन्यू बोर्ड या सक्षम न्यायालय से यह तय हो जाता है कि जमीन के यही मालिक हैं तो सबसे ज्यादा ठीक है।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : बेरी कमेटी ने क्या तय किया ?

श्री भंवरलाल शर्मा : I am coming to that. बेरी कमेटी ने तो यह तय नहीं किया, बेरी ने तो यह कहा कि नहीं करना चाहिए था। उन्होंने कहा कि जब यह मामला इस बात के लिए पैंडिंग था कि इसका मालिक कौन है, उस बीच में समझौता नहीं करना चाहिए था। पाइंट वही आ गया, मैं कहां मना कर रहा हूं। जो फैक्ट्स हैं, मैंने पढ़े हैं। सवाल यह है कि जमीन यदि दो आदमियों की है, यह तय हो जाता है तो यह न्यास का फैसला बहुत उचित है। उन्होंने 80 प्रतिशत से ज्यादा जमीन ले ली और 12 प्रतिशत उनको दे दी, अगर वे मालिक हैं तो और अगर सरकार मालिक है तो उनको जमीन देने से कोई मतलब नहीं है, यह इतना-सा बिन्दु है। जब कोर्ट में तय हो जाएगा कि यह जमीन का मालिक नहीं है, 12 प्रतिशत वापस हो जाएगी और यदि यह तय हो गया कि वह मालिक है तो 80 प्रतिशत हमारी या 12 प्रतिशत उनकी और बाकी हमारी....

श्री राजेन्द्र चौधरी : कमाल की बात कर रहे हो आप।

श्री भंवरलाल शर्मा : और क्या करूं मैं?

श्री राजेन्द्र चौधरी : आपने खुद माना है कि यह बिलकुल गलत है। आप सरकार की तरफ से बोल रहे हैं या यू.आई.टी. की तरफ से बोल रहे हैं ?

श्री भंवरलाल शर्मा : मैंने किसी को ही गलत नहीं माना। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : इस प्रस्ताव के होते हुए यह कैसे तय हो जाएगा ?

श्री भंवरलाल शर्मा : अब सुनिये। I am coming to that. अब यह निर्णय करेंगे कि प्रस्ताव में क्या बात है। यह बात खड़ी नहीं हुई। बाकी तय होना तो यही है कि जमीन किस की है। अगर जमीन सरकार की होती है तो निर्णय ठीक हो जाएगा अगर जमीन सरकार की नहीं है तो विचार दूसरा करना पड़ेगा। अब यह जो आपस में समझौता कर लिया, इस समझौते के रहते हुए उनको क्या फायदा मिलेगा, नुकसान मिलेगा, यह बात है। यू.आई.टी. का यह कहना है कि यदि हम इसका समझौता खतम कर देते हैं, जो प्रस्ताव हमने लिया

(श्री भंवरलाल शर्मा)

है कि 12 प्रतिशत जमीन इनको देकर बाकी हमने ले ली तो जिस दिन यह फैसला कर देगी, हमारा समझौता रद्द ही होता है तो जिस जमीन पर आज उनका कब्जा है वह वापस उनके पास चली जाएगी। अगर यह प्रस्ताव आप रद्द करते हैं या प्रस्ताव वापस करते हैं तो क्या होगा कि जो जमीन उनकी थी आज उनके पास रहेगी कि नहीं रहेगी, कभी भी चली जाएगी उनके पास। इसलिए उसको पक्ष में बचाने के लिए कि कम से कम जमीन तो अपने पास रहे, यह समझौता कर लिया। अब मैं छोटी सी बात कहना चाहता हूं, अभी माननीय हरिसिंह जी मुझे बता रहे हैं, उसमें मेरा मार्गदर्शन करेंगे कि इसमें क्या करना चाहिए। अपील तो पैंडिंग है, यू.आई.टी. ने की या नहीं की, यह अलग बात है। उनके अधिकारों को चैलेंज चाहे तो सरकार कलक्टर के थ्रू कर दे या चाहे यू.आई.टी. के थ्रू कर दे, उसमें कोई अन्तर नहीं आएगा। वह निर्णय तो अभी राजस्व बोर्ड में सम्मिलित है। उस बीच में हमें नुकसान नहीं हो जाए, हम उस जमीन से कहीं वंचित नहीं रह जाएं, उसके लिए यदि आप मार्गदर्शन करना चाहे तो करें। हम निश्चित रूप से उसको मानेंगे और वह करने की कोशिश करेंगे (व्यवधान) यह है मुद्दा। जमीन बहुत बड़ी है, बिन्दु तो यहीं आकर अटकेगा इसलिए हमारा समझौता या वह प्रस्ताव है, जिस प्रस्ताव के द्वारा जमीन हमें मिल जाएं और हमारा कब्जा हो, वह हमसे निकल नहीं जाएं। इसके रहते हुए कोई सुझाव हो तो बता दीजिये, उसको मानने के लिए तैयार हैं हम।

श्री उपाध्यक्ष : यह जोधपुर का मामला है।

श्री हरिसिंह (महुआ) : उपाध्यक्ष महोदय, कानूनी मुद्दे पर एक प्रश्न पूछ रहा हूं आपके माध्यम से। (व्यवधान) मंत्रीजी, जब यह जमीन डिसप्युटेड बन गयी कब्जे के आधार पर, यह सिवाय चक की या कोई खातेदारी की रही, तो सक्षम न्यायालय का निर्णय हुए बगैर आपके अध्यक्ष ने जो उस पार्टी के साथ में समझौता किया, क्या यह मैलाफाइड नहीं है ? बिना उसकी जमीन हुए आपका ट्रस्ट उसको मालिक मान बैठा, इसमें ट्रस्ट के अध्यक्ष का मैलाफाइड इंटेंशन नहीं है ?

श्री हरजीराम बुरडक : सरकार ने तो न्यास के कदम को अनुचित माना है, बराबर आपने लिखा है कि निरस्त करिये डिसीजन को और अपील करिये। तो जो आपके आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं उसके बारे में आप क्या कर रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : श्री राजेन्द्र जी। यह आपका लास्ट सवाल होगा, उसके बाद मैं चर्चा समाप्त करूंगा।

श्री राजेन्द्र चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, हम यहां सदन में खाली उत्तर पूछने के लिए नहीं आते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, हम आपसे रक्षा चाहेंगे। नहीं, पहले आप संतुष्ट होइये, उपाध्यक्ष महोदय। ये मंत्री महोदय यू.आई.टी. की तरफ से बोल रहे हैं। आप यू.आई.टी. के पैनल लायर हैं यहां पर ? आप सरकार के प्रतिनिधि हैं, मंत्री हैं आप, सरकार की तरफ से बोल रहे हैं और सरकार ने बार-बार यह लिखा है कि इस

(श्री राजेन्द्र चौधरी)

समझौते को निरस्त किया जाए+++ बड़े शर्म की बात है। और आप यह कह रहे हैं कि वह जमीन आ जाएगी, चली जाएगी। यह क्या बात हुई? आप बिलकुल गलत कर रहे हैं। आपने बराबर निर्देश दिये हैं कि समझौता निरस्त किया जा। अभी इसी महीने की तीन तारीख को और निर्देश दिये हैं। और यू.आई.टी. मान नहीं रही है। यू.आई.टी. का अपाइंटमेंट आपने किया। सरकार ने किया। आप ऐसे न्यास को तत्काल प्रभाव से भंग कीजिये। जो आपके निर्देशों की पालना नहीं कर रहा है। मेरी दूसरी मांग है कि आप इस समझौते को निरस्त कीजिये और तीसरी बात है कि आप रेवेन्यू बोर्ड में अपील में जाइये। कलक्टर गया, आप नहीं गये। आपके ट्रस्ट की नीयत खराब थी। उन्होंने लाखों रुपये का इस जमीन पर लेनदेन किया है, यह मैं आरोप लगा रहा हूं और सरकार उत्तर में यही कह रही है। उसके बावजूद भी आप कह रहे हैं कि जो भी हो जाएगा, देख लेंगे। हम इसलिए यहां थोड़े ही आये हैं? हम इसलिए यहां नहीं आये हैं। एडिशनल एडवोकेट की राय बता दी, मैंने बताया कि एडिशनल एडवोकेट ने भूत बंगला के खसरा नम्बर 771 में राय दी उसको तो आपने नहीं माना और पांच महीने बाद में समझौता नहीं हुआ तो आप अपील में चले गये। आप उसकी भी जांच करा लीजिये। आप किस एडवोकेट जनरल की बात करते हैं? आप गलतबयानी करते हैं। हम सदन में सरकार के हित में बोल रहे हैं और आप सरकार के हित में भी बोलना नहीं चाहते हैं। आप जमीन नहीं लेना चाहते हैं तो फिर काहे के सरकार के मंत्री बने बैठे हो? आप यहां किस बात का उत्तर दे रहे हैं? इसका मतलब सैक्रेटरी, डिप्टी सैक्रेटरी, आपका सारा प्रशासन+++है? वे गलत कह रहे हैं और आप अकेले सही कह रहे हैं यहां पर?

श्री भंवरलाल शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य बहुत उत्तेजना में आ गये।

श्री राजेन्द्र चौधरी : उत्तेजना में नहीं, मैं स्टेट के इंट्रेस्ट में खड़ा हुआ हूं ★[redacted] खेद है, इस तरह का जवाब देते हो।

श्री उपाध्यक्ष : इस शब्द के स्थान पर "खेद है" लिख दें।

श्री राजेन्द्र चौधरी : हां, खेद है। जो भी शब्द आपकी डिक्शनरी में आए, उसको लिखें। मेरी पीड़ा और वेदना है, मैं स्टेट के इंस्ट्रेट में बोल रहा हूं और आप इस तरह का जवाब दे रहे हैं यहां पर। मुझे उम्मीद नहीं थी, भंवरलाल जी, आपसे कि इस तरह का जवाब देंगे आप। कमाल करते हैं आप।

श्री भंवरलाल शर्मा : मुझे भी यह उम्मीद नहीं थी कि आप मेरी बात को इस तरह लेंगे।

श्री राजेन्द्र चौधरी : क्या ले ली? साफ कहिये कि हम समझौता निरस्त कर

★ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार प्रतिस्थापित किया गया।

(श्री राजेन्द्र चौधरी)

रहे हैं, हम रेवेन्यू बोर्ड में अपील में जाएंगे। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुआ) : कुछ न कुछ गड़बड़ तो है इसमें। कुछ गड़बड़ तो है।

श्री भंवरलाल शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, अभी देखिये, जिनका आप नाम ले रहे हैं अध्यक्ष जी का, ये अध्यक्ष थे नहीं....

श्री राजेन्द्र चौधरी : अभी आपने समझौता निरस्त क्यों नहीं किया, आप तो यह जवाब दीजिये ना।

श्री भंवरलाल शर्मा : ऐसा तो कोई है नहीं। जिन अध्यक्ष महोदय का आप नाम ले रहे हैं, यह फैसला उनके कार्यकाल में नहीं हुआ। यह फैसला तो बहुत पहले हो चुका है (व्यवधान) अब आप मेरी बात सुनें।

श्री परसादीलाल मीणा : आपके आदेशों की पालना कराएंगे कि नहीं कराएंगे यह बता दें आप तो। आपके क्लियर आदेश हैं उनकी पालना होगी कि नहीं होगी, सीधी-सी बात है।

श्री भंवरलाल शर्मा : बिलकुल ठीक है। जैसा मैंने कहा कि थोड़ा पेचीदा सवाल है, इसमें कोई हमारा आग्रह नहीं है। यह फैसला, इसका जो प्रस्ताव है उसको रद्द करने से यदि हमारा केस कमजोर (व्यवधान) मेरी बात सुनो तो सही। यह क्या हो रहा है ? (व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : आप करिये ना रद्द समझौता। सवाल इतना-सा है।

श्री भंवरलाल शर्मा : मैं जवाब दे रहा हूं। आप जवाब क्यों नहीं सुनना चाहते हो ? आप दिन भर बोलते हो मर्जी में जो आये, कभी तो हमारी भी सुन लो।

श्री परसादीलाल मीणा : एक लाइन का जवाब है।

श्री भंवरलाल शर्मा : यह इतना महत्वपूर्ण इश्यू है इसलिए मैं कहता हूं, माननीय हरिसिंह जी यहां मौजूद हैं, आप इसको एक बार देख लें। आप फाइल देख लें, यदि आपको यह लगता है कि समझौता रद्द करने से केस में खराबी नहीं होगी, नुकसान नहीं होगा तो मैं तैयार हूं। यदि आपको लगता है यह रहना ठीक है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र चौधरी : मंत्री महोदय, सीधा कहिये कि यह बात नहीं है (व्यवधान) बिलकुल सही नहीं है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : उत्तर पर्याप्त। उत्तर पर्याप्त। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, यह बात नहीं है। मेरी बात सुनिये एक मिनट। मैं मेरे हित में खड़ा नहीं हुआ हूं यहां पर, मैं स्टेट के हित में खड़ा हुआ हूं यहां पर। इस तरह की बात क्या देख लें ? आप अपने आदेशों की पालना कराएंगे कि नहीं, जो आपने आदेश जारी किये हैं, मैं वह पूछ रहा हूं और आप यू.आई.टी. के पैनल लायर की तरह खड़े होकर बात कर रहे हैं। आप मंत्री के रूप में बिहेव कीजिये, behave like a minister.

श्री उपाध्यक्ष : सरकार की ओर से उत्तर दिया जा रहा है।

श्री राजेन्द्र चौधरी : मैं सरकार की बात कर रहा हूं। आपने जो आदेश जारी किए हैं, आप उनकी पालना कराएंगे कि नहीं कराएंगे ?

श्री भंवरलाल शर्मा : I will tny.। राजेन्द्र जी... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप सुनिये तो सही। (व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : आप बिलकुल मजबूत हो, क्या करना है आपको। (व्यवधान) आप मजबूती से अपने आदेशों की पालना कराएं।

श्री हरिसिंह (महुआ) : आप या तो समझौता निरस्त कीजिये या आप यह कहिये कि हमने गलत आदेश दिये हैं, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय परसादी लालजी (व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : हम जयपुर के लोग हैं, मजबूती से कहो।

श्री भंवरलाल शर्मा : आपको इस केस का एतराज पता नहीं है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि....

श्री उपाध्यक्ष : राजेन्द्र जी, आप बिराजिये। (व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : इसको आप ही लागू नहीं करा रहे हैं, ये आपके ही आदेश हैं।

श्री उपाध्यक्ष : मुझे ऐसा लगता है कि आपकी ही तरफ से माननीय सदस्य उत्तर नहीं सुनना चाहते हैं, तो मुझे यह चर्चा समाप्त करनी पड़ेगी, इसलिए आप सुनिये।

श्री भंवरलाल शर्मा : ये जब आदेश हमने दिये, यू.आई.टी. का यह कहना है कि यदि हम अपना प्रस्ताव जो हमने दिया है, वापस लेंगे तो यह जमीन पूरी की पूरी काश्तकार के पास चली जा सकती है या चली जाएंगी (व्यवधान) यह उनकी बात आयी है अब। Let us study it.

श्री उपाध्यक्ष : थोड़ा धैर्य रखिये, धैर्य।

श्री भंवरलाल शर्मा : अगर आप ठीक समझते हैं तो हरिसिंह जी को इन्वाइट किया है, नहीं तो हमारा जो लॉ विभाग है, उससे राय लेंगे, अगर वे कहते हैं कि इसको वापस लेने में कोई आपत्ति नहीं है, जनहित में है तो उसको वापस ले लेंगे आग्रह करके, नहीं देंगे। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : किसी पर डाउट है क्या आपको ?

श्री भंवरलाल शर्मा : और अगर लगता है कि केस कमजोर....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आपकी सारी बात मान ली। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : हरिसिंहजी पर आपको डाउट है क्या इसमें ? फिर क्या हो गया।

श्री भंवरलाल शर्मा : हमारा जो लीगल डिपार्टमेंट हैं....

श्री राजेन्द्र चौधरी : मुख्य सचेतकजी, कृपया आप विराजें।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक) : नगर विकास न्यास अपने इंट्रेस्ट में जो भी अच्छा समझेगा, वह करता है राज्य सरकार के आदेश के बाद भी जो मामला जुडीशियरी में है वह मामला हमारे कारण से प्रभावित नहीं हो, इतना तो ध्यान रखें। इसलिए माननीय हरिसिंह जी को कहा है कि आप देख लें आपको हरिसिंह जी पर भी डाउट है क्या ?

श्री राजेन्द्र चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय मुख्य सचेतक अपनी बात कह रहे हैं।

श्री हरिसिंह (महुआ) : "रहिमन कारी कोठरी, चढ़े न दूजो रंग"। आप पर तो कोई दूसरा रंग चढ़ता नहीं है।

श्री राजेन्द्र चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं आप मेरी पीड़ा समझ रहे हैं, मैंने केवल मंत्रीजी से पूछा है कि आपके ट्रस्ट के यहां से....

श्री महावीर प्रसाद जैन : + + +

श्री राजेन्द्र चौधरी : चिट्ठी वापस आयी है उसको आपकी सरकार ने नहीं माना है। आपने कहा है सरकार की ओर से उत्तर, मैं सरकार के उत्तर की ही बात कर रहा हूं। सरकार ने अभी 3.7.96 को वापस चिट्ठी लिखी है कि निरस्त किया जाए। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, हम यहां पर, उपाध्यक्ष महोदय, क्यों आते हैं, हम किस की पीड़ा की बात करते हैं ? (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा : राजेन्द्र जी, क्या सुझाव हैं आपके, बताइये आप। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र चौधरी : आपने जो सुझाव दिये, आपने जो डायरेक्शन दिया है....

श्री भंवरलाल शर्मा : नहीं, आपके सुझाव बताइये। तसल्ली से बता दीजिये।

श्री राजेन्द्र चौधरी : हां, तो मैं बता रहा हूं। मेरा यह सुझाव है कि न्यास का जो प्रस्ताव लिया गया है वह निरस्त कीजिये, रेवेन्यू बोर्ड में अपील में जाइये और इस न्यास को भंग कीजिये।

श्री भंवरलाल शर्मा : जहां तक अपील में जाने की आप बात कर रहे हैं रेवेन्यू बोर्ड में हालांकि एडवोकेट जनरल हैं उन्होंने कहा है कि इसमें कोई दम नहीं है, लेकिन फिर भी आप कहते हैं, या तो आप कहें तो सीधा ही आदेश दे दें अपील में जाने का, या एक बार... (व्यवधान).... सुन लो आप या जो हमारा लीगल सेल है, लीगल सेक्शन है, उससे राय करवा लें। जैसे भी आप चाहेंगे, कर दूंगा। यदि आप चाहते हैं कि नहीं, अपील में फिर भी चले जाओ, हमारे एडवोकेट की राय के खिलाफ होते हुए भी, यदि आपका यह मत बनता है कि हमको रेवेन्यू बोर्ड में जाना चाहिए, जबकि वहां मैटर पेण्डिंग है—चाहे वह कलक्टर साहब ने किया है या चाहें हम करें, उसको, एक रिपीटीशन ही होगा, फिर भी अगर आपको उससे सन्तोष है तो यह मैं आदेश दे दूंगा कि भई, कुछ भी हो, आप अपील तो कर ही दो।

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री भंवरलाल शर्मा)

एक बात तो पूरी हो गई आपकी । अब दूसरा सवाल यह है, वह जो समझौता हुआ है, उसमें मेरा थोड़ा हित यह है, मैं आपके पक्ष में ही बोल रहा हूं, मैं कोई यू.आई.टी. की वकालत नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो फैक्ट मेरे सामने आये हैं, वह निवेदन करता हूं कि वह समझौता रहते हुए अगर केस मजबूत हो तो समझौता रहना चाहिए, यदि केस इसको हटाने से मजबूत होता है तो हटा लेना चाहिये । यही राय करने की बात मैं कह रहा हूं । इसमें मैंने मार्गदर्शन मांग लिया है । जहां आप कहते हो कि उनको भंग कर दो, तो मैंने इसीलिए कहा कि यह इन्होंने नहीं किया, यह पुराने जमाने का फैसला है, इस अध्यक्ष का किया हुआ ही नहीं है । (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा समाप्त । कृपया विराजें । प्रक्रिया नियम 131 के अन्तर्गत श्री मोहनलाल मोदी, श्री राजेन्द्र पारीक, श्री लक्ष्मण सिंह, श्री परसादीलाल मीणा, श्री बनवारी लाल शर्मा, सदस्य, विधान सभा....

श्री राजेन्द्र चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, यह कोई बात नहीं हुई ।

श्री उपाध्यक्ष : पुलिस थाना नीमकाथाना में दर्ज मुकदमा संख्या 138/96 दिनांक 9.4.96 में ...

श्री राजेन्द्र चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, आप हमारी तरफ देखिये ।

श्री उपाध्यक्ष : अब तक समुचित कार्यवाही नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे । (व्यवधान) मैंने चर्चा समाप्त कर दी, माननीय सदस्य राजेन्द्र जी, कृपया विराजें ।

श्री राजेन्द्र चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, हाथ जोड़कर विनती है, मैं राजस्थान के हित में हाथ जोडकर आपसे निवेदन करना चाहता हूं....

श्री उपाध्यक्ष : आप माननीय मंत्रीजी से मिल लें कृपया । मैंने चर्चा समाप्त कर दी ।

श्री राजेन्द्र चौधरी : एक बात का उत्तर मंत्री जी ने नहीं दिया । उपाध्यक्ष महोदय, मेरा भी हाथ जोड़कर निवेदन है आपसे, मैं तो वह निवेदन कर रहा हूं....

श्री उपाध्यक्ष : अब मेरी मजबूरी है, माननीय सदस्य । मेरी मजबूरी है । नहीं, कोई एक मिनट नहीं । श्री मोहनलाल मोदी ।

श्री राजेन्द्र चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा हूं कि आप इस आदेश की पालना कराएंगे क्या ।

श्री उपाध्यक्ष : बोलिये ।

श्री राजेन्द्र चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो केवल यह पूछ रहा हूं कि इस आदेश की जो तीन तारीख को इसी महीने में भेजा है। उसकी पालना कराएंगे क्या ।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया आप बिराजें । राजेन्द्रजी, आप बिराजें । आपने इस पर काफी प्रकाश डाल लिया, अब आप बिराजें ।

श्री राजेन्द्र चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, आप मेरी मदद कीजिये । मैं कह रहा

(श्री राजेन्द्र चौधरी)

हूं कि इसी आदेश की पालना सरकार कराएगी, खुद के आदेश की ? मैं तो यही पूछ रहा हूं। तीन तारीख को सातवें महीने में जो चिट्ठी भेजी है, आप उसकी पालना कराएंगे क्या, मैं तो यही पूछ रहा हूं। एक सवाल ही तो पूछ रहा हूं।

श्री भंवरलाल शर्मा : राजेन्द्र जी, यह कोई वाद-विवाद का सवाल नहीं है।

श्री राजेन्द्र चौधरी : तो आप इसकी पालना कराएंगे क्या ?

श्री भंवरलाल शर्मा : मेरी बात तो सुनो न आप, आप बोले ही बोले जाते हो। मैंने आपसे फिर निवेदन किया कि आपने दो मुझें निर्देश दिये हैं, एक तो रेवेन्यू बोर्ड में अपील करने के....

श्री हरजीराम बुरडक : वह आपके ही आदेश हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा : हां, मेरे सही। रेवेन्यू बोर्ड में अपील करने का जहां तक सवाल है, यह मैं करा देता हूं। अब रहा सवाल, जो प्रस्ताव है उसको निरस्त करने की बात करते हो....

श्री राजेन्द्र चौधरी : इसी महीने में तीन तारीख को दिया है जो।

श्री भंवरलाल शर्मा : मेरी बात तो सुन लो। लीगली एग्जामिन करने के बाद यदि उसको निरस्त करने से अपना केस मजबूत रहता है तो उसको निरस्त करने की बात करेंगे। यदि उसको निरस्त नहीं करने से मजबूत रहता है तो यह करेंगे। इसीलिए तो राय मांग रहा हूं। है क्या, मेरे समझ में नहीं आया।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मोहनलाल मोदी।

नीमकाथाना पुलिस थाने में मुकदमा संख्या 138/96 में समुचित कार्यवाही न होने से उत्पन्न स्थिति

श्री मोहनलाल मोदी (नीमकाथाना) : उपाध्यक्ष महोदय, 27.4.96 को ग्राम टोडा में जो हरिजनों के साथ मारपीट हुई उसके ऊपर मै गृह मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर) : हरिजनों पर अत्याचार हो रहे हैं माननीय मंत्रीजी।

श्री कैलाश मेघवाल (गृह मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, दिनांक 29.4.96 को श्री जीवणराम पुत्र श्री प्रभुदयाल आयु 15 वर्ष निवासी ग्राम टोडा ने एक लिखित रिपोर्ट पुलिस थाना नीमकाथाना जिला सीकर पर उपस्थित होकर प्रस्तुत की थी कि दिनांक 27.4.96 को लोक सभा आम चुनाव में ग्राम टोडा में मतदान केन्द्र संख्या 133 में वह राजेन्द्र पुत्र श्री खेताराम के साथ कांग्रेस उम्मीदवार श्री हरिसिंह का पोलिंग एजेंट था। मतदान समाप्त होने के बाद श्री देवकी एवं टोडरमल पुत्र भंवरलाल ने इन दोनों पोलिंग एजेंटों को सायंकाल लगभग छह बजे धमकी दी तथा उसके पश्चात् रात्रि के लगभग नौ बजे हाथों में लाठियां लिये हुए उसके घर के दरवाजे पर आकर कहा—बाहर निकल कर आओ, तुम्हें एजेंट बनने का मजा चखाएंगे तथा परिवादी के भाई श्री रामकुमार के साथ मारपीट की। इस सूचना पर मुकदमा संख्या 138/96

(श्री कैलाश मेघवाल)

धारा 451, 323 आई.पी.सी. तथा 3 एस. सी., एस.टी. एक्ट के अन्तर्गत थाना नीमकाथाना पर पंजीबद्ध किया गया। अभियोग का अनुसंधान उप अधीक्षक वृत्त नीमकाथाना, सीकर द्वारा किया गया तथा अनुसंधान के दौरान ज्ञात हुआ कि देवकीनन्दन, टोडरमल तथा प्रार्थी के भाई रामकुमार आदि को लोक सभा चुनाव के पूर्व शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिए धारा 107, 116(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत पाबंद कराया गया था। रामकुमार को यह संदेह था कि धारा 107 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत देवकीनन्दन ने ही उसे पाबंद कराया है। इस आपसी रंजिश के कारण दिनांक 27.4.96 को रामकुमार ने देवकीनन्दन की पत्नी को टेलीफोन पर अपशब्द कहे तथा इस बात पर देवकीनन्दन तथा उसके साथियों द्वारा रामकुमार को विरोध जताया गया। अनुसंधान के दौरान विभिन्न गवाहों द्वारा विरोधाभासी बयान दिये गये हैं अतः अभियोग का अनुसंधान गहनता से करने के निर्देश दिये जा रहे हैं। अनुसंधान जारी है। यह सत्य है कि देवकीनंदन तथा टोडर मल हत्या के एक प्रकरण में लिप्त हैं तथा उनके विरुद्ध पूर्व में मुकदमा संख्या 112/-79 में जिला सेशन न्यायालय, सीकर में दिनांक 30.7.80 को सजा सुनायी गयी थी जिसकी अपील उच्च न्यायालय जयपुर पीठ में विचाराधीन हैं। देवकीनन्दन के पिता श्री मोहनलाल के पास बोर्ड आफ इण्डियन मेडिसिन, राजस्थान, जयपुर तथा देवकीनंदन के पास बिहार मेग्नेटो थैरेपी मेडिसिन बोर्ड, पटना का प्रमाण-पत्र है तथा वह बवासीर का इलाज इंजेक्शन लगा कर करता आ रहा है। इसको स्थानीय पुलिस द्वारा किसी भी प्रकार का कोई संरक्षण नहीं दिया हुआ है तथा आम नागरिकों में भी इनका कोई भय व्याप्त नहीं है।

श्री मोहनलाल मोदी : उपाध्यक्ष महोदय, जिस तरह का अनुसंधान किया गया है, डीवाई.एस.पी. की जिस तरह की रिपोर्ट है उससे यह बिलकुल स्पष्ट जाहिर है कि वह डीवाई. एस. पी. बिक चुका है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं, क्या एक हरिजन की इस तरह से हिम्मत हो सकती है कि इस देवकीनन्दन जैसे हत्यारे को टेलीफोन करे कि तुमने 107 के अन्दर हमको पाबंद करा दिया ? 107 के अन्दर, मंत्री महोदय, हजारों आदमियों को पाबंद किया गया था लॉ एण्ड आर्डर को कायम करने के लिए और यहां भी 58 और 60 आदमियों को पाबंद किया गया था। इस तरह का बहाना लेकर यह कहना कि वह एजेंट ही नहीं था, आखिर उसको कहां से सबूत मिल गये कि एजेंट नहीं था ? ये दोनों एजेंट थे। एक पोलिंग बूथ पर...

श्री कैलाश मेघवाल : मैंने कहीं नहीं कहा कि वह एजेंट नहीं था।

श्री हरिसिंह (महुआ) : कहा है।

श्री कैलाश मेघवाल : क्या ?

श्री हरिसिंह : जीवणराम नहीं था एजेंट।

श्री कैलाश मेघवाल : हां, था ना।

श्री मोहनलाल मोदी : जीवणराम की ही बात कह रहा हूं कि जीवणराम भी एजेंट था। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह आपके इसमें आ गया कि ये हत्यारे हैं और उन हत्यारों का गांव में कितना बड़ा आतंक है। आपने यह कहा कि 29 को रिपोर्ट पेश की, 27 को वाक्या हुआ और दिन भर उनको निकलने नहीं दिया, उनकी क्या स्थिति है वहां पर। मंत्री महोदय, उन हरिजनों को निकलने नहीं दिया, वे बड़ी मुश्किल से वहां से निकलकर फिर आये रिपोर्ट करने के लिए। आज भी उनके जो गवाह हैं उन गवाहों को धमकाया गया और बड़ा लालच दिया गया। लेकिन आप एक बात देखिये उन हरिजनों की हिम्मत की दाद देता हूं मैं, उनको दूसरे लोगों ने पैसे के लिए भी आकर किया कि तुम राजीनामा कर लो, बड़े-बड़े दबाव डाले गये।

श्री उपाध्यक्ष : आप अब गृह मंत्रीजी से क्या चाहते हैं, कुछ सवाल पूछ लें।

(14.00)

श्री मोहन लाल मोदी : गृह मंत्री जी से यह चाहता हूं कि तत्काल उन लोगों को गिरफ्तार करा कर चालान पेश कराए। यह लीपापोती जो है उसको नहीं होने दें। जैसा यह कहा है कि मनगढंत घटना लिखा दी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मंत्री महोदय, मैं कभी असत्य नहीं बोलता हूं, गलत बात नहीं करता हूं, इसमें एक शब्द भी असत्य नहीं हो, इस घटना में जरा-सी भी कोई असत्य बात आ जाए, मैं इस विधान सभा से त्याग पत्र देकर चला जाऊंगा। मेरे को बहुत बड़ा दर्द है, बहुत बड़ी तकलीफ है कि हम विधायक चुनकर आये हैं और हम एक हरिजन की इतनी-सी मदद नहीं कर सकते। उस पर इतना बड़ा अत्याचार हो, घर में घुसकर मारें–पीटें। उसकी बनियान कहां है जो बनियान पहन कर वे आये थे, जो रिपोर्ट में लिखा है कि उसकी बनियान हाथ में आयी, खुल गयी और वहीं पड़ी है। वह बनियान क्या आपकी पुलिस ने आज तक ली? आपकी पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन ही नहीं किया। आपकी पुलिस किसी बात पर ही नहीं गयी। पुलिस ने तो सीधा है, मोटा मामला है, बड़ा आदमी है और खूब पैसा कमाता है, अच्छी मोटी रकम लेकर लीपापोती कर ली और उसको एक दिन भी पुलिस स्टेशन पर नहीं बुलाया। एक दिन जाकर जांच नहीं की, सारी घर बैठे और आप कहते हैं कि पुलिस का सहयोग नहीं है वहां जो चौकी है वे लोग तो दिन रात उसके घर पर बैठे दारूपीते रहते हैं। उसको दारू का धंधा भी है, वह हथियार भी रखता है। इतना बड़ा आतंक उस गांव में है। गृह मंत्री जी, एक बात मैं निवेदन करना चाहता हूं, आपका कोई विश्वसनीय, ईमानदार व्यक्ति हो उसको आप वहां भेजकर जांच करा लीजिये कि क्या इसमें यह असत्य मामला दर्ज कराया है तो जो चाहें आप सजा दें मैं भुगतने के तैयार हूं।

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त करें। श्री राजेन्द्र पारीक।

श्री नरपतसिंह राजवी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट ...

श्री उपाध्यक्ष : राजेन्द्र जी के बाद में।

श्री नरपतसिंह राजवी : यह झुंझुनूं जिले की है इसी सम्बन्ध में बोल रहे हैं क्या ? मेरा इतना ही कि झुंझुनूं जिले का यह जो क्राइम हुआ है....

श्री उपाध्यक्ष : थोड़ा वेट कर लें आप ।

एक माननीय सदस्य : यह सीकर जिले का मामला है ।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय, का रिप्लाई आया है कि मुकदमे के अब तक के अनुसंधान से पाया गया कि एफ.आई. आर. घटना के दो दिन बाद दर्ज करायी गयी तथा गवाहों के बयानों से यह मामला असत्य, मनगढंत पाया गया, अनुसंधान जारी है । जब ये स्वयं इस बात को कह रहे हैं कि मामला मनगढंत पाया गया तो यह तो इन्होंने पहले से ही तय कर लिया । उसके बाद अनुसंधान जारी है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय ।

श्री कैलाश मेघवाल : कहां बोला है मैंने मनगढंत पाया गया ?

श्री राजेन्द्र पारीक : गवाहों के बयानात से, यह आपने रिप्लाई दिया है ।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक बात का फैसला हो जाना चाहिये आज । बात यह है कि विधान सभा में जब हम आते हैं तो अन्तिम यहां चर्चा के लिये जो स्टेटमेंट है वह स्टेटमेंट मेरा यह है । मैंने पत्रावली मंगवाई, पत्रावली देखने के बाद स्टेटमेंट दिया है । विधान सभा से कोई कम्यूनिकेशन जाता है और उसका जवाब कोई आता है तो उसका प्रयोग केवल इतना ही है कि उपाध्यक्ष या अध्यक्ष महोदय की उस आइटम को लगाया जाए या नहीं, उसके बारे में निर्णय लेने की स्थिति होती है । यों तो कई बातें होती हैं । मेरा स्टेटमेंट आपके सामने है और उसके आधार पर आप मुझे कुछ कहिये । असेम्बली के सामने जो मैंने कहा है ।

श्री राजेन्द्र पारीक : मैं यह निवेदन करना चाहूंगा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि इस परिवार के बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा । इस परिवार का बैकग्राउंड यह है कि....

श्री हरिसिंह (महुआ) : उपाध्यक्ष महोदय, यह जवाब असेम्बली को भेजा है इन्होंने ।

श्री उपाध्यक्ष : अब राजेन्द्र जी को डिस्टर्ब न करें आप । कृपया बैठें ।

श्री हरिसिंह (महुआ) : उपाध्यक्ष महोदय, राजेन्द्र जी उसी में से बोल रहे हैं जो सरकार ने असेम्बली को जवाब भेजा है । अब ये दो बातें नहीं हो सकतीं कि असेम्बली को डिफरेंट जवाब दें और यहां मंत्री जी डिफरेंट जवाब दें । यह बात नहीं हो सकती ।...(व्यवधान).... यह तो नियमों के प्रतिकूल है और असेम्बली को + + + में रख रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : एक्सपंज कर दिया जाए ।

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी ।

श्री शांतिकुमार धारीवाल (हिण्डौली) : ... (व्यवधान) सीकर जिला कांग्रेस पार्टी के दफ्तर से आया है क्या यह जवाब ? जब पुलिस की तरफ से जब जवाब आया है और जवाब हमको वितरित किया गया है तो हम उस जवाब को कोट नहीं करें ? ....(व्यवधान) .. आप दो मुंही बातें कर रहे हैं । आप वहां क्या करते हैं और यहां आप क्या बोल रहे हैं ?

श्री कैलाश मेघवाल : हिण्डौली से आने वाले माननीय विधायक तो उत्तर से भी इसको कोट कर सकते हैं । कोट करिये आप तो ।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : नहीं, आप जवाब तो क्या देते हैं और आप यहां क्या बोल रहे हैं।आपने देखा कि इस जवाब में कई चीजें ऐसी हैं जो पुलिस की पोल खोल रही है । आप अपने आपको हरिजनों का मसीहा बता रहे हैं और हरिजनों पर ये अत्याचार हो रहे हैं ।

श्री कैलाश मेघवाल : आप बताते हैं, मैं नहीं बताता हूं ।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मैं आपको मसीहा बताऊंगा ।

श्री कैलाश मेघवाल : बताना पड़ेगा ।

श्री उपाध्यक्ष : धारीवाल जी, राजेन्द्र जी वेट कर रहे हैं कृपया आप बिराजिये ।

श्री राजेन्द्र पारीक : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा कि टोडा में जिन हालात में यह घटना हुई है, टोडा में यह जो हरिजन परिवार रहता है उसको भी चुनाव के दौरान प्रिवेंटिव उसमें पाबंद किया गया और आपके टोडरमल को और यह दूसरा व्यक्ति देवकी है इसको भी पाबंद किया गया । इनको पाबंद करने के पीछे है कि इनके खिलाफ 302 और 307 के मुकदमे चले थे और उसमें इनको सजा हुई थी । मैं आपका ध्यान इस ओर जरूर दिलाना चाहूंगा कि इस परिवार की हिस्ट्री क्या है, इस परिवार की स्वयं की वहां पर आज के दिन क्या पोजीशन है। महाराष्ट्र के जलगांव जैसे सैक्स स्कैंडल में इस परिवार का व्यक्ति और इस अपराधी का बड़ा भाई कमलनाथ शास्त्री वहां मुजरिम है । जो गिरफ्तार हुआ है वहां पर ऑन रिकार्ड गिरफ्तार हुआ है । जिस परिवार का व्यक्ति 302 में सजायाफ्ता है, जिस परिवार का व्यक्ति 307 में सजायाफ्ता है उस परिवार के सामने एक साधारण से हरिजन परिवार की आप, माननीय गृह मंत्री जी, इतनी हिम्मत समझते हैं कि वह जाकर उसकी मिसेज को टेलीफोन पर गालियां दे देगा ? इतनी बड़ी हैसियत होगी उसकी? यह सारा का सारा मामला इतना-सा ही है कि चुनाव के दौरान लोगों को गांव में एजेंट बनने में तकलीफ होती है । आपने लिखा है कि 15 साल का बच्चा एजेंट कैसे बन गया । कोई कानूनी ऐसी पाबंदी नहीं है । माननीय मंत्री जी, आप चुनाव के रूल्स में दिखाइये कि कोई 15 साल का बच्चा चुनाव के दौरान एजेंट बन सकता है कि नहीं बन सकता । ऐसी कोई पाबंदी है आपकी तरफ से ? आपने कह दिया, आपने इसमें जवाब दिया है कि नियमानुसार वो.... उसकी जानकारी है आपको ?

श्री हरिसिंह (महुग्रा) : इलेक्शन लॉ में है क्या कहीं ?

श्री कैलाश मेघवाल : शांति लाल जी को मालूम है इनसे पूछ लो आप ।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : 15 साल का बच्चा आप कहते हैं कि पोलिंग एजेंट नहीं बन सकता, आप यह बता दें कि कितने साल का बन सकता है, मिनिमम एज क्या है पोलिंग एजेंट की ?

श्री राजेन्द्र पारीक : कितने साल का बन सकता है यह बताइये ? आपने इसमें लिखा है कि नियमानुसार फीस लेकर बवासीर का भी वह इन्तजाम करता है, उसकी नियमानुसार फीस क्या है ? इसमें कोई कहीं लम्बी–चौड़ी बात नहीं है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम तो सिर्फ इतना ही चाहते हैं कि एक हरिजन परिवार के साथ इन्होंने ज्यादती की है, मारपीट की है....

श्री कैलाश मेघवाल : आप चाहते क्या हो, यह बोलो ।

श्री राजेन्द्र पारीक : हम यह चाहते हैं कि इसकी जांच करवाकर उस हरिजन परिवार को न्याय दिलवाया जाए और वहां आपके पुलिस के अधिकारी जो इस मामले में लिप्त हैं और जो इस तरह की गड़बड़ करते हैं उनका आप इमीजियेट वहां से स्थानान्तरण करें ताकि वहां गरीब लोगों को न्याय मिल सके । हम यह चाहते हैं आपसे ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री लक्ष्मण सिंह । (अनुपस्थित) श्री परसादी लाल मीणा ।

श्री नरपत सिंह राजवी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन कर रहा था इस सम्बन्ध में....

श्री उपाध्यक्ष : पहले लिस्ट वाले बोल लें, फिर आप बोल लेना ।

श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) : उपाध्यक्ष महोदय, जो एफ. आई. आर. लिखायी गयी है गृह मंत्री जी जो आपकी पुलिस की कार्यवाही है आपने उसे पढ़ा है कि उनके शरीर पर चोट आयी है, इसका मतलब उनको घर जाकर पीटा तो है । आप कह रहे हैं मंत्री महोदय कि बयानों से मामला मनगढंत पाया जाता है । यह चोट वैसे ही आ गयी क्या शरीर पर ? उनके कपड़े फाड़े हैं यह भी आपकी पुलिस कार्यवाही में है । और यह भी सही है, आप खुद कह रहे हैं, गृह मंत्री जी, कि वे अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, उनको चुनाव के दौरान पाबद किया गया है, उनको धारा 302 में सजा भी हुई है, हाई कोर्ट की जमानत पर हैं । ऐसे अपराधी लोगों के खिलाफ भी आप कार्यवाही नहीं करेंगे ? धारा 3 जो उनके खिलाफ लगी है, आपने एक–एक शब्द पढ़ा है लेकिन घर जाकर उनको क्या कहा है, आपने स्टेटमेंट में उस शब्द का नाम नहीं लिया है । आपको शर्म आती है यह कहते हुए कि उनको चमार कहा, उनको ढेढ कहा ? आपको शर्म आती थी कहते हुए स्टेटमेंट में ? आपको कहना चाहिये था । आपने एक शब्द भी जो उनको गाली–गलौज में कहा उन शब्दों का उल्लेख आपने नहीं किया । आपकी जानकारी में यह मामला आने के बाद भी आज तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई । आपकी पुलिस लीपा-

(श्री परसादीलाल मीणा)

पोती कर रही है और लीपापोती करेगी क्योंकि वे भारतीय जनता पार्टी के एजेन्ट हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता क्रिमिनल टाइप के हो गये हैं। वे गरीब लोगों को, हरिजनों को वोट नहीं देने देते वे उनको धमकाते हैं. अगर वोट देने चला जाए तो शाम को आकर उनकी पिटाई करते हैं। उसी तरह का, गृह मंत्री जी यह मामला है। यह वोट देने पर झगड़ा हुआ है, एजेंट बनने पर झगड़ा हुआ है। उनकी धमकी के बावजूद एजेंट बने इसलिये झगड़ा हुआ है। आप इसमें गिरफ्तारी इसलिये नहीं करवा रहे हैं कि वे बी. जे. पी. के लोग हैं, आपके ऊपर दबाव है। मुझे पता है कि आपके ऊपर दवाब था, सुबह भी चल रहा था। यहां पर बराबर के मंत्री आपको कह रहे थे कि आप इसमें कार्यवाही नहीं करेंगे।....

श्री उपाध्यक्ष : श्री बनवारी लाल शर्मा। कृपया बिराजें। आपने काफी सवाल पूछ लिये आप बैठें। श्री नरपत सिंह राजवी।

श्री परसादीलाल मीणा : आप किसी बड़े अधिकारी से जांच कराएं, आप इसकी सी. आई. डी. (सी. बी. आई.) से जांच करवाए, यह मेरी आपसे मांग है और निष्पक्ष/अगर हरिजनों को इस तरह राजस्थान में दबाया गया तो आपका गृह मंत्री बनने का कोई मतलब नहीं। मुख्य मंत्रीजी ने आप पर भरोसा किया है कि राजस्थान के हरिजन कैलाश के गृह मंत्री बनने से सुरक्षित रहेंगे और आपके गृह मंत्री बनने के बाद राजस्थान के हरिजन ज्यादा पिसे हैं, ज्यादा पिटे हैं।

श्री नरपतसिंह राजवी (चित्तौड़गढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, अभी माननीय सदस्य, झुंझुनूं जिले के बारे में चर्चा कर रहे थे.... सीकर जिले की। इसी क्षेत्र से लगा हुआ है उदयपुरवाटी। उपाध्यक्ष महोदय, उदयपुरवाटी के पास जाजड़ नाम का एक गांव है। वहां पर रवीन्द्र मिश्रा नाम का एक व्यक्ति राष्ट्रपति बॉडी गार्ड ग्रुप में कर्मचारी था। राष्ट्रपति बॉडीगार्ड के कमांडिंग आफिसर ने पत्र भी लिखा कि इनके परिवार और इनकी जानमाल को खतरा है। अभी परसों ही कुछ लोग मिलने के लिए आये थे। जिस प्रकार से उस हत्या के केस को बिगाड़ा है मेरे ख्याल में राजस्थान में ऐसा उदाहरण दूसरा नहीं मिलेगा।

श्री उपाध्यक्ष : इस मामले से सम्बन्धित है क्या ?

श्री नरपतसिंह राजवी : इसी से सम्बन्धित है। वहां की व्यवस्था दिखवा कर फाइल को मंगवाएं। मर्डर केस है, गर्दन कटी हुई है, उसमें डाक्टर ने कर दिया, गर्दन कटी हुई नहीं है ब्लंट वैपन से किया हुआ है। सारा केस बिगाड़ा हुआ है। उसकी जांच कराएं तो उचित होगा।

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री महोदय।

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट। सीकर जिले में आज पुलिस की हालत यह हो गयी है कि थानों में बैठाकर पिटाई करते हैं और आपका एस. एच. ओ. उस पर रिमार्क

(श्री राजेन्द्र पारीक)

लिखता है कि बिना किसी कारण थाने में बैठाकर लौसल में उसकी पिटाई हुई। वहां पर दिन–दहाड़े कार जला दी जाती है और आपका डिप्टी है कि उसकी मदद करता है। यह सारा का सारा मामला इस तरह से सामने हैं। आप क्या चाहते हैं? वहां पर जो आपके डिप्टी काम कर रहे हैं आप उनको क्यों नहीं बदलकर लोगों को न्याय दिलवाना चाहते हैं? आखिर आप लोगों को क्या मिलना है? आपको हमने कई बार कहा कि सीकर में वे डिप्टी दुनिया भर की बदमाशियां कर रहे हैं। चीनी की चोरी में भी वह लिप्त था, लौसल थाने में एक आदमी को डिटेन करके पिटाई करने के मामले में भी वह लिप्त था। सीकर में जितने भी आपके केसेज हुए चुनाव के दौरान, उसमें भी सारे के सारे मामलों में वह एक व्यक्ति विशेष की मदद कर रहा है। उसके बावजूद आप उस डिप्टी को वहां पर रखे हुए हैं। आपको हाउस में कहना चाहिए, ऐसे डिप्टी को जो वहां पर बदमाशी करता है, जिसका क्रिमिनल बैकग्राउण्ड हैं, आप क्यों नहीं वहां से हटाते?

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री महोदय।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : और इतना भी आप घनश्याम जी तिवाड़ी से क्यों डरते हो?

श्री राजेन्द्र पारीक : इस मामले में भी उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहूंगा....(व्यवधान)....बी.जे.पी. के बड़े पदाधिकारी हैं इस मामले में....

श्री उपाध्यक्ष : मोदीजी, अब आप सुन तो लीजिये, आपने काफी सुना दिया।

श्री महादेव सिंह (खण्डेला) : उपाध्यक्ष महोदय, पहले मैं एक बात बता दूं (व्यवधान) .. माननीय गृह मंत्रीजी ...

श्री कैलाश मेघवाल : हां, बोलें।

श्री महादेव सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, सीकर और झुन्झुनूं जिले के बारे में माननीय गृह मंत्रीजी की मानसिकता यह बन गयी है, मेरा यह आरोप है इन पर कि सीकर और झुन्झुनूं जिले के अन्दर बी. जे. पी. का कोई लेनदेन नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : ध्यानाकर्षण के बारे में बोल रहे हैं?

श्री महादेव सिंह : हां, इसी के बारे में बोल रहा हूं। लेकिन मेरा निवेदन है कि माननीय गृह मंत्रीजी केवल बी. जे. पी. के गृह मंत्री नहीं हैं, ये पूरे राजस्थान के गृह मंत्री हैं इसलिए ये हमारे भी गृह मंत्री हैं। हमारे जिले में एक हरिजन के साथ में उसके मताधिकार को लेकर एक पावरफुल आदमी इतना अन्याय करता है और हम सारे विधायक बार–बार इनसे एक ही निवेदन करते हैं। हम यह नहीं चाहते हैं कि आप उनको फांसी पर चढ़ा दें, आप उनके खिलाफ ऐसा केस लगा दें, हमारा निवेदन केवल इतना ही है कि किसी भी निष्पक्ष अधिकारी से उसकी जांच करवा लें। इसके लिए हम इनसे आश्वासन चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : विराजें आप।

श्री शिवनाथ सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सीकर, झुन्झुनूं के दूसरे ही होम मिनिस्टर हैं, ये नहीं हैं।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : राजेन्द्रजी, जो आपने मेहनत की है उस पर सुनिये आप ।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो चिन्ता व्यक्त की है वह मेरी भी चिन्ता है कि यदि कोई अपराध घटित होता है तो अपराध घटित होने के बाद उस पर निष्पक्ष अनुसंधान किया जाना चाहिए और निष्पक्ष अनुसंधान होने के बाद मुलजिम को सजा के लिए अदालत के सुपुर्द करना चाहिए । इन्वेस्टीगेटिंग आफिसर एवीडेंस कलैक्ट करता है । कई तरह के एवीडेंस आते हैं, मैंने मेरे स्टेटमैंट में साफ कहा है कि इस केस में दो तरह की स्टोरीज आयी हैं । एक कि इस तरह झगड़ा शाम को 6 बजे भी हुआ और 9 बजे उसने कुछ अपशब्द कहे टेलीफोन पर तो उपालम्भ देने गये और 27 की घटना जिसके फैक्ट्स भी मैंने आपके सामने रखे । सुनवाई तो, यह आज आपने उठाया है, माननीय सदस्य, बाकी डी.जी.पी. साहब के सामने स्वयं यह व्यक्ति उपस्थित हुआ था । उसके उपस्थित होने पर डी.जी.पी. साहब ने स्वयं यह पत्रावली बहुत पहले मंगवाकर इसका गहन परीक्षण करके इसमें गहनता से अनुसंधान करने के निर्देश दिये हैं । अब माननीय सदस्य, मुझे कोई एतराज नहीं है, कि सी.आई.डी. (सी.बी.) में आप लाना चाहते हैं । कहिये, माननीय मोदी जी, आपने ध्यान आकर्षित किया है तो मुझे कोई एतराज (व्यवधान) देखिये, आप निष्पक्ष तफ्तीश चाहते हैं, मुझे बता दीजिये । आपकी तरफ से मांग आयी है कि सी.आई.डी. (सी.बी.) को दिया जाए तो मुझे सी.आई.डी. (सी.बी.) को देने में एतराज क्या है । व्यक्तियों से मत जोड़िये, व्यक्ति अगर कोई गलती करता है....

श्री परसराम मदेरणा (नेता, प्रतिपक्ष): डी. जी. साहब ने इन्वेस्टीगेशन किसको दिया है ? गहन अध्ययन डाइरेक्टर जनरल आफ पुलिस ने किया, इन्वेस्टीगेशन का जो स्टेज था उस पर उन्होंने फाइल देखी । आपके पास दो ब्रांच हैं क्राइम एण्ड इन्वेस्टीगेशन की एक विजिलेंस, एक इन्वेस्टीगेशन । जब कोई होम मिनिस्टर के पास में यह कहता हूं कि लोकल पुलिस इन्वेस्टीगेशन में लीपापोती कर रही हैं । बेइमानी कर रही है तो आप फिर विजिलेंस में जांच करवाते हैं । विजिलेंस का आफिसर जाता है, जाने के बाद यह देखता है कि लोकल पुलिस इन्वेस्टीगेशन सही लाइन में नहीं कर रही हैं, फिर वह आकर रिपोर्ट करता है । पहले दोनों के दो डी. आई. जी. थे, अब आपने एक डी.आई.जी कर दिया है । एक डी. आई. जी. करके आपने इन दोनों की ब्रांचेज के ऊपर सीधा डिप्टी डायरेक्टर जनरल मिस्टर राठौड़ को कर दिया है ।

श्री कैलाश मेघवाल : एडीशनल डायरेक्टर हैं ।

श्री परसराम मदेरणा : एडिशनल होगा, एडिशनल और डिप्टी में कोई खास फर्क नहीं होता है । कैबिनेट और डिप्टी मिनिस्टर में थोड़ा फर्क होता है । वहां बैठा होगा, पावर तो अभी राठौड़ के ही हाथ में हैं, दोनों ही एक+++ है

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया ।

(श्री परसराम मदेरणा)

इसलिए मैं यह निवेदन कर रहा था कि कोई भी आदमी गहन अध्ययन करे विजिलैंस को, विजिलैंस पर छोड़ा है आपने विजिलैंस को इसलिए आप भेजते हो कि आप जाकर देखिये कि लोकल पुलिस इस तफतीश को कितना बिगाड़ रही है। कई केसेज में वे रिपोर्ट भी करते हैं भी वे आप ही के आदमी हैं, लोकल पुलिस में भी वे जाते हैं वही आदमी यहां हैं। वे आकर कहते हैं कि तफ्तीश सही लाइन पर लोकल पुलिस नहीं कर रही है और मेरी स्ट्रांग रिकमण्डेशन है कि यह केस क्राइम ब्रांच को सुपुर्द कर दिया जाए। अब आप कह रहे हैं कि आप कह दीजिये चाहो जिससे निष्पक्ष जांच करा लें। डी.जी.पी. के लेवल का आदमी आप सीधे वहां भेजते हो, डी.जी. को मैं कई दफा भेजा हुआ हूं, न तो उसको जाने का टाइम है और न फाइल देखने का टाइम है। फाइल देखने में जो 161 के स्टेटमेंट हैं उनको बहुत डिटेल में देखना पड़ता है कि यहां पर कुछ टर्न दिया है या नहीं दिया है और जैसा मैं पहले कह चुका हूं 161 सी.आर.पी.सी. के स्टेटमैंट में कोई सिग्नेचर नहीं होते ' उसके बाद में आप हवा बना रहे थे अलवर वाले केस में कि हमने 164 में बयान कराये। 164 के बयान अण्डर द एवीडेंस एक्ट किसी आदमी के खिलाफ कंविक्शन के लिए नहीं हो सकते। 164 में आपने उस कम्प्लेनेंट को बाउण्ड डाउन किया है सर्टेन कैटर्स में केस को डाइल्यूट करने के लिए यह किया है आपने। मैं यह निवेदन कर रहा था कि इसमें क्राइम ब्रांच को दिया है डी.जी. ने। डी.जी. ने गहन अध्ययन करने के बाद गहन अन्वेषण की बात कही है। गहनता से सब बातें हो रही है, वह क्या हो रही है ? उसको आप हवा में उड़ा रहे हो सदन में।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के नेता ने जो कथन किये हैं वे सत्य कथन किये हैं। सी.आर. पी.सी. की धारा 161 के बयान जो होते हैं, यह अंग्रेजों के वक्त का बनाया हुआ कानून है और ..

श्री अमराराम (धोद) : बदल दो।

श्री कैलाश मेघवाल : अब आज तक नहीं बदला गया है। लेकिन धारा 161 का बहुत सीमित उद्देश्य है और वह सीमित उद्देश्य आखिर नैरोडाउन होता है ओनली टू डिस्क्रेडिट द विटनैस।

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे इस हाउस के अन्दर होम मिनिस्टर हैं यह दूसरा अरिस्टोटल है, बहुत बड़ा फिलोसोफर अरस्तु। उस दिन तो 323 की व्याख्या की और उसके इनग्रेडिएंट इस सदन में बनाकर सब लोगों को कनविंस कर दिया, पूरे सदन को। किसी भी आदमी से बुरी तरह से मारपीट करते हैं 323 में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में वह केस काग्निजेबल नहीं है और वे आदमी जिसको भरे बाजार में पीटते हैं, बड़ा रेस्पेक्टेड आदमी पिट गया, एंटी सोशल एलीमेंट्स ने पीट दिया लेकिन हमारी मजबूरी है कि 323 के अन्दर संशोधन करना चाहते हैं। मुख्य मंत्रीजी ने मोटर व्हीकल एक्ट में अमेंडमेंट के लिए लिखकर भेजा है गवर्नमेंट आफ इण्डिया को। मैंने उनसे पूछा, अखबारों में पढ़ा, कि भेजा कि नहीं भेजा ? तो कहा हमने लिखकर भेज दिया। परसों कोई बात चल रही थी,

(श्री परसराम मदेरणा)

बिजनस एडवाइजरी कमेटी में आप भी बिराजमान थे। मुख्य मंत्रीजी ने कहा था कि इस कांस्टीट्यूशन के अन्दर 73 अमेण्डमेंट हैं, इस सम्बन्ध में हमने लिखकर भेजा है कि इस कांस्टीट्यूशन में संशोधन किया जाए क्योंकि वहां वाटर टाइट कम्पार्टमेंट खड़े हो गये हैं। 323 के बारे में आपके सामने इतनी मुसीबतें आ रही हैं, भारतीय गणतन्त्र का स्वतन्त्र नागरिक उसमें पिट रहा है आप + + + कुछ कर नहीं सकते क्योंकि कानून से आपके हाथ बंधे हुए हैं। रूल ऑफ लॉ। आप उस कानून को बदलने के लिये अक्षम है, हिन्दुस्तान की पार्लियामेंट, बोथ दी हाउसेज तो आप 323 में अमेण्डमेंड कीजिए। उस दिन हमको लैक्चर मार दिया, हमको उपदेश दे दिया। अभी मैंने 161 की बात की, उपाध्यक्ष महोदय, फिर ये उपदेश देने के लिये खड़े हुए हैं। मैं यह कह रहा था कि 161 ऐसा मामला है कि पुलिस क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में अमेण्डमेंट करना नहीं चाहती। इसलिए नहीं चाहती कि होम मिनिस्टर के हाथ में इसकी चाबी है। आप चाहे जिस आदमी को तफ्तीश कुनिंदा थोड़ा अच्छा होना चाहिये, कलम में उसकी जोर होना चाहिये। एल. सी. से लिखवाने वाला नहीं, खुद तफ्तीश किया हुआ रोजनामचा रोज हाथ से भरता है, + + + कोर्ट में केस कर दिया मैटीरियल कंट्राडिक्शन हो गया तो 161 में तो वो इस तरह से बांध कर रखता है कि जाते ही अदालत, Yes. the case is made out under so and so and so Section of the Indian Penal Code And the investigation is thorough. थोरो इनवेस्टीगेशन आप ही करते हो। आप ही उसमें ऊंचा-नीची करते हो। विटनेस दे रहा है उसको पता ही नहीं है। उसे पहले यह पूछते हैं कि बोलो आप कुछ बयान दे रहे हो, वो बयान दे रहा है। अनपढ़ आदमी से बयान में थोड़ा बहुत इधर-उधर हो जाता है कि इसमें एकरूपता नहीं आ रही है। एकरूपता आने के लिये कुछ चाहिये। जब कुछ चाहिये तो लाओ उसके बाद मैं बनाता हूं ऐसा मजबूत केस कि कोर्ट के अन्दर उसको फांसी हो जाएगी, आगे और भी होता रहेगा जो होना है। इसलिए आप 161 की व्याख्या कम कीजिए आपके पुलिस अफसरों से यह कहिए कि 161 के बयान सही लें। मैटीरियल कंट्राडिक्शन रहता है तो विटनेस की जिम्मेदारी है। जिसमें आप चाहते हो उसमें तो केस बहुत बढ़िया बन जाता है और अगर केस कंकाक्टेड है, फाइवोलस है, बेसलैस है झूठा है तो भी 161 के बयान जो मैंने देखे हैं. I have practised the criminal law. बिलकुल फूल प्रूफ बना हुआ है। वह कहे कि, साहब, मैंने तो बयान ही नहीं दिये, यह तो थानेदार साहब ने लिख लिये। कह दो तुम थानेदार ने लिख लिये। जब थानेदार से आप एक्सप्लेनेशन कॉल करते हो कि वो कह रहा है कि बयान नहीं दिये। साहब, विटनसैस टैम्पर विथ हो गया है मैं कोई बयान लिखूंगा क्या, मैं तो राजा हरिश्चन्द्र का पुत्र हूं। इसलिए कुल मिलाकर इसमें ज्यादा घुमाने की बात नहीं है 161 में। आप यह बता दीजिए कि आपने क्राइम ब्रांच को और इनडिपेंडेट एजेंसी को यह केस दे दिया है क्या। यह कुछ-न-कुछ

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री परसराम मदेरणा)

डी.जी. के पास गया था, डी.जी. ने गहन अध्ययन कर लिया और गहन अध्ययन राजस्थान के होम मिनिस्टर ने कर लिया, हमको इस बात का बहुत गर्व है और हम स्वाभिमान फील करते हैं क्योंकि और तो कुछ है कि नहीं है, 50 के तो काम आप कर नहीं सकते होम में लेकिन शिड्यूल्ड कास्ट के एक बेटे को सेल्यूटें तो पड़ती हैं, डी.जी. सामने सलामी करता है। यह गर्व की बात है, यह स्वाभिमान की बात भी है। ये पंडित जी कह रहे थे ना कि हमने इनको राज दे दिया। आप तो राज उम्र में ही नहीं देते कम से कम 2000 वर्ष तक भी। यह तो पार्लियामेंट डैमोक्रेसी है, यह लोकतंत्र की महिमा है जिसमें आज होम मिनिस्टर बैठा हुआ है। नहीं तो कौन इसको होम मिनिस्टर बनाता था। उसको बनाते डिप्टी मिनिस्टर रिहैबिलिटेशन। इसलिए मेरा निवेदन करना यह है है कि यहां पर एप्रूव्ड लोगों को रिहैबिलेट नहीं करना है। आप इन्वेस्टिगेशन इनडिपेंडेंट एजेंसी को दीजिए और किसी को पूछने की आवश्यकता नहीं है। विजिलेंस में तो जिसको टालमटोल करनी हो उसको आप भेजते हैं कि हम जांच करवाते हैं। डी.जी. को भी कोई आवश्यकता नहीं है। राजस्थान का गृह मंत्री डायरेक्ट सीधा लिख सकता है कि इस केस को मैंने समझ लिया है, I have got the apprehension that the case is not being taken by the local police on the right lines and, therefore, a senior officer of the Crime Branch should investigate this case. He can say. मैं नहीं चाहता कि एश्योरेंस दें आप हाउस में लेकिन किसी न किसी एजेंसी को देना पड़ेगा। जब एक एजेंसी के बारे में माननीय सदस्य ने शंकाएं जाहिर की हैं तो दूसरी एजेंसी आपके पास कोई है ही नहीं। सी.बी.आई आपके कहने में नहीं। सी.बी.आई. का एक जुगताराम का करके आपको सबक मिल गया, आप दूसरा केस देते नहीं। आपके मिनिस्टर गये सी.बी.आई. में, पूरा पुलिस फोर्स, क्राइम ब्रांच के डी.आई.जी. वगैरह भेजे थे आपने वहां पर। सब के सब एक थे कि जुगताराम ने खुद ही यह सब मामला किया है वोलंटरी। लेकिन अब आप इन्वेस्टीगेशन फाइल मंगाकर देखो कि सी.बी.आई. ने आपके बारे में क्या लिखा है।

श्री राजेन्द्र पारीक : उपाध्यक्ष महोदय धारा 3 का तो कम से कम काग्निजेबल आफेन्स था, उसमें तो अरैस्ट करवाते उसको। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : राजेन्द्र जी, बोलने दीजिए उनको।

श्री परसराम मदेरणा : अब नहीं आएगा, 1998 में आएगा।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : 1998 में आएगा, यह तो सिवाय भगवान के कोई नहीं जानता। परन्तु आप पढ़े-लिखे जाट हैं इसलिए आप जान सकते हैं। आप खुदा बराबर हैं इसलिए आप जान सकते हैं।

श्री परसराम मदेरणा : (व्यवधान) नारी चरित्र की और ब्राह्मण भाग्य बात कह देते हो वो भगवान भगवान में नहीं, मैं भगवान में विश्वास करता हूं अब....

श्री हरिशंकर भाभड़ा : आप तो खुदा बराबर हैं फिर भी....

श्री परसराम मदेरणा : लेकिन मैं भगवान में विश्वास करते हुए भी यह नहीं कहता कि भगवान आपकी तकदीर में कोई बदलाव कर देगा। आपको पुरुषार्थ और परिश्रम करना पड़ेगा।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वैसे इस प्रकरण में तो मैं प्रतिपक्ष के माननीय नेता का आभारी हूं कि उन्होंने मुझे एक लाइन दे दी और इस प्रकरण की तफ्तीश राजस्थान की सी.आई.डी. (सी. बी.) को देने को आज ही निर्देश दे रहा हूं, नम्बर एक। नम्बर दो, अभी प्रतिपक्ष के माननीय नेता ने कैजुअल वे में एक बात कही है कि 323 की। मेरा आज भी यह मानना है कि हिन्दुस्तान का गरीब आदमी सबसे ज्यादा पीड़ित है तो इस 323 के नॉन-काग्निजेबल होने के कारण है। यह न केवल मैंने यहां मत व्यक्त किया है, मैंने यही मत हिन्दुस्तान के लॉ कमीशन की पिछली जयपुर में जो बैठक हुई थी वहां पर भी मैंने चेयरमैन को भी और उनके दूसरे मेम्बर्स को भी बड़े पुरजोर शब्दों में कहा है कि हिन्दुस्तान के गरीबों का भला करना चाहते हैं तो protection of the physique of the human-being, It should be the duty of the State. बहुत पुरजोर शब्दों में मैंने इसको कहा है, इस पर बहस भी कराई है इस विषय में मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहना है मेरा ऐसा ख्याल है कि....

श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : सवाल इस बात का है कि आप इसको सुनिश्चित करें कि इस मामले में जल्दी से जल्दी तफतीश पूर्ण हो कर इसका चालान पेश हो।

श्री कैलाश मेघवाल : जल्दी से जल्दी तफतीश पूर्ण होने के निर्देश दिये जाएंगे।

श्री विष्णु मोदी : इसका क्या तात्पर्य निकलता है जल्दी से जल्दी टाइम बाउण्ड, टाइम बाउण्ड।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया अब समाप्त करें।

श्री कैलाश मेघवाल : पुष्कर से आने वाले माननीय विधायक आप जानते हैं that it is the duty of the investigating officer....

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री महोदय, अब इस प्रसंग को समाप्त करें।

श्री मोहनलाल मोदी : उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न बहुत गम्भीर है। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप किसी भी निष्पक्ष अधिकारी को दें लेकिन आपका प्रैशर नहीं जाना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 131 के अन्तर्गत श्री ओम प्रकाश शर्मा, श्री राजेन्द्र गहलोत, श्री बाबूलाल वर्मा, श्री महावीर भगोरा, श्री राजपाल सिंह शेखावत एवं पांच अन्य सदस्य, विधान सभा बूंदी उत्सव के आयोजन में व्यय राशि के कथित दुरुपयोग के सम्बन्ध में पर्यटन राज्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

श्री मोहनलाल मोदी : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा मामला चल रहा था, इतना गंभीर मामला है, हरिजनों का मामला है, एस. सी., एस. टी. के ...

श्री कैलाश मेघवाल : आपके गाइडेंस के आधार पर ये विजिलेंस से पहले (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री महोदय, मैंने यह चर्चा ही समाप्त कर दी, आप बिराजिए ।

श्री मोहनलाल मोदी : उपाध्यक्ष महोदय, आप भी ऐसी चर्चाओं को जल्दी समाप्त कर दें तो काम नहीं चलने वाला है ।

बूंदी उत्सव के आयोजन में राशि का दुरुपयोग

श्री ओमप्रकाश शर्मा (बूंदी) : उपाध्यक्ष महोदय, 131 कार्य संचालन नियम के अन्तर्गत मैं माननीय पर्यटन मंत्री महोदया का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा ।

श्रीमती नरेन्द्र कंवर (राज्य मंत्री, पर्यटन) : उपाध्यक्ष महोदय, दिनांक 30 व 31.3.96 को बूंदी नगर....

व्यवस्था का प्रश्न

कार्य सूची के अनुसार अशासकीय कार्य हेतु समय का नियतन

श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : पाइन्ट ऑफ आर्डर ।

उपाध्यक्ष महोदय, बड़ी मुश्किल से तो ढाई साल में यह दूसरा मौका आया था कि गैर-सरकारी कार्य के लिए ढाई घण्टे तय किये थे और इस कार्य सूची के अनुसार ढाई बजे से आपको यह लेना था । अब ढाई बजे आप यह कालिंग अटेंशन ले रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : मैं निवेदन कर रहा हूं, आप बिराजिए ।

आज गैर सरकारी कार्य के लिए 2 बजकर 30 मिनट का समय रखा गया है । 2 बजकर 30 मिनट तक के मध्य चर्चा तक पहुंचा नहीं जाएगा । कार्य सूची के अनुसार इस मद से पूर्व विनियोग विधेयक पर चर्चा प्रारम्भ की जानी है, अतः विनियोग विधेयक पर ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा के बाद चर्चा प्रारम्भ हो जाएगी और कुछ माननीय सदस्य चर्चा में भाग ले सकेंगे । उसके बाद गैर सरकारी कार्य प्रारम्भ कर दिया जाएगा और इसके लिए समय सीमा की आवश्यकता के अनुरूप 5 बजे के बाद समय दे दिया जाएगा ।

श्री विष्णु मोदी : उपाध्यक्ष महोदय, यह कौनसा पढ़ रहे हैं ? जो कार्य सूची....

श्री परसराम मदेरणा (नेता, प्रतिपक्ष): ये पढ़ नहीं रहे हैं । यह व्यवस्था है, जो कुछ भी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के 18वें प्रतिवेदन में यहां सदन में पारित किया, उस अठारहवें प्रतिवेदन के अन्दर नीचे फुटनोट में यह लिखा हुआ है कि आसन चाहे वैसे ही उस बिजनस को एडजस्ट कर सकता है । इसलिए जो ढाई घंटे का समय था वह आपको 5 बजे से मिलेगा, यह कहा है ।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : ढाई घण्टे का समय मिल जाएगा ।

श्री विष्णु मोदी : तो यह अमेण्डमेंट किया था, जो सूची हमें वितरित की गयी है उसमें....

श्री परसराम मदेरणा : यह तो रूलिंग में अभी यह बात कही है । रूलिंग में यही कहा है कि नॉन आफिशियल बिजनेस के

(श्री परसराम मदेरणा)

ढाई घण्टे से पहले एप्रोप्रिएशन बिल लेना था परन्तु यह लम्बा चला गया इसलिए एप्रोप्रिएशन बिल नहीं लिया जा सका। इसलिए कालिंग अटेंशन समाप्त होने के बाद में एप्रोप्रिएशन बिल लिया जाएगा और इसके बाद में 5 बजे इसको लिया जाएगा और उसके लिए ढाई घण्टे रखे हैं।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

बूंदी उत्सव के आयोजन में राशि का दुरुपयोग

श्रीमती नरेन्द्र कंवर (राज्य मंत्री, पर्यटन) : उपाध्यक्ष महोदय, दिनांक 30 व 31–3–96 को बूंदी नगर में बूंदी उत्सव का आयोजन पर्यटन विभाग एवं जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में किया गया था। उत्सव के सफल आयोजन के लिये अन्य समितियों के साथ–साथ उत्सव परामर्शदात्री समिति का गठन किया गया जिसमें सदस्य लोक सभा, सम्भागीय आयुक्त कोटा, पुलिस उप महानिरीक्षक, कोटा रेंज, जिला प्रमुख, बूंदी एवं जिले के सभी विधायक गण शामिल थे। पर्यटन विभाग की ओर से उत्सव हेतु 1.50 लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत की गयी थी और 3,93,501 रुपये का जन सहयोग प्राप्त किया गया था। विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी राशि से हुए व्यय का विवरण परिशिष्ट–अ पर तथा जन सहयोग से प्राप्त राशि में से हुए व्यय का विवरण परिशिष्ट–ब पर उल्लेखित है। बूंदी नगर पालिका के द्वारा समान्य सफाई व्यवस्था किये जाने से सम्बन्धित सहयोग प्रदान किया गया था। बूंदी उत्सव में आये विशिष्ट कलाकारों, दिल्ली और जयपुर दूरदर्शन के सदस्य सभी मीडिया ग्रुप आए हुए थे तथा बूंदी में पर्यटन विकास के समर्थन में सहयोग करने वाले एवं रुचि रखने वाले गणमान्य व्यक्तियों को उत्सव के अवसर पर प्रकाशित स्मारिका के साथ-साथ यादगार स्वरूप 5 और 10 किलो के चावलों के पैकेट एवं चित्रशाला के चित्रों की तस्वीरें भेंट की गयी थीं।

बूंदी उत्सव के सम्बन्ध में सेन्ट्रल को-आपरेटिव बैंक, बूंदी की शाखा में बूंदी उत्सव समिति के नाम से खाता खोला गया था तथा अधिकांश जनसहयोग स्वरुप प्राप्त राशि सीधे ही खाते में जमा हुई है। जिन व्यक्तियों के द्वारा नकद राशि के रूप में जन सहयोग प्रदान किया गया उन्हें रसीदें जारी की जा चुकी हैं। उत्सव से सम्बन्धित समस्त व्यय सावधानीपूर्वक किया जाकर नियमानुसार बिलों का भुगतान किया गया है।

उल्लेखनीय है कि बूंदी में पर्यटन की प्रचुर सम्भावनाएं हैं तथा बूंदी उत्सव राष्ट्रीय एवं अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर प्रचार-प्रसार की दृष्टि से आयोजित किया गया था। उत्सव से सम्बन्धित कार्यक्रमों का दिल्ली एवं जयपुर दूरदर्शन से 4–5 बार प्रसारण भी हो चुका है जिसके फलस्वरूप बूंदी जिले में पर्यटन के प्रोत्साहन को बल मिला है।

श्री ओमप्रकाश शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि उत्सव परामर्शदात्री समिति का गठन हुआ? गठन की मीटिंग कब बुलायी गयी? उस मीटिंग के अन्दर कौन-कौन थे? इसकी प्रोसीडिंग

(श्री ओमप्रकाश शर्मा)

बताने का कष्ट करिये। क्या यह सही है कि डेढ़ लाख रुपया तो सरकार ने दिया और 3,92,501 रुपया जन सहयोग से प्राप्त किया? (व्यवधान) यह धनराशि एकत्रित करने वाले कौन–कौन थे? रसीद बुकें कब छपाई गयीं? उसमें कितने पेज थे? वे रसीद बुक्स किस-किस को दीं और यह किस मीटिंग में तय किया? वे रसीद बुक्स सदन के पटल पर रखने का कष्ट करें। इसके साथ ही जिस मीटिंग में उत्सव मनाने का निर्णय लिया गया, वह मीटिंग कब बुलायी गयी? धनराशि कहां से आएगी, कितनी डायरियां छपाई गयीं, कौन छपाएगा, किस-किस मद में कितना खर्चा होगा? बैंक में जो खाता खोला गया, वह खाता कब खोला गया? बैंक में किस-किस ने सीधा पैसा जमा कराया? क्योंकि मंत्री महोदय ने फरमाया है

श्री उपाध्यक्ष : काफी सवाल हो गये।

श्री ओमप्रकाश शर्मा : जिन लोगों से धनराशि ली गयी, क्या उन सबको रसीदें दी गयीं? क्या यह सही है कि कमेटी ने कलाकारों को बुलाने का तय किया था, किसने तय किया था? केवल जिलाधीश महोदय ने तय किया था। उपाध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि जितनी डायरियां छपी हैं उनका सम्पूर्ण हिसाब पटल पर आ जाए, क्योंकि रसीदें दी ही नहीं है, रसीदों के अलावा जिनसे पैसा लिया, जिनके पास रसीदें नहीं पहुंचीं, क्या उनसे पैसा लिया है? यह बताने का कष्ट करें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री राजेन्द्र गहलोत। (अनुपस्थित)। सबके सवाल आ जाएं एक-एक करके। मदान साहब कुछ फरमाना चाहते हैं।

श्री अर्जुनदास मदान (लाडपुरा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसी विषय पर कहना चाहता हूं। मेरी कांस्टीट्यूएंसी और बूंदी कांस्टीट्यूएंसी बिलकुल मिली हुई है। मैं केवल इतना निवेदन करना चाहता हूं कि जब आप एक कमेटी का गठन करते हैं, उस कमेटी के अन्तर्गत जिसको भी आप ले लें, डी.आई.जी. को लें, एस.पी. को लें, जिला प्रमुख को लें, विधायक या सांसद को लें? सारे जन–प्रतिनिधियों के नाम पर आपने एक कमेटी तो बनायी लेकिन उसमें प्रश्न यह आता है कि सारे मिट्टी के माधो ही बुलाए गये थे कि आप तो केवल मात्र दर्शनेन्द्रिय हो, आपकी पूजा करेंगे, अगरबत्ती करेंगे, आप बोलना मत। अफसोस यह है कि जहां कहीं किसी कमेटी का गठन होता है तो आगे चलकर कमेटियां डिफंक्ट हो जाती हैं और सारी सत्ता का केन्द्रीयकरण 1–2 व्यक्तियों के हाथ में आ जाता है जिससे निश्चित रूप से इस बात की बू आती है कि कहीं न कहीं मैलाफाइड इंटेंशन है।

मैं आपसे निवेदन करता हूं, मैंने यहां पर भी 2 बिल देखें हैं और आप चाहे तो मैं इसे सदन के पटल पर रख सकता हूं। इसमें सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि लोगों ने कहा, साहब, मैंने 5 हजार रुपये दिये थे, रसीद मांग रहा हूं और मुझे आज तक रसीद नहीं दी गयी। दूसरा आदमी यह कहता है कि मैंने 3 लाख रुपये में टैण्ट लगाने का ठेका लिया था, अब केवल 50 हजार रुपये मुझको दिये गये। ढाई लाख रुपये मैं जब मांगने गया तो कहा गया कि हमारे पास पैसे नहीं हैं। बेइमानी है या नहीं है उसके ऊपर अभी नहीं जा रहा हूं, मैं केवल मात्र यह निवेदन कर रहा हूं कि

(श्री अर्जुनदास मदान)

जो समिति गठित होती है उसको आप विश्वास में न लें और जिन लोगों को आप कमेटी के अन्दर लें उनको आप बुलाएं नहीं। एक आदमी सर्वेसर्वा बनकर अगर किसी काम को करता है और उसमें किसी बात पर लोगों के आक्षेप पर आक्षेप आते चले जा रहे हैं तो उसकी जांच करने में क्या जाता है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप उसकी जांच करा लें और उसका हिसाब देखने का अधिकार किसी को भी दे दें। डी. आई. जी. को दे दें, वे भी उसके मेम्बर थे, आप सदन में से किसी को भी अधिकृत कर दें, किसी को भी कर दें। लेकिन इतना बिलकुल तय है कि इसमें जरूर कहीं न कहीं थोड़ा बहुत तो अंगुली उठाने की एक गुंजाइश है।

श्री उपाध्यक्ष : अब आप मंत्रीजी को सुनें। माननीय मंत्री महोदया।

श्रीमती नरेन्द्र कंवर : पहले तो सदस्यों ने जो बात कही है, उसका मुझे बहुत अफसोस है। इस सदन में प्रश्नों के माध्यम से कई माननीय सदस्यों ने यह कहा है कि इस तरह से जो हर क्षेत्र में उत्सव होते हैं, मेले लगते हैं, सांस्कृतिक मेले लगते हैं उनको उत्सव के तरीके से पर्यटन में शामिल किया जाए और पर्यटन की दृष्टि से उन्हें विकसित किया जाए ताकि उनके क्षेत्र में पर्यटन का विकास हो। परन्तु इस तरह से बिना पूरे तथ्यों को जानकारी में लाए किसी व्यक्ति विशेष पर अंगुली उठाना, मेरे ख्याल में ठीक नहीं है। आपने जो जानकारी मांगी है उसका पूरा ब्यौरा में आपको पढ़कर सुना दूंगी। अगर इस तरह से करेंगे तो कोई अधिकारी, कोई डिपार्टमेंट इस तरह के उत्सव और इस तरह के विकास के कार्यों के अन्दर आगे नहीं आएगा।

श्री उपाध्यक्ष : यह तो सदस्यों का अधिकार है।

श्रीमती नरेन्द्र कंवर : हां, सदस्यों का अधिकार है, क्या ये सदस्य आकर मेरे से अलग से बात नहीं कर सकते थे? अभी बताती हूं....

श्री अर्जुनदास मदान : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक बहुत विनम्र निवेदन है। हम कहते हैं कि....

श्रीमती नरेन्द्र कंवर : या तो आप पहले सुन लीजिये और उसके बाद बोलिये।

श्री अर्जुनदास मदान : आप डांटों मत मेरे को।

श्रीमती नरेन्द्र कंवर : सुन तो लीजिये। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय, आन ए पाइंट ऑफ आर्डर। (व्यवधान)

श्री अर्जुनदास मदान : आप डांटों मत मेरे को। यह शब्द मुझे भी आते हैं। अपनी मर्यादा में रहें तो उचित रहेगा।

श्रीमती नरेन्द्र कंवर : आप सुनिये।

श्री राजेन्द्र गहलोत : आप अधिकारियो को प्रोटैक्ट करना चाहती हैं?

श्रीमती नरेन्द्र कंवर : नहीं, मैं कोई अधिकारी को प्रोटैक्ट नहीं करना चाहती हूं। इसमें मात्र दस–बारह दिन का वक्त मिला था, यह उत्सव करने का और उस

(श्रीमती नरेन्द्र कंवर)

दस–बारह दिन के अन्दर 16 कमेटीज फोर्म की हैं हरेक अलग–अलग प्रोग्राम के लिये। उन 16 कमेटीज में उसके बाद आचार संहिता लागू हो गयी, मैं खुद इन कमेटीज में नहीं जा पायी और खुद मीटिंग नहीं ले पायी। उसमें, आप देखिये, वह अलग–अलग इन्होंने ले रखी हैं, कमेटीज बना रखी हैं। उत्सव एडवाइजरी कमेटी, उत्सव कोर कमेटी, उत्सव इनोगरेशन, यात्रा कमेटी, क्राफ्ट्स, फेयर एण्ड एक्जीबिशन कमेटी, कल्चर प्रोग्राम कमेटी....

श्री कालीचरण सराफ : आप यह बताओ कि मीटिंग हुई क्या इनकी।

श्रीमती नरेन्द्र कंवर : सुनिये, इन सबकी दस दिन के अन्दर (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : पहले मंत्री महोदय को पूरा करने दें आप।

श्रीमती नरेन्द्र कंवर : दस दिन के अन्दर यह मेला तय हुआ था और दस दिन में इस उत्सव को पूरा किया था, दस दिन में आयोजन किया था। दस दिन में एक-एक मीटिंग हुई है खाली और उसके अलावा जो विधायक बता रहे हैं कि हमें नहीं बुलाया गया (व्यवधान) उस उत्सव मे, जब उसी शाम को सांस्कृतिक संध्या थी, हम सब शामिल थे पर इतना मौका ही नहीं मिला, दस दिन में आयोजन किया है। ये जो फरमा रहे हैं, इसमें एक लाख 26 हजार तो कैश आया है और दो लाख 66 हजार 501 चैक से पेमेंट हुआ है। अब इसमें गुंजाइश ही कहां है गड़बड़ करने की ?

श्री कालीचरण सराफ (जौहरी बाजार): माननीय मंत्री महोदय, जिन्होंने चंदा दिया और उनकी रसीद नहीं दी, उनके बारे में फरमाओ कि उनको रसीद क्यों नहीं दी ? यह क्यों नहीं बताते हैं आप ?

श्रीमती नरेन्द्र कंवर : देखिये, जिन्होंने कैश चन्दा दिया है ...

श्री कालीचरण सराफ : यह कागज में तो बिलकुल सही है कि इतना–इतना आया। जिसने चन्दा दे दिया और उसके पास रसीद नहीं पहुंची, इसका क्या मतलब समझें ?

श्री अर्जुनदास मदान : उपाध्यक्ष महोदय, या तो मैं नहीं समझ पा रहा हूं या ये समझ नहीं पा रही हैं। लोगों ने पैसे दिये या नहीं दिये, एक बात है, आपने विधायकों को तो बना दिया, सांसद भी उसमें रहेंगे, आपने यह भी कह दिया कि एम. एल. एज. भी उसमें रहेंगे तो जन–प्रतिनिधियों की क्या स्थिति आप बनाना चाहते हैं, मेरी समझ में नहीं आता। आप एक आदमी को एक तरफ तो मनोनीत करते हैं और मनोनयन के बाद उससे पूछते तक नहीं हैं कि कौन करेगा और कौन नहीं करेगा। हम कहते हैं कि या तो आप एम. एल.एज., जन–प्रतिनिधियों को उसके साथ में रखे नहीं और रखें तो फिर उनको विश्वास में लें... (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ : हिसाब-किताब दें उनको।

श्री अर्जुनदास मदान : अगर मंत्री महोदय चाहें तो न रखें, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वह उनका निर्णय है।

(132)

(श्री अर्जुनदास मदान)

लेकिन मैं निवेदन करता हूं कि आप विधायक को भी रखें, सांसद को भी रखें और उसके बाद किसी एम.एल.ए. को पूछे नहीं, बात नहीं करें, इतना कमजोर करना चाहते हैं आप सांसदों और विधायकों को ? आखिर कहीं पर जन–प्रतिनिधि जाएंगे उनकी कोई बात ही नहीं सुनेगा और उनसे कोई पूछेगा ही नहीं। मैं तो यह मानता हूं कि कोई बेईमानी नहीं है लेकिन जांच कराने में क्या जा रहा है ? आप जांच करवाएं, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। बस हमारा निवेदन तो यही है कि आप उसकी जांच करवा लीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री राजेन्द्र गहलोत।

श्री राजेन्द्र गहलोत (सरदारपुरा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये पर्यटक उत्सव जो होते हैं, इसमें जन-प्रतिनिधियों को रखा जाता है परन्तु उत्सव होने के बाद जब हिसाब–किताब की बात होती है तो उस कमेटी के जो संयोजक होते हैं, चाहे जिला कलेक्टर हो, चाहे और कोई हो, कोई भी उसमें हिसाब देने को तैयार नहीं होते हैं। इसलिये कमेटी के अन्दर हिसाब होना चाहिये। माननीय मंत्री महोदय से मैं पूछना चाहता हूं कि उत्सव समाप्त होने के बाद कमेटी क्यों नहीं बुलायी गयी ? उसमें हिसाब क्यों नहीं रखा गया ? हिसाब नहीं रखने के क्या कारण हैं ?

श्री शांतिकुमार धारीवाल (हिण्डौली) : एक सवाल मेरा भी है। मेरा बून्दी से सम्बन्ध है। उपाध्यक्ष महोदय, आज आपको आसन पर बैठे देखते हुए न जाने मुझे क्यों खुशी हुई ....।

श्री उपाध्यक्ष : आप केवल सवाल पूछें।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आज आपने हमारे अधिकारों की रक्षा की है। मुझे बहुत खुशी हुई, आज आपकी व्यवस्था से, जब आप यह व्यवस्था दे रहे थे, मन बड़ा प्रफुल्लित था। आपके माध्यम से मैं माननीय रानी साहिबा से एक सवाल पूछना चाहता हूं।....(व्यवधान)....

श्रीमती नरेन्द्र कंवर : यहां रानी साहिबा नहीं हूं मैं, यहां तो मंत्री हूं।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : हम बून्दी से पांच विधायक हैं।

श्रीमती नरेन्द्र कंवर : जी।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : कौन–कौन हैं ?

श्रीमती नरेन्द्र कंवर : एक आप, दो ये ....।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : दो यह, तीन ... (व्यवधान)।

श्रीमती नरेन्द्र कंवर : और एक और हैं और एक हमारे मंत्रीजी ....

श्री शांतिकुमार धारीवाल : पांचवें ये रह गये....

श्री परसराम मदेरणा : यह हैड-मास्टर की तरह, यह कोई क्लास है क्या ?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : पांच विधायक हैं। कितनी बैठकें कीं ?

श्रीमती नरेन्द्र कंवर : हमने दस दिन में कितनी बैठकें कीं ?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : तो हम मर गये थे क्या दस रोज में पांचों विधायक ? हम जिन्दा थे । वे तार बताये जाएं, वे कागज बताये जाएं, वे निमंत्रण पत्र बताये जाएं, जिनसे कि हमें निमंत्रण दिया गया हो उत्सव की तैयारी के लिये ।

श्रीमती नरेन्द्र कंवर : बता देंगे ।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : बता दीजिये । मैं नहीं मानता कि आरोप सत्य हैं या असत्य हैं, पर जब कोई आरोप लग गया तो मेहरबानी करके उस समिति की दुबारा बैठक बुलाने का आप निर्देश दें और यह सब चीजें, जो आरोप यहां पर माननीय विधायक ने लगाये हैं, उनका फैसला वहीं पर होने दीजिये ।

श्रीमती नरेन्द्र कंवर : ठीक है ।

श्री उपाध्यक्ष : विरोधी दल के नेता महोदय ।

श्री परसराम मदेरणा : मुझे यह जानकर बहुत प्रसन्नता हुई कि मेले का समय बहुत ही छोटी अवधि, दस दिन में इतनी लार्ज नम्बर आफ कमेटीज का गठन किया गया ।

एक माननीय सदस्य : बाढ़ आ रही थी वहां ।

श्री परसराम मदेरणा : मैं अभी कई दिनों से पढ़ रहा हूं, साल भर से पढ़ रहा हूं और मैं सोच रहा था कि यह विधान सभा का सत्र कब तक चलेगा । आज ओलम्पिया में वर्ल्ड टूर्नामेंट हो रहे हैं, नहीं, अटलांटा में, उसकी कमेटीज साल भर पहले बनी थीं । दस दिन में, इनके पास समय थोड़ा था इसलिये सब माननीय सदस्यों को सूचना नहीं दी होगी । सरदारपुरा से आने वाले माननीय सदस्य कहते हैं कि ऐसे उत्सवों में सबको बुलाते हैं, लेकिन मैं भी तो एक विधायक हूं, ऐसे उत्सव बाड़मेर में भी हो रहे हैं मुझे तो कोई इत्तला मिली नहीं । इनको इत्तला मिल जाती होगी क्योंकि कलक्टर और आप दोनों, you are hand in glove. मैं तो इतनी बात माननीय मंत्री महोदय से पूछ रहा था, प्रश्न बहुत स्पेसिफिक है और कोई बात नहीं है । वह जो एकत्रित हुई है, आपकी पोसिबिलिटी नहीं है । दूसरी बात यहां पर यह आ गयी कि उनको रसीद नहीं दी गयी । It is a serious matter. I know, you are not a Chief Accounts Officer. मिनिस्टर हम भी तो रहे हुए है बीस साल । हम नहीं देखते, इसमें तो जांच करके देखना पड़ेगा । किस–किस ने चन्दा दिया, किसका कंट्रीब्यूशन है, रसीद उसको मिली कि नहीं मिली और जिसने कंट्रीब्यूशन किया है, उसकी रसीद कटी है कि नहीं कटी है, प्रश्न इतना ही है । इसमें आप जांच कर लीजिये, इसमें क्या बात है ?

श्री राजेन्द्र गहलोत : मीटिंग करवाइये । (व्यवधान)

श्रीमती नरेन्द्र कंवर : मीटिंग तो करवा लेंगे, साहब, पर ऐसे कैसे बोला ? और उस पर मान जाएं ? आप (व्यवधान) यह देखिये कि, एक तो यह बून्दी उत्सव था और उसमें भी जनरल इलेक्शन के पहले था और उसमें भी दस दिन के अन्दर था और जो पैसे कैश आये हैं वह... (व्यवधान) ... अच्छा, वह रसीद फरमा रहे हैं कि रसीद नहीं दी ।

(134)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : जबाब ठीक है पर जो आरोप लगे हैं, उस बाबत आप उसी कमेटी की बैठक करवा लीजिये।

श्रीमती नरेन्द्र कंवर : साहब, आरोप होंगे तो लगेंगे, नहीं तो कहां से लगेंगे ?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : नहीं, यह आरोप तो आये हैं।

श्रीमती नरेन्द्र कंवर : ऐसे आप किसी पर भी आरोप लगा दें, ऐसे....

श्री कालीचरण सराफ : आरोप हैं, माननीय मंत्री महोदया।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : अगर मान लीजिये कोई जांच आएं तो जांच तो होगी (व्यवधान)।

श्रीमती नरेन्द्र कंवर : मेरी बात सुनिये। आरोप यह है कि आप सबको हमने एक साथ बैठाकर के दस बार नहीं बुलावा, चाय नहीं पिलायी और सारा पूछा नहीं।

श्री कालीचरण सराफ : यह क्या कहना चाहती हैं आप ? (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : दस बार नहीं एक बार भी नहीं बुलाया। यह क्या बात है कि .... (व्यवधान)

श्री ओमप्रकाश शर्मा : अधिकारियों की शिकायत करने पर हमारे जिम्मे पड़ रही हैं। (व्यवधान)

श्रीमती तारा भण्डारी : उपाध्यक्ष महोदय, यह हाउस का मखौल है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : चाय नहीं पिलायी तो चाय के ...

श्री चुन्नीलाल गरासिया : जो पाइंटेड प्रश्न पूछे हैं उसका जवाब दे सरकार। (व्यवधान) माननीय सदस्यों को इस तरह का जवाब देकर के उनकी ....(व्यवधान)

श्रीमती तारा भण्डारी : हम चाय के भूखे हैं क्या ?

श्री ओमप्रकाश शर्मा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि (व्यवधान)

श्रीमती तारा भण्डारी : हमारे जनप्रतिनिधियों की कीमत एक चाय के प्याले से कर ली (व्यवधान)

श्री चुन्नीलाल गरासिया : मेरा माननीय सदस्यों को भी निवेदन है कि उनका भी यह कहना (व्यवधान) वे सुन रही हैं इस सदन में। (व्यवधान)

श्रीमती तारा भण्डारी : ऐसा नहीं, माननीय मंत्री महोदय ने इस तरह के जो शब्द बोले वे ठीक नहीं हैं, यह हाउस का मखौल है।....(व्यवधान)

श्री चुन्नीलाल गरासिया : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह का जवाब देना सदन में ठीक नहीं है। अशोभनीय है, माननीय मन्त्री महोदय के लिए भी। ....(व्यवधान) ...

श्री अर्जुनदास मदान : आपने चाय के लिये कहा है, चाय तो हम आपके यहां पी लेंगे (व्यवधान)

श्री चुन्नीलाल गरासिया : माननीय

(श्री चुन्नीलाल गरासिया)

सदस्य ने जो पाइंटेड प्रश्न पूछा है, 'उसका जवाब देना है। उनको।

श्री ओमप्रकाश शर्मा : समस्या यह है....(व्यवधान)

श्री शिवनाथ सिंह : माननीय उपाध्यक्ष जी, आप बैठिये एक बार (व्यवधान)

श्रीमती तारा भण्डारी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जनप्रतिनिधियों को एक चाय के प्याले के बराबर तोलना, यह हाउस का मखौल है। (व्यवधान)....

श्रीमती नरेन्द्र कंवर : आपको किसी को ठेस (व्यवधान)

श्री चुन्नीलाल गरासिया : हाउस को बदनाम कर रहे हैं आप। यह क्या कर रहे हैं आप ? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र गहलोत : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब सदन की यह राय है कि इस बारे में अनियमितता हुई है तो जांच कराने में क्या....

श्री मांगीलाल मेघवाल :....(व्यवधान) ....इनके अधिकारियों ने लाखों रुपये खर्च कर दिये, जनता का चन्दा ले रहे हैं और वे....(व्यवधान)....

श्री चुन्नीलाल गरासिया : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, या तो मंत्री महोदय, सदन से माफी मांगें या कार्यवाही से ये शब्द वापस निकाले जाएं। यह सब माननीय सदस्यों के लिये कहना, जन-प्रतिनिधियों के लिये कहना ठीक नहीं है। यह कौनसी बात हुई ? (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : मंत्रीजी माफी मांगें। [sic: printed "मंत्रीजी मना करें ।"]

श्रीमती नरेन्द्र कंवर : अजी साहब ....(व्यवधान)

श्री मांगीलाल मेघवाल : क्या कर रहे हैं यह (व्यवधान) जनता से लाखों रुपये बटोरकर अधिकारी मनमानी कर रहे हैं। जन-प्रतिनिधियों को, इसका जवाब दिया नहीं, यह कोई तरीका होता है ?.... (व्यवधान) ...

श्री ओमप्रकाश शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से....(व्यवधान)

श्रीमती नरेन्द्र कंवर : साहब, चाय के लिये मैं मांफी मांगती हूं।

श्री ओमप्रकाश शर्मा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय मैं मंत्री महोदय से..(व्यवधान)

श्री मांगीलाल मेघवाल : और इसका जवाब यह दें ? और भी किस को नहीं बुलाया गया ?. (व्यवधान) . .

श्री राजेन्द्र गहलोत : आपकी चिंता मंत्रीजी करते होंगे, विधायक नहीं करते। ....(व्यवधान) ..

श्री उपाध्यक्ष : कृपया, माननीय सदस्य।....(व्यवधान).... माननीय सदस्य, कृपया विराजें।....(व्यवधान)...

श्रीमती उजला अरोड़ा : यह कोई

(136)

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

तरीका नहीं है, सम्मान होता है.... (व्यवधान)....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या, आप बिराजें। श्रीमती उजला अरोड़ा, आसन पैरों पर है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं बैठ जाती हूं।

श्री उपाध्यक्ष : दिख रहा है आप को ? बिराजिये, बिराजिये आप।.... (व्यवधान) ...

श्री रामस्वरूप मीणा : यह भारतीय जनता पार्टी के ...(व्यवधान)....

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये, बिराजिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा : इस तरह चाय में बिके हुए हैं क्या हम ? चाय के प्याले में बिके हुए हैं ? + + +

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजें।.... (व्यवधान) ....माननीय सदस्या आप बिराजें श्री ओम प्रकाशजी।

श्रीमती उजला अरोड़ा : कितने हल्केपन से बात कही गयी है, इसको महसूस नहीं किया आपने।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या, उजलाजी, आप बिराजें।.. (व्यवधान)....

श्रीमती उजला अरोड़ा : जिला कमेटियों में गवर्नमेंट की ओर से मेम्बर रहते हैं, जिला कमेटियों में बुलाये जाते हैं। मेले हों या अन्य व्यवस्थाएं हों, उसमें जाते हैं ...

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये। मुझे यह कहना पड़ेगा कि उजलाजी का अंकित नहीं हो।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आप कह दीजिये अंकित नहीं हो। फिर वो भी अंकित न हो।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजें।

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, आन ए पाइंट आफ आर्डर।

श्रीमती उजला अरोड़ा : वह भी आप रोक दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठें पहले। कृपया आप बैठें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : एक चुने हुए जनप्रतिनिधि का अपमान करना कोई अच्छी बात नहीं है।.. (व्यवधान)....

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बिराजें, माननीय सदस्या।

श्री परसराम मदेरणा : पाइंट आफ आर्डर।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय विरोधी दल के नेता महोदय, आसन पैरों पर है।

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा हूं, पाइंट आफ आर्डर।... (व्यवधान)....

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री ओमप्रकाश शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, यह क्या मतलब है ?

श्री उपाध्यक्ष : आसन पैरों पर है ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मुंह से बोल रहे हैं, भावना क्या होती है ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य ।.... (व्यवधान)....

श्री ओम प्रकाश शर्मा : अभी खोलता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य ।

मैं माननीय मंत्री महोदय, से यह निवेदन कर रहा हूं कि वे अपना संशोधित उत्तर दें सदन को, संशोधित उत्तर ।.... (व्यवधान)....

श्री मोहनलाल मोदी : पहले माफी मांगें सदन से । उपाध्यक्ष महोदय, जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया गया है.... (व्यवधान)....

श्रीमती उजला अरोड़ा : सामूहिक बहिष्कार कर देंगे, क्या दिक्कत है ।.... (व्यवधान).... कमेटियों को चलाओ अपने आप ।

श्रीमती कमला : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय नेता महोदय ने पाइंट आफ आर्डर उठाया है, उसको टेक अप करिये आप । उसको आप कैसे नजर अंदाज कर रहे हैं ?

श्री परसादी लाल मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, इन शब्दों को कार्यवाही से निकलवाइये आप ।... (व्यवधान)....

एक माननीय सदस्य : चाय पीने की बात है ।

श्री ओम प्रकाश शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, हमारा चरित्र वो नहीं है कि हम चाय के लिये मरते हों... (व्यवधान)....

श्रीमती कमला : उपाध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ आर्डर सर्वोपरि बिंदु है उसी को आप उठाइये ।....(व्यवधान)....

श्रीमती उजला अरोड़ा : यह बात जानबूझकर कही गयी है ।....(व्यवधान).... और जानबूझकर कह कर हंसा गया है । इस बात पर+++

श्रीमती कमला : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदया ने, जो उन्होंने सदस्यों को अपमानजनक भाषा में कहा है, वह वापस लें, खेद प्रकट करें ।

श्री शिवनाथ सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं....

श्रीमती कमला : आप पाइंट आफ आर्डर को इजाजत दीजिये पहले ।

श्री शिवनाथ सिंह : माननीय मंत्रीजी महिला सदस्य हैं....

श्रीमती कमला : यह क्या तरीका है. पाइंट आफ आर्डर को क्यों नहीं टेक अप करवा रहे आप ?....(व्यवधान)....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं यह निवेदन कर रहा हूं....

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी ।

श्री मोहनलाल मोदी : इससे गम्भीर बात नहीं हो सकती। उपाध्यक्ष महोदय, उनसे मांफी मंगवाइये।

श्री परसादी लाल मीणा : माननीय सदस्य का अपमान हुआ है, इससे और बड़ी बात नहीं हो सकती है। (व्यवधान)....

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बिराजिये।

श्री परसादी लाल मीणा : इससे बड़ी बात, कोई नहीं हो सकती, चाय पर नहीं बुलाया।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, माफी मंगवाइये उनसे।

श्री उपाध्यक्ष : प्रतिपक्ष के नेता महोदय ने पाइंट आफ आर्डर उठाया है आप ध्यान पूर्वक सुनें।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय उपाध्यक्षजी, चाहे इस ओर बैठे हों चाहे उस ओर बैठे हों। चाहे ट्रेजरी बैंचेज पर हों चाहे आदरणीय सदस्य हों, लेकिन किसी के विरुद्ध अनपार्लियामेंट्री या गैर सत्कार पूर्ण ढंग से सम्बोधित करना सदन की परम्पराओं को तोड़ना है। चाय का जहां तक प्रश्न है, जिस किसी भी मीटिंग में अपन जाते हैं यह सामान्य सत्कार की बात है इसमें ऐसा कोई किसी के खिलाफ एस्पर्शन नहीं था। मैं यह कह रहा हूं। गंगाराम जी बैठे हुए हैं, हम वहां डिस्ट्रिक्ट की मीटिंग में बैठते हैं तो एक दफे चाय या कुछ भी, मैं तो कोल्ड ड्रिंक लेता नहीं हूं लेकिन वहां कलक्टर चाय मंगाता है, उसके बाद मुझे जब दूसरी मंगानी होती है तो मैं खुद मेरे पी. ए. को कह देता हूं कि जा कर वहां से चाय ले आओ। मैं सैकण्ड टाइम लूंगा। मैं पैमेंट देता हूं।

मेरा निवेदन करना यह है कि यह एक सामान्य बात थी किसी पर एस्पर्शन नहीं था लेकिन जयपुर ग्रामीण से आने वाली माननीय सदस्या, ने कहा+++ उसको। उसको नहीं है हम बहुत सम्मान के साथ में माननीय सदस्य होकर कोई बात रखते हैं या कोई आरोप भी लगाते हैं। हमने कभी मामड़ाजी के ही कोई बात कह दी होगी, लाइट वैन में पंडितजी कहते हैं, यों थोड़े है कि उसको-उसको पंडित-पंडित, यों थोड़े ही करते हैं, पंडितजी....(व्यवधान).... हां, ज्ञानी, तत्व ज्ञानी, पंडितजी।

श्री राजेन्द्र गहलोत : आप मारवाड़ के हैं इसलिये कहते हैं यह बात।

श्री परसराम मदेरणा : तत्व ज्ञानी पंडितजी, गीता में भी लिखा हुआ है कि जिसको तत्व ज्ञान हो जाता है उसको लोग पंडित कहते हैं। जिसको तत्व ज्ञान होता है उसको पंडित कहते हैं तो इसलिये....

श्री हरिशंकर भामड़ा : अभी तो पंडिताई आप कर रहे हैं समदर्शी बन कर, क्योंकि वकालत इनकी कर रहे हैं बोल उधर से रहे हैं।....(व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : +++ यह अनपार्लियामेंट्री है इसको एक्सपंज कराइये।....(व्यवधान)....

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं सहमत हूं... (व्यवधान) ...

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये। एक मिनट बिराजें तो सही आप। आप भी बिराजें।....(व्यवधान) ...

माननीय मंत्री महोदया, इसमें कोई ज्यादा बड़ा सवाल नहीं है, इसमें सवाल यह है कि कोई अनियमिता हुई हैं तो आप जांच कराने को तैयार हैं या नहीं हैं। यह है सवाल और कुछ नहीं है।

श्री ओम प्रकाश शर्मा : पहले खेद प्रकट होगा, साहब।

श्रीमती उजला अरोड़ा : नहीं कमेटियों से इस्तीफा दे देते हैं। सरकारी कमेटियों में रहने का....(व्यवधान)....

श्री उपाध्यक्ष : सुनिये; माननीय सदस्या। नहीं, बारबार अवसर नहीं, आप बिराजिये। माननीय मंत्री महोदया।

श्रीमती नरेन्द्र कंवर : उपाध्यक्ष महोदय, I didn't have this in my mind कि वो चाय के लिये they will take it that way. मेरा तो यह मतलब था कि गैट टुगेटर होता है तो होती है। और अगर माननीय सदस्य को बुरा लगा हो तो I am very Sorry. But I am very sorry, आप लोगों ने जिस तरह से लिया है। My intention was not that. I meant सबकी कोआर्डिनेशन में मीटिंग हों।

श्री ओम प्रकाश शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कुछ प्रमाण दूं ?

श्री उपाध्यक्ष : आप सुनिये पहले, ओम प्रकाशजी।

श्रीमती नरेन्द्र कंवर : और इतना मैंने इसलिये बोला कि इतने-से पैसे में कौन, क्या लेगा और क्या करेगा, इतना हाई लेवल का अफिसर। पर अगर वे चाहते हैं....

श्री कालीचरण सराफ : मंत्री महोदया, पैसा ज्यादा इकट्ठा हुआ है लोगों को रसीद नहीं दी, यह है घपला।

श्री ओम प्रकाश शर्मा : 10 लाख रुपये का....(व्यवधान)....

श्री कालीचरण सराफ : 10 लाख रुपये से ज्यादा इकट्ठा हुआ है....

श्रीमती नरेन्द्र कंवर : आप मेरी बात तो सुनिये। आपके पास जो भी प्रमाण हों वे दे दीजिये मुझे।

श्री अर्जुनदास मदान : उपाध्यक्ष महोदय, पैसे का सम्बन्ध अमीरी और गरीबी से नहीं होता, पैसे का सम्बन्ध नीयत से होता है। एक गरीब आदमी भी.... (व्यवधान) ...

श्रीमती नरेन्द्र कंवर : आप मेरी बात तो सुनिये। और जो प्रमाण देंगे....

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बिराजें। पहले मंत्री महोदय को आप सुन तो लें। बैठिये।

श्रीमती नरेन्द्र कंवर : इसके अलावा आपकेपास ऐसा कोईप्र माण हो तो आप मुझे दे दीजिये, मैं उसको दिखवा लेती हूं। अगर आपने पहले मुझे दे दिया होता तो आज यह इतनी बात ही नहीं होती।

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा समाप्त।

श्री ओम प्रकाश शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, प्रमाण से क्या मतलब हुआ, यह क्या हुआ ?

श्री उपाध्यक्ष : यह सैट आप दे दो इनको, अब आप विराजो। चर्चा समाप्त।

श्री ओम प्रकाश शर्मा : नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि....

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा समाप्त। सुन लिया ? अब बिराजें आप।

श्री ओम प्रकाश शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, यह करप्शन के चार्जेज हैं।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये। विधायी कार्य।

श्री ओम प्रकाश शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, करप्शन है।

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा समाप्त।.... (व्यवधान)....

श्री मांगीलाल मेघवाल : चर्चा उनके विरोध में है, लाखों रुपया बटोरा गया है....

श्री ओम प्रकाश शर्मा : बात तो सुनो ही नहीं....(व्यवधान) ... मतलब क्या है ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह बड़ा दुर्भाग्य है कि मुझे आसन से यह कहना पड़ेगा कि अंकित न हो।

श्री मांगीलाल मेघवाल : और यहां आ कर भ्रष्टाचार के मामले को.... (व्यवधान)....

श्री अर्जुन दास मदान : आपको जांच करवाने में क्या जा रहा है ?

श्री मांगीलाल मेघवाल : और जनता में हमारी छवि खराब हो रही है.... (व्यवधान) .. गबन हुआ है....(व्यवधान)..

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये।

श्रीमती नरेन्द्र कंवर : कह दिया न जांच के लिये।

श्री अर्जुन दास मदान : आप जांच करवा लीजिये बात खतम हो। आप किसी से भी जांच करवा लीजिये। ..(व्यवधान)..

श्री मांगीलाल मेघवाल : अब यहां हाउस में इस मामले को....(व्यवधान)....

श्री हरिशंकर भाभड़ा : बैठिये, बैठिये। ....(व्यवधान)....

श्री मांगीलाल मेघवाल : यह मुद्दा भ्रष्टाचार का है।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : माननीय सदस्य, जो भी कागजात, आरोप जो लगाना है, आप दीजिये उन सब की जांच करवा ली जाएगी।

श्री उपाध्यक्ष : यह +++ जो शब्द अंकित हुआ है इसको हटाया जाए। ....(व्यवधान) ... कृपया व्यवधान नहीं, आसन पैरों पर है।

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री उपाध्यक्ष)

विधायी कार्य श्री भैरोंसिंह शेखावत, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान विनियोग (संख्या–3) विधेयक, 1996 को विचारार्थ लिया जाए।

विधायी कार्य : विधेयक पर विचार

राजस्थान विनियोग (संख्या–3) विधेयक, 1996

श्री हरिशंकर भाभड़ा (उप मुख्य मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या–3) विधेयक, 1996 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामकिशन वर्मा।

श्री रामकिशन वर्मा (रामगंजमण्डी) : उपाध्यक्ष महोदय, आज विनियोग विधेयक की मांगों के सम्बन्ध में मैं भी अपनी बात कहना चाहता हूं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि आज राजस्थान को सबसे बड़ी आवश्यकता बिजली की है और बिजली के कारण ही काश्तकारों को सबसे बड़ी कठिनाइयों से जूझना पड़ रहा है। काश्तकार बिजली मांगता है तो बिजली मिलती नहीं, प्रकृति का प्रकोप होता है तो कहीं बरसात नहीं होती, अकाल पड़ता है, कहीं अतिवृष्टि होती है। नतीजा साफ जाहिर है कि काश्तकार को हर तरह से जूझना पड़ता है और मुसीबतें उठानी पड़ती हैं, और इनकी इन्कम का साधन जो एक मात्र कृषि है उसका लाभ उनको नहीं मिल पाता। जहां तक मैं समझता हूं राज्य सरकार भी इस बात की चिन्ता करती है और यही कारण है कि 10 अप्रेल, 1994 को सबसे पहले इस चिन्ता को जाहिर करके माननीय मुख्य मंत्री जी, माननीय विद्युत मंत्री जी, माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी, माननीय समाज कल्याण मंत्री जी और उप मंत्री जी गये थे वहां जाकर पांचवी इकाई का विधिवत उद्घाटन भी किया गुरजंटसिंहजी ने लेकिन उसके बावजूद आज तक पांचवीं इकाई से बिजली प्रारम्भ नहीं हुई। यह इस बात का प्रमाण है कि अधिकारीगण हमारे मुख्य मंत्री जी को भी गलतफहमी में डालते है, विद्युत मंत्री जी को भी गलतफहमी में डालते हैं। अपने कार्य को करवाने के लिए वाहवाही लूटते है और राजस्थान की सरकार को, राजस्थान की जनता को, राजस्थान के काश्तकारों को किसी प्रकार का लाभ नहीं मिलता।

(15.00)

मैं यह भी मानता हूं कि हम औद्योगीकरण के खिलाफ नहीं हैं, उद्योगों को भी बिजली मिले लेकिन उनके साथ दोहरी नीति न अपनायी जाए कि काश्तकार के लिये घोषणा तो करें हम दस घण्टे की लेकिन बिजली मिले चार या पांच घण्टे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय को यह बात कहना चाहूंगा कि एक दफा जो भी आपको शिड्यूल बनाना हैं उसको आप यहां पर घोषित करें। घोषणा करें कि काश्तकार को अगर बिजली देनी है, दो घण्टे देनी हैं तो कब देनी है, तीन घण्टे देनी है तो वह कब देनी है, पांच घण्टे देनी है तो वह कब देनी है। नतीजा यह होता है कि जब आम जनता आराम की नींद सोती है, इस ठिठुरती सर्दी के अन्दर काश्तकारों को रात के बारह बजे बिजली मिलती हैं या मिलती है सवेरे पांच बजे। वह उठ-

(152)

(श्री रामकिशन वर्मा)

कर जाता है और गांवों की परिस्थिति आप से छिपी नहीं हैं, वहां पर सांप, गोहरा आदि कई जहरीले जीव ऐसे हैं जिनकी वजह से कई काश्तकारों को अपने जीवन से हाथ धोना पड़ता है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं खास तौर से मेरा रामगंजमंडी का जो इलाका है वहां अधिकतर इलाकों के अन्दर बिजली बिलकुल नहीं पहुंचती, कई दफा। दिनों तक छोटे कस्बों में भी अंधेरा रहता है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि वह काश्तकारों का इलाका है, वह गरीब मजदूरों का इलाका है, वह शिडयूल्ड कास्ट के लोगों का इलाका है, उनको समय पर बिजली मिले। जब वे सवेरे काम पर जाने लगते हैं तो बिजली बन्द हो जाती है। खाना बनाते वक्त भी शाम को छह बजे जब मजदूरी से आते तो बिजली बन्द हो जाती है। बिजली आती नहीं है, उनके बच्चे पढाई से महरूम रह जाते हैं। ऐसी स्थिति के अन्दर मैं यह मानकर चलता हूं कि इस प्रकार का खेल, इस प्रकार की आंख मिचौली राज्य सरकार द्वारा नहीं चलनी चाहिए जिससे कि हमारा काश्तकार बिलकुल ही महरूम हो जाए।

दूसरी बात, हम कहते हैं कि बिजली नहीं है, यह वास्तव में सत्यता है क्योंकि हमने नये आयाम पैदा ही नहीं किये। नये उत्पादन के लिये कोई थर्मल लगाया नहीं, नयी योजना हम लोगों ने स्थापित की नहीं तो बिजली आएगी कहां से? मांग तो बढ़ रही है लेकिन बिजली का अभाव है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि बड़ा क्षेत्र जैसे जयपुर राजधानी है, इसकी किसी भी रोड पर जाएं–चाहे आमेर तक चले जाएं जौहरी बाजार से, चाहे यहां से सांगानेर तक चले जाएं, चाहे चले जाएं अजमेर रोड, और झोटवाड़ा तक, सब पर बड़ी-बड़ी सोडियम लाइटें लगी हुई हैं। यहां के लोगों की इतनी चिन्ता है और काश्तकार जो गांवों में बैठा है उसके ऊपर इतना भी ध्यान नहीं है कि रोशनी उनको भी मिल सके।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह बात कहना चाहूंगा, आपने भी देखा होगा कि दिन में भी लाइटें जली रहती हैं, उनको कोई बुझाने वाला नहीं है। मैं तो इतना ही चाहूंगा, आप रात के 10–11 बजे तक, राजधानी है, जरूर जलाएं परन्तु अगर आल्टरनेट एक–एक लाइट को भी बुझा दें तो एक रोड से हमारे एक-एक गांव में लाइट मिल सकती है। इस प्रकार की योजना मैं राज्य सरकार से कहना चाहता हूं।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे यहां पर रेगिस्तान का शब्द ऐसा लगता था कि बाहर से आने वाले एक दफा तो राजस्थान में आने से डरते थे। उन सारी बातों को देखकर हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने बड़ी–बड़ी जल योजनाएं लागू करा बड़ी–बड़ी नहरें निकालीं। राजस्थान कैनाल, गंग कैनाल, चम्बल से राइट कैनाल लैफ्ट मैन कैनाल आदि। लेकिन उन कैनालों के बावजूद भी जो उनसे सिंचाई होनी चाहिये वह सिंचाई भी नहीं होती। नहर जगह-जगह से टूटी पड़ी है, उस नहर को ठीक कराने वाला कोई नहीं है। हर साल सुनने में आता है कि नहर टूट गयी और

(श्री रामकिशन वर्मा)

करोड़ों रुपयों की काश्तकार की फसल बर्बाद हो गयी। आज वह एक काश्तकार का दर्द नहीं है। मेरा निवेदन यह है कि उन साइडों पर जो अधिकारी लगे हुए हैं उनके ऊपर एक जिम्मेदारी क्यों नहीं डाली जाए ताकि उन अधिकारियों से हम उस बात का मुआवजा भरने की बात करें, उसकी शिकायत करें और इस बात के लिये कहें कि आपकी लापरवाही से, आपकी अकर्मण्यता से इस प्रकार से राजस्थान को नुकसान हो रहा है। यह राष्ट्रीय नुकसान है इससे हमें बचाया जाए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी-अभी की बात कहता हूं। कोटा की राइट मेन कैनाल के अन्दर से डी. सी. एम. फैक्ट्री को पानी देने के लिये एक स्टेंडिंग वॉल इन्होंने बनायी। बहुत अच्छी बात है, आप दीजिये लेकिन उसके अन्दर इस बात की चर्चा नहीं की, इस बात का नियम नहीं देखा कि राज्य सरकार ने किस कानून के तहत ये आदेश दिये। फैक्ट्री वालों ने अपने ही कारीगरों से, अपने मजदूरों से उस नहर की दीवार को बनवा लिया। इन्होंने सी. डब्ल्यू. सी. से भी इसकी परमीशन नहीं ली और इस बात की भी चिन्ता नहीं की कि आज से जो पानी की हानि होगी, हम मध्य प्रदेश के नियमों के अनुसार पानी देते हैं, उसकी कटौती की कौन पूर्ति करेगा। काश्तकार पानी के लिये चिल्लाता रहे लेकिन उसे पानी नहीं देंगे और फैक्ट्रियों को पानी दे रहे हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज लैफ्ट मेन कैनाल के अन्दर 80 गांव डिकमांड कर दिये गये हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि हमारे अधिकारी अकर्मण्य हैं, सूझबूझ वाले नहीं हैं। अन्यथा काश्तकार को इतने वर्षों से कमाण्ड बना रखा है, उनको पानी किसी न किसी रूप में मिलता था। आपने उन नहरों के रख रखाव के अन्दर बिलकुल ध्यान नहीं दिया। पूरा पैसा नहीं दिया, आधुनिकीकरण नहीं किया इस वजह से आज नहरों का पानी बहकर चला जाता है। तीस हजार क्यूसेक पानी सीपेज से बहता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर हमारे अधिकारी चौकस हों, हमारे अधिकारियों को दर्द हो, वे काश्तकार परिवार से हों तो सीपेज के पानी को भी लिफ्ट करके वापस नहर में डाल दें ताकि वह पानी टेल तक काश्तकार को मिल जाए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये सारी बातें मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि जब पानी बहता है, काश्तकार को खेत में नहीं मिलता है तो काश्तकार का खून जलता है, उसको दर्द होता है और हम से भी देखा नहीं जाता। इस विधान सभा के माध्यम से बार-बार यह बात एक चेतावनी के रूप में क्वेश्चन के माध्यम से और ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से हम कई दफा कहते है लेकिन आज तक उन प्रवृत्तियों का समाधान हो नहीं पाया है। आप के माध्यम से मैं आज फिर यह बात कहना चाहूंगा कि आज इस बिल के माध्यम से, जो यह पारित करवाना चाहते हैं, संशोधन करके फिर से इस कार्य में ज्यादा पैसा दें ताकि काश्तकार का भला हो और राजस्थान की जनता को खुशहाली मिले।

मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि आज राजस्थान के कोटा, बूंदी और बारां

(146)

(श्री रामकिशन वर्मा)

का जो इलाका है वह कमांड इलाका कहलाता है। आज वहां डीकमाण्ड कर रहे हैं, कमांड इलाके की ग्रीन बैल्ट के अन्दर फैक्ट्रियों की इजाजत देते हैं। मैं राजस्व मंत्रीजी और उद्योग मत्रीजी से पूछना चाहूंगा कि आपने किन नियमों के तहत यह अधिकार दिया, इनकी स्वीकृति दी? कृषि कार्य की जमीन को अकृषि कार्य हेतु किस नियम के तहत आपने बदला? मैं कहना चाहूंगा कि एक तरफ तो हम पानी के लिये तरसते हैं, दूसरी तरफ कमांड इलाके की जमीन पर फैक्ट्रियां बनवाते हैं, स्कूल बनवाते है, कालोनियां काटते हैं। तो राज्य सरकार के कोई नियम भी हैं या नहीं, कोई कानून भी है या नहीं? ये सारे कानून कुछ लोगों ने अपनी जेब में रख रखे हैं। राजस्थान के अधिकारियों के बारे में कहना चाहूंगा कि उन्होंने सारे कानूनों को तोड़-मरोड़कर इस तरह की इजाजत दी है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह एक प्रकार से सरासर किसानों के साथ बड़ा अन्याय है।

इसके साथ एक बात और कहना चाहूंगा कि पूरे राजस्थान में खास तौर से भीलवाड़ा में, कोटा में जितनी फैक्ट्रियां, थर्मल लगे हुए हैं इनसे इस प्रकार का प्रदूषण पैदा हो रहा है कि लोगों का जीना दुश्वार हो रहा है। थर्मल से निकलने वाले प्रदूषण से कोटा की जो आवासीय पॉश कालोनियां हैं चाहे वह विज्ञान नगर हो, चाहे दादाबाड़ी हो, चाहे शक्ति नगर हो और चाहे तलवंडी हो वहां का नागरिक जब सवेरे सोकर उठता है तो उसके हाथ और सिर के ऊपर काला काला पदार्थ जम जाता है। उसका नतीजा यह हुआ कि वहां के नागरिकों को दमे की बीमारियां होने लगीं। मैं यह बात चेतावनी के रूप में कहना चाहूंगा कि आज जो दमा है, कुछ सालों बाद उनके तपेदिक होगा, उनके कैंसर होगा। इसलिए राज्य सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि इसकी व्यवस्था करें और उन लोगों के जीवन को बचायें।

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि कोटा एक ऐसी जगह है जहां पर हम लोग बांधों के माध्यम से सिंचाई और बिजली पैदा करते हैं लेकिन कोटा डैम, जवाहर सागर, वहां पर खान के लोगों ने मिट्टी-मलवा नदी में डालकर उस मलबे से बांध को ऊपर तक भर दिया है। इससे नदियों को फ्लो कम हो गया और मेरा निवेदन है कि बांधों को जो क्षति हुई है उसका भी इन्तजाम किया जाए। कोटा के अन्दर थर्मल को ठंडा करके जो तेजाबी पानी आता है, धीरे-धीरे, आज नहीं लम्बे समय में हमारे गेट के ऊपर उस तेजाब का असर होगा, उस तेजाब के असर से वह गेट गल जाएगा, नतीजा यह होगा कि एक दिन पूरा कोटा जलमग्न हो जाएगा, जन और धन की हानि हो जाएगी। मैं इन चेतावनियों के साथ कहना चाहता हूं, माननीय मंत्रीजी यहां पर विराजमान हैं, कोटा के दोनों मंत्रियों के ऊपर बड़ी जिम्मेदारियां हैं, इस बात को बारीकी से देखें निश्चित रूप से लगता है कि इस भार से बचा नहीं पाएंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज सार्वजनिक निर्माण की बात मैं कहना चाहूंगा कि मण्डाला से झालावाड़ तक, सुकेत तक हाइवे नम्बर 12 पर दर्रा से

(श्री रामकिशन वर्मा)

पहले और सुकेत के दोनों ओर काफी मलबा, पत्थर डालकर उस ठेकेदार ने इस तरह की व्यवस्था कर रखी है कि तीन महीने से सौ–सौ ट्रकों का रोज जाम लग जाता है, कोई उसको हटाने वाला नहीं है। मैं यह बात इसलिए कहना चाहता हूं कि हमारे मंत्रीजी वहां के हैं उनका ध्यान लोगों ने इस ओर दिलाया नहीं, तो मैं आज यहां पर उनका भी ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि इस बात की व्यवस्था करें। कितने लम्बे समय तक ये सड़कें बनती रहेंगी? एक ही सड़क का पांच मील का इलाका, पांच वर्ष से ज्यादा हो गया, पूरा नहीं हुआ न ही बाईपास बना। मेरा निवेदन है कि निकलने का रास्ते रखें, ताकि उसका उपयोग हो सके।

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो थोड़ी-सी बात और कहूंगा और अपनी बात समाप्त करूंगा।

मैं यह बात खास तौर से कहना चाहता हूं कि आज कोटा के अन्दर ट्रैफिक नाम की कोई चीज ही नहीं है। सारे रास्तों पर मर्जी आये जिधर से आता है जाता है। नियम है राजस्थान के अन्दर कि मेन सिटी में रात के दस बजे के पहले और सवेरे छह बजे के बाद कोई ट्रक नहीं आ सकते, गाड़िया नहीं जा सकतीं लेकिन वहां तो कभी भी आ–जा सकते हैं। पैदल निकलने वालों के लिए रास्ता नहीं है। आज मैं यह बात इसलिए कहना चाहूंगा कि ट्रैफिक के अधिकारियों को वहां से हटा दिया जाए। जब ट्रैफिक ही नहीं है तो उसको सुधारने की आवश्यकता कहां पर पड़ रही है? ये बातें उनकी समझ में आने चाहिए कि कोटा एक महत्वपूर्ण औद्योगिक नगरी है जिसको कि लोग समझते हैं और उसके माध्यम से अपनी बात को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं।

मैं आज आपके माध्यम से खास तौर से माननीय शिक्षा मंत्री महोदय का इस ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा, कल उन्होंने बात की कि तीस कालेज खोल दिये जरूर खोले हैं लेकिन खास तौर से ...

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी (उच्च शिक्षा मंत्री): रामगंज मण्डी में गर्ल्स कालेज खोल दिया!

श्री रामकिशन वर्मा: आपने खोला, बहुत अच्छा हुआ, उसके लिए आपको धन्यवाद। लेकिन लड़के कहां जाएंगे पढ़ने?

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी: झालावाड़ जाएंगे।

श्री रामकिशन वर्मा: झालावाड़ तो दूर पड़ता है माननीय मंत्री महोदय। भवानीमण्डी दूर पड़ता है, कोटा दूर पड़ता है आपकी समझ में होने के बावजूद आप कोटा के होने के बावजूद यह कहें तो मेरे भी मन में यह तकलीफ आएगी कि आज हमारे यहां के मंत्री होते हुए हम किसको इस बात के लिए कहें।

सबसे बड़ी बात, उपाध्यक्ष महोदय, वह यह है कि आज मिलावट का जो चलन है, इन्डाना घी के नाम पर लोग तेल बेच रहे हैं। कोई देखने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। तरह–तरह की बीमारियां हो रही हैं। इन बीमारियों को रोकने

(श्री रामकिशन वर्मा)

के लिए मैं माननीय मंत्रीजी से इस बात की उम्मीद करूंगा और आश्वासन चाहूंगा कि कम से कम इस प्रकार की देखभाल के लिए विशेष ध्यान दें।

मैं यह भी कहना चाहूंगा कि आज अस्पतालों में बड़े अस्पताल हैं, मेडिकल कालेज कोटा में खुला है तो आप जैसे प्रभावशाली और मेरे जैसा चर्चित व्यक्ति और बड़े लोगों के लिए तो जाते ही इलाज की व्यवस्था हो जाती है लेकिन कोई गांव का काश्तकार जब वहां पर पहुंचे तो उनको घंटों तक कोई देखने वाला नहीं होता। आज उसकी तरफ हम लोग रहम करें, उसके इलाज के लिए पहल करें। ये बातें तब मधुर होंगी जब हमारे लोग इसको अपने तौर तरीके से देखेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, यह बात खास तौर से कहना चाहूंगा, आज काश्तकार को जगह जगह मुकदमों में फंसा रखा है। उसका दो तिहाई जीवन कोर्ट में आने-जाने में समाप्त हो जाता है, किराये-भाड़े में उसकी जिन्दगी निकल जाती है। वह आकर वकील से खाली एक तारीख ले जाता है और समझता है कि मेरी तारीख आगे पलट गयी और इतिश्री हो गयी। मुकदमा वह करता है, फैसला उसका पोता सुनता है। इसके अन्दर भी, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि जल्दी हो, उन लोगों को जल्दी से जल्दी न्याय मिले। काश्तकार की बात को सर्वोपरि मानें। हमारे अन्दर दो तरह का भेद नहीं लगे, काश्तकार और शहरी आदमी बराबर समानता की बात महसूस करें, यही बात मुझे कहनी थी।

आपने समय दिया बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती कमला।

श्री चुन्नीलाल गरासिया (उदयपुर ग्रामीण) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बाहर हजारों किसान धरना दे रहे हैं, मैं सरकार का थोड़ा ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। उनकी कुछ मांगें हैं, मतलब, कृषि विभाग में जो प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। हजारों किसान बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका ज्ञापन देने के लिए प्रतिनिधि मण्डल भी आया हुआ है। मैं आपके माध्यम से सरकार को निवेदन करना चाहूंगा कि उनकी जो वाजिब मांगें हैं....

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : आप कैसे कर रहे हैं? कौनसे नियम के तहत कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? यों ही बिना अनुमति के बोल रहे हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने माननीय सदस्या को बुला लिया और आप बीच में ही खड़े हो गये, कमाल है।... (व्यवधान)

श्री चुन्नीलाल गरासिया : माननीय सदस्य, आप बिराजें, मैं बोल रहा हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को बैठाएं।

आपसे परमीशन नहीं ली है, मैंने उपाध्यक्ष महोदय से परमीशन ली है।

श्री रामनारायण चौधरी : परमीशन कहां दी, उपाध्यक्ष महोदय ने? ....(व्यवधान) अनुमति कहां दी है तो?

श्री चुन्नीलाल गरासिया : वही है। भारतीय किसान संघ और किसान मंच की समन्वय समिति है जो धरना दे रहे हैं।

(श्री चुन्नीलाल गरासिया)

उनके लिए सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मैं मानता हूं कि आपकी भी उनके प्रति सहानुभूति होगी... (व्यवधान) किसानों के प्रति सहानुभूति तो आपकी भी होगी न ?

श्री रामनारायण चौधरी : काहे का संघ है ? आपकी सरकार से मिला हुआ संघ है वह। (व्यवधान)

श्री चुन्नीलाल गरासिया : उनकी वाजिब मांगों को मानें। विरोधी दल किसानों के पक्ष में नहीं हैं, भगवान उनको सद्बुद्धि दे कि वह भी उनकी प्रशंसा करें।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती कमला।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। प्रश्न यह है कि लिस्ट आफ बिजनस जो हमें प्राप्त हुई है उसमें ढाई से साढ़े पांच बजे तक संकल्प के लिए पूरा तय था।

श्रीमती कमला : वह पढ़ दिया उन्होंने। संशोधित कार्यक्रम माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने सदन को बता दिया।

श्रीमती उजला अरोड़ा : चेयर ने किया ?

श्री उपाध्यक्ष : वह व्यवस्था दे दी।

श्रीमती उजला अरोड़ा : वह क्या तय किया है, वह तो बता दो।

श्री उपाध्यक्ष : पांच बजे बाद प्राइवेट मेम्बर बिल होगा।

श्रीमती उजला अरोड़ा : और पांच बजे आप चले जाओगे। क्या गारन्टी हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, जाएंगे नहीं।

श्रीमती कमला (बैराठ) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सभी राज्य सरकारें और केन्द्र सरकार पंचवर्षीय योजनाएं और वार्षिक योजनाएं बजट के रूप में राज्य के सामने और देश के सामने समय–समय पर प्रस्तुत करती हैं। इन योजनाओं के बनाने का मूल उद्देश्य एक मात्र यही होता है कि देश के स्तर पर या राज्य के स्तर पर किस प्रकार से, किन व्यवस्थाओं के माध्यम से किन कार्यक्रमों के माध्यम से, किन वित्तीय प्रावधानों के माध्यम से खुशहाली लायी जाए, आम आदमी के जीवन स्तर को उठाया जाए, प्रत्येक परिवार एक अच्छा सुखद जीवन जी सके और जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को प्राप्त करके अपने परिवार के वर्चस्व को बढ़ाने के अवसर प्राप्त कर सके। इस मूल उद्देश्य के साथ ही मैं समझती हूं, हमारे प्रदेश की योजनाएं भी प्रस्तुत होती आयी हैं। सबसे मूल मुद्दा लोगों के जीवन स्तर को उठाने और खुशहाल करने का है। उसमें आंकड़ों का जो खेल है उसमें न जाकर मैं यह कहना चाहूंगी कि राजस्थान और राजस्थान जैसे ही अनेक प्रदेश ऐसे हैं जिनकी सारी आर्थिक व्यवस्था सामाजिक उत्थान आम तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों के उत्थान और विकास के साथ जुड़ा हुआ है क्योंकि जनसंख्या का बाहुल्य वहां है, क्योंकि कमजोरी और पिछड़ापन वहां पर वास करता है और उनका उत्थान देश के उत्थान के साथ में बहुत ज्यादा प्रतिशत के साथ जुड़ा हुआ है।

मैं सबसे पहले आपके माध्यम से सदन का और सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहती हूं कि ग्रामीण क्षेत्रों में

(श्रीमती कमला)

किसान और कृषि से जुड़ा हुआ जो तबका है उसके जीवन स्तर को उठाने के लिये, उन्हें खुशहाल बनाने के लिये हमारी इस योजना में या हमारे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में क्या प्रस्तावित किया गया है, यह मुझे कहीं नजर नहीं आया। खेती को ज्यादा से ज्यादा पैमाने पर बढ़ाने के लिये एक चप्पा जमीन भी जो काश्त की जा सकती हो—चाहे बारानी हो, चाहे सिंचित हो वह बिना काश्त के न रहे, उसमें जितने इन्पुट्स चाहिये वे इन्पुट्स समय पर पर्याप्त मात्रा में सही ढंग से स्टैण्डर्ड के मिलें जिससे काश्तकार ज्यादा से ज्यादा खेती कर सके और अच्छी से अच्छी खेती कर सके इसके लिये बहुत-सी व्यवस्थाएं की गयी हैं। बैंकों से लोन भी दिया जाता है और इन्पुट्स के ऊपर सब्सिडी भी दी जाती है और तमाम जितने उसके इम्प्लीमेंट्स वगैरह हैं उनके ऊपर भी काफी मदद की जाती है। उसी के कारण से आजादी के बाद यह देश आत्मनिर्भर हो सका है। मैं यह कहना चाहती हूं कि उनके कारण से और जमाने की रफ्तार के हिसाब से, बढ़ते हुए भावों के कारण और किसान के खुद के प्रयत्न से किसान को स्थिति कुछ सुधरी है लेकिन उस किसान ने जितना पैदा किया है और जिस खर्चे के साथ पैदा किया है, जिस मेहनत के साथ पैदा किया है, जो कॉस्ट आफ प्रोडक्शन लगायी है उसकी उसको अगर सही कीमत नहीं मिल रही है तो हमारा उसके प्रति उत्तरदायित्व है कि वह जो पैदा कर रहा है उसका पूरा लाभ उसको मिले जिससे कि उत्पादक अपने उत्पादन से अपने जीवन स्तर को उठा सके, प्रति व्यक्ति आमदनी उसकी बढ़ सके और प्रति परिवार बढ़ी हुई आमदनी के साथ खुशहाली की तरफ तेजी के साथ कदम उठा सके। इस बात को हमने बहुत बड़े पैमाने पर नैग्लैक्ट किया हुआ है।

मैं उदाहरण के तौर पर आपसे कहना चाहती हूं, सबसे पहला जरूरी काम यह है कि राजस्थान का जो भौगोलिक ढांचा है उसमें हरेक रीजन में कौन-कौनसे अनाज पैदा होते हैं, कौनसे आयल-सीड्स पैदा होते हैं, कौनसी पल्सेज पैदा होती हैं, कहां काटन पैदा होता है, कहां गन्ना पैदा होता है, कहां मूंगफली पैदा होती है, इन सबके आधार पर रीजनल प्रोफाइल तैयार करके आने वाले बीस-पच्चीस पचास वर्षों की योजना हमें बनानी चाहिये कि हम अपने प्रदेश में जो भी हमारे यहां पैदा हो रही है, इनके अलावा भी अगर कोई नैचुरल चीजें पैदा हो रही हैं चाहे वह खदान से हो रही है चाहे वह पेड़-पौधों से, फोरेस्ट से हो रही हैं चाहे नदी से हो रही है, जो भी कुछ पैदा हो रहा है उसके आधार पर हम कौनसे प्रोजेक्ट्स लगा सकते हैं, कौनसे हम उद्योग लगा सकते हैं, कौनसी प्रोसेसिंग यूनिट्स लगा सकते हैं। खास तौर से, मैं सीमित करूंगी अपने आप को, एग्रो बेस्ड जो इण्डस्ट्रीज हैं और प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं वे किस-किस रीजन में कब-कब कहां-कहां, कितनी-कितनी लगायी जानी हैं और प्रति वर्ष उनमें से हम कितनी-कितनी, कहां-कहां लगाएंगे। इस तरह की कोई योजना, कोई प्रस्ताव, कोई सोच सरकार ने नहीं दिया है। मैं चाहूंगी कि सरकार इसके ऊपर मुकम्मल रूप से काम करके इस योजना को जारी करे और उसके आधार पर वार्षिक योजना पर कार्य करे।

(श्रीमती कमला)

दूसरा मेरा निवेदन यह है कि किसान जो पैदा करता है, वह अगर सीधा रॉ मैटीरियल के रूप में बाजार में आता है तो किसान को कुछ नहीं मिलता है। किसान की चीजें अगर फिनिश्ड गुड्स के रूप में आएंगी तो किसान को उसकी सही कीमत मिलेगी। इसलिये किसान को फिनिश्ड गुड्स में अपने सामान की कीमत देने के लिये हमें इन चीजों को कायम करना भी जरूरी है। प्रोसेसिंग यूनिट्स अगर बनेंगी तो कभी आठ आना और कभी रुपये किलो के भाव से उसका टमाटर नहीं जाएगा। उसके टमाटर का सॉस बनकर जाएगा, उसके टमाटर की प्यूरी बनकर जाएगी और उसके जो फल पैदा होंगे, उसके सामान से चीजें बनकर जाएंगी तो उस किसान को आज जो कीमत मिल रही है उससे कई गुना कीमत मिलेगी और उसके जीवन का स्तर ऊंचा उठेगा। दूसरी तरफ जब किसान का अनाज पैदा होकर आता है, आप खूब कर्जा देते हो, आप खूब साधन देते हो, सब कुछ देते हो लेकिन जब वह पैदा होकर आता है, बहुत ज्यादा तादाद में पैदा होता है, जितनी अच्छी फसल होती है, जितनी ज्यादा पैदावार होती है उतनी ही कम कीमत किसान को मिलती है। आपने, हमने, सबने देखा है कि किसान को खड़ा गन्ना जलाने की नौबत आ जाती है। जब अच्छी काटन की फसल आती है तो उसकी कपास ढेरों पड़ी हुई खराब होती रहती है, उसकी गांठें लेने वाला कोई नहीं होता है। जब अनाज आता है तो अनाज को बोली लगाकर व्यापारी कैसे भी भाव से ले लेता है। वह अपनी फसल को रीटेन नहीं कर पाता है इसलिये उसको अच्छा दाम नहीं मिल पाता है। इसलिये मेरा निवेदन है इस सदन के माध्यम से माननीय मुख्य मन्त्री जी और सरकार से कि किसानों की पैदावार का बिचौलियों के द्वारा आज भी जो शोषण हो रहा है, उसका इन्तजाम यह किया जाए कि जितनी भी हमारी कृषि उपज मण्डियां हैं, जितनी भी हमारी मार्केटिंग सोसाइटीज हैं, चाहे प्रत्येक जिले से कुछ अच्छी सोसाइटीज और मण्डियों को सलैक्ट कर लें लेकिन उनमें उनके रखरखाव का, गोदामों का इन्तजाम होना चाहिये। सरकार की बहुत पहले से एक नीति बनी हुई है कि किसान की जब फसल आएगी तो वह उस गोदाम में अपनी फसल को रख सकेगा। उसके पेटे उसके जो अपने खर्चे हैं, ब्याह-शादी के खर्चे हैं और कोई घर के खर्चे है, मकान के खर्चे हैं, जो कुछ भी हैं, उसके पेटे उसे सत्तर से अस्सी प्रतिशत एडवांस में मिले और बैंक उनको देखकर के प्लैज करके उन्हें एडवांस दें जिससे किसान को मजबूरी में अपने मेहनत से पैदा किये हुए अनाज को या सामान को कौड़ी के दाम बेचने पर मजबूर नहीं होना पड़े, यह व्यवस्था हमें करनी पड़ेगी।

आज जो कृषि उपज-मण्डियां हैं, उनके बारे में बहुत से लोगों को यह वहम है कि इससे किसान का सब लाभ हो जाता है। सबसे ज्यादा मैंने अपने वक्त में कृषि उपज मण्डियां बनवायीं लेकिन, मैं उस वक्त भी यह कहती थी कि पहले ट्रेडिशनल व्यापारी बाजार में बैठकर बिना बोली के किसान की पैदावार ले लेता था, उसको थोड़ा बहुत भी सही दाम नहीं मिल पाता था और आज कृषि उपज मण्डियां सिर्फ यह काम कर पाती हैं कि वह जो बोली लगती

(श्रीमती कमला)

है, एक ही व्यापारी के बजाय पांच व्यापारी बोली लगा देते हैं और उनको थोड़ा बहुत ठीक-ठाक दाम मिल जाता है, बाकी किसान को उसकी मेहनत और खर्चे का कोई लाभ नहीं मिलता, वह भी बिचौलियों के पास ही जाता है। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि इस तरह की व्यवस्था के लिये सरकार को कदम उठाने चाहिये।

इसके साथ, आप सभी लोग जानते हैं कि काटन की गांठें क्यों पड़ी रह जाती हैं। कभी हम काटन कारपोरेशन ऑफ इण्डिया को दोष देते हैं, कभी हम अपनी व्यवस्थाओं को दोष देते हैं। मैं चाहूंगी कि इसकी माकूल व्यवस्था की जाए ताकि किसान की चाहे मूंगफली हो, चाहे काटन हो, चाहे गन्ना हो, चाहे अनाज हो, चाहे पल्सेज हो, किसी को भी इस तरह से बेचने की मुसीबत में नहीं पड़ना पड़े कि हम व्यवस्था नहीं कर पाये। यह हमारे लिये जरूरी है यदि हम चाहते हैं कि राजस्थान के प्रति व्यक्ति और प्रति परिवार की आमदनी बढ़े और वह खुशहाली की तरफ तेजी से उठे।

आज बहुत से क्षेत्रों में किसान अच्छी सब्जियां पैदा कर रहा है, अच्छे फल पैदा कर रहा है, अच्छे फूल पैदा कर रहा है और सुबह से शाम तक वह टोकरियों में उनको ले ले कर के सड़क के किनारे बैठा रहता है। ट्रक वाले चाहे दिल्ली के हों, चाहे अजमेर के हों, चाहे जयपुर के हों, जाते हैं और टोकरियां यों की यों मनमाने भाव से रखवा कर ले जाते हैं और किसान का जो कुछ भी खर्चा होता है, परेशानी होती है उसका कोई लाभ उसको नहीं मिल पाता है। मैं सुझाव देना चाहती हूं, यह सदन 1993 से जब से शुरू हुआ है, हर सदन की बैठक में मैं निवेदन करती आ रही हूं कि आप इसके लिये प्रोजेक्ट्स तैयार करवाइये, चाहे प्राइवेट सैक्टर में करवाएं। उनको कुछ कंसेशन देकर, कुछ इंसेंटिव देकर, चाहे सहकारी क्षेत्र में करवाएं, कोल्ड स्टोरेज की, पैकिंग की, उनकी ग्रेडिंग की, उनकी मार्केटिंग की, बीस-बीस, तीस-तीस किलोमीटर पर जहां बड़े कस्बे हों उनके अन्दर इस तरह की व्यवस्थाएं करवाइये जिससे कि काश्तकार अपने उत्पादन को वहां ले जाएं, उनकी अच्छी ग्रेडिंग हो, उनकी अच्छी कीमत लगे। एक्सपोर्ट जो आज प्रयोग के तौर पर हमने शुरू किया हैं, वह सिर्फ नाम मात्र का न रहकर व्यापक पैमाने पर, जैसा कुछ और स्टेट्स के अन्दर चल रहा है उसी तरह से हमारी स्टेट में भी इसकी व्यवस्था होनी चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहती हूं कि खेती के दो इन्पुट बहुत जरूरी हैं– बिजली और पानी। उसके बाबत भी समय रहते हमें इन्तजाम करने चाहिये। खेती में पानी का इन्पुट देना जरूरी है, हमें सोचना है कि जितना–सा है उसका भरपूर ढंग से उपयोग हो। बरसात से पहले हमें पूरे राजस्थान में यह देखना होगा कि जितने भी बांध बने हुए हैं उनकी मरम्मत हो चुकी हैं, जितनी भी नहरें हैं उनकी सफाई हो चुकी है, खुदाई करनी है तो खुदाई हो चुकी है।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह (आसींद) : पाइन्ट आफ आर्डर (रूल 24) बहुत मुश्किल से तो प्राइवेट मैम्बर्स के लिये...

श्रीमती कमला : बोल दिया। उस समय आप थे नहीं, आपने सुना नहीं।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : प्वाइन्ट आफ आर्डर, आप मेरे को बोलने दीजिये। रूल 24 को मैं कोट कर रहा हूं। बहुत मुश्किल से तो प्राइवेट मैम्बर्स के लिये आपने टाइम अलाट किया और पांच बजे तक, कल और परसों छुट्टी है, सब जने चले जाएंगे। मेरा निवेदन है, आप रूल 24 को देखें।

"Precedence of private Members Bills : On a day allotted for the disposal of private Member's Bills, such Bill shall have relative precedence in the following order."

इसलिये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि पहले ही बहुत समय निकल गया, पांच बजे के बाद कोई रुकेगा नहीं। बहुत मुश्किल से यह हुआ है। प्रिसिडेन्स, प्राइवेट मैम्बर्स बिल को मिलता है इसलिये आप जल्दी से इसको करवा के लें।

श्रीमती कमला : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रही थी कि जो हमारे पहले से जल स्रोत बने हुए हैं उनकी देखभाल समय पर करके उनको तैयार रखना चाहिये जिसके लिये कहीं कोई प्रावधान न बजट में हैं न इनके डिपार्टमेंट्स में हैं। यह बहुत जरूरी है।

दूसरा मेरा निवेदन इसी के साथ यह है कि अकाल के समय में या किन्हीं और योजनाओं के समय में एनीकट, छोटे बांध और बाढ़ बचाव कार्य टेकअप किये गये थे जो आज भी उसी हालत में पड़े हुए हैं। अगर वे बन जाते हैं तो वाटर कन्जर्वेशन का बहुत बड़ा एक माध्यम तैयार हो जाता है। पिछली बार भी मैंने निवेदन किया था कि इसका अलग से प्रावधान आप खास तौर से करेंगे तभी इनका काम पूरा हो सकेगा क्योंकि न इरिगेशन इनको लेना चाहता है, न डी. आर. डी. ए. में ये आ सकते हैं, इनके पास इतना धन नहीं है। वाटर शेड प्रोग्राम है वह भी इसमें नहीं आता है। तो इसमें आप अलग से व्यवस्था करें।

तीसरा मेरा इसी में सुझाव है कि जितना भी थोड़ा, ज्यादा, कम जो राजस्थान में पानी बह रहा है उस पानी को योजनाबद्ध करें कि किस प्रकार, कब-कब, कितने मिकदार हम उपयोग कर पाएंगे और कैसे–कैसे उसकी योजना बना पाएंगे। मास्टर प्लान के आधार पर तो जो करें वह करें लेकिन जो छोटे-छोटे नदी नाले इलाकों में बह रहे हैं उनके कन्जर्वेशन के लिये मैं यह चाहूंगी कि आप अपनी नीति में संशोधन करें कि एक जगह कोई छोटा तालाब या बांध बांधने के बजाय उस पूरे फ्लो आफ वाटर को कैलकुलेट करके शुरू से लेकर आखरी छोर तक कितना पानी चल पाएगा, उसके लिये कितनी ऊंची हमें कट्स लगानी हैं। उसके हिसाब से हमें इनको तैयार करना चाहिये जिससे कि वाटर कन्जर्वेशन एण्ड वाटर यूटिलाइजेशन का एक बहुत महत्वपूर्ण प्रोग्राम जारी हो सके।

उपाध्यक्ष महोदय, बिजली के बारे में मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हू, क्योंकि 24 को उसकी मांग है, कि बिजली के कनैक्शन्स देने बाबत भी विभाग को सोचना

(श्रीमती कमला)

चाहिये। यह अधिक उत्पादन करने का एक बहुत प्रभावी जरिया है। डेढ़-डेढ़ साल से, साल-साल भर से लोगों की सिक्योरिटी रखी है, अगर आपने साल-डेढ़ साल पहले वे कनैक्शन दे दिये होते तो डेढ़ साल के अन्दर किसान तीन फसलें ले चुका होता। कर्जा मांग कर जो सिक्योरिटी उसने जमा करवायी थी वह बोझ कुछ उतर चुका होता, उसका जीवन स्तर कुछ बढ़ चुका होता और आपकी प्रति-व्यक्ति और प्रति-परिवार आमदनी भी बढ़ी हुई दिख सकती थी। मैं यह चाह रही हूं कि खेती से सम्बन्धित जो कुछ भी व्यवस्थाएं आप करना चाहते हैं वे बहुत बड़ी जनसंख्या को फीड करने वाली हैं, इसके लिये आप योजना बना कर कार्य करें जो अभी आपकी योजना में नहीं हैं।

दूसरा, जहां पर हम अपनी खुशहाली को बहुत बड़ा धक्का पहुंचाते हैं वह यह है कि आज जो बेरोजगार नवयुवक हैं उनको निश्चित रूप से कोई रोजगार मिल जाएं इस तरह की प्रभावी योजनाओं को लागू करने का काम नहीं किया है। योजनाएं बहुत कुछ बनी हुई हैं, योजनाएं चालू भी हैं लेकिन उन योजनाओं का लाभ उठाने वाले नवयुवक सचमुच में एस्टैबलिश हो जाएं अर्निंग करने लग जाएं, उनके घर में आमदनी पहुंच जाएं यह फोलो-अप एक्शन हमारा बहुत ज्यादा लैक कर रहा है इसकी कमी है। इसलिये मैं चाहूंगी कि चाहे ट्राइसम योजना है, चाहे आई. टी. आई. योजना है, चाहे पोलीटेक्निक योजना है, चाहे हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज से निकलने वाले इंजीनियर्स हैं, उन सबको अपना कोर्स पूरा करने से, महीने दो महीने पहले यह तय करना चाहिये, वहीं पर जिन कैम्पस में वे ट्रेनिंग ले रहे हैं कि कौनसा बैंक इन्वैस्टमैंट के लिये पैसा देगा, कहां पर बैठ कर अपना काम जंचाएंगे और क्या-क्या रॉ-मैटीरियल उनको कहां से मिलेगा, कौन उनको ट्रेनिंग देगा, कौन उनको लेटेस्ट टैक्नालाजी देगा।

श्री उपाध्यक्ष : आप समाप्त करें।

श्रीमती कमला : उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो मुद्दे और हैं उनको कह कर समाप्त करती हूं।

यह फालो-अप एक्शन नहीं हो रहा है जिसके कारण से हमारे हजारों नौजवान जो इन संस्थाओं से निकल रहे हैं, उनको कहीं एस्टेबलिश होने का मौका नहीं मिल पा रहा है और वे अपने सर्टिफिकेट लेकर फिर सरकार के दरवाजे पर ही आकर खड़े हो जाते हैं। एक तो जब वे वहां से निकलें तो इन सब चीजों की व्यवस्था होनी चाहिये और फिर जहां पर जाकर बैठें उस जगह पर आप किसी भी एक सीनियर ऑफिसर, जो उस इलाके में पोस्टेड हो, उसको केयर टेकर के तौर पर कायम करिये जिससे वह समय-समय पर उनकी हैल्प कर सके। सम्बन्धित विभाग को बता सके कि उनको रॉ-मैटीरियल नहीं मिला, इसका मार्केटिंग नहीं हो रहा है, जमीन की परेशानी है, इसको लेटेस्ट पैटर्न नहीं मिल रहा है। वह केयर-टेकर उनको इस बात में मदद करेगा कि वे सचमुच एस्टैबलिश हो जाएं।

इसके अलावा स्वरोजगार योजनाएं हैं, उसमें जो कमेटी बनी हुई है उस कमेटी का

(श्रीमती कमला)

यह हाल है कि उसमें कोई जन-प्रतिनिधि नहीं है। कौन, कब कमेटी की मीटिंग करते हैं और कितना पैसा किसी नौजवान ने अपने करोबार को चलाने के लिये मांगा है उसका कितना प्रतिशत उसको मिला है, वह प्रतिशत पैसा उसके बेसिक काम को चलाने के लिये भी पर्याप्त है या नहीं है या उसके गले का हार बन कर रह जाएगा एक कर्जे के रूप में, यह बहुत भयंकर स्थिति है। इसलिये जो स्वरोजगार योजनाएं हैं उनकी तमाम की अलग-अलग कमेटियां बननी चाहिये जिनमें जन-प्रतिनिधियों को भी रखा जाएं। जिस व्यक्ति को रोजगार को सचमुच में चलाने के लिये जितनी पर्याप्त राशि चाहिये वह, उसे मिलनी चाहिये। वह रोजगार भी सचमुच में चल पाएं इसके लिये मानीटरिंग की व्यवस्था, फालोअप की व्यवस्था उतनी ही जरूरी है जितनी कि हमारे और कार्यक्रमों की है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन के माध्यम से सरकार को यह भी निवेदन करना चाहती हूं कि सामाजिक विकास के बहुत से आयाम आप तैयार करते हैं, बहुत सारे प्रपोजल्स और प्रस्ताव लाते हैं और बहुत सारे खर्चे करते हैं लेकिन एक जगह सिर्फ एक खर्चा अगर आप भरपूर मन से कर दें तो मैं समझती हूं कि सामाजिक सुधार का, सामाजिक उन्नति का एक बहुत बड़ा स्तम्भ खड़ा हो सकता है, घर-घर के अन्दर। वह है महिला शिक्षा। मैंने दो बरस पहले भी, जब आपने यह बजट रखा था उस वक्त भी निवेदन किया था। आपने एक बजट मेडिकल को समर्पित कर दिया, एक बजट शिक्षा को समर्पित कर दिया, मैं चाहूंगी कि आप एक बजट महिला शिक्षा को समर्पित करें तो आपकी न सिर्फ बीमारियां खतम होंगी, न सिर्फ अन्धविश्वास खतम होगा, न सिर्फ निरक्षरता खतम होगी, न सिर्फ पिछड़ापन खतम होगा बल्कि समाज का आधे से भी ज्यादा हिस्सा दस साल के अन्दर इस लायक हो जाएगा कि आप कह सकेंगे कि राजस्थान में सामाजिक विकास का एक अद्भुत अविस्मरणीय आयाम खड़ा किया गया। लेकिन अफसोस, आपने इस बजट में कहीं कोई ऐसी मंशा दिखाई नहीं है। महिला शिक्षा के प्रति आपने कालेजेज खोल कर तो शाबासी लूटी है, वह भी प्राइवेट संस्थाओं को इजाजत देकर। कैसे भी हो, मैं उसकी प्रशंसा करती हूं लेकिन प्राइमरी स्कूल से लेकर कालेज एजुकेशन से पहले की जो शिक्षा है उसके लिये मैंने पहले लिखकर भी भेजा कि आपको प्रत्येक ग्राम पंचायत के अन्दर जो कि दो हजार–तीन हजार की है, उसमें एक प्राथमिक शाला, दो–तीन पंचायतों के बीच में एक माध्यमिक शाला....

श्री उपाध्यक्ष : अब आप समाप्त करें।

श्रीमती कमला : माध्यमिक शिक्षा के लिये बच्चियों के स्कूल हों और सीनियर हायर सैकण्डरी के स्कूल हों। उनमें एक ब्लाक में मय छात्रावास के आप शिक्षालयों को स्थापित करेंगे तो महिला शिक्षा के माध्यम से इस प्रदेश में काफी कुछ अपना स्थान बना पाएंगे।

अन्त में मैं ग्रामीण क्षेत्र में विकास की पंचायती राज व्यवस्था के बारे में सिर्फ

(श्रीमती कमला)

एक बात कहना चाहती हूं। पंचायती राज संस्थाएं और नगर पालिकाएं स्थानीय नेतृत्व को उभार कर आपकी योजनाओं को, राष्ट्रीय और प्रदेशीय कार्यक्रमों को पूरा करने, अपनी जिम्मेदारी को समझने और प्रजातन्त्र में उन्हें अपना जो भाग अदा करना है उसको मुस्तैदी से अदा कर सकें इसके लिये कायम की हुई है। उनके माध्यम से जो कार्यक्रम किये जाते हैं वे इसीलिए उनको दिये जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी आश्चर्य की बात यह है, योजनाएं ही अगर नहीं है तो करेंगे क्या? आज आपने आयोजना समितियों का भी गठन नहीं कर रखा है। आयोजना समितियों का गठन नहीं है तो नतीजा यह है कि न पंचायत स्तर पर योजनाएं बन रही है, न पंचायत समिति पर कन्सोलिडेटेड योजनाएं बन रही हैं, न उसके आधार पर जिला परिषद स्तर पर योजनाएं तैयार हो रही हैं। उसके आधार पर सरकार को अपनी योजना बनानी चाहिये। जो पंचायती राज का मूल उद्देश्य है वह आज तक आपने पूरा नहीं किया। आप इसका प्रावधान चाहें तो करें चाहें मत करें लेकिन मेहरबानी करके आप पंचायत राज की इकाइयों को निर्देशित करिये, अधिकारियों को पाबन्द करिये कि आने वाले समय के लिए वे अभी से तमाम स्तर पर अपनी योजनाओं का प्रारूप बनाना प्रारम्भ कर दें जिससे कि बिना आयोजना समितियों के भी नीचे से ऊपर तक तमाम कड़ीबन्धन होकर योजनाओं के जो स्तम्भ हैं, प्राथमिकताएं हैं वे सरकार के पास आ सकें। मेहरबानी करके जो भ्रष्टाचार पंचायती राज में और तमाम संस्थाओं में फैला हुआ है एवं जिस प्रकार की अकर्मण्यता कार्यहीनता हो रही हैं, उसकी मानीटरिंग के लिये इन्तजाम करें। माननीय मुख्य मंत्री जी, आपने सदन में घोषणा की थी....

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त करें आप। श्री भंवर सिंह डांगावास।

श्रीमती कमला : मैं समाप्त कर रही हूं। ऐसा मत करिये।

आपने यहां सदन में घोषणा की थी कि प्रत्येक पंचायत मुख्यालय पर यह सूचना पट्ट लगेगा कि इस पंचायत क्षेत्र में कौन-कौनसी योजनाओं के लिए, कौन-कौन से कार्यों के लिये, कितना-कितना पैसा मिला है। मैं आपकी सूचनार्थ निवेदन करना चाहती हूं किसी एक पंचायत समिति में यह हुआ होगा तो हुआ होगा बाकी आम तौर पर किसी पंचायत समिति क्षेत्र में यह कार्य सम्पन्न नहीं हुआ है। मैं यह चाहूंगी कि आप विभाग को निर्देशित करें कि एक निश्चित तारीख के अन्दर हरेक पंचायत मुख्यालय पर इस तरह की व्यवस्था कायम हो जानी चाहिये।

इसके साथ-साथ एस्टिमेट्स बनाना, एस्टिमेट्स के अनुसार पैसा मंजूर होना, पैसा मंजूर होने के बाद इन्स्टालमेंट्स में यूटिलाइज होना और यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट लेकर नैक्स्ट इन्स्टालमेंट लाना यह आज सबसे बड़ी बाधा बनी हुई है। इस बाधा को अगर आप नहीं हटायेंगे तो न एस्टिमेट्स बनेंगे, न यूटिलाइजेशन होगा न सेकण्ड इंस्टालमेंट मिलेगी और नतीजा जो आपने उस दिन हल्के-फुलके ढंग से कहा कि भारत सरकार 31 मार्च को पैसा देती है, मैं उस बात को सही नहीं मानती....

श्री उपाध्यक्ष : श्री भंवर सिंह डांगावास । आप बोलना शुरू करिये ।

श्रीमती कमला : लेकिन फिर भी अगर 31 मार्च है तो (व्यवधान)

श्री भंवर सिंह डांगावास (मेड़ता) : उपाध्यक्ष महोदय....

श्रीमती कमला : उसका कारण यह है कि यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट समय पर नहीं जा रहे हैं । मैं इस मौके पर यह कहना चाहूंगी कि इस भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए भी आप कारगर कदम उठाएं । माननीय उप मुख्य मंत्री एक बहुत जिम्मेवार, बड़े ओहदे पर बैठे होने के बावजूद भी इतने गैर जिम्मेवार हो सकते हैं कि एक अखबार में इंटरव्यू देकर....

श्री भंवर सिंह डांगावास : राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे मुख्य मंत्री श्री भैरोंसिंह शेखावतजी के नेतृत्व में किसानों का स्तर ऊपर उठाने के लिये, उन्हें खुशहाल रखने के लिये कटिबद्ध है....

श्रीमती कमला : यह बयान दे दें कि पूर्व के तमाम मंत्री निश्चित ही 25 परसेंट पैसा खाते थे और हमारे राज में बिलकुल भ्रष्टाचार नहीं है । वे अपने आपको बहुत कुछ समझ सकते हैं इस बात को कहकर लेकिन यह बड़ी अपमानजनक बात है, गैर जिम्मेदाराना बात है उनकी तरफ से ।

श्री भंवर सिंह डांगावास : उपाध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम अगर किसान को.... (व्यवधान)

श्रीमती कमला : कोई इतना जिम्मेवार व्यक्ति, एक उप मुख्य मंत्री निरन्तर उनसे इस तरह की बातें कर रहा है....

श्री उपाध्यक्ष : कृपया आप बिराजें ।

श्रीमती कमला : मैं यह कहना चाहूंगी....

श्री उपाध्यक्ष : अब मुझे कहना पड़ेगा कि अंकित नहीं हो । आप बार-बार अवहेलना कर रही हैं आसन की ।

श्रीमती कमला : उप मुख्य मंत्रीजी.... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठ जाएं, कृपया बैठ जाएं । अंकित नहीं हो । माननीय कमला जी, अंकित नहीं हो रहा है ।

श्रीमती कमला : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : श्री भंवर सिंह डांगावास ।

श्रीमती कमला : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : मैंने तीन बार व्यवस्था दे दी कि आप बैठ जाएं ।

श्रीमती कमला : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : काफी चर्चा कर ली, आप बैठ जाएं ।

श्री भंवर सिंह डांगावास : किसानों का जीवन स्तर, उनमें खुशहाल लाने के लिये मुख्य बिन्दु है...

× × × अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया ।

श्री बद्री प्रसाद गुरुजी : उपाध्यक्ष महोदय, चोर को चोर नहीं कहना चाहिये।

श्री भंवर सिंह डांगावास : किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य दिलाना, सही मूल्य का मतलब है लाभप्रद कीमत दिलाना। लाभप्रद कीमत देने के लिये क्या आधार है? समर्थन मूल्य देने का एक कमीशन बना है केन्द्र सरकार का, वह समर्थन मूल्य निर्धारित करता है। मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी का सोच, हमारे विचार, हमारे संकल्प हमने भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में अंकित किये हैं। हम मूल्य सूचकांक के आधार पर, ज्यों-ज्यों मूल्य सूचकांक बढ़ेगा किसानों के मूल्य बढ़ा देंगे, फसल की हम कीमत बढ़ाकर समर्थन मूल्य कायम करेंगे, यह हमारा सोच है। उसी में एक जगह अंकित किया है कि किसान फसल उगाता है, पैदा करना है उसमें उसका जितना भी खर्चा होता है उसका अनुमान लगाकर उसके बाद लाभप्रद मूल्य देंगे। अगर यह सोच है केन्द्रीय सरकार के कृषि मूल्य आयोग का और उस तरह से अगर समर्थन मूल्य डिक्लेयर कर दें, आज घोषणा कर दें तो हम कहते हैं कि हम राजस्थान के किसानों को खुशहाल बनाकर रहेंगे। किसानों के सिर्फ राग अलापे जाते हैं लेकिन केन्द्रीय सरकार का कार्यकलाप ऐसा नहीं है। इधर थोड़ी-सी फर्टिलाइजर्स की कीमत को कम किया उधर डीजल जो हमारे ज्यादा काम में आता है उसकी कीमत बढ़ा दी गयी। बैलेन्स वही रहा। मूल्य बढ़ते जा रहे हैं, और डीजल का तो ज्यादा प्रभाव पड़ेगा विशेषत: यातायात के कारण क्योंकि किसान कंज़ूमर के हर गुड्स को काम में लेता है। खेती में डीजल काम आता है, इस डीजल की मूल्य बढ़ोतरी से हर चीज पर भार बढ़ेगा। यह किसानों के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार का सोच है, फिर वे कहते हैं कि प्रधान मंत्री किसान का बेटा है।

मण्डी में राजस्थान सरकार ने यह व्यवस्था की है कि गोदाम में फसल को रखकर 15 हजार रुपये या 15 प्रतिशत उसका मूल्य, जो भी कम हो, वह एडवांस ले जाएं, उससे अपना कर्ज चुकाए और जब भी फसल की अच्छी कीमत मिले उसको बेचे। हम इसको और बढ़ावा देना चाहते हैं, इसको साकार रूप देना चाहते हैं। हमारे पास वेयरहाउसेज हैं, गोदाम हैं, इन गोदामों को केन्द्रीय नियन्त्रण की बैंकों ने ऋण देकर स्टोरेज करने का अधिकार नहीं दिया है। हमें ऋण उपलब्ध नहीं होता तो हम किसानों को अनाज किस तरह से लेकर उन गोदामों में रख सकते हैं, यह हमारा कष्ट है। इन कष्टों का निवारण केन्द्रीय सरकार से हो सकता है। राजस्थान सरकार ने किसानों के उपयोग में आने वाली जितनी भी चीजें हैं उनके ऊपर टैक्सों में कमी की हैं। पिछले वर्ष पाइपों पर टैक्स कम किया। इससे दो फायदे हुए, पानी का कंजरवेशन हुआ और किसानों का हित हुआ।

यहां रोजगार की बात आयी थी। मुझे दु:ख भी है कि ग्रामीण क्षेत्र का बच्चा आजकल रोजगार नहीं चाहता, वह राजकीय सेवा की ओर भाग रहा है। राज्य सेवा मिल जाए, यह उसकी सोच है। इस सोच को हमें बदलना है। यह हमारा सबका कर्तव्य है, सदन का कर्तव्य है कि वह सोच बदला जाए। इजराइल पद्धति

(श्री भंवर सिंह डांगावास)

पर ग्रीन हाउस के लिये अगर कोई एक लाख का खर्च करता है तो उसके बराबर एक लाख राजस्थान सरकार ने अनुदान दिया। ऋण नहीं, अनुदान देकर उस पद्धति को पनपाकर पढ़े-लिखे काश्तकारों के स्तर को बढ़ाने की योजना बनाई है।

इसके अतिरिक्त मैं आपसे निवेदन कर दूं कि किसानों को खुशहाल बनाने के लिये हम यथेष्ट चेष्टा कर रहे हैं। यहां तक कि हमारे विभागों के द्वारा, विभागीय कर्मचारियों के द्वारा किस तरह से कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग किया जाए, किस तरह से यूरिया को जमीन पर न छिड़क कर पानी की टंकियों में डालकर उसका छिड़काव किया जाएं, ये सारी योजनाएं गांव-गांव में, घर-घर में चल रही हैं और सबको सिखलाई जा रही हैं कि आप कम खर्च करके इसका ज्यादा उपयोग लें। यहां तक कि हर क्षेत्र में भूमि और पानी का मूल्यांकन करके किसानों को यह राय दी जाती है कि किस तरह का फर्टिलाइजर आप काम लें, किस तरह का बीज काम लें। हमारा कृषि विभाग इस ओर बहुत अग्रसर है। यही निवेदन है। धन्यवाद

श्री उपाध्यक्ष : श्री शिवनाथसिंहजी।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : उपाध्यक्ष जी, वर्ष 1996–97 के लिए 12245 करोड़ 79 लाख 34 हजार रुपये का खर्च करने के लिए सदन के सामने माननीय मुख्य मंत्रीजी इजाजत के लिये आये हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : इजाजत दे दो।

श्री शिवनाथ सिंह : दे रहे हैं, सदन बहुत सहर्षता से आपको इजाजत देगा लेकिन उसके साथ-साथ में आपको सीख भी यह सदन देना चाहता है कि जो रुपया हमसे ले रहे हो उसका सदुपयोग करो आप। पिछला जो आपका इतिहास रहा है उससे थोड़ी पीड़ा है। उस इतिहास की तरफ मैं थोड़ा-सा ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा ताकि उसमें आप कुछ दुरुस्ती ले आएं और आगे का काम ठीक ढंग से करें।

माननीय उपाध्यक्षजी, जब-जब बजट पेश होता है तो कुछ उद्देश्य सामने रखे जाते हैं। माननीय मुख्य मंत्रीजी का यह तीसरा बजट है और उन्होंने अपने बजट भाषणों में बहुत-सी बातें लक्ष्य के रूप में कही हैं। दो-तीन की तरफ मैं इशारा करना चाहूंगा। आपका 1995–96 का बजट था, "सक्षम और समर्थ व्यक्ति पर कर लगाया जाएगा", "विकास की कुछ अतिरिक्त योजनाएं पंचायती राज संस्थाओं को हस्तान्तरित करने का प्रस्ताव", "जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के माध्यम से विभिन्न योजनाओं की क्रियान्विति में विधायकों का, पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों का सहयोग लिया जाएगा"। माननीय उपाध्यक्षजी, 1996-97 का बजट भाषण देते वक्त आपने कहा, "मैं राजस्थान को एक ऐसे विकसित राज्य के रूप में देखना चाहता हूं जिसमें 2001 ईस्वी तक कोई निरक्षर नहीं हो व स्कूल जाने की आयु के सब बच्चे स्कूल जाएं कोई गांव बिना बिजली के नहीं हो, हर व्यक्ति को पूरी चिकित्सा सुविधा हो, सभी को पीने के पानी की सुविधा हो।" और भी बहुत-सी बातें आपने की हैं। आप जब

(श्री शिवनाथ सिंह)

दिल्ली में मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में गये थे, इन बातों की आपने वहां बहुत पैरवी की। हमें खुशी है कि हमारे मुख्य मंत्रीजी सुझाव को आल इण्डिया में माननीय मुख्य मंत्रियों ने माना एवं प्रधान मंत्रीजी ने भी स्वागत किया। हमारे मुख्य मंत्रीजी प्रधान मंत्रीजी के सर्टिफिकेट को बहुत महत्व भी देते हैं। हमारे पूर्व प्रधान मंत्रीजी के सर्टिफिकेट को बार–बार सदन को दिखाया करते थे कि आपके प्रधान मंत्री ने मुझे यह सर्टिफिकेट दिया है, मैं फाइनेंशल मैटर्स में बहुत बड़ा समझदार हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैंने तो कहा नहीं कभी।

श्री शिवनाथ सिंह : मुखर्जी साहब, योजना आयोग के उपाध्यक्ष हैं, उनके भी भाषणों का बहुत यहां जिक्र हुआ है। माननीय उपाध्यक्षजी, और बातों पर मैं बाद में आऊंगा, मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि आपको एक सर्टिफिकेट आडिटर जनरल ने भी दिया है जो सब बातों का, आपके लेखा–जोखों का हिसाब रखते हैं, देखते हैं, परीक्षा करते हैं। उसके बाद उन्होंने राजस्थान की सरकार को सर्टिफिकेट दिया है, दो–तीन बिन्दुओं की तरफ मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, ज्यादा नहीं कहूंगा।

माननीय उपाध्यक्षजी, आडिटर जनरल ने कहा, 1994-95 के अन्त में देय राशियों में वृद्धि 80 प्रतिशत हुई, परिसम्पत्तियां 73 पर्सेंट हुई, राजस्व व्यय में 94 पर्सेंट की वृद्धि हुई और प्राप्तियां 73 पर्सेंट हुई। 1994–95 अक्टूबर, 1994 में लिये गये अनुपूरक प्रावधान में से 60.17 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान पूर्णतया अनावश्यक सिद्ध हुआ। 1990 से 1994 के बीच जल-ग्रहण क्षेत्र के लिए 3,39,950 हैक्टेयर जमीन को आगमेंट करना था, उसके खिलाफ आपने किया 2,25,070 हैक्टेयर। माननीय उपाध्यक्षजी, इसी तरह से आपने कहा कि जल-ग्रहण क्षेत्र चयन विकास, नमी संरक्षण आदि के कार्यों में निराशाजनक प्रगति हुई। पशुधन व चरागाह विकास की गति में भी निराशाजनक प्रगति हुई। और भी बहुत से सर्टिफिकेट दिये हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रकार की यदि आपकी गति रही तो आप राजस्थान को कहां ले जाना चाहेंगे, हमारी समझ में नहीं आता है। आपने कहा 2001 तक एक भी व्यक्ति राजस्थान में निरक्षर नहीं रहेगा। आज आप जिस स्पीड से बढ़ रहे हो उस स्पीड से मेरे ख्याल से आज जो निरक्षर हैं उनकी संख्या में वृद्धि ही होने वाली है, कमी नहीं आने वाली है। गुणात्मक जो चीज है उसके लिए तो मैं क्या निवेदन करूं? आज जो देहात में स्कूल हैं, ग्रामीण क्षेत्र में स्कूल हैं उनकी स्थिति निराशाजनक है। उपाध्यक्ष जी, मैं 15 मिनट में खतम कर दूंगा। उनकी स्थिति बड़ी निराशाजनक है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि यदि आप अपने वचन पर कायम हैं, जिस दिशा निर्देश को लेकर बजट आपने पेश किया है उस पर पूरे उतरना चाहते हैं तो आपको बहुत बड़े प्रयत्न करने पड़ेंगे।

उपाध्यक्षजी, मैं 2-3 सेक्टर्स की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। एक जो सबसे बड़ी मुझे पीड़ा है वह को–आपरेटिव सेक्टर की तरफ है। आज को–आपरेटिव

(श्री शिवनाथ सिंह)

सैक्टर में हमने काम किया है, हर गांव में हमने सोसाइटी दी है उनके माध्यम से ऋण वितरण आदि कई चीजें हुई हैं। माननीय मंत्री महोदय ने अपने विभाग में सुधार लाने की बहुत चेष्टा की है, बहुत से आफिसरों पर कार्यवाही की है, बहुत-सी वसूलियां आपने की हैं। आज हमें खुशी है यह कहते हुए कि राजस्थान के अधिकांश बैंक चाहे वह भूमि विकास बैंक हों, चाहे कोआपरेटिव बैंक हों, वे आज बढ़ोतरी में, मुनाफे में चल रहे हैं। इसका श्रेय मैं माननीय सहकारिता मंत्रीजी को देना चाहता हूं। लेकिन एक ऐसा बिन्दु है जो न तो माननीय सहकारिता मंत्रीजी के हाथ में है और न और किसी के हाथ में है, वह माननीय मुख्य मंत्रीजी के हाथ में है। मैं तिलम संघ की ओर इंगित करता हूं। उपाध्यक्ष जी, इस तिलम संघ के साथ में प्रदेश के लाखों किसानों का भाग्य जुड़ा हुआ है और जब से यह बना है तब से इसका शोषण किया जा रहा है, यह घाटे में चल रहा है। मैं आंकड़े देना चाहूं तो मेरे पास हैं। मेरे एक प्रश्न के जवाब में यह बतलाया गया कि यह लगातार घाटे में चल रहा है। और दूसरी विशेषता यह है कि इसको अब अवसायन में लाने की प्रक्रिया आरम्भ कर दी गयी है। उपाध्यक्षजी, क्यों घाटे में चल रहा है और किस प्रकार की कार्यवाही यहां हुई है, उस सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहूंगा। मैं किसी व्यक्ति पर आक्षेप नहीं लगाता लेकिन इस तिलम संघ की कहानी के साथ में आज के मुख्य सचिव और उस समय के सहकारिता सचिव जुड़े हुए हैं। जिस रोज तिलम संघ का गठन हुआ उस रोज से वे बोर्ड के अध्यक्ष थे और इन्होंने वहां इस प्रकार की मशीनरी की खरीद की जो करोड़ों–करोड़ों रुपये में थी। किसी भी पर्चेज करने की प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया और बोर्ड को बाई-पास किया गया। सिर्फ दो व्यक्तियों ने जिसमें एक तो आप खुद थे और दूसरे वहां के एम.डी. थे, सभी प्रक्रिया अपने आप पूरी की और करोड़ों रुपये की मशीनरी खरीदी गयी। लोगों का आक्षेप है यह सिर्फ कमीशन के लिए किया गया है। मैं नहीं कहता कितनी सच्चाई है, कितनी सच्चाई नहीं है, यह माननीय मुख्य मंत्रीजी के उपर छोड़ता हूं कि वे इसकी सच्चाई को मालूम करेंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : गलत है।

(16.00)

श्री शिवनाथ सिंह : मैं मानता हूं। इस प्रकार के आरोप इस सदन में पहले भी लगते आ रहे हैं। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कई बार कहा है कि मैं इसकी जांच कराऊंगा, इन्होंने जांच करा ली होगी इसलिए आप कहते होंगे कि यह गलत है। लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि मेरी आशंका है, मेरी ही नहीं, इस देश के किसानों की आशंका इस बात से है कि उस वक्त जो मशीनें खरीदी गयीं उनका आकलन नहीं किया गया और यदि किया गया तो उसको छिपाया गया कि कितनी सरसों हमारे यहां आएगी। उस मशीनों की क्षमता का 15 प्रतिशत, 20 प्रतिशत, 30 प्रतिशत ही उपयोग में लाया गया है और तिलहन की पैदावार उस समय से बढ़ती आ रही है। मेरी समझ में नहीं आता कि जब पैदावार बढ़ती आ रही है, तिलहन का रॉ मैटेरियल हमको मिल रहा है तो उन मशीनों की पूरी क्षमता से काम

(160)

(श्री शिवनाथ सिंह)

में क्यों नहीं लिया जा रहा है। इसका एक ही निष्कर्ष है कि वे मशीनें बड़ी क्षमता की खरीदी गयी थीं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मुख्य मंत्रीजी इस बात की जांच कराएं कि किस क्षमता की मशीनें खरीदी गयीं और किस क्षमता की मशीनें वहां आवश्यक थीं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा मुख्य मंत्रीजी से कि सहकारिता के क्षेत्र में काम किया है लेकिन प्रोसेसिंग यूनिट्स में हम बहुत पीछे हैं। कृपा करके तिलम संघ को बंद मत कीजिये, उसमें सुधार लाइये, जीवन डालिये।

उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्रीजी ने कहा है कि डी.आर.डी.ए. के मार्फत बहुत से काम किये जाएंगे। डी. आर. डी. ए. के गठन में उसकी कमेटियों के जो प्रोवीजन रखे हैं उनमें जन प्रतिनिधियों का बहुत बड़ा महत्व है। एम. एल. ए; एम. पी. और प्रधान उसके मैम्बर हैं, लेकिन आज स्थिति यह है कि उनकी अवहेलना की जा रही है। इसका सबसे ज्वलंत उदाहरण बाड़मेर डी. आर. डी. ए. का है, जहां एम. पी. और एम. एल. ए. जाते हैं और वहां के चेयरमैन, कलक्टर बाड़मेर उनकी तौहीन करते हैं, उनको प्रोवीजन नहीं दिखाते कि क्या स्कीम लेनी है और क्या नहीं लेनी है। इस प्रकार की सब बातें वहां होती हैं और वे दुःखी होकर वहां से बाहर निकल आते हैं। यदि इसी प्रकार के जन प्रतिनिधियों का सहयोग लिया जाता रहा तो मेरे ख्याल से जिस भावना से डी. आर. डी. ए. का गठन किया गया है और जिन कामों की अपेक्षा हम करते आये हैं, वे नहीं हो सकेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं पंचायत राज संस्थाओं की तरफ थोड़ा-सा ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। माननीय मुख्य मंत्रीजी को पता होगा कि एक समय 1959 के एक्ट में पंचायत समितियों के प्रधान को बहुत बड़े अधिकार थे और सब स्कीमों में उनका योगदान हुआ करता था। आज पंचायत समितियों और जिला परिषदों का सरकारीकरण कर दिया गया है। प्रमुख सी. ई. ओ. को कुछ नहीं कह सकता और सी. ई. ओ. आदेश को मानने को तैयार नहीं है। पंचायत समिति का प्रधान देखता रहता है और वहां का बी. डी. ओ. सब कुछ करता है। पहले कोई भी ट्रांसफर एक्सटेंशन अफसर का हो या विकास अधिकारी का हो, सरकार की तरफ से मेसेज जाया करता था कि अमुक एक्सटेंशन अफसर को हम बदलना चाहते हैं, हम अमुक प्रधान को बदलना चाहते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है। मैं यह नहीं कहता कि उस प्रतिक्रिया को माना जाए लेकिन वह प्रधान का सम्मान था कि सरकार उसकी इच्छा जानना चाहती थी। उस इच्छा को मानना या न मानना बाध्यता नहीं थी। आज किसी भी चीज में प्रधान का हस्तक्षेप नहीं हैं। इस प्रकार जो जन प्रतिनिधि हैं, प्रधान हैं, पंचायत समितियां हैं, जिला परिषद हैं, वे विकास कार्यों में कितना योगदान दे सकते हैं, यह आप हम सोच सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, आज सबसे बड़ी चिन्ता प्रशासन में ढिलाई की है। मैं नहीं कह सकता कि क्यों है? हो सकता है कि शासक दल में इस प्रकार की कोई तनातनी चल रही हो। लेकिन मुख्य मंत्रीजी की प्रशासन पर जो पकड़ 1977 में थी वह

(श्री शिवनाथसिंह)

आज नहीं रही है। मंत्री लोगों पर आपका अंकुश नहीं है, प्रशासन और अधिकारियों पर आपका अंकुश नहीं है। मैं आपके झगड़े में नहीं पड़ना चाहता, कृपा करके आप राजस्थान की बहबूदी के लिए 1977 के दिन याद कीजिये। वह ताकत आपमें आनी चाहिये और हम सब वह ताकत आपको देने के लिये तैयार हैं लेकिन आप प्रशासन पर अंकुश लगाइये। यह इस कारण से भी हुआ है कि मुख्य मंत्रीजी सीधे अधिकारियों से संवाद रखते हैं, मंत्रीगण को धारते नहीं हैं। यदि मंत्रीगण की ढिलाई होगी तो मेरा ख्याल है कि अधिकारी इतने सावचेत होते हैं कि वे समझते हैं कि मुख्य मंत्रीजी मंत्रीगण को नहीं मानते हैं तो हम क्यों मानें। इस प्रकार से यह मामला बहुत गड़बड़ है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय उच्च शिक्षा मंत्रीजी यहां नहीं हैं, कल मांग का जवाब देते समय उन्होंने दो बातें कहीं। मैं उनकी भावनाओं की कद्र करता हूं। उन्होंने एक बात महाराणा प्रताप और दूसरी बात राष्ट्रगान के लिये कही। महाराणा प्रताप हमारे श्रद्धेय हैं, मैं उनके नाम के आगे नतमस्तक हूं। वे अपने समय के बहुत बड़े व्यक्ति हुए हैं। आपने आदेश दिया है कि सब स्कूलों में उनके फोटो लगेंगे। मैं चाहता हूं कि उनके फोटो लगें, जगह-जगह चौराहे बनें, चेतक सर्कल और महाराणा प्रताप सर्कल बने लेकिन हम आज जिस संवेदनशील समय से गुजर रहे है उसमें मेरा निवेदन है कि क्या आपका यह निर्णय उचित है? राजस्थान विभिन्न धर्मों, समुदायों, मान्यताओं का प्रदेश है। मैं आपको साउथ इण्डिया की घटना याद दिलाना चाहता हूं कि वन्देमातरम् के गान पर कितने झगड़े हुए थे। वह दुर्भाग्यपूर्ण था लेकिन हुआ। इसलिये मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रकार के आदेश को रोकें, उस पर आप पुनर्विचार करें। मैं महाराणा प्रताप का बहुत सम्मान करता हूं लेकिन उनके साथ वीर शिवाजी का नाम आता है और भी कई नाम आते हैं।

दूसरा अपने राष्ट्रगान के लिये कहा कि स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ाई राष्ट्रगान से शुरू होगी और राष्ट्रगान से ही समाप्त होगी। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं चाइना वार का समय, जब हमने सिनेमा में राष्ट्रगान लागू किया था। सिनेमा समाप्त होते वक्त राष्ट्रगान गाया जाता था, रेडियो पर राष्ट्रगान गाया जाता था। राष्ट्रगान बहुत बड़ी सम्मान की चीज है और जब राष्ट्रगान हो तो जहां तक उसकी आवाज पहुंचे रास्ते चलता आदमी, बैठा आदमी खड़ा होकर उसका सम्मान करता है। लेकिन आज इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है। जब स्कूलों में राष्ट्रगान होगा तो क्या हम उसका वह सम्मान रख पाएंगे, यह मेरी चिंता है।

श्री पराक्रमसिंह (बनेड़ा): लोगों ने उसका सम्मान करना बंद कर दिया था।

श्री शिवनाथसिंह: मैं यही कह रहा हूं कि राष्ट्रगान का सम्मान होना चाहिये। राष्ट्रगान सिनेमा में बंद क्यों हुआ? क्योंकि लोग सिनेमा खतम होते ही चलने लग जाते थे इससे राष्ट्रगान का अपमान होता था। मुझे यही पीड़ा स्कूलों के बाबत है। हम

(श्री शिवनाथसिंह)

राष्ट्रगान का पूरा सम्मान करते हैं और चाहते हैं कि राष्ट्रगान हो लेकिन पूरा सम्मान न कर पाएं तो इससे अच्छा है कि वह नहीं ही हो।

मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि जिस भावना से उन्होंने बजट पेश किया है उसको पूरा निभाएं, क्योंकि अब तक का आपका यह कार्यक्रम रहा है कि आप जो बजट अलोकेशन करते हैं वह पूरा नहीं होता। साल के अन्त में बच जाता है, काम पूरा नहीं हो पाता हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जुलाई का महीना जा रहा है लेकिन एक भी काम डी.आर.डी.ए. के मार्फ्त शुरू नहीं हुआ है और मुझे जानकारी मिली है कि डी.आर.डी.ए. में जितना पैसा पी.डी. अकाउण्ट में जमा हुआ है वह भी सरकार वापस मंगा रही है। राजस्थान की जो आर्थिक स्थिति है उसके बारे में माननीय चन्दनमलजी बैद ने कहा था कि राजस्थान दिवालियेपन के कगार पर हैं, यह तो मैं नहीं चाहता कि राजस्थान दिवालियेपन के कगार पर आएं लेकिन आपकी आर्थिक स्थिति बहुत संकटमय है। उसमें से आप किस तरह से निकल पाएंगे? सदन का सहयोग आपके साथ है लेकिन उससे उबरने, राजस्थान को विकास की गति देने की जो चेष्टा हैं, उसको करने का वायदा निभाइये। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री वी. पी. सिंह।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य (उदयपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस राष्ट्रगान के लिए लोग फांसी के फंदे पर झूलते हुए, गाते चले गए उसी राष्ट्रगान को आजादी के बाद भूल गए। आज उन बालकों को शिक्षा नहीं दी जाएगी तो राष्ट्रगान के प्रति सम्मान कैसे पैदा होगा? वन्दे मातरम के प्रति सम्मान कैसे पैदा होगा? वन्देमातरम के नाम पर तो लोग शहीद हुए है, गोलियां खाई हैं, फांसी के फंदे पर झूले हैं, आज उस वन्देमातरम को और राष्ट्रगान को अगर विद्यार्थियों के जेहन में बचपन से ही नहीं उतारा जाएगा तो कब उनके जीवन में ये भावनाएं डाली जायेगी? इसलिए यह बहुत आवश्यक है कि वह स्कूल में हो।

श्री उपाध्यक्ष : उन्होंने अपने विचार व्यक्त किये हैं। श्री वी. पी. सिंह।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह (आसीन्द) : उपाध्यक्ष महोदय, एप्रोप्रिएशन बिल के ऊपर चर्चा हो रही है। इससे पहले बजट पर भी चर्चा हुई थी, पक्ष और विपक्ष के सभी माननीय सदस्यों ने हर विषय पर चर्चा की और जितनी भी डिमाण्ड्स आई उन पर भी चर्चा हुई थी। लेकिन मैंने जो अभी एक विषय लिया है उस पर किसी ने चर्चा नहीं की और चर्चा की तो जितना महत्व देना चाहिए था उसको, नहीं दिया। मैं निवेदन करना चाहता हूं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्रीजी से, क्योंकि मुख्य मंत्रीजी जहां भी बोलते हैं जनसंख्या वृद्धि पर दो शब्द हर वक्त बोलते हैं। हम कितना भी विकास कर लें, कितनी भी स्कूलें खोल लें....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं जितना ज्यादा बोलता हूं उतना ही सारे विरोध करते हैं।

श्री शिवनाथ सिंह : आप तो निबाह रहे हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : आप तो शुरू से ही निबाह रहे है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप तो चाहे निबाहो या मत निबाहो, उम्र ने ही निबाह लिया। ... बाकी के लोगों के लिए कह रहा हूं मैं।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, आज मैं खाली पांच मिनट लूंगा। और किसी विषय पर नहीं बोलूंगा, जितना बोलूंगा वह जनसंख्या पर ही बोलूंगा। जितनी गम्भीरता से हम लोग बात करें, जितनी इम्पोर्टेन्स दें उतना ही कम है। जैसा कि अभी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कहा, सदन के नेता महोदय ने कहा, शुरूआत हुई संजय गांधी के वक्त से और उन्होंने बहुत कुछ किया पर जोर–जबरदस्ती और उसके बाद इमरजेन्सी के कारण आज कोई भी इसके बारे में न तो ज्यादा महत्व देना चाहता है और न बात करना चाहता है। सभी सोचते हैं कि अगर हम हमारी कांस्टीट्युएंसी में ज्यादा इसके ऊपर बोलेंगे या बल देंगे तो हमारे वोट कटेंगे। यह गलतफहमी है।

मैं आपके माध्यम से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि करीब 20 साल पहले जब यह शुरूआत हुई थी संजय गांधी ने जोर जबरदस्ती की थी उसी समय चाइना ने भी इसे शुरू किया था। उन्होंने दो चीजें की– एक तो ई.एफ.ए. और एक पापुलेशन कन्ट्रोल। ई.एफ.ए. यानी "एजुकेशन फार आल" जो हम आज विचार कर रहे हैं। आज करीब सात डिस्ट्रिक्ट्स को छोड़कर सभी जगह ई.एफ.ए. यानी साक्षरता का हम प्रोग्राम रख रहे हैं। वह उन्होंने बीस साल पहले किया। आज हम अभी विचार भी नहीं कर सकते और 21वीं शताब्दी में भी शायद हम विचार नहीं कर सकते कि प्रति हजार प्रति वर्ष 20 की वृद्धि होनी चाहिए, वह उन्होंने अटेन कर ली है। मैं इसीलिए सदन के नेता महोदय से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि एप्रोप्रिएशन बिल में इसके ऊपर आप कुछ और बजट दें। आज जो हम लोगों ने किया है, सब कुछ कर लिया हमने, सब एक्सपेरीमेन्ट्स ट्राई कर लिए। 'इन्सेंन्टिव से शुरू किया और 'डिसइन्सेंन्टिव कर दिया कि अगर दो से ज्यादा बच्चे होंगे तो उसकी सदस्यता खतम हो जाएंगी 'पंचायत की, इसकी, उसकी, पर आज भी समस्या बड़ी है। अब हमने रास्ता अपनाया है और स्वामीनाथन कमीशन के अन्दर जो रिकमन्डेशन्स थीं उसके अनुरूप हम चल रहे हैं। आज सब डाक्टर्स ने 20 से 30 साल के जितने भी शादी शुदा कपल्स हैं उनको आइडेन्टीफाई किया है और उसके बाद में वे उनके ऊपर निगरानी रख रहे हैं। हमारी बातचीत होती है, बातचीत यह होती है कि आप क्या उपाय ढूंढ रहे हैं, 'सी.पी.आर. कपल प्रोटेक्शन रेट' पर बात होती हैं। इसमें शर्म नहीं आनी चाहिए बात करने में। लोगों को शर्म आती है इसलिए भी बात नहीं करते हैं कि निरोध इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि वेसेक्टोमी तो अब पुरानी बात हो गयी है, न कराना चाहते हैं। "माला" करेंगे या फीमेल के कापर टी लगवाएंगे।... (व्यवधान)....बात कहने दो। बड़ी सीरियस बात हो रही है

(श्री विजयेन्द्रपाल सिंह)

और आप कह रहे हैं कि आप क्या करते हैं, यह करते हैं और वह करते हैं। हद हो गयी। मजाक कर रहे हैं कि आप क्या करते हैं। क्या करते हैं? इतनी गम्भीर बात है। इस तरह हंसा देंगे। तो सारे दिन ही हंसते रहेंगे तो पापुलेशन कहां चली जाएगी। अब 5 करोड़ तक तो पहुंच गये....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ये हँसा नहीं रहे हैं आपको प्रोवोक कर रहे हैं।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : ये तो मजाक कर रहे हैं, मैं बहुत गम्भीरता से इस विषय पर बात करना चाहता हूं। मैं तो मुख्य मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि आपने करोड़ों रुपये लगायें होंगे। शिक्षा में भी लग रहे हैं, बांधों में भी लग रहे हैं, आप एक ही काम करो, हर डिस्ट्रिक्ट के अन्दर इतने निरोध पहुंचा दो और उसका कितना ही वेस्टेज हो तो हो लेकिन उसका असर पड़ेगा। आज 5 करोड़ तक तो पहुंच गये हैं और अभी कमला जी कह रही थीं कि दो साल से हमें बिजली का कनेक्शन नहीं मिलता है, इस चीज पर हम कहां तक पहुंचेगें? कहां तक जाएंगे (व्यवधान) हंसने की बात नहीं है। यह बहुत गम्भीर विषय है और मैं कहना चाहता हूं कि हम गम्भीरता से इसके ऊपर बात करें। मैं तो यह कहूंगा कि आप इतने निरोध पहुंचा दो, हर गांव के अन्दर पहुचा दो, वेस्टेज हो तो हो। एक अखबार में मैंने पढ़ा कि बच्चे उसको फुला रहे थे....

अनेक माननीय सदस्य : हां, गांवों में यही करते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ये निरोध सुजानसिंह के पास पहुंचा दूं तो वे क्या करेंगे?

श्री शिवनाथ सिंह : भेजना ही है तो अलवर वालों के पास ही ठीक रहेगा।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : दुनिया के अन्दर ऐसे भी कन्ट्रीज हैं जहां अण्डर पापुलेशन है और वहां प्राब्लम उलटी है, ओवर पापुलेशन की नहीं, अण्डर पापुलेशन की है। आपने क्या किया है? अगर आप हर महीने एक करोड़ रुपया भी दे दें और निरोध ही निरोध सप्लाई कर दें तो बहुत समस्या हल हो सकती है। सही बात है। दुनिया में ऐसी भी जगह है जहां पर उलटे पापुलेशन का प्राब्लम है। मैं एक बात पहले निवेदन कर रहा था....

श्री हरिसिंह (महुआ) : शायद आपको यह पता नहीं है कि निरोध मुफ्त बांटे जा रहे हैं और एक करोड़ रुपये से ज्यादा के बांटे जा रहे हैं, वे थोड़े ही मांग रहे हैं।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : मैं तो एक डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूं, आपको पता ही नहीं है। आप जाकर अपने यहां पता लगाना, ढूंढने जाओ तो मिलेगा नहीं जब आपको जरूरत पड़ेगी। सही बात कह रहा हूं। रात को अगर ढूंढने जाओ तो मिलेगा नहीं।

श्री हरिसिंह (महुआ) : मिले तो तब ना जबकि फालतू पड़े रहें। लोग प्रयोग कर रहे हैं उनका।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : तमाम दिन बाजार में इसी बात के लिए घूमते रहते हैं कि कहीं निरोध मिल जाए।

श्री शांतिलाल खोईवाल : अलवर वालों के यहां भेज दिये जाएं इन शब्दों को एक्सपन्ज कर दें।

श्री उपाध्यक्ष : अब आप समाप्त करें, माननीय वी. पी. सिंह जी।

श्री शांतिलाल खोईवाल : It carries a different meaning, so I would request that these words be withdrawn.

श्री हरिसिंह (महुआ) : यहां तो हर शब्द वही बोला जाता है जिसके कुछ अर्थ निकलते हों। अर्थहीन शब्दों का प्रयोग ही यहां नहीं होता।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : माननीय स्वास्थ्य मंत्रीजी भी आ गये हैं, मैं उनका भी आपके माध्यम से ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मैं तो कहता हूं कि इसमें अगर वेस्टेज भी हो तो हो, हर डिस्ट्रिक्ट में पहुंचाएं। क्योंकि आप कितना ही हुंस लें विकास कितना भी कर लें आप लेकिन जब तक जनसंख्या पर आपका कन्ट्रोल नहीं होगा सब विकास बेकार है। इतना मैं निवेदन करूंगा। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री विष्णु मोदी।

श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम बजट के आखिरी दौर में हैं। 12 हजार और कुछ करोड़ रुपये का विनियोग विधेयक है उसको हम सोमवार को पास करने जा रहे हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि हर साल बजट बने हैं और हर साल एलोकेशन बढ़ाकर किये, योजना का आकार भी बढ़ा लेकिन हमारी ग्रोथ रेट हम नहीं बढ़ा पाये, न ही पर-केपिटा इनकम बढ़ा पाये। मैं अपनी बात शुरू करने से पहले माननीय वी. पी. सिंहजी ने जो कहा है उस बात की ताइद करता हूं कि कोई भी विकास पूरा नहीं होगा जब तक कि हम जनसंख्या पर काबू नहीं पाएंगे। मैं समझता हूं कि आजादी के बाद में राजस्थान सरकार ने भी और भारत सरकार ने भी अथक प्रयास किये हैं लेकिन वह आजादी का फल पूरा इसलिए नहीं मिल सका कि हम जनसंख्या पर काबू नहीं पा सके।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, किसी भी बजट के तीन हिस्से अमूमन होते हैं। एक तो हमारी टैक्स से आमदनी होती है उससे; या टैक्स के अलावा राज्य सरकार के कुछ और साधन होते हैं जैसे उनके उपक्रम हैं या दूसरी चीज हैं उससे या फिर लोन लेकर क्योंकि विकास तभी सम्भव है। हमने एक ढांचा बनाया, एक अपना प्रोफार्मा बनाया, उसमें रखा कि हमें इतने हजार करोड़ रुपये इसके लिए चाहिए। दूसरा रास्ता सरकार के पास बचता है कि वह अपनी मितव्ययता से उसमें कितनी कटौती कर सकती है, कितनी बचत कर सकती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा इस सरकार पर आरोप है कि मितव्ययता पर कब्जा नही है, कोई मंशा नहीं है, कोई सोच नहीं है और टैक्स बढ़ाने की स्थिति नहीं है क्योंकि हम सैचुरेशन पाइंट पर आलरेडी पहुंच गये हैं। इस सरकार को इस बात का आभास हुआ है पिछले साल मोटर पर, कारों पर टैक्स कम किया था तो उसकी आमदनी बढ़ी। यह बात सरकार को मालूम है कि हम टैक्स तो बढ़ाएंगे नहीं बल्कि घटाएंगे तो आमदनी बढ़ेगी। तो

(श्री विष्णु मोदी)

टैक्स तो बढ़ा सकने की स्थिति नहीं, मितव्ययता कर सकते नहीं। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं, 1991-92 में 24 मार्च को 6 करोड़ रुपया बीसलपुर के मुआवजे के रूप में देने के लिए यहां से लिखा गया। एक्जीक्यूटिव इंजीनियर जो बीसलपुर में पोस्टेड था, उसने कहा कि 7 महीने, 8 महीने बाद में पैसा बंटेगा अभी यह 6 करोड़ रुपया मुझे क्यों टांसफर कर रहे हो। लेकिन माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आजकल जो नेशनलाइज्ड बैंक हैं, वे भी कमीशन देते हैं, तो उस एक्जीक्यूटिव इंजीनियर का ट्रांसफर कर दिया गया 24 मार्च को और 25 मार्च को 6 करोड़ रुपये उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिये जो उस एक्जीक्यूटिव इंजीनियर ने एक बैंक में खाते में जमा करा दिये। वह पैसा 6 महीने से 8 महीने के बाद बंटा। अगर वह सरकारी खाते में रहता तो 22 लाख रुपये के ब्याज का नुकसान इस सरकार को नहीं होता। मैं यह इसलिए इंडिकेट कर रहा हूं कि यह खर्चा रोक सकते नहीं, मितव्ययता कर सकते नहीं। पहले एक डी. जी. हुआ करता था, आज कितने डी. जी. हैं? और आई. जी. की तो लाइन ही लगी हुई हैं। यह खर्चा निरन्तर बढ़ता जा रहा है। मितव्ययता कर सकते नहीं, खर्चा कम कर सकते नहीं, टैक्स बढ़ा नहीं सकते क्योंकि घटाने से टैक्स ज्यादा आ रहा है तो कुल मिलाकर दो बात बची हैं। एक तो लोन ले लें, कर्जा ले लें, वह सीधा–सीधा रास्ता है। यह सरकार अन्धाधुन्ध कर्ज लेने में लगी हुई है, आज यह हालत हो गयी है कि हमारी टैक्स रेवेन्यू का 46 परसेंट इन्ट्रैस्ट में चला जाता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यहां बात कही जाती हैं कि हम परिसम्पत्तियां बना रहे हैं और अगर परिसम्पत्तियां बनानी होंगी तो हम कर्जा भी लेंगे और राजस्थान का विकास करेंगे।

(16.25)

(श्री शांतिलाल चपलोत, अध्यक्ष, पदासीन)

मैं दो बातों की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। जोधपुर में पानी लाने के लिए लिफ्ट कैनाल बनी। अभी तक वह पूरी भी नहीं हुई, ढाई सौ करोड़ रुपया आलरेडी खर्च हो चुका। इसी तरह से अलवर में वर्ल्ड बैंक की सहायता से अलवर से भिवाड़ी तक एक हाई-वे बना। बहुत अच्छी सड़क बनी, परिसम्पत्तियां बनायीं आपने। लेकिन ये दोनों चीजें, यह जो पानी पड़ा था उससे जगह-जगह से टूट गयीं। टूटीं इसलिए कि जहां नैचुरल फ्लो था उस नैचुरल फ्लो का किसी इंजीनियर ने ध्यान नहीं रखा और उसने विनाश का काम किया। जोधपुर लिफ्ट कैनाल में अलवर-भिवाड़ी हाई-वे में पानी रुक गया, इकट्ठा हो गया। जब उसकी क्षमता नहीं हुई तो तोड़ा, तोड़ने से डाउन स्ट्रीम के जितने बांध थे, अलवर में तो कम से कम 10 बांध उस हाई-वे के कारण टूटे। तो ये परिसम्पत्तियां हैं।

श्री मदन मोहन (खैरथल) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को करैक्ट कर दूं कि उस हाई-वे पर पानी भरने की कतई जगह नहीं है। भिवाड़ी से अलवर के बीच में हाई वे केवल एक जगह बीच से थोड़ा-सा टूटा है और वह भी पानी की वजह से नहीं टूटा है। गर्मियों में गर्मी के दबाव से सड़क बैठ गयी थी इसलिए वहां गड्ढा होकर वहीं से पानी टूटा है। वैसे पानी का कोई रोक नहीं है।

श्री अध्यक्ष : विराजें ।

श्री विष्णु मोदी : पानी की वजह से ही टूटा है ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप तो देखकर कह रहे हैं और ये सुनी-सुनाई बात कह रहे हैं, इसमें एतराज क्या हो गया ?

श्री विष्णु मोदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं देखकर भी कह रहा हूं और सुनकर भी कह रहा हूं, दोनों तरह से कह रहा हूं ।

अध्यक्ष महोदय, मैं बात इसलिए कह रहा हूं कि परिसम्पत्तियों की आप चर्चा करते हैं । आप कर्जा लेकर परिसम्पत्तियां बनाना चाहते हैं तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मूल आवश्यकता इस बात की है कि आज आप फैसला करें—मैं इसमें कांग्रेस की सरकारों को भी उतना ही दोषी मानता हूं जितना इस सरकार को दोषी मानता हूं । ये परिसम्पत्तियां खराब हो जाएगी, आप इनका रख-रखाव भी नहीं कर पायेंगे । कोई भी सरकार हो, जब तक इस बात का फैसला नहीं करेगी कि कोई भी परिसम्पत्तियां खड़ी होती हैं, उनके रख-रखाव का पैसा, उस योजना से जो लोग लाभान्वित हो रहे हैं या लाभान्वित होने वाले हैं उनसे जब तक वसूल नहीं किया जायेगा, मैं तो यहां तक कहता हूं कि अगर उसमें कर्जे का पोर्शन है तो उसमें इंट्रेस्ट का पैसा और उसके रख–रखाव का पैसा निश्चित रूप से हो । यह फैसला होगा, आप समझते होंगे? क्योंकि आपने जो भी रेट बढ़ी है, उसका हमेशा विरोध किया है । केवल 1988 के विनियोग विधेयक पर जो बातें आपने, माननीय मुख्यमंत्री जी, इधर खड़े होकर की; उनमें से अगर आधी भी ढाई साल में क्रियान्वित कर देते तो राजस्थान की आर्थिक स्थिति इतनी नहीं बिगड़ती । आपने यहां खड़े होकर कहा सफेद हाथी, पब्लिक सैक्टर अण्डरटेकिंग, मुख्य मंत्रीजी क्यों नहीं बन्द कर देते हैं ? अगर आपको इनके आदमियों के एब्जोर्ब करने की चिन्ता है तो आप हमको बुला लीजिये हम आपको रास्ता बता देंगे । माननीय मुख्य मंत्री जी, आपने तो खुद राज में आकर नहीं दिखाया कि आप इसे बन्द कर सकते हैं लेकिन आप हमें बुला लेना, हम आपको एब्जोर्ब करने का रास्ता भी बता देंगे कि किस तरह से आप इनको एब्जोर्ब कर सकते हैं । आज, माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के यह पब्लिक अण्डरटेकिंग ...

श्री हरिसिंह (महुआ) : ये तो रोज ही जाते हैं, आप बुलाते क्या हैं ।

श्री विष्णु मोदी : मैं, राजस्थान के मुख्य मंत्री से मिलता हूं । ये कोई भारतीय जनता पार्टी के मुख्य मंत्री नहीं हैं, राजस्थान के मुख्य मंत्री हैं ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : चिन्ता क्यों करते हो, ये भी मिलते रहते हैं ।

श्री विष्णु मोदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन घाटे में, राजस्थान स्टेट डेयरी डवलपमेंट कारपोरेशन घाटे में, राजस्थान वन विकास निगम लिमिटेड घाटे में, राजस्थान जल विकास निगम लिमिटेड घाटे में, राजस्थान .

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : आर.एस.एम.एम. का बताओ जो आपका फेवरेट है ।

श्री विष्णु मोदी : पढ़ूंगा तो मैं वही जो मुझे पढ़ना हैं, मैं आ रहा हूं। अगर कोई कारपोरेशन फायदे में है तो इसका यह तात्पर्य कतई नहीं है कि जो पब्लिक सैक्टर कारपोरेशन घाटे में हैं हम उनका कोई निष्कर्ष नहीं निकालें। आपके ही मुख्य मंत्रीजी ने इधर खड़े होकर कहा था और अध्यक्ष महोदय, यह आरोप है कि....

श्री शान्तिलाल खोईवाल : थोड़ी देर पहले तो आप कह रहे थे कि हमारे मुख्य मंत्री हैं, कुछ सैकण्ड बाद में आप भूल गये। सुधारो थोड़ा।

श्री विष्णु मोदी : अध्यक्ष महोदय, जब तक पब्लिक सैक्टर अण्डरटेकिंग को क्योंकि राजस्थान की वित्तीय स्थिति वास्तव में बड़ी दयनीय है, दिवालियेपन पर है और कम से कम

श्री चन्दनमल बैद : पर नहीं है, हो चुकी है दिवालिया।

श्री विष्णु मोदी : हो चुकी है दिवालिया। और आपने यह निष्कर्ष निकाल लिया कि अब इनकी पार्टी राज में आने वाली नहीं है तो इस स्थिति को कम से कम बिगाड़ दो कि आगे आने वाली सरकार कुछ नहीं कर सके। आप में इच्छा शक्ति है, आप यह कहते हैं कि आपमें कुशल वित्तीय प्रबन्धन है: मथुरादास माथुर कमेटी आपने बैठायी, इधर खड़े होकर भाषण आपने किये थे लेकिन पब्लिक सैक्टर का आपने कुछ नहीं किया। आपने कर्जा लेना शुरू कर दिया क्योंकि वह सीधी-सीधी बात है। जितने राजस्थान में पब्लिक सैक्टर हैं उन सब पब्लिक सैक्टर को आई.ए.एस. अफसरों की ऐशगाह और आरामगाह बना रखा है। आज आपको एक कारपोरेशन के लिए कोई आदमी नहीं मिला जो टैक्नीकल क्वालिफिकेशन का आदमी हो, जो फाइनेंशल क्वालिफिकेशन का आदमी हो लेकिन आप जब इधर होते हैं तो आपको आरोप लगाना होता है, इसके अलावा कुछ मतलब की बात नहीं है।

1988 के विनियोग विधेयक के भाषण में आपने कहा था, माननीय शिवचरण जी माथुर मुख्य मंत्री थे, कि भीलवाड़ा में तो कम से कम आप अनअथोराइज्ड माइनिंग बंद करा दें। अध्यक्ष महोदय, अनअथोराइज्ड माइनिंग पिछले ढाई साल में बढ़ी है, टैक्स लीकेज है, सेल्स टैक्स लीकेज है, माइनिंग लीकेज है। लेकिन कुछ नहीं, हुआ उलटा। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने एक भाषण दिया मिनरल एडवाइजरी कमेटी में कि मैं इस बात के खिलाफ हूं कि ठेके दे दिये जाय लेकिन कुल मिलाकर राजस्थान का माइनिंग विभाग अब ठेके देने पर लगा हुआ है और उस ठेके देने का तात्पर्य यह हो रहा है कि जो इल्लीगल माइनिंग रूकनी चाहिए थी, उसको भी लीगलाइज कर रहे हैं।

श्री परसराम मदेरणा : फोरेस्ट और माइनिंग इसमें तो मिला-जुला ही है।

श्री विष्णु मोदी : नहीं, वह तो दूसरा रिजोल्यूशन है। This is not related with unauthorised mining. That is with a Central Act in the State.

श्री शान्तिकुमार धारीवाल : यह खेल भी मिलाजुला ही है। (व्यवधान)

श्री विष्णु मोदी : पब्लिक सैक्टर अण्डरटेकिंग जब तक प्रोफिट में नहीं हो

(श्री विष्णु मोदी)

उनको जब तक बंद नहीं करेंगे, पब्लिक सैक्टर में राजस्थान का इन्वेस्टमेंट है उस पर आज बैंक में पैसा जमा कराने पर, आज यू.टी.आई. में पैसा जमा कराने पर 20 प्रतिशत इंट्रेस्ट आता है। राजस्थान की पेड-अप कैपिटल है। 112515 लाख रुपये, अदर सोर्सेज 37435 लाख रुपये लोन्स हैं 193294 लाख रुपये और लांग टर्म लोन्स हैं 314598.77 लाख रु., इतनी बड़ी पूंजी राजस्थान की लगी हुई है उसके बाद कोई रिटर्न नहीं। जब तक आप लोन लेने की स्थिति को कम नहीं करेंगे, आप राजस्थान की स्थिति को नुकसान ही पहुंचायेंगे। वित्तीय स्थिति इतनी खराब कर दी है कि आप योजना के आकार का बयान करते हैं कि हमारी योजना इतनी बढ़ी है लेकिन उसके रिजल्ट्स कुछ नहीं हैं, रिजल्ट माइन्स ग्रोथ जा रही है। जब तक सारी स्थिति को ठीक नहीं करेंगे, मैं समझता हूं, यह सारी प्रक्रिया अधूरी रहेगी और जिस विकास की आप बात कर रहे हैं, वह विकास आप किसी सूरत में नहीं कर सकेंगे। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : माननीय जोगेश्वरजी।

श्री महादेव सिंह : अध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ आर्डर। जब से+++

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। मैं समझा, आप एप्रोप्रिएशन पर बोल रहे हैं। ऐसी चर्चा यहां नहीं होती है।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर) : अध्यक्ष महोदय, विनियोग विधेयक की चर्चा मे हस्तक्षेप करते हुए इस सदन का ध्यान जालौर जिले की कुछ प्रमुख समस्याओं की ओर सैद्धान्तिक तौर पर आकर्षित करना चाहता हूं। साल भर पहले माननीय मुख्य मंत्रीजी माउंट आबू पधारे थे और जालौर व सिरोही के एम.एल.ए. जन प्रतिनिधियों की मीटिंग की थी, उस समय उन्होंने पूछा था कि जालौर की कोई एक बड़ी समस्या जिसका समाधान आप चाहते हों, बताओ। तब तुरन्त मेरे मुंह से निकला था कि बाढ बचाओ। अध्यक्ष महोदय, जालौर जिले की स्थिति कुछ ऐसी है कि अजमेर जिला, पाली जिला और सिरोही जिला, इन तीन जिलों में जब भी कभी बरसात होती है तो वहां का पानी, अरावली के पश्चिमी भाग का पानी जालौर जिले में से होकर गुजरता है। जब इन तीन जिलों में बहुत बरसात होती है तो हमको बाढ़ के रूप में मार पड़ती है और जब इन जिलों में कम बरसात होती है तो हमारे जिले में आने वाली सारी नदियां रुक जाती है क्योंकि उन तीन जिलों में इतने सारे बांध उन नदियों पर बने हुए हैं कि हमारे जिले में पानी पहुंच ही नहीं पाता और जमीन की रिचार्जिंग रुक जाती है। दोनों स्थितियों में हमको नुकसान होता है यानि पानी अधिक बरसा तो नुकसान, कम बरसा तो नुकसान। उसका उदाहरण देना चाहता हूं, जवाई बांध जब नहीं था तब, मेरे पिताजी बताया करते थे, जवाई नदी में 9-10 महीने तक पानी चलता था। पहली बरसात के साथ नदी चलना शुरू होती थी और होली का रंग खेलने के बाद मेरे पिताजी अपने दोस्तों के साथ नहाने के लिए उस नदी में जाते थे। आज वह नदी तीन महीने भी नहीं चलती क्योंकि उस पर बहुत बड़ा जवाई बांध बन गया और जवाई बांध ही पूरा नहीं भरता

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

तो आगे पानी कहां आएगा। यही हालत सभी नदियों की होती जा रही है। सिरोही जिले में बांध बनते जा रहे हैं, पाली जिले में बांध बनते जा रहे हैं, अजमेर जिले में एनीकट, बांध बन रहे हैं। उनके कारण उधर से जालौर की तरफ आने वाला पानी रुक रहा है। यह समस्या 1990 से, जब से इस हाउस में मैं आया हूं, उठाता रहा हूं और मुझे खुशी है कि इस सरकार ने इस बात को गम्भीरता से लिया। जैसी मेरी जानकारी है कि सिचाई विभाग ने एक नीति निर्धारक बिन्दु तय किया है कि आइंदा से जो भी बांध बनेंगे उसमें केवल 60 प्रतिशत पानी को ही रोकेंगे, बाकी 40 प्रतिशत पानी को बहने देंगे। भविष्य में जो बांध बनेंगे या बन रहे हैं, उन पर यह सिद्धान्त लागू हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यह माननीय सिंचाई मंत्रीजी उपस्थित हैं, वे मानीटरिंग करें। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि इस बात को गम्भीरता से लेकर इस बात पर ध्यान दें।

दूसरी बात, जब ज्यादा बरसात होती है तो हमको समस्या आती है कि कदम-कदम पर हमारे वहां नदियां बनी हुई हैं जो बरसात के पानी को तेजी के साथ लाती हैं। उससे हमारी जमीन कटती है, हमारी आबादी खतरे में पड़ती है गांव-गांव की। जब मैं क्षेत्र के दौरे पर निकलता हूं तो जिस भी गांव में घुसता हूं, वहां यही मांग आती है कि हमारे यहां पर बाढ़ बचाओ काम करवाइये। दुर्भाग्य से स्पेशल स्कीम्स आर्गेनाइजेशन ने जो स्कीम्स बनायी हैं, उनमें से किसी में भी बाढ़ बचाओ का काम कवर नहीं हो रहा है। नार्म्स में नहीं आ रहा है, ई.ए.एस. में नहीं आ रहा है, अकाल राहत में नहीं आ रहा है, और किसी न किसी कारण से, बहाने से उसको टाल देते हैं। उसके लिए एकमात्र योजना हमारे पास बचती है जे.आर.वाई., पर जे.आर. वाई. में कितना पैसा आता है? इतना पैसा नहीं आता है कि बड़े बड़े बाढ़ बचाव के काम किये जा सकें। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं, जालौर जिले की इस विशेष स्थिति को समझते हुए विशेष रूप से इसके लिए योजना बनाकर बाढ़ बचाव की व्यवस्था की जाए ताकि अधिक बरसात के समय हमारी उपजाऊ जमीन और आबादी खतरे में नहीं पड़े। जमीन के अन्दर बरसात का पानी पहुंचे उसकी दृष्टि से भी योजनाएं बनाई जाएं ताकि कम बरसात हो तब भी हमारे वहां अण्डरग्राउंड वाटर की कमी नहीं रहे। क्योंकि जालौर जिले में सिंचाई का एक मात्र साधन अण्डरग्राउंड वाटर है, सरफेस वाटर बहुत कम है हमारे पास। बांध बहुत छोटे-छोटे हैं और जो हैं वे भी बहुत कम हैं। इसलिये हमको कुओं के पानी पर ही निर्भर रहना पड़ता है, और कुओं का पानी दिनों-दिन नीचे जा रहा है, गहरा उतरता जा रहा है। उसके रिचार्जिंग के लिए प्लान बनाना बहुत जरूरी है।

अब यह बात चली, पिछले दिनों मेरी जानकारी में आया कि एन.जी.ओ., नान गवर्नमेंट आर्गेनाइजेशंस को इनवाइट किया है, रिचार्जिंग के कुछ वाटर शेड डवलपमेंट के कार्यक्रम बनाने के लिए और पूरा करने के लिए। इस बारे में मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि इसमें बहुत

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

बड़ा घपला हो रहा है । उदाहरण के लिए मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक–एक करोड़ का टोटल प्रोजेक्ट बना । प्रोजेक्ट के लिए एन.जी.ग्रो., कोई उदयपुर से संस्था आई । उसको यह कहा था, शर्त जो तय हुई थी उसमें यह था कि आप प्रोजेक्ट बना कर जैसे ही सबमिट करेंगे, आपको 15 प्रतिशत मिल जायेगा । कोई सरदारजी थे, प्रोजेक्ट बनाकर उन्होंने पेश किया था और पेमेंट लेने के लिए आये थे 15 प्रतिशत । उस समय उन से मुलाकात हुई, थोड़-सा जब मैंने बातों में लगाया और कुरेदा तो वे बातों-बातों खुल में गये और बोले भैया, प्रोजेक्ट तो बाद में देखेंगे, मुझे तो टाटा सियरा खरीदनी थी पैसा चाहिए था, फटाफट दस दिन में प्रोजेक्ट बनाकर सब्मिट कर दिया है । 15 प्रतिशत का चैक मिल जाएंगा 15 लाख का, यह ले जाऊंगा और जो प्रोजेक्ट बनाने में लाख, दो लाख, तीन लाख हुआ, वह उनको दे दूंगा, और बाकी में मेरी टाटा सियरा आ जाएगी । एन.जी. ओ. का दृष्टिकोण यह है, जिनको हम लम्पसम अमाउण्ट सौंपने जा रहे हैं । सरकारी मशीनरी के भरोसे हम इसलिए काम नहीं जोड़ रहे हैं कि वहां काम बहुत लम्बा हो जाता है, तथाकथित तौर पर भ्रष्टाचार बहुत होता है और कास्ट दुगनी–तिगुनी बढ़ जाती है । उनसे घबरा कर, इस सारी व्यवस्था से घबरा कर हमने एन.जी.ओ. को इनवाइट किया तो एन.जी.ओ. हमारी यह हालत करने वाले हैं ! तो इस दृष्टि से भी सरकार को सावधान रहना होगा और सोच समझ कर इस काम को करना होगा ।

श्री रामनारायण चौधरी : यह एन. जी. ओ. क्या है, मान्यवर, कुछ खुलासा तो करो ।

श्री जोगेश्वर गर्ग : नान गवर्नमेंट आर्गेनाइजेशन । आप भी बना सकते हो, मैं भी बना सकता हूं । बहुत मामूली–सी बात है ।

श्री हरिसिंह (महुआ) : नहीं-नहीं, कौन-कौन गड़बड़ कर रहे हैं ये ?

श्री जोगेश्वर गर्ग : जो भी एन. जी. ओ. है अधिकांश ।

श्री परसादीलाल मीणा : चीफ सैक्रेटरी का नाम बोल दो, मीठा लालजी मेहता ने भी बना रखी है एन. जी. ओ. । यह कहो न आप ।

श्री जोगेश्वर गर्ग : इतनी मेरी जानकारी नहीं है ।

श्री परसादीलाल मीणा : और जानकारी कर लो ।

श्री जोगेश्वर गर्ग : ज्ञानवर्द्धन के लिए धन्यवाद ।

अध्यक्ष महोदय, मैं दूसरा निवेदन यह कर रहा था, जालौर जिला इण्डस्ट्रीज की दृष्टि से भी बिलकुल शून्य था, पिछले दस-बारह सालों में वहां ग्रेनाइट इण्डस्ट्री डवलप हुई है ।

श्री हरिसिंह (महुआ) : यह लोक जुम्बिश वाली तो नहीं है बोर्दिया की ? वह भी माल पी रही है ।

श्री अध्यक्ष : बिराजें, बिराजें ।

श्री जोगेश्वर गर्ग : जहां माल होगा वहां मक्खियां आएंगी ही आएंगी। अब उनसे कैसे बचना है, वह अपने को सोचना है।

श्री परसादीलाल मीणा : इन एन.जी. ओज को चलाने के लिए सब तैयार हो रहे हैं पहले से ही।

श्री हरिसिंह (महुआ) : मीठालालजी ने चौमूं में कर लिया न काम।

श्री जोगेश्वर गर्ग : मैं दूसरा निवेदन करना चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, ग्रेनाइट इण्डस्ट्रीज अच्छी डवलप हुई है हमारे जिले में। चार सौ के आसपास इण्डस्ट्रीज आज की तारीख में चल रही हैं, बहुत अच्छी उन्होंने प्रोग्रेस की पिछले दस-बारह सालों में। लेकिन आज की तारीख में उन पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं, पिछले आठ-नौ महीने से वे लगभग सारी की सारी यूनिट्स घाटे में जा रही हैं लागत मूल्य से भी कम में उनको माल बेचना पड़ रहा है क्योंकि उनको कम्पीटिशन में जिन्दा रहना है कर्नाटक और तमिलनाडु के साथ। वहां का माल हमारी तुलना में सस्ता पड़ रहा है। उसका एकमात्र कारण है कि वहां टैक्स की रेट बहुत कम है हमारी तुलना में। हमारे यहां टैक्स 16 प्रतिशत है, वहां बहुत कम है और उसके कारण उनसे मुकाबला हम नहीं कर पा रहे हैं। इस दृष्टि से मैं सरकार का ध्यान पहले भी आकर्षित करता आ रहा हूं, आज फिर निवेदन करना चाहूंगा, माननीय मुख्य मंत्रीजी एप्रोप्रिएशन बिल पर जब जवाब दें या बजट पर और कोई जवाब दें, उस समय इस बात की घोषणा करें कि ग्रेनाइट पर टैक्स कम किया जाए। यह अति आवश्यक है उन यूनिट्स को जिन्दा रखने के लिए, नहीं तो वे चार सौ यूनिट्स जालौर की और चार-पांच सौ यूनिट्स बाकी जिलों की सिक हो जाएगी, सारी की सारी बीमार हो जाएगी, बंद होने की स्थिति में आ जायेगी। यह एक बहुत बड़ा सैटबैक लगेगा राजस्थान को, और उसके कारण अन्य इण्डस्ट्रीज को भी राजस्थान में लाने में हमको दिक्कत आएगी, समस्या आएगी। इसलिए इस पर भी गम्भीरता से विचार करके इसी बजट सत्र में कुछ न कुछ परिणाम इसमें से निकले, कुछ न कुछ हम निर्णायक बात कर सकें, ऐसा मैं निवेदन करूंगा सरकार से आपके माध्यम से।

इसके अलावा ग्रेनाइट की छोटी-मोटी समस्याएं और हैं, उनके बारे में पहले भी निवेदन कर चुका हूं आपके माध्यम से इस हाउस में। उसके बारे में माननीय उप मुख्य मंत्रीजी ने उस दिन घोषणा भी की थी, केरोसिन का कोटा बढ़ाने की। कलक्टर को एक यूनिट को एक हजार लीटर पर मंथ देने की ही सीमा थी, वह सीमा उन्होंने बढ़ा कर तीन हजार लीटर पर मंथ करने की हाउस में भी घोषणा की, उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करना चाहूंगा। उसके अलावा रायल्टी की छोटी-मोटी समस्या थी उसके बारे में भी सरकार गम्भीरता से सोच रही है और आदेश निकलने वाले हैं, उसके लिए भी मैं सरकार का धन्यवाद करता हूं। उतनी ही उदारता से इस टैक्स वाले मुद्दे पर भी सरकार ध्यान देगी तो यह इण्डस्ट्रीज डूबने से बच जाएगी। दस-पन्द्रह हजार लोगों को सिर्फ जालौर में रोजगार मिल रहा है, इतने सारे लोग जो

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

डाइरेक्ट-इनडाइरेक्ट रोजगार में लगे हुए हैं वे बेरोजगार होने से बच जाएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मुझे यही निवेदन करना था, आपने समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री उगमराज जी।

सदन की कार्यवाही विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री सुरेन्द्र गोयल (सरकारी उप मुख्य सचेतक) : अध्यक्ष महोदय, मैं, प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय दो घंटे बढ़ाया जाए।

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : एक घंटा। एक घंटा ही बहुत है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : दो घंटे, वह संकल्प है ना।

श्री रामनारायण चौधरी : ढाई घंटे तो आपके है हो नान आफिशियल के। साढ़े सात तक तो बढ़ाओ।

श्री टीकमचन्द कांत : एक घंटा भी बहुत है। शुक्रवार है, सब लोग जाएंगे।

श्री अध्यक्ष : संकल्प है, प्राइवेट मेम्बर्स डे है, तो पहले फिलहाल दो घंटे बढ़ाते हैं, फिर आधे घंटे की और जरूरत पड़ेगी तो फिर देख लेंगे।

श्री टीकमचन्द कांत : हां, ठीक है, साहब, यही ठीक है।

श्री अध्यक्ष : दो घंटे समय बढ़ाया जाता है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : संकल्प के बारे में प्रारम्भ कर दें, अध्यक्ष महोदय। उगमराज जी तो लिख कर दे देंगे।

श्री अध्यक्ष : वह समय लगा दिया न इसमें। ठीक है, आप दो मिनट में बात खतम करें अब।

विनियोग विधेयक पर अग्रेतर विचार

श्री उगमराज मेहता (ब्यावर) : अध्यक्ष महोदय, मैं, एप्रोप्रिएशन बिल पर बोल रहा हूं। अभी पुष्कर से आने वाले माननीय सदस्य ने यह कहा कि राजस्थान सरकार दिवालिया होने के कगार पर खड़ी है। राजस्थान के पूर्व वित्त मंत्री ने बजट भाषण पर पहले का भी इनका भाषण मैंने पढ़ा है, गत वर्ष भी इन्होंने जो शब्द कहे हैं, वह के वह शब्द इस बार दोहराये हैं। दिवालियेपन का मतलब क्या है ? दिवालियेपन का मतलब यह होता है कि पैसा कोई देने वाला नहीं होता और हम चुकाने की स्थिति में भी नहीं होते हैं। जिसको पैसा नहीं मिलता वह दिवालिया होता है। राजस्थान सरकार अभी दिवालियेपन की स्थिति में नहीं है। राजस्थान सरकार को इतना कर्जा मिल रहा है, अपनी पैठ के ऊपर मिल रहा है, आचरण के ऊपर मिल रहा है। किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। राजस्थान सरकार को पैसा कर्जे के जरिये मिलता है, उस गति से विकास भी कर रही है राजस्थान सरकार। आज मैं धन्यवाद देना चाहता हूं राजस्थान के मुख्य मंत्री माननीय शेखावत साहब को, जिन्होंने बिना टैक्स लगाए विकास की योजनाएं हाथ में ली हैं। विकास के लिए हम गतिशील हैं, विकास बढ़ रहा है। पुष्कर से आने वाले माननीय विधायक अपने एरिये में गये नहीं,

(श्री उगमराज मेहता)

जीते हैं सिर्फ, पैसे के बल पर जीते हैं और वहां विकास करा रहे हैं हम बैठ कर। पुष्कर की जितनी समस्याएं हैं हम हल करवाते हैं कलक्ट्रेट में बैठ कर।

श्री परसादीलाल मीणा : जाना भी नहीं है वहां पर, पुष्कर। अब दुबारा नहीं लड़ना है पुष्कर से।

श्री उगमराज मेहता : वहां पर विकास कराने की योजनाएं हमने हाथ में ली है। अध्यक्ष महोदय, पूर्व वित्त मंत्री ने यह कहा था कुछ दिन पूर्व कि हास्पिटल में जाएं तो बैण्डेज नहीं, कैंची नहीं। आपने कहीं जाकर देखा है यह? डाक्टर नहीं हजारों। सिर्फ 282 डाक्टर नहीं हैं सारे राजस्थान में और आप हजारों की बात कर रहे हैं। मैं तो यह नहीं सोच सकता था कि आप इस प्रकार से सदन में वक्तव्य देंगे। 1978 में मैं विधायक था, इनके क्षेत्र में मैं गया था। याचिका समिति गयी थी, जो चेयरमैन थे इन को हराकर आये थे, वहां पर देखा, कहीं सड़क का नाम ही नहीं, और कागजों में 13 किलोमीटर डामर की सड़क बन गई। वहां कहीं सड़क नहीं, हम देख कर आये हैं। वह अपनी प्रोसीडिंग्स में होगा। हमारे इस राज में इस प्रकार के काम नहीं हैं। गांव-गांव में जाइये, असेट्स खड़ी हैं, पक्के मकान बन रहे हैं, पक्के भवन बन रहे हैं, पक्की स्कूलें बन रही हैं। गांव-गांव में देखिये, विकास की गंगा बह रही है। मैं ज्यादा समय न लेकर माननीय मुख्य मंत्री जी और वित्त मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा, वे 1978 में मुख्य मंत्री थे और इस सदन में उन्होंने घोषणा की थी किसानों के लिये और किसानों के काम में आने वाले पुर्जे, किसानों के खेतीबाड़ी में काम आने वाले औजार जो छोटे–छोटे लुहार बनाते हैं या छोटे-छोटे उद्योग बनाते हैं उनको बिलकुल सैल्स टैक्स से माफ किया था। राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1954 की धारा 4 (1) के तहत शिड्यूल में प्रावधान के अनुसार जिसकी एक प्रति अनुसूची "अ" में दर्शायी गयी है, कृषि औजार एवं उपकरण करमुक्त किये जाते हैं। बाद में आपने 1978 में यह अधिसूचना जारी की थी जिसकी एक प्रति अनुसूची "ब" में दर्शायी गयी है, इसमें कृषि उपकरण एवं औजार बनाने वालों को विशेषकर छूट प्रदान की है। वह वर्तमान तक जारी थी। परन्तु 1995 में जो एक्ट बना है उसमें वह स्लिप आफ पैन हो गया। आज दिन तक राज्य सरकार की कोई मंशा नहीं है कि इस प्रकार से टैक्स लिया जाए परन्तु अब क्या है कि वह एक्ट बन गया और उसमें स्लिप ऑफ पैन हो गया। अब सैल्स टैक्स वाले उन छोटे-छोटे औजारों के ऊपर सैल्स टैक्स वसूल करेंगे। मैं माननीय वित्त मंत्रीजी से और मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि उसको एग्जम्प्ट करें, कर से मुक्त करें।

अन्त में, अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा, ब्यावर में बहुत वर्षों से एक मांग है कि ब्यावर को जिला बनाया जाए। आपने इस बजट में कोई जिले की घोषणा की नहीं परन्तु मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि अगले बजट में अभी से ध्यान रखें और ब्यावर को जिला बनाने की घोषणा करें। जय भारत।

श्री अध्यक्ष : भगराजजी। पांच छह मिनट हैं आपका संकल्प आने वाला है।

श्री मगराज चौधरी (आहोर) : जी। इस वर्ष के वित्तीय विनियोग विधेयक के सम्बन्ध में चर्चा चल रही है, चूंकि समय की कमी है इसलिये मैं सुझाव के रूप में कुछ निवेदन करना चाहूंगा। राजस्थान मूलतः कृषि प्रधान प्रदेश हैं। हमारी कृषि बरसात पर निर्भर है, सिंचित क्षेत्र बहुत कम है। जितना भी सिंचित क्षेत्र है उसका पूरी क्षमता के साथ उपयोग किया जाए, एक-एक बूंद का उपयोग किया जाए। इसके लिए पानी की जो फिजूलखर्जी होती है उसको रोका जाना चाहिये। हमने अभी तक जो भी सिंचाई के साधन बढ़ाये हैं, मुख्य तौर से पूर्वी राजस्थान की तरफ हमने ज्यादा ध्यान दिया है। पर पश्चिमी राजस्थान पानी की दृष्टि से वैसे भी काफी पिछड़ा हुआ हिस्सा है, वहां पर बरसात कम होती है। पर जहां थोड़ी-बहुत जो भी क्षमता है जिसका उपयोग किया जा सकता है, हमने कुछ बांध, कुछ एनीकट्स डवलप किये हैं उनके पानी का पूरा उपयोग किया जाना चाहिये। पानी का उपयोग करने के लिये जो भी हमारी माइनर कैनाल्स हैं वे कच्ची हैं तो उनको हर कीमत पर पक्का किया जाना चाहिये। दुर्भाग्य से सिंचाई का बजट इन्दिरा गांधी नहर में ज्यादा दिया जाता है या पूर्वी राजस्थान में देते हैं, वृहत् योजना में ज्यादा लगा देते हैं या चम्बल परियोजना में लगा देते हैं। पश्चिमी राजस्थान में एकमात्र हमारे सिंचाई का बड़ा साधन है जवाई बांध। जवाई बांध से जैसा कि पूर्व वक्ता ने माननीय जोगेश्वर जी ने अभी कहा, नुकसान हो रहा है जालौर जिले को। सिंचाई के साधन के लिहाज से इस बांध को बनाया गया था। आज सारा का सारा उपयोग जोधपुर शहर में पानी पिलाने के लिये किया जा रहा है। कितना हमारे साथ अन्याय हो रहा है? उससे 33–34 गांव मेरे क्षेत्र के कमाण्ड क्षेत्र में लिये हुए हैं। हमें राजस्व तो देना पड़ता है सिंचाई की दर से, सिंचित भूमि की दर से मगर पानी हमें नहीं मिलता; पानी मिलने में कठिनाई होती है। पानी वितरित करने के लिये जो भी वितरिकाएं बनी हुई हैं, माइनर्स बनी हैं वे कच्ची हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को ध्यान दिलाना चाहूंगा कि कृपा करके इस प्रकार के छोटे-छोटे सिंचाई के साधन हैं उनमें भी पानी का बराबर डिस्ट्रीब्यूशन हो। पानी का आप्टिमम उपयोग करने के लिये जो हमारी वितरिकाएं कच्ची हैं उनको पक्का करने के लिये भी कुछ न कुछ वित्तीय प्रावधान रखें जिससे कि पानी का बराबर सदुपयोग हो सके।

दूसरा मैं निवेदन करना चाहूंगा कि खेती का प्रदेश होने के बावजूद अब खेती पर लोगों को लगाने की सीमा है। जैसा कि मैंने कहा मुख्य तौर से हमारी खेती बरसात पर ही निर्भर है इसलिये खेती पर लोगों को ज्यादा लगाने के बजाय अब खेती पर आधारित उद्योग और दूसरे ऐसे उद्योग जिनका विकास राजस्थान में किया जा सकता है, किया जाना चाहिये। काफी कुछ सोच पिछले सालों में बना है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि उद्योगों के दृष्टिकोण से हमारे प्रदेश में बड़े-बड़े उद्योग लगाने के लिये बहुत अच्छा वातावरण बना है और सरकार भी प्रयत्नशील है मगर छोटे-छोटे उद्योग जो कम पूंजी से लगाये जा सकते हैं ज्यादा क्षेत्रों में लगाये जा सकते हैं जिनमें स्थानीय लोगों को ज्यादा रोजगार मिल सकता है उनको लगाने के

(178)

(श्री मगराज चौधरी)

बारे में सरकारी नीति होने के बाद भी सरकार द्वारा सहयोग बहुत कम किया जाता है। जब–जब इस प्रकार के उद्योग लगाने के लिये उद्योगकर्मी आगे आते हैं उनको समय पर ऋण नहीं मिलता। ऋण मिलने पर, मुझे कहना नहीं चाहिये, बहुत बड़ी राशि कमीशन के रूप में राजस्थान फाइनेंशल कारपोरेशन के स्थानीय अधिकारी ले रहे हैं। और नहीं दिये बिना उनका लोन स्वीकृत नहीं होता है, यह एक हकीकत बात है, मेरे स्वयं के ध्यान में आयी हुई बात है। मुख्य मंत्री जी भ्रष्टाचार घटाने की बात कर रहे हैं मगर मैं जानना चाहूंगा कि आपने पिछले तीन साल में—चार साल में, जब–जब आप मुख्य मंत्री रहे, आपने कहां–कहां भ्रष्टाचार घटाया? हकीकत तो यह है कि भ्रष्टाचार इस कदर बढ़ गया है कि कोई भी हमारा क्षेत्र इस बीमारी से अछूता नहीं है। पहले तो चुपचाप सम्बन्धित अधिकारी पैसा मांगता था, आज तो 15–20 लोगों के बीच में बैठकर पंचायती करके अपना हिस्सा मांग रहे हैं। इतना हिस्सा दो वरना आप चाहे कहीं भी जाए आपको न तो ऋण मंजूर होने वाला है, न आपका कोई वाजिब काम होने वाला है। न आपको बिजली का कनेक्शन मिलने वाला है, न कोई और चीज होने वाली है। यह स्थिति बनी हुई है। मुख्य मंत्री महोदय, आप चूंकि बहुत कुछ इसमें कर सकते हैं, आपकी जिज्ञासा भी है, आपकी कुछ करने की तमन्ना भी होगी मगर आप इसमें कुछ नहीं कर पाये, कृपा करके राजस्थान से एक बार भ्रष्टाचार की बीमारी जो पिछली 5-7 साल में फैली है, इसको कुछ हद तक आप रोकने की कोशिश करें तो मैं समझता हूं कि राजस्थान की जनता की बहुत बड़ी सेवा होगी।

इसके अलावा मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जालौर जिले में, जैसा कि अभी पूर्व वक्ता ने कहा, छोटे–छोटे उद्योग के रूप में ग्रेनाइट की कुछ इकाइयां लगी हुई हैं–400-450 जालौर जिले में उसके अलावा 450–500 यूनिट्स पाली में, सिरोही में, आबू रोड वगैरह में। मगर जो भी माल ग्रेनाइट उद्योग इकाइयों के जरिये तैयार होता है वह महंगा बहुत पड़ता है। जितनी लागत आती है माल तैयार करने में उसके कारण माल दुबारा बेचने में बड़ी दिक्कत आ रही है। उसका एक मुख्य कारण तो यह है कि सारी की सारी यूनिट्स केरोसीन बेस्ड हैं और केरोसीन बहुत महंगा हो चुका है। केरोसीन महंगा मिलने के साथ–साथ सेल्स टैक्स की दर आपने इतनी ज्यादा बढ़ा दी जैसे कोई हीरे और जवाहरात से भी बहुत बड़ा कमाई वाला धन्धा हो। इस उद्योग का जो उत्पादन है, उद्योग की इकाइयों से जो माल तैयार होता है उस पर 16 परसेंट सेल्स टैक्स राजस्थान सरकार ने लगाया हुआ है। इसके अलावा केन्द्र सरकार का भी 4 परसेंट सेल्स टैक्स है और खरीददार द्वारा 'सी' फार्म नहीं देने पर 12 परसेंट और बढ़ जाता है यानी कुल 20 परसेंट सेल्स टैक्स और बढ़ जाता है। तो 20% सेल टैक्स तो हो गया केन्द्र सरकार के द्वारा, 16 परसेंट सेल्स टैक्स राजस्थान सरकार का, कुल मिलाकर 35-36 परसेंट सेल्स टैक्स चुकाना पड़ता है। उसके कारण से दूसरे प्रदेशों गुजरात और कर्नाटक वगैरह में जहां पर भी काफी औद्योगिक इकाइयां

(श्री भगराज चौधरी)

ग्रेनाइट क्षेत्र में लगी हुई हैं, जो मांग तैयार होता है उस तैयार माल के मुकाबले में हमारा माल बहुत महंगा पड़ता है। इसलिये यहां के सारे उद्योगकर्मी जो इस धंधे में लगे हुए हैं वे घाटे में जा रहे हैं और इसी कारण करीबन छोटी-मोटी दो सौ इकाइयां बंद हो चुकी हैं, जैसा कि मैंने पहले निवेदन किया था। दूसरा कारण है कि केरोसीन का भी आबंटन नहीं हो रहा है, केरोसीन बहुत महंगा मिल रहा है। मैंने प्रश्न किया था, उद्योग मंत्री जी ने कहा कि छह हजार किलोलीटर वार्षिक इस काम के लिये आपको अलाट कर रहे हैं। मगर मुझे निवेदन करना पड़ा दुर्भाग्य से कि अभी तक आबंटन हुआ नहीं है, औद्योगिक इकाइयों को घासलेट मिल नहीं रहा है। मेरे ख्याल से, साल भर पहले आपने केन्द्र सरकार को लिखा होगा। हमारे वहां से एम. पी. बूटासिंह जी थे, उनसे भी निवेदन किया था और यह महकमा उस समय उनके पास था तो, जैसी कुछ मुझे जानकारी मिली है, जाते-जाते बूटासिंह जी ने करीबन छह हजार किलोलीटर जारी करने के लिये इसमें कोई अलाटमेंट किया है। वह अभी तक मेरे ख्याल से न राजस्थान सरकार को मिल रहा है....

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें अब, माननीय।

श्री भगराज चौधरी : .... न राजस्थान को मिल रहा है और न राजस्थान की सरकार अपने जालौर जिले के लिये केरोसीन आबंटन करवा रही है। मैं चाहूंगा कि इसमें कृपया ध्यान दें।

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री भगराज चौधरी : इसके अलावा, राजस्थान शिक्षा नीति .. (व्यवधान)....

(17.00)

श्री अध्यक्ष : अब समाप्त करें। माननीय सदस्य।

श्री भगराज चौधरी : थोड़ा सा संक्षेप में....

श्री अध्यक्ष : नहीं, अब 5 बजे सरकारी कार्य है।

श्री भगराज चौधरी : अध्यक्ष महोदय, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। राजस्थान शिक्षा के क्षेत्र में बहुत पिछड़ा हुआ है और राजस्थान में भी पश्चिमी राजस्थान तो और भी पिछड़ा हुआ है। पहले मैंने निवेदन किया था कि जालौर, बाड़मेर राजस्थान में सबसे कम साक्षरता वाले जिले हैं। महिलाओं की साक्षरता तो 8 या 9 प्रतिशत है। जहां एक तरफ आप सम्पूर्ण राजस्थान में साक्षरता बढ़ाने की बात कह रहे हैं वहीं दूसरी तरफ जो जिले पिछड़ गये हैं वहां पर जब तक शिक्षा की सुविधा बढ़ाने के दृष्टिकोण से ध्यान नहीं देंगे तब तक आपकी वहां पर केवल साक्षरता बढ़ सकती है अच्छे लोग पढ़-लिखकर तैयार हो नहीं हाएंगे। जालौर जिले के अन्दर आठ-आठ, दस-दस किलोमीटर के एरिया के बीच में, उच्च डायामीटर में प्राथमिक शालाएं नहीं हैं, अठारह-बीस किलोमीटर की परिधि के अन्दर कोई सैकण्डरी स्कूल नहीं है। ऐसी स्थिति में प्राइमरी स्कूल के बच्चों का नामांकन तो हो जाता है, चौथी-पांचवीं

(श्री भगराज चौधरी)

क्लास तक पढ़ लेते हैं पर उसके बाद ज्यों ही उच्च प्राथमिक शाला में प्रवेश लेने की बात सोचते हैं तब सात-सात, आठ-आठ किलोमीटर उनको जाना पड़ता है और उच्च प्राथमिक शिक्षा समाप्त करने के बाद में जब सैकण्डरी स्टेज तक पढ़ने की बात सोचते हैं तो फिर उनको अठारह-अठारह बीस-बीस किलोमीटर तक दूसरी किसी स्कूल में जाना पड़ता है। अब आप सोचिये कि अठारह-बीस किलोमीटर तक बच्चे कहीं जाकर पढ़ने की बात सोच सकते हैं? ग्रामीण क्षेत्र में न तो बोर्डिंग हाउसेज हैं, न कोई ऐसी सुविधा है। आपने पिछले वर्ष भी स्कूलें खोली थीं, इस साल भी खोलने का विचार कर रहे हैं पर जो भी आपने व्यवस्था की है वह मेरे ख्याल में समुद्र में एक बूंद के समान है। प्राथमिक शालाओं में बच्चियों को आठवीं क्लास तक और बच्चों को पांचवीं क्लास तक जो आपने किताबें वितरण करने का प्रोग्राम लिया है उस पर आपको 15 करोड़ का खर्चा करना पड़ता है, वह प्रोग्राम आप बन्द कर दीजिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं, संकल्प का समय है।

श्री भगराज चौधरी : वह प्रोग्राम बन्द करके उस राशि को बचाकर, अगर आपके पास वित्तीय फण्ड कम है ... (व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : कृपया विराजें।.... (व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : इस वार्ता पर नियंत्रण करें।... (व्यवधान)....

श्री भगराज चौधरी : उस राशि को बचाकर आप मेहरबानी करके ज्यादा विद्यालय खोलिए जिससे कि जालौर और बाड़मेर जैसे जिलों में हम लोग बच्चों को प्राइमरी स्टेज से ज्यादा ऊपर पढ़ा सकें और दूसरे जो राजस्थान के शिक्षित...

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री भगराज चौधरी : इलाके हैं उनके बराबर इन बच्चों को ला सकें।

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें, माननीय।

श्री भगराज चौधरी : इसके अलावा मैं और निवेदन करना चाहूंगा पेयजल व्यवस्था के बारे में।

श्री अध्यक्ष : अब हो गया, बहुत हो गया।

श्री भगराज चौधरी : पहले पांच हजार की आबादी वाले गांव के अन्दर आपने नल व्यवस्था के जरिये पानी देने की बात सोची थी, अब आपने इस साल से कर दिया चार हजार की आबादी वाले गांव में भी अगर होगा....

श्री अध्यक्ष : कृपया विराजें आप।

श्री भगराज चौधरी : 1991 की जनगणना के आधार पर चार हजार की आबादी को भी इसका लाभ देने की बात सोच रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री विष्णु जी मोदी संकल्प, अग्रेन्तर कार्यवाही।

श्री भगराज चौधरी : मगर जिस गांव

(श्री मगराज चौधरी)

में ऊंची टंकी बनी हुई है, पाइप लाइन बिछी हुई है और उसकी आबादी अगर चार हजार मे कम है....

श्री अध्यक्ष : अब वह हो गयी बात आपकी।

श्री मगराज चौधरी : जब आपने सारा खर्चा कर दिया तो ऐसे गांवों में नल कनेक्शन आपको देने में क्या आपत्ति है? आपको राशि मिलेगी और राशि के साथ-साथ पानी की अच्छी व्यवस्था हो जाएगी। मैं आपको निवेदन करूं...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष : बिराजें आप, बिराजें आप।

श्री मगराज चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जिन क्षेत्रों में ऊंची टंकी बनी हुई है, पाइप लाइन बिछी हुई है... (व्यवधान)....

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय विष्णु मोदी जी, आप बाद में बोल लेना, मैं बोल लेती हूं पहले।

श्री विष्णु मोदी : मैं बोलता हूं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आप तो बोल ही नहीं रहे... (व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : आज ही दिन मिला है गैर सरकारी दिवस का।

श्री मगराज चौधरी : वहां पर कम से कम चार हजार की आबादी का जो आपने मापदण्ड रखा है उसको घटाकर मेहरबानी करके ढाई हजार करने का आदेश निकालें।

श्री अध्यक्ष : बिराजें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : कहां कर रहे हैं? आप तो मूव ही नहीं कर रहे हैं।

श्री मगराज चौधरी : तो मेरे ख्याल से आपको लाभ मिलेगा और काफी कुछ राहत भी मिलेगी। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिन्द।

अशासकीय संकल्प

कतिपय केन्द्रीय अधिनियमों के प्रावधानों पर पुनर्विचार का आग्रह

श्री अध्यक्ष : आप तो बोल चुके हैं।

श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : मैं बोल चुका। वापस आपने लिस्ट किया है तो, आपके रूल्स में है कि मुझे दुबारा रखना पड़ेगा।

"सदन का यह अभिमत है कि वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980, पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986, इण्डियन, फोरेस्ट एक्ट, 1927 तथा रिवीजन ऑफ माइन्स एण्ड मिनरल्स (रेगुलेशन एण्ड डवलपमेंट) एक्ट, 1987 के कतिपय प्रावधानों के कारण राजस्थान के आर्थिक एवं औद्योगिक विकास का मार्ग अवरुद्ध होने से राज्य के लाखों लोगों का जीवनयापन कठिन हो रहा है, तथा भविष्य में इससे पड़ने वाले सम्भावित दुष्प्रभावों को दृष्टिगत रखते हुए केन्द्र सरकार से पुरजोर सिफारिश करे कि वह इस पर पुनर्विचार कर आवश्यक कदम उठाए।"

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : मेरे को अनुमति है मूव करने की ?

श्री अध्यक्ष : बाद में ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ, मूव तो सारे होते हैं ।

श्री अध्यक्ष : पहले एक पर बहस होगी, उस पर कुछ बात होगी, संकल्प जारी होगा ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : ऐसा नहीं है, पिछली बार मुझे दो बार....अध्यक्ष महोदय, सुनिये मेरी बात, मूव पहले होगा ।

श्री रामनारायण चौधरी : बैलेट मे पहला नम्बर कौन-सा है ?

श्रीमती उजला अरोड़ा : मूव सारे होंगे पहले ।

श्री रामनारायण चौधरी : इनका है तो इनका मूव होगा ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, पिछली परम्पराओं को देखिये....

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मुझे बोलने दीजिये ।

श्री रामनारायण चौधरी : पहले संकल्प ले लीजिये और उसके बाद में एक दो मिनट बाकी है । तो इनसे मूव करा देना ताकि लेप्स नहीं हो । यही...

श्रीमती उजला अरोड़ा : नहीं, नहीं, मूव पहले सारे होंगे फिर चर्चा शुरू होगी । कभी-कभी तो इतना भी कहा गया और हमने उसको माना कि मेरा प्रथम था तो मुझे कहा–आपका बाद में ले लेंगे, आप मूव कर दीजिये । पहले पुरानी परम्पराओं को देख लीजिये । मैं गलत नहीं कह रही हूं, पहले मूव होंगे फिर चर्चा शुरू हो जाएगी ।.... (व्यवधान) मैं आपसे निवेदन करूंगी कि आप देखिये पुरानी परम्पराओं को, पिछली बार भी मैंने मूव किया था और सारे संकल्प मूव हुए थे । मूव होने के बाद में फिर चर्चा एक पर शुरू हुई थी ।

श्री अध्यक्ष : बिराजें ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मुझे आप अनुमति दें, मैं मूव करूं ।

श्री अध्यक्ष : माननीय विष्णु जी ।

श्री विष्णु मोदी : हां, साहब ।

श्री अध्यक्ष : चलिये प्रारम्भ करिये ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : नहीं तो आप सदन को स्थगित करने से पहले मेरा मूव करायेंगे ।

श्री अध्यक्ष : बिराजें आप । जैसी स्थिति होगी वैसा, बिराजें आप ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : देखिये, आप पहले उसका अध्ययन तो कर लीजिये, आप देख तो लीजिये ।

श्री अध्यक्ष : आप चालू करें ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं पढ़कर सुनाती हूं आपको पिछली....

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें अभी ।.... (व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : नहीं, आपको पहले पढ़कर सुना देती हूं।

श्री अध्यक्ष : यह इतना करेंगे तो समय जाया हो जाएगा। समय जल्दी से जल्दी समाप्त होने वाला है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आप परम्परा का भी ध्यान नहीं रखते और हमारी कहीं बात का भी ध्यान नहीं रखेंगे तो कैसे काम चलेगा ? मैं यह निकाल कर लायी हूं अभी मुझे मूव कर लेने दीजिये। आपको क्या दिक्कत है ? पिछली बार यह कह दिया मूव हो गया, आपका जीवित रहेगा। ठीक है मैंने मान लिया लेकिन अब मुझें कहा गया कि जीवित इसलिए नहीं रहा आपका हिन्दी वाला कि आपने उस पर बहस नहीं की। अब हमको कहना मान लेने के बाद में एक जगह होती है। मैं आपको बताती हूं, आप कहें तो मैं मूव तो कर लूं। देखिये, मैं तीन बार धोखा खा चुकी हूं।

श्री शिवनाथ सिंह : एक बार धोखा और खा लो।

श्रीमती उजला अरोड़ा : नहीं गलत बात है। मुझे मूव कर लेने दीजिये। नहीं तो मैं सुनाती हूं आपको अपनी पिछली बातें।

श्री अध्यक्ष : विराजें न आप। जब इनका होगा उसके बाद आपका मूव होगा।

श्रीमती उजला अरोड़ा : क्या ?

श्री अध्यक्ष : पहले इनका पूरा होगा उसके बाद ही तो आपका मूव होगा, पहले कैसे हो जाएगा ?

श्रीमती उजला अरोड़ा : नहीं, ऐसा नहीं है, मैं पढ़कर सुनाती हूं।

श्री अध्यक्ष : और समय रहेगा तो देख लेंगे, आप विराजें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आपको मैं पढ़कर सुनाती हूं। मैं आपको आप ही का आदेश पढ़कर सुनाती हूं।

श्री अध्यक्ष : कृपया विराजें आप।

श्री विष्णु मोदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले कई वर्षों से बल्कि मैं यह कहूं कि जब से 42वां अमेंडमेंट हुआ उसके बाद से ज्यादा क्योंकि एक स्टेट लिस्ट है, एक यूनियन लिस्ट है और एक कानकरेंट लिस्ट है और 42वां अमेंडमेंट जो कांस्टीट्यूशन का हुआ उसमें कई सारे सब्जेक्ट्स जो पहले प्योअरली स्टेट सब्जेक्ट थे उनको कानकरेंट लिस्ट में डाल दिया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा जो कांस्टीट्यूशन है वह न तो फैडरल है, मिक्सड तरह का कांस्टीट्यूशन है जिसमें एक स्ट्रांग सेंटर की बात कही गयी है लेकिन साथ ही साथ फैडरल स्ट्रक्चर भी उसमें निहित है। सेंटर कमजोर हो. यह मेरी भावना नहीं है, एक जमाना था जब एक देश दूसरे देश पर हमला करता था और उसकी जमीन पर कब्जा कर लेता था।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है आप मुझे व्यवस्था दें। मैं माननीय सदस्य से पूछना चाहूंगी कि आपकी कितनी माइंस हैं और जब आपकी माइंस हैं तो क्या आप ऐसा रख सकते हैं ? यह रख सकते हैं क्या ?

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

मुझे बताइये अपने हित में आप क्या इसको मूव कर सकते हैं,मुझे बताइये। और, अध्यक्ष महोदय, क्या आप अनुमति दे सकते हैं, बताइये। यदि आपकी माइंस हैं तो फिर आप नहीं रख सकते ।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : यह बहस सुनने के बाद कहना ।....(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : आप सुनिये, मैंने पूरा (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : यह वन विभाग वाला ...(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैंने पहले भी सुन लिया, आप मुझे इस बात का जवाब दें कि आपके माइंस हैं ? अगर आपके माइंस हैं तो फिर आप नहीं रख सकते ।

श्री विष्णु मोदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह पिछली बार भी बात उठी थी, जब मैं अपना संकल्प सदन को नहीं बता दूं, तब आप तय कर लेना कि मेरे माइंस हैं या नहीं हैं ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं आपसे पूछना चाहती हूं आपके कितनी खानें हैं ?

श्री विष्णु मोदी : मेरे कोई खान नहीं है ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आप यह बात कह रहे हैं ?

श्री विष्णु मोदी : हां ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आप सदन में असत्य संभाषण कर रहे हैं ।

श्री विष्णु मोदी : हां, सदन में यह कह रहा हूं मैं, मेरे खान नहीं है ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : ठीक है, आपका कहीं हित नहीं है इसमें ?

श्री विष्णु मोदी : मेरा कोई हित नहीं है ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आप यह संकल्प जनहित में ला रहे हैं ।

श्री विष्णु मोदी : मैं राजस्थान के हित की बात कर रहा हूं । आप अपने हित की बात कर रही हैं, मैं राजस्थान के हित की बात कर रहा हूं ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : बन्धुवर, आपने एक असत्य संभाषण किया और केवल आप अपने हित की बात कर रहे हो...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजें । समय जाया नहीं करे आप ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, फिर इसकी जांच कराएंगे और इस असत्य पर जो भी इनके खिलाफ कार्यवाही हो, वह करने देंगे । आपको मालूम नहीं, सबको मालूम है, सदन को मालूम है कि विष्णु मोदी और मोदी परिवार के कितनी खानें हैं ।

श्री विष्णु मोदी : हां, होंगी ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : 200 से अधिक खानें हैं, मैं बताऊं ।

श्री विष्णु मोदी : 500 बताओ ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैंने एक प्रश्न के उत्तर में पूछा था ।

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल : जो ये बता रही हैं वह नहीं है । हमारे सवाई माधोपुर जिले के अन्दर एण्टी डेकोइटस प्रोग्राम के नाम पर जो सड़कें बनी थीं, आज वे सड़कें इसीलिए बंद हैं कि सारी की सारी रिजर्व फोरेस्ट के अन्दर है । भारत सरकार ने उसके लिये भी पैसा दिया था । इसलिए इसकी आवश्यकता जरूरी है ।

श्री विष्णु मोदी : और मैं जो बात कह रहा हूं वह खान के लिये नहीं है । मैं अपनी खान की बात नहीं कर रहा, आप सुनिए जरा ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आपके बारे में मेरी जितनी जानकारी है, आपकी खानें हैं ।

श्री विष्णु मोदी : ठीक हैं, आप पेश कर दीजिएगा जानकारी ।

श्री अध्यक्ष : बिराजिए । बिराजें आप ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय सदस्य, मुझे खेद है कि आपने इस सदन में असत्य संभाषण किया ।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें ।

श्री विष्णु मोदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह संकल्प इस बात का है कि भारत सरकार ने कुछ इस तरह के कानून बनाये है, उन कानूनों से राजस्थान ही नहीं, बाकी राज्य सरकारों के ऊपर भी एन्क्रोचमेंट हुआ है । माननीय अध्यक्ष महोदय, फोरेस्ट पहले स्टेट लिस्ट में था लेकिन42वें अमेंडमेंट के बाद में उसको कानकरेंट लिस्ट में रख दिया । मैं इस संकल्प के माध्यम से इस सदन को यह बताना चाहता हूं कि 1978 में स्टेट लिस्ट से हटाकर कानकरेंट लिस्ट में फोरेस्ट लाया गया और 1980 में फोरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के नाम से भारत सरकार ने एक एक्ट बनाया, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सर्वविदित हैं कि जो स्टेट सब्जेक्ट है उसमें सेन्ट्रल गवर्नमेंट अगर सेन्ट्रल लॉ बना देती है तो वह स्टेट लॉ को सुपरसीड करता है । मेरा इस संकल्प के माध्यम से इस सदन को यह अवगत करना है और मैं सदन से यह उम्मीद करता हूं कि इस बात को समझने के बाद इसको पारित करें जिससे कि हम भारत सरकार के पास जाकर इस बात को रखें कि इन कानूनों से राजस्थान की विकास की गति अवरुद्ध हो रही है ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, सन 1980 में जो फोरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट आया, उस फोरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट से यह स्थिति बनी कि आज चाहे सड़क हो, चाहे बिजली की लाइन हो, चाहे इरिगेशन का डैम को, चाहे और किसी तरह की विकास की स्थिति हो, जब तक हम भारत सरकार से पहले एप्रूवल नहीं ले लेंगे, उसके अन्दर हम कुछ कार्यवाही नहीं कर सकते । बीसलपुर बांध जिससे जयपुर में भी पानी आना है और जिससे अजमेर की समस्या जुड़ी हुई थी, उस बांध का काम भी राजस्थान फोरेस्ट डिपार्टमेंट ने बन्द करा दिया था । माननीय हरिदेव जी जोशी ने अजमेर में

(श्री विष्णु मोदी)

मीटिंग लेकर इस बात का फैसला किया कि नहीं, यह फोरेस्ट में नहीं आता। 1980 में जब फोरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट आया, मेरा यह आरोप है कि राजस्थान का फोरेस्ट डिपार्टमेंट हो, चाहे और कहीं का फोरेस्ट डिपार्टमेंट हो, उसकी इंटिग्रिटी राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट से नहीं जुड़ी हुई थी, वह अपनी इंटिग्रिटी सीधे सेंटर से जोड़ने की कोशिश करता है। उस. का कारण यह है कि फोरेस्ट एक्ट 1980 में आया और एन्वायरमेंट एक्ट 1986 में आया। जब एन्वायर्नमेंट एक्ट 1986 में आया तब उसमें यह कहा गया था कि सिर्फ 20 आइटम्स को क्लीयरेंस लेनी पड़ेगी। लेकिन आज स्थिति इस एन्वायर्नमेंट एक्ट से यह बनी है, अलवर से आने वाले माननीय सदस्य को अच्छी तरह से जानकारी है कि अरावली के नाम से वहां पर कोई एक्टिविटी नहीं हुई हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब यह फोरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 आया तो फोरेस्ट डिपार्टमेंट ने सब जगह, राजस्थान में ही नहीं, पूरे हिन्दुस्तान में इस तरह से इसको डिफाइन किया कि फोरेस्ट में आप कहीं कुछ नहीं कर सकते। फिर कर्नाटक में, गुजरात में, हिमाचल में, महाराष्ट्र में उसका इलेबोरेशन हुआ। फोरेस्ट में कई कैटेगरीज हैं– रिजर्व फोरेस्ट प्रोटेक्टेड फोरेस्ट, अनप्रोटेक्टेड फोरेस्ट, क्लासिफाइड फोरेस्ट, सेंक्चुरीज। यह फोरेस्ट एक्ट 19"0, सिर्फ यह कहता है कि आप अदर दैन फोरेस्ट का कोई काम करेंगे तो गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया से एप्रूवल लेनी पड़ेगी। साथ में अगर आप फोरेस्ट को कम करेंगे अगर रिजर्व फोरेस्ट को आप कम करेंगे तो पहले आपको भारत सरकार की अनुमति लेनी होगी। इसका इन्टरप्रिटेशन यह किया गया कि फोरेस्ट को तो हम कम नहीं कर सकते। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं राजस्थान सरकार के वन मंत्री को, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं राजस्थान सरकार के मुख्य मंत्री को कि जब मैंने ये सारे एक्ट लाकर उनको दिखाये तो एम्पावर्ड कमेटी में इन्होंने इस मैटर को रेफर किया और माननीय वन मंत्री जी ने एक आदेश प्रसारित किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, 1957 में राजस्थान फोरेस्ट एक्ट बना हुआ है, एक पर्टीकुलर फोरेस्ट लैण्ड कैसे डिफाइन होगी, वह राजस्थान फोरेस्ट एक्ट बताता है और राजस्थान फोरेस्ट एक्ट में उसकी क्या प्रक्रिया होगी, वह भी बतायी गयी है। उसमें यह निर्णय राजस्थान सरकार ने लिया, जिसके लिये मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि अदर दैन रिजर्व फोरेस्ट के लिये तो स्टेट गवर्नमेंट ही एम्पावर्ड है कि वह उसको घटा भी सकतीहै, वह उसको बढ़ा भी सकती हैं। लेकिन साथ में, माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात का दुःख भी है कि माननीय वन मंत्री जी ने आर्डर निकाल दिये, राजस्थान सरकार ने टाइमबाउण्ड प्रोग्राम बना दिया लेकिन आज तक उस पर कोई निर्णय नहीं हुआ, एक एप्लीकेशन का भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे अहम और सीरियस मैटर यह है कि इण्डियन फोरेस्ट एक्ट 1927 का बना हुआ है और जब इतनी राज्य सरकारों ने फोरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट की विवेचना कर ली तब भारत सरकार 1927 के एक्ट को अमैण्ड करने जा रही है। 1986 में जब एन्वायर्नमेंट एक्ट लाने जा रही थी सरकार तो उन्होंने सारी स्टेट

(श्री विष्णु मोदी)

गवर्नमेंट से और पब्लिक रिप्रजेण्टेटिव्ज से आपत्तियां मांगी थीं। राजस्थान सरकार ने, राजस्थान से कम से कम 50 लोगों ने, एसोसिएशंस ने और दूसरे लोगों ने अपनी-अपनी आपत्तियां दर्ज करायीं, उनको सुना लेकिन एक नहीं मानी। जो इण्डियन फोरेस्ट एक्ट, 1927 है अब उसमें तो यहां तक की बात आयी है कि वन मंत्री भी अगर किसी बात को एप्रूव नहीं करेंगे या एप्रूव कर देंगे, तो भी वे भारत सरकार के वन मंत्रालय के अन्दर वहां के प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर को पत्रावली भेजेंगे। उस 1927 के एक्ट के अन्दर यह प्रोविजन भी किया गया है कि अब वह अदर दैन रिजर्व फोरेस्ट के अलावा भी उसको कम नहीं कर सकेंगे, जो पहले रिजर्व फोरेस्ट तक थी 1980 में। अब 1927 के एक्ट को अमेंड करने से राजस्थान सरकार का जो 1957 का राजस्थान फोरेस्ट एक्ट है वह बिलकुल इनइफैक्टिव हो जाएगा, फाड़ कर रद्दी की टोकरी में फैंकने लायक। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है आपके माध्यम से इस सदन को कि 1980 के एक्ट को रिव्यू किया जाए, 1986 के एन्वायर्नमेंट एक्ट को रिव्यू किया जाए और 1927 के इण्डियन फोरेस्ट एक्ट को जो अमेंड करने जा रहे हैं उसका अमेंडमेंट जिस तरह से केन्द्र सरकार ने प्रस्तावित किया है उस तरह नहीं करें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, माइन्स एण्ड मिनरल्स रेगुलेशन डवलपमेंट एक्ट, 1987 के अन्दर प्रोविजन है कि कुछ शिड्यूल्ड मिनरल्स है, कुछ नॉन-शिड्यूल्ड मिनरल्स हैं। लाइम स्टोन राजस्थान की एक विपुल खनिज सम्पदा है। जिसके ऊपर सीमेंट प्लांट लगे हुए हैं, पाइप लाइन में भी। उसके अन्दर अगर सीमेंट प्लांट लगेगा तो उसकी एप्रूवल पहले भारत सरकार से लेनी होगी। मैं समझता हूं कि राजस्थान सरकार की कम से कम 15 एप्लीकेशंस आज भी पेंडिंग भारत सरकार के पास हैं। मैं इस सदन के माध्यम से, आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि खनिज राजस्थान का है, उसकी सेक्शन अथोरिटी राजस्थान सरकार है लेकिन सिर्फ ये जो राइडर्स लगे हुए हैं उनसे राजस्थान का विकास ठप्प हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, इस माइन्स एक्ट के अन्दर रायल्टी रिवीजन का प्रोविजन है कि हर 3 साल में रायल्टी रिवाइज होगी। माइनर मिनरल्स के लिए तो राजस्थान सरकार एम्पावर्ड है, वह कर लेती है लेकिन मेजर मिनरल्स की रायल्टी का भारत सरकार वर्षों तक रिवीजन नहीं करती। माननीय उजला जी, रायल्टी अगर रिवाइज होगी तो राजस्थान के खजाने में पैसा आएगा, वह विष्णु मोदी की जेब में नहीं जाएगा। मैं इस रिजोल्यूशन के माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि ये जो राइडर्स लगे हुए हैं, ये भारत सरकार की एक मंशा हो गये हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज कोई देश दूसरे देश पर हमला करके कब्जा नहीं करता, उसकी जमीन पर कब्जा नहीं करता, आज बाजार व्यवस्था पर कब्जा हो रहा है। आज राजस्थान में आपके पास पांच-छह आयटम्स है, जिनसे कि आपकी रेवेन्यू आती है। ढाई साल से जब से मैं इस सदन में आया हूं, हमेशा संसाधनों की कमी का जिक्र होता है कि पैसा नहीं है,

(श्री विष्णु मोदी)

इस कारण कमी है। मैं आपके माध्यम से इस सदन से अपील करना चाहता हूं कि इस प्रस्ताव को पारित कर, राजस्थान के विकास में भारत सरकार के इस तरह के कानूनों से जो अवरोध हो रहा है उसको दूर करने का प्रयत्न करें।

श्री अध्यक्ष : बिराजिए। शिवनाथ सिंहजी।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अब तो अनुमति दें मुझे।

श्री अध्यक्ष : अभी तो इस पर बहस होगी।

श्रीमती उजला अरोड़ा : वे तो बोलकर खतम कर चुके हैं, अब मुझे बोलने दें।

श्री अध्यक्ष : इसी पर बोलना है आपको ?

श्रीमती उजला अरोड़ा : बहस हो गयी ना इस पर, उन्होंने विचार कर लिया।

श्री अध्यक्ष : इसी पर तो बहस करनी है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : पर्यावरण के सम्बन्ध में एक नया पैसा उस कोष में नहीं है, जिससे पर्यावरण का सुधार हो सके, न वायु के, न ध्वनि के....

श्री शिवनाथसिंह (गुढ़ा) : अध्यक्षजी, मैं निवेदन करना चाहता हूं....

श्री अध्यक्ष : आपको इसी पर बोलना है क्या ?

श्रीमती उजला अरोड़ा : इस विषय पर मैं भी बोल सकती हूं, क्या दिक्कत है आपको ?

श्री अध्यक्ष : हां, बुलवाएंगे आपको।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं बोल रही हूं। उधर से बोल चुके, इधर मैं बोल रही हूं।

श्री शिवनाथ सिंह : मुझे इजाजत मिल गयी है इसलिए आप मुझे बोलने दें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : काहे की इजाजत मिल गयी।... (व्यवधान) इजाजत कहां से मिल गयी ?

श्री अध्यक्ष : शिवनाथसिंहजी ने पहले कहा है कि मैं बोलना चाहता हूं। आप कुछ बोलना चाहें तो आप भी जरूर बोलना। शिवनाथसिंहजी।

श्रीमती उजला अरोड़ा : कहां बोलने दे रहे हैं आप ?

श्री शिवनाथ सिंह : आज सदन के सामने जो संकल्प आया है, इसको पेश करने वाले माननीय सदस्य ने कई कठिनाइयां बतायी हैं। वे कठिनाइयां हो सकती हैं और है भी, इसलिए उन्होंने यह दलील दी है कि भारत सरकार को हम फलां-फलां रूल्स को, एक्ट को निष्प्रभावी करने के लिए रिकमण्ड करें।

अध्यक्षजी, मैं सदन को याद दिलाना चाहूंगा कि यह समस्या राजस्थान की नहीं है, भारत की नहीं है बल्कि अन्तरराष्ट्रीय समस्या है। हम सबको ध्यान है कि रियो-डि-जेनरियो में सम्मेलन हुआ था और वहां

(श्री शिवनाथ सिंह)

संसार के सब देश इकट्ठे हुए थे। पर्यावरण की भयंकर चिंता थी इसलिए वहां संकल्प लिया गया कि हर राष्ट्र इस बात के लिए चेष्टा करेगा कि पर्यावरण में सुधार हो और पर्यावरण सुधारने के लिए जो भी उपाय हो, वे किये जाएं। पर्यावरण को सुधारने के लिए वनों का, वन सम्पदा का विस्तार एक मुख्य मुद्दा इसमें उठाया गया था। आज राजस्थान के सामने राजस्थान की जो खाने हैं उनकी कठिनाई हो सकती है लेकिन हमको अन्तरराष्ट्रीय जगत में रहना है, जीना है और हम पर्यावरण की दृष्टि से देश के अन्दर इस प्रकार की उपस्थिति पैदा नहीं करना चाहते जिससे हमारा जीना दूभर हो जाए। अध्यक्षजी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यदि यह संकल्प पास हो गया और सदन ने इस संकल्प को दिल्ली भेज दिया, जो माना जाने वाला नहीं है तो अन्तरराष्ट्रीय जगत में इस सदन की एक तस्वीर सामने आएगी कि हम क्या चाहते हैं।

हम पर्यावरण का सुधार करें, वनों का विस्तार करें, यह बात तो समझ में आने वाली है लेकिन खानों के नाम पर, विकास के नाम पर, सड़कों के नाम पर यदि हम वनों का नाश करते जाएंगे तो हमारे सामने विकट समस्या होगी। आज पहले से भी हमारे वन बहुत कम हैं। अन्तरराष्ट्रीय मापदण्ड के हिसाब से जो वन होने चाहिए, उस हिसाब से वन पूरे हिन्दुस्तान में नहीं हैं और हिन्दुस्तान में राजस्थान सबसे पिछड़ा हुआ है। यहां का वन क्षेत्र सबसे कम है और बहुत बड़े प्रयत्न किये जा रहे हैं। जापान की मदद से हमारे यहां अरावली परियोजना चल रही है, हम उसकी सराहना करते हैं। चाहे उसमें कितनी भी गड़बड़ हो, फिर भी वन क्षेत्र की बढ़ोतरी हो रही है और उससे हम पर्यावरण सुधारने के लिए आगे कदम बढ़ा रहे हैं। माननीय अध्यक्षजी, और भी कई माननीय सदस्य बोलने वाले हैं इसलिए मैं इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि यदि यह संकल्प सदन में पास होता है तो हमारे लिए बहुत बुरी बात होगी। सबसे पहले हमको पर्यावरण के मामले में सोचना चाहिए। सांस लेना आवश्यक है, खाना बाद में, इसलिए मैं इस संकल्प का पुरजोर शब्दों में विरोध करता हूं, सदन को यह संकल्प पास नहीं करना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : हां, अब आप फरमाएं, आपको कहना है उजलाजी ?

श्री माधवसिंह दीवान : अध्यक्ष महोदय, इसी संकल्प पर मेरे को बोलना है।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : अध्यक्ष महोदय, मैं नहीं जानती कि हम केन्द्र सरकार के कृत्यों का कहां तक आगे अनुपालन कर सकते हैं या क्या कर सकते हैं और भेजें भी तो उसका क्या हश्र होने वाला है। मैं कह रही हूं कि इसमें दोनों ही बातें हैं। अरावली पर्वत शृंखला में जिन-जिन लोगों का हित अटका है उनको इस सन्दर्भ में अपनी बात रखनी चाहिए। अन्यथा तो मैं कहती हूं कि पहाड़ियां काटनी ही नहीं चाहिए, वन और बढ़ने चाहिए तथा पर्यावरण में सुधार होना चाहिए। इसके लिए सरकार कोष स्थापित करे, कोई विभाग बनाए। पर्यावरण के

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

सम्बन्ध में जितनी चर्चाएं होती हैं उतना काम नहीं होता है। मैं पर्यावरण सुधार की हामी हूं, इसके लिए जो-जो कार्य करने चाहिए उनका एक तयशुदा कार्यक्रम बनाना चाहिए और उसको कार्यान्वित करना चाहिए कि एक पहाड़ी न कटे, दो पहाड़ी न कटे। मैं तो सोचती हूं कि जयपुर का घाटगेट ही बहुत बुरा लगता है, पूरी घाटी की पहाड़ियां काट दीं। राहोली में हमने वन लगायें, वन लगाने के बाद एक कमेटी बनायी, केंद्र सरकार की उस कमेटी में करोड़ों रुपयें खर्च किये और अब यह तय हो गया कि राहोली की पहाड़ी काट दी जाए। उसको काटकर जब नटाटा की पहाड़ी काटने लगे तो वहां के स्थानीय लोगों को ही बर्बाद करने लगे। बोले, यहां से काटा तो तुमको लीज लेकर जाना पड़ेगा। बहुत अच्छी बात है। मैं इस सम्बन्ध में ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहती हूं, दोनों ही उलझे हुए मामले हैं। माननीय मोदी जी अपने हित में लाये हैं, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप भेजें तो भेजें, पास करें तो करें, मैं तो इसमें कुछ नहीं बोलूंगी।

श्री अध्यक्ष : एक मिनट, दीवान साहब बोल रहे हैं ? बोलिए।

श्री माधवसिंह दीवान (सोजत) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के लिए अगर कोई हाइएस्ट प्रायोरिटी आइटम है तो "ज्यादा पेड़ और कम बच्चे" है। ज्यादा पेड़ का जहां सवाल उठता है, तो जो फोरेस्ट की जमीन थी वह भी इतनी डिप्लीट हो गयी कि अधिकतर गंजे सिर के समान ही रह गये हैं। यह तो टी.एन. शेषन साहब का भला हो कि 1980 में उन्होंने सेण्ट्रल गवर्नमेंट को और सबको कन्विंस करके यह अमेण्डमेंट जारी किया। (व्यवधान) एन्वायर्नमेंट के अन्दर बिलकुल क्लीयर है कि सारी जमीन का 33 प्रतिशत फोरेस्ट होना चाहिए। यह एन्वायर्नमेंट एक्ट आने के बाद फोरेस्ट की बाउण्ड्री तय होनी शुरू हुई। आज भी फोरेस्ट और रेवेन्यू की बाउण्ड्री के बारे में पता ही नहीं है कि फोरेस्ट की बाउण्ड्री कहां तक है और रेवेन्यू की बाउण्ड्री कहां तक है। यह तय होने के बाद फोरेस्ट में कुछ काम होना शुरू हुआ और फोरेस्ट बेचना बन्द हुआ। बड़े क्लीयर प्रावधान हैं, माइन्स वालों को कहां तकलीफ है, अगर कोई रिजर्व फोरेस्ट में या दूसरी जगह भी माइन्स लगाना चाहे तो कम्पनसेटरी फोरेस्ट का प्रावधान है। कम्पनसेटरी फोरेस्ट का प्रावधान है कि आप अगर 50 बीघा फोरेस्ट लैण्ड लेना चाहें तो आप 50 बीघा दूसरी जमीन खरीदकर फोरेस्ट डिपार्टमेंट को दीजिए, उसके अन्दर जो पेड़ लगे उसका खर्चा दीजिए। जो माइंस लेना चाहते हैं अगर वे नहीं देंगे तो क्या कोई जनता के टैक्स से दिया जाएगा। सारे प्रावधान मौजूद हैं, माइंस उद्योग को कहीं कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा है। सिर्फ पैसा बचाना चाहते हैं कि कम्पनसेटरी फोरेस्ट का पैसा क्यों दें, जमीन खरीदकर फोरेस्ट डिपार्टमेंट का क्यों दें। बड़ा क्लीयर एक्ट है, सारे स्टेट्स में इस तरह से काम हो रहा है। इन माइंस वालों से यह तो पूछिये कि अभी माइंस का हाल क्या है। राजसमद में जाइये, जहां कलस्टर आफ माइंस है, सारी पहाड़ी बर्बाद कर दी, सारे एन्वायर्नमेंट की ऐसी की तैसी कर दी।

(श्री माधवसिंह दीवान)

वहां पर कोई सड़क कहां बनेगी, ओवरबर्डन कहां डाला जाएगा ...

श्री टीकमचन्द कान्त : अध्यक्ष महोदय यह "ऐसी-तैसी ठीक है क्या ? दीवान साहब, यह ऐसी-तैसी बराबर है, असंसदीय तो नहीं है ?

श्री माधवसिंह दीवान : यह अनपार्लियामेंट्री तो है नहीं ?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : नहीं डिक्शनरी में भी यह शब्द है ।

श्री टीकमचन्द कान्त : धारीवाल साहब, न तो आपको ऐसी से मतलब है, न तैसी से मतलब है, वैसे आप तो हमेशा ऐसी-तैसी ही करते रहते हैं ।

श्री अध्यक्ष : बिराजिए-बिराजिए ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : ऐसे, वैसे हो गये और ऐसे-वैसे, कैसे-कैसे हो गये ।

श्री अध्यक्ष : यह डिबेट का कोई पाइण्ट नहीं है, बिराजिए आप ।

श्री माधवसिंह दीवान : अध्यक्ष महोदय, इसलिए सारा एक्ट बिलकुल सही है । सारे रूप से फोरेस्ट बढ़ रहे हैं आज समस्या इस बात की है कि फोरेस्ट लैण्ड पर अधिक फोरेस्ट कैसे लगाए इसलिए इस सदन को यह संकल्प किसी भी हालत मेंपास नहीं करना चाहिए, नहीं तो राजस्थान की हालत बिगड़ी हुई से और अधिक बिगड़ जाएगी ।

श्री अध्यक्ष : बिराजिए ।

श्रीमती कमला (बैराठ) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो संकल्प प्रस्तुत हुआ है उसमें कई बिन्दु तो माननीय सदस्यों ने बताये हैं लेकिन एक मुख्य बिन्दु इसके अन्दर यह है कि संकल्प... (व्यवधान)

आप क्यों बीच-बीच में बोले जा रही हैं, आज क्या कुछ खाकर आयी हैं क्या ?

श्रीमती उजला अरोड़ा : बहिनजी, मैं आपसे नहीं बोल रही हूं । मैं मोदीजी से कह रही हूं कि एक ही समर्थक । ...

श्रीमती कमला : बैठे-बैठे मत बोलिए

श्रीमती उजला अरोड़ा : अच्छा, ठीक है । मैं माफी चाहती हूं ।

श्री अध्यक्ष : बिराजिए, बिराजिए ।

श्रीमती कमला : संकल्प-प्रस्तुतकर्ता ने जो मंशा जाहिर की है कि यह भारत सरकार की सेण्ट्रल लिस्ट या कानकरैण्ट लिस्ट में नहीं रह कर स्टेट लिस्ट में आ जाना चाहिये, सबसे ज्यादा चिन्ताजनक बात यह है । इसलिए है कि आप और हम सब जानते हैं कि स्टेट्स सब्जैक्ट्स के अन्दर लोकल प्रैशर्स कितने काम करते हैं । आज क्योंकि यह भारत सरकार के ऊपर निर्भर है तो बहुत कम, कोई मुद्दा तैयार होकर यहां से जाता है, भारत सरकार से परमिशन लेने हेतु और उसमें भी आधा पास होता है आधा नहीं होता है, तो ये फोरेस्ट बचे हुए हैं । अगर राज्य सरकारों के अधीन इसको कर दिया गया और इनको यह पावर्स दे दी गई तो चाहे कितना ही मुख्य मंत्री चाहें, कितना ही वन मंत्री चाहे और

(श्रीमती कमला)

कितना ही केबिनेट चाहे, इतने लोकल प्रेशर्स आएंगे कि सचमुच में यहां पर जो फोरेस्ट आज लगे हुए दिख रहे हैं उनकी भी हालत खराब हो जानी है। इसलिए मेरा यह निवेदन है, अगर सड़क ले जाने में कोई दिक्कत है, वाटर पाइप लाइन ले जाने में कोई दिक्कत है, अगर बंधा बनाने में कोई दिक्कत है तो स्पेसिफिक केसेज बनाकर राजस्थान सरकार या कोई भी सरकार, उनके मुख्य मंत्री जाकर भारत सरकार को उसकी उपयोगिता और उसकी बहुत महत्वपूर्ण आवश्यकता बताएं अगर ऐसा बताएंगे तो भारत सरकार उसकी परमिशन स्पेशली दे देगी। लेकिन आप उसको अपने अधीन लेना चाहते हैं तो यह तो आप खुद ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने का काम करेंगे, इसलिए इतना वाइड स्कोप का यह जो आप संकल्प लाये हैं यह कतई तौर पर उपयोगी नहीं है, यह अपने लिये घातक है, इसको तो मंजूर करना सम्भव नहीं है।

श्री अध्यक्ष : हां।

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल (गंगापुर) : अध्यक्ष महोदय, सवाईमाधोपुर जिला और धौलपुर जिला डाकूग्रस्त जिला है। इस जिले के अन्तर्गत इस समस्या के समाधान के लिए 1987 में भारत सरकार ने सड़क निर्माण के लिए एक प्रोजेक्ट तैयार करवाया और करोड़ों रुपया उस प्रोजेक्ट के लिये दिया फिर 1987 के अन्दर एंटी डकैती का एक डिवीजन करौली में खोला और एक धौलपुर में खोला। धौलपुर में और करौली में खोलने के बावजूद भारत सरकार ने जो पैसा दिया उस पैसे से हमारे यहां पर एक फोरेस्ट का रिजर्व क्षेत्र है, जो डकैत क्षेत्र है, इसके अन्तर्गत सड़कों का निर्माण कराना चालू किया। अध्यक्ष महोदय, ठेकेदारों ने ठेके ले लिये, उन्होंने काम चालू कर दिये करोड़ों रुपया उन सड़कों के नाम पर लगा दिया, अर्थ वर्क कर दिया, मिट्टी का काम कर दिया और जो रोड पर लेयर बिछाने का काम था–वह भी उन्होंने कर दिया। कुछ दिनों के बाद जो नियम आज आपके सामने रखा गया है, यह नियम ठेकेदारों ने फोरेस्ट विभाग को बताया और फोरेस्ट विभाग ने उनके कहने के आधार पर कोर्ट से स्टे ले लिया। आज हमारे सवाईमाधोपुर जिले में धौलपुर में फोरेस्ट के अन्दर, स्थिति यह बन गयी है कि वहां पर किसी भी तरह का विकास नहीं हो सकता। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह नहीं चाहता कि वनों का विकास नहीं हो, मैं नहीं चाहता कि पर्यावरण की जो समस्या है वह दूर नहीं हो, मेरा निवेदन इसके अन्दर इतना ही है कि भारत सरकार ने पैसा दिया, भारत सरकार ने ही सब कुछ उसके लिये किया, आज माननीय मोदीजी ने जो संकल्प आपके सामने रखा है, इसमें संशोधन करते हुए इस तरह सड़क वगैरह का निर्माण जो हो सकता है, जिस काम से उस क्षेत्र का विकास हो सकता है, उसके लिये तो कम से कम इसके अन्दर संशोधन प्रस्तुत करें।

श्री अध्यक्ष : श्री हरिसिंहजी।

श्री हरिसिंह (महुआ) : अध्यक्ष महोदय, यह जो संकल्प पुष्कर से आने वाले माननीय सदस्य ने प्रस्तुत किया है, मैं इसके पक्ष में अपना अभिमत प्रकट करता हूं। पक्ष में। पक्ष में अभिमत प्रकट करने का कारण यह है, अध्यक्ष महोदय, कि राजस्थान हिन्दुस्तान के उन भाग्यशाली प्रांतों

(श्री हरिसिंह)

में नम्बर दो पर टिकता है जहां सबसे ज्यादा मिनरल्स हैं और कई मिनरल तो ऐसे हैं जिन पर हमारी मोनोपोली है। अध्यक्ष महोदय, मिनरल्स 99 पर्सेंट वहां हैं जहां पहाड़ हैं। हमने, आज हम किसी व्यवस्था को दोष दें, जब वन काटे तो अंधाधुंध कटाई की तब भी हम एक्सट्रीम पर थे और जब वनों की सुरक्षा का और पर्यावरण की सुरक्षा का प्रश्न आया तो भी हम एक्सट्रीम पर पहुंच गये। बिना यह ख्याल किये कि इनसे हमारे उद्योगों पर हमारी माइंस पर क्या असर पड़ेगा।

अध्यक्ष महोदय, पिछली बार विधान सभा में तिजारा से आने वाले माननीय सदस्य ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से "तरूण भारत संघ" के खिलाफ एक मामला यहां पर उठाया। "तरूण भारत संघ" अलवर की जो अरावली हिल्स हैं उनकी सुरक्षा के लिये सुप्रीम कोर्ट गया। कोई एतराज नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया कि अलवर जिले में जो अरावली हिल्स हैं वहां पर कोई किसी प्रकार के डवलपमेंट के काम नहीं होंगे—बिजली का खम्भा भी नहीं बनेगा, कम्युनिटी हॉल भी नहीं बनेगा, स्कूलों के भवन भी नहीं बनेंगे, सड़कें भी नहीं बनेंगी। अब एक तरह से इसमें हम एक्सट्रीम पर पहुंच गये, पूरा जन-जीवन इससे दूभर हो गया। वह जो डिसीजन हुआ, उसकी आड़ में सैण्ट्रल गवर्नमेंट ने दो आर्डिनेंस निकाल दिये—एक फोरेस्ट डिपार्टमेंट ने और एक पर्यावरण डिपार्टमेंट ने। मुख्य मंत्रीजी, मैं आपको याद दिलाना चाह रहा हूं, आपने "तरूण भारत संघ" के कार्यकलापों की जांच के लिये सदन के कुछ माननीय सदस्यों की एक कमेटी बनायी। मैं उस कमेटी का मेम्बर था, हमने कितना भी जोर लगाया, आपकी गवर्नमेंट की मशीनरी ने कितना भी जोर लगाया, "तरूण भारत संघ" के कागज यहां तक नहीं आ सके। वह एन.जी.ओ. है और उस समय विदेशों से उस संस्था को चार करोड़ रुपया इस बात का मिला था कि किसी भी रास्ते से अलवर की जो मार्बल की खानें हैं वे बन्द करवा दो। उस चक्कर में अलवर की चार सौ मार्बल की खानें बन्द हुई जो कि वहां टाइगर प्रोजेक्ट की पैरीफेरी में थीं। टाइगर प्रोजेक्ट के अन्दर नहीं थीं, उसके समकक्ष एरिया में थीं मुख्य मंत्रीजी, मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि उसी "तरूण भारत संघ" ने अब अपने डैने फैलाकर दौसा जिले में कोई प्रोजेक्ट लिया है। हमें आशंका है, पहले तो इसको चार करोड़ रुपये मिला था और मैंने सुना है कि अब तीस करोड़ रुपये का कोई प्रोजेक्ट लाये हैं, ये लोग स्वीडन और डेनमार्क से। इस प्रकार की संस्थाएं जो इस ढंग से काम कर रही हैं फोरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट और पर्यावरण की आड़ में, यह हमारे माइनिंग उद्योग को बन्द करने की एक साजिश है। विदेशों में इटली से हमारा काम्पीटीशन था मार्बल का और मार्बल विदेशों में हम भेज रहे थे। मुझे पूर्ण आशंका है कि "तरूण भारत संघ" ने विदेशी व्यापारियों के सहयोग से इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट को एप्रोच किया और गवर्नमेंट ने इस प्रकार के आर्डिनेंसेज निकाले। मैं आपसे अर्ज करता हूं, मुख्य मंत्रीजी, कि भिवाड़ी से करौली तक जो सड़क बन रही है, दोनों आर्डिनेंसेज की आड़ में वहां के ठेकेदार ने पूरा मैटीरियल

(192)

(श्री हरिसिंह)

अरावली हिल्स से उठाया। आप कुछ नहीं कर सकते थे, वह कोर्ट में जाकर केस जीत जाता। उसने 24 करोड़ रुपये का एक्सट्रा आइटम बिल पेश कर दिया कि यहां पर माईनिग पर रोक लगी हुई है इसलिये इस सड़क निर्माण के लिये जितना भी मैटीरियल है वह मैं हरियाणा के गुड़गांवा से और भरतपुर के पहाड़ी और नगर से लाया हूं। 24 करोड़ रुपये का एक्सट्रा आइटम बिल पेश कर दिया। यह संकल्प अगर इस लिहाज से आया है कि विकास, फोरेस्ट और पर्यावरण इन सबकी सुरक्षा में एक सामंजस्य, एक संतुलन स्थापित किया जाए, एक पालिसी निर्धारित की जाए, जिससे न तो माईनिग का नुकसान हो, न ही उद्योगों को नुकसान हो और हमारे पर्यावरण को हमारी वन सम्पदा को भी नुकसान नहीं हो, तो मैं आपसे यह अर्ज करूं कि इस पूरे को आप दिखवाइये। चाहे यह संकल्प पारित हो या नहीं हो, लेकिन आप इस पूरे प्रकरण को दिखवाइये।

मैं साथ ही एक और अनुरोध कर रहा हूं कि हमारी पहाड़ियों के नीचे, जहां कहीं भी पहाड़ हैं उनके नीचे कटी–फटी जमीन बहुत है, जो रेवेन्यू में है, फोरेस्ट में नहीं दी। ऐसी कटी–कटी सम्पदा जो हमारे पास है, जो सिवायचक है अगर हम उसको फोरेस्ट को ट्रांसफर करके हमारी खनिज सम्पदा के पहाड़ हम वापस ले लेते हैं बदले में, तो इससे हमारे को किसी प्रकार का कोई नुकसान होने वाला नहीं है। माइन्स में पूरा पहाड़ नहीं खोदा जाता और मिनरल तो एक पर्टीकुलर वेन में निकलता है। उस वेन में से अगर हम हमारा मिनरल एक्सकेवेट करें और उनके बदले में अगर दस गुना और लैंड दे दें फोरेस्ट को तो भी कोई नुकसान नहीं है। हमारी माइन्स भी बची रहेंगी, हमारा फोरेस्ट का एरिया भी डवलप होगा। मैं इसी अनुरोध के साथ में, मुख्य मंत्रीजी, पुनः आपको अनुरोध करूं कि इन दोनों में सामंजस्य स्थापित करने के लिये आप सरकारी स्तर पर इस मामले को दिखवाएं और केन्द्र सरकार को निश्चित रूप से अपने अभिमत की जानकारी प्रदान करें।

श्री अध्यक्ष : श्री परसादीलाल जी मीणा।

श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) : अध्यक्ष महोदय, विष्णु मोदीजी जो एक संकल्प लाये हैं मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री विष्णु मोदी : मेरा विरोध या संकल्प का ?

श्री परसादीलाल मीणा : संकल्प का विरोध करता हूं मैं।

श्री हरिसिंह (महुआ) : आज पहली बार हम दोनों में विमत पैदा हुआ है।

श्री परसादीलाल मीणा : विष्णुजी ने इसमें लिखा है कि आर्थिक और औद्योगिक विकास में इससे रुकावट आ रही है। आज भारत सरकार हो, चाहे राजस्थान सरकार हो, फोरेस्ट का डवलपमेंट जिस तरह से किया जा रहा है, चाहे अरावली की पहाड़ियां हों, सवाईमाधोपुर की हों, चाहे अलवर का सरिस्का हो, अध्यक्ष महोदय, अगर इसमें छूट मिलती है तो हमारे वन्य जीव जो प्रायः समाप्त

(श्री परसादीलाल मीणा)

हो गये हैं उनका क्या होगा ? ये माइन्स वाले सारे वन्य जीवों को नष्ट करवा देंगे।

मुख्य मंत्रीजी को पता है कि अरावली डवलपमेंट के लिये हम ने कर्जा लिया है, जापान की टीम राजस्थान में देखने आती है कि कैसा फोरेस्ट का डवलपमेंट यहां हुआ है। अगर इस संकल्प के द्वारा उसमें हम छूट देते हैं, अगर इसमें कोई संशोधन होता है तो भारत सरकार राजस्थान सरकार का जो धन लगा है वह सारा बेकार चला जाएगा और वन्य जीवों का नाश हो जाएगा। आम जनता इस फोरेस्ट एक्ट के सम्बन्ध में कोई भी विचार करने को तैयार नहीं है। आज आप कहीं भी चले जाइये, सारी पहाड़ियां नंगी हो गयीं, एक पेड़ नहीं कहीं पहाड़ों में। मेरे इलाके में पहाड़ ही पहाड़ हैं, कहीं पहाड़ पर एक पेड़ 10 साल पहले नहीं दिखाई देता था, आज फिर पहाड़ों का डवलपमेंट हुआ है। आज जो बारिश नहीं हो रही है उसका क्या कारण हैं ? आज आसाम में क्यों ज्यादा बारिश होती है ? दूसरी जगह पर फोरेस्ट हैं वहां पर क्यों ज्यादा बारिश होती है ? आज से 50 साल पहले आप को गांव–गांव में, घर–घर में वन्य जीव मिल जाया करते थे, कि शेर फलां गांव में आ गया, फलां गांव में फलां जानवर आ गया, आज कहीं हम को देखने को नहीं मिलता। ये सारे नष्ट हो जाएंगे कुछ पूंजीपतियों के स्वार्थ के कारण। यदि हम ने इस संकल्प को पास किया तो राजस्थान की जनता, अध्यक्ष महोदय, हम को बख्शेगी नहीं। जैसा कि माननीय शिवनाथ सिंहजी ने कहा, पर्यावरण पर सारे विश्व को चिंता है। सारे विश्व के नेताओं ने बैठ कर, सारे विश्व के वन मंत्रियों ने बैठ कर इस पर विचार किया है और यह संकल्प किया है कि हम पर्यावरण को नहीं बिगड़ने देंगे। अगर पर्यावरण का संतुलन बिगड़ गया तो, विष्णुजी मोदी, न तो आप जिन्दा रहेंगे और न आइन्दा आप का और दूसरा कोई इस बात को कहेगा। इसलिये मैं आप को कहना चाह रहा हूं, मुख्य मंत्रीजी, आप किसी के दबाव में नहीं आएं। फोरेस्ट का, बाणगंगा परियोजना का हम को 300 करोड़ रुपया मिला है, मोरेल परियोजना का जो पैसा मिला है उस पैसे का क्या होगा ? आज हमने इतना विकास किया है। मुख्य मंत्रीजी, मेरी आप से प्रार्थना है कि आप किसी भी पूंजीपति के दबाव में नहीं आएं। जो यह फोरेस्ट एक्ट लागू हुआ है, मेरा अभिमत है, सभी माननीय सदस्यों से मेरा निवेदन है कि किसी भी कीमत पर संकल्प को पास नहीं होने दें।

श्री अध्यक्ष : श्री शांतिकुमार जी धारीवाल।

श्री शांतिकुमार धारीवाल (हिण्डौली) : अध्यक्ष महोदय, यह जो संकल्प पुष्कर से आने वाले माननीय सदस्य द्वारा रखा गया है, उन्होंने पूरा जोर दिया है कि यह संकल्प यहां से पास हो। कुछ माननीय सदस्य इसके विरोध में भी बोले, कुछ पक्ष में भी बोले। मैं बीच की राह अपनाता हुआ इसमें कुछ संशोधन .. (व्यवधान)....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने विष्णु मोदीजी का साथ छोड़ दिया ?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : नहीं,

(194)

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

साथ पक्का है लेकिन प्रजातांत्रिक आदमी हूं। मैं इसमें कुछ मामूली से संशोधन प्रस्तुत करना चाहता हूं। स्पेसिफिक आइटम्स के बाबत हमें यह चाहिये ...

श्रीमती उजला अरोड़ा : संशोधन का समय ही चला गया, आप सोचकर संशोधन रखें। इसका समय चला गया।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : सुनिये आप, माताजी। माताजी, आपके हाथ जोड़ूं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आप माताजी कहो, दादीजी कहो, इसकी परवाह नहीं करती लेकिन जो प्रक्रिया के नियम हैं, संशोधन का अभी समय है क्या बाकी ? है क्या बाकी जो आप मूव करा रहे हैं ?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आप न तो बेटे को छोड़ रही हो, न ग्राण्डसन को छोड़ रही हो।

श्री अध्यक्ष : कोई बात कह रहे हैं, बात से ही संशोधन है। संशोधन मूव नहीं कर रहे। बिराजें आप।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : बात सुनो तो सही आप। आपने इनकी भी बात सुन ली....(व्यवधान)...

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं प्रक्रिया के नियमों पर बात कर रही हूं मुझे कोई इस बात से नहीं है कि आप क्या बोल रहे हैं। आपने कहा कि मैं संशोधन मूव करता हूं। संशोधन का समय नहीं है, यह मेरा कहना है।

श्री अध्यक्ष : कृपया बिराजें।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : हाथ जोड़ लिये।

अध्यक्ष महोदय, मैं इसमें मामूली–से संशोधन इस प्रकार से रखना चाहता हूं कि इन स्पेसिफिक आइटम्स के बाबत केन्द्र सरकार को लिखा जाना चाहिये। मुख्य मंत्रीजी, उन पर आप अपना पूरा प्रभाव और दबाव दोनों काम में लेते हुए....

श्री माधवसिंह दीवान : आजकल है प्रभाव।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : हां, आजकल प्रभाव बढ़ रहा है केन्द्र सरकार पर।

एक माननीय सदस्य : पहले ?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : पहले भी थी।

श्री रतनलाल ताम्बी : पहले से बढ़ा है या घटा है ?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : इसका आकलन करना पड़ेगा, मूल्यांकन करना पड़ेगा।

स्पेसिफिक आइटम्स के बाबत आप उन पर दबाव डालें। विपुल सम्पत्ति, वन सम्पदा जो आपने नक्शों में बता रखी है, उसमें दबी हुई है। कौनसा ऐसा मिनरल है जो आज फोरेस्ट में नहीं है ? और वहां पर पेड़ भी नहीं हैं, अगर पेड़ हो तो आप बता दें। मैं आप को हजारों इलाके राजस्थान की धरती पर बता सकता हूं जिनको कि आपने ख्वाहमख्वाह नक्शों में फोरेस्ट

195

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

बता रखा है और जहां पर पेड़ लग ही नहीं सकते, पत्थर ही पत्थर हैं। और, साहब, खनिज ? खनिज तो पहाड़ों पर ही मिलेगा, और कहां मिलेगा ? किसी के मकानों में मिलेगा क्या खनिज ? अगर इस खनिज सम्पदा का वाकई उपयोग करना है, हमें हमारी रेवेन्यू बढ़ानी है, बेरोजगारों को रोजगार देना है तो हमें इस दिशा पर काम करना पड़ेगा। यह तो खुशकिस्मती की बात है, मुख्य मंत्रीजी, अपनी कि अपने यहां न तो कोई सुन्दरलाल बहुगुणा पैदा हुए और न मेधा पाटेकर और बाबा आम्टे हुए वरना यह बीसलपुर भी नहीं बन पाता। ....(व्यवधान).... आप हर जगह, हर जिले में देख लीजिये आप, ये आपत्तियां आती हैं कि, साहब, अब सड़क आगे नहीं बन सकती क्योंकि फोरेस्ट की लैण्ड आ गयी, यहां पर पोल गाड़ नहीं सकते क्योंकि फोरेस्ट की लैण्ड आ गयी। ये छोटे–छोटे मामले आपके विकास को अवरुद्ध करते जा रहे हैं और अंधाधुन्ध नुकसान आज रेवेन्यू को उठाना पड़ रहा है। धौलपुर थर्मल का क्या हुआ ? एक बार तो पर्यावरण ने उसको इजाजत दे दी लेकिन जब वह नेपथ्य पर गया कोल से फिर अटक गया मामला।

श्रीमती उजला अरोड़ा : वहां ताज-महल का मामला अटक गया। वह किन्हीं दो व्यक्तियों की यादगार है और ज्यादा महत्वपूर्ण है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : यह दूसरा ताज, सुन लो आप... आप उस ताजमहल को कह रहे हो जो शाहजहां ने बनवाया था ..

श्रीमती उजला अरोड़ा : विश्व के इतिहास में ऐसे स्मारक नहीं हैं। समझ गये आप ?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : माताजी, यह दूसरे ताज का किस्सा सुन लो आप। वे शाहजहां को अभी तक याद कर के बैठी हैं।

माननीय मुख्य मंत्रीजी, बूंदी में आज के 10 वर्ष पूर्व जेत सागर पर ताज होटल वालों ने एक जमीन एप्लाई की। 14 बीघा जमीन वे चाहते थे, राजस्थान की सरकार उनको साढ़े बारह बीघा जमीन देने को तैयार थी। सिर्फ डेढ़ बीघा जमीन पहाड़ के ऊपर की जिसमें कोई वन सम्पदा नहीं, उससे उनका प्रोजेक्ट अटका रहा। अगर वह फाइव स्टार होटल बूंदी में आता तो ओबेराय भी आता और पर्यटन का विकास होता ओबेराय ने फूल सागर खरीद लिया। आप खुद अच्छी तरह से जानते हैं कि दुनिया की कोई इंडस्ट्री ऐसी नहीं है जो पर्यटन से ज्यादा रोजगार उपलब्ध करवा सकती है। यह नुकसान किसे उठाना पड़ रहा है ? विरोध करने वालों ने विरोध कर लिया लेकिन असलियत यह है कि जो लैण्ड हमारे पास उपलब्ध है पहले हम उस पर तो फोरेस्टेशन कर लें। जो उद्योग यहां पर विद्यमान हैं, पहले उनका तो पर्यावरण का सुधार कर लें। तो, हमें इन बातों को देखना होगा और इस बात पर पुनर्विचार के लिए दबाव डालना होगा। फर्क इतना-सा ही है, मुख्य मंत्रीजी, कि जब कभी आप दिल्ली पधारते हैं तो इस फाइल को लेकर नहीं पधारते हैं दिल्ली जाते ही आप की प्राथमिकताएं दूसरी हो जाती हैं,

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

जनपथ पर चलते-चलते आप राजपथ की तरफ मुड़ जाते हैं।

श्री अध्यक्ष : जनपथ से राजपथ की तरफ ही मुड़ जाता है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : जनपथ पर ही चलना होगा हम जनप्रतिनिधियों को।

अध्यक्ष महोदय, मैं खतम कर रहा हूं। आपके माध्यम से निवेदन है माननीय मुख्य मंत्री महोदय से और वन मंत्री महोदय से, ये दोनों होशियार हैं... (व्यवधान)..

एक माननीय सदस्य : माताजी ?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : माताजी को तो ....(व्यवधान).... यह बन्द होनी चाहिये, कर दो न बन्द बाबा।

मेरा आपके माध्यम से यह निवेदन है कि इस पर पुरजोर दबाव डालकर कुछ स्पेसिफिक आइट्म्स को इस एक्ट में से डिलीट करवाना पड़ेगा। इस एक्ट को केन्द्रीय सरकार पर दबाव डालकर चेंज करवाना पड़ेगा, जहां केन्द्रीय सरकार को आर्थिक नुकसान होता हो। जहां पर भी रोजगार के साधन उपलब्ध होते हों, माइन्स हो, चाहे डैम्स हो, जो भी हो, उनको क्लियर करवाने के लिये जब तक इस बात पर हम दबाव डालकर इनको पूरा नहीं करवाएंगे हमारा आर्थिक विकास अवरुद्ध रहेगा। मैं आपको धन्यवाद दूंगा, अध्यक्ष महोदय, कि आप मेरा बहुत ध्यान रखते हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री ताम्बी जी।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र में आधे से अधिक हिस्सा फोरेस्ट का है और माइन्स के हिसाब से भी हमारे एरिया में एशिया की बिगेस्ट सोप स्टोन की खानें हैं, संगमरमर की खानें हैं। ऐसी स्थिति बनी हुई है कि राजस्व में भी हमारे यहां हजारों एकड़ पहाड़ दर्ज हैं। मौके पर पहाड़ हैं और राजस्व के खाते में दर्ज हैं। पहले यह परम्परा थी, व्यवस्था थी कि जमीन एक्सचेंज हो सकती थी। ऐसे इलाकों को पूरे राजस्थान में आप देखे। जहाजपुर क्षेत्र का तो मैं कह सकता हूं, कोटड़ी और जहाजपुर क्षेत्र में करीब सात–आठ हजार एकड़ जमीन फोरेस्ट में आप दे सकते हैं राजस्व से निकालकर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 1000–1500 एकड़ भी नहीं, 5–7 सौ, 1000 एकड़ समझ लीजिये आप, ऐसी हमारे यहां पर फोरेस्ट में जमीन है जिसमें करोड़ों रुपये की सम्पदा छिपी हुई है। मैं उदाहरण के लिये निवेदन करना चाहता हूं, कांटी का एक फोरेस्ट बीड़ है, पहाड़ नहीं है केवल बीड़ है और वह फोरेस्ट में दर्ज है। उसमें संगमरमर की खानें चल रही हैं पास में और उसके बाद में आगे फोरेस्ट आ गया। अब वहां फोरेस्ट ही नहीं है, जबरदस्ती उस बीड़ को फोरेस्ट में लिखा रखा है इसलिए दिक्कत है। इसलिए माननीय मुख्य मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि ऐसा सर्वेक्षण आप राजस्थान में करवाकर देखें लें कि हजारों एकड़ जमीन रेवेन्यू में पहाड़ जैसी है जो वन में दी जा सकती है और उसके एक्सचेंज में जमीन ली जा सकती है। इस तरह की व्यवस्था को आप देखने का कष्ट करें।

तालाब और सड़कें हमारे इलाकों में बनती नहीं हैं। एनीकट बनते हैं तो उसके

(श्री रतनलाल ताम्बी)

बीच में फोरेस्ट की बीमारी आ जाती है, वहां एनीकट नहीं बनता। सड़क का मामला आता है वहां ऐसी दिक्कत आ जाती है। मेरा निवेदन, यह है कि यह मामला ऐसा है आप जिले वाइज इसके लिये सर्वेक्षण करवाएं, एक्सपर्ट लगाकर सब जगह का नक्शा तैयार कराएं। भारत सरकार को यह कह सकते हैं कि हम जमीन आपके पास से कुछ नहीं ले रहे हैं, जितनी जमीन ले रहे हैं उतनी आपकी फोरेस्ट में दे रहे हैं। ऐसी स्थिति में राजस्थान की पांच गुना तो खनिज की आय बढ़ेगी और लाखों आदमियों को रोजगार मिलेगा। इससे राजस्थान के लोगों की सम्पदा बढ़ेगी, यह विपुल खनिज सम्पदा जो धरती में छिपी है वह सामने लायी जा सकती है। मेरा निवेदन यह है कि इस सम्बन्ध में आप पूरी तैयारी के साथ एक्सपर्ट्स की कमेटी बना लें, एक्सपर्ट्स को लगा दें और प्रत्येक जिले की इस तरह की स्थिति बनाकर बात करें।

एक अन्तिम निवेदन मैं यह करना चाहूंगा कि वन लगाने के नाम पर फोरेस्ट की जमीन देने का एक रूल बना था करीब आठ–दस साल पहले। उसके आधार पर हजारों लोगों को, स्कूलों को, पंचायतों को हमने वह जमीन दी कि इसमें वृक्ष लगाये जाएंगें। वे वृक्ष अभी तक कहीं नहीं लगे हैं, केवल जमीन उन लोगों को दे दी गयी। उनमें हजारों की वापस खारिज भी हो रही है, कुछ डवलपमेंट नहीं हो रहा है। तो एसी जमीनों को आप फोरेस्ट में दिलाकर फोरेस्ट डवलपमेंट का कार्यक्रम योजनाबद्ध शुरू करे, यह मेरा आग्रह है। जो इन्होंने संकल्प रखा है उसके बीच में मैंने दोनों तरह की बात बतायी, मैं विरोध नहीं कर रहा हूं, सुझाव के साथ निवेदन कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री महावीर जी मगोरा।

(व्यवधान)

श्री महावीर मगोरा (गोगुन्दा) : कालीचरण जी, मेरा नाम पुकारा है।

श्री रामनारायण चौधरी : बहुत हो गया।

श्री अध्यक्ष : सत्ता पक्ष के कुछ माननीय सदस्य भी विचार व्यक्त करना चाहते हैं। श्री महावीर जी मगोरा।

श्री महावीर मगोरा : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसाकि आपको विदित है, मेरा साठ प्रतिशत क्षेत्र पहाड़ी है और जंगलों से घिरा हुआ है। मेरे क्षेत्र में 9 वर्ष से लाखों रुपये बिजली विभाग के लग कर खम्भे गड़ रहे हैं और सिर्फ इस एक्ट के तहत उसमें लाइन नहीं खिंच पायी। लाइन नहीं खिंचने से 304 गांव कोटड़ा के हैं उनमें से 223 गांव अविद्युतीकृत रह गये। मुख्य मंत्रीजी, आप उधर से पधारे थे, आपने भी इस समस्या को स्थानीय लोगों से सुना।

इसी तरह से सड़कों का मामला है। आज ऐसे कई पंचायत मुख्यालय हैं, तहसील मुख्यालय हैं जहां पर सड़कों के बनाने में वन विभाग आड़े आ जाता है कि आप यहां सड़क नहीं निकाल सकते। स्वीकृति जैसे तैसे हम मंजूर करवाते हैं पर इस समस्या के कारण इस आदेश के कारण

(198)

(श्री महावीर भगोरा)

वहां सड़क नहीं बन पा रही है, एनीकट नहीं बन पा रहे हैं, नहरें नहीं बन पा रही हैं। मेरा निवेदन यह है कि निश्चित रूप से इस आदेश में संशोधन होना चाहिये, इस एक्ट में संशोधन होना चाहिये और इसके लिये हमारी राज्य सरकार को पहल करनी चाहिये। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : कालीचरण जी।

श्री कालीचरण सराफ (जौहरी बाजार) : माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जो यह संकल्प यहां पर रखा है, मैं उसका पुरज़ोर शब्दों में समर्थन करता हूं। ....

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : यह जौहरी बाज़ार में कहां से आ गया, कोई खान है क्या आपके ?

श्री कालीचरण सराफ : नहीं, मेरे कोई खान नहीं है, कोई दूसरा इसका सम्बन्ध नहीं है। (व्यवधान) बिराजो आप। आज पर्यावरण के नाम पर हम यदि कहें कि केन्द्रीय सरकार तो समझदार लोगों की है और राज्य सरकार में कोई समझदार लोग नहीं हैं ? कमला जी ने यह कहा कि केन्द्रीय सरकार के पास ये अधिकार रहने चाहिये, राज्य सरकार के पास आएंगे तो लोकल दबाव बढ़ेंगे, प्रैशराइज होंगे। वहां तो सारे अनुभवशील लोग ही बैठे हैं ? वे तो कोई हवाई जहाज से जीतकर जाते हैं? उसमें राजस्थान से भी 25 लोग जीतकर जाते हैं।

मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा कि अलवर में मार्बल की माइन्स हैं, इटली का जो मार्बल निकलता है वह हमारे अलवर की माइन्स से जो मार्बल निकलता है उसके सामने टिक नहीं पाता। यूरोपियन कण्ट्रीज अमरीका के पिट्ठू हैं, इन्टरनेशनल मार्केट में इटली का मार्बल ही चले, इसलिए यहां पर्यावरण के नाम पर वे पैसा दे देते हैं। तरूण समाज जैसी संस्थाएं उसका विरोध करती हैं, कभी सुप्रीम कोर्ट में चली गयीं, कभी हाई कोर्ट में चली गयीं। आज पहली आवश्यकता हिन्दुस्तान के लिये और हमारे प्रदेश के लिये है रोजी-रोटी की। पर कोई यह बात करने को तैयार नहीं है। राज्य सरकार के पास यदि यह अधिकार होगा, यह स्पष्ट प्रोविजन हैं कि कोई अच्छा माल यदि माइन्स में निकलता है और वहां यदि हम माइनिंग की इजाजत देते हैं तो उसके बदले में उतनी जमीन हम और दे देते हैं। राज्य सरकार ने तो इतना स्पष्ट प्रावधान किया है कि माइन्स में भी वृक्षारोपण किया जाए।

अब हमको एक सड़क निकालनी है, दो गांवों को जोड़ना है उसके लिये भी केन्द्रीय सरकार के पास जाओ। बिजली का खम्भा लगाना है उसके लिये भी केन्द्रीय सरकार की परमिशन चाहिये। कहीं पर एनीकट बनाना है तो उसके लिये भी केन्द्रीय सरकार की परमिशन चाहिये। केन्द्रीय सरकार पूरे हिन्दुस्तान पर राज करती है, उनके पास इतना समय नहीं है कि इतनी छोटी-छोटी बातों के लिये क्वेरी कर सकें। राजस्थान सरकार में भी जनप्रतिनिधि बैठे हैं, केन्द्रीय सरकार में भी जनप्रतिनिधि हैं, यह बात सही है। राजस्थान की सरकार को यदि यह अधिकार मिल गया कि कहां पर हमें माइनिंग करनी है, कहां हमें फोरेस्ट

(श्री कालीचरण सराफ)

रखना है तो हम उसका व्यावहारिक रूप से निदान कर सकते हैं। राजस्थान सरकार की प्रायोरिटी हो सकती है कि यह सड़क यहां पर डवलपमेंट के लिये बननी चाहिये, यहां पर माइनिंग होनी चाहिये प्रदेश के डवलपमेंट के लिये। अब केन्द्रीय सरकार के पास जाइये तो उनके पास समय नहीं है। क्वेरी वे कर नहीं सकते, उनके पास कोई मशीनरी नहीं है। राज्य सरकार कर नहीं सकती और राज्य सरकार जो रिपोर्ट भेजे उसको वे मानें, नहीं मानें, उसके लिये वे बाध्य नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि राज्य सरकार के पास यह अधिकार, जो पहले भी था, होना चाहिये, जो केन्द्रीय सरकार ने अपने पास रखा है, यहां संघीय व्यवस्था है, सारी केन्द्रीयकृत व्यवस्था नहीं है। मैं कहना चाहूंगा कि पुष्कर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो संकल्प रखा है वह राजस्थान की जनता के हित में है, राजस्थान में रोजगार के अवसर बढ़ें उसके हित में है, राजस्थान में माइनिंग के माध्यम से रेवेन्यू बढ़े उसके हित में है। इसलिए निश्चित रूप से इस संकल्प को हमें पारित करना चाहिए और केन्द्रीय सरकार पर इस बात का दबाव डालना चाहिए कि इसको केन्द्रीय सरकार की सूची से निकालकर राज्य सरकार को दिया जाए। धन्यवाद।

(18.00)

श्री अध्यक्ष : मदन मोहनजी, आपको कुछ बोलना है ?

श्री मदन मोहन : हां जी।

श्री अध्यक्ष : बोलिये।

श्री मदन मोहन (खैरथल) : माननीय अध्यक्ष महोदय, पुष्कर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो संकल्प रखा है उसका मैं भी समर्थन करता हूं। अध्यक्ष महोदय, अलवर जिले में सरिस्का का क्षेत्र है और 100 किलोमीटर का जो सराउंडिंग क्षेत्र हैं, उसमें जो मार्बल और दूसरा खनिज निकल रहा है उसको केवल पर्यावरण की वजह से बन्द कर दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, कालीचरण सराफ माननीय सदस्य अभी कह रहे थे, इनकी बात से मैं सहमत हूं कि इटली के अन्दर जो मार्बल निकलता है वह राजस्थान के मार्बल की तुलना में बहुत ही घटिया किस्म का है।

दूसरा, एक और निवेदन है, माननीय अध्यक्ष महोदय, कि जिस तरह से वहां माइनिंग का कार्य हो रहा है आज वहां की खानें करीब 400-400 फीट नीचे चली गयी हैं और उनमें पानी भर चुका है आज उन खानों से जब मार्बल निकलता है तो उसकी लागत बढ़ती है और उनकी लागत बढ़ने की वजह से जब राजस्थान का मार्बल विदेशों में जाता है, विदेशों के बाजार में वह कब्जा करता है, क्योंकि वह उत्तम कोटि का होता हैं इसलिये विदेशी षड्यंत्र के द्वारा पर्यावरण का बहाना लेकर अलवर जिले की खानों को बन्द किया गया है और इसी तरह से राजस्थान की खानों को बन्द करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय, जिस तरह से पर्यावरण के नाम पर इन खनिजों के ऊपर प्रतिबन्ध लगाते हैं, मैं केन्द्र सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि पर्यावरण की यदि आपको रक्षा करनी है तो पर्यावरण के

200

(श्री मदन मोहन)

लिए 50–50 बीघा की जो अनफर्टाइल जमीन है, उस जमीन को छह-छह वर्ष के लिए अलाट करें। छह-छह वर्ष के लिए अलाट करने के बाद उसमें राज्य सरकार अपना सहयोग प्रदान करे, ऋण प्रदान करें और केन्द्र सरकार से भी उसमें हिस्सा लिया जाए और उसमें नर्सरियां लगायी जाएं। नर्सरियां लगाने के छह वर्ष बाद उनको राज्य सरकार को हैण्ड ओवर किया जाए जिससे पर्यावरण की रक्षा हो सके।

अध्यक्ष महोदय, मैं एक और निवेदन करना चाहूंगा कि अलवर के सरिस्का क्षेत्र की ही बात नहीं है, अभी तो केवल अलवर के सरिस्का क्षेत्र के ऊपर प्रतिबन्ध लगाया गया है इसके अन्दर चार विधान सभा क्षेत्र और आते हैं जिनका भी पूरा क्षेत्र आ गया है। वहां पर खनिज नाम की कोई चीज ही नहीं बची। खैरथल विधान सभा क्षेत्र में तरमला गांव है वहां पर जो ग्रेनाइट निकलता है उसको भी बन्द कर दिया गया। वह हिन्दुस्तान का सबसे बेहतरीन ग्रेनाइट है, गोल्डन कलर का है। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे यही निवेदन है कि इस संकल्प को पास किया जाए। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : बद्रीप्रसाद गुरुजी।

श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी (माण्डल) : माननीय अध्यक्ष महोदय, विष्णु मोदीजी ने जो संकल्प रखा है यह वास्तव में इस प्रदेश के विकास....(व्यवधान) माइन्स पर नहीं बोल रहा हूं मैं। विष्णु जी के भी हैं और मेरे भी हैं। (व्यवधान)

श्री नाथूसिंह गुर्जर : बोलो आप तो, डरते क्यों हो ? कोई चोरी है क्या ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपने हाथ खड़ा किया आपको बुला दिया। उन्होंने हाथ खड़ा किया उनको बुला दिया।

श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी : माइन्स पर नहीं बोल रहा हूं।

श्री परसादीलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, जिनके माइन्स का धन्धा है आप उनको तो कम से कम... (व्यवधान)

श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी : व्यक्तिगत हित की बात करें, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री हरिसिंह (महुआ) : अध्यक्ष महोदय, मेरे पास कोई माइन्स नहीं है।

श्री अध्यक्ष : विराजिये।

एक माननीय सदस्य : यह अपनी होगी जब खुद बात करेंगे हाउस में। यह कहां का तरीका है ? यह तरीका गलत है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : विराजें। आप तो चाहते हो चर्चा हो और बोलें। (व्यवधान)

श्री विष्णु मोदी : अध्यक्ष महोदय, सवाल माइन्स का नहीं है, सवाल विकास का है। भारत सरकार के उन कानूनों का विरोध करना है। (व्यवधान)

श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी : माननीय अध्यक्ष महोदय, विष्णु जी ने जो संकल्प रखा है.... (व्यवधान)

श्री विष्णु मोदी : क्योंकि भारत सरकार कानून बनाकर राज्य सरकारों के अधिकारों का हनन करती है। (व्यवधान)

श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी : यह वास्तव में वन सम्पदा हमारी जो है उस वन सम्पदा का संरक्षण भी होना चाहिए ।

श्री कालीचरण सराफ : पर्यावरण के नाम पर विदेशी षड्यंत्र के शिकार आप लोग हुए हैं ।

श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी : परन्तु वन सम्पदा के नाम पर प्रदेश का विकास भी नहीं रुकना चाहिए और आज इस सेन्ट्रल गवर्नमेंट... (व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : जिन लोगों ने हमको चुनकर भेजा है न, हम तो उनके शिकार हैं । आपकी तरह विष्णु, मोदीजी के शिकार नहीं हैं । ...(व्यवधान) हमारे कोई माइंस नहीं है । आप दो मिनट यहां पर बैठ गये तो विष्णुजी के शिकार हो गये ।

श्री अध्यक्ष : बिराजें आप । बद्री प्रसाद जी को बोलने दें ।

श्री परसादीलाल मीणा : हम किसी के नहीं हैं, हम रात दिन इनके पास बैठते हैं....(व्यवधान) बिलकुल ।

श्री अध्यक्ष : परसादीलालजी, आप अपनी बात कह चुके, अब इनको बोलने दें ।

श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि विष्णुजी ने जो संकल्प रखा है उसके पीछे उनका अपना एक सोच है । आज केन्द्र सरकार वन संरक्षण के नाम पर राज्य सरकार के अधिकारों का जो हनन कर रही है, वह बहुत ही घातक है । माननीय अध्यक्ष महोदय, वनों का संरक्षण होना चाहिए, वनों का विकास होना चाहिए, हर व्यक्ति चाहता है, इसमें कोई दो राय नहीं है । परन्तु आज वन विकास के नाम पर अध्यक्ष महोदय, आप देखेंगे तो कई पहाड़ियां जो रिजर्व फोरेस्ट के रूप में नामांकित कर रखी हैं अपने खातों में, वहां एक भी वृक्ष नजर नहीं आएगा । वहां विपुल सम्पदाएं जो धरती में छिपी हुई हैं, उनका दोहन हम नहीं कर सकते, हम अपने प्रदेश का विकास नहीं कर सकते । ऐसे क्षेत्र हैं जो फोरेस्ट में हैं परन्तु वस्तुस्थिति में वहां कोई फोरेस्ट नहीं है । वहां यदि वन सम्पदाएं खनिज सम्पदाएं हैं या कोई दूसरी अन्य सम्पदाएं हैं, या कोई उद्योग लगाना हो तो ऐसे क्षेत्र हैं वास्तव में उनको रिलीज करना चाहिए । राज्य सरकार के विवेक पर यह छोड़ना चाहिए कि कहां वन क्षेत्र को रिलीज करें और कहां वन क्षेत्र को हम डवलप करें । यदि हम एक बीघा दो बीघा वन क्षेत्र रिलीज करते हैं और दस बीघा पर वन क्षेत्र डवलप करते हैं और वह संरक्षित रहता है तो मैं सोचता हूं कि वह ज्यादा उपयोगी होगा । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उदाहरण दूंगा कि केन्द्र सरकार के पास रखने से क्या नुकसान होते हैं, एक छोटा-सा उदाहरण दूंगा । आज माइंस में विस्फोटक सामग्री अत्यावश्यक है, बगैर विस्फोटक सामग्री के माइंस का कार्य चल नहीं सकता है और एक्सप्लोजिव एक्ट में राज्य सरकार कोई संशोधन कर नहीं सकती है । एक्सप्लोजिव एक्ट के तहत कहीं प्रावधान नहीं है कि जो क्वारी लाइसेंस होल्डर्स हैं या जो माइंस होल्डर्स हैं वे अपने पास एक्सप्लोजिव रख सकें । फिर क्या

(श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी)

होता है कि दो नम्बर में काम होता है। उसको खनन विकास के लिए एक्सप्लोजिव चाहिए और एक्सप्लोजिव उसको मिलता नहीं है तो फिर इधर–उधर से वह एक्सप्लोजिव लाता है और पुलिस से परेशान होता है। तो यह जो व्यावहारिक कठिनाई है, केन्द्रीय सरकार के पास यह कानून होने की वजह से इस व्यावहारिक कठिनाई को राज्य सरकार चाहते हुए भी हल नहीं कर सकती है। इसी तरह जो व्यावहारिक कठिनाई है वन विभाग की, उसे भी राज्य सरकार चाहते हुए भी हल नहीं कर सकती है। मेरा यह निवेदन है कि माननीय मोदी जी ने जो यह संकल्प रखा है इसमें राज्य सरकार के विवेक पर केन्द्र सरकार को छोड़ना चाहिए और राज्य सरकार को यह अधिकार देने चाहिए कि किस प्रकार से वह वनों का विकास करे और किस प्रकार से प्रदेश का विकास करे।

श्री अध्यक्ष : श्री टीकमचन्द कान्त। जरा अब जल्दी–जल्दी।

श्री टीकमचन्द कान्त (सिवाना) : अध्यक्ष महोदय, शायद विश्व के अन्दर नैतिकता की जिम्मेदारी हम पर सबसे अधिक है। विश्व का बाजार बनाना हो तो भारत, विश्व के विकसित देशों के खराब हुए प्लान्ट अगर खरीदने हों तो भारत, वे दवाइयां जो विश्व के अन्दर साइन्टिस्ट ने और डाक्टर्स ने रिजेक्ट कर दीं उसके लिए भी अगर कोई बाजार खड़ा करना हो तो भारत इस विश्व के 15 प्रतिशत लोग 80 प्रतिशत समृद्धि का उपभोग कर रहे हैं। वे इस प्रकृति का इतना शोषण कर चुके हैं, मैं दोहन नहीं कह रहा हूं, इतना शोषण कर चुके हैं कि अब उनको आक्सीजन भी नहीं मिल रहा है और स्थिति ऐसी हो गयी है कि ओजोन के अन्दर छेद हो गया है उनकी अपनी प्रगति के कारण। अब वे अपने लिए फेफड़े खोजते हैं, अपने लिए वे आक्सीजन खोजते हैं और उसके लिए भी अगर कोई खोज करेंगे तो भारत। अब वे चाहते हैं कि हम प्रगति करते रहें, सारी भौतिक सम्पदाओं का भोग करते रहें, इस विश्व के बाजार के अन्दर हिन्दुस्तान जैसे देश हैं उस पर हम बाजार के माध्यम से अधिकार करते रहें और यह पर्यावरण का काम जो है वह हम नहीं, भारत करता रहे। इसके कारण हम पर यह दबाव सुप्रीम कोर्ट है, बिलकुल ठीक है, विश्व की मांग है यह। मानव समाज समाप्त हो जाएगा अगर इसी प्रकार पर्यावरण समाप्त हो जाएगा तो। इसी कारण से हमारी अलवर की खानें बन्द हो जाए या जो कुछ भी हो, यह ठीक भी है। यह सत्य है कि मानव अगर अपना विकास करते करते यहां तक पहुंच गया कि सारी जैविक और प्राकृतिक सम्पदा उसने नष्ट कर दी तो वह भी कुछ समय बाद जी नहीं पाएगा। यह तो सत्य है लेकिन सन्तुलन कहीं न कहीं तो होना चाहिये. बेलेन्स कहीं न कहीं तो चाहिये। अब राज्यों के हिसाब से हम विकसित होना चाहते हैं कि पर केपिटा इन्कम आपकी बढ़ी कि नहीं बढ़ी, आपकी ग्रोथ रेट बढ़ी कि नहीं बढ़ी ? अभी बात कर रहे थे। हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो कहते हैं कि हमारी योजनाएं बढ़ी हैं या वगैरह बढ़ी हैं, और जब योजना कहीं पास करवाने की बात आती है तो खुद के साधन कितने खड़े कर रहे हो ? विरोध पक्ष के लोग बजट को देखकर कहते हैं आपके साधन कहां हैं ? मतलब, इस प्रकार

(263)

(श्री टीकमचन्द कांत)

की चीजें जब सामने आती हैं तो यह सत्य है कि वन रहने चाहिये, यह सत्य है कि पर्यावरण प्रदूषित नहीं होना चाहिये, पर यह भी सत्य है कि संसार के अन्दर इस राजस्थान प्रदेश को विकास पाना है। इस पिछड़े प्रदेश को समृद्ध होने के लिये देश के अन्य प्रदेशों से भी आगे आना है। जैसा अभी कालीचरण जी ने कहा, हमारे अपने विकास के लिये, अपने साधनों के लिये हमारे पास कुछ तो अधिकार हों। सम्पूर्ण केन्द्र की सत्ता अगर इस प्रदेश के विकास आड़े के आती है तो हमें इसका विरोध करना चाहिये। भारतीय जनता पार्टी पहले भी कहती है कि केन्द्र मजबूत होना चाहिये। यह बात तो सत्य है कि आखिर में देश अखण्ड रहना चाहिये, देश मजबूत रहना चाहिये लेकिन लचीलापन जो चाहिये वह भी तो हो। हम कहां वन उगाएं, कहां खनिज हमारा पड़ा हुआ है, कहां उसका दोहन करें, यह तो कम से कम हमारे ऊपर छोड़ें। इतना तो हमारे ऊपर छोड़ना चाहिये। एक बार माननीय मुख्य मंत्रीजी ने सदन के अन्दर कहा था कि आपको जितनी जमीन चाहिये इस वनारोपण के लिये, वन क्षेत्र के लिये, हम देने के लिये तैयार हैं लेकिन उन क्षेत्रों को तो छोड़ें जहां हमारी सम्पदाएं पड़ी है और उनका दोहन करके हम विकास कर सकते हैं। हिन्दुस्तान एक नैतिकता वाला देश है और राजस्थान उसका ही एक भाग है। इस संसार को कह रहे हैं कि हम आपके फेफड़े बनने के लिये तैयार तो हैं लेकिन हमारे विकास के अन्दर आड़े आने की आवश्यकता नहीं। हम बिलकुल संतुलित विकास करते हुए इस विश्व का फेफड़ा भी बन जाएंगे और अपना विकास करके इस विश्व के अन्दर कहीं अपना स्थान भी प्राप्त कर लेंगे। धन्यवाद। जयहिन्द।

श्री अध्यक्ष : श्री ओम प्रकाश जी।

श्री ओमप्रकाश शर्मा (बून्दी) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस संकल्प के पक्ष में निवेदन करना चाहता हूं। आज पर्यावरण भी रहना चाहिये लेकिन मजदूरों को पेट भर रोटी मिले, उसकी भी व्यवस्था करनी चाहिये। ....(व्यवधान)

श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी : आप सब इकट्ठे खड़े हो जाते हैं तो हम माइन्स वाले खड़े हो जाते हैं तो आपको क्या तकलीफ है? ... (व्यवधान)....

श्री परसादीलाल मीणा : यह बताओ कि माइन्स वाले कौन-कौन हैं।

श्री ओमप्रकाश शर्मा : आज कई लोग इस बात से वंचित रहते हैं। जब कोई खनिज लगाता है और उसकी जमीन कुछ वन विभाग में आती है, वह न तो खनिज लगा पाता है और उसी के लिये वह सालों पड़ी रहती है। इसी तरह आज यदि कोई मजदूर अपनी टापरी, अपना मकान बनाकर वहां रह रहा है, हजारों किसानों ने बूंदी जिले के अन्दर और राजस्थान के अन्दर लाखों किसानों ने ऐसी जमीन पर खेती कर रखी है जो वन विभाग की है लेकिन वहां एक भी पेड़ नहीं है। आज कई लोगों ने जो मजदूर हैं, दुकानें लगा रखी हैं, कई जगह खम्भे लगे हुए हैं और कई जगह खानें हैं। इसलिये कानून के अन्तर्गत लचीलापन होना चाहिये। राजस्थान सरकार को अधिकार मिलने चाहिये जिससे

204

(श्री ओमप्रकाश शर्मा)

कि हमको केन्द्र के चक्कर नहीं लगाने पड़ें। आज भी कई जगह पर बांध बनते हैं, मैं, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि बीसलपुर जैसा बांध जो चवली जैसे बांध बनने को तैयार हो रहे हैं, आज तक केन्द्र सरकार ने उनकी मंजूरी नहीं दी है। वहां पर जब कागज जाते हैं, फाइलें पड़ी रहती हैं। दस–दस साल से फाइलें वहां पड़ी हुई हैं। उनको देखने का समय मिलता नहीं है इसलिये मैं चाहूंगा कि यह अधिकार राजस्थान सरकार को मिले तभी यहां की जनता को लाभ मिल पाएगा। मैं इस संकल्प के पक्ष में बात कह कर अपनी बात खतम करता हूं। जयहिन्द।

श्री अध्यक्ष : श्री भीमसेन जी।

श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर) : अध्यक्ष महोदय, प्रस्तुत संकल्प पर मैं अपने विचार प्रस्तुत कर रहा हूं। पर्यावरण, प्रदूषण आदि बातों के बारे में विश्व जनमत उद्धेलित है। सभी चाहते हैं कि पर्यावरण सुधार हो, वन बढ़े और प्रदूषण कम हो। इस बात में दो राय है भी नहीं। लेकिन, माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी बढ़ती जनसंख्या के लिये रोजगार देना भी बहुत आवश्यक है। इसलिये मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि जहां सरकार योजनाओं के माध्यम से बांध बनाना चाहती है, कोई कैनाल बनाना चाहती है या बिजली के खम्भे या सड़क बनाना चाहती है तो उस काम में रुकावट नहीं होनी चाहिये। इससे हमारी प्रगति रुकती है। यही शब्द मैं निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : वर्मा साहब।

श्री रामकिशन वर्मा (रामगंजमण्डी) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस संकल्प के विरोध में बोलना चाहता हूं। आज सभी जगहों पर वनों की चर्चा हो रही है। एक जमाना था कि वनों से हमें औषधियां मिलती थी, जंगल से लकड़ी मिलती थी और नया जीवन भी मिलता था। आज हम सभी लोग जो यहां पर इस एयर कंडीशन्ड हाल में बैठे हैं तो लगता है कि हम बहुत अच्छा जीवन जी रहे हैं लेकिन गांव का, जंगल का आदमी तो जंगल के अन्दर अपना जीवनयापन कर रहा है, और जंगल ही अगर काट दिये जाएंगे तो उसका जीवन दुश्वार हो जाएगा। जंगल कम होते गये तो जानवरों के चरने का कोई रास्ता नहीं। यही वजह है कि पश्चिमी राजस्थान से भेड़ें चलकर आती हैं और जंगलों में जाकर अपना पेट भरती हैं और वहां से जब उनको नीचे लाते हैं तो आपस में लड़ाई-झगड़े होते हैं। तो फोरेस्ट रहने चाहिये। मैं यह नहीं कहना चाहता कि उसके अन्दर सड़क न बने, बिजली का खम्भा न लगे लेकिन उस खम्भे से फोरेस्ट को नुकसान न हो, उस सड़क से फोरेस्ट को नुकसान न हो। फोरेस्ट है तो जीवन है, फोरेस्ट नहीं रहेगा तो जीवन दुश्वार हो जाएगा। इसलिये मेरा आपसे पुरजोर शब्दों में निवेदन है कि फोरेस्ट को कम नहीं किया जाए, बढ़ाया जाए।

श्री बनवारीलाल शर्मा (धौलपुर) : अध्यक्ष महोदय, पुष्कर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो संकल्प प्रस्तुत किया है उसका मैं समर्थन करता हूं। कई माननीय सदस्यों ने संकल्प पर चिन्ता की है, मेरा

(श्री बनवारी लाल शर्मा)

उन सभी सदस्यों से निवेदन है कि यहां संकल्प रखा है माननीय सदस्य ने, उनका उद्देश्य है कहां कि जंगल को समाप्त कर दिया जाए। उनका उद्देश्य यह तो नहीं हैं कि पर्यावरण के नाम पर या वन के नाम पर राजस्थान के विकास को रोका जाए, बेरोजगारी समाप्त नहीं की जाए या ऐसे विकास के काम ठप्प हो जाएं। उनका उद्देश्य तो यह किसी प्रकार से इसमें संशोधन करें, केन्द्र की जो दादागिरी है कि वह वन के नाम पर अपने दखल से राजस्थान के विकास को रोक रहा है इसका भुगतभोगी मैं हूं, आप अन्दाजा लगाइये, धौलपुर में 600 करोड़ रुपये का थर्मल पावर प्रोजेक्ट लग रहा था, वहां पर कितने लोगों की बेरोजगारी दूर होती, कितना क्षेत्र का विकास होता। कितनी बिजली की परेशानी है, राजस्थान को उसका लाभ मिलता। लेकिन महज पर्यावरण के नाम पर उस पावर प्रोजेक्ट को रोक दिया गया। जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो कांग्रेस के लोगों ने, मुख्य मंत्री ने काफी जोर लगाया, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने एड़ी से चोटी तक का जोर लगाया लेकिन पर्यावरण के नाम पर ...

श्रीमती कमला : ताजमहल आड़े आ गया।

श्री बनवारी लाल शर्मा : ताजमहल आड़े नहीं आया है। एक ताजमहल नहीं है वहां चम्बल नदी में घड़ियाल भी हैं, उनके लिये पर्यावरण के नाम पर केन्द्र सरकार घड़ियालों को तो बांधे रखना चाहती है....

श्री हरिसिंह (महुआ) : 14 घड़ियालों को बचाने के लिये 600 करोड़ रुपये की योजना को बलिवेदी पर चढ़ा दिया।

श्री बनवारी लाल शर्मा : इन 14 घड़ियालों को बचाने के लिये 600 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने एड़ी से चोटी का जोर लगा लिया, पहले कांग्रेस के मुख्य मंत्री ने जोर लगा लिया लेकिन 14 घड़ियालों को बचाने के लिये आज दो हजार-बाईस सौ करोड़ के प्रोजेक्ट को इसलिये समाप्त कर दिया गया कि घड़ियाल जिन्दा नहीं रहेंगे। आदमी जिन्दा रहे कि नहीं रहे, भूखा मरे तो मरे, उनको इसकी चिन्ता नहीं है, उनको घड़ियालों की चिन्ता है। पर्यावरण के नाम पर केन्द्र की जो दादागिरी है उसको रोका जाए, इसलिये इस संकल्प का मैं समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

श्री नाथूसिंह गुर्जर (राज्य मंत्री पंचायती राज) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने बहुत ही बुद्धिमतापूर्ण कार्य किया है और यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रस्ताव इस सदन में लाये हैं। (व्यवधान) बिलकुल सही है। अध्यक्ष महोदय, परसादी लालजी गांव से आते हैं और मैं भी गांव से आता हूं। आपका और मेरा सम्बन्ध उन लोगों से है जिनके छोटी-छोटी जमीन है, जो पशुपालन का काम करते हैं। अध्यक्ष महोदय, अलवर के क्षेत्र में मैंने देखा है जहां पर, परसादीलालजी, आपकी और मेरी जाति के लोग रहते हैं। 20-20 बकरियां, दो-दो बीघा जमीन, कच्चे झौपड़ों में वे लोग रहते थे और उनके पास खाने को रोटी नहीं थी। लेकिन जब वहां मार्बल मिला, अध्यक्ष महोदय, मैं सदन में कह रहा हूं, एक-एक माइंस में 6-6, 7-7 लाख रुपये की मजदूरी उन गांवों में उन लोगों के पास जाने लग गयी। जो भूखे सोते थे

(श्री नाथूसिंह गुर्जर)

रात को, पेट भरकर रोटी खाने लग गये। उनके जो झोंपड़ी थी वह बदल गयी और एक-एक के पक्के मकान बन गये। आज उनके सारे घरवाले रोजगार में हैं। ग्राज कोई 50 रुपये लेकर खान से जाते हैं घर पर तो कोई 100 रुपये लेकर जाता है। ग्राज उनका जीवन पूरा बदल गया। तो माइंस का मतलब केवल सेठ से नहीं है। एक गलत कनसेप्ट दे रखा है कि माइंस चलाने का मतलब सेठ को प्रोटेक्ट किया जा रहा है। ऐसा नहीं है। ग्राज एक माइंस चलती है उसमें ठेकेदार होते हैं, उसमें मजदूर होते है, उसमें जो ट्रक चलाते हैं उस ट्रक का ड्राइवर, उसका खलासी ग्रौर ट्रक का ग्रोनर। इतना ही नहीं जो रोड साइड में ढाबे चलते हैं, मुंशी, कितने लोग, कितने मिस्त्री, और इसके साथ-साथ जो माइंस की जो मशीनरी बनती है जिसमें वायरसा होता है, ट्रेक्टर पार्ट्स, वायरसा के पार्ट्स, क्रेन्स इतने उद्योगों की लाइन लगती है। राजस्थान के अन्दर, कोटा चले जाइये, भीलवाड़ा चले जाइये, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, राजसमंद, ग्रलवर, जयपुर कहीं चले जाइये। ग्रध्यक्ष महोदय, ग्रगर राजस्थान में आप माइनिंग को खतम कर रहे हैं इस नाम पर कि सेठों का काम है, मैं, परसादीलालजी, आपको बताना चाहता हूं, ग्राप कह रहे हैं कि माइन सेठ चलाते हैं। मेरे पास राजस्थान में ग्रलग-अलग मिनरल की जितनी माइंस हैं उनके मालिकों की सूची है। अध्यक्ष महोदय, ये बता रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं जिनके माइंस हैं, माइंस का धंधा करना कोई पाप है क्या? कोई चोरी है क्या? फिर क्या है? क्यों नहीं करनी चाहिये? हम किसान हैं, खेती करते हैं ग्रौर खेती के ऊपर कुठाराघात होगा, या किसानों के हितों पर कुठाराघात होगा, राजस्थान के हितों पर कुठाराघात होगा, तो हम इसकी वकालत करते हैं कि नहीं करते हैं यह कौनसा तरीका हुग्रा? यह कह कर ग्राप इतने बड़े इश्यू को दबा नहीं सकते। ग्राज गरीब लोग, शिड्यूल्ड कास्ट के लोग माइंस का काम कर रहे हैं, शिड्यूल्ड ट्राइब्ल के लोग माइंस का काम कर रहे हैं, ग्राज पिछड़ी जाति के लोग माइंस में सम्मिलित हैं। ग्रध्यक्ष महोदय, मैं आपको बता रहा हूं कि यह षडयंत्र चल रहा है। ग्राज कांग्रेस में तो दो ग्रुप हो रहे हैं–एक सोनिया ग्रुप, एक मेनका ग्रुप। कुछ सोनियावादी हो गये, कुछ मेनकावादी हो गये। एक नई फौज मेनकावादियों की खड़ी हो गयी... (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुग्रा) : कांग्रेस में कोई मेनकावादी नहीं है।

श्री परसादीलाल मीणा : सोनियावादी हैं, सोनियावादी।

श्री नाथूसिंह गुर्जर : ग्रध्यक्ष महोदय, ग्राज माननीय सदस्य ठीक कह रहे थे कि राजस्थान को आप विकसित प्रदेशों की श्रेणी में लाना चाहते हैं तो ग्रापके पास कौन-कौनसे संसाधन हैं। कौन-कौनसे संसाधन हैं जिनके ग्राधार पर ग्राप राजस्थान को खड़ा कर सकते हैं। राजस्थान के पास केवल एक पूंजी है, पहली पूंजी जिससे हम विकसित प्रदेशों की श्रेणी में ग्रा सकते हैं, वह है माइंस एण्ड मिनरल्स। इसके अलावा दूसरा कोई जरिया नहीं है। सबसे पहला जरिया है

(श्री नाथूसिंह गुर्जर)

जिसके आधार पर राजस्थान को करोड़ों रुपयों का आज रेवैन्यू मिल रहा है और आगे मिलने की सम्भावना है। लेकिन क्या आप यह सोचते हैं कि हम यह चाहते हैं कि फोरेस्ट खतम हो? क्या हम यह चाहते हैं कि नेचुरल नदी, नाले, या जो भी दिया हुआ है हमें, वह खतम हो। अध्यक्ष महोदय, हम तो गांव के लोग हैं, हम चाहते हैं कि पेड़ जिन्दा रहे, पेड़ लगाये जाएं। सरकार को माइंस बन्द कराने के बजाय यह पाबंदी लगानी चाहिये कि एक माइन ओनर या एक मजदूर जो माइंस पर काम करता है वह इतने पेड़ लगाएगा, अपने आप लगाएगा। अध्यक्ष महोदय, मेरे विभाग में हमने आदेश दिये कि स्कूल में इतने पेड़ लगाइये, पंचायत भवन में इतने पेड़ लगाइये, जिला परिषद और पंचायत समिति में इतने पेड़ लगाइये। इस तरह हमारे कई विभागों ने आदेश निर्देश दिये हैं। हम लगा रहे हैं। मैं कहता हूं, जो बोल रहे हैं यहां पर वे कितने पेड़ लगा रहे हैं? अध्यक्ष महोदय, आज जो गांव का आदमी है वह तो बिना अपने घर के पास पेड़ लगाये रह ही नहीं सकता। जो गांव का आदमी है वह तो रह ही नहीं सकता।

श्रीमती उजला अरोड़ा : जगह नहीं है तो छतों पर पेड़ लगाओ।

श्री नाथूसिंह गुर्जर : जो गांव में पैदा हुआ है उसको तो पेड़ से वैसे ही प्रेम है, प्रकृति से वैसे ही प्रेम है। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ : शहर वाले भी लगाते हैं आजकल जयपुर में 13 लाख पौधे लगाएंगे।

श्री नाथूसिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, यह सवाल छोटा-सा नहीं है जैसा माननीय सदस्य देख रहे हैं। यह बहुत छोटा सवाल नहीं है, राजस्थान के विकास से जुड़ा हुआ है। आज जितने जिले मैंने गिनाये, जैसलमेर में चले जाइये, वहां भी मिनरल्स निकल रहा है, नागौर में चले जाइये, जोधपुर में चले जाइये। आज फोरेस्ट के नाम पर अगर यह सब चीज खतम करेंगे उसके बाद राजस्थान कहां टिकेगा? उसके अलावा मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, कि यह जितना भी रोजगार मिल रहा है लोगों को, यदि यह रोजगार बन्द हो गया....

श्री परसादीलाल मीणा : बच्चे भी विकलांग पैदा हो गये।

श्री नाथूसिंह गुर्जर : मैं अभी बताता हूं। उस पर भी आता हूं। (व्यवधान) आप मेरी बात सुन लीजिये। आप बोल रहे थे, मैंने सुना है शांतिपूर्वक। मैं उस पर भी आता हूं।

यदि ये माइंस बन्द हो जाएंगी फोरेस्ट के नाम पर, पर्यावरण के नाम पर, तो जितने लोग बेरोजगार होंगे ये कहां जाएंगे? इनको कहां ले जाओगे आप? आज सवाई माधोपुर, धौलपुर आदि मैजोरिटी डिस्ट्रिक्स हैं, जिनमें ये सब माइंस चल रही हैं। मुझे बताइये, इतने बेरोजगार लोगों को कहां ले जाओगे? क्या राजस्थान से बाहर निकाल दोगे? यदि ये लोग बेरोजगार हो गये तो उसके बाद कानून और व्यवस्था की स्थिति क्या होगी। इस पर भी क्या हमने विचार किया है?

श्री शिवनाथ सिंह : यह सब पर्यावरण की रक्षा के लिये है, माइंस बन्द

(श्री शिवनाथ सिंह)

करने का सवाल ही कहां उठता है? (व्यवधान)

श्री नाथूसिंह गुर्जर : आप बिलकुल उलटा ले रहे हो। हो रहा है यह। अध्यक्ष महोदय, सवाल कहां से क्रीएट हुआ यह पर्यावरण का और यह सब? अध्यक्ष महोदय, क्रीएट कहां से हुआ, इसकी एतिहासिक पृष्ठभूमि में जाना चाहिये। आज जिस तरह से परमाणु अप्रसार संधि पर मामला चल रहा है विश्व में, वह सीधा–सीधा इसी मामले से जुड़ा हुआ है। पहले टू पोल स्थिति थी पूरे विश्व में, आज यूनी पोलर वर्ल्ड हो गया। पहले तो हथियार बेच कर अपनी इकोनोमिक स्थिति को मजबूत करते थे। जब हथियार बिकना बन्द हो गये तो उन्होंने अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिये एक दूसरा तरीका अपनाया। अध्यक्ष महोदय, दूसरा तरीका यह था कि जो विकासशील देश हैं उन विकासशील देशों में एन. जी. ओज क्रीएट किये पर्यावरण के नाम पर, पर्यावरण के नाम पर एन. जी. ओज क्रीएट करके उनको करोड़ों रुपये का फण्ड दिया जाने लगा। आज कभी बोंडेड लेबर का मामला उठाते है, कि चूंकि भारत के अन्दर कारपेट बच्चे पैदा करते हैं इसलिये हम इसको नहीं खरीदेंगे। इसका आयात हमारे देश में अलाउ नहीं करेंगे, यूरोपियन कंट्रीज में अलाउ नहीं करेंगे।

अध्यक्ष महोदय, मैं अमेरिका कई बार जाकर आया हूं।....आप एक मिनट सुनिये। वहां पर 12–12, 13–13 और 14–14, साल की जवान लड़कियां....यस, बिलकुल, सुनिये, आप....बिकिनी पहनकर होटल्स में काम करती है। वे बाल श्रमिकों में नहीं आती हैं? मैंने उनसे सवाल किया कि क्या वे बाल श्रमिक नहीं हैं। लेकिन उनको रोकने का वहां वे कोई कदम नहीं उठाते हैं। उनको उन बाल श्रमिकों से मतलब नहीं हैं। भारत साउथ एशिया का महत्वपूर्ण देश है जो यहां की पूरी आर्थिक स्थिति और राजनीतिक स्थिति को कन्ट्रोल करता है। आज चाइना ने सीधा जवाब दे दिया कि हमारे मामले में पंचायती करने की जरूरत नहीं है। भारत के अन्दर डेमोक्रेटिक सिस्टम है। जब राजनीतिक दलों के द्वारा उनको सफलता नहीं मिली, कम्युनिस्ट रशिया का दबाव था उधर से, तो उन्होंने कई ग्रुप खड़े करने की कोशिश की। उन एन. जी. ओ. के माध्यम से देश में जाल फैला लिया। माननीय सदस्य ठीक उदाहरण दे रहे थे कि "तरुण भारत संघ" अलवर में आया। तब मैं आपोजीशन में विधायक था। वे लोग मेरे पास भी आये थे। माननीय परसादी लाल जी, वे अलवर में इस नाम से घुसे कि सरिस्का में जो गांव हैं इन गांवों को सरकार बाहर निकाल रही है इसलिये इनके जो पशु हैं उनको फोरेस्ट में चरने की इजाजत दी जाए और इनको बसाया जाये। यह बहाना लेकर "तरुण भारत संघ" ने सरिस्का में शुरू–शुरू में अपना मूवमेन्ट शुरू किया। उन कार्यक्रमों में मैं भी गया हूं। उसके बाद धीरे–धीरे उन्होंने जाल फैलाना शुरू किया। वहां पर एक मकान किराये पर लिया। यहां पर तो उनके पास बड़ी–बड़ी गाड़ियां, बड़े–बड़े महल हैं और वहां पर फटे–पुराने कपड़े पहनकर भोले–भाले ग्रामीणों को बहकाते हैं।

(209)

(श्री नाथूसिंह गुर्जर)

अध्यक्ष महोदय, मुझे याद है, मैं बधाई देना चाहता हूं माननीय सदन के नेता को जिन्होंने उस समय जब ये अपोजीशन में थे और कांग्रेस की सरकार थी, प्रेसीडेंट रूल था उस जमाने में....

श्रीमती कमला : दोनों साथ कैसे थे।

श्री नाथूसिंह गुर्जर : दोनों ही स्थिति बता रहा हूं। जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी और जब प्रेसीडेंट रूल था तब भी। वहां पर स्थिति यह हुई कि जब जनता का उन्हें समर्थन बन्द हुआ तो कोर्ट की इजाजत ली। अध्यक्ष महोदय, आज मुझे टिप्पणी नहीं करनी चाहिये सदन में लेकिन जिस तरह से अमेरिका वाले विकासशील देशों में जो टाप–टाप लायर्स होते हैं, पोलिटिशियन होते हैं—फिर जुडीशियरी का मामला आएगा, मैं नाम नहीं लेना चाहता– प्रभावशाली लोगों को अमेरिका में बुलाते हैं, अमेरिका दिखाते हैं, उनको प्रभावित करते हैं। मैं यह पूछना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में कोई मुफ्त में केस लड़ा जाता है? आज जितना मेधा पाटकर प्रेस के अन्दर कवरेज मिलता है, 4–4 प्रदेशों की सरकारें एक तरफ बैठकर निर्णय लेती हैं, प्राइम मिनिस्टर भी उसमें सम्मिलित होते हैं, उनको जितना कवरेज मिलता है उससे ज्यादा कवरेज मेधा पाटकर को मिलता है। किन बात का कवरेज मिलता है? यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आज विश्व दो धड़ों में बंटा हुआ है। एक वे जो औद्योगिक क्रांति क्रीएट कर चुके औद्योगिक देश हैं, जी–7 जिनको बोलते हैं। वे देश विकसित देश हैं और दूसरी तरफ विकासशील देश हैं। विकासशील देश जब अपना इंडस्ट्रियल डवलपमेन्ट कर रहे हैं, जब अपनी बेरोजगारी समाप्त कर रहे हैं, जब गरीबी उन्मूलन के कार्यक्रम चला रहे हैं, जब ये देश आगे बढ़ रहे हैं तो वे देश नहीं चाहते कि ये देश आगे बढ़े। इनका गला काटने के लिए एन. जी. ओ. के द्वारा यहां विभिन्न तरह की एक्टिविटीज करायी जाती हैं। आज माननीय सदस्य कह रहे हैं 3 करोड़, 4 करोड़ एक एन. जी. ओ. को मिल गया। उन्होंने मुफ्त में दे दिया? उनको क्या चिन्ता लगी है?

श्री हरिसिंह (महुआ) : तरुण भारत संघ को 3 करोड़ आया है।

श्री नाथूसिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, यह क्यों दिया? अमेरिकन्स को और यूरोपियन्स को हमारी चिन्ता हो गयी? हमारे देश की गरीबी के बारे में, ड्रिंकिंग वाटर के लिये पैसा दें, वे शिक्षा के लिये पैसा दें, वे चिकित्सा के लिये पैसा दें और सरकार को पैसा दें, वह तो समझ में आता है। लेकिन इन एन.जी.ओ. को पैसा देना वह भी जहां–जहां हमारी माइन्स हैं। मुझे याद है, मैं भुक्त–भोगी हूं। मेरे यहां पर बीसलपुर डैम बन रहा था, 300 करोड़ का प्रोजेक्ट था। वह उस समय शुरू हुआ था जब मैं विरोधी दल में एम. एल. ए. था। माननीय हरिदेव जी जोशी मुख्य मंत्री थे। मैं फिर सदन के नेता महोदय को बधाई देना चाहता हूं कि जब केन्द्र सरकार ने उस बांध को बनाने की अनुमति नहीं दी तब आपने एक गली निकाली, एक सुझाव दिया जोशी जी को कि इसको ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट कहो, इस तरह से वहां से, हो सकता है कि इनकी परमिशन मिल जाए। वह तरकीब काम कर गयी, परमिशन मिल गयी। उस समय से मैं जानता हूं। लेकिन

(श्री नाथूसिंह गुर्जर)

डैम की प्रगति शुरू हुई वहां पर एन. जी. ओ. आ गये। कोई मद्रास से आ गया, कोई पता नहीं कहां से आ गया और वहां पर एक संस्था, समन्वय समिति बनाई। न कोई रजिस्ट्रेशन, न उसका कोई हिसाब किताब और वहां पर धरना शुरू। और किस नाम पर? एक उनकी पालिसी है कि जनता के थ्रू जनता की समस्याओं को उठाते हुए पैनीट्रेट करो। उसके बाद जहां उनका उद्देश्य होता है वहां पहुंच जाते हैं। वह पूरा नहीं हो तो कोर्ट्स के जरिये इस काम को बन्द कराओ। वहां पर उन लोगों ने बैठकर उस डैम को बन्द कराने की कोशिश की, किस नाम पर? पुनर्वास के नाम पर। हम लोग बैठे हैं, हम उस क्षेत्र से चुनाव लड़ते हैं, यह सरकार उस क्षेत्र के लोगों के वैलफेयर के लिये काम करती है, क्या हम सब संवेदनहीन हो गये हैं। वही संवेदनशील रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं? लेकिन वहां इस नाम से काम शुरू किया और लास्ट में अड़ंगा यह अड़ाया कि यह डैम का काम बन्द करो। जब सरकार ने बन्द नहीं किया तो केन्द्र सरकार के पास फरियाद लेकर चले गये। दिल्ली में पर्यावरण डिपार्टमेन्ट के पास चले गये और पर्यावरण के नाम पर डैम को बन्द कराने की कोशिश की। एक तरफ अजमेर के माननीय सदस्य आकर चिल्लाते हैं कि 3–3 दिन में अजमेर में, ब्यावर में और किशनगढ़ में पानी पहुंच रहा है, पानी की व्यवस्था करो। जयपुर के लोग चिल्ला रहे हैं कि 5–7 साल बाद जयपुर की स्थिति क्या होगी। मेरे टोंक क्षेत्र के गरीब लोग चिल्ला रहे हैं कि हमारे खेतों को पानी दो, पीने के पानी की व्यवस्था करो। लेकिन उनको उनकी चिन्ता नहीं है। उनको किस बात की चिन्ता है? उनको हरियाली की चिन्ता है। उनको इस बात की चिन्ता है कि डैम नहीं बनना चाहिये। अध्यक्ष महोदय, हमें पहले रोटी चाहिये। रोटी की व्यवस्था होगी तो सब चीजों की व्यवस्था होगी। हमारी जनता को रोटी चाहिये। आज कई गरीब लोग हैं जिनके बच्चे भूखे सोते हैं। मालूम है कि जवान बेटा मर रहा है लेकिन इलाज के लिए पैसा नहीं है। क्या इस स्थिति को हम और लम्बा चलाना चाहते हैं? यह एक विदेशी षड्यंत्र है। अमेरिका में मैंने उनसे पूछा कि आपके पास सर्वे रिपोर्ट है। अध्यक्ष महोदय, मुझे मालूम नहीं था कि सदन में आज इस पर चर्चा होगी। सर्वे रिपोर्ट है विश्व की कि किस–किस कंट्री में कितना–कितना पर्यावरण का नुकसान होता है। मैक्सिमम नुकसान पर्यावरण का अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज के द्वारा होता है। हमारे देश के द्वारा नहीं होता है। वहां आज इंडस्ट्रियलाइजेशन को रोक दें। वहां नहीं रोक रहे हैं। माननीय सदस्य, ठीक कह रहे हैं इटली का मार्बल, पहले हमारे यहां मशीनें नहीं थीं। मुझे याद है, इटली से पहला गेंगसा, इटली की मशीन इंडिया में आयी। आज मार्बल कहां मिल रहा है देश में? केवल राजस्थान है जिसमें मार्बल मिलता है। जब हमारे यहां कई क्वालिटी का मार्बल निकलना शुरू हुआ तो इटली से मशीन आयी। पहला गेंगसा लगा, उस मशीन की कीमत एक करोड़ से ज्यादा थी। आज, मैं हमारे इंजीनियरर्स को बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने देसी तकनीक पैदा की और इस तरह के गेंगसा पैदा कर लिये कि देश में आज गेंग-

(श्री नाथूसिंह गुर्जर)

साज की लाइन लग गयी। आज कई लोगों को रोजगार मिल गया। जब हमारा मार्बल एक्सपोर्ट होने लगा और वर्ल्ड मार्केट में काम्पीटीशन में आया तो उन्होंने सोचा कि यह इंडिया का मार्बल कहां-कहां पैदा होता है ? उदयपुर में, राजसमन्द में, बांसवाड़ा में, अलवर में जहां–जहां भी ज्यादा होता है वहीं पर एक-एक एन. जी. ओ. क्रीएट करने शुरू कर दिये। सरकार पर दबाव डालना शुरू किया। एन. जी. ओ. क्रीएट करना शुरू किया। केन्द्र सरकार के प्रतिनिधियों से दबाव डालना शुरू किया। कोर्ट्स में मामले ले गये। उन्होंने सोचा कि यह मार्बल इंडिया से आता है, इसको चौपट करें। ऐसे तो चौपट हो नहीं सकता था, फोरेस्ट के नाम पर और पर्यावरण के नाम पर करो। आज जितनी टाप मशीनें वर्ल्ड में माइनिंग करने की हैं वे हमारे यहां के माइनरों ने लगा लीं। वे चालू कर रहे हैं। प्रोडक्शन बढ़ने लगा तो उनको चिंता हुई और पर्यावरण के नाम पर राजस्थान की ये माइन्स बन्द हों, इस तरह की चेष्टा होने लगी। पुराने नक्शे पड़े हुए हैं। रेवेन्यू डिपार्टमेन्ट में नक्शा कुछ और है, फोरेस्ट डिपार्टमेन्ट का नक्शा कुछ और बोल रहा है। आज जहां रेवेन्यू डिपार्टमेन्ट है, फोरेस्ट था ही नहीं, लेकिन यदि वहां कोई माइन्स का कार्य शुरू हो गया, मार्बल, ग्रेनाइट, किसी भी तरह का मिनरल निकलना शुरू हो गया तो फोरेस्ट का झण्डा खिंच गया कि यह फोरेस्ट है, चाहे वहां पर पेड़ हैं कि नहीं हैं। यह एक षड्यंत्र है, अध्यक्ष महोदय, इस षड्यंत्र को रोकना चाहिये। इसका फैसला करना चाहिये कि कहां फोरेस्ट है रेवेन्यू डिपार्टमेंट, फोरेस्ट डिपार्टमेंट और सेटलमेंट डिपार्टमेंट जहां-जहां भी रिकार्ड रहता है, मिल बैठकर यह तय करना चाहिये कि कहां-कहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात का तो समर्थन करता हूं कि फोरेस्ट बढ़ना चाहिए, मैं इस बात का भी समर्थन करता हूं.... (व्यवधान)

श्री माधवसिंह दीवान (सोजत) : फोरेस्ट कहां है, कहां नहीं इस देश में, इसका क्या लेना देना है ?

श्री नाथूसिंह गुर्जर : मेरे विचार प्रकट कर रहा हूं। क्यों नहीं है इसका लेना देना ?

श्री माधवसिंह दीवान : हां, वन मंत्री जी की हैसियत से।

श्री नाथूसिंह गुर्जर : इसका लेना देना कह रहा हूं ना मैं।

श्री अध्यक्ष : अपने विचार एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, इनको करने दें।

श्री नाथूसिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, आज यह एक षड्यंत्र है। यह हमारे प्रदेश के साथ ही नहीं देश के साथ षड्यंत्र है। इस षड्यंत्र का हमको डटकर मुकाबला करना चाहिये।

मैं एक और निवेदन करना चाहूंगा कि पहले तीन लिस्ट थीं—सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कानकरेंट लिस्ट। धीरे-धीरे सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट्स के अधिकारों को स्नैच करना चाहती है।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : यह कब

(श्री शिवनाथ सिंह)

से शुरू किया है लेना ? यह अमेरिका के षड्यंत्र से लेना शुरू किया है ? कब की बात कहते हो ? जोधपुर में वह महिला मरी थी, यह बहुगुणा कब से बना हुआ है, कहां इसको अमेरिका ले जाते हो? अमेरिका का षड्यंत्र कहते हो आप इसको, वह गलत बात है ।

श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : परवां कांस्टीट्यूशन अमेंडमेंट से यह शुरूआत हुई, जब इस मुल्क में इमरजेंसी लगी हुई थी । उसमें स्टेट लिस्ट के अन्दर जो सब्जेक्ट थे उनको कानकरेंट लिस्ट में डाल दिया था ।

श्री नाथूसिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, आज जब यह इतना महत्वपूर्ण मसला चल रहा है तो फोरेस्ट में भी नयी–नयी टर्मिनोलोजी आयी । रिजर्व्ड फोरेस्ट, प्रोटेक्टेड फोरेस्ट, कौन-सा फोरेस्ट....

श्रीमती कमला (बैराठ): अध्यक्ष महोदय, कोई सीमा भी है क्या ?

श्री नाथूसिंह गुर्जर : हां, सीमा है । आप बोल रही थीं तो मैंने आपको कभी (व्यवधान) आपको पढ़ कर आना चाहिये था । समय क्या होता है, इसकी क्या सीमा है, आप पढ़ कर आइये ।

अध्यक्ष महोदय, कोई टर्मिनोलोजी निकली । मैं यह भी निवेदन करने करना चाहूंगा सदन से कि धीरे–धीरे केन्द्र आय के जितने साधन हैं वह स्टेट से लेता जा रहा है और जितनी लाइबिलिटीज हैं वे स्टेट के ऊपर थोपता जा रहा है । केन्द्र दो काम कर रहा है धीरे-धीरे जितने इनकम सोर्सेज हैं वे स्टेट से स्नैच करता जा रहा है, लेता जा रहा है और लाइबिलिटीज स्टेट के ऊपर डालता जा रहा है धीरे-धीरे । यह टेंडेंसी बहुत खतरनाक है । जैसे माननीय कमलाजी कह रही थीं बैराठ से आने वाली माननीय सदस्या कि साहब, स्टेट को दे दिया तो स्टेट तो बंटाढार कर देगा, तो केन्द्र में तो पता नहीं कहां से, स्वर्ग से लोग उतर कर आये हैं वहां पर कौन हैं ? हमारे रिप्रेजेंटेटिव्ज वहां बैठे हैं । आप यह समझते हैं कि स्टेट के पास जितने सब्जेक्ट्स हैं उनमें स्टेट ने बंटाढार कर दिया ? अध्यक्ष महोदय, वस्तु स्थिति तो यह है कि..

श्रीमती कमला : बंटाढार का नाम तो आप खुद अपने लेवल पर ले रहे हैं, मैंने तो कहा नहीं । मैंने कहा था लोकल लोगों के पास में जब अथोरिटी होती है तो लोकल दबाव ज्यादा पड़ता है । आज आप पंचायत से अगर कोई टैक्स लगवा लो तो मुझे बता देना कि पंचायत टैक्स वसूल कर सकती है । लेकिन वही टैक्स अगर जिला स्तर से वसूल करवाएंगे तो हो जाता है । आप ये जो कह रहे हैं कि अमेरिका का षड्यंत्र है, यह आप कोई नयी बात नहीं कह रहे हैं यह बात इन्टरनेशनल फोरम के ऊपर हमारे कंट्री ने उठायी है और यह अखबारों में खूब आया हुआ है, कोई नयी बात नहीं कह रहे हो । आज मुद्दा इतना है कि यह मामला राज्य सरकार के पास रहना चाहिये कि भारत सरकार के पास । यहां कहां षड्यंत्र काम कर रहा है जिसका उदाहरण देकर आप इतना लम्बा भाषण दे रहे हो ?

श्री अध्यक्ष : यह तो बहुत बड़ा मुद्दा है, माननीय कमला जी।

श्री नाथूसिंह गुर्जर : मैं ठीक ही कह रहा हूं। आपने समर्थन किया इसके लिये धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि धीरे-धीरे सेंटर जो पावर ले रहा है हमें इसका विरोध करना चाहिये। अध्यक्ष महोदय, एक तरफ तो 73वां,74वां अमेंडमेंट कर रहा है सेंटर कि इन पावर्स को धीरे-धीरे नीचे दीजिये, डी–सेंट्रलाइज करिये और दूसरी तरफ....(व्यवधान) अब आप सुन लीजिये, मैं बता रहा हूं। आप चिन्ता क्यों कर रहे हो ?

धीरे-धीरे अध्यक्ष महोदय, स्टेट से अपनी पावर्स वापस सेंट्रलाइज कर ली है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। अध्यक्ष महोदय, यह जो पावर ली जा रही है, हमारे स्टेट के इन्कम रिसोर्सेज को कम किया जा रहा है। सरकारिया कमीशन ने भी इस सम्बन्ध में विस्तृत व्याख्या सहित अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। आज स्टेट्स मांग कर रहे हैं कि सरकारिया कमीशन की रिपोर्ट को लागू करिये। लेकिन अध्यक्ष महोदय, केन्द्र सरकार लागू नहीं कर रही है। माननीय कमला जी, केन्द्र सरकार के अन्दर जितने सब्जेक्ट्स दिये हुए हैं, आपको मालूम है, कितने घोटाले-कबाड़े केन्द्र सरकार ने किये हैं। स्टेट ने उनका ब्याज के बराबर भी नहीं किया। करोड़ों रुपये के स्कैंडल, अरबों रुपयों के स्कैंडल। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, मेरी यह मान्यता है कि कांस्टीट्यूशन की परिभाषा को समझते हुए, कांस्टीट्यूशन की मंशा को समझते हुए, हमारे राज्य के आर्थिक हितों को देखते हुए, नौजवान गरीब लोग जो बेरोजगार घूम रहे है उनके रोजगार को ध्यान में रखते हुए, राज्य की जर्जर आर्थिक स्थिति को देखते हुए....

श्रीमती कमला : सत्ता पक्ष चाह रहा है तो यह तो होगा ही, बहुमत है।

श्री नाथूसिंह गुर्जर : माननीय मोदीजी ने जो प्रस्ताव रखा है इसका समर्थन करना चाहिए सदन को पार्टी से ऊपर उठ करके।

श्रीमती कमला : यह तो हो ही रहा है। होगा यह तो।

श्री अध्यक्ष : श्री बाबूलाल जी।

श्री नाथूसिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, एक सर्वसम्मत प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजना चाहिये। केन्द्र सरकार मानेगी कि नहीं मानेगी, मुझे मालूम नहीं लेकिन एक संदेश जाएगा कि राजस्थान की जनता क्या चाहती है, राजस्थान का सदन क्या चाहता है। आपने समय दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री बाबूलाल जी।

श्री बाबूलाल वर्मा (डग) : माननीय अध्यक्ष महोदय, पुष्कर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो संकल्प रखा है उसका विरोध करने के लिए....

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : अध्यक्ष महोदय, दोनों बातें दो पक्षीय थीं, पक्ष-विपक्ष, दोनों की ओर से आ चुकी हैं। मेरा यह कहना है कि एक घंटे बहस हो चुकी है, अब इसके सम्बन्ध में आप भी निर्णय ले लें।

श्री बाबूलाल वर्मा : एक मिनट, साहब, मैं बोल लूं ।

श्री अध्यक्ष : आप दो मिनट बोल दीजिये फिर मंत्रीजी जवाब देंगे ।

श्री बाबूलाल वर्मा : मैं विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं । (व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : इसके अगला जो संकल्प है आप उसको मुझे मूव कर लेने दें, उस पर भी मुझे चर्चा करने की अनुमति दें ।

श्री अध्यक्ष : बिराजें आप अभी । अभी तो पहले उस पर पूरी चर्चा होगी जब कहना । आप बिराजें ।

श्री विष्णु मोदी : पहले यह कनक्लूड होगा । अभी तो कई माननीय सदस्यों ने शंका जतायी है मुझे उसका जवाब देना है । आप लोगों की जो शंका है उसका मुझे जवाब देना है ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आप पेड़ के लिए चिन्तित हैं (व्यवधान) एक मिनट सुनिये । आप जवाब देंगे । मान लिया मैंने....

श्री विष्णु मोदी : उसके बाद आप मूव करिये ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आप बैठिये तो सही ।

श्री विष्णु मोदी : यह जो शका उठायी है उसका निवारण तो मुझे ही करना पड़ेगा ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आप बैठिये तो सही, श्रीमान् । मुझे बात नहीं करने देंगे क्या आप, कमाल है ! मैं एक बात कह रही हूं आपसे कि दोनों पक्ष समझ में आ चुके हैं सबके कि वन कितने होने चाहिये और पर्यावरण के लिए क्या इसमें होना चाहिये....

श्री अध्यक्ष : यह जो संकल्प है उस पर अभी माननीय मंत्री जी को बात कहनी है इसके बाद मतदान होगा । बिराजें आप ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : देखिये, मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं....

श्री अध्यक्ष : बाद में आपकी बात होगी, अभी कहां आप बीच में आ गये ? माननीय बाबूलाल जी ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मुझे आपसे यह कहना है, मुझे अगला संकल्प मूव कर लेने दो ।

श्री अध्यक्ष : बिराजें आप ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आपको यह चिन्ता तो है लेकिन आपको यह चिन्ता नहीं है कि पाउचों में शराब के पैकेट बिक रहे हैं, आपको यह चिन्ता नहीं है कि अफीम खा कर लोग घर बरबाद कर रहे हैं, आपको यह चिन्ता नहीं है कि ड्राइवर....

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो । बिना अनुमति के बोल रहे हैं, अंकित नहीं हो ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : × × ×

श्री अध्यक्ष : बिराजें आप ।

× × × अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : × × ×

श्री अध्यक्ष : आप विराजें। श्री बाबूलाल जी। महत्वपूर्ण विषय है। अब आप कहां बीच में....(व्यवधान) आपका भी महत्वपूर्ण होगा पर यह भी महत्वपूर्ण है। आप इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा होने दें। सेंट्रल और स्टेट्स के रिलेशंस की बात हो रही हैं, महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही है। विराजें आप। माननीय श्री बाबूलाल जी।

श्री बाबूलाल वर्मा (डग) : माननीय अध्यक्ष महोदय, शांति तो करें, साहब, क्या बोलूं मैं (व्यवधान) पुष्कर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो संकल्प प्रस्तुत किया है उसका मैं विरोध करता हूं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : × × ×

श्री अध्यक्ष : माननीय बाबूलाल जी, कृपया आप बोलें।

श्री बाबूलाल वर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या बोलूं, साहब। थोड़ी शांति करें। मैं बोल लूं उसके बाद आप बोल लेना।

श्रीमती कमला : आप प्रस्ताव मूव करिये बाद में तो ये सब चले जाएंगे।

श्री अध्यक्ष : विराजें आप।

श्रीमती उजला अरोड़ा : × × ×

श्रीमती कमला : मैं तो बैठी रहूंगी आपके प्रस्ताव के समय लेकिन ये सब चले जाते हैं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : × × ×

श्री बाबूलाल वर्मा : थोड़ा शांत तो करें, साहब।

श्रीमती उजला अरोड़ा : × × ×

श्री अध्यक्ष : विराजें आप। यह दो साल से चल रहा हैं संकल्प, आपका, अभी तो मूव ही नहीं हुआ है। यह कैसे हो सकता है। विराजें आप। श्री बाबूलालजी। (व्यवधान) मूव कैसे कर सकते हैं जब यह संकल्प ही पूरा नहीं हुआ ?

श्रीमती उजला अरोड़ा : × × ×

श्री अध्यक्ष : ये इतनी देर में तो बात ही खतम कर देते। विराजें आप।

श्रीमती उजला अरोड़ा : × × ×

श्री महावीर प्रसाद जैन : (मुख्य सचेतक) : × × ×

श्री अध्यक्ष : विराजें आप। आप सारा विधान जानती हैं, रूल्स और प्रोसीजर भी जानती हैं। श्री बाबूलाल जी।

श्री परसादीलाल मीणा : × × ×

श्री अध्यक्ष : विराजिये आप। आपको जब आपने कहा है तब बुलाया है।

श्री बाबूलाल वर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें कोई शक नहीं कि राजस्थान प्रदेश का विकास होना चाहिये। इससे प्रदेश के सभी नागरिकों का आर्थिक स्तर सुधरेगा। राजस्थान प्रदेश का विकास

× × × अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री बाबूलाल वर्मा)

तब होगा जब हम प्रदेश में उपलब्ध संसाधनों का दोहन कर सकेंगे। यदि हम राजस्थान में उपलब्ध संसाधनों का दोहन करेंगे तो राजस्थान प्रदेश का विकास होगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज धरती पर पेड़-पौधों के महत्व को ठुकराया नहीं जा सकता। यदि धरती पर पेड़-पौधे होंगे तो उसका लाभ अच्छे वातावरण के रूप में प्रदेश के किसानों और नागरिकों को मिलेगा। यदि पेड़-पौधे नहीं होंगे तो इसका विपरीत असर पर्यावरण पर पड़ेगा। पुष्कर से आने वाले माननीय सदस्य विष्णु जी मोदी और अन्य सदस्यों ने कहा कि खनिजों के दोहन से हमारे प्रदेश का विकास होगा, रेवेन्यू बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि राजस्थान में मिनरल्स के अपार भण्डार हैं इनके दोहन से राजस्थान की रेवेन्यू बढ़ेगी लेकिन हमें इसके दूसरे पहलुओं पर भी विचार करना पड़ेगा।

यदि हमने पर्यावरण और प्रदेश के वन्य जीव-जन्तुओं पर ध्यान नहीं दिया तो यह हमारे लिये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात होगी। अभी यहां इस बात की बड़े जोरों से पैरवी की गयी कि खनिजों का दोहन होगा तो रोजगार के साधन बढ़ेंगे। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि आज की तारीख में वनों पर आधारित कितने तरह के उद्योग हैं उनकी कल्पना करें। वनों पर आधारित कितनी तरह की कॉमर्शियल क्राप्स हैं. उन पर आधारित उद्योगों से हमें कितने तरह के फायदे होंगे।

आज तरह-तरह की लकड़ियों का प्लांटेशन किया जा रहा है जिसका असर मानसून पर भी पड़ता है। इससे हमें दो तरह के फायदे होते हैं। हमारे यहां अधिकांश लोग खेती का काम करते हैं, यदि पेड़-पौधे होंगे, अच्छा पर्यावरण होगा तो उसका सीधा असर मानसून पर पड़ेगा जिससे खेती बढ़ेगी, रोजगार बढ़ेगा, किसानों की आय बढ़ेगी और इस तरह से प्रदेश का भी विकास होगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय. इन चीजों पर विचार करने के लिये हमें कई चीजें सोचनी पड़ेंगी। एक धरती का सीमित क्षेत्रफल है। हम धरती पर मिनरल्स बढ़ा सकते हैं, उनका दोहन ज्यादा कर सकते हैं, इण्डस्ट्री ज्यादा लगा सकते हैं, दूसरी सब चीजों का क्षेत्रफल बढ़ा सकते है लेकिन धरती का क्षेत्रफल हम किसी भी कीमत पर नहीं बढ़ा सकते।

अध्यक्ष महोदय, आज राजस्थान में पशुधन प्रचार मात्रा में है। मेरा विधान सभा क्षेत्र झालावाड़ जिले में आता है। वहां कई जगह हरियाली है और लोग पशु चराने आते हैं। यदि हम मिनरल्स का दोहन करेंगे, पेड़-पौधों को काट देंगे तो उस पशुधन को कहां चराएंगे? इसलिये हमें आज पशुधन की भी चिंता करनी पड़ेगी यदि हम इस चीज का समर्थन करते हैं तो।

अध्यक्ष महोदय, राजस्थान प्रदेश का विकास करने के लिये सिंचाई के साधनों की भी जरूरत है। आज एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि बाहर से पैसा आता है, हमें सिंचाई के प्रोजेक्ट लगाने पड़ेंगे।

(श्री बाबूलाल वर्मा)

मेरा कहना है कि वर्ल्ड बैंक से पैसा सिंचाई योजनाओं के लिये तो आता ही है, कई अन्य तरह की योजनाएं जैसे ट्यूरिज्म के लिये भी हमें पैसा मिल रहा है। आज हम ट्यूरिज्म और दूसरे उद्योगों का विकास कर सकते हैं। यह ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है कि जितने भी मिनरल्स हैं उनका दोहन करके इस चीज को बढ़ा सकते हैं।

आज हमें पर्यावरण की भी चिंता जरूर करनी पड़ेगी। यदि इसकी चिंता नहीं की तो हमें सांस लेने के लिये सही रूप से वायु नहीं मिल पाएगी।

श्री विष्णु मोदी : जो चिंताएं प्रकट की हैं, उनका जवाब मुझे देना है।

श्री बाबूलाल वर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, हमें कई चीजों पर विचार करना पड़ेगा। धरती पर रहने के लिये कई चीजों की आवश्यकता होती है। धरती पर आज पापुलेशन बढ़ रही है। मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि हमको कल की तारीख में उस पापुलेशन के आवास की व्यवस्था करनी पड़ेगी। उस समय क्या ये सब चीजें हम पैदा कर देंगे ? आपको इण्डस्ट्रियलाइजेशन करना है, सिंचाई योजनाएं चलानी हैं, रहने के लिये आवास चाहिये, इन सबके लिये धरती चाहिये, वह धरती कहां से आएगी ? उस धरती को हम कैसे पैदा कर सकते हैं ? मैं कहना चाहता हूं कि सब चीजें पैदा की जा सकती हैं लेकिन धरती पैदा नहीं की जा सकती इसलिये धरती पर ऐसा वातावरण विकसित किया जाए जिसमें हम अच्छी सांस ले सकें।

मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि किसान के लिये, उद्योगपति के लिये, सबके लिये अलग-अलग तरह की आवश्यकताएं हैं। यदि आज हम इस स्थिति को स्वीकार करें तो हम सिर्फ मिनरल्स के आधार पर ही प्रदेश का विकास कर सकते हैं, इस बात से मैं सहमत नहीं हूं। इसके अलावा भी हमारे पास कई तरह के साधन हैं जिनके द्वारा हम प्रदेश की इनकम को कई तरह से बढ़ा सकते हैं। हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी इससे पूरी तरह सहमत हैं पूरे सक्षम हैं कि कैसे प्रदेश का विकास कर सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : चर्चा पेंडिंग रही। सदन की कार्यवाही सोमवार दिनांक 22 जुलाई, 1996 के प्रातः 11 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही 19.00 बजे, सोमवार, दिनांक 22.7.96 के 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हुई)

218

परिशिष्ट–1

(तारांकित प्रश्न संख्या 663की प्रति)

ओ. पी. मीणा,
विशिष्ट शासन सचिव

जयपुर
राजस्थान

विशिष्ट योजनाएं एव एकीकृत ग्रामीण वि. विभाग
अ.शा. पत्र क्रमांक एफ 27 (108)वियो/साजयो/94
जयपुर, दिनांक 5–9–95

प्रिय श्रीमती शर्मा

आपके जिले में कृषि विकास परियोजनान्तर्गत वर्ष 1995–96 तक 3 सामुदायिक जलोत्थान सिंचाई योजनाएं क्रियान्वित कराने का लक्ष्य था जिसके विरुद्ध इस विभाग द्वारा 3 योजनाओं की स्वीकृति जारी की गई है, परन्तु योजनाओं के क्रियान्वयन की प्रगति नगण्य है, योजनाओं की प्रगति को गति देने के उद्देश्य से आपके अभिकरण के तकनीकी अधिकारियों से विचार-विमर्श किया गया, कार्य की समीक्षा की गई एवं क्रियान्वयन में आ रही कठिनाइयों का निराकरण किया गया, परन्तु योजनाओं की प्रगति में आशाजनक वृद्धि नहीं हुई है । योजनाओं की प्रगति में प्रमुख बाधा लाभान्वित कृषकों की हिस्सा राशि प्राप्त नहीं होना है, इस हेतु विभाग द्वारा मैसिव योजना से 10% राशि ऋण के रूप में दिये जाने के निर्देश भी दिये जा चुके हैं, इसके उपरान्त भी शेष 10% हिस्सा राशि लाभान्वित कृषकों से नगद/श्रम के रूप में प्राप्त नहीं की गई है ।

अतः योजना का सृजन कार्य तभी करे जब योजना में लाभान्वित होने वाले कृषक योजना की अनुमानित लागत की 5% राशि एकत्रित कर जिला ग्रामीण विकास अभिकरण में ज़मा करा देवें । इसके अतिरिक्त सम्बन्धित विकास अधिकारी को भी पाबन्द करें कि वह सामुदायिक जलोत्थान सिंचाई के प्रचार-प्रसार के साथ-साथ कृषकों को प्रेरित कर उनकी हिस्सा राशि जमा करवाने में सक्रिय भूमिका निभायें । परियोजना निदेशक, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण को यह दायित्व दिया जावे कि योजना की स्वीकृति के पश्चात् उस क्षेत्र में कैम्प आयोजित कर कृषकों को हिस्सा राशि जमा करवाने हेतु प्रेरित कर कार्यवाही करें ।

योजनाओं के विद्युतीकरण की गति काफी धीमी है इस हेतु राज. राज्य विद्युत मण्डल के अधीक्षण अभियन्ता एवं परियोजना निदेशक जि.ग्रा.वि. अभिकरण की बैठक आयोजित करवाकर विद्युतीकरण कार्य की प्रगति तीव्र करें ।

आशा है कि आप सामुदायिक जलोत्थान सिंचाई योजनाओं की क्रियान्विति में व्यक्तिगत रुचि लेंगे । यह कार्यक्रम विश्व बैंक की कृषि विकास परियोजनान्तर्गत चलाया

(219)

जा रहा है, इस हेतु चरणबद्ध एवं समयबद्ध भौतिक एवं वित्तीय प्रगति आवश्यक है। सामुदायिक जलोत्थान सिंचाई योजना की प्रगति की समीक्षा आप प्रत्येक माह कर योजना के क्रियान्वयन को वांछित गति देवें।

सादर शुभेच्छु

(ओ. पी. मीणा)

श्रीमती ऊषा शर्मा
जिला कलक्टर एवं अध्यक्ष
जिला ग्रामीण विकास अभिकरण
बून्दी (राज.)

राजस्थान–सरकार

क्रमांक : 3171–72/भू.अ./95/ दिनांक 8/9–11–95

प्रेषिति : श्रीमान् अति. जिला कलक्टर महोदय
(विकास) बून्दी

प्रेषक :–तहसीलदार (भू.अ.) नैनवां

विषय :–ग्राम कल्याणपुरा, मूण्डली का रेवेन्यू ट्रेस की नकल एवं खसरा जमाबन्दी की नकल के क्रम में।

प्रसंग :–श्रीमान् का पत्रांक/जलोत्थान/95–96/758 दिनांक 29–6–95

महोदय,

विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के सन्दर्भ में निवेदन है कि पत्र में खसरा नम्बरान् अंकित न होने से नकलें उपलब्ध करवाया जाना सम्भव नहीं है। अतः श्री प्रभूलाल मीणा पटवारी हल्का सादेडा को दिनांक 16–11–95 को उक्त रेकार्ड लेकर आपके यहां भिजवाया जा रहा है।

तहसीलदार (भू.अ.) नैनवां

कार्यालय तहसीलदार (भू.अ.) नैनवां

क्रमांक : /भू.अ./95 दिनांक 8–11–95

प्रतिलिपी पटवारी हल्का सादेडा को भेजकर लेख है कि दिनांक 16–11–95 को श्रीमान् अति. जिला कलक्टर महोदय (विकास) बून्दी के कार्यालय पर मय रेकार्ड उपस्थित होकर चाही जा रही प्रतिलिपियां उपलब्ध करावें।

तहसीलदार (भू.अ.) नैनवां

परिशिष्ट–2

तारांकित प्रश्न संख्या 664 की सूची

विधान सभा क्षेत्र किशनगंज में अब तक जिन व्यक्तियों को मछली पालन हेतु ऋण या अनुदान दिया गया है, उनकी सूची :—

क्र.सं.	नाम	अनुदान	ऋण (राशि रुपयों में)
1–	श्री जसवन्त सिंह पुत्र स्व. श्री मदन सिंह ग्राम बालापुरा पंचायत समिति किशनगंज	20,000	1,72,000
2–	श्री नरेन्द्र सिंह पुत्र स्व. श्री मदन सिंह ग्राम बालापुरा पंचायत समिति किशनगंज	20,000	1,72,000
	योग :—	40,000	3,44,000
		कुल योग :—	3,84,000
3–	श्री नारायणलाल पुत्र श्री बख्सीराम)		रुपये 56,742/– (उक्त राशि से सात नावें, 52.5 कि. ग्रा. जाल, 870 किग्रा. कृत्रिम भोजन व लीज राशि हेतु अनुदान के रूप में व्यय किये गये)
4–	श्री रामदयाल पुत्र श्री काना)		
5–	श्री मोहनलाल पुत्र श्री घुट्टी)		
6–	श्री प्रेमलाल पुत्र श्री शम्भू)		
7–	श्री मुरारी पुत्र श्री अर्जुनलाल)		
8–	श्री श्यामलाल पुत्र श्री मनफूल)		
9–	श्री पूरन पुत्र श्री सावलिया)		
10–	श्री फूलचन्द पुत्र श्री फत्तू)		
11–	श्री करुआ पुत्र श्री जीवनलाल)		
12–	श्री रामकिशन पुत्र श्री मनफूल)		
13–	श्री राजाराम पुत्र श्री चिन्दू)		
14–	श्री मांगीलाल पुत्र श्री मूला)		
15–	श्री मिश्री पुत्र श्री जीवनलाल)		
16–	श्री मुरारी पुत्र श्री कमलू)		

(201)

परिशिष्ट-3

तारांकित प्रश्न संख्या 665 की नीति

अधूरी सड़कों को पूरा करने हेतु राज्य सरकार की सड़क विकास नीति के अनुसार निम्न प्राथमिकताएं हैं :—

अ. आठवीं पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य :—

1. सन् 1971 की जनगणनानुसार 1000 से अधिक आबादी के सभी गांवों को डामर की सड़कों से जोड़ना।
2. पंचायत मुख्यालय जो किसी भी प्रकार की सड़क से जुड़े हुए नहीं हैं, उनको ग्रेवल/मेटल सड़क से जोड़ना।
3. ग्रोथ सेन्टरों, के मध्य छूटे हुए मुख्य मार्गों को पूर्ण करना, सबसे कम दूरी के सीधे मार्गों का विकास करना।
4. राज्य उच्च मार्गों के मध्य छूटे हुए पुलों/पुलियाओं का निर्माण करना।

ब. नवीं पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य :—

1. सन् 1991 की जनगणनानुसार 1000 से अधिक आबादी के सभी गांवों को डामर की सड़कों से जोड़ना।
2. सभी पंचायत मुख्यालयों की सड़कों का डामरीकरण करना।
3. विरल रूप से आबाद मरु क्षेत्र एवं जनजाति क्षेत्र के 750 से अधिक जनसंख्या (सन् 1991 की जनगणना के आधार पर) के सभी गांवों को सड़कों से जोड़ना।
4. राज्य उच्च मार्गों एवं अधिक दबाव की सड़कों पर छूटे हुए पुलों/पुलियाओं का निर्माण।

उपरोक्त नीति अनुसार राज्य योजना मद से सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। राज्य योजना के अतिरिक्त अन्य सभी योजनाओं जैसे जवाहर रोजगार योजना, रोजगार आश्वासित योजना, 30 जिला 30 काम योजना, निर्बन्ध योजना, आदि के अन्तर्गत ग्रेवल एवं पेटल स्तर तक की सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। ऐसी समस्त ग्रेवल एवं मेटल सड़कों का, जो सड़क नीति के अनुरूप हो, राज्य के योजना मद से डामरीकरण करने की योजना है।

परिशिष्ट-4

(समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर)

बिलाड़ा (पाली) में भूमि का बन्दोबस्ती प्रकरण

667. **श्री भीमराज भाटी** (पाली) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला पाली के शहर पाली की सरहद में श्री आई माता जी, बिलाड़ा की डोली की जमीन 326 बीघा 16 बिस्वा कृषि भूमि जोधपुर राज्य के भू-अभिलेख में संवत् 1981 में अंकित है ? यदि हां, तो संवत् 1981 के इन्द्राज व संवत् 2013 तक इस इंद्राज में कब-कब परिवर्तन किस आधार पर किये गये का विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) प्रश्न का भाग (1) में बतायी गई आराजी का बन्दोबस्ती नवीनीकरण कब हुआ ? क्या नवीनीकरण में खातेदारी इंद्राज बदला गया ?

(3) क्या यह भी सही है कि बंदोबस्त विभाग सक्षम न्यायालय के आदेश के बिना खातेदारी अधिकार न तो किसी को दे सकता है और न ही प्रश्न के भाग 1 में बताये इंद्राज को जो कि श्री आई माताजी के नाम का था, को बदल ही सकता है ? क्या सहायक भू-अभिलेख अधिकारी, पाली का आदेश दिनांक 20 मार्च, 1959 शून्य है ?

(4) क्या सरकार इस बन्दोबस्त अधिकारी की उपेक्षा व गैर कानूनी आदेश बाबत कार्यवाही करने का विचार रखती है । यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

(5) क्या सरकार उपरोक्त इंद्राज की दुरुस्ती बाबत कार्यवाही कर रही है ? यदि हां, तो इंद्राज में दुरुस्ती कब तक करवा दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जोधपुर राज्य के समय सम्वत् 1999 की खतोनी में कस्बा पाली की 301 बीघा 7 बिस्वा भूमि मन्दिर आई माताजी वाके कस्बा बिलाड़ा के नाम अंकित थी । तत्पश्चात् सम्वत् 2013 तक इस इन्द्राज में परिवर्तन होना नहीं पाया जाता है ।

(2) कस्बा पाली का नवीन बन्दोबस्त सम्वत् 2015 से लागू हुआ । इस बन्दोबस्त में ए. आर. ओ. पाली ने मिसल संख्या 84/58–59 निर्णय दि. 20.3.59 द्वारा 327 बीघा 16 बिस्वा भूमि पर भोक्ता मन्दिर श्री आई माताजी का इन्द्राज बदस्तूर रखते हुए कृषक घनश्यामसिंह वल्द पृथ्वीसिंह राजपूत को अंकित करने के आदेश दिये गये तदानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज किया गया ।

(3) सहायक भू–अभिलेख अधिकारी, पाली के निर्णय को अनुचित मानते हुए राजस्व मण्डल ने अपने निर्णय दिनांक 1.11.94 द्वारा निरस्त कर दिया, राजस्व मण्डल के निर्णय दिनांक 1 11.94 की

(राजस्व मंत्री)

पालना में नामान्तरकरण संख्या 1126 दिनांक 11.11.94 द्वारा सम्पूर्ण भूमि मन्दिर श्री आई माताजी के नाम खाता दर्ज करने का अमल राजस्व जमाबन्दी सम्वत् 2048 से 2051 में कर दिया गया है।

(4) चूंकि यह मामला 37 वर्ष पुराना हो गया है तथा ए. आर. ओ. पाली ने निर्णय दिनांक 20.3.59 खुले न्यायालय में पीठासीन अधिकारी की हैसियत से सुनाया है, जिसमें उसकी कोई दुर्भावना दृष्टिगत नहीं है। मामला न्यायिक प्रवृत्ति का है, जिसके विरुद्ध अपील/रिविजन आदि सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किये जाने के प्रावधान हैं। ऐसी स्थिति में सहायक भू–अभिलेख अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही किया जाना उचित नहीं पाया है।

(5) दुरुस्ती की कार्यवाही प्रश्न के भाग (3) के उत्तर में बताये अनुसार की जा चुकी है।

प्रश्न संख्या 668

(स्थगित)

राजकीय चिकित्सालय, पाली के चिकित्सक द्वारा अभद्र व्यवहार

669. श्रीमती बीना काक (सुमेरपुर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि राजकीय चिकित्सालय तख्तगढ़ (पाली) के डॉ. श्री जगदीश सिंह पुरोहित द्वारा एक महिला के साथ अभद्र व्यवहार करने सम्बन्धी कोई एफ. आई. आर. दर्ज हुई ? यदि हां, तो पुलिस प्रशासन द्वारा इस सम्बन्ध में दोषी चिकित्सक के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह भी सही है कि नगरपालिका, तख्तगढ़ के पूर्व उपाध्यक्ष पर घातक हमला होने सम्बन्धी पुलिस में एफ. आई. आर. दर्ज करवाई गई ? यदि हां, तो दोषियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजकीय चिकित्सालय, तख्तगढ़ के चिकित्साधिकारी श्री जगदीश सिंह राजपुरोहित के विरुद्ध श्रीमति भंवरीदेवी पत्नि श्री पारसमल जाति सुथार निवासी तख्तगढ़ के साथ अश्लील व्यवहार करने के सम्बन्ध में प्र.सं. 61/96 धारा 354 भादस दिनांक 18.5.96 को थाना तख्तगढ़ में उसके ससुर की रिपोर्ट पर दर्ज किया गया है। बाद तफ्तीश मुल. जगदीश सिंह नि. शिवपुरा हाल चिकित्सक के विरुद्ध चार्जशीट धारा 354 भादस दिनांक 26.6.96 को मुर्तिब कर ता. 27.6.96 को पेश न्यायालय किया जा चुका है।

(2) श्री रमाशंकर पुत्र उदयशंकर ब्राह्मण एम. ओ. तख्तगढ़ की रिपोर्ट पर जिसमें नगरपालिका के पूर्व उपाध्यक्ष के साथ हमला, मारपीट के सम्बन्ध में प्र. सं. 63/96 धारा 147, 149, 341, 323, 427, 307 भा. द. सं. थाना तख्तगढ़ में दि. 31.5.96 को दर्ज कराया। मुकदमें में बाद अन्वेषण मुल. जगदीशसिंह और जसवन्तसिंह राजपुरोहित को गिरफ्तार

(गृह मंत्री)

किया गया। घटना में प्रयुक्त जीप ग्रार. एस. 21/सी. ग्रो. 0171 को जप्त किया गया। शेष मुलजिमान जुगलकिशोर व लक्ष्मण सिह राजपुरोहित निवासी ठाकुरला की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं।

विधि ग्रायोग के प्रतिवेदन पर कार्यवाही

670. **श्री लक्ष्मणसिंह रावत** (भीम) : क्या विधि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या विधि ग्रायोग ने ग्रपना प्रतिवेदन सरकार को प्रस्तुत कर दिया है? यदि हां, तो कब ? प्रतिवेदन की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त ग्रायोग के प्रतिवेदन में प्रमुख सिफारिशें क्या थी ?

(3) सरकार द्वारा विधि ग्रायोग की सिफारिशों की ग्रनुपालना में ग्रब तक क्या-क्या कार्यवाही की गई ?

(4) सरकार भविष्य में उक्त ग्रायोग की सिफारिशों के ग्रनुरूप क्या-क्या कदम उठाने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) राज्य विधि आयोग ने ग्रपने प्रतिवेदन की 7 रिपोर्टें प्रस्तुत की हैं। प्रत्येक प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय एवं विषय–वस्तु की सूची परिशिष्ट "क" सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) ग्रायोग के प्रतिवेदन की प्रमुख सिफारिशों का विवरण परिशिष्ट "ख" में संलग्न है।

(3) विधि ग्रायोग द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनों में की गई प्रमुख सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही परिशिष्ट "ख" में संलग्न है।

(4) उक्त ग्रायोग द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनों में से तृतीय एवं पंचम की सिफारिशों पर सरकार द्वारा कार्यवाही की जा चुकी है, प्रतिवेदन संख्या प्रथम द्वितीय एवं चतुर्थ पर कार्यवाही जारी है तथा ग्रष्ठम एवं सप्तम प्रतिवेदन की प्रमुख सिफारिशों का परीक्षण कर समुचित कार्यवाही करने का सरकार विचार रखती है।

परिशिष्ट "क"

ग्रायोग द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनों की सूची।

प्रतिवेदन संख्या 1	विषय वस्तु 2	प्रस्तुति की दिनांक 3
प्रथम	राजस्थान परिसर (किराया तथा बेदखली) नियंत्रण ग्रधिनियम, 1950	7.4.93
द्वितीय	संशोधनकारी ग्रधिनियमों को निरसित किये जाने हेतु।	1993
तृतीय	पंचायत राज ग्रधिनियम	23.1.94

(206)

1	2	3
चतुर्थ	सिविल मामलों के शीघ्र निस्तारण हेतु प्रस्तावित सुझाव	23.1.94
पंचम	लोक अपदूषण (न्यूसेन्स)	8.3.95
षष्ठम	सहकारिता विधि	24.10.95
सप्तम	आपराधिक विधि	6.6.96

परिशिष्ट "ख"

प्रथम प्रतिवेदन :

यह प्रतिवेदन किराया नियंत्रण एवं बेदखली से सम्बन्धित विद्यमान विधि के प्रतिस्थापन के सम्बन्ध में है। इस विषय पर विधेयक का प्रारूप तैयार कर विधि विभाग द्वारा उसकी विधिक्षा कर दी गई है। अग्रिम कार्यवाही हेतु विचाराधीन है।

द्वितीय प्रतिवेदन :

यह प्रतिवेदन संशोधनकारी अधिनियमों को निरस्त किये जाने के संबंध में है। आयोग ने वर्ष 1950 से 1992 तक की अवधि में अधिनियमित किये गये अधिनियमों में से 394 संशोधी अधिनियमों के निरसन की सिफारिश की है। इसका परीक्षण करने पर पाया गया है कि 394 अधिनियमों में से 82 अधिनियम विभिन्न संशोधी या नये अधिनियमों द्वारा निरसित हो चुके हैं इनमें से कुछ विधियां जिनको रखना आवश्यक है, को छोड़ते हुए 303 संशोधी अधिनियमों को निरसित करने का निश्चय किया गया है और तदानुसार इन 303 अधिनियमों को निरस्त करने के लिए विधेयक का प्रारूप तैयार कर लिया है और मंत्रीमण्डल के अनुमोदन हेतु कार्यवाही चल रही है। अनुमोदन प्राप्त होने पर अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

तृतीय प्रतिवेदन :

यह प्रतिवेदन पंचायती राज के सम्बन्ध में है। इस विषय पर राज्य सरकार ने राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 अधिनियमित किया जा चुका है और उस नयी विधि के अनुसार चुनाव भी हो चुके हैं।

चतुर्थ प्रतिवेदन :

इसका प्रमुख भाग राज्य के सिविल न्यायालयों में लम्बित विषयों के वादों के

शीघ्र निपटाने के लिए दीवानी प्रक्रिया संहिता की अनुसूची प्रथम के विभिन्न आदेशों में संशोधन किये जाने से सबंधित है । इसमें सशोधन भी उच्च न्यायालय द्वारा किये जाते हैं । इसके लिए विषय प्रतिवेदन की प्रति के साथ दिनांक 4–2–94 को राजस्थान मा. उच्च न्यायालय को निवेदन कर दिया गया है । कार्यवाही मा. उच्च न्यायालय में चल रही है । इस प्रतिवेदन के अन्य बिन्दुओं पर विचार किया गया जो दीवानी प्रक्रिया संहिता की धारा 80 के अधीन विभिन्न कृत्य कार्यों को प्राप्त होने वाले नोटिसों के संबंध में शीघ्र एवं प्रभावी कार्यवाही के लिए प्रक्रिया के निर्धारण से सम्बन्धित है । इसके लिए विधि एवं न्याय विभाग नियमावली 1958 में संशोधन कर पुनरिक्षित किया जाकर अग्रिम कार्यवाही जारी है ।

पंचम प्रतिवेदन :

यह प्रतिवेदन लोक अपदूषण के संबंध में नयी विधि अधिनियमित करने के सम्बन्ध में है । इस मामले में परीक्षण करने के उपरान्त यह निश्चय किया गया है कि विद्यमान विधि लोक अपदूषण के सम्बन्ध में कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त है और नये विधान की आवश्यकता नहीं है ।

षष्ठम प्रतिवेदन :

यह सहकारिता विधि से संबंधित है । इस पर परीक्षण की कार्यवाही राज्य सरकार द्वारा की जा रही है ।

सप्तम प्रतिवेदन :

यह अपराधिक विधि से संबंधित है । रिपोर्ट माह जून में प्राप्त हुई है । कार्यवाही की जा रही है ।

विधान सभा क्षेत्र हिण्डौन के निर्माण कार्य

671. श्री कमल (हिण्डौन) : क्या विशिष्ट योजना संगठन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) विधान सभा क्षेत्र हिण्डौन में पिछले एक वर्ष में कितने तालाबों के निर्माण की स्वीकृतियां जारी की गई ?

(2) क्या उक्त निर्माण कार्यों की स्वीकृतियों में जन प्रतिनिधियों से सहमति ली गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या उक्त निर्माण में जो जवाहर रोजगार योजना मद में स्वीकृत किए गए हैं, में ट्रेक्टरों द्वारा कार्य करने की छूट सरकार द्वारा दी गई है ? यदि नहीं, तो ट्रेक्टरों का उपयोग किए जाने के कारणों का विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(श्री कमल)

(4) उक्त निर्माण कार्यों में भुगतान का क्या आधार है तथा किये गये कार्य की माप का आधार क्या है ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र हिण्डौन में वर्ष 1995–96 में सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत 46 तालाबों की स्वीकृतियां जारी की गई थी, जिनकी अनुमानित लागत राशि 42.75 लाख रुपये थी। विवरण परिशिष्ट–"अ" पर संलग्न है।

(2) जी, हां। उक्त निर्माण प्रधान, पंचायत समिति, हिण्डौन तथा जनप्रतिनिधियों की अभिशंसा पर स्वीकृत किए गए थे।

(3) उक्त तालाब निर्माण कार्य सुनिश्चित रोजगार योजनान्तर्गत स्वीकृत किए गए तथा केन्द्र सरकार की मार्ग निर्देशिका के अनुसार योजनान्तर्गत इन कार्यों को ट्रेक्टरों द्वारा कार्य कराने का कोई प्रावधान नहीं है। इस सम्बन्ध में परियोजना निदेशक, सवाईमाधोपुर से विस्तृत विवरण प्राप्त किया जा रहा है।

(4) सुनिश्चित रोजगार योजनान्तर्गत भारत सरकार के दिशा–निर्देशानुसार स्वीकृत कार्यों की क्रियान्विति मस्टर रोल पर रखे गए श्रमिकों द्वारा की जाती है, जिनका भुगतान उनके द्वारा किये गये कार्य की माप के आधार पर किया जाता है। निर्माण कार्य पर अन्य भुगतान कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा कार्य के मूल्यांकन के आधार पर माप-पुस्तिका में प्रविष्ठियों के अनुसार किया जाता है।

609

परिशिष्ट "ब"

क्र.सं.	कार्य का नाम	स्वीकृत राशि	क्या तकनीकी स्वीकृति जारी की गई है	व्यय राशि	भौतिक स्थिति पूर्ण/अपूर्ण	कार्य प्रारम्भ नहीं होने के कारण	प्रथम किस्त अग्रिम राशि	शेष राशि कार्य मूल्यांकन के आधार पर
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	तालाब निर्माण व इजर	5000	हां	65500	अपूर्ण	प्रारम्भ	37500	—
2.	गुढापोला	75000	,,	70000	,,	,,	37500	30000
3.	,, शंकर की ढाणी	75000	,,	70000	,,	,,	37500	
4.	जगनत्था	75000	,,	70000	पूर्ण	,,	37500	30000
5.	,, सीतापुर	75000	,,	37500	अपूर्ण	,,	37500	,,
6.	,, ढहर	75000	,,	70000	,,	,,	37500	,,
7.	,, खुसंटपुरा	75000	,,	37500	,,	,,	37500	,,
8.	,, फाजिलावाद	75000	,,	70000	,,	,,	37500	,,
9.	,, खेडीहैवत	75000	नहीं	निल	,,	तकनीकी स्वी. का अभाव	,,	,,
10.	,, पालनपुर	75000	हां	70000	,,	प्रारम्भ	37500	,,
11.	,, चमरपुरा	75000	,,	70000	,,	,,	37500	30000

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12.	„ विजयपुरा	75000	हां	70000	अपूर्ण	प्रारम्भ	37500	
13.	„ काचराली	75000	„	70000	„	„	37500	30000
14.	„ बडूला कोडिया	75000	„	70000	„	„	37500	30000
15.	„ पटौदा	75000	„	70000	„	„	37500	
16.	„ पीपलहेडा	100000	„	90000	„	„	50000	40000
17.	„ बझेड़ा	100000	„	50000	„	„	50000	
18.	„ वनको	100000	„	90000	„	„	50000	40000
19.	वमेनियावाली कोडिया	100000	„	70000	„	„	40000	32000
20.	„ दानालपुर	100000	„	90000	„	„	50000	„
21.	„ रेवई	100000	„	90000	„	„	50000	„
22.	„ गुर्जरगावडा	100000	हां	50000	अपूर्ण	„	50000	„
23.	„ करई	100000	„	90000	„	„	50000	„
24.	„ हुकमीखेड़ा	100000	„	90000	„	„	50000	„
25.	„ खेडलीगुर्जर	100000	„	90000	„	„	50000	40000
26.	„ मंगी	100000	„	50000	„	„	40000	„

210

1	2	3	4	5	6	7	8	9
27.	,, सीतापुर	800000	हां	40000	अपूर्ण	प्रारम्भ	50000	
28.	,, सनेट	100000	,,	90000	,,	,,	50000	40000
29.	,, सिकरोडामोना	100000	नहीं	निल	अपूर्ण	भूमि विवाद	50000	,,
30.	,, सोमला	100000	हां	90000	,,		50000	,,
31.	,, धधावली	100000	नहीं	निल	,,	भूमि विवाद	50000	,,
32.	,, अटकोली	100000	हां	90000	,,		50000	40000
33.	,, सूरौठ	100000	,,	90000	,,		50000	,,
34.	,, बाजनाकलां	100000	,,	54000	,,		50000	,,
35.	,, टोडापुरा	100000	,,	90000	,,		50000	40000
36.	,, महूदलालपुर	100000	,,	50000	,,		50000	,,
37.	,, वमनपुरा, खरेरा	100000		90000	,,		50000	40000
38.	,, खोहरा धूसेठी	100000	,,	90000	,,	,,	50000	40000
39.	,, डाब का मन्दिर शेरपुर	100000	नहीं	निल	,,	भूमि विवाद	50000	,,
40.	,, रारासायपुर	100000	हां	50000	,		50000	,,
41.	,, श्यामपुर मूडरी	100000	,,	90000	,,		50000	,,

1	2	3	4	5	6	7	8	9
42.	,, प्याऊकापुरा	100000	हां	90000	अपूर्ण	भूमि विवाद	50000	40000
43.	,, मनेयाडूगरोनीचे	100000	नहीं	निल	,,		50000	,,
44.	,, सतोवालोन रोक्या-रवाकला	100000	हां	50000	,,		50000	,,
45.	,, नगलामीना	100000	,,	90000	अपूर्ण		50000	40000
46.	,, चादनगांव	100000	,,	50000	,,		50000	40000

भवदीय

विकास अधिकारी,
पंचायत समिति
हिण्डौन

प्रश्न संख्या 672

(स्थगित)

विधान सभा क्षेत्र डग के पशु चिकित्सालय

673. श्री बाबूलाल वर्मा (डग) : क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) विधान सभा क्षेत्र डग में कुल कितने पशु चिकित्सालय कहां-कहां पर कार्यरत हैं ?

(2) उक्त पशु चिकित्सालयों एवं डिस्पेन्सरियों में कितने-कितने चिकित्सक एवं कर्मचारियों के पद स्वीकृत हैं ?

(3) प्रत्येक पशु चिकित्सालय एवं डिस्पेन्सरियों में कार्यरत कर्मचारियों की पद के अनुसार संख्या एवं उक्त चिकित्सालयों में उक्त कर्मचारी कब से कार्यरत हैं । का विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र डग में 5 पशु चिकित्सालय एवं एक पशु औषधालय निम्न स्थानों पर कार्यरत है :--

पशु चिकित्सालय-भवानीमंडी, चौमहला, डग, गंगानगर, मिश्रोली पशु औषधालय--उन्हेल ।

(2) उक्त संस्थाओं में स्वीकृत पदों की सूची (क) सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(3) पशु चिकित्सालय एवं औषधालय में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारियों की पद के अनुसार संख्या एवं कब से कार्यरत हैं, की तालिका (ख) सदन की मेज पर रख दी गई है ।

सूची "क"

विधान सभा क्षेत्र डग (झालावाड़) के अन्तर्गत संचालित संस्थाओं में सृजित पदों का विवरण

क्रम संख्या	संस्था का नाम	स्वीकृत पद का नाम एवं संख्या वी.ए.एस.	वी.ए.	प.ध.स.	सईस	जलधारी	सफाईकर्ता	वाहन चालक	विशेष विवरण
1.	पशु चिकित्सालय, डग	1	—	2	—	1	1	—	सईस का पद नॉन-प्लान का होने पर सेवानिवृत्ति पर पद समाप्त
2.	पशु चिकित्सालय, भवानीमंडी	1	—	2	1	1	1	—	
3.	पशु चिकित्सालय, चौमहला	1	—	1	1	1	—	—	
4.	पशु चिकित्सालय, गंगधार	1	—	1	—	—	—	—	सईस, जलधारी व सफाईकर्ता के तीनों पद नॉन-प्लान के होने से सेवानिवृत्ति पर पद समाप्त
5.	पशु चिकित्सालय, मिश्रोली	1	—	2	1	1	1	—	
6.	पशु औषधालय, उन्हेल	—	1	1	1	—	1	—	

215

सूची "ख"

विधान सभा क्षेत्र डग (झालावाड़) में कार्यरत कर्मचारियों का विवरण

क्र.सं.	संस्था का नाम	पद एवं कार्यरत कर्मचारी					
		वी.ए.एस.	वी.ए.	प.ध.स.	सईस	जलधारी	सफाईकर्ता
1.	पशु चिकित्सालय, डग	डॉ. पंवार उज्जवल सिंह 3/95 से	—	1. श्री सत्यनारायण बादल 2. पद रिक्त 11/95 से	सेवानिवृत होने से पद समाप्त	श्री पुरुषोतमदास बैरागी	श्री प्रकाशचन्द हरिजन
2.	पशु चिकित्सालय, भवानीमंडी	डॉ. ओमप्रकाश तिवाड़ी 4/83 से	—	1. श्री भगवानदास शर्मा 5/79 से 2. श्री सैयद अहमद अली 11/91 से	श्री हरलाल	श्री अब्दुल कादिर	श्री बृजेश हरिजन
3.	पशु चिकित्सालय, चौमहला	डॉ. हरिश्चन्द्रसिंह चौहान 5/89 से	—	1. श्री रामचरण मीणा	रिक्त (7/95 से)	श्री बाबूलाल	—
4.	पशु चिकित्सालय, गंगधार	पद रिक्त है (8/95 से)	—	1. श्री देवेन्द्र कुमार माथुर (8/91 से)	सेवानिवृत होने से पद समाप्त	सेवानिवृत से पद समाप्त	सेवानिवृत होने से पद समाप्त
5.	पशु चिकित्सालय, मिश्रोली	पद रिक्त है (7/95 से)	—	1. श्री लियाकत अली 11/79 से 2. श्री घनजी कटारा 2/92 से	श्री कालूसिंह	श्री बाबूलाल बागरी	श्री छोटेलाल
6.	पशु औषधालय, उन्हेल	—	श्री श्रीकृष्ण शर्मा 8/91 से	1. श्री खलील अहमद अंसारी	श्री प्रहलाद नागर	—	श्री बसंती लाल

राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 8 पर बनी नालियों की सफाई व्यवस्था

674. श्री बाबूलाल (दूदू) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जयपुर जिले के दूदू कस्बे में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 पर बनी हुई नालियों की हर वर्ष बरसात से पहले सफाई की जाती है ?

(2) क्या यह भी सही है कि तीन वर्ष से इन नालियों की सफाई नहीं की गई है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या अब सरकार नालियों की सफाई करवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(3) उक्त नालियों की तीन वर्ष में कब-कब सफाई करवाई गई और इन पर कितना व्यय हुआ, कितने मजदूरों कितने-कितने दिन सफाई का कार्य किया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, नहीं। यह कार्य सम्बन्धित पंचायत का दायित्व होता है जिसका वह उचित प्रकार से निर्वहन नहीं कर रही है।

(2) गत तीन वर्षों में केवल वर्ष 1994–95 में नालियों के अवरुद्ध हो जाने से सड़क पर पानी आने एवं उसके क्षता होने की परिस्थितियां उत्पन्न हो जाने के कारण नालियों की सफाई का कार्य कराया गया था।

वर्ष 1994-95 में उक्त नालियों की सफाई कार्य निविदाएं प्राप्त कर न्यूनतम निविदादाता से कराया गया था। कार्य 7/94 से 9/94 की अवधि में किया गया और रुपये 19336/– का व्यय किया गया।

प्रश्न संख्या 675

(स्थगित)

औषधि नियंत्रण विभाग द्वारा संकलित नमूने

676. श्री रामेश्वर लाल चौधरी (नावां) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) 1 जनवरी, 1990 से अब तक राज्य के औषधि नियंत्रण विभाग के औषधि निरीक्षकों द्वारा ऐलोपैथिक औषधियों के कितने नमूने लिये गये ? लिए गए नमूनों में से कितने नमूने केन्द्रीय औषधि प्रयोगशाला को भेजे गये ? तथा नकली/अवमानक पाये गये ?

(2) केन्द्रीय औषधि प्रयोगशाला में अवमानक कोटि के तथा नकली पाये गये नमूनों की सूची सदन की मेज पर रखे उपरोक्त प्रकार(अवमानक/नकली) के कितने नमूनों में न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किये गये तथा कितनों में आरोप पत्र प्रस्तुत नहीं किये गये ?

(3) अवमानक कोटि/नकली के सभी नमूनों में न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत करने की कार्यवाही न किये जाने के कारणों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) 1 जनवरी, 1990 से 30 जून, 1996 तक औषधि निरीक्षकों द्वारा विश्ले-

(राज्य मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य)

षण हेतु 4548 नमूने ऐलोपैथिक औषधियों के राज्य में लिये गये। उनमें से 307 नमूने भारत सरकार की केन्द्रीय औषधि प्रयोग-शाला कलकत्ता को भेजे गये। तथा विश्लेषण उपरान्त 10 नमूने नकली तथा 46 नमूने अवमानक कोटि के पाये गये।

(2) विश्लेषण पर नकली, अवमानक कोटि के पाये गये नमूनों की सूची क्रमश: अनुसूची प्रथम एवं द्वितीय के अनुसार है।

एक नकली पाये गये नमूने के प्रकरण में न्यायालय में चालान प्रस्तुत कर दिया गया है एवं शेष 9 में चालान प्रस्तुत करने की कार्यवाही जारी है।

अवमानक कोटि के पाये गये नमूनों में से 6 प्रकरणों में न्यायालय में आरोप-पत्र प्रस्तुत किये जा चुके हैं। व शेष में चालान प्रस्तुत करने व अन्य कानूनी कार्यवाही करने की प्रक्रिया पूर्ण की जा रही है।

(3) अवमानक कोटि के उन मामलों में आरोप-पत्र प्रेषित नहीं किए गए जिनमें औषधि सलाहकार समिति ने गम्भीर नहीं माना है।

अनुसूची–1

PARTICULARS OF SAMPLES DECLARED SPURIOUS BY CDL CALCUTTA OUT OF SAMPLES DRAWN 1.1.96 to 30.6.96

YEAR	S.No.	NAME OF MANUFACTURER	NAME OF DRUG	B No.
	1.	M/s Dujhon Laboratories Ltd, Indore	Septamicin Skin Cream	Q
	2.	" Pilco Pharma (P) Ltd, Kanpur	Inframycin Skin Cream	IF 1
	3.	" Sky Lab, Rohtak	Skytin Skin Cream	822
	4.	" Hindustan Medicine Product Barauni	Himotin Skin Cream	13
	5.	" Hindustan Medicine Product, Barauni	Himotin Skin Cream	10
	6.	" Dujhon Laboratories Ltd. Indore	Septamicin Skin Cream	H
	7.	" Pilco Pharma (P) Ltd. Kanpur	Inframycin Skin Cream	IG 12

1	2	3	4	5
	8.	M/s Dujhon Laboratories Ltd. Indore	Septamicin Skin Cream	Z
	9.	" Hindustan Medicines Products, Barauni	Himotin (Framycetin Skin Cream)	16
	10.	" Sky Lab, Rohtak	Skytin (Framycetin Skin Cream)	842

अनुसूची-2

PARTICULARS OF SAMPLES FOUND TO BE NOT OF STANDARD QUALITY TESTED BY CDL, CALCUTTA OUT OF SAMPLES DRAWN FROM 1.1 96 to 30 6.90

YEAR	S.No,	NAME OF MANUFACTURER	NAME OF DRUG	B. NO.
1990	1.	M/S I.D.P.L., Rishikesh	Inj. Ampicillin IP 250 Mg	0056E
	2.	" ATS Pharmaceuticals, Jaipur	Cap. Chloramp-heniool IP 250Mg	Not labelled
	3.	" —do—	Cap. Amoxicillin IP	Not labeled
	4.	" Hindustan Antibiotic Ltd, Pimpri, pune.	Amicillin Sod. for Inj. IP 500Mg Dynocil	0458
	5.	" Mighty Pharma Pvt Ltd, Bombay (VAsai)	Ampicillin Sod. for Inj. IP 100Mg	9AP27
	6.	" Goa Antibiotics & Pharma Ltd, Tuem Goa.	Ampicillin Inj. IP	GV-111
	7.	" I.D.P.L., Virbhadra	Fortified Precain Pencillin Inj. IP	8794-B

219

1	2	3	4	5
8.	M/s	Udhav Pharmaceuticals, Darbhanga.	Sterilet water for Inj.	494
9.	"	Mighty Pharma Pvt Ltd, Vasai, Bombay.	Inj. Ampicillin Sod. IP 250mg	9AP17
10	"	—do—	—do—	9AP15
11.	"	Alembic Chemical Works, Co Ltd, Baroda.	Ampicillin Inj IP (Bacipen) 500mg	01986
12.	"	Vivek Pharmaceuticals, Jaipur.	Oxytetracyclin Inj. D Vet C	OT8906
13.	"	—do—	—do—	OT9004
14.	"	Keywest Medicines Pvt Ltd, Bombay	Inj. Filquine	K600
15.	"	ADMAC Pharma Pvt Ltd. Panchkula.	Inj. Dexagene	DZ104
16.	"	Brufin Laboratories. Vasana, Balsad.	Inj. Chloramphenicol	USP C3896
17.	"	Popular Industries, Sitamarhi.	Sterile water for Inj.	Ip A-225
18.	"	Goa Antibiotics & Pharma Ltd, Tuem, Goa.	Fortified Precain Pencillin IP	GV 078
19	"	Biochem Pharmaceuticals Ind Ahmedabad.	Inj. Gentamycin IP (Biogaracin)	11290
20.	"	Aristo Pharmaceuticals Pvt Ltd. Bombay,	Inj. Aristocillin IP 100mg	L07039
21	"	I,D.P.L., Rishikesh	Fortified Procaine Pencillin Inj. IP	88213

20

1	2	3	4	5
	22.	M/s I.D.P.L. Veerbhandra	Fortfied Procaine Pencillin Inj. IP	8821B
	23.	,, Maharastra Antibiotics & pharmaceuticals Ltd. Nagpur.	Cap. Ampicillin	A828LO18
	24.	,, Alembic Chemical Works Co. Ltd. Bafoada	Benzyl Pencillin Inj. IP	G–129
	25.	,, Vivek Pharmaceuticals, Jaipur	Oxytetracycline Inj.	9002
1991	26.	,, Hindustan Pharmaceuticals, Barauni.	Inj. Oxytocin B. Vet. C	OH204
	27.	,, Kesla lab, Alwar	Dextrose Inj.	6890
	28.	,, Popular Industries, Sitamahri (Bihar)	Water for Inj. (Sterile)	235
	29.	,, Reliance India. Jaipur	Water for Inj. (Sterile)	4332
	30.	,, NIP Organics, Bhiwadi.	Dexamethasone Inj.	DE-213
	31.	,, Goa Antibiotics & Pharma Ltd. Goa.	Amplicillin Inj. IP	GV 099
	32.	,, Hindustan Pharma, Barauni.	Oxyticin Inj. B. Vet C	OH 178
	33.	,, Vivek Pharmaceuticals, Jaipur	Leraquine Inj.	CQ9005

1	2		3	4	5
1992	34.	M/s	Becon Drug International, Pvt. Ltd. New Delhi,	Backpyrin Cap.	BK070
	35.	,,	Popular Industries, Sitamarhi.	Sterile Water for Inj. IP	A–274
	36.	,,	NLP Organics, Bhiwadi.	Dexamethasome Inj.	DE–241
	37.	,,	Ralis India Ltd. Bombay.	Digiplex	A–1024–749
1993	38	,,	Times Pharmaceuticals, Jaipur.	Sterile Water for Inj. IP	214
	39.	,,	—do—	—do—	217
	40.	,,	J. K. Laboratories Pvt. Ltd. Bhilwara.	Dextrose Inj. IP	JKP–586A
1994	41.	,,	Times Pharmaceuticals Jaipur.	Inj. Oxytocin BP vet	002
	42.	,,	Sri Saibaba Pharmaceuticals Ind. (P) Ltd, Madras.	Inj. Sod. Chloride & Dextrose 5% IP	4124
	43.	,,	—do—	Inj. Dextrose IP	4123
	44.	,,	J&J Pharmaceuticals, Khunja.	Electolin with Neomycin	J 1352
1995	45.	,	Jagson Pal Pharmaceuticals, Faridabad.	Amplus Cap.	342
	46.	,,	Neelam Chemicals Works Gaya, Bihar	Inj. Oxytocin Vet.	002

जोधपुर एवं उदयपुर में पुलिस विधि विज्ञान प्रयोगशालाएं

677. श्री अरूण सिंह (डीग) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1995-96 में पुलिस विधि विज्ञान प्रयोगशाला की क्षेत्रीय प्रयोगशालाएं जोधपुर एवं उदयपुर में खोली जा रही हैं ? यदि हां, तो क्या उक्त प्रयोग-शालाओं में अस्त्रक्षेप (ब्लास्टिक) एवं जीव विज्ञान (बायलोजी) जैसे महत्व-पूर्ण खण्डों को खोला जा रहा है ?

(2) ऐसे महत्वपूर्ण खण्डों के बिना क्षेत्रीय प्रयोगशालाएं खोलने का क्या औचित्य है ? इन खण्डों की अनुपस्थिति में आंतककारी गतिविधियों, हत्या एवं बला-त्कार जैसे संगीन अपराधों में वैज्ञानिक सहायता शीघ्र उपलब्ध करवाने की क्या व्यवस्था की गई है ?

(3) क्या प्रलेख (डाक्यूमेंट्स) अनुभाग को क्षेत्रीय प्रयोगशाला में सम्मिलित किया गया है ? यदि हां, तो इसका क्या औचित्य है ? क्या यह भी सही है कि भारत वर्ष की किसी भी रेन्ज या क्षेत्रीय प्रयोगशाला में प्रलेख अनुभाग शामिल नहीं किया गया ?

(4) क्या वर्ष 1979–80 से जो रेंज प्रयोगशालाएं खोली गई थी उन्हें बन्द कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(5) क्षेत्रीय प्रयोगशाला के प्रभारी निदेशक का मुख्यालय कहां होगा एवं क्यों?

उत्तर

(1) जी हां, वर्ष 1995–96 में पुलिस विधि विज्ञान प्रयोगशाला को दो क्षेत्रीय प्रयोगशालाएं जोधपुर और उदयपुर में खोले जाने की स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई हैं। अस्त्रक्षेप खंड एवं बाय-लोजी खंड प्रथम चरण में नहीं खोले जा रहे हैं। इन प्रयोगशालाओं में विभिन्न खण्ड चरणबद्ध रूप से आरम्भ किये जायेंगे।

(2) आतंककारी गतिविधियों, हत्या एवं बलात्कार से सम्बन्धित प्रकरणों के अन्वेषण के लिये तत्काल सहायता पहुंचाये हेतु क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं में रसायन खंड एवं सीरम खंड के विशेषज्ञ सक्षम होंगे। अन्य प्रकार की आवश्यकता होने पर राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला, जयपुर की सेवायें प्राप्त की जा सकेगी।

(3) जी हां। इसका औचित्य यह है कि प्रलेख खंड विधि विज्ञान प्रयोगशाला का एक महत्वपूर्ण खंड है जिसकी पुलिस विभाग के साथ-साथ अन्य विभागों को भी क्षेत्रीय एवं जिला स्तर पर समय-समय पर अनुसंधान में आवश्यकता पड़ती है। भारत वर्ष के किसी अन्य प्रदेश की क्षेत्रीय प्रयोग-शालाओं में प्रलेख खंड है अथवा नहीं, इसके बारे में सूचना राज्य सरकार के पास उप-लब्ध नहीं है।

(4) पूर्व में रेंज प्रयोगशालाएं नहीं खोली गई थीं तथा मात्र घटना स्थलों का निरीक्षण करने हेतु केवल क्षेत्रीय चल इका-ईयां स्वीकृत की गई थी। इनका समायो-जन कार्यभार को देखते हुए 1984 के पुन-र्गठन के अन्तर्गत मुख्य प्रयोगशाला में कर दिया गया था।

(5) क्षेत्रीय प्रयोगशाला उदयपुर एवं जोधपुर के प्रभारी अतिरिक्त निदेशक होंगे,

(गृह मंत्री)

जिनका मुख्यालय क्रमशः उदयपुर एवं जोधपुर होगा।

सीमलवाड़ा (डूंगरपुर) में न्यायिक सेवा के रिक्त पद

678. **श्री शंकर लाल अहारी** (चौरासी) : क्या विधि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि डूंगरपुर जिला कलक्टर एव सीमलवाड़ा, सिविल जज क, ख एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय में मजिस्ट्रेट के पद पर रिक्त हैं ? यदि हां, तो इन पदों को सरकार कब तक भरने का विचार रखती है ? यदि नहीं तो क्यों ?

उत्तर

डूंगरपुर जिला कलक्टर एवं सीमलवाड़ा सिविल जज (कनिष्ठ खण्ड) एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट के पद रिक्त नहीं हैं। अतः उक्त पदों को भरने का प्रश्न नहीं उठता है।

पंचायत समिति टोडाभीम की सम्पर्क सड़कों का निर्माण

679 **श्री हरिसिंह** (महुआ) एवं **श्री परसादीलाल मीणा** (लालसोट) : क्या विशिष्ट योजना संगठन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, सवाई माधोपुर द्वारा सन् 1988 में पंचायत, समिति टोडाभीम के पंचायत मुख्यालय बोल को हिण्डौन–महुआ सड़क पर गांव खेड़ला से जोड़ने के लिए सम्पर्क सड़क स्वीकृत की गई थी ? यदि हां, तो किस योजना के अन्तर्गत ? क्या इस सम्पर्क सड़क का कार्य पूर्ण करवा दिया गया ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इस अधूरी सम्पर्क सड़क को पूरा करने का इरादा रखती है ?

उत्तर

जी नहीं, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, सवाई माधोपुर द्वारा पंचायत समिति टोडाभीम के पंचायत मुख्यालय बोल को हिण्डौन महुआ सड़क पर गांव खेड़ला से जोड़ने के लिए 1988 में कोई स्वीकृति नहीं दी गई थी, अपितु ग्राम पंचायत बोल को हिण्डौन, महुआ सड़क से जोड़ने हेतु लगभग 1.3 किमी. सम्पर्क सड़क के निर्माण की स्वीकृति जवाहर रोजगार योजना (द्वितीय धारा) के अन्तर्गत दिनांक 28.2.94 को दी गई थी। हिण्डौन महुआ सड़क से गांव खेड़ला पूर्व में ही सम्पर्क सड़क से जुड़ा हुआ है।

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक 2231 दिनांक 4.3.94 द्वारा इस सड़क कार्य पर जांच की अवधि में कार्य नहीं करवाने के आदेश दिए गए थे। इस प्रकरण में तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, गंगापुर सिटी द्वारा इस विषय पर पूर्व विधान सभा प्रश्न के उत्तर में गलत तथ्य प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में जिला कलक्टर सवाई माधोपुर द्वारा की गई जांच के आधार पर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग को लिखा गया था। दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही हो जाने पर इस सड़क का निर्माण

(राज्य मंत्री, विशिष्ट योजना संगठन)

कार्य पूर्ण कराने सम्बन्धी कार्यवाही करना संभव होगा।

अधिकारियों के विरुद्ध विचाराधीन जांच प्रकरण

680. श्री राजेन्द्र गहलोत (सरदारपुरा) : क्या मुख्य कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) विभिन्न विभागों में गत तीन वर्षों से कितने अधिकारियों के विरुद्ध जांच चल रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) जांच पूर्ण होने पर दोषी पाये जाने के पश्चात् भी ऐसे कितने प्रकरण हैं जिन पर कार्यवाही की जानी अपेक्षित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) जांच में दोषी पाये जाने के पश्चात् सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

(4) क्या लम्बे समय तक जांच रिपोर्ट नहीं देने पर सरकार जांच अधिकारी बदलने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) कार्मिक विभाग में विभिन्न सेवाओं के 1089 अधिकारियों। कर्मचारियोंके विरुद्ध विभागीय जांच की कार्यवाही अप्रैल 1993 से चल रही है, जिसका विवरण परिशिष्ट "क" पर उपलब्ध है।

(2) जांच पूर्ण होने पर दोषी पाये जाने के पश्चात् 207 अधिकारियों। कर्मचारियों के मामलों में आगामी कार्यवाही की जाना अपेक्षित है। विवरण परिशिष्ट "ख" पर उपलब्ध है।

(3) उपरोक्तानुसार जांच के उपरांत दोषी पाये गये 207 अधिकारियों। कर्मचारियों के प्रकरणों में परिशिष्ट "ख" में दर्शाये अनुसार कार्यवाही चल रही है।

(4) जी हां। जिन प्रकरणों में राज्य सरकार को यह प्रतीत होता है कि किसी कारणवश जांच में अनावश्यक विलम्ब हो रहा है तो उस स्थिति में तुरन्त प्रभाव से जांच अधिकारी बदल दिया जाता है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

उदयपुर संभाग में प्रस्तावित पशु चिकित्सालय

681. श्री महावीर भगोरा (गोगुन्दा): क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1994–95 एवं 1995–96 में उदयपुर संभाग के जनजाति बाहुल्य संभागों में कोई औषधालय खोले गये हैं? यदि हां, तो सूची जिलेवार, तहसीलवार, सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उदयपुर संभाग में पशुचिकित्सालय वर्तमान में पर्याप्त माने जा रहे हैं? यदि नहीं, तो नये चिकित्सा केन्द्र कहां-कहां खोलने के प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 1994–95 में नई पशु चिकित्सा संस्थाएं नहीं खोली गई एवं वर्ष 1995–96 में खोले गये चिकित्सालयों में से उदयपुर संभाग के जनजाति क्षेत्र में 9 स्थानों पर पशु चिकित्सालय खोले गये हैं। जिसकी जिलेवार, तहसीलवार सूची (क) सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी, हां। वर्तमान में राज्य में सीमित वित्तीय साधनों के कारण उदयपुर संभाग में नयी पशु चिकित्सा संस्थाएं खोलना संभव नहीं है।

सूची "क"

वर्ष 1995–96 में उदयपुर संभाग के जनजाति क्षेत्र में खोले गये पशु चिकित्सालयों की जिलेवार एवं तहसीलवार सूची

क्र. सं.	जिला	तहसील	पशु चिकित्सालय खोलने का स्थान
1.	बांसवाड़ा	कुशलगढ़	1. बस्सी
2.	चित्तौड़गढ़	प्रतापगढ़	2. ग्यासपुर
		अरनोद	3. बड़ी साखथली
3.	डूंगरपुर	आसपुर	4. रामगढ़
		सागवाड़ा	5. ओबरी
		सीमलवाड़ा	6. पिकराली
4.	उदयपुर	मावली	7. नाहरमगरा
		गिर्वा	8. चिरवा
		धरियावद	9. अगई

विधान सभा क्षेत्र बयाना में सड़क निर्माण

682. श्री बृजेन्द्रसिंह सूपा (बयाना) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या विधान सभा क्षेत्र बयाना की स्वीकृत सड़कों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है ? यदि हां, तो कौन-कौन सी सड़कें पूर्ण हो चुकी हैं ?

(2) क्या यह सही है कि सड़कों के निर्माण में अधिकारियों द्वारा लापरवाही बरती गई है ? यदि हां, तो सरकार द्वारा

(श्री बृजेन्द्रसिंह सूपा)

दोषी अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई हैं?

(3) दिनांक 13 मई, 1994 एवं 7 जून, 1995 को बयाना विधान सभा क्षेत्र की डामर सड़कों का निर्माण कार्य स्वीकृत होने के बाद से आज तक कौन–कौन सी सड़क पर डामर हो चुका है? सूची सदन की मेज पर रखें। शेष रही सड़कों पर डामर कब तक करा दिया जायेगा?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बयाना में स्वीकृत सड़कों में से 3 पहूंच मार्ग खरेरी, बोरोली से कुनकुटा एवं तुलसीपुरा से हरजूपुरा कार्य पूर्ण हो चुके हैं। शेष कार्यों को पूरा करने का लक्ष्य वर्ष 96–97 हैं इससे पूर्व की स्वीकृत सड़कें भूमि विवाद एवं डामर की कम आपूर्ति के कारण पूर्ण नहीं करायी जा सकी।

(2) जी, नहीं।

(3) 13 मई, 94 एवं 7 जून 95 को बयाना विधान सभा क्षेत्र की 13 स्वीकृत सड़कों में से पहूंच मार्ग खरेरी, बोरोली से कुनकुटा एवं तुलसीपुरा से हरजूपुरा सड़कों पर डामर हो चुका है। 10 शेष रही सड़कों पर डामर वर्ष 96–97 में करा दिया जावेगा।

चिकित्सा व्यवस्था में सुधार

683. **श्री विष्णु मोदी** (पुष्कर): क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि सरकारी चिकित्सा व्यवस्था पर बहुत बड़ी राशि व्यय किये जाने के उपरान्त भी चिकित्सा सुविधाओं का स्तर निरन्तर गिरता जा रहा है और आम मरीजों को अपेक्षित सुविधायें नहीं मिल पा रही है?

(2) यदि हां, तो क्या सरकार इस संबंध में कोई नई चिकित्सा व्यवस्था बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(3) क्या यह सही है कि सरकार चिकित्सा सुविधाओं में सुधार की दृष्टि से चिकित्सा सुविधा को निजी क्षेत्र में देने का विचार रखती है? यदि हां, तो किस रूप में?

उत्तर

(1) जी, नहीं। जैसे–जैसे चिकित्सा सुविधाओं का विकास एवं विस्तार हो रहा है, आम रोगियों को इसका लाभ बराबर प्राप्त हो रहा है।

(2) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

(3) जी, नहीं। रोगियों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुये निजी चिकित्सालयों को प्रोत्साहन देने की योजना विचाराधीन है।

कोटा में किसानों पर हुई पुलिस ज्यादती की जांच

684. **श्री भरत सिंह** (खानपुर): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि कोटा जिले

(श्री भरतसिंह)

में ओला वृष्टि से पीड़ित 10 गांवों के किसानों को मुआवजा राशि की मांग करते समय गलाना चौराहे पर पुलिस द्वारा उन्हें पीटा गया था ? यदि हां, क्यों ?

(2) इस घटना में कुल कितने लोगों के खिलाफ कार्यवाही की गई ?

(3) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा इस सम्पूर्ण घटना की जांच करवाई गई हैं ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट में इसके लिए किसे दोषी पाया गया ?

उत्तर

(1) जी, नहीं।

(2) इस सम्बन्ध में आन्दोलनकारियों के विरुद्ध मु. नं. 129/96 धारा 147, 341, 283 भा. दं. संख्या 16 व्यक्तियों के विरुद्ध व मु. नं. 130/96 धारा 147, 148, 149, 332, 353, 152, 336 भारत व धारा 3 पी.डी.पी. पी एक्ट के तहत 9 व्यक्तियों के विरुद्ध थाना केथून पर पंजीबद्ध किये गये तथा 3 व्यक्तियों को 107, 151 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया।

(3) जी, नहीं। जब पुलिस द्वारा कोई बल प्रयोग ही नहीं किया गया तो जांच करांने का प्रश्न नहीं उठता।

पंचायत समिति, झाड़ोल एवं कोटड़ा (उदयपुर) में इन्दिरा आवास निर्माण प्रकरण

685. **श्री कुबेरसिंह** (फलासिया) : क्या विशिष्ट योजना संगठन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या पंचायत समिति, झाड़ोल एवं कोटड़ा जिला उदयपुर में वर्ष 1995-96 में इंदिरा आवास योजना के अन्तर्गत आवास निर्माण हेतु स्वीकृति जारी की गई थी ? यदि हां, तो किस-किस व्यक्ति को कितनी-कितनी राशि आवंटित की गई? नाम, पता सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त स्वीकृति राशि के निर्माण कार्यों से किन-किन व्यक्तियों के आवास पूर्ण हो गये और किन-किनके अपूर्ण रहे ? अपूर्ण रहने के कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त योजना की राशि फर्जी नाम से आवंटित कर गबन की गई है ? यदि हां, तो किस-किस व्यक्ति के नाम से कितनी-कितनी राशि किस-किस अधिकारी ने उठाई ? सूची नामवार सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि इन अनियमितताओं की शिकायतें सरकार को प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(5) क्या सरकार अभी भी उक्त प्रकरण में हुई अनियमितताओं की जांच कर दोषियों को दण्डित करने का विचार रखती है ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां। पंचायत समिति झाड़ोल एवं कोटड़ा जिला उदयपुर में वर्ष 1995-96 में कुल 755 व्यक्तियों को इन्दिरा आवास निर्माण की स्वीकृति जारी की गई थी। इन व्यक्तियों को पंचायतवार व ग्रामवार स्वीकृत राशि का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) उक्त स्वीकृतियों में से 453 व्यक्तियों के आवास पूर्ण हो गए हैं व 302 आवास अपूर्ण हैं। मुख्यतः प्रार्थियों द्वारा उनको स्वीकृत आवास पर्याप्त रुचि नहीं लेने के कारण यह आवास अपूर्ण रहे। अपूर्ण आवासों की सूची परिशिष्ट–1 पर संलग्न है।

(3) जी, नहीं। फर्जी नाम से राशि आवंटित कर अधिकारियों द्वारा गबन के सम्बन्ध में कोई शिकायत अभिकरण अथवा विभागीय स्तर पर प्राप्त नहीं हुई हैं?

(4) जी, नहीं। इस प्रकार की अनिमितताओं की कोई शिकायत विभागीय स्तर पर प्राप्त नहीं हुई है।

(5) इस प्रकरण में हुई अनियमितताओं के सम्बन्ध में शिकायत प्राप्त होने जांच कर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करना संभव होगा।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

राजकीय अधिकारियों को आवंटित आवास

686. **श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत (श्री माधोपुर)** : क्या मुख्य (सामान्य प्रशासन) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जयपुर शहर में पदस्थापित भारतीय एवं राजस्थान प्रशासनिक तथा पुलिस सेवा के किस-किस अधिकारी के पास स्वयं का मकान होते हुए उन्हें राजकीय आवास की सुविधा उपलब्ध करवाई गई? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) जयपुर शहर में कितने राजकीय, स्वायतशासी संस्थान, बोर्ड, निगम या औद्योगिक घरानों के कार्यालय या गेस्ट हाऊस ऐसे है जो प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों अथवा उनके आश्रितों के निजी आवासों में किराये पर चल रहे हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त से किराये के रूप में वसूल की जाने वाली एवं वार्षिक रख-रखाव शुल्क के रूप में वसूल की जाने वाली राशि क्या है?

उत्तर

(1) सूची "क" संलग्न है।

(2) सूची "ख" संलग्न है।

(3) सूची "ग" संलग्न है।

(229)

सूची "क"

उन आई. ए. एस./आई. पी. एस./आर. ए. एस./आर. पी. एस. अधिकारियों की सूची जिनके जयपुर में स्वयं के नाम मकान होते हुए भी राजकीय आवास आबंटित है :–

क्र. सं.	नाम
	आई. ए. एस.
1.	श्री एम. के. खन्ना
2.	श्री रामखिलाड़ी मीणा
3.	श्री नरहरि शर्मा
4.	श्री आशुतोष भार्गव
5.	श्री राकेश श्रीवास्तव
6.	श्री एन. के. बैरवा
7.	श्री के. एल. मीणा
	आई. पी. एस.
1.	श्री जे. पी. मिश्रा
2.	श्री अमिताभ गुप्ता
3.	श्री एस. पी. एस. राठौड़
	आर. ए. एस.
1.	श्री ओ. पी. साहरण
	आर. पी. एस.
	सूचना निल है ।

सूची "ख"

ऐसे आई. ए. एस./आई. पी एस./अधिकारी जिनके निजी आवासों में राजकीय स्वायत्तशाषी संस्थान, बोर्ड, निगम या औद्योगिक घरानों के कार्यालय या गेस्ट हाउस के रूप में चल रहे हैं।

1. श्री एन.एस. सिसोदिया, आई.ए.एस.
2. श्री प्रियदर्शी ठाकुर, आई.ए.एस.

(230)

3. श्री के.एल. मीणा, आई.ए.एस.
4. श्री टी. आर. वर्मा, आई.ए.एस.
5. श्री आर.के. मीणा, आई.ए.एस.
6. श्री नरहरि शर्मा, आई.ए.एस.
7. श्री अरुण दुगड़, आई.पी.एस.
8. श्री मुखराम चौधरी, आई.पी.एस.
9. श्री एम.एस. पारीक, आई.पी.एस.

सूची "ग"

सूची "ख" में अंकित अधिकारियों को किराये एवं रखरखाव में प्राप्त होने वाली वार्षिक राशि का विवरण :–

1.	श्री एन.एस. सिसोदिया	1,44,000/–रुपये
2.	श्री प्रियदर्शी ठाकुर	1,07,640/–रुपये
3.	श्री के.एल. मीणा	किराया निर्धारण नहीं हुआ है।
4.	श्री टी.आर. वर्मा	33,768/–रुपये
5.	श्री आर.के. मीणा	44,100/–रुपये
6.	श्री नरहरि शर्मा	56,592/–रुपये
7.	श्री अरुण दुगड़	1,44,000/–रुपये
8.	श्री मुखराम चौधरी	54,000/–रुपये
9.	श्री एम.एस. पारीक	96,000/–रुपये

डेयरी फैडरेशन द्वारा घी की कीमतों में वृद्धि प्रकरण

687. **श्री हरजीराम बुरडक** (लाडनूं) एवं **श्री विष्णु मोदी** (पुष्कर) : क्या दुग्ध विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) 1 जनवरी 1995 से 15 जून, 1996 तक राजस्थान कोआपरेटिव डेयरी फैडरेशन द्वारा उत्पादित सभी वस्तुओं की कीमतों में कितनी-कितनी राशि की कब-कब बढ़ोतरी की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि माह मई के अन्तिम सप्ताह में डेयरी फैडरेशन द्वारा

(श्री हरजीराम बुरड़क)

उत्पादित घी की कीमतों में वृद्धि किये जाने का निर्णय लिया गया था ? यदि हां, तो किस तिथि को ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त निर्णय लेने के पश्चात् प्रदेश के घी विक्रेताओं को पूर्व दरों पर घी मुहैया करवाया जाता रहा ? यदि हां, तो किस-किस तारीख को कितना-कितना घी किस-किस विक्रेता को बेचा गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि राजस्थान को-ऑपरेटिव डेयरी फैडरेशन की घी उत्पादन की विभिन्न सहकारी समितियों के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा व्यापारियों को 2 जून 1996 से घी की कीमतों में बढ़ोतरी किये जाने की पूर्व सूचना दे दी गई, जिससे व्यापारियों ने मुनाफाखोरी के लिहाज से हजारों टन घी पूर्व दरों पर क्रय कर भण्डार कर लिया जिससे फैडरेशन को लाखों रुपयों का घाटा हुआ ? यदि हां, तो इससे फैडरेशन को कितनी हानि हुई व इस सम्बन्ध में दोषी अधिकारियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) 1 जनवरी, 1995 से 15 जून, 1996 तक राजस्थान को-ऑपरेटिव डेयरी फैडरेशन द्वारा डेयरी उत्पादों की कीमतों में बढ़ोतरी का विवरण परिशिष्ट–"क" सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

(2) जी, नहीं।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता।

(4) जी नहीं। डेयरी फैडरेशन, ~~बाजार~~ में हो रही दुग्ध उत्पादों की बिक्री, डेरियों में हो रही उत्पादों की मात्रा और बाजार में प्रचलित दूसरे ब्राण्डों की कीमतों को मध्य नजर रखते हुए, घी एवं अन्य दुग्ध उत्पादों के मूल्यों में परिवर्तन करती है। इस प्रकरण में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं। जिनकी जांच करायी जा रही है। जांच में दोषी पाये जाने पर सम्बन्धित व्यक्तियों के विरुद्ध अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

परिशिष्ट—"क"

डेयरी उत्पादों की कीमतों में बढ़ोतरी का विवरण

क्रम संख्या	डेयरी उत्पाद	पैंकिग यूनिट	बढ़ोतरी (रुपये प्रति किलो में)	वृद्धि की दिनांक	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6
1–	घी	15 किलो टिन	12.00	2.6.96	
		1 किलो पालीपैंक	5.00	2.6.96	
		1/2 किलो पालीपैंक	5.00	2.6.96	
2–	वसा रहित पाउडर	25 किलो बैग में	10.00	9.1.95	दुग्ध पाउडर का कभी उपभोक्ता मूल्य निर्धारण नहीं किया जाता। दुग्ध पाउडर की बिक्री दूसरी संस्थाओं को एकमुश्त (BULK SALE) मात्रा के आधार पर होती है और इनकी कीमतों का निर्धारण आर सी डी एफ के पास स्टॉक और बाजार मूल्यों के आधार पर निर्धारित होता है।
			17.00	21.4.95	
			5.00	6.11.95	
			2.50	30.3.96	
			1.00	13.6.96	
3–	वसायुक्त पाउडर	20 किलो बैग में	2.00	5.2.96	
			4.50	4.3.96	

232

1	2	3	4	5	6
4–	टैट्रापैक दूध	आधा लीटर पैक	2.00	1.4.95	वृद्धि प्रति लीटर
	(क) गाय		3.50	24.4.95	—"—
			1.00	19.4.96	—"—
	(ख) फिट एण्ड फाइन		2.00	1.4.95	—"—
			2.50	24.4.95	—"—
			1.00	19.4.96	—"—
5–	पशु आहार	50 किलो बैग में	0.30	7.2.95	पशु आहार की दरों पर केवल सेल इन्सेन्टिव एवं नगद खरीद पर छूट का प्रावधान है ।
			0.25	4.12.95	

सांडेराव–मोकलसर (जालौर) सड़क का डामरीकरण

688. **श्री मगराज चौधरी** (ग्राहोर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र आहोर के ग्रन्तर्गत सांडेराव से मोकलसर तक डामर सड़क (ग्रंतर जिला सड़क) बनाने की स्वीकृति सरकार द्वारा करीब 20 वर्षों पूर्व दिये जाने बावजूद भी ग्राम भवरानी से मोकलसर के बीच में (जालौर जिले की सीमा तक) करीब 10 किलोमीटर डामर की पक्की सड़क अभी तक नहीं बनायी गई है ?

(2) क्या यह भी सही है कि जालौर जिले की ग्राहोर तहसील में स्थित कानीवाड़ा से हरजी तक डामर सड़क बनाने की स्वीकृति वित्तीय वर्ष 1994–95 में होने ग्रौर आवश्यक धनराशि ग्राबंटित कर दिये जाने के बावजूद भी ग्रभी तक ग्रपूर्ण पड़ी हैं ?

(3) यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पेरा 1 में वर्णित सड़क के शेष बचे हुए भाग एवं पैरा 2 में वर्णित सड़क के ग्रपूर्ण हिस्से को डामर का बनाने की शीघ्र स्वीकृति जारी करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) सांडेराव–मोकलसर (ग्रंतर जिला सड़क) के ग्राहोर विधान सभा क्षेत्र में अधूरे रहे सड़क के हिस्सों की स्थिति निम्न प्रकार है। किमी. 35/0 से 42/0 (7 किमी.) स्वीकृति प्राप्त है तथा कार्य प्रगति पर है। किमी. 74/0 से 84/0 (10 किमी.) कोई स्वीकृति उपलब्ध नहीं है।

(2) जी हां।

(3) पैरा नं. 1 में वर्णित सड़क के भाग को पूर्ण करना राज्य सरकार की प्राथमिकताओं एवं वित्तीय संसाधनों पर निर्भर करेगा। पैरा नं. 2 में वर्णित सड़क के ग्रपूर्ण रहे हिस्सों पर डामर करने के लिए वर्ष 1996–97 के वार्षिक योजना में प्रस्तावित किया गया है।

जिला हनुमानगढ़ के राजस्व ग्रामों हेतु ग्रारक्षित भूमि

689. **श्री ग्रमरचन्द मिड्ढा** (सूरतगढ़) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि ग्रप्रेल, 1994 से आज तक राजस्व तहसील सूरतगढ़, श्री विजयनगर, ग्रनूपगढ़, घड़साना में राजस्व गांव (आबादियों) के प्रयोग हेतु कल्याण भूमि के लिए जगह रिजर्व की गई है ? यदि हां, तो गांव व रकबे की सूची क्रमवार सदन की मेज पर रखें।

(2) जिस गांव के प्रयोग हेतु कल्याण भूमि की जगह रिजर्व नहीं की गई है, उनके लिए सरकार क्या योजना बनी रही है और कब तक समस्त राजस्व गांव व ग्राबादियों में कल्याण भूमि के लिए जगह ग्रारक्षित कर दी जाएगी ? उक्त योजना से वंचित शेष गांवों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) अप्रेल, 1994 से आज तक राजस्व तहसील सूरतगढ़ व विजयनगर

(राजस्व मंत्री)

में कल्याण भूमि आरक्षित नहीं की गई। तहसील अनूपगढ़ व घड़साना में कल्याण भूमि/कब्रिस्तान के लिये आरक्षित की गई। भूमि की सूची परिशिष्ट–"अ" सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) आबादियों के प्रयोग हेतु कल्याण भूमि आरक्षित करने के प्रस्ताव प्राप्त होने पर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 92 के तहत गुण–अवगुण के आधार पर आरक्षित की जाती है। जिन गांवों में कल्याण भूमि आरक्षित नहीं है, उनके प्रस्ताव जिला कलक्टर द्वारा तहसीलदारान से मांग लिये गये हैं। जिन गांवों में कल्याण भूमि आरक्षित नहीं की गई, उनकी सूची परिशिष्ट–"ब" सदन की मेज पर रख दी गई हैं।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

निर्वाचन क्षेत्र राजसमन्द के चिकित्सालयों में रिक्त पद

690. श्री शांतिलाल खोईवाल (राजसमन्द) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) विधान सभा क्षेत्र राजसमंद के चिकित्सालयों में विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों की स्वीकृत संख्या कितनी-कितनी है?

(2) उक्त विभिन्न श्रेणियों में कौन-कौन सी श्रेणी में कितने-कितने पद, कब से रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त रिक्त पदों की पूर्ति कब तक कर दी जायेगी?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र राजसमंद के चिकित्सालयों में विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों के स्वीकृत पदों का संस्थानवार विवरण परिशिष्ट–"क" पर उपलब्ध है।

(2) विभिन्न श्रेणियों के रिक्त पदों का विवरण प्रश्न के भाग 1 की सूची में दर्शाया गया है।

(3) उक्त रिक्त पदों को शीघ्र भरने के प्रयास किये जा रहे है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

जयपुर शहर की सम्पत्तियों के विक्रय पर रोक प्रकरण

691. श्री रघुवीरसिंह (सराड़ा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या यह सही है कि जयपुर के रामगंज, ऋषिगालव नगर, सुभाष चौक, ब्रह्मपुरी, माणक चौक, कोतवाली, नीमड़ी की पुलिस, लालकोठी, मोतीडूंगरी, आदर्श नगर, शास्त्री नगर, भट्टा बस्ती, जालूपुरा, सोडाला, सदर थाना क्षेत्रों में एक समुदाय से दूसरे समुदाय की सम्पत्ति के लेन-देन की आड़ में लोगों को थानों में बन्द किया गया है? यदि हां, तो क्या सरकार उनमें लिप्त कर्मचारियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त थानों की उक्त प्रकरण के संदर्भ में सी.आई.डी. से जांच कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी नहीं। जयपुर शहर में रामगंज, ऋषिगालव नगर, सुभाष चौक, ब्रह्मपुरी, माणक चौक, कोतवाली, नीमड़ी की पुलिस, लालकोठी, मोती डूंगरी, आदर्श नगर, शास्त्री नगर, भट्टा बस्ती, जालूपुरा, सोडाला, सदर थाना क्षेत्रों में एक समुदाय से दूसरे समुदाय के व्यक्तियों द्वारा अचल सम्पत्ति के क्रय व विक्रय किये जाने के संबन्ध में दिनांक 1.1.95 से 30.6.96 तक कोई गिरफ्तार नहीं किया गया है। अतः जांच का औचित्य नहीं है।

विधायक कोटे की राशि से व्यय

692. श्री आर. पी. शर्मा (भरतपुर): क्या विशिष्ट योजना संगठन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या सरकार द्वारा विधायकों के माध्यम से उनके विधान सभा क्षेत्र के विकास हेतु आवंटित की जाने वाली दस लाख रुपये की राशि में से विधायकों द्वारा प्रस्तावित कार्यों के सम्पादन की जानकारी सम्बन्धित विभाग द्वारा विधायकों को दी जाती है ? यदि नहीं तो, क्यों ?

(2) क्या राज्य स्तर पर भी उक्त राशि के व्यय की निगरानी हेतु कोई कार्यवाही की जाती है, यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। 30 जिला 30 काम तथा निर्बन्ध राशि योजना के अन्तर्गत विधायकों के विधान सभा क्षेत्र में विकास कार्यों हेतु क्रमशः 5–5 लाख रुपये राशि प्रति वर्ष के प्रस्तावों को सम्बन्धित जिला कलक्टर एवं अध्यक्ष, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा स्वीकृत करने व सम्पादित किये जा रहे कार्यों की सूचना सम्बन्धित विधायकों को दिये जाने का प्रावधान है।

(2) उपरोक्त योजनाओं अन्तर्गत स्वीकृत किये गये कार्यों की प्रगति व व्यय की समीक्षा राज्य स्तर पर भी समय–समय पर की जाती है।

जिला धौलपुर में अवैध शराब बिक्री केन्द्र

693. श्री बनवारीलाल शर्मा (धौलपुर) : क्या मुख्य (आबकारी) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) धौलपुर जिले में कहां-कहां देशी एवं विदेशी शराब की अधिकृत दुकानें संचालित हैं ? सूची ग्रामवार सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही हैं कि कई स्थानों एवं ग्रामों में अधिकृत दुकानों के अतिरिक्त भी ठेकेदारों एवं अन्य व्यक्तियों ने अनधिकृत दुकानें खोल रखी हैं ? यदि हां, तो कहां-कहां ? स्थान, ग्राम सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार ने इन अनधिकृत दुकानों के संचालन पर अब तक क्या कार्यवाही की है एवं आगे क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 1996–97 में धौलपुर जिले में देशी मदिरा/भारत निर्मित विदेशी

(३५४)

मुख्य (आबकारी) मंत्री)

मदिरा/बीयर की स्वीकृत दुकानों की ग्राम-वार सूची संलग्न है।

(2) जी नहीं।

(3) धौलपुर जिले में कोई अनधिकृत दुकान नहीं चल रही है। यहां यह उल्लेखनीय है कि अनधिकृत दुकानों की रोकथाम के लिये जिला आबकारी अधिकारी/सहायक आबकारी अधिकारी/आबकारी निरीक्षक एवं आबकारी निरोधक दलों द्वारा छापे मारकर अभियोग बनाये जाते हैं। वर्ष 1995-96 में आबकारी निरोधक दलों द्वारा छापे मारकर धौलपुर में 17 अभियोग पंजीकृत किये गये थे।

धौलपुर जिले में स्वीकृत देशी/भारत निर्मित विदेशी मदिरा की दुकानों की सूची।

देशी मदिरा

1. गुलाबबाग, धौलपुर
2. चोपड़ा, धौलपुर
3. बाडीरोड, धौलपुर
4. स्टेशन, धौलपुर
5. कोठी, धौलपुर
6. शहर, धौलपुर
7. सागरपाड़ा, धौलपुर
8. छीतापुरा, धौलपुर
9. सेपउ, धौलपुर
10. बसई नवाब
11. बरेदा
12. मनिक्षा
13. मरेना-मांगरोल
14. देशी गोदाम, धोलपुर
15. स्टेशन रोड, बाडी
16. बाईपास रोड, बाडी
17. सेवर बाली
18. कंचनपुर
19. बसेडी
20. बर्थरा

भा. नि. वि. म.

1. गुलाबबाग, धौलपुर
2. चौपड़ा, धौलपुर
3. स्टेशन, धौलपुर (G.S.M. द्वारा संचालित)
4. राजाखेड़ा
5. मनिया
6. गुम्मट रोड बाडी
7. शहररोड, बाडी
8. बसेडी

21. नादनपुर
22. सिओली
23. सरमथुरा
24. आंगई
25. कोटला रोड
26. बजरिया
27. राजाखेड़ा प्रथम
28. राजाखेड़ा द्वितीय

विधान सभा क्षेत्र डेगाना में सड़क निर्माण

694. श्री रिछपाल सिंह (डेगाना) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :—

(1) तहसील डेगाना (नागौर) के गांवों में वर्ष 1993–94 से 1995–96 के दौरान सांसद क्षेत्रीय विकास योजनान्तर्गत कुल कितनी राशि की कौन-कौन सी डामर सड़कों की स्वीकृति दी गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त स्वीकृत सड़कों में से कितनी सड़कें पूर्ण कर दी गई हैं एवं कितनी अधूरी है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार इन अधूरी सड़कों को पूरा करने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक एवं नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) वर्ष 1993–94 से 1995–96 के दौरान सांसद क्षेत्रीय विकास योजना के अन्तर्गत कुल 7.19 लाख की तीन सड़कों की स्वीकृति दी गई। विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

(2) तीन कार्यों में से एक कार्य पूर्ण कर दिया गया। दो कार्य अधूरे हैं। विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

(3) जी हां। अधूरी सड़कों को वित्तीय वर्ष 96–97 में पूर्ण करना प्रस्तावित हैं।

तहसील डेगाना (नागौर) के गांवों में वर्ष 1993–94 से 1995–96 के दौरान सांसद क्षेत्रीय विकास योजना के अन्तर्गत स्वीकृत सड़कों की सूचना निम्न प्रकार है :—

क्र. सं.	सड़क का नाम	स्वीकृत जारी करने का प्रसंग	स्वीकृत राशि (लाखों में)	भौतिक प्रगति
1	2	3	4	5
1.	टेहला से बुगालियों की ढाणी 0.80 किमी.	डी आर.डी.ए. नागौर के पत्र क्रमांक 122 दिनांक 4.1.95	2.11	कार्य पूर्ण

1	2	3	4	5
2.	बुटाटी बस स्टेण्ड से चतुरदास जी महाराज मंदिर तक 0.80 किमी. (800 मीटर)	डी.आर.डी.ए. नागौर के पत्र क्रमांक 122 दिनांक 4.1.95	2.64	कुटाई कार्य पूर्ण एवं डामर कार्य करना हैं।
3.	किरड बस स्टेट से जाजुण्डा की ढाणी 800 मीटर	डी.आर.डी. ए. नागौर के पत्र क्रमांक 12977 दिनांक 18.8.95	2.44	कुटाई कार्य पूर्ण एवं डामर कार्य करना है।
			7.19 लाख	

जोधपुर संभाग के जिला कार्यालयों में कार्यरत कनिष्ठ लिपिक

695. श्री राजेन्द्र चौधरी (बिलांड़ा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्व विभाग के अधीन जिला कलक्टर कार्यालय, जोधपुर, पाली सिरोही, बाड़मेर एवं जैसलमेर में कितने अस्थायी कनिष्ठ लिपिक कब–कब से कार्यरत हैं। क्या उनकी प्रोबेशन (परीवीक्षा) अवधि समाप्त होने, टंकण परीक्षा लिए जाने एवं उसका इन्द्राज सेवा अभिलेख में किये जाने के बावजूद, भी उन्हें वार्षिक वेतन वृद्धियों से वंचित रखा गया ? यदि हां, तो क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है?

(2) क्या यह सही है कि उक्त कार्यालयों में राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयनित व्यक्ति वर्ष 1986 से कार्यरत है एवं 7-9 वर्ष की अवधि व्यतीत हो जाने के पश्चात् भी उनका नियमितीकरण व स्थायीकरण नहीं किया गया है? यदि हां, तो इस प्रकार के कितने कर्मचारी कार्यरत हैं एवं उनके मामलों में क्या सरकार उन्हें निरन्तर वेतनमान, अन्य लाभ व वेतन भुगतान करने, स्थायी करने व चयनित वेतनमान देने का विचार रखती हैं ?

(3) क्या यह सही है कि वर्ष 1986 की कनिष्ठ लिपिक परीक्षा में चयनित लिपिकों को केवल कार्मिक विभाग से जिला कार्यालय में नाम नहीं भेजने के कारण ही उनको वेतन वृद्धि व नियमितिकरण नहीं किया जा रहा है ?

उत्तर

(1) राजस्व विभाग के अधीन जिला कलक्टर कार्यालय, जोधपुर, पाली, सिरोही बाड़मेर एवं जैसलमेर में अस्थाई कनिष्ठ लिपिकों की स्थिति निम्न प्रकार है :–

(राजस्व मंत्रीं)

जिला कलक्टर कार्यालय	अस्थायी कनिष्ठ लिपिकों की संख्या	कब से कार्यरत है का दिनांक
जोधपुर	53	संलग्न सूचीनुसार
पाली	11	,, ,,
सिरोही	3	,, ,,
बाड़मेर	4	,, ,,
जैसलमेर	6	,, ,,

जोधपुर में केवल एक कनिष्ठ लिपिक श्री मूलचन्द गार्ड है। कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 12.10.92 में उल्लेखित प्रावधानानुसार अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करने पर सेवाएं नियमित नहीं होने के कारण वार्षिक वेतन वृद्धियां स्वीकृत नहीं की गई है।

सिरोही जिले के 3 अस्थायी क. लि. हैं, जिनकी सेवा अवधि 1 वर्ष से कम है, जिला बाड़मेर के 4 अस्थायी क. लिपिकों की कार्यदक्षता परीक्षा लीजा चुकी है, जिनमें कमेटी की रिपोर्ट प्राप्त होना शेष है। रिपोर्ट प्राप्त होने पर अपेक्षित कार्यवाही तत्काल कर दी जायेगी।

उक्त के अतिरिक्त सभी अस्थायी कनिष्ठ लिपिकों को वार्षिक वेतन वृद्धियां स्वीकृत की जाती रही हैं।

(2) जिला जैसलमेर में एक कनिष्ठ लिपिक राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा वर्ष 1983 उत्तीर्ण है, जिसे आदेश दिनांक 21.1.92 से नियुक्ति प्रदान की गई है। इनका सेवाकाल 9 वर्ष का पूर्ण नहीं होने से चयनित वेतनमान की पात्रता धारित नहीं करते। शेष उपरोक्त 4 जिलों में ऐसा कोई प्रकरण नहीं होने से सूचना शून्य मानी जावे।

(3) जिला कलक्टर कार्यालय, जोधपुर में वर्ष 1986 की कनिष्ठ लिपिक परीक्षा में चयनित एक कनिष्ठ लिपिक श्री मूलचन्द गौड़ दिनांक 27.9.89 से कनिष्ठ लिपिक के पद पर कार्य कर रहे हैं। कनिष्ठ लिपिक प्रतियोगिता परीक्षा, 1986 में उत्तीर्ण होने पर इनको कार्मिक विभाग ने अपने पत्रांक प–1 प्र. सं./3/89 दिनांक 5.5.90 द्वारा निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग (ई. एस. आई.) जयपुर को आवंटित किया था, प्रार्थी द्वारा जिला कलक्टर कार्यालय, जोधपुर में कार्यरत रहने हेतु निवेदन करने पर जिला कलक्टर जोधपुर ने पत्रांक 4235 दिनांक 26.9.91 के द्वारा कार्मिक विभाग को प्रार्थी का नाम उनके कार्यालय को आवंटित करने हेतु निवेदन किया। कार्मिक विभाग ने पत्र दिनांक 26.5.92 के द्वारा यह सूचित किया गया कि एक बार नाम आवंटित किये जाने के पश्चात् फेरबदल किया जाना संभव नहीं है। इस निर्णय की सूचना प्रार्थी को दिये जाने पर प्रार्थी ने पुनः उक्त कार्यालय में रहने की इच्छा जाहिर कर वेतन वृद्धि स्वीकृति करने हेतु अनुरोध किया। इस सम्बन्ध में जिला कलक्टर ने पत्र दि. 31.12.93 के द्वारा कार्मिक विभाग से दिनांक 1.1.85 से 31.3.90 तक की अवधि में तदर्थ आधार पर नियुक्त कनिष्ठ लिपिकों के वेतन वृद्धि स्वीकृति के सम्बन्ध में मार्गदर्शन चाहा गया। कार्मिक विभाग ने अपने पत्रांक एफ 3 (54) कार्मिक क-2/84 दिनांक 28.2.94 के द्वारा यह

242

(राजस्व मंत्री)

निर्देश दिये कि उनके विभाग की अधिसूचना दिनांक 12. 10. 92 में उल्लेखित प्रावधान के अनुसार अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण करने पर नियमित नियुक्ति के एक वर्ष पश्चात् ही वेतन वृद्धि देय होगी, तथा उसके पूर्व की अवधि की कोई काल्पनिक वेतन वृद्धि देय नहीं होगी। इसके अनुसार श्री मूलचन्द गौड़ को जिला कलक्टर के पत्रांक प–1 (सी) 2/स्था/प्र. टेस्ट/80/4859–62 दिनांक 12. 9. 94 के द्वारा अर्हता परीक्षा देने हेतु निर्देशित किया गया था, श्री मूलचन्द गौड़ द्वारा अर्हता परीक्षा दिनांक 23. 12. 93 को दी गई चूंकि श्री गौड़ से राज्यादेश संख्या एफ. 3(56) कार्मिक/क–2/84 दिनांक 12.10.92 के अनुसार दक्षता परीक्षा नहीं ली गई थी, अतः श्री मूलचन्द गौड़ को जिला कलक्टर, जोधपुर ने अपने पत्र दिनांक 12. 9. 94 द्वारा कार्मिक विभाग के आदेश दिनांक 12. 10. 92 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत टंकण एवं दक्षता परीक्षा देने हेतु लिखा गया, किन्तु श्री गौड़ ने पत्र प्राप्त करने के बावजूद उपरोक्त परीक्षा नहीं दी है, इस कारण उन्हें नियमित वेतन वृद्धियां स्वीकार नहीं की गई है।

उपरोक्त शेष 4 जिलों में ऐसा कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं होने से सूचना शून्य मानी जावे।

कार्यालय जिला कलक्टर, जैसलमेर में कार्यरत अस्थायी कनिष्ठ लिपिकों की सूची

क्र. सं.	नाम कनिष्ठ लिपिक	कार्यरत होने का दिनांक
1.	श्री दुर्गाराम	3.12.81
2.	श्री उतमाराम	2.3.90
3.	श्री तोलाराम	3.2.90
4.	श्री महताब सिंह	4.2.92
5.	श्री रूगाराम	1.8.92
6.	श्री मुकेश कुमार	22.7 93

कार्यालय जिला कलक्टर, सिरोही में कार्यरत अस्थायी कनिष्ठ लिपिकों की सूची

1.	श्री प्रकाश चन्द	11.3.96
2.	श्री तुलसीराम	11.3.96
3.	श्री श्रवणसिंह	11.3.96

जिला कलक्टर कार्यालय, बाड़मेर में कार्यरत अस्थायी कनिष्ठ लिपिकों की सूची

1.	श्री गोपालदास	14.4.85

(243)

2.	श्री ओमप्रकाश	23.5.85
3.	श्री ललित कुमार	23.5.85
4.	श्री रणछोड़दास	24.5.85

कार्यालय जिला कलक्टर, जोधपुर में कार्यरत अस्थायी कनिष्ठ लिपिकों की सूची

क्र. सं.	नाम कनिष्ठ लिपिक	प्रथम नियुक्ति तिथि
1.	श्री नरेन्द्र गोयल	25.11.83
2.	श्री रामनिवास आचार्य	12.12.83
3.	श्री राजेन्द्र सिंह देवड़ा	21.2.84
4.	श्री राजेन्द्र सिंह भाटी	24.4.84
5.	श्री बद्रीलाल	25.5.84
6.	श्री धर्मेन्द्र कुमार	29.5.84
7.	श्रीमती पुष्पा जैन	16.10.84
8.	श्रीमती तुलसी देवी	17.10.84
9.	श्री जीवन प्रकाश माथुर	17.10.84
10.	श्री गोविन्दलाल शर्मा	17.10.84
11.	श्री सन्तोष कुमार	18.10.84
12.	श्री उम्मेद किशन बिस्सा	18.10.84
13.	श्री कमलेश दवे	1.12.84
14.	श्री कैलाश चन्द्र माथुर	23.12.84
15.	श्री रवेचीदान	23.2.85
16.	श्री सरदार चन्द मेहता	1.3.85
17.	श्री दिलीप सिंह	2.4.85
18.	श्री वासुदेव सिंह	6.5.85
19.	श्री हरिसिंह	24.9.86
20.	श्री लक्ष्मण सिंह	7.10.86
21.	श्री विमलेश कल्ला	17.11.86
22.	श्री पूनम चन्द	20.7.87

23.	श्रीमती सन्तोष पाठक	1.9.80
24.	श्री मूलचन्द गौड़	27.9.89
25.	श्री सज्जन सिंह	16.11.89
26.	श्री दीपक ग्रार. इदूरकर	13.6.90
27.	श्री कानसिंह	2.7.90
28.	श्री मोहनसिंह	3.7.90
29.	श्री राणा प्रताप	3.7.90
30.	श्री शेष कुमार दीक्षित	20.11.90
31.	श्री उमेशसिंह	28.12.90
32.	श्री चन्द्रशेखर	11.3.91
33.	कु. निशा भंसाली	25.3.91
34.	श्री ग्रशफाक ग्रहमद	2.8.91
35.	श्री ग्रनिल कुमार सक्सैना	1.10.91
36.	श्री देवेन्द्र जोशी	3.10.91
37.	श्रीमती इन्दिरा गौड़	3.10.91
38.	कु. प्रतिभा वैष्णव	9.4.92
39.	श्री मंगल चन्द बलाल	23 10.92
40.	श्री बक्सुदान	25.5.93
41.	श्री ग्रनिल कुमार जोशी	17.6.93
42.	श्रीमती कुसुम शर्मा	17.7.93
43.	श्री सम्पत राज बलई	16.8.93
44.	श्री दिनेश सिंह परिहार	24.8.93
45.	श्री अनिल कुमार सोनी	2.2.94
46.	श्री बाबूलाल गौड़	8.3.94
47.	श्री तुलसीदास	22.7.95
48.	श्री गोरधन लाल	13.10.95
49.	श्री रघुनाथ सिंह	13 10.95
50.	श्री धनसिंह	13.10.95
51.	श्री छोगाराम विश्नोई	2.12.95
52.	श्री जुगल किशोर गहलोत	8.3.96
53.	श्री किशनदास वैष्णव	11.6.96

अस्थायी कनिष्ठ लिपिकों की सूची

क्र. सं.	नाम कनिष्ठ लिपिक	जन्म तिथि	प्रथम नियुक्ति	विशेष विवरण
1	2	3	4	5
1.	श्री गोपाल सिंह	31.1.64	1.5.85	निर्धारित टंकण
2.	,, अब्बर सिंह	13.7.60	7.5.87	परीक्षा उत्तीर्ण
3.	,, सुरेन्द्रसिंह	26.1.1.62	8.5.87	नहीं करने से
4.	,, मोहम्मद उमर	1.7.63	8.5.87	स्थायीकरण नहीं
5.	,, बालचन्द	1.7.68	7.4.92	हुआ।
6.	,, हनवन्तसिंह	27.4.62	20.6.92	,,
7.	,, जनक सिंह	12.6.68	4.2.94	,,
8.	,, लालसिंह	21.2.74	27.1.94	,,
9.	,, सत्यनारायण	12.12.60	1.2.94	,,
10.	,, घनश्याम पंवार	4.5.67	2.3.95	,,
11.	,, राजेश कुमार दवे	25.4.76	8.3.95	,,

जिला कलक्टर, पाली

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र-खेरवाड़ा का भवन निर्माण प्रकरण

696. श्री दयाराम परमार (खेरवाड़ा) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खेरवाड़ा का भवन निर्माणाधीन है ? यदि हां, तो उक्त निर्माणाधीन भवन कब तक पूर्ण हो जायेगा ?

(2) क्या यह भी सही है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का एक भवन खाली पड़ा है ? यदि हां, तो उसका क्या उपयोग होगा ?

(3) क्या सरकार ने उक्त खाली भवन की देखरेख हेतु एक चपरासी नियुक्त कर रखा है ? यदि हां, तो जब से भवन खाली है तब से कौन-कौन चपरासी उक्त भवन की देखरेख के लिये लगाये गये ? क्या उक्त भवन की खिड़कियां एवं दरवाजे कोई चुरा ले गया है ?

(4) क्या सरकार उक्त भवन को किसी अन्य विभाग को देने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी, नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

(2) जी, हां। आबादी क्षेत्र से लगभग 1 किलोमीटर दूर एवं पहाड़ी पर स्थित होने के कारण इस भवन का उपयोग

(राज्य मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य)

चिकित्सालय हेतु किया जाना सम्भावित नहीं है ।

(3) जी, हां । सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, खैरवाड़ा पर कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी श्री कर्मचन्द मीणा को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खैरवाड़ा के खाली पड़े भवन की चौकीदारी एवं देखरेख की जिम्मेदारी सौंपी हुई है । जी, हां ।

(4) जी, नहीं । ऐसा कोई प्रस्ताव विभाग के विचाराधीन नहीं है ।

ग्राम नंगला (भरतपुर) के ग्राम रास्ते पर अतिक्रमण

697. **श्री मोतीलाल (रूपवास)** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम नंगला परशुराम, ग्राम पंचायत फुलवाड़ा, थाना चिकसाना जिला भरतपुर के अनुसूचित जाति मोहल्ले के ग्राम रास्ते को सवर्ण समाज द्वारा रोक दिये जाने की रिपोर्ट जिला कलक्टर तथा पुलिस अधीक्षक को दिये जाने के बावजूद भी अब तक आम रास्ता नहीं खोला गया है ? यदि हां, तो क्यों व इसे अब कब तक खोल दिया जायेगा ?

(2) क्या सरकार दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या एवं कब तक ?

उत्तर

(1) ग्राम नंगला परशुराम थाना चिकसाना जिला भरतपुर के श्री सामेर पुत्र छोटे, रतन सिंह पुत्र सावन्ता, आदि अनुसूचित जाति के व्यक्तियों ने पुलिस अधीक्षक भरतपुर को कोई प्रार्थना पत्र ग्राम रास्ता रोके जाने के सम्बन्ध में नहीं दिया। मानव अधिकार आयोग, नई-दिल्ली से उक्त अंकित व्यक्तियों का प्रार्थना पत्र पुलिस मुख्यालय, सी. आई. डी. (सी.बी) जयपुर में प्राप्त होने पर मामले की जांच पुलिस अधीक्षक भरतपुर के माध्यम से उप पुलिस अधीक्षक भरतपुर से कराए जाने पर ज्ञात हुआ कि रास्ते को लेकर श्री दरया ब्राह्मण वगैरहा एवं उक्त व्यक्तियों के बीच एक वाद न्यायालय में विचाराधीन है। जांच से राजस्व रिकार्ड एवं मौके पर कोई आम रास्ता नहीं है । न्यायालय के निर्णय के अनुसार ही अग्रिम कार्यवाही होगी ।

(2) जांच से कोई व्यक्ति दोषी नहीं पाया गया । अतः कार्यवाही का प्रश्न ही नहीं उठता ।

सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर में इन्टेन्सिव कार्डिक केयर यूनिट की स्थापना

698. **डॉ. जितेन्द्रसिंह (खेतड़ी)** : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या सरकार सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर में इन्टेंसिव कार्डिक केयर यूनिट (आई. सी. सी. यू.) कार्डियोलोजी विभाग में खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

इस सम्बन्ध में प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, जयपुर से प्राप्त प्रस्तावों का परीक्षण किया जा रहा है एवं वित्तीय प्रावधान उपलब्ध होने पर आई.सी.सी.यू. खोलने पर विचार किया जाएगा ।

247

परिशिष्ट-5

(अतारांकित प्रश्न संख्या 603 की सूची)

विचाराधीन वृद्धावस्था पेंशन प्रकरणों की सूची

क्र. सं.	नाम आवेदक	निवासी मय तहसील	आवेदन की तिथि	विचाराधीन का कारण
1.	श्रीमती केशन्ती बेवा गोपीराम मीणा	गनीपुर तहसील सिकराय	20. 4. 96	पुत्र राजेश का आयु प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया।
2.	श्रीमती गुलाब देवी बेवा किशनलाल शर्मा	कालवान तहसील सिकराय	10. 7. 96	दो फोटो और प्रस्तुत नहीं की।
3.	श्रीमती बयाना बेवा लट्टूरमल मीना	डोलिका तहसील सिकराय	3. 7. 96	दो फोटो और प्रस्तुत नहीं की।
4.	श्री मोल्या पुत्र मांगीलाल बैरवा	जहागिरया तहसील सिकराय	15. 5. 96	आयु प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया।
5.	श्री रामसुखा पुत्र ग्यारसीलाल एवं श्रीमती जानकी पत्नी रामसुख बैरवा	जोध्या तहसील सिकराय	10. 5. 96	आयु प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया।
6.	श्रीमती धापू बेवा कल्याण कोली	मटलाना तहसील लालसोट	18. 12. 95	पति का मृत्यु प्रमाण-पत्र एवं राशन कार्ड की प्रति प्रस्तुत नहीं की।
7.	श्रीमती चन्दरी बेवा ग्यारसी कोली	मटलाना तहसील लालसोट	18. 12. 95	पति का मृत्यु प्रमाण-पत्र एवं राशन कार्ड की प्रति प्रस्तुत नहीं की।
8.	श्री तेजा पुत्र ताराचन्द कोली	मटलाना तहसील लालसोट	18. 12. 95	आयु प्रमाण-पत्र एवं राशन कार्ड की प्रति प्रस्तुत नहीं की।

परिशिष्ट-6

(अतारांकित प्रश्न संख्या 609 की सूची)

41 शहरों की भारत निर्मित विदेशी मदिरा/बीयर (खुदरा) की स्वीकृत दुकानों की सूची

क्र.सं.	शहर का नाम	स्वीकृत दुकानों की संख्या
1.	जयपुर शहर	69
2.	दौसा	3
3.	टोंक	3
4.	सीकर	5
5.	फतेहपुर	2
6.	झुन्झुनू	3
7.	नवलगढ़	2
8.	अजमेर	22
9.	ब्यावर	9
10.	किशनगढ़	9
11.	भरतपुर	12
12.	धौलपुर	2
13.	सवाईमाधोपुर	3
14.	गंगापुर सिटी	4
15.	हिण्डौन सिटी	3
16.	अलवर	7
	जयपुर जोन–योग	158
17.	जोधपुर	31
18.	पाली	8
19.	सिरोही	2
20.	जालौर	2
21.	बाडमेर	5

(२४५)

1	2	3
22.	जैसलमेर	4
23.	नागौर	2
24.	मकराना	1
25.	बीकानेर	16
26.	चूरू	3
27.	सरदारशहर	2
28.	रतनगढ़	2
29.	सुजानगढ़	1
30.	गंगानगर	13
31.	हनुमानगढ़	8
	योग जोधपुर-जोन	100
32.	उदयपुर	14
33.	राजनगर	2
34.	बांसवाड़ा	3
35.	डूंगरपुर	2
36.	चित्तौड़गढ़	5
37.	भीलवाड़ा	7
38.	बून्दी	2
39.	कोटा	27
40.	बारां	2
41.	झालावाड़	2
	योग उदयपुर-जोन	66
	महायोग	324

परिशिष्ट–7

(अतारांकित प्रश्न संख्या 613 की प्रति)

मु. नं. 270/94 धारा 317 ई. सी. एक्ट थाना गोविन्दगढ़, जिला जयपुर ग्रामीण ।

सेवा में,

श्रीमान् पीठासीन अधिकारी आरक्षी केन्द्र गोविन्दगढ़ तह. चौमू जिला जयपुर विषय बाबत् एफ. आई. आर. दर्ज करने बाबत् मैसर्स किसान सर्विस सेन्टर खेजरोली तह. चौमू जिला जयपुर पेट्रोलियम उत्पाद लाइसेन्स 113 विरुद्ध श्री विष्णु शर्मा पुत्र रामेश्वर प्रसाद शर्मा मालिक फर्म एवं श्री मदनलाल शर्मा पुत्र श्री कल्याण प्रसाद शर्मा मुनीम फर्म अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 धारा 3/7 के तहत महोदय यह है कि मैं किसान सर्विस सेन्टर खेजरोली तह. चौमू की शिकायत ग्रामवासियों द्वारा करने पर कि पम्प पर डीजल में केरोसीन तेल मिलावट कर वितरण किया जा रहा है के सन्दर्भ में दिनांक 20.12.94 को डा. रामदेव सिंह सी. ओ. चौमू एवं तहसीलदार चौमू द्वारा मौके पर रूबरू मौतबीरान मिलावटी डीजल के सेम्पल लेकर तहसीलदार चौमू को दिये गये दि. 21.12.94 को तहसील चौमू पर पहुंचने पर चौमू ने पत्रांक रसद/94/606 दिनांक 21.12.94 संलग्न पत्रादि जप्ती नमूना सैम्पल डीजल की स्लिप तथा तीन सैम्पल दिये गये । तत्पश्चात् 3.30 बजे मै. किसान सर्विस स्टेशन खेजरोली पहुंच कर श्री मनोज कुमार शर्मा जिला रसद अधिकारी एवं श्री सुधीर श्रीवास्तव प्र. अ., श्री सत्यवीर सिंह सिसोदिया, प्र. नि. श्री श्यामेन्द्र अत्रे प्र. नि. श्री विजय कुमार प्र. नि. तथा कमल किशोर प्र. नि. एवं श्री हावा सिंह प्र. नि. के द्वारा इस क्रम में गहन जांच करने पर निम्न तथ्य पाये गये ।

यह कि किसान सर्विस सेन्टर खेजरोली उप निरीक्षक राजस्थान पेट्रोलियम (लाईसेंसिंग एण्ड कंट्रोल) आर्डर 1990 एवं मोटर स्प्रीट एण्ड हाई स्प्रीड डीजल प्रीवेन्सन ऑफ मेल प्रेक्टीसेस इन सप्लाई एवं डिस्ट्रीब्यूशन) आर्डर 1990 के तहत किया गया ।

यह है कि मै. किसान सर्विस सेन्टर खेजरोली तह. चौमू का मौके पर पेट्रोलियम उत्पाद लाइसेन्स नं, 113 नवीनीकृत नहीं पाया गया था । इस अनुज्ञान पत्र की पत्रावली का कार्यालय जिला रसद अधिकारी, जयपुर ने अवलोकन करने पर अनुज्ञा पत्र 31.3.95 तक वैध पाया गया ।

यह कि पम्प परिसर में डीजल के दो टेंक भूमिगत पाये गये । टेंक की डेन्सिटी 8141 पाई गई । जबकि डेन्सिटी रजिस्टर 8334 का इन्द्राज इसमें 193 का फर्क पाया गया जो नियम विरुद्ध है ।

यह है कि बोर्ड पर 20.12.94 दि. अंकित थी, जबकि निरीक्षण दि. 21.12.94 को किया गया था । इस प्रकार 21.12.94 का डिस्पले डीजल की कीमत और स्टॉक का नहीं किया हुआ था ।

यह है कि पम्प की पूर्व मीटर रिडिंग 220368 (19.12.94 की अंतिम) स्टॉक रजिस्टर में लिखित पाई गई । पम्प पर जांच समय पर सैम्पल लेने के बाद मीटर की रिडींग 221479 पाई गई । इस प्रकार 101 लीटर डीजल का सैल होना पाया जाता है ।

यह है कि डीजल का 20.12.94 का ओपनिंग स्टॉक, स्टॉक रजिस्टर के अनुसार 26206-101 लीटर सैल) 26105 लीटर डीजल पम्प के टेंक में मिलाना चाहिये जबकि भौतिक सत्यापन पर टेंक में डीप 121.2 सेमी 10221 लीटर टेंक में डीप 164.8 सेमी. 14559 लीटर कुल 25180 लीटर एच.एस.डी. पाया गया ।

इस प्रकार 26105-25.180-925 लीटर डीजल स्टॉक में कम पाया गया ।

यह कि दोनों टेंकों में से टेंक-I से ए.बी.सी. व टेंक-II में ए. बी. सी. एच.एस.डी के प्रत्येक से तीन सैम्पल लिये गये सेम्पल सी व सी-I सील्ड मालिक श्री विष्णु शर्मा और मुनीम मदन लाल शर्मा को दिये गये ।

यह है कि पम्प की मशीन सही हालत में चालू पाई गई । बाट एवं माप की सील लगी पाई गई ।

इस प्रकार टेंक-I और टेंक-II से लिये गये डीजल के नमूना से कलर भेद डीजल के स्टॉक में 925 लीटर का वेरियशन काश्तकारों वगैरा की पम्प में डीजल में केरोसीन मिलावट कर बेचने की शिकायत को हम निरीक्षण कर्ताओं द्वारा प्रथम दृष्टया सही पाने क्योंकि टेंक-I के डीजल को मौके पर सूंघने पर केरोसीन का आभास होने पर डीजल के घनत्व में काफी बड़ा अन्तर पाने और मौके पर यह सम्भावना पाने पर कि इस मिलावटी डीजल को पम्प मालिकान द्वारा काश्तकारों या ग्राम जनता उपभोक्ताओं को बेच दिया जायेगा जिससे काश्तकारों की मशीनरी को नुकसान हो सकता है एवं पम्प मालिकान को अनधिकृत कमाई होगी इसकी रोक के लिए एवं इस मामले में आगे गहन जांच पूर्ण होने के लिए (सैम्पल परीक्षण आदि) दी राजस्थान पेट्रोलियम प्रोडक्टस (लाइसेंसिंग कन्ट्रोल आर्डर, 1990 एवं मोटर स्प्रीट एवं हाई स्प्रीट डीजल) प्रीवेन्शन ऑफ मेल प्रेक्टीसेस इन सप्लाई एवं डिस्ट्रीब्यूशन) आर्डर 1990 का उल्लंघन पाये जाने पर मौके पर उपलब्ध टेंक-I में 10621 लीटर व टेंक-II 14559 लीटर डीजल कुल 25180 लीटर डीजल को जब्त सरकार मालिक व मुनीम पम्प से किया जाकर सुरक्षा की दृष्टि से सुपुर्द नामा शिव शंकर शर्मा पं. रामेश्वर प्रसाद शर्मा 21 सन्तोष नगर कालोनी ब्रह्मपुरी रोड जयपुर से लिखा कर सुपुर्दगी में दिया गया । परीक्षण हेतु सेम्पल दिनांक 28.12.94 को प्रेषित श्री रमेश चन्द शर्मा निदेशक पुलिस विधि विज्ञान प्रयोग

शाला (फोरेंसिक सांईस लेबोरेटरी) जयपुर जिला कलक्टर महोदय के आदेशानुसार प्र. नि. श्री सत्यवीर सिंह सिसोदिया द्वारा प्रेषित किये जा चुके हैं। धारा 6 ए के अन्तर्गत जब्त माल राजसात हेतु आवेदन किया जा चुका है। जिला रसद अधिकारी के क्रमांक 2372–78 दिनांक 28.12.94 के पालना में एफ.आई.आर. दर्ज कर श्रीमान् से निवेदन है कि किसान सर्विस सेन्टर द्वारा उक्त वर्णित दोनों आदेशों की खिलाफ दर्जी की गई है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1995 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है अतः दोषियों को विरुद्ध गहन जांच कर सक्षम न्यायालय में दण्डित कराने का श्रम करें।

भवदीय,
(सुधीर श्रीवास्तव)
प्र. अ. जयपुर

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त रिपोर्ट तहरीरी बरूत हिन्दी टाइप मुद्दा श्री सुधीर श्रीवास्तव पुत्र श्री कैलाश नारायण श्रीवास्तव उम्र 44 वर्ष जाति कायस्थ नि. 125, कैलाश भवन, हवामहल रोड थाना माणक चौक जिला जयपुर शहर प्र. अ. जयपुर ने हाजा पर प्रेश की जिसकी नकल रजिस्टर एफ. आई. आर. अक्षर की गई। पढ़ कर सुनाई सही मान अपने हस्ताक्षर किये। मजमुन रिपोर्ट से मामला अपराध धारा 3/7 एफ. सी एक्ट का पाया जाने पर अ. सं. 270/94 जुर्म मजफूर में कायम कर असल एफ. आई. आर. वास्ते अनुसंधाना श्रीमान् सी. ओ. साहब वृत चौमू के पास भेजी जाती है। पुलिस नियमानुसार जारी कर एक प्रति निःशुल्क अभियोगी को गई।

एस. एच. ओ.
थाना गोविन्द गढ़
जिला जयपुर (ग्रामीण)
दिनांक 28.12.94

परिशिष्ट–8

(अतारांकित प्रश्न संख्या 616 की प्रति)

प्रतिलिपि परिपत्र संख्या प. 6 (18 राज/6/91/7 दिनांक 20–5–93 ओर से उप शासन सचिव (राजस्व (ग्रुप–6) विभाग राजस्थान जयपुर से समस्त जिला कलक्टर

विषय : राजस्थान भू–राजस्व (संशोधन) अधिनियम, 1992 के सम्बन्ध में ।

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 में संशोधन राजस्थान भू–राजस्व (संशोधन) अधिनियम–1992 द्वारा कतिपय संशोधन किये जाकर धारा 41 से 50 को विलोपित किया गया है तथा धारा 91 261,262 में संशोधन किये गये हैं । उक्त संशोधन अधिनियम राजस्थान राज–पत्र के भाग 4 (क) ...दिनांक 3–12–92 में प्रकाशित हो गया है जिसकी प्रतिलिपि संलग्न की जा रही है । संशोधन में मुख्य बिन्दुओं का ब्यौरा निम्न प्रकार है :—

1. **ग्राम प्रतिहारी से सम्बन्धित प्रावधानों का विलोपित** :—अधिनियम की धारा 41 से 50 जिसमें ग्राम प्रतिहारी के नियुक्ति एवं सेवा शर्तों आदि का प्रावधान था, को विलोपित कर दिया गया हैं । इसी प्रकार धारा 261 की उप-धारा (2) के खण्ड (1/11), (1/111) (1 X) एवं (X) जो कि ग्राम प्रतिहारी से सम्बन्धित थे, को भी विलोपित कर दिया गया है । धारा 261 में, "ग्राम चौकीदार" को विलोपित कर दिया गया है ।

2. **राजकीय भूमि पर अतिक्रमण के अपराध को कठोर किया जाना** :—राजस्थान भू–राजस्व (संशोधन) अधिनियम 92 द्वारा धारा 91 में उप-धारा (6) जोड़ी जाकर यह प्रावधान किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति स्पष्टीकरण में परिभाषित भूमि पर अनधिकृत कब्जा करता है तथा संशोधन अधिनियम के लागू होने के पश्चात् तहसीलदार द्वारा अतिक्रमण हटाये जाने के नोटिस के बावजूद 15 दिन के अन्दर अपना कब्जा नहीं छोड़ता है तो उसे तीन साल तक का कारावास एवं 20,000/- रुपये तक का जुर्माने का दण्ड दिया जा सकता है । किन्तु यह कारावास एक माह से कम अवधि का नहीं होगा । उप-धारा (6) के खण्ड (बी) में यह प्रावधान किया गया है कि जिला कलक्टर के आदेश के बावजूद यदि राज्य सरकार का कोई कर्मचारी जानबूझकर अथवा जानकारी में होते हुये इस प्रकार के अनधिकृत कब्जे को रोक पाने में या हटाने में असमर्थ होता है तो उसे एक माह का कारावास तथा या एक हजार रुपये तक के जुर्माने की सजा हो सकती है । साथ ही यह भी प्रावधान किया गया है कि खण्ड (1) के तहत अपराध का अनुसंधान उप-अधीक्षक पुलिस के नीचे के अधिकारी द्वारा नहीं किया जा सकेगा तथा खण्ड (बी) के अन्तर्गत न्यायालय द्वारा जिला के कलक्टर की पूर्व अनुमति के बिना संज्ञान (Cognisence) नहीं लिया जायेगा ।

254

3. कलाज (बी) के नीचे उल्लेखित स्पष्टीकरण की ओर आपका विशेष ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिसके अनुसार भूमि की परिभाषा में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत चेरागाह को सम्मिलित किया गया है तथा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 103 के क्लाज (ए) के उपखण्ड (3) व (4) में वर्णित सार्वजनिक कुआं, नाड़ी जोहड़ को भी सम्मिलित किया गया है।

4. अतः अपने अधीनस्थ समस्त राजस्व अधिकारियों को उक्त संशोधन की सूचना देंगे तथा इसके अनुसार कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित करें।

हस्ताक्षर

उप शासन सचिव, राजस्व

अधिसूचना

जयपुर, दिसम्बर, 3, 1992

संख्या प. 2 (20) विधि–2/92 राजस्थान राजभाषा अधिनियम 1956 (राजस्थान अधिनियम संख्या 47 सन् 1956) की धारा 4 के परन्तुक के अनुसरण में "दी राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू (अमेन्डमेन्ट) एक्ट 1992 (एक्ट नम्बर 34 आफ 1992) का हिन्दी अनुवाद सर्वसाधारण की सूचनार्थ एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

राजस्थान–भू-राजस्व (संशोधन) अधिनियम 1992

(1992 का अधिनियम संख्या 34)

(राज्यपाल की अनुमति दिनांक 30 नवम्बर, 1992 को प्राप्त हुई)

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 को और संशोधित करने के लिये अधिनियम

भारत गणराज्य के तैतालिसवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है :—

(1) संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान भू–राजस्व (संशोधन) अधिनियम 1992 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. 1956 के राजस्थान अधिनियम 15 की धारा 41, 42, 43, 44, 45, 46 47, 48, 49, और 50 का हटाया जाना :— राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

255

1956 (1956 का राजस्थान अधिनियम से 15) जिसे इसमें आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 और 50 हटायी जायेगी।

3. 1956 के राजस्थान अधिनियम 15 की धारा 91 का संशोधन :—मूल अधिनियम की धारा 91 की उप धारा (5) के पश्चात निम्नलिखित नयी उप धारा अन्तःस्थापित की जायेगी, अर्थात् :—

(6) उप धारा (2) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होने पर भी .—

(क) जो कोई भी किसी भूमि को विधिपूर्ण अधिकार के बिना अपने अधिभोग में लेता है या, यदि राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन) अधिनियम 1992 के प्रवृत होने के पूर्व उसने ऐसी भूमि को अधिभोग में लिया है तो तहसीलदार के, उससे ऐसा करने की उपेक्षा करने वाले लिखित नोटिस की तामील की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर-भीतर ऐसा अधिभोग हटाने में विफल रहता है, दोष सिद्ध पर, ऐसे सादा कारावास से, जो एक माह से कम का नहीं होगा किन्तु जो तीन वर्ष तक का हो सकेगा और ऐसे जुर्माने से, जो बीस हजार रुपये तक का हो सकेगा, दण्डित किया जायेगा : और

(ख) जो कोई भी कलक्टर के किसी लिखित आदेश से इस उपधारा के अधीन दण्डनीय किसी अपराध को करना बन्द करने या रोकने के कर्तव्य से विनिदिष्ट रूप से व्यस्त राज्य सरकार का कर्मचारी ऐसे अपराध को करना बन्द करने या रोकने में जानकर या जानते हुये उपेक्षा करता है या जानबूझकर लोप करता है, दोष सिद्धि पर, ऐसी अवधि के सादा कारावास से, जो एक माह तक का हो सकेगा या ऐसे जुर्माने से, जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से दण्डित किया जायेगा :

परन्तु खण्ड (क) के अधीन अपराध के मामले में, न्यायालय, ऐसे किसी पर्याप्त या विशेष कारण से, जिसे निर्णय में एक मास से कम की अवधि उल्लिखित किया जायेगा, के कारावास का दण्डादेय अधिरोपित कर सकेगा।

परन्तु यह भी कि इस उप-धारा के खण्ड (क) के अधीन किसी अपराध का अन्वेक्षण उप अधीक्षक, पुलिस की रैंक से नीचे के किसी अधिकारी द्वारा नहीं किया जायेगा।

परन्तु यह और कि कोई भी न्यायालय खण्ड (ख) के अधीन के किसी अपराध का संज्ञान कलक्टर को पूर्व मंजूरी के सिवाय नहीं करेगा।

स्पष्टीकरण :-इस उप धारा के प्रयोजनार्थ "भूमि" से अभिप्रेक्षा है :—

(1) राजस्थान अधिवृति अधिनियम 1955 (1956 का अधिनियम सं. 3) में यथापरिभाषित कोई चारागाह भूमि : और

(2) धारा 103 के खण्ड (क) के उप खण्ड (III) और (1) में यथापरिभाषित भूमि जिसमें किसी सार्वजनिक कुएं, नदी, जोहड़ और तालाब से संलग्न भूमि सम्मिलित है ॥

4. **1956 के राजस्थान अधिनियम 15 की धारा 261 का संशोधन :–** मूल अधिनियम की धारा 261 की उप धारा (2) के खण्ड (7), (8) व (9) और (10) हटाये जायेगें ।

5. **1956 के राजस्थान अधिनियम 15 की धारा 262 का संशोधन :–** अधिनियम की धारा 262, में अभिव्यक्ति "सदर कानूनगो, और गांव चौकीदार" के स्थान पर अभिव्यक्ति "और सदर कानूनगो" प्रतिस्थापित की जायेगी ।

जे. पी. बंसल
शासन सचिव

कार्यालय तहसीलदार, मारवाड़ जक्शन (पाली)

सरकारी भूमियों पर प्रतिक्रमण के मामलों का विवरण वर्ष 1994–95 (रकबा–हैक्टेयर में)

क्र. सं.	नाम पटवार	सड़क के किनारे		चरागाह		सिवायचक		गेमु. रास्ता		योग	
		सं.	रकबा	सं.	रकबा	सं.	रकबा	स.	रकबा	संख्या	रकबा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	हेमलियावास खुर्द	—	—	14	1.33	9	0.95	—	—	23	2.28
2.	जाडन	—	—	8	5.35	42	10.39	10	2.30	60	10.04
3.	चवाडिया	—	—	4	0.86	11	4.76	6	1.07	21	6.69
4.	सिनला	—	—	36	3.01	11	1.56	7	1.24	54	5.81
5.	बाडसा	—	—	20	5.24	20	11.50	7	0.28	47	07.02
6.	खरडी	—	—	—	—	40	40.20	8	1.37	48	41.57
7.	दूदोड	—	—	6	2.48	—	—	—	—	6	2.48
8.	चिरपटिया	—	—	—	—	—	—	17	1.50	17	1.50
9.	श्रावा I	3	0.50	—	—	39	3.49	0	0.16	51	4.15
10.	श्रावा II	—	—	—	—	16	8.89	—	—	16	8.89
11.	पांवेटिया	—	—	9	8.06	8	5.60	1	0.25	18	13.91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.	भीमगलिया	—	—	4	1.94	14	14.83	—	—	18	16.77
13.	धांमली	—	—	—	—	38	1.30	—	—	38	1.30
14.	बिणेडाकलां	—	—	29	2.30	12	3.85	41	0.35	82	6.50
15.	देवली	—	—	—	—	1	2.50	—	—	1	2.50
16.	जाणदा	—	—	—	—	32	1.16	—	—	32	1.16
17.	हिंगोलाखुर्द	—	—	13	3.03	20	3.33	15	1.49	48	7.85
18.	कराडी	—	—	8	0.89	7	1.00	2	0.85	17	2.74
19.	जोजावर I	—	—	1	0.50	41	19.46	2	0.09	44	20.05
20.	जोजावर II	—	—	1	0.76	5	0.07	—	—	6	0.83
21.	धनली	—	—	6	0.19	58	14.65	2	0.11	66	14.95
22.	ईसाली	—	—	19	0.92	—	—	19	0.96	38	1.88
23.	बासनी जोजावर	—	—	5	0.28	—	—	—	—	5	0.28
24.	गुडाकेशरसिंह	—	—	68	0.62	6	1.82	5	0.96	79	3.40
25.	बांत	—	—	20	2.68	16	0.77	4	1.47	40	4.92
26.	माण्डा	—	—	4	0.11	44	10.13	6	0.16	54	10.40
27.	सवराड	—	—	57	4.30	8	1.07	2	0.22	67	5.59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28.	खोछावास	—	—	1	0.11	—	—	2	0.05	2	0.16
29.	सेहवाज	—	—	4	0.84	—	—	11	0.54	15	1.38
30.	मुसालिया	2	0.20	2	1.08	12	4.70	—	—	16	5.98
31.	कंटालिया I	—	—	10	4.49	68	4.72	15	2.40	23	11.61
32.	कंटालिया II	—	—	8	35.12	46	4.87	—	—	54	39.99
33.	वोपारी	—	—	4	2.81	9	2.95	—	—	11	5.76
34.	वोरनडी	—	—	3	2.26	2	0.63	—	—	00	2.89
35.	धूधली	—	—	—	—	6	0.10	21	0.70	27	0.80
36.	राणावास	—	—	—	—	—	—	3	0.63	00	0.63
37.	गादाना	—	—	6	0.31	—	—	2	0.05	00	0.36
38.	मलसा बावड़ी	—	—	—	—	5	0.70	—	—	00	0.70
39.	गुडासूरसिह	—	—	13	0.01	63	12.18	—	—	76	12.19
40.	सिरीधारी	1	0.02	46	1.97	21	1.27	5	0.80	73	4.06
41.	सारण	—	—	3	1.10	1	0.25	—	—	4	1.35
42.	रडावास	—	—	—	—	18	0.87	2	0.28	20	1.15
43.	गुडारामसिह	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

259

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44.	बोरीमादा	—	—	3	0.48	5	1.60	—	—	8	2.08
45.	नीमलीमांडा	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
46.	मगोडा	—	—	27	13.76	32	4.13	4	0.74	63	18.63
47.	फुलाद	—	—	6	1.92	20	11.18	—	—	26	13.10
48.	चोकडिया	—	—	—	—	27	13.21	—	—	27	13.21
49,	मारवाड़ ज.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
50.	बांसोर	—	—	—	—	8	7.78	—	—	8	7.78
	योग	6	0.72	468	111.11	841	234.42	228	21.02	1543	367.27

सरकारी भूमियों पर अतिक्रमण के मामलों का विवरण वर्ष 1995–96

क्र. सं.	पटवार मण्डल	सड़क के किनारे		चारागाह		सिवायचक		गेमु. रास्ता		योग	
		संख्या	रकबा	सं.	रकबा	सं.	रकबा	सं.	रकबा	सं.	रकबा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	माण्डा	—	—	5	0.13	38	9.72	10	0.19	53	10.04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.	सवराड	—	—	56	4.28	—	—	4	0.25	60	4.53
3.	शेखावास	—	—	1	0.11	—	—	1	0.01	2	0.12
4.	सेहवाज	—	—	4	0.84	—	—	11	0.55	15	1.39
5.	मुसालिया	—	—	2	1.09	14	4.91	—	—	16	6.00
6.	कंटालिया I	—	—	17	50.13	68	23.22	50	11.50	135	84.85
7.	कंटालिया II	—	—	7	3.57	35	4.63	46	10.24	88	18.44
8.	घोपारी	—	—	40	4.99	2	0.15	1	0.32	43	5.46
9.	बोरनड़ी	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10.	घूंघला	—	—	—	—	5	0.90	21	0.70	26	1.60
11.	राणावास	—	—	1	1.71	4	0.25	1	0.07	6	1.93
12.	गादाना	—	—	8	0.36	—	—	2	0.06	10	0.42
13.	मसलाबावड़ी	—	—	—	—	6	0.56	—	—	6	0.56
14.	गुडासूरसिंह	—	—	12	1.39	49	8.77	—	—	61	10.16
15.	सिरीधारी	—	—	27	2.54	10	1.35	5	0.17	42	4.09
16.	सारण	—	—	3	1.10	1	0.25	—	—	4	1.35
17.	रुडावास	—	—	6	2.17	2	1.65	5	0.40	13	4.22

261

(८७८)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.	गुडा रामसिंह	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19.	बोरीमादा	—	—	—	—	25	16.29	—	—	25	16.29
20.	नीमलीमांडा	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21.	मगोडा	—	—	27	14.76	32	4.13	4	0:74	63	18.63
22.	फुलाद	—	—	6	1.92	20	11.18	—	—	26	13.10
23.	चोकडिया	—	—	31	13.00	31	15.00	—	—	62	28.00
24.	मारवाड़ ज.	—	—	7	0.35	—	—	—	—	7	0.35
25.	बांसोर	—	—	—	—	10	8.00	—	—	10	8.00
26.	हेमलियावाखुर्द	—	—	5	0.13	6	1.07	—	—	11	1.20
27.	जाडन	—	—	3	0.26	—	—	—	—	3	0.26
28.	चवाडिया	—	—	3	0.39	8	4.33	5	0.97	16	5.69
29.	सिनला	—	—	23	5.14	11	3.43	0	1.09	43	9.66
30.	बाडसा	—	—	19	2.08	5	8.18	7	0.14	31	10.40
31.	खारची	—	—	1	0.35	—	—	—	—	1	0.35
32.	दूदोड	—	—	7	0.10	—	—	1	0.02	8	0.12
33.	चिरपटिया	—	—	—	—	3	0.30	20	3.11	23	3.31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34.	श्राऊवा I	3	0.09	—	—	36	3.43	7	0.10	46	3.61
35.	श्राऊवा II	—	—	—	—	12	0.18	3	0.30	15	0.48
36.	पांचेटिया	—	—	44	10.52	6	4.53	2	0.76	52	15.81
37.	भीमालिया	—	—	3	1.68	44	19.57	—	—	47	21.29
38.	घामली	—	—	—	—	25	1.27	2	0.02	27	1.29
39.	बिठौडाकलां	—	—	21	1.72	4	0.10	42	0.72	67	2.56
40.	देवली	—	—	—	—	13	2.27	4	0.10	17	2.37
41.	जाणुन्दा	—	—	18	0.28	27	0.90	—	—	45	1.18
42.	हिंगोलाखुर्द	—	—	13	3.15	29	5.96	24	3.16	66	12.27
43.	कराडी	—	—	—	—	—	—	2	0.99	2	0.99
44.	जोजावर I	—	—	1	0.50	41	0.19	2	0.89	44	1.58
45.	जोजावर II	—	—	1	0.76	5	0.07	—	—	6	0.83
46.	धनला	—	—	6	0.19	58	14.65	2	0.15	66	14.99
47.	ईसाली	—	—	19	0.92	8	12.34	11	0.96	38	14.22
48.	बासनी जोजावर	—	—	5	0.28	—	—	—	—	5	0.28
49.	गुड़ा केशरसिंह	—	—	18	0.62	56	10.82	5	0.96	79	12.40
50.	बांता	—	—	20	2.68	6	0.77	4	1.47	30	4.92
	योग	3	0.90	490	134.19					1561	380.65

तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन

परिशिष्ट–9

(अतारांकित प्रश्न संख्या 617 को प्रतियां)

राजस्थान सरकार

राजस्व (ग्रुप–6) विभाग

क्रमांक :–6(7)राज–4/77/6 जयपुर, दिनांक : 1.4.91

आदेश

राज्य सरकार की हमेशा यह नीति रही है कि राजकीय भूमि का आबंटन भूमिहीनों को किया जावे। इसी सन्दर्भ में राजकीय कृषि भूमि पर भूमिहीनों द्वारा किए गये अतिक्रमणों को नियमन हेतु विचार किया जाता रहा तथा भूमिहीन व्यक्तियों के अतिक्रमणों को नियमित किया जाता रहा। इसी परिपेक्ष्य में राज्य सरकार ने आदेश क्र. प. 3 (50) राज-ख/64 दिनांक 5.10.68 के द्वारा यह निर्देश दिये गये थे कि राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 से सम्बन्धित अतिक्रमणों को जिनमें अतिक्रमित राजकीय भूमि पर कब्जा दिनांक 31.12.66 तक था निर्धारित शर्तों पर नियमित कर दिया जाए।

तत्पश्चात् विभाग के परिपत्र क्र. प. 6 (20) राज-ख/71 दिनांक 13.4.71 के द्वारा यह निर्देश दिए गये थे कि दिनांक 1 जनवरी, 1971 तक भूमिहीन व्यक्तियों द्वारा राजकीय कृषि भूमि पर किए गये अतिक्रमणों के मामलों को निम्न शर्तों पर नियमित किया जाये :—

1– नियमन के समय प्रीमियम या शास्ति नहीं ली जाय किन्तु जिस अवधि में भूमि पर अवैध कब्जा रहा हो उस अवधि का भू-राजस्व वसूल किया जायेगा। तथा यदि 1 जनवरी, 1966 के बाद अतिक्रमणों के नियमन के सम्बन्ध में कोई शास्ति या प्रीमियम वसूल किया गया है तो वह राशि अतिक्रमी द्वारा अतिक्रमण की अवधि के लिए देय भू-राजस्व तथा आगे देय भू-राजस्व के पेटे समायोजित की जायेगी।

2– व्यक्ति के पास कुल भूमि जिसमें नियमित की जाने वाली भूमि भी सम्मिलित है, 15 बीघा से अधिक न हो।

3– अतिक्रमित भूमि राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आबंटन नियम 1970 में उल्लेखित आबंटन के लिए प्रतिबंधित भूमि की श्रेणी में नहीं आती है।

राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आबंटन)नियम, 1970 के नियम 20 में अतिक्रमणों को नियमन करने का प्रावधान है। उपखण्डाधिकारी को यह अधिकार प्राप्त है कि वह राज्य सरकार के विशिष्ठ या सामान्य अनुदेशों के अधीन अतिक्रमी को बेदखल करने के बजाय उसे नियमित कर दे बशर्ते वह भूमिहीन है तथा उसके पास समस्त भूमि जिसमें अतिक्रमित भूमि सम्मिलित है, नियमों में दी गई सीमा से अधिक नहीं

हो। विभागीय परिपत्र प. 6 (7) राज–4/77 दिनांक 14.4.77 के द्वारा यह निर्देश दिए गए कि सिवाय चक भूमि पर दिनांक 1.7.75 तक कृषि प्रयोजनार्थ किए गये अतिक्रमणों को नियमित कर दिया जाये तथा नियमन की शर्तें वहीं होगी जो परिपत्र दिनांक 13.4.71 में उल्लेखित थी। यह आदेश गैर मुमकिन मगरा और पड़त पर भी लागू था।

भूमिहीन अतिक्रमियों को नियमन करने के उद्देश्य से राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आबंटन) नियम, 1970, के नियम 20 के अनुसरण में राज्य सरकार एतद् द्वारा आदेश देती है कि राजकीय सिवाय चक भूमि पर भूमिहीन कृषकों द्वारा किये गये अतिक्रमणों को जो दिनांक 15 जुलाई, 1984 या इससे पूर्व से किए गये है को कृषि प्रयोजनार्थ उन्हीं शर्तों पर नियमित कर दिया जाय जो कि आदेश क्रमांक प. 6 (20)राज/ख/71 दिनांक 13.4.71 एवं प. 6 (7)राज/4/77 दिनांक 14.4.77 में निहित है। यह स्पष्ट किया जाता है कि राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आबंटन) नियम, 1970 के नियम 4 में दी गई भूमियों का नियमन नहीं किया जायेगा अर्थात् :—

नियम—4

इन नियमों के अधीन आबंटन के लिए अनुपलब्ध भूमि

इन नियमों के अधीन कृषि प्रयोजनार्थ आबंटन के लिए निम्नलिखित श्रेणी की भूमियां उपलब्ध नहीं होगी, अर्थात––

(I) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 में वर्णित भूमियां।

(II) वायुयानों के उतराई स्थल के रूप में सीमांकित भूमियां।

(III) राजस्थान वन-अधिनियम 1953 (अधिनियम संख्या 13 सन् 1953) की धारा 8 के अधीन संघटित ग्राम्य वनों के लिए आरक्षित भूमियां

(IV) किसी ग्राम की आबादी के समीप अथवा साथ लगी हुई, छोटे बाडों या खलिहानों के लिए आरक्षित भूमियां।

(V) भूमियां जो–

(क) पांच लाख या इससे अधिक की जनसंख्या वाले नगर के पांच मील के व्यास में,

(ख) दो लाख या इससे अधिक किन्तु पांच लाख से कम जनसंख्या वाले किसी पालिका कस्बे के दो मील व्यास में,

(ग) एक लाख या इससे अधिक किन्तु दो लाख से कम जनसंख्या वाले किसी कस्बे के एक मील के व्यास में,

(घ) किसी भी अन्य नगरपालिका की सीमा में,

(ड) किसी रेलवे की हदबन्दी से एक सौ गज की दूरी के भीतर, या

(च) किसी राजपथ अथवा पक्की या कंकरीट सड़क के मध्य से दोनों ओर पचास गज की दूरी के भीतर स्थित भूमियां,

(VI) राजस्थान भू-राजस्व (लवण क्षेत्र आबंटन) नियम, 1970 के अधीन लवण क्षेत्रों के रूप में घोषित भूमिया, अथवा

(VII) भूमि आबंटन के किन्हीं विशेष नियमों के अधीन, आबंटन हेतु आरक्षित भूमियां।

आज्ञा से,

ह०

(रामबीर सिंह भंवर)

शासन उप सचिव

राजस्थान सरकार

राजस्व (ग्रुप–6) विभाग

क्रमांक :–प. 6 (7) राज–4/77/राज–6/12 जयपुर, दिनांक : 1.4.91

अधिसूचना

राज्य सरकार ने इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक प. 6 (7) राज--4/77/20 दिनांक 29.1.83 द्वारा गैर मुमकिन भूमि पर सिर्फ कृषि प्रयोजनार्थ दिनांक 1.7.78 से पूर्व तक किए गए अतिक्रमणों को राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आबंटन) नियम, 1970 के नियम 20 एवं अधिसूचना क्रमांक प. 6 (7) राज 4/77 दिनांक 14.4.77 में उल्लेखित निबन्धनों एवं शर्तों पर नियमित किये जाने के आदेश प्रसारित किये गये वह अधिसूचना जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, नागौर, पाली, बीकानेर तथा चूरू जिलों में लागू नहीं होगी, परन्तु इन जिलों के समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लाभान्वितों को नियमन का लाभ दिया जा सकेगा। तथा अन्य मामलों में एक हैक्टयर तक।

गैर मुमकिन भूमि पर किये गये अतिक्रमणों को नियमन करने के प्रयोजन से राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आबंटन) नियम, 1970 के नियम 20 के अनुसरण में राज्य सरकार एतद् द्वारा निर्देश देती है कि राजकीय गैर मुमकिन भूमि पर भूमिहीन कृषकों द्वारा किये गये कृषि प्रयोजनार्थ अतिक्रमणों को जो कि दिनांक

15.7.84 या उसके पूर्व के हो उन्हीं निबन्धनों एवं शर्तों पर नियमित कर दिया जावे जो कि आदेश प. 6 (7) राज–4/77/6 दिनांक 1.4.91 में निहित है ।

आज्ञा से,

ह॰

(रामबीर सिंह भंवर)

उप शासन सचिव

राजस्थान सरकार

राजस्व (ग्रुप–4) विभाग

संख्या :–प. 6 (10) राज–4/77 जयपुर, दिनांक 23 अप्रेल, 1977

—: परिपत्र :—

समस्त जिलाधीश

राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सिवाय चक, चारागाह, वन भूमि, गैर मुमकिन तथा आबादी भूमि पर 1.7.75 तक आवास गृह या बाडे बनाकर किये गये सभी अतिक्रमणों का नियमन इन्हीं निबन्धनों, शर्तों और निबन्धनों पर किया जाय जो 18.2.55 से 31.12.70 तक किये गये अतिक्रमणों के नियमन पर लागू होते है । और जो इस विभाग के परिपत्र संख्या प. 6 (17) राज-ख/71 दिनांक 3.7.71 में उल्लेखित है ।

ह॰

विशिष्ट शासन सचिव

परिशिष्ट-10

(अतारांकित प्रश्न संख्या 623 की सूची)

अतिक्रमियों की सूची

क्र. सं.	नाम अतिक्रमी	ख. नं.	रकबा	अतिक्रमण का स्वरूप
1	2	3	4	5
1.	खम्भा, भंवरा पुत्र भगता गुर्जर निवासी रैया का बास	361	0.40 है	कब्जा छड़ी एवं मेड़ लगाकर
2.	बीरबल पुत्र मामराज गुर्जर निवासी रैया का बास	361	0.18 है	मेड़ लगाकर कब्जा
3.	गिरधारी पुत्र ग्यारसा गुर्जर निवासी रैया का बास	361	0 10 है	,, ,,
4.	सगरा पुत्र गुल्ला गुर्जर निवासी रैया का बास	361	0.90 है	,, ,,
5.	भगवाना पुत्र श्योनाथ गुर्जर निवासी रैया का बास	361	0.20 है	छड़ी, कुआं, मकान बनाकर कब्जा
6.	कालू/मामराज गुर्ज निवासी रैया का बास	361	0.10 है	मेड़ लगाकर कब्जा
7.	रामकुमार, देवकी, मक्खन पुत्र जयमल गुर्जर निवासी रैया का बास	361	0.06 है	कुड़ी डालकर कब्जा
8.	रामकुमार देवकी, मक्खन मानाराम, रामोतार पुत्र जयमल गुर्जर निवासी रैया का बास	361	1.80 है	मेड़ लगाकर कब्जा
9.	छोटूराम पुत्र रामनाथ गुर्जर निवासी रैया का बास	361	0.15 है	छड़ी डालकर कब्जा
10.	भवरा पुत्र गोकल गुर्जर निवासी रैया का वास	361	0.25 है	खाम, मकान एवं मेड़ लगाकर कब्जा
11.	मोहरू पुत्र सुरजा गुर्जर निवासी रैया का बास	361	0.13 है	मेड़ लगाकर कब्जा

1	2	3	4	5
12.	छोटू पुत्र मूला कुम्हार, निवासी कोला की नांगल	361	0.15 है	पत्थर डालकर मेड़ लगाकर कब्जा
13.	जयराम पुत्र सुरजा गुर्जर निवासी रैया का बास	361	0.20 है	मेड़ लगाकर कब्जा
14.	लाल सिंह पेपसिंह, रामपालसिंह पुत्र पूर्णसिंह राजपूत निवासी कोला की नांगल	361	0.30 है	,, ,,

नोट : सूची के क्रम संख्या 1, 4, 5, 7, 14 पर अंकित व्यक्तियों ने पश्चातवर्ती अतिक्रमण किया है जबकि इनको नायब तहसीलदार, नीमकाथाना की न्यायालय के आदेश द्वारा संवत 2052 की रिपोर्ट के अनुसार बेदखल किया जाकर फसल जप्ती एवं नीलामी की कार्यवाही की जा चुकी थी। क्रम संख्या 2, 3, 6, 8 से 13 पर अंकित व्यक्तियों ने संवत 2053 में अतिक्रमण किया है। उपरोक्त क्रम संख्या 1, 4, 5, 7 14 पर अंकित व्यक्तियों ने पश्चातवर्ती अतिक्रमण किया है। अब उक्त सूची में अंकित सभी अतिक्रमियों के खिलाफ राज. भू–राजस्व अधिनियम की धारा 91 के अन्तर्गत न्यायालय नायब तहसीलदार, नीम का थाना की न्यायालय में कार्यवाही की जा रही है। निर्णय उपरान्त नियमानुसार बेदखली की कार्यवाही की जायेगी।

एस. डी./–

जिला कलक्टर, सीकर

३१०

परिशिष्ट-11

(अतारांकित प्रश्न संख्या 632 की प्रति)

Notice : Regd. A.D.

मुकुट बिहारी लाल
रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट
शर्मा सदन, शिवाजी नगर
ब्रह्मपुरी रोड, जयपुर–302002
4.1.1996

प्रेषिति :
रजिस्ट्रार
राजस्थान फार्मेसी कौंसिल
जी- 15 ध्रुव मार्ग, तिलक नगर
जयपुर–302004 (राज.)

सन्दर्भ : (1) मेरा रजिस्टर्ड ए. डी. पत्र (नोटिस) दिनांक 8/11/93.

(2) राज. फा. कौं. का राज. पत्रिका दिनांक 16–12–95 में प्रकाशित विज्ञापन बाबत "निर्वाचन सूची का संशोधन"

विषय : संशोधित निर्वाचन सूची से (1) R. B. Puri Regd. No. 7895, (2) O. P. Khandelwal Regd. No. 7669 (3) B. M. TATIA Regd. No. 4938 तथा (4) Shanti Swroop Regd. No. 9237 एवं (5) K.N. Gupta Regd. No. 11053 के नाम निकालने तथा निर्वाचन में भाग लेने से रोकने के आदेश जारी करने बाबत निवेदन तथा नोटिस ।

महोदय, उपरोक्त सन्दर्भ तथा विषय में निम्न निवेदन है :—

(1) विषयान्तर्गत वर्णित व्यक्तियों को फार्मेसी एक्ट 1948 की धारा 32(1)(a) तथा 32 (B) के अन्तर्गत पंजीकृत किया गया था ।

(2) कि धारा 32(B) तथा 32 (1)(a) के अन्तर्गत पंजीकृत किये जाने हेतु फार्मेसी एक्ट 1948 के अनुसार दिनांक 23.2.1975 से 5 (पांच) वर्ष पूर्व का किसी फार्मेसी, हास्पीटल या अन्य ऐसे स्थान पर जहां चिकित्सा व्यवसायियों के नुस्खों (PRES RIPTION) पर नियमित रूप से औषधि-योजन किया जाता हो तथा औषधि मिश्रण का कार्य किया जाता हो, अनुदान आवश्यक होता है, जोकि उक्त पांचों व्यक्तियों के पास नहीं था, बल्कि इन व्यक्तियों के अनुभव प्रमाण–पत्रों के अनुसार इन्हें सिर्फ मेडिकल स्टोर पर PATEN OR, PROPRIETERY MEDICINE के सेल्समैन के रूप में ही अनुभव प्राप्त था ।

(3) कि इस प्रकार उपरोक्त व्यक्तियों का नाम गलती से तथा रिश्वत खाकर ही रजिस्ट्रार आफ फार्मासिस्ट में दर्ज किया गया था अतः इस प्रकार दर्ज नामों को फार्मेसी एक्ट 1948 की धारा 36 के अनुसार हटाने का प्रावधान है ।

अतः इस नोटिस के द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि उपरोक्त पांचों व्यक्तियों को भविष्य में होने वाले मतदान में सभी प्रकार से भाग लेने से रोकें तथा विधिवत् उनके नाम रजिस्ट्रार आफ फार्मासिस्ट से निकालने की प्रक्रिया प्रारम्भ करके मुझे सूचित करें अन्यथा इस नोटिस की प्राप्ति के 15 (पन्द्रह) दिवस पश्चात् मैं न्यायालय में कार्यवाही करने के लिये स्वतंत्र होऊंगा, सूचित हों।

हस्ताक्षर
4/1/96

(मुकुट बिहारी लाल)

प्रपत्र "अ"

परिशिष्ट–12

(अतारांकित प्रश्न संख्या 634 की सूची)

डग विधान सभा क्षेत्र में सम्पर्क सड़कों से जोड़े गये पंचायत मुख्यालयों का विस्तृत विवरण

क्र. सं.	पं.मु. का नाम	योजना का नाम	वर्ष जिसमें पंचायत मुख्यालय सम्पर्क सड़क से जोड़ा गया	सड़क की लम्बाई (किमी.में)	स्वीकृत राशि (लाखोंमें)	विभाग द्वारा व्यय की गई राशि (लाखों में) 93-94	94-95	95-96	निर्माण कराई गई पुलियाओं की संख्या	सड़कों की वर्तमान भौतिक स्थिति ग्रेवल कार्य (किमी.)	मिट्टी का कार्य (कमी.में)	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	सरोद	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	1993-94	5.5किमी.	13.75	13.62	0.51	—	—	—	—	5.5 किमी. डामर (वर्ष 1993–94) सड़क का निर्माण पूर्ण

(273)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	मोगरा	सांसदों के स्थानीय क्षेत्र में विकास कार्य योजना	1995-96	5.0किमी.	5.93	—	—	1.19	3	3किमी.	—	कार्य प्रगति पर स. नि. विभाग द्वारा
2.	गुड़ा	सुनिश्चित रोजगार योजना	1994-95	7.0 ,,	7.06	—	1.28	5.06	2	2.5किमी.	3किमी.	,,
3.	कुण्डीखेड़ा	,,	,,	3.5 ,,	8.64	—	1.39	4.13	1	4किमी.	5किमी.	,,
4.	कचनारा	,,	,,	9.00 ,,	7.934	—	3.44	1.53	5	2 ,,	4 ,,	,,
5.	लुहारिया	,,	,,	6.00 ,,	12.742	—	4.35	1.18	1	3 ,,	3.5 ,,	,,
6.	डोडी	,,	,,	10.00 ,,	14.918	—	5.09	1.14	—	5 ,,	—	,,
7.	धतुरिया	,,	,,	5.00 ,,	12.449	—	5.51	1.07	5	4 ,,	—	,,
8.	पिपलिया खुर्द	,,	,,	3.00 ,,	9.34	—	5.19	1.36	—	2 ,,	4 ,,	,,
9.	वाड़ा	,,	,,	5.00 ,,	5.798	—	4.03	2.00	2	4 ,,	—	,,
10.	मन्दिरपुर	,,	,,	3.00 ,,	8.96	—	5.24	0.58	2	2 ,,	—	,,
11.	केलूखड़ा	,,	,,	1.50 ,,	5.42	—	1.80	0.27	1	1.5 ,,	—	,,
12.	नाहरपट्टा	,,	,,	7.00 ,,	6.77	—	1.32	6.28	—	7.5 ,,	—	,,
13.	पारापीपली	,,	,,	8.00 ,,	8.592	—	5.29	0.63	4	5.00,,	—	,,

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		डग विधान सभा क्षेत्र में कृषि विस्तार योजना के अन्तर्गत सड़क निर्माण विवरण										कुल 67.5
1.	श्रावर	कृषि विस्तार योजना	1994-95	1.6किमी.	11.00	—	19.13	—	1		—	1.6 किमी. डामर मेटल सड़क से
2.	तिसाई	,,	1994-95	2.8किमी.	20.00	--	—	9.37	3		1.8	1.0 किमी. डामर कार्य 2.8 कि. मेटल
				82.90	159.303	13.62	62.57	35.79	30	45.50		

परिशिष्ट-13

(प्रतारांकित प्रश्न संख्या 635 की प्रति)

परिशिष्ट "क"

1. All Divisional Commissioners
2. Secretary, Public Works Department
3. All District Collectors
4. Chief Engineer, public Work Deptt. (B&R.)
5. All Executive Engineers, Public Works. Deptt. (B&R)

Subject :–Regarding policy decisions for Construction of Dak Bungalows.

Sir,

I am directed to bring to your notice that Government of Rajasthan has framed a policy in the following manner to deal with the proposals for construction of new Dak Bungalows and addition to existing Dak Bungalows in Rajasthan.

1. Normally P. W. D. Dak Bungalow sould have a minimum of four rooms.

2. All Tehsil headquartres should have Dak Bungalows. In case a P. W. D. Dak Bungalow exists at place, which is not a tehsil headquarter, no upgradation would considered, in respective of the accomodation.

3. At SDO Hq.. the following action may ba taken :–

   (a) Where the population of the town in upto 50000 as per 1991 congur. the Dak Bungalow should have 5 rooms.

   (b) In towns with population beyond 50,000 but less than 1,00,000, six rooms would be considered adequate.

   (c) Where the population is more than 1,00,000 the Dak Bungalows should have upto 12 rooms.

(316)

4. In each of the above cases existing accomodation may be seen In case their is a Irrigation Dak Bungalow, R.S.E.B. Dak Bungalow etc. already present, there should no need of construction a new P. W. D. Dak Bungalow. In such cases the expension of the existing Dak Bungalow may be undertaken.

5. At Div. headquarters P. W. D. Dak Bungalow should have barracs for accomodation for drivers, gunmens etc. who fece uccomodation problems at Circuit Houses.

6. Priority for construction of Dak Bungalow at tehsil Hq., S.D.O. head quarter would be given to those places which do not have any Dak Bungalows at present.

7. All panchayat samiti headquarters which are not tehsil headquarters whould also be considered for Dak Bungalow.

Yours faithfully,
Ashok Jain
Special secretary to Govt.

(277)

परिशिष्ट-14 **परिशिष्ट–"क"**

(अतारांकित प्रश्न संख्या-636 की सूची)

हिण्डोली विधान सभा क्षेत्र के 1000 एवं अधिक जनसंख्या वाले गांवों की सूची

क.सं.	डामर सड़क से जुड़े गांव	जनसंख्या	जनगणना 1971 के आधार पर
1.	हिण्डोली	5180	
2.	अलोद	3513	
3.	दबलाना	2563	
4.	बड़ोदिया	2558	
5.	बड़ा नया गांव	2136	
6.	ठीकरढा	1820	
7.	सथूर	1956	
8.	खिन्यां	1808	
9.	धोवड़ा	2018	
10.	गुढ़ा नाथावत	2081	
11.	नीम का खेड़ा	1272	
12.	उमर	1188	
13.	ओवन	1373	
14.	चतरगंज	1197	
15.	जजावर	3088	
16.	सिलोर	1745	
	मेटल सड़क से जुड़े हुये गांव		
1.	गोठड़ा	2597	
2.	रूणीजा	1409	
	ग्रेवल सड़क से जुड़े हुये गांव		
1.	काछोला	1231	
2.	विजयगढ़	1274	
3.	रामचन्द्र जी का खेड़ा	1250	

1	2	3	4
4.	चेंता	1204	
5.	रानीपुरा	1440	
6.	सांवतगढ़	1083	
7.	पगारा	1217	
8.	भवानीपुरा	1170	
9.	सोरण	1389	
	सड़क से नहीं जुड़ें हुये गांव		
1.	काबरी	1113	इन दोनों गांवों के एनवल प्लान 96–97 में इसके प्रस्ताव भिजवाये गये हैं
2.	ओइन्डा	1151	

परिशिष्ट-15

(अतारांकित प्रश्न संख्या 637 की सूची)

क्र.सं.	मार्ग व पुलिया का नाम	टोलटैक्स प्रारम्भ करने की तिथि	अब तक वसूल किया गया टोलटैक्स	निर्माण व्यय	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6
	राज्य सरकार (सा.नि.वि.) द्वारा निर्मित पुल				
1.	बांदीकुई–सिकन्दरा सड़क किमी 68 एसएच 25 पर पुल	1.1.89	5,53	108.01	
2.	पार्वती पुल (धौलपुर-सपेऊ-रुपवास मार्ग) किमी 17	1.12.87	57.46	114.26	
3.	बाणगंगा नदी पुल (पथेना-खेडली सड़क)	1.1.88	45.98	82.64	
4.	गैमन ब्रिज (माही नदी (बांसवाड़ा-रतलाम रोड)	1.7.84	37.22	432.00	
5.	माही नदी पुल (बांसवाड़ा-सागवाड़ा-डूंगरपुर रोड)	84-85	32.90	95.00	
6.	फ्रेनीस पुल (घाटी आनंदपुरी रोड)	1.8.85	8.22	173.00	
7.	बनास पुल किमी. 137 (सवाईमाधोपुर-दौसा मार्ग)	1.1.91	46.84	120.75	
8.	बोरावत पुल (बांसवाड़ा-दोहाद मार्ग)	16.9.91	54.92	56.33	

279

1	2	3	4	5	6
9.	साबी नदी पुल (भरतपुर-अलवर-बहरोड नारनोल मार्ग)	11.2.92	63.01	271.12	
10.	नलदेश्वर नाला पुल (अलवर-शाहपुरा रोड)	25.9.92	115.81	76.94	
11.	अलानिया पुल (कोटा-बारां-शिवपुरी रोड)	1.2.93	97.90	168.30	
12.	चम्बल नदी पुल किमी 244-45 मार्ग (जयपुर-जबलपुर)	8.2.88	528.81	556.00	
13.	खरका पुल (भिण्डर-सलूम्बर-आसपुरा रोड)	12.8.95	6.20	135.00	
			116480	2389.35	
केन्द्र सरकार द्वारा निर्मित पुल					
1.	बाणगंगा नदी मोलोनी पुल (आगरा-बीकानेर रोड)	1.8.89	236.27	325.00	
2.	चम्बल पुल (धौलपुर-आगरा-बम्बई मार्ग)	3.7.81	611.44	695.34	
3.	बनास पुल (टोंक-जयपुर-जबलपुर मार्ग)	11.5.94	347.80	3470.48	
4.	बाणगंगा पुल (दौसा-सैंथल रोड)	1.4.95	9.29	182.00	
5.	चन्द्रभागा नदी पुल (जयपुर-जबलपुर मार्ग)	4.2.96	6.39	154.27	
		—	1211.19	4872.09	

1	2	3	4	5	6
	राजस्थान राज्य पुल निर्माण निगम लि., जयपुर के माध्यम से वसूल किये जा रहे टोलटैक्स का विवरण				
1.	कोटा-बांरा शिवपुरी रोड (पार्वती नदी)	1.4.96	6.58	773.00	शेष वसूल की जाने वाली राशि के अतिरिक्त निगम संस्थागत ऋण, उस पर ब्याज तथा राज्य सरकार द्वारा दी गई सीडमनी की राशि भी वसूल की जानी है।
2.	जोधपुर-पाली रोड (कुटी ब्रिज जाजेरी नदी पर	17.5.96	21.25	81.45	
3.	जोधपुर-बाड़मेर रोड (लूणावास ब्रिज जोजरी नदी)	27.5.96	9.76	83.37	
4,	रेवदर मण्डार रोड (करेली नदी पर)	25.3.95	142.50	64.76	
5.	धौलपुर-बाड़ी सरमथुरा खरैर नदी करौली मार्ग	17.6.96	4.84	86.60	
6.	पाली घाट (सवाईमाधोपुर श्योपुर रोड)	19.4.95	7.08	911.47	
		—	**192.01**	2000.65	

९८४

परिशिष्ट–16

(अतारांकित प्रश्न संख्या 639 की सूची)

परिशिष्ट "अ"

वर्ष 1994–95 के तहत डूंगरपुर जिले में निम्नलिखित पंचायत मुख्यालयों को डामर की सड़क से जोड़ा गया :–

1. बस्सीपाल
2. घोटाद
3. कराडा
4. झलाई
5. मोडबा
6. भारा
7. वेरूसा

परिशिष्ट "ब"

वर्ष 1995–96 के तहत डूंगरपुर जिले में निम्नलिखित पंचायत मुख्यालयों को डामर की सड़क से जोड़ा गया :–

1. पालपादर
2. श्वेमपुर
3. सिदडी श्वेरेवाडा
4. शगेला
5. डूका
6. भिण्डा
7. विराट
8. डैयाना
9. वडगामा
10. सिलोटी
11. टीकवासा
12. लिलवासा
13. सागोटा
14. रनोली
15. गडा जसराजपुर

परिशिष्ट "स"

वर्ष 1996–97 के तहत डूंगरपुर जिले में निम्नलिखित पंचायत मुख्यालयों को डामर सड़क से जोड़ा गया :–

1. पोहरी श्वातुशम
2. घुवेड

283

परिशिष्ट–17

प्रपत्र–1

(अतारांकित प्रश्न संख्या 640 का विवरण)

वर्ष 1995 में हुयी अतिवृष्टि के बाद क्षतिग्रस्त हुयी सड़कों की मरम्मत हेतु बयाना विधान सभा क्षेत्र में स्वीकृत कार्यों की प्रगति का विवरण

क्र. सं	कार्य का नाम व जॉब नं.	स्वीकृत राशि	6/96 तक किया व्यय	स्वीकृति के अन्तर्गत लक्षित कार्य	6/96 तक की भौतिक उपलब्धि	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1.	वैर बयाना सड़क पर किमी. 76 में प्रोटेक्शन वाल का निर्माण कार्य (82/2245/एफ. डी. आर./नोन प्लान/95–96)	3.00 लाख	2.30 लाख	किमी. 76 में रिटेनिंग वाल का निर्माण व पिचिंग का कार्य ।	कार्य पूर्ण ।	—
2.	वैर बयाना सड़क पर किमी. 81 में प्रोटेक्शन वाल व पत्थर की पिचिंग का कार्य । (83/2245/एफ. डी. आर./नोन प्लान/95–96)	2.60 लाख	1.94 लाख	किमी. 81 में रिटेनिंग वाल का निर्माण व क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत ।	कार्य पूर्ण ।	—
3.	बयाना रूदवाल सड़क पर बाढ़ से क्षतिग्रस्त का रेस्टो-	1.00 लाख	0.97 लाख	किमी. 4 में रिटेनिंग वाल का निर्माण व किमी. 2 में	कार्य पूर्ण ।	—

385

1	2	3	4	5	6	7
	रेशन का कार्य किमी. 0/0 से 0/4 (84/2245/एफ. डी. ग्रार./नोन प्लान/95–96)			पुल की एप्रोच की प्रति आवश्यक मरम्मत का कार्य ।	कार्य पूर्ण ।	
4.	बयाना बारेठा सड़क पर बाढ़ से क्षतिग्रस्त सड़क का रेस्टो-रेशन का कार्य किमी 35/0 से 44/0 तक (87/2245/एफ. डी ग्रार./नोनप्लान/95–96)	0.80 लाख	0.80 लाख	किमी. 42 में रिटेनिंग वाल का निर्माण व पेंच रिपेयर का कार्य ।	कार्य पूर्ण ।	—
5.	शहरी क्षेत्र में बयाना में पत्थर के खंरजे का कार्य मरतपुर बयाना हिण्डौन सड़क पर (75/2245/एफ डी.ग्रार./नोनप्लान/95–96)	3.00 लाख	1.98 लाख	मरतपुर, बयाना, हिण्डौन सड़क पर विशेष क्षतिग्रस्त 10 किमी. में हैवी पेचिंग का कार्य, किमी. 35 में हुये कटाव के रेस्टोरेशन का कार्य व किमी. 44 में पत्थर की पेविंग व ड्रेन का कार्य ।	10 किमी. में हैवी पेंचिंग व किमी. 35 में हुये कटाव का रेस्टोरेशन का कार्य पूर्ण ।	किमी. 44 में पत्थर की पेविंग व ड्रेन का पूर्ण कार्य विशेष मरम्मत के अन्तर्गत स्वीकृत है एवं राज. पुल निगम द्वारा कार्य प्रगति पर है । इसलिये इस स्वीकृति के अन्तर्गत नहीं कराया गया ।

1	2	3	4	5	6	7
6.	बाडी भरतपुर वाया बसेडी सड़क पर बाढ़ से क्षतिग्रस्त सड़क का रेस्टोरेशन का कार्य किमी. 17 (77/2245/एफ. डी.आर-/नोनप्लान/95–96)	3.50 लाख	1.74 लाख	किमी. 17 में पाइप कलवर्ट का निर्माण व किमी. 22 व 17 में डामरीकरण का कार्य (1100 मीटर लम्बाई में)	पाइप कलवर्ट का निर्माण उसके ऊपर की सड़क के कार्य के अतिरिक्त पूर्ण ।	डामरीकरण का कार्य डामर की कम आपूर्ति के कारण पूर्ण नहीं हो सका ।
7.	करौली मासलपुर बाजना सड़क यू.पी. सीमा तक बाढ़ से क्षतिग्रस्त सड़क का रेस्टोरेशन का कार्य (76/2245/एफ.डी.आर./नोनप्लान/95–96)	3.75 लाख	1.15 लाख	2.5 किमी. (किमी. 2/0 से 4/5) में डामरीकरण का कार्य ।	मैटेरियल कलैक्शन पूर्ण परन्तु डामर की कमी के कारण डामरीकरण नहीं कराया जा सका ।	डामर की आवश्यकता से कम आपूर्ति के कारण यह कार्य पूर्ण नहीं हो सका ।

285

१८८

परिशिष्ट-18

(अतारांकित प्रश्न संख्या 642 का विवरण)

वर्ष 1995–96 में जयपुर जिले की ग्रामीण एवं शहरी सड़कों पर व्यय का विवरण

परिशिष्ट "अ"

	ग्रामीण सड़कें			शहरी सड़कें		
	रख–रखाव	योजना मद	डी. आर. डी. ए. डिपोजिट	रख–रखाव	योजना मद	डी.आर.डी.ए. डिपोजिट
जिला खण्ड–दक्षिण, जयपुर	272.50	233.39	30.31	—	—	—
नगर खण्ड-तृतीय, जयपुर	—	—	—	459.13	25.56	—
जिला खण्ड–उत्तर, जयपुर	301.65	573.30	43.02	—	—	—
खण्ड निर्माण–द्वितीय, जयपुर	—	—	—	330.05	185.35	—
कुल योग :	574.15	806.69	73.33	789.18	210.91	—

सारांश :

शहरी क्षेत्रों की सड़कों पर व्यय	1000.09 लाख
ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों पर व्यय	1454.17 लाख
जयपुर जिले में कुल व्यय	2454.26 लाख

(289)

परिशिष्ट-19

(अतारांकित प्रश्न संख्या 643 की सूचना)

परिशिष्ट "क" 1

अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत की गई सूचना।

1. मण्डरायल करौली हिण्डौन महुआ सड़क कि. मी. 67/0 से 74/0
2. माड़ौती-गंगापुर-हिण्डौन-बयाना सड़क कि. मी. 72/0 से 105/0
3. नादौती खेड़ा सड़क कि. मी. 18/0 से 31/200
4. कोटरी-पैलीपुरा सड़क
5. हिण्डौन लपावली सड़क
6. हिण्डौन झारेडा सड़क
7. हिण्डौन-जगर सड़क
8. हिण्डौन बाजना सड़क
9. लपावली-श्री महावीर जी सड़क

सड़कें जिनकी मरम्मत नहीं की गई।

1. हिण्डौन बरगमा सड़क
2. हिण्डौन-खरेटा-झिरना-कोटरी सड़क

88

परिशिष्ट-20

(अतारांकित प्रश्न संख्या 648 की सूची)

परिशिष्ट "क"

महिला डेयरी परियोजना के द्वितीय चरण के अन्तर्गत
नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी के नाम, पद, अवधि का विवरण

क्रम संख्या	नाम	पद	तिथि से कार्यरत	सेवा अवधि	जिला दुग्ध संघ का नाम
1.	श्रीमती आशा शर्मा	सहा. प्रबन्धक महिला	03.09.92	लगातार	भीलवाड़ा
2.	श्रीमती अन्जना शर्मा	महिला अनुदेशक	10.05.92	लगातार	भीलवाड़ा
3.	सुश्री वीणा खण्डेलवाल	महिला अनुदेशक	10.05.92	लगातार	भीलवाड़ा
4.	श्रीमती शाहिना जाहिद	सहा. प्रबन्धक	17.06.92	08.10.95 तक	सीकर
5.	श्रीमती सरोज	महिला अनुदेशिका	08.05.92	लगातार	सीकर
6.	सुश्री मधुमालती शर्मा	महिला अनुदेशिका	08.05.92	लगातार	सीकर
7.	सुश्री नीलम माथुर	महिला अनुदेशिका	19.06.92	28.02.95 तक	सीकर

289

परिशिष्ट-21

(अतारांकित प्रश्न संख्या 649 का विवरण)

परिशिष्ट "क"

राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड से राजस्थान को-ऑपरेटिव डेयरी फैडरेशन एवं अधीनस्थ संघों/ईकाईयों में वर्तमान में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापित अधिकारियों का पदनाम वेतन सहित विवरण

क्रम संख्या	अधिकारी का नाम	मूल विभाग में पदनाम	मूल विभाग में वेतन श्रृंखला (रुपये में)	स्थानान्तरित विभाग में पदनाम	स्थानान्तरित विभाग में वेतन श्रृंखला (रुपये में)	विशेष विवरण
1.	श्री ए. के. जैन	एक्जीक्यूटिव	3000–4500	विशेषाधिकारी	3000–4500	
2.	श्री ए. के. मोदगिल	एक्जीक्यूटिव	3000–4500	प्रबन्ध संचालक	3000–4500	
3.	श्री डी. के. शर्मा	साईन्टिस्ट	3000–4500	विशेषाधिकारी	3000–4500	
4.	श्री एन. के. विश्वास	प्रबन्धक	3700–5600	प्रबन्ध संचालक	3700–5600	
5.	श्री आर. सी. बोहरा	एक्जीक्यूटिव	3000–4500	प्रबन्धक	3000–4500	
6.	श्री आर. के. सिंह	एक्जीक्यूटिव	3000–4500	प्रबन्धक	3000–4500	
7.	श्री आर. एस. खन्ना	महाप्रबन्धक	4500–6000	प्रबन्ध संचालक	4500–6000	
8.	श्री वी. के. लवानी	एक्जीक्यूटिव	3000–4500	विशेषाधिकारी	3000–4500	

प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापित अधिकारियों के वेतन एवं अन्य भत्ते फैडरेशन/संघों द्वारा वहन किये जाते हैं।

(290)

परिशिष्ट–"ख"

राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड से राजस्थान को-ऑपरेटिव डेयरी फैडरेशन एवं अधीनस्थ संघों/इकाइयों में वर्तमान में सैकण्डमेंट पर पदस्थापित अधिकारियों का पदनाम वेतन सहित विवरण

क्र.सं.	अधिकारी का नाम	मूल विभाग में पदनाम	मूल विभाग में वेतन शृंखला (रुपये में)	स्थानान्तरित विभाग में पदनाम	स्थानान्तरित विभाग में वेतन शृंखला (रुपये में)	विशेष विवरण
1–	श्री ए. ए. भाटी	एक्जीक्यूटिव	3000–4500	उपप्रबन्धक	3000–4500	
2–	श्री ए. के. सिंह	एक्जीक्यूटिव	3000–4500	उपप्रबन्धक (पीएण्डआई)	3000–4500	
3–	श्री ए. के. त्रिपाठी	एक्जीक्यूटिव	3000–4500	प्रबन्धक	3000–4500	
4–	श्री सी. एस. सुन्दरसेन	असिस्टेण्ट एक्जीक्यूटिव	2200–4000	सहायक प्रबन्धक	2200–4000	
5–	श्री सी. जोसफ	असि. एक्जीक्यूटिव	2200–4000	सहायक प्रबन्धक	2200–4000	
6–	श्री डी. कुमार	सीनियर एक्जीक्यूटिव	3300–5000	प्रबन्धक	3300–5000	
7–	श्री नरेन्द्र सिंह	सीनियर एक्जीक्यूटिव	3300–5000	प्रबन्ध संचालक	3300–5000	
8–	श्री पी. के. शर्मा	एक्जीक्यूटिव	3000–4500	उपप्रबन्धक	3000–4500	
9–	श्री पी. एन. गंजू	प्रबन्धक	3700–5600	महाप्रबन्धक	3700–5600	

1	2	3	4	5	6
10–	श्री पी. टी. जैकब	प्रबन्धक	3700–5600	महाप्रबन्धक	3700–5600
11–	श्री आर. चटोपाध्याय	प्रबन्धक	3700–5600	प्रबन्ध संचालक	3000–4500
12–	श्री राजेन्द्र सिंह	एक्जीक्यूटिव	3000–4500	उपप्रबन्धक	3700–5600
13–	श्री सुश्री रूचिरा	असि. एक्जीक्यूटिव	2200–4000	सहायक प्रबन्धक	2200–4000
14–	श्री राजेश	असि. एक्जीक्यूटिव	2200–4000	सहायक प्रबन्धक	2200–4000
15–	श्री आर. एन. आचार्य	एक्जीक्यूटिव	3000–4500	उपप्रबन्धक	3000–4500
16–	श्री एस. एल. पाठक	एक्जीक्यूटिव	3000–4500	उपप्रबन्धक	3000–4500
17–	श्री सुदीप्तोसेन गुप्ता	असि. एक्जीक्यूटिव	2200–4000	सहायक प्रबन्धक	2200–4000
18–	श्री एस. एम. टिकियानी	एक्जीक्यूटिव	3000–4500	विशेषाधिकारी	3000–4500
19–	श्री एस. के. सेमल	एक्जीक्यूटिव	3000–4500	उपप्रबन्धक	3000–4500
20–	श्री वाई. के. अरोड़ा	सीनियर एक्जीक्यूटिव	3300–5000	प्रबन्धक	3300–5000
21–	श्री शिवाजी रावजी	असि. एक्जीक्यूटिव	2200–4000	सहायक प्रबन्धक	2200–4000

नोट—सैकेण्डमेंट पर पदस्थापित अधिकारियों के वेतन एवम् अन्य भत्ते राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा वहन किये जाते हैं।

(291)

परिशिष्ट–22

(नियम 295 के तहत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं जो पढ़ी हुई मानी गयीं)

राजाखेड़ा क्षेत्र में नहरों का निर्माण

श्रीमती मनोरमा सिंह (राजाखेड़ा) :

माननीय अध्यक्ष महोदय मैं प्रक्रिया के नियम 295 के तहत माननीय सिंचाई मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं राजाखेड़ा विधान सभा क्षेत्र में बसई नबाव भूरापुरा सहित 9 पचायतों में आंगई नहर नहर का पानी विगत 20 वर्षो से सिंचाई हेतु उपलब्ध न होने के फलस्वरूप उत्पन्न गम्भीर परिस्थित की ओर सिंचाई मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करती हूं आंगई नहर सांकरा बिन्दु विभाजन का बिन्दु है । जहां से नहर की सारवा बसई नबाव की ओर मुड़ती है । तथा मुख्य नहर कोलारी के रास्ते भूरापुरा की ओर आती है । किन्तु नहर निर्माण से अब तक लगभग 25 वर्षों से अधिक व्यतीत होने से वजूद नहर का पानी बसई नबाव व भूरापुरा टेल पर नहीं पहुंच सका राज्य सरकार की ओर से वर्ष 1993-94 से सांय 25.49 कारण स्वीकृत नहर की सफाई के मद में आबांटित किया जाना बताया है । लेकिन दुःखद स्थिति यह है । किजारोंली से आगे वसई नवाब तथा कोलारी आगे मूसलपुर व थूरापुरा तक नहर की सफाई भी नहीं हुई वह मिट्टी से लबालब भरी पड़ी है । मुख्य नहर का पानी कोलारी पाइन्ट के बार पास कटाव होकर पार्वती नदी में अनावश्यक बहता रहता है । जामीर-पुरा के पाइंट के पास नहर का पानी कटाव होकर नाला में जाता रहता है । जो कि नाला उत्तर प्रदेश की सीमा में हैं । धन्यवाद ।

राजगढ़ के रैफरल अस्पताल में चिकित्सकों की लापरवाही से मौत

श्री मोतीलाल (रुपवास) :

राजगढ़ (अलवर) रैफरल हास्पिटल में गत दिनों मगन लाल मीणा को दुर्घटना ग्रस्त हो जाने के पश्चात् भर्ती कराया गया, कुछ समय पश्चात् ही मगन लाल मीणा की मृत्यु हो गयी, चिकित्सा अधिकारी जिसने मृतक की चिकित्सा की उसने न एम.एल. सी. करवाई, न पोस्टमार्टम न ही पुलिस को सूचना ही दी तथा प्रभारी अधिकारी को भी सूचित नहीं किया मृतक राज्य कर्मचारी था । मृतक के परिजनों द्वारा मृत्यु प्रमाण पत्र मांगे जाने पर मृत्यु प्रमाण पत्र भी नहीं दिया जा रहा है ।

इससे चिकित्सा अधिकारी संदेह के घेरे में हैं । इन्होंने यह सब कार्यवाही क्यों नहीं की ।

(293)

माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य का ध्यान आकर्षित कर मृतक के परिजनों को मृत्यु प्रमाण पत्र दिलवाये जाने एवं गैर जिम्मेदार एवं लापरवाह चिकित्सा अधिकारी की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ।

नीमकाथाना में विद्यालयों की क्रमोन्नति

श्री मोहनलाल मोदी (नीमकाथाना) :

मैं नियम 295 के अन्तर्गत नीमकाथाना विधान सभा क्षेत्र में निम्न लिखित प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालय में, क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में शिक्षा मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षण करना चाहता हूं ताकि क्षेत्र में शिक्षा का प्रचार हो सके और पिछड़ापन दूर हो सके ।

1. घासीपुरा पंचायत मुख्यालय है इस पंचायत क्षेत्र में 6 प्राथमिक विद्यालय है जनसंख्या 1150 है ।

2. मोकलवास पंचायत मुख्यालय है पंचायत क्षेत्र में 6 प्राथमिक विद्यालय है । यह पंचायत एस.टी. की रिजर्व पंचायत हैं ।

3. श्यामपुरा पंचायत मुख्यालय है पंचायत क्षेत्र में 5 प्रा. विद्यालय है जनसंख्या एक हजार से अधिक है छात्र संख्या 135 है ।

4. हीराकावाली ग्राम पंचायत गोडावास राजस्व गांव में शामिल है जनसंख्या 3000 है इसके आसपास 3 प्रा. वि. है ।

5. कैरवाली छात्र संख्या 288 है जनसंख्या 2000 है प्राइवेट प्रा. वि. भी चल रहा है जिसमें छात्र संख्या 400 है ।

6. गणेश्वर पंचायत मुख्यालय है पांच हजार की जनसंख्या है । छात्राओं की संख्या पर्याप्त है इस बालिका विद्यालय को क्रमोन्नत किया जावे ।

केन्द्रीय सहकारी बैंक, भीलवाड़ा में अनियमितता एवं भ्रष्टाचार

श्री कालूलाल गूजर (मांडल) :

प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत मैं माननीय सहकारिता मंत्री जी का ध्यान भीलवाड़ा में स्थित केन्द्रीय सहकारी बैंक में हो रहे भ्रष्टाचार अधिकारियों द्वारा की जा रही अनियमितताओं की ओर दिलाना चाहता हूं। केन्द्रीय सहकारी बैंक भीलवाड़ा के विरुद्ध कतिपय लोगों को दिये ऋणों के सम्बन्ध में की गई अनियमितताओं की ओर पूर्व में शिकायत की गई थी और विधान सभा में भी इसके बारे में प्रश्न पूछा गया था जिसमें यह माना गया कि सन् 1991–92 में आई. आर. डी. पी. योजना के तहत किये गये उपरोक्त वितरण में भारी अनियमितताएं हुई हैं और इसमें कई अधिकारी और कर्मचारी दोषी पाये गये हैं। इसके पश्चात् सहकारिता विभाग ने दिनांक 25.6.96 को उक्त दोषी पाये गये व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु एक पत्र केन्द्रीय सहकारी बैंक, भीलवाड़ा को भेजा परन्तु इसके बाद भी बैंक के एम. डी. के द्वारा दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई हैं और न ही इस बारे में कोई तत्परता दिखाई गई है। इसी प्रकार विधान सभा में गत सत्र में उठाये गये ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के समय राज्य सरकार के सहकारिता विभाग ने यह माना कि श्री ओमप्रकाश पुरोहित, प्रबन्धक के द्वारा नियमों के विरुद्ध बैंक की जीप क्रय करना व उनके द्वारा गलत तथ्य बताकर प्रबन्धक पद पर पदोन्नति प्राप्त करना व उनके द्वारा सुवास ग्राम सहकारी समिति में किये गये गबन व घोटालों के कारण उनके विरुद्ध फौजदारी मामला दर्ज होकर उन पर मुकदमा चलना तथा इस गबन के कारण उनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही करना आदि तथ्य उन्होंने माने परन्तु एक वर्ष का लम्बा समय होने बाद भी दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई और ऐसा लगता है कि बैंक का इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही करने का मानस भी नहीं है। इसलिये माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इन सभी मामलों में आवश्यक कार्यवाही करावें और किसी सक्षम अधिकारी से इसकी निष्पक्ष जांच करावें ताकि दोषी लोग बच न सकें और लोगों का विश्वास न्यास पर रह सके। इसलिये मेरा निवेदन हैं कि शासन सचिवालय के किसी सक्षम अधिकारी को भेजकर उचित कार्यवाही करावें। इसके साथ ही भीलवाड़ा के केन्द्रीय सहकारी बैंक के कर्मचारी और अधिकारी ने बिना बैंक के अधिकारियों की स्वीकृति के पंचायत/विधान सभा/लोकसभा के चुनाव लड़ने हेतु फार्म भरे हैं उनमें से किसी ने चुनाव लड़ा। क्या इस तरह से चुनाव में भाग लेने का बैंक के अधिकारियों और कर्मचारियों को अधिकार है? यदि नहीं, तो उनके द्वारा अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी। इस प्रकार इस प्रकरण की सम्पूर्ण जांच करवाई जाए और जिन अधिकारियों और कर्मचारियों ने नियमों की अवहेलना की है उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाए।

सूरतगढ़ के भैरुपुरा (सिलुवा वाली) में भूमि पर नाजायज कब्जा

श्री अमरचन्द मिड्ढा (सूरतगढ़) :

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के गांव भैरूपुरा उर्फ सिलुवा वाली में जोहड पायतन व आबादी की 120 बीघा भूमि पर नाजायज कब्जा गांव के प्रभाव शाली व्यक्तियों ने पिछले 8–9 माह से कर रखा है। इन काश्तकारों ने अपनी पंचायत के सरपंच व उप सरपंच ने दबाव डाला की आप हमें यह लिखकर देओं कि इस भूमि पर हमारा पुराना कब्जा है। सरपंच ने व उप सरपंच यह स्पष्ट मना कर दिया, कि कब्जे का हम लिख कर नहीं देगे क्योंकि गांव के आधे से ज्यादा लोग हमारे पर दबाव डाल रहे है। कि आपको हमने सरपंच और उप सरपंच निर्विरोध बनाया है। आप गांव की जोहड पायतन व आबादी की भूमि की रक्षा नहीं कर सकते हो तो इस पर सरपंच ने कब्जे करने वाले काश्तकारों को समझाया की गांव की सार्वजनिक भूमि पर कब्जा क्यों कर रखा है। यह उचित नहीं इस पर भी वह काश्तकार नहीं माने दोनों तरफ के दबाव के कारण सरपंच व उप सरपंच ने दुखी होकर पद से इस्तीफा दे दिया है। गांव ने लोगों राजस्व तहसीलदार एस. डी. एम. व जिला कलक्टर ने कब्जा हटाने का आदेश एस. डी. एम. व तहसीलदार को दिया इस पर तहसीलदार ने कब्जा करने वाले काश्तकारों को बेदखल करने बाबत नोटिस दिया उसके बाद में वह काश्तकार नोटिस लेकर जयपुर आये और बेदखली के नोटिस व छः माह के कब्जे का आधार बना कर बिना नियम, बिना कायदे राजस्व मंत्री जी से स्टे आर्डर ले गये जिसके कारण से कब्जा नहीं हट रहा है। अतः मेरा राजस्व मंत्री जी से यह निवेदन है कि जनहित को ध्यान में रखते हुए शीघ्र अति शीघ्र स्टे आर्डर निरस्त करके, जिला कलक्टर गंगानगर को कब्जा हटाने के बाबत आदेश करके आबादी व जोहड पायतन की भूमि को कब्जे से मुक्त कराके ग्रामीणों को राहत प्रदान कर व अनुग्रहित करावें। धन्यवाद।

जिला नहीं बनने से हिण्डौन के विकास कार्यों में अवरोध

श्री कमल (हिण्डौन) :

जिला सवाई माधोपुर भोगौलिक दृष्टि से काफी बड़ा है तथा विभिन्न समस्याओं के कारण जिले के सम्पूर्ण विकास में बड़ी बाधाये उत्पन्न करता है। जिले का काफी बड़ा भू–भाग पहाड़ी, पठारी, डांग तथा मैदानी हैं। इसमें राजस्थान में बहने वाली अधिकतर नदियां बहती है जिसके कारण सवाई माधोपुर से दूर स्थानों की पहुंच अत्यधिक कठिन हो जाती है। तथा समय भी बहुत अधिक लगता है। जिसके फलस्वरूप दूर वाले स्थानों को विकास का उतना लाभ नहीं मिल पाता

296

है जो कि सामान्य परिस्थिति में इसे मिलना चाहिये था । यही कारण है कि मुख्यालय से दूर वाले क्षेत्र में कई प्रकार की समस्याओं से उत्पन्न होती रही है । क्षेत्र में स्थित सपोटरा, नादौती, करौली, हिण्डौन, टोडाभीम तहसीलों से जिला मुख्यालय पर पहुंच कर अपनी समस्याओं का निपटारा करने में क्षेत्र की लगभग 15 लाख जनता को अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है । अतः सरकार से मेरा निवेदन है कि इन पांचों तहसीलों को मिलाकर एक नये जिले का सृजन किया जावे जिसका मुख्यालय हिण्डौन या हिण्डौन क्षेत्र में स्थित विश्व प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थान श्री महावीर जी में किया जावे जिससे इस प्रकार बनने वाले नये जिले के सभी स्थानों से मुख्यालय लगभग समान दूरी पर रहे तथा सुविधाजनक भी रहें ।

अध्यक्ष महोदय, हिण्डौन तथा श्री महावीर जी बस तथा रेल से राजस्थान तथा देश के अन्य महत्वपूर्ण स्थानों से सीधा जुड़ा हुआ है । यहां से रोजाना सीधी बसें जयपुर, भरतपुर, करौली, सपोटरा, केलादेवी, गंगापुर, अलवर, देहली, हरिद्वार, कानपुर, मेरठ, सारनपुर, ग्वालियर, धौलपुर, अजमेर, उदयपुर, डूंगरपुर, जोधपुर नाकोडा, अलीगढ़, कोटा, मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद आदि अनेक स्थानों की रोजाना संचालित होती है । रेल से भी हिण्डौन तथा श्री महावीर जी, ब्राड गेज द्वारा मुम्बई, अहमदाबाद, राजकोट, जयपुर हावड़ा देहली, हरिद्वार देहरादून, फिरोजपुर अमृतसर, जम्मूतवी, आगरा, कानपुर लखनऊ, गोरखपुर इन्दौर आदि अन्य महत्वपूर्ण स्थानों से जुड़ा हुआ हैं ।

अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार बनने वाले नये जिले के कारण इस क्षेत्र की समस्त समस्याओं जैसे डाकुओं से जनता को राहत, डांग क्षेत्र का विकास एवं सुविधा जनक पहुंच के कारण प्रशासन को भी जनता की अधिक से अधिक जन समस्याओं का समाधान करने में आसानी रहेगी । लॉ एण्ड आर्डर जो कि क्षेत्र का दिन प्रतिदिन बिगड़ता जा रहा है । सुधार होने की पूरी संभावना है ।

अतः अध्यक्ष महोदय, मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि राजस्थान के लोक प्रिय मुख्य मंत्री माननीय श्री भैरोंसिंह जी शेखावत क्षेत्र की इस महत्वाकांक्षी मांग को इसी सत्र में पूरा करेंगें तथा क्षेत्र की जनता को विभिन्न प्रकार श्रापों से मुक्ति दिलायेगें । क्षेत्र के अन्य माननीय सदस्यों का भी इसके लिये मुझे समर्थन है ऐसा मेरा विश्वास है ।

———

जमवारामगढ़ के ग्राम नीवों में एक व्यक्ति पर हत्या का आरोप

श्री गोपीराम जाट (आमेर) :

श्री प्रहलाद गुर्जर पुत्र श्री नाथूलाल गुर्जर निवासी नीवों पंचायत बासना जमुवारामगढ़ की बहिन छोटी देवी सरपंच का चुनाव लड़ रही थी। छोटी देवी भाजपा उम्मीदवार थी तथा उसके पिता नाथूलाल पिछले 20 साल तक सरपंच रहा है। भाजपा का वरिष्ठ व जागरूक सरपंच रहा है। 1–2–95 छोटी देवी के समर्थक नीम्बी आये और प्रहलाद को साथ लेकर महादेव धामाई निवासी गोपालगढ़ के पास प्रचार करने गये तथा सायं 6 बजे के बाद वापिस नीम्बी लौट कर आये।

दिनांक 6–2–95 को बिना किसी व्यक्ति को नामजद किये किशोरसिंह के गायब होने की प्रथम सूचना रिपोर्ट जमवारामगढ़ थाने में कराई गई।

3. दिनांक 11–2–95 उक्त प्रकार की ही दूसरी एफ. आई. आर. बिना किसी व्यक्ति पर शक सुबाके दुबारा उक्त थाने में ही दर्ज हुई थी।

4. नाथूलाल गुर्जर ग्रा. पो. बासना से 20 साल तक सरपंच रहे हैं तथा भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय एवं कार्यकर्ता रहे हैं।

5. कांग्रेस (आई) के राजनैतिक कार्यकर्ताओं एवं पार्टी के स्थानीय नेताओं एवं गुट से राजनैतिक दुश्मनी स्वाभाविक रूप से नाथुलाल गुर्जर की रही है।

6. नाथूलाल गुर्जर से विरोधी पक्ष की राजनैतिक दुश्मनी होने तथा चुनाव के बाद वोटों की गिनती के वक्त छोटी देवी के समर्थकों ने गिनती में गड़बड़ी होने के कारण निर्वाचन अधिकारी आदि से इसका विरोध किया उससे झगड़े की नौबत आ गई और गिनती वाली रात को ही श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय पुलिस के दलबदल सहित मौके पर रात को दो ढाई बजे आना पड़ा उस वक्त छोटी देवी और नाथूलाल के समर्थकों एवं पुलिस अधीक्षक महोदय के बीच गाली गलोच एवं अपशब्दों का प्रयोग करने पर झगड़ा होने की नौबत हो गई जिसको लेकर अधीक्षक महोदय ने नाथूलाल जी से कहा था कि तुमने हमारी नींद हराम की है तुम्हें देखूंगा।

7. श्री किशोर सिंह वन रक्षक के हत्याकाण्ड में पांच सात दिन बाद ही नाथूलाल के पुत्र प्रहलाद राम गुर्जर कैटल गार्ड (वन विभाग के) पुलिस उपअधीक्षक ने नाथूलाल एवं छोटी देवी के विरोधियों ने मिलकर झूठा फंसा दिया।

8. उक्त हत्या कांड में मुख्य अभियुक्त रामेश्वर गुर्जर के साथ प्रहलाद गुर्जर का नाम भी पुलिस रंजिस वश एफ. आई. आर. के बाद में फर्जी एवं झूठे बयान लिखकर नामजद कर दिया।

9. रामेश्वर को गिरफ्तार कर उसके अकेले के खिलाफ चालान पेश कर दिया नाथूलाल के पुत्र प्रहलाद राम को भी पुलिस ले गई और उसके साथ मारपीट का तरीका इस्तेमाल करने से नन्दा नाडी टूट गई उस स्थिति से भयभीत होकर उसको रातों-रात जाने कहां छोड़ दिया लेकिन ईश्वर की कृपा से उसकी जान बच गई, लेकिन वह पागल हो गया तथा पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी के कागज खुर्दबुर्द कर दिए तथा प्रहलाद गुर्जर को फरार घोषित कर दिया।

10. रामेश्वर से पुलिस ने आलाए कत्ल कुल्हाड़ा एवं मृतक की जूतियां एवं कपड़े बरामद होना बताया तथा प्रहलाद से मृतक की घड़ी बरामद करना शेष बताकर रामेश्वर पर मुकदमा चला जिसमें समस्त गवाहों ने न्यायालय में दिए बयानों में प्रहलाद का हत्या में हाथ होने से इन्कार किया। इस प्रकार पुलिस द्वारा झूठे बयान लिया जाना सिद्ध हो चुका है तथा रामेश्वर को भी दोषी नहीं मानते हुए दिनांक 3–4–96 को रिहा कर दिया गया है।

11. प्रहलाद गुर्जर से पुलिस ने मृतक किशोर सिंह की घड़ी बरामदगी शेष होना बताया था लेकिन वह भी रामेश्वर के मुकदमे में दिए गए गवाहों के बयानों से झूंठी सिद्ध हो चुकी है क्योंकि गवाहों द्वारा घड़ी रामेश्वर से ही बरामद हो चुकी है बताया गया।

अतः ऐसी स्थिति में प्रहलाद गुर्जर के विरुद्ध कोई मुकदमा या बरामदगी शेष नहीं रह जाने के कारण वह अभियुक्त नहीं रह जाता है अतः पुलिस को प्रहलाद के विरुद्ध मुकदमा खारिज कर देना चाहिए था लेकिन पुलिस विरोधियों से मिलीभगत होने के कारण तथा पुलिस अधीक्षक महोदय, के दबाव के कारण निर्दोष व्यक्ति को सरकारी नौकरी से हाथ धोना पड़ा है और पागलपन की हालत में पूरा परिवार एवं उसकी औरत व नन्हे-नन्हे बच्चे न्याय की यातना भोग रहे हैं जिससे परिवार की राजनैतिक छवि, सामाजिक तन, धन आदि से बबादी होकर जीवन का पतन हो गया है अतः कृपया नए सिरे से सी. बी. आई. आदि द्वारा जांच कराना आवश्यक है।

गंगापुर सिटी में क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल (गंगापुर) :

मैं राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत माननीय स्वायत्त शासन मंत्री जी एवं विशिष्ट योजना राज्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित कराते हुये निवेदन करना चाहता हूं कि गत वर्ष अतिवृष्टि के कारण गंगापुर सिटी

में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी। गंगापुर सिटी की समस्त सड़कें पूर्णतया क्षतिग्रस्त हो गई।

अतिवृष्टि के कारण क्षेत्र के सिंचाई विभाग के तालाब–तेलय्या, सार्वजनिक निर्माण विभाग की सड़कें, कृषि उपज मण्डी की सड़कें, व निजी तालाब क्षतिग्रस्त हो गये। समस्त विभागों को तो बाढ़ अकाल राहत के अन्तर्गत क्षतिग्रस्त हुये कार्यों के निर्माण के लिये धन उपलब्ध करवा दिया, लेकिन गंगापुर शहर में हुये क्षतिग्रस्त कार्यों के लिए, धन उपलब्ध नहीं कराया जिसके कारण आज गंगापुर नर्क बना हुआ है।

गंगापुर नगर पालिका की आज आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि अपने स्वयं के साधनों से क्षतिग्रस्त नगर की मुख्य सड़कों, वार्डों की गलियों की आम रास्तों में सड़कों का निर्माण करवा सके। श्रीमान् जी आज पूरा एक वर्ष व्यतीत हो गया है लेकिन किसी भी योजना के अन्तर्गत अतिवृष्टि के कारण क्षतिग्रस्त हुई सड़कों का निर्माण नहीं कराया है।

श्रीमान् स्वायत्त शासन मंत्री जी आपने भी कुछ नहीं किया, विशिष्ट योजना राज्य मंत्री जी आपके पास तो देने को बहुत कुछ था, निर्बन्ध योजना में ही कुछ दे देते, अकाल बाढ़ राहत मंत्री जी जब आपने गंगापुर क्षेत्र को अभाव ग्रस्त घोषित किया तब गंगापुर शहर को सम्मिलित क्यों नहीं किया।

अतः मैं आप सभी से मांग करता हूं, कि अतिवृष्टि के कारण क्षतिग्रस्त गंगापुर नगर की सड़कों को शीघ्र बनवाने की कृपा करें। साथ में यह भी मांग करूंगा कि सीमेन्ट कंकरीट सड़कें बनाने का प्रावधान करावें। प्रत्येक वर्ष नालों का पानी शहर में आता है, डामर की सड़कें खराब हो जाती है। धन्यवाद।

चम्बल नदी पर झरेर के बालाजी के पास अवैध खनन

श्री रामगोपाल बैरवा (पीपल्दा) :

विधान सभा क्षेत्र पिपल्दा में चम्बल नदी पर झरेर के बालाजी के पास कुछ लोग जिन्होंने इसके आसपास काम करने का सार्वजनिक निर्माण विभाग से ठेका ले रखा है उन ठेकेदारों ने जिनमें आर. सी. सी. ब्रिज का निर्माण कार्य जो पार्वती नदी पर खातोली के पास कराया जा रहा है। जिस ठेकेदार को मेटेरीयल सप्लाई का ठेका

दिया उसने झरेर के बालाजी के पास अवैध खनन कर नियमों का उल्लंघन किया तथा जो इस कार्य से खनिज विभाग को काफी कर का नुकसान हुआ है इसी प्रकार झरेर के बालाजी पर कराये जाने वाले कॉजवे के निर्माण कार्य पर भी मेटेरीयल सप्लाई करने वाले ठेकेदार ने इसी स्थान पर अवैध खनन कर नियमों उल्लघन किया तथा विभागीय टैक्स कर की चोरी कर विभाग को नुकसान पहुंचाया है। जिससे सरकार को काफी नुकसान हुआ है। क्या उक्त व्यक्तियों के खिलाफ अवैध खनन करने पर उचित कार्यवाही करने व सरकारी कर की जो चोरी की है उसके खिलाफ उचित कार्यवाही की जावे। धन्यवाद।

सीमान्त क्षेत्र में विद्युतीकरण का अभाव

श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर) :

सीमान्त क्षेत्र खाजूवाला के पंचायत मुख्यालयों एवं अन्य चक आबादियों को विद्युतिकृत करने के संबंध में विशेष उल्लेख के माध्यम से निम्न प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं :–

"सीमान्त क्षेत्र खाजूवाला, पूगल, छतरगढ़ क्षेत्रों के अनेक पंचायत मुख्यालय अभी तक विद्युतिकृत नहीं किये गये हैं। इन क्षेत्रों में कुल 26 ग्राम पंचायतें एवं 60 चक आबादियां, जिनको राजस्व गांव घोषित किया जा चुका है, जिनमें से अधिकांश पंचायतें एवं चक आबादियां अविद्युतिकृत हैं। इन अविद्युतिकृत चक आबादियां एवं पंचायत मुख्यालयों को कम से कम खर्च में विद्युतिकृत किया जा सकता है। सीमान्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत इस कार्य को सम्पन्न किया जा सकता है। इसके लिये भारत सरकार से धन भी उपलब्ध कराया जाता है।

सन् 96–97 में सीमान्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम में जो फंड उपलब्ध उसमें से 1 से डेढ़ करोड़ की राशि से खाजूवाला से पंचायत मुख्यालय चक 34 केवाईडी वाया चक 3 पी डब्ल्यू. एम. व चक 3 पी.डब्ल्यू.एम. से पंचायत मुख्यालय चक 2 के डब्ल्यू. एम. वाया 25 के. वाई. डी. चक व खाजूवाला से प. मु. 22 के. वाई. डी. व पं.मु. 17 के.वाईडी. व पं.मु. 14 बी.डी. चक बिजली की लाइन डालकर इन पंचायत मुख्यालयों को विद्युतिकृत किया जाये। धन्यवाद।

सेठ मोतीलाल कालेज, झुंझुनूं की उत्तर पुस्तिकाओं की पुनः जांच

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) :

झुझुनूं जिले के कस्बां झुंझुनूं में सेठ मोती लाल कॉलेज एक प्रतिष्ठा वाली शिक्षण संस्था है। सरकार द्वारा करीब 90 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है। इस वर्ष इस विद्यालय से वाणिज्य (द्वितीय) के वित्त प्रबंधक तत्व विषय की परीक्षा में कुल 73 विद्यार्थी बैठे थे। इनमें से सिर्फ 9 छात्र उत्तीर्ण हुए बाकी सब छात्र उक्त विषय की परीक्षा में ही अनुत्तीर्ण हुए हैं। ये सभी छात्र अन्य विषयों में बहुत अच्छे नम्बरों से उत्तीर्ण हुए हैं अधिकांश छात्रों ने प्रथम श्रेणी से भी ज्यादा नम्बर प्राप्त किये हैं। इससे स्पष्ट है कि उत्तर पुस्तिकाओं की जांच में भारी अनियमितता हुई है। चालीस नम्बर के प्रश्न पत्र में दो-दो, तीन-तीन नम्बर ही दिये गये हैं, जिससे प्रतिभावन छात्रों के साथ बड़ा अन्याय हुआ है उनका एक साल खराब हुआ है। हो सकता है इस प्रतिष्ठा प्राप्त शिक्षण संस्था की प्रतिष्ठा को आघात पहुंचाने के षड्यंत्र का यह परिणाम हो।

महाविद्यालय के प्राचार्य ने उक्त विषय की उत्तर पुस्तिकाओं की पुनः जांच कराने की मांग की है तथा परीक्षा परिणाम अप्रत्याशित रहने पर अपना असंतोष जाहिर किया हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय की सीनेट के सदस्य श्री बी. के. अग्रवाल ने भी इस तरफ ध्यान आकर्षित किया है।

अन्य पांचों विषयों में अच्छे अंक मिले हैं सिर्फ इसी विषय में सभी छात्रों को कम अंक प्राप्त होना दर्शाता है कि कापियों की जांच में गड़बड़ी हुई है।

सम्पूर्ण तथ्यों को देखते हुए इस सन्दर्भ की जांच करवाया जाना आवश्यक हो गया है जिससे छात्रों के जीवन से खिलवाड़ किये जाने वाली इस प्रकार की घटनाओं पर अंकुश लगे। धन्यवाद।

राजकीय चिकित्सालय, गुहाला (खण्डेला) में एक बालिका की मृत्यु

श्री महादेव सिंह (खण्डेला) :

मैं सदन व सरकार के माध्यम से अत्यन्त लोकमहत्व के विषय की ओर निवेदन करूंगा कि विधान सभा क्षेत्र खण्डेला के राजकीय रेफरल अस्पताल गुहाला

में दिनांक 30—6—96 को चिकित्सक एवं अन्य चिकित्सालय स्टाफजनों की लापरवाही एवं भ्रष्टाचार के चलते एक सात वर्षीय बालिका ने तड़प-तड़पकर प्राण त्यागे जो एक चिकित्सालय स्टाफ के लिये ही नहीं बल्कि राज्य सरकार के लिये भी शर्म एवं खेद की बात है कि एक भ्रष्ट चिकित्सक को उसके द्वारा वांछित रकम नहीं मिलने के कारण समय पर इलाज नहीं किया गया और इलाज के अभाव में चिकित्सालय में मौत होना एक गम्भीर मामला है सरकार को इस ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये।

महोदय उक्त चिकित्सालय में पूर्व में भी कई बार दुर्घटना एवं मारपीट तथा पोइज़न के केसेज चिकित्सालय स्टाफजनों की लापरवाही का शिकार हुए हैं जिन्हें न तो समय रहते आगे रेफर किया जाता है और न ही समय पर चिकित्सालय में उनका इलाज किया जाता है। इस प्रकार के खुले रूप में उक्त चिकित्सालय को लापरवाही एवं भ्रष्टाचार का केन्द्र बना रखा है जहां के डाक्टर्स एवं नर्सिंग स्टाफ द्वारा मरीजों के साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है तथा डाक्टर्स समय पर उपलब्ध नहीं रहते व मेडिकल स्टोर्स से माहवारी वसूलने के कारण मरीजों का शोषण किया जा रहा है जिसका जनता में भारी आक्रोष है एवं आम जनता में जीवन के प्रति संदेह एवं असुरक्षा की भावना उत्पन्न हुई है।

महोदय उक्त चिकित्सालय स्टाफ की अशिष्टता एवं गम्भीर अनियमितताओं के सम्बन्ध में पूर्व में विभाग को सचेत कर दिया गया था लेकिन दुर्भाग्य है ग्रामीण जनता एवं इस देश का कि पूर्व चेतावनी के बाद भी विभाग एवं प्रशासन की नींद नहीं खुलती जिसका परिणाम एक मोटे हादसे के रूप में उभर कर आने लगा है जो निश्चित रूप से एक संवेदनशील मनुष्य के रोंगटे खड़े कर देने वाला है। अतः इस ओर विशेष ध्यान दिलाया जाये।

जयपुर में केरोसीन तेल वितरण में कथित अनियमितता

श्री हरिसिंह (महुआ) :

मान्यवर, निवेदन है कि—

1. भ्रष्टाचार के अनेक आरोपों में फंसे जयपुर के जिला रसद अधिकारी द्वारा जयपुर शहर की पोश कालोनियों में चलने वाली उचित मूल्य की करीब 143 दुकानों के केरोसिन तेल के कोटे में अक्टूबर 1995 में भारी कटौती की थी तथा फिर उसी माह के अन्त में उक्त कटौती को निरस्त कर दिया गया। जिसमें

करीबन दो लाख लीटर केरोसिन तेल उक्त पोश कालोनियों की उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से प्रतिमाह कालाबाजारी करवाये जाने एवं इस जबरदस्त कालाबाजारी के एवज में राशन विक्रेताओं से करीबन 4 लाख रुपये माहवार मन्थली लिये जाने का जिला रसद अधिकारी पर आरोप हैं। क्या खाद्य मंत्री महोदय ने भ्रष्टाचार के इस संगीन प्रकरण की जांच करवायी ? यदि जांच करवायी तो क्या जिला रसद अधिकारी जयपुर को उसमें दोषी पाया गया ? यदि दोषी पाया गया तो जिला रसद अधिकारी के विरुद्ध क्या सख्त कार्यवाही की गयी ?

2. इसी प्रकार जनवरी, 1996 में जयपुर शहर एवं जयपुर देहात में उचित मूल्य की दुकानों को प्रति माह दिये जाने वाले केरोसिन तेल के रोस्टर के हिसाब से कोटे के अलावा करीबन 5 लाख लीटर केरोसिन का अतिरिक्त कोटा जयपुर के जिला रसद अधिकारी द्वारा जयपुर शहर की कुछ राशन की दुकानों एवं जयपुर देहात की कुछ तहसीलों को दिया गया। जिसमें भारी अनियमितता एवं भ्रष्टाचार हुआ।

क्या मंत्री महोदय ने भ्रष्टाचार के इस संगीन प्रकरण की जांच करवायी ? यदि जांच करवायी तो क्या उसमें जिला रसद अधिकारी एवं सम्बन्धित प्रवर्तन स्टाफ को दोषी पाया ? यदि दोषी पाया तो जिला रसद अधिकारी एवं सम्बन्धित प्रवर्तन स्टाफ के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

3. इसी प्रकार जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वारा जयपुर शहर में मै. कन्हैया लाल कल्याण बक्श, मै. सत्यनारायण मौरीलाल, मै. हरिनारायण चन्दा आदि फर्मों को आर. टी. एल. लाइसेन्स पर नियंत्रित केरोसिन तेल सप्लाई किया जा रहा था। परन्तु अचानक 25 जून 1996 से उक्त आर.टी. एल. लाइसेन्स की फर्मों को जिला रसद अधिकारी द्वारा नियंत्रित केरोसिन तेल की सप्लाई बन्द कर दी गयी। अभी इसी सत्र में 15 जुलाई, 1996 को मंत्री जी ने सदन में बताया था कि सन् 1992 से खाद्य विभाग ने आर. टी. एल. लाइसेन्स पर नियंत्रित केरोसिन तेल दिये जाने पर रोक लगायी हुई हैं। तो फिर उपरोक्त तीनों आर. टी. एल. लाइसेन्स की फर्मों को कब से और किस आदेश एवं नियम के तहत केरोसिन तेल की सप्लाई जारी रखी गयी और अब अचानक क्यों बंद कर दी गयी ? जबकि मै. कन्हैयालाल कल्याण बक्श के नाम से ही आर. टी. एल. लाइसेन्स के अलावा एक राशन की दुकान भी है जिसका नम्बर 207 है।

4. इसी प्रकार केरोसिन तेल की कालाबाजारी को रोकने के लिये सम्भागीय आयुक्त एवं जिलाधीश जयपुर के निर्देश पर जिला रसद अधिकारी, जयपुर द्वारा जयपुर

(309)

शहर एवं जयपुर देहात की राशन की दुकानों के लिये निगरानी समितियों का गठन किया गया। तथा निर्देश दिये गये थे कि निगरानी समितियों की देखरेख में ही राशन विक्रेता केरोसिन तेल का वितरण करेगा तथा वितरण के पश्चात् निगरानी समिति के किन्हीं दो सदस्यों से सही वितरण हुआ है का प्रमाण पत्र प्राप्त करेगा। इस प्रमाण पत्र के पश्चात् ही वितरण रजिस्टर जमा किये जायेंगे तथा नये वितरण रजिस्टर पास किये जायेंगे। ऐसा नहीं करने पर ना तो नये वितरण रजिस्टर पास किये जायेंगे और ना ही आगामी माह को केरोसिन दिया जायेगा।

क्या सम्भागीय आयुक्त, जिलाधीश एवं जिला रसद अधिकारी के उक्त आदेशों की प्रवर्तन स्टाफ, राशन विक्रेताओं एवं स्वयं जिला रसद अधिकारी की पालना की? क्या जयपुर शहर के राशन विक्रेताओं के प्रतिमाह वितरण रजिस्टर जिला रसद विभाग में जमा किये जा रहे हैं?

क्या पुराने वितरण रजिस्टर जमा करने के पश्चात् ही नये वितरण रजिस्टर पास किये जा रहे हैं?

क्या वितरण रजिस्टर नहीं जमा कराने वालों को राशन सामग्री एवं केरोसिन तेल की सप्लाई बन्द कर दी गयी है?

महोदय,

उपरोक्त सभी भ्रष्टाचार के संगीन प्रकरण माननीय खाद्य मंत्री जी की जानकारी में होते हुए भी खाद्य मंत्री जी मौन है। जिससे ऐसा प्रतीत होता हैं इन सब संगीन मामलों में मंत्री जी की मौन स्वीकृति है। गत विधान सभा क्षेत्र में मैंने जयपुर शहर में पोश कॉलोनियों में चलने वाली राशन की दुकानों के केरोसिन तेल वितरण में हुई भारी अनियमितताओं की तरफ मंत्री जी एवं राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित किया था परन्तु इतने लम्बे अन्तराल के पश्चात् भी मंत्री जी एवं राज्य सरकार द्वारा भ्रष्टाचार के ऐसे संगीन मामलों पर कोई सख्त कार्यवाही को स्पष्ट प्रदर्शित करता है कि राज्य सरकार एवं स्वयं मंत्री जी भ्रष्टाचार के प्रति कितने संवेदनशील है। भ्रष्टाचार आरोपों में फंसे जिला रसद अधिकारी आज भी कुर्सी पर विराजमान है। जयपुर में राशन व्यवस्था बिलकुल चौपट हो गयी है। कोई सुनने वाला नहीं है।

---

(305)

हिण्डौन पंचायत समिति के कनिष्ठ अभियन्ता की जांच

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडामीम) :

मैं जिला सवाई माधोपुर की हिण्डौन पंचायत समिति में कार्यरत कनिष्ठ अभियन्ता श्री भीखा लाल शर्मा जो सिचाई विभाग से प्रतिनियुक्ति पर आये हैं उन्होंने शिल्पीशाला बुनकर शाखा की फर्जी एम. बी. भरी है। जिसकी जांच भी हुई पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। जवाहर रोजगार योजना आश्वासित योजना तथा इन्द्रा आवास योजना के फर्जी भुगतान हो रहा है। इन योजनाओं के तहत दी गई राशि का वास्तविक उपयोग का यदि भौतिक सत्यापन कराया जाये तो कहीं पर भी कोई कार्य नहीं मिलेगा।

हाल ही वर्षा का पानी को सिंचित करने के लिए तलाई निर्माण का 40 लाख का बजट मिला जिसे फर्जी एम. वी. भरकर खर्च दिखाया गया। वास्तव में कहीं पर भी तलाई नहीं बनाई गई।

उक्त जे. ई. एन. को हाल करीसी लगाया गया जहां पर भी तलाई का बजट था जिसे भी फर्जी एम. वी. के सहारे डकारा।

अतः इस फर्जीवाड़े से क्षेत्रीय जनता में भारी आक्रोश व्याप्त हो रहा है जिसके लिए मैं माननीय पंचायत राज्य मंत्री का ध्यान इस नियम के तहत दिलाना चाहूंगा जिसकी मुझे सदन में बोलने की अनुमति प्रदान करायें।

ईंट-भट्टा उद्योग की विभिन्न समस्याएं

श्री रामप्रताप कासनियां (पीलीबंगा) :

गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में बिक्री कर विभाग द्वारा ग्रीन चैनल योजना के अन्तर्गत ईंट-भट्टों के लिए राज्य सरकार द्वारा सन् 1994-95 में व 95-96 के लिए प्रशासन फीस निर्धारित की गई थी जिसमें 1.4.96 को 10 प्रतिशत टैक्स वृद्धि कर आगामी 2 वर्ष के लिए नवीनीकरण करने का प्रावधान सरकार ने तय किया था मैं यह जानना चाहता हूं कि गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू जिले की बिक्रीकर कार्यालयों द्वारा आज तक कितने भट्टों को प्रशासन फीस पर आधारित प्रमाण पत्र जारी किये गये, इसके अलावा 1.4.96 को काफी इकाइयों ने नवीनीकरण कराने बाबत प्रार्थना

पत्र दिये थे उनमें से कुल लोगों ने पैसे नहीं दिये उनके ईंट भट्टों का नवीनीकरण आज दिन तक नहीं हुआ तरह तरह के बहाने बनाकर टाल दिये जाते है तथा प्रार्थना पत्र देने के तीन–तीन माह निकल जाने के बाद में भी कोई सुनाई नहीं होती है । इसके पीछे कारण है । पैसा नहीं देना पर भट्टे 3 हजार रुपये देने पडते हैं । इसके अलावा अधिकारियों की मिली भगत से हरियाणा व पंजाब से प्रति दिन लगभग 3 लाख ईंट हनुमानगढ़ व गंगानगर व चूरू जिले में आयात होती है इन ईंटों पर राजस्थान सरकार के नियम के तहत 10% टैक्स लगना चाहिए परन्तु नाम मात्र की रसीद काट कर शेष ईंट दो नम्बर में निकाल दी जाती है । जिसे सरकार को आये दिन लाखों रुपये के टैक्स का नुकसान होता है । जांच करने से स्वतः ही पता लग जायेगा कि आये दिन कितनी ईंट आयात होती है । और कितना टैक्स वसूल होता है । इसका पता चूरू व हनुमानगढ़ व गंगानगर जिलों में स्थित कार्यालयों से पता लग सकता है । कि टैक्स के रूप में कितनी राशि संग्रह होती है कि राजस्थान की सीमा पर हरियाणा व पंजाब के लोगों ने बहुत ही ज्यादा ईंट भट्टे लगा रखे हैं । वह कर की चोरी होने के कारण ज्यादा बिक्री इन भट्टों पर होती है । इसके कारण से हनुमानगढ़ व गंगानगर व चूरू जिले के ईंट उद्योग की बिक्री कम होने के कारण यह उद्योग खतरे में पड़ गये हैं । अतः मेरा इसमें निवेदन है कि पूरे प्रकरण की जांच करके दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करने की कृपा करें ।